


शुभ कामनाओं सहित

युनाइटेड बिल्डर्स

भवन निर्माता, अभियंता

एव

परामशदाता



वी-२६, कैलाश कालोनी

नई दिल्ली-१४

हिन्दुस्थान वार्षिकी

१९६८-६९

(विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा शिक्षण सस्थाओ एव
पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत)

सम्पादक

अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार,
हरिदत्त पाठक



प्रकाशक

हिन्दुस्थान समाचार
(प्रसंग-लेख एवं प्रकाशन विभाग)
मंडी हाउस, नई दिल्ली-१

प्रकाशक

हिन्दुस्थान समाचार

(प्रमग-नर एव प्रवाशन विभाग)

भडी हाउस, नई दिल्ली १

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन

चित्र

मुद्रण—रवीन्द्र कुमार गुप्ता

अन्तिम पृष्ठ—नातावाग

तृतीय सम्स्करण विजयसप्तमी १९६०

मूल्य पन्द्रह रुपये मात्र

बन्ध

नवधेनन प्रस (प्र०) लि० (सौमित्र आंक धनुन प्रेम)

नया बाजार, सिन्धी ६

भूमिका

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध तो जहाँ-तहाँ होता है, मगर मन ही मन विरोधी यह भी समझते हैं कि हिन्दी का आना बिल्कुल अटल है। उसके आगमन को रोकने वाली सारी कोशिशें बेकार होंगी। जातियाँ केवल तात्कालिक निर्णय करके नहीं बढ़ती। वे उन निर्णयों के बल से अधिक प्रगति करती हैं, जो उनके इतिहास से निकलते हैं। भारत की कोई भाषा अंग्रेजी का स्थान ले, यह निर्णय भारत के इतिहास का है। इतिहास जो कुछ चाहता है, वही होकर रहेगा। अगर हम इतिहास के विरुद्ध जाना चाहेंगे, तो प्रगति तो हमारी होगी ही नहीं, क्षति हमारी अपार होगी।

हिन्दी भाषियों को हिन्दी के लिए जितना काम, रचनात्मक तौर पर करना है, उतना काम करना उनसे पार नहीं लग रहा है। लेकिन वे हाथ पर हाथ धरकर बैठे भी नहीं हैं। ज्ञान-विज्ञान की जितनी पुस्तकें हिन्दी में पिछले २० वर्षों में प्रकाशित हुई हैं, उतनी पुस्तकें भारत की किसी भी अन्य भाषा में नहीं निकली हैं।

अव्द-कोप निकालने की परम्परा भारत की किसी भी भाषा में नहीं थी। प्रसन्नता की बात है कि यह कार्य हिन्दी में तीन स्थानों से प्रारम्भ हुआ है। अव्द-कोप विहार राष्ट्रभाषा परिषद् भी निकालती है, उसका प्रकाशन सूचना व प्रसारण मन्त्रालय से भी होता है और इधर तीन वर्षों से एक अव्द-कोप हिन्दुस्थान समाचार भी निकालने लगा है, जो अपने ढंग का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है।

इस प्रकार अव्द-कोप के अभाव की पूर्ति के प्रयास कई स्थानों से किये जा रहे हैं। मगर दुःख की बात है कि हमारे सभी जिला गजेटियर अभी भी केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। इधर हालत यह है कि विधान-सभाओं के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी गजेटियर का उपयोग ही नहीं कर सकते। किन्तु यह कार्य ऐसा है कि जिसे केवल सरकार ही कर सकती है। यही नहीं, सरकारों का धर्म है कि वे गजेटियरों के अनुवाद हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करें।

मैं हिन्दुस्थान समाचार को फिर इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उसका अव्द-कोप अत्यन्त उपयोगी और मनोज है।

रामधारी सिंह 'दिनकर'
हिन्दी सलाहकार
भारत सरकार

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्थान वार्षिकी १९६८-६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय संस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय वष पूरा होता है। प्रथम दो संस्करणों के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया संस्करण आपके समक्ष लाते हुए हमें प्रसन्नता है। हम यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस सदभ ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं पानवधक बनाने में सहायता मिलेगी।

हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हम पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में सदभ ग्रन्थ की कमी को पूर्ति करने के कठिन कार्य को हिन्दुस्थान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हम विश्वास था कि हिन्दी जगत के सहाय्य एवं सदभावना के बल पर हिन्दुस्थान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्थान वार्षिकी के प्रथम दो संस्करणों के गानदार स्वागत द्वारा हिन्दी जगत ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से हम हिन्दी जगत को विश्वास जिलाते हैं कि हिन्दुस्थान वार्षिकी को अधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इसे राष्ट्रभाषा के एक अपरिहाय सदभ ग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालयों, छात्रा प्रतियोगिता परीक्षाधिकारियों एवं अन्य जिज्ञासुओं में हिन्दुस्थान वार्षिकी की बढ़ती हुई मांग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री अमनीन्द्र कुमार विद्यालकार श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तका विनापनदाताओं तथा हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

बालेश्वर अग्रवाल

मंत्री

हिन्दुस्थान समाचार

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१ कालमान	१—१५
२. भारत	१७—२७
भौगोलिक परिचय; प्राकृतिक संरचना; हिमालय, हिन्दुस्तान का मैदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल-वायु, सीमा-समस्या ।	
२ भारतीय इतिहास की एक भाकी	२६—४६
एक विहंगम दृष्टि, विश्व की अन्य सभ्यताएँ, भारत और सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवंश, मुस्लिम राजवंश, अंग्रेज काल, १८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय ।	
४ भारत जन-सांख्यिकीय विवरण	४७—७४
वार्षिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १९०१ से १९६१, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवादी की घनता, १९६१, भारतीय जनगणना, १९६१, देहाती और शहरी जनसंख्या, मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या, जीवनाशा, वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसंख्या, हरिजनो की संख्या, बड़े शहरों की जनसंख्या, मुख्य धर्मावलम्बियों की संख्या, स्त्री-पुरुष अनुपात, नगर एवं गावों का विवरण ।	
५ भारत की शासन-व्यवस्था	७५—९६
संविधान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, संसद, विषयों का वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय लोकसेवा आयोग, राज्य; संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध, संविधान में संशोधन की विधि, भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण की व्यवस्था ।	
६. भारत की न्याय व्यवस्था	९७—१११
न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालतें, विशेष न्यायालय, विधि अधिकारी, हिन्दू कानून में सुधार ।	

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१ कालमान .	१—१५
२ भारत .	१७—२७
भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, हिमालय, हिन्दुस्तान का मैदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल-वायु, सीमा-समस्या ।	
२. भारतीय इतिहास की एक भागी .	२६—४६
एक विहंगम दृष्टि, विश्व की अन्य सभ्यताएँ, भारत और सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवंश, मुस्लिम राजवंश, अंग्रेज काल, १८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय ।	
४ भारत जन-सांख्यिकीय विवरण	४७—७४
धार्मिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १९०१ से १९६१, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवादी की घनता, १९६१, भारतीय जनगणना, १९६१, देहाती और शहरी जनसंख्या, मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या, जीवनाशा, वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसंख्या, हरिजनो की संख्या, बड़े शहरो की जनसंख्या, मुख्य घर्मावलिम्बियों की संख्या, स्त्री-पुरुष अनुपात, नगर एवं गावो का विवरण ।	
५ भारत की शासन-व्यवस्था	७५—९६
संविधान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विषयो का वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय लोकसेवा आयोग, राज्य, संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध, संविधान में संशोधन की विधि, भाषायी अल्पसंख्यको को संरक्षण की व्यवस्था ।	
६. भारत की न्याय व्यवस्था	९७—१११
न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालतें, विशेष न्यायालय, विधि अधिकारी, हिन्दू कानून में सुधार ।	

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्थान वार्षिकी १९६८-६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय संस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय वय पूरा होता है। प्रथम दो संस्करणों के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया संस्करण आपके समक्ष सात हुए हम प्रसन्नता है। हम यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस सदस्य ग्रंथ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने में सहायता मिलेगी।

हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हम पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी में सदस्य ग्रंथ की कमी की पूर्ति करने के बठिन काय का हिन्दुस्थान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हम विश्वास था कि हिन्दी जगत के सहयोग एवं सन्भावना के बल पर हिन्दुस्थान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्थान वार्षिकी के प्रथम दो संस्करणों के गान्धार स्वागत द्वारा हिन्दी जगत ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से हम हिन्दी जगत को विश्वास दिलाने हैं कि हिन्दुस्थान वार्षिकी को अधिक-अधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इसे राष्ट्रभाषा के एक अपरिहाय सदस्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा संस्थानों पुस्तकालयों छात्रों प्रतियोगिता परीक्षाधिया एवं अन्य जिज्ञा सुद्यो में हिन्दुस्थान वार्षिकी की बढ़ती हुई मांग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री भवनीन्द्र कुमार विद्यालकार श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तकों विनापनदाताओं तथा हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

याज्ञेश्वर अग्रवाल
मंत्री
हिन्दुस्थान समाचार

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१ कालमान :	१—१५
२. भारत .	१७—२७
भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना; हिमालय, हिन्दुस्तान का मैदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल-वायु, सीमा-समस्या ।	
२ भारतीय इतिहास की एक भांकी .	२९—४६
एक विहंगम दृष्टि, विश्व की अन्य सभ्यताएँ, भारत और सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवंश, मुस्लिम राजवंश, अंग्रेज काल, १८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय ।	
४ भारत जन-सांख्यिकीय विवरण	४७—७४
धार्मिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १९०१ से १९६१, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवादी की घनता, १९६१, भारतीय जनगणना, १९६१, देहाती और शहरी जनसंख्या, मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या, जीवनाशा, वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसंख्या, हरिजनो की संख्या, बड़े शहरो की जनसंख्या, मुख्य धर्मावलम्बियों की संख्या, स्त्री-पुरुष अनुपात, नगर एवं गावो का विवरण ।	
५ भारत की शासन-व्यवस्था	७५—९६
संविधान; राज्य और प्रदेश, केन्द्र, संसद, विषयो का वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय लोकसेवा आयोग, राज्य, संघ और राज्यों का परस्पर सम्बन्ध, संविधान में मशौघन की विधि, भाषायी अल्पसंख्यको को संरक्षण की व्यवस्था ।	
६. भारत की न्याय व्यवस्था	९७—१११
न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालतें, विशेष न्यायालय, विधि अधिकारी, हिन्दू कानून में सुधार ।	

प्रकाशक की ओर से

हिन्दुस्थान वार्षिकी १९६८-६९ आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय सस्करण के प्रकाशन के साथ वार्षिकी का तृतीय बंध पूरा होता है। प्रथम दो सस्करणा के स्वागत से उत्साहित होकर यह नया सस्करण आपके समक्ष लाते हुए हमें प्रसन्नता है। हम यह भी आशा है कि आपके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस सदस्य ग्रंथ को अधिक से अधिक उपयोगी एवं जानवधक बनाने में सहायता मिलेगी।

हिन्दुस्थान वार्षिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हम पूर्ण कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा हिंदी में सदस्य ग्रंथ की कमी की पूर्ति करने के कठिन कार्य का हिन्दुस्थान समाचार ने अपने हाथ में लिया है। हम विश्वास था कि हिंदी जगत के सहयोग एवं सहभावना के बल पर हिन्दुस्थान समाचार अपने प्रयास में सफल होगा। हिन्दुस्थान वार्षिकी के प्रथम दो सस्करणा के गानदार स्वागत द्वारा हिंदी जगत में हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार की ओर से हम हिंदी जगत को विश्वास दिलाते हैं कि हिन्दुस्थान वार्षिकी को अधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य में ही हम इस राष्ट्रभाषा के एक अपरिहाय सदस्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित देख सकेंगे।

शिक्षा सस्थाना पुस्तकालया छात्रो प्रतियोगिता परीक्षाधिया एवं अन्य जिशा सुधा में हिन्दुस्थान वार्षिकी की बढ़ती हुई मांग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता का प्रतीक है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री भवनीन्द्र मुबार विद्यानवार श्री हरिदत्त पाठक और अपने हितचिन्तक विनायकदाताम तथा हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं का मैं धाभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रकाशित हो रही है।

बालेन्दर अग्रवाल
मन्त्री
हिन्दुस्थान समाचार

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
१ कालमान .	१—१५
२ भारत .	१७—२७
भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक संरचना, हिमालय, हिन्दुस्तान का मैदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल-वायु, सीमा-समस्या ।	
२ भारतीय इतिहास की एक भाकी	२६—४६
एक विहंगम दृष्टि, विश्व की अन्य सभ्यताएँ, भारत और सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवंश, मुस्लिम राजवंश, अंग्रेज काल, १८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय ।	
४ भारत जन-सांख्यिकीय विवरण	४७—७४
वार्षिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १९०१ से १९६१, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवादी की घनता, १९६१, भारतीय जनगणना, १९६१, देहाती और शहरी जनसंख्या, मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या, जीवनाशा, वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसंख्या, हरिजनो की संख्या, बड़े शहरो की जनसंख्या, मुख्य धर्मावलम्बियों की संख्या, स्त्री-पुरुष अनुपात, नगर एवं गावो का विवरण ।	
५ भारत की शासन-व्यवस्था	७५—९६
सचिवान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विषयो का वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, सघीय लोकसेवा आयोग, राज्य, सघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध, सचिवान मे मशोधन की विधि, भाषायी अल्पसंख्यको को संरक्षण की व्यवस्था ।	
६. भारत की न्याय व्यवस्था	९७—१११
न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालते, विशेष न्यायालय, विधि अधिकारी, हिन्दू कानून मे सुवार ।	

- ७ चतुर्थ महानिर्वाचन ११५—१३७
 नई लोकसभा लोकतंत्र की प्रगति अखिल भारतीय लोक सभा चुनाव विस्फेपण विधानसभाओं के चुनाव परिणाम राजनतिक दला की स्थिति दला की मायता मध्यावधि चुनाव का कारण मध्यावधि चुनाव परिणाम ।
- ८ भारत की रक्षा व्यवस्था १४१—१८२
 सगठन (स्थल नौ वायु सेना) सेना का परिचय प्रशिक्षण (स्थल नौ वायु सेना) रक्षा उत्पादन राष्ट्रीय बडट कोर सम्मान तथा पुरस्कार अलकरण रक्षा मन्त्रालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधान सगठन अतसँवा सगठन ।
- ९ शिक्षा १८६—२४९
 काय क्षत्र और काय स्कून शिक्षा राष्ट्रीय शक्षणिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिपद सध गणित क्षत्रा म शिक्षा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयाग वित्तीय व्यवस्था तक नीकी शिक्षा वनानिक सर्वेक्षण और विकास वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिपद छात्रवत्तिया गरीरिक् शिक्षा भारतीय भाषाए हिदी का विकास साहित्य और सूचना वि विद्यालय तथा माय सस्थाए सघीय लोक सेवा आयोग शिक्षा की राष्ट्राय नीति ।
- १० जनस्वास्थ्य २५६—२८६
 जम मृत्यु और जीवन-काल आहार और पोषण औपव निर्माण (नियन्त्रण प्रयोगगानाए और भण्डार) भारतीय चिकित्सा प्रणानी स्वास्थ्य-सस्थाए खाद्य म मिनावट राग नियन्त्रण चिकित्सा की शिक्षा और प्रशिक्षण स्वास्थ्य सवाए व चिकित्सा सहायता भारत की उपलब्ध चिकित्सा सुविधा प्रमुख सस्थान और प्रशिक्षण केन्द्र मडिकन व दतकानेज आयुर्वेत्तिक महाविद्यालय निम्बिया कालेज परिवार नियोजन ।
- ११ भारतीय रेल २९३—३०४
 रेलव की यात्र देय पूजी नातव्य बातें रेलवे बोड रेलव वित्त यानी मातायात रेलव सस्थाए गर सरकारी रेलवे रेलवे विस्तार प्रसिद्ध रेल गाडिया महत्वपूर्ण तिदिया ।
- १२ समाज-कल्याण ३९—३३०
 मच निपय सामाजिक सरक्षण समाज कल्याण अपगा (नेत्र

हीन, वहरे, विकलाग, मन्दमति) की शिक्षा तथा पुनर्वास, सयुक्त राष्ट्र—अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात निधि, समाज-कल्याण तथा विस्थापितों का पुनर्वास, अनुसूचित और पिछडा वर्ग ।

- १३ भारतीय अर्थव्यवस्था ३३५-३७८
मुद्रा, राष्ट्रीय वित्त, वित्त मन्त्रालय, वित्त आयोग, बजट, राज्यों को हस्तांतरित राजस्व, भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय, सैनिक व्यय, उत्पादन और आय, देहाती परिवारों की प्रतिव्यक्ति आय, विदेशों से ऋण, आय-कर, सम्पत्ति कर, बैंक ।
- १४ वाणिज्य-व्यापार ३८५—३९७
निर्यात-व्यापार, आयात-व्यापार, आन्तरिक व्यापार ।
- १५ सिचाई और विजली ४०३—४२३
सिचाई—जल-स्रोत, मन्त्रालय, सिन्धु-सन्धि, केन्द्रीय सिचाई व विद्युत मण्डल, जल व विद्युत आयोग, राज्यों की सिचाई योजनाएँ ।
विद्युत—विद्युत आपूर्ति का विकास, सगठन, राज्य विद्युत मण्डल, योजनाएँ, पन-विजली व ताप परियोजनाएँ, परमाणु विद्युत ।
- १६ उद्योग ४२७—४६६
मन्त्रालय के अधीन सगठन, राष्ट्रीय अचल की कम्पनियाँ, उद्योगों का विकास, भारतीय खनिज-सम्पत्ति, खनिज तेल, रसायनिक उर्वरक, भारतीय जहाजरानी, लघु उद्योग ।
- १७ भारतीय कृषि ४७१—४८०
महत्त्व, प्रशासन का ढांचा, मिट्टी, उपज, अनुसन्धान और शिक्षा, कृषि-विपणन, श्रेणीकरण और प्रतिमानीकरण, खाद्यान्न, अन्य नगदी फसलें, तेलहन, भारतीय खाद्य निगम, मूल्य-नीति, कृषि मूल्य आयोग ।
- १८ सूचना एवं प्रसारण ४८३—४९३
समाचारपत्र का प्रारम्भ, समाचारपत्रों की सख्या, प्रसार सख्या और प्रगति, फिल्म, आकाशवाणी, दूर-दर्शन ।
- १९ आयोजन ४९५—४९८
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाएँ, वार्षिक योजनाएँ (१९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९), चतुर्थ योजना की तैयारी ।
- २० हिन्दुस्थान समाचार परिशिष्ट ४९९—५०२
५०३—५१७
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, ससद सदस्य (लोक सभा, राज्य सभा) ।
विज्ञापनदाताओं की सूची ५१९

साधु प्रवेश

खजुराहो

पराग में कविता

उज्जैन

सांची

भारत में प्राचीनतम

चित्रकूट

माटू

आनंद स्तूप

अमरावती

भैरवाघाट

सम्राट की दरिया

ग्रीवा

पंचमढी

नौका दरिया

दुर्गा

कास किला

उद्यान और माला

का आवास

बदिकपुरी




दृश्य प्राकृतिक से

सुरिया के तिले चर्क के

भयभू मंदीप

रघुपत

प्राकृतिक चित्रकूट



प्राकृतिक चित्रकूट

भारत में प्राचीनतम

सांची

अमरावती

ग्रीवा

दुर्गा

का आवास

सुरिया के तिले चर्क के

भयभू मंदीप

रघुपत

प्राकृतिक चित्रकूट

कालमान

—भारतीय कल्पना

काल के विषय में प्राचीनतम कल्पना अथर्ववेद में इस प्रकार है

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः
सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता ।
तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः,
तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥

काल या समयरूपी अश्व दौड़ा चला जा रहा है । यह सात किरणों वाला और सहस्रो आंखों वाला है । यह अजर है, शक्तिमान है । इसके चक्र सब भुवन हैं ।

काल सात चक्रों को चलाता है । इसके सात मध्य हैं, नाभिया हैं, सात ही अक्षधुरा हैं । काल प्रथम देव है । सारे भुवन काल से ही प्रकट हुए हैं

सप्त चक्रान् वहति काल एष,
सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः ।
स इमा विश्वा भुवनान्यजनयत्,
काल स ईयते प्रथमो नु देव ॥

काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के सब पदार्थ रहते हैं

कालोऽम् दिवमजनयत्
काल इमाः पृथिवीस्त
कालो ह भूतं भव्यच
इषित ह वि तिष्ठते ।

काल ही में सूर्य प्रकाशमान है । काल सम्पूर्ण ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है । चक्षु भी काल में ही देखते हैं ।

कालो भूतिमसृज त
काले तपति सूर्यः ।
काले ह विश्वा भूतानि
काले चक्षुर्विपश्यति ॥

काल से जल उत्पन्न हुआ । काल से ब्रह्म, तप और दिशाये उत्पन्न हुई । सूर्य काल से उदय होता है और काल में ही समा जाता है । काल से पवन चलता है । काल से यह विशाल पृथ्वी हुई है । विशाल द्युलोक भी काल में ही है ।

कालादाय समभवन्
 कालात् ब्रह्म तपो दिग् ।
 कालेनोदेति सूर्य
 काले निविशते पुन ॥
 कालेन वात पवते
 कालेन पृथिवी मही ।
 द्यौमही काल आहिता ॥

काल पुनीत करने वाला है । भूत और भविष्य काल से ही उत्पन्न है । ऋग्वेद और यजुर्वेद भी काल से उत्पन्न हैं

कालो ह भूत भय च
 पुत्रो जनयत् पुरा ।
 कालादृच समभवन्
 यजु कानादजायत ॥

ब्रह्माण्ड उस काल का त्रिद्वयगोचर विस्तार विंगल ब्रह्माण्ड है । ब्रह्माण्ड का दूसरा नाम नभोमण्डल भी है । सम्पूर्ण नभोमण्डल असह्य तारों से भरा है । ब्रह्माण्ड में अनेक सौर मण्डल हैं । तारे वही सौर मंडलों में से किसी न किसी में हैं । मनुष्य को केवल एक ही सौर मण्डल का ज्ञान है । यह वही है जिसमें हमारी पृथ्वी है । उस सौर मण्डल का भी पूरा ज्ञान हम नहीं है । आकाश में स्थित वे असह्य तारे हमारे लोक पृथ्वी के ही समान लोक हैं और पृथ्वी से लाखों मील दूर हैं ।

पृथ्वी के तारों की दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है । प्रकाश की गति प्रति सेकण्ड १ ८६ ०० मील है । उस गति से एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जाता है वह प्रकाश वर्ष का मापदंड है ।

वैज्ञानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य का मानते हैं कि सूर्य-आकाश में स्थित सभी ज्योतिषिण्ड किराी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर घूमते हैं । यह भी माना जाता है कि सभी पिण्ड अण्डाकार वृत्त में घूमते हैं । वैज्ञानिक मत है कि काफी तेज गति से घूमने वाले पिण्ड प्रायः अण्डाकार वृत्त में ही घूमते हैं ।

उन तारा ग्रहो-ज्योतिषिण्डों की सख्या पट्टन डेढ़ लाख मानी गयी । परन्तु इस सम्बन्ध में नये नये तथ्य सामने आ रहे हैं । यह भी अनुमान है कि ग्रहों में पृथ्वी के जति रित्त भी प्राणी रहते हैं ।

ब्रह्माण्ड में एक तारा भी है जो हमारे सौर मण्डल के सूर्य से ज्ञान गुणा बड़े और प्रकाशमान भी है । ऐसा एक तारा अगस्त्य है जो सूर्य से ८० ०० गुणा प्रकाशमान है । सेप्टे डोरा समूह के तारों की ज्योति तीस लाख सूर्यों के बराबर बनायी जाती है । तारों का भार भी बन्त है । किसी किसी तारे के एक घन इंच का भार तीन हजार टन बनाया जाता है ।

हमारा सौर-परिवार हमारे जस सौर परिवार और जितन है और उनकी कुल सख्या क्या है यह ज्ञान नहा है । हमारे सौर-परिवार का सूर्य केन्द्र है । सूर्य के चारों ओर

ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अश विकीर्ण हो जाते हैं और वे सूर्य की परिक्रमा करने लगते हैं। ग्रह व उपग्रहों की उत्पत्ति इसी रीति से मानते हैं। हर सौर-परिवार में धूमकेतु है। इनकी चाल निराली है। उल्काए इसी परिवार की सदस्या हैं।

पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है। इसी कारण आकाश के सभी तारागण प्रतिकूल दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए मालूम होते हैं। इसी को प्रवहमाण वायु से तारों का चलना कहा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। बाद का क्रम शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का है। आखिरी तीनों ग्रह भारतीय 'नव-ग्रहों' में नहीं आते। इन ग्रहों के उप-ग्रह भी हैं, जैसे पृथ्वी का चन्द्रमा। उपग्रह स्वप्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षाओं में चलते हुए करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी ज्यो-ज्यो बढ़ती जाती है, उन पर का तापमान त्यो-त्यो कम होता जाता है।

सूर्य : हमारे सौर-मण्डल का केन्द्र सूर्य है। यह एक स्व-प्रकाशमान गैसीय पिण्ड है तथा गोलाकार और अनिमग्न है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। पृथ्वी से इसकी दूरी ६ करोड़ ३० लाख मील है। इसका व्यास ८ लाख ६५ हजार मील का है तथा पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुणा और आकार १० लाख गुणा से अधिक है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेण्टीग्रेड है और अन्तर्तल का तापमान ८ करोड़ सेण्टीग्रेड है। सूर्य की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत घूमता है। सूर्य विषुवत् रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य में तीव्र गुण्वाकर्षण है। इसी कारण वह अपने ग्रहों को उनकी कक्षाओं में निश्चित रखता है। सूर्य द्वारा ग्रह प्रति सेकण्ड १२ मील की गति से चलायमान है। सूर्य में काले-काले धब्बे भी हैं। सूर्य में आँधियों उठती हैं। ये धब्बे उन्हीं आँधियों के परिणाम हैं। सूर्य अपने कक्ष का २५ दिन ६ घंटे में चक्कर पूरा लगा लेता है।

सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी, उनका व्यास तथा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने का उनका काल निम्न प्रकार से है

सूर्य से ज्ञात दूरी (लाख मील में)	औसत व्यास (मील में)	सूर्य की परिक्रमा पूरी करने की अवधि (दिनों में)	उपग्रह (संख्या)	
बुध	३६०	३०००	८७ ६७	०
शुक्र	६७०	७६००	२२४ ७०	०
पृथ्वी	६३०	७६२०	३६५.२६	१
मंगल	१४१०	४२००	६८६ ६८	२
बृहस्पति	४८४०	८८७००	४३३२.५६	१२
शनि	८८६०	७५१००	१०७५६.३६	६
यूरेनस	१७८२०	३०६००	३०६८५.६३	५
नेपच्यून	२७६३०	३३०००	६०१८७.६४	२
प्लूटो	३७०००	३६५०	६०४७०.२३	०

शुक्र यह आकार म पृथ्वी से कुछ ही छोटा है। म्गवा व्यास लगभग ७ हजार ६ सौ मील है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड़ ७० लाख मील है। सूर्य से समीप हान के कारण यह केवल प्रात और साय ही क्षितिज से ४५ अंश व अदर दिखाई देता है। सूर्य से पश्चिम रहने पर प्रात कान यह पूव म देखा जा सकता है। परंतु जत्र यह सूर्य से पूव म रहता है तब सध्या के समय पश्चिम म दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर २० दिना म एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर ८ अंश पर झुकी हुई है। सूर्य की परिभ्रमा म इसे २२५ दिन लगते हैं। यह जाकाश का सबसे बडा और चमकीला तारा है इसी कारण इसका नाम 'शुक्र' है।

पृथ्वी हमारी पृथ्वी नारगी के आकार की गोल है। उसने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कुछ चपट स हैं। यह भी एक चमकते तारे की ही भाति है। ग्रहा म यह पाचवा बडा ग्रह है। सूर्य से हमारी पृथ्वी ६ करोड लाख मील है। इसका क्षेत्रफत्र १६ करोड ६६ लाख ५० हजार २८४ वर्गमील है। विषुवत् रेखा पर इसकी परिधि २४ लाख ६ हजार २३६ मील है। इसका व्यास ७ हजार ६२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४ ००० ८६ ४६ मील है। यह एक ठोस पिण्ड है। इसके भीतर जाने पर हर ५० फुट पर १० अंश परेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघनी धातु के बराबर है। पृथ्वी पश्चिम से पूव की ओर २४ घंटे म अपनी धुरी पर घूम जाती है। सूर्य के चारो ओर जिस अडाकार मान से पृथ्वी चक्कर लगाती है उसे ग्रह-मय या कक्षा (आरबिट) कहते हैं। सूर्य की परिभ्रमा म पृथ्वी को ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४६^९ सेकेण्ड लगते हैं। कुछ १२ सेकेण्ड कहत हैं। इस कालावधि को ही वष कहते हैं। अण्डाकार कक्षा पर पृथ्वी के घूमने कीर उस पर उरानी धुरी के ६६^९ अंश झुके रहने से विभिन्न ऋतुएं बनती ह।

चंद्रमा यह पृथ्वी का एक उपग्रह है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी से यह २ लाख २८ हजार ८६ मील दूर है। कुछ यह दूरी २ लाख ३८ हजार ६ सौ मील मानत है। इसका व्यास २१६ मील है। इसका पिण्ड ७४१ ०००० ० टन का है। चंद्रमा पृथ्वी की परिभ्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनट १२ सेकेण्ड म पूरा करता है। पृथ्वी के साथ-साथ चंद्रमा सूर्य के चारो ओर भी चक्कर लगाता है और यह परिभ्रमा वह २६ दिन १२ घंटे ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड म पूरा करता है। इसकी ही चंद्र मास कहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आधा भाग ही आता है। समुद्र म ज्वार भाटे चंद्रमा के कारण आते हैं। कुछ का मत है कि चंद्रमा निर्वात है वायु सूय है। जत वहा कोई नहा रह सकता। सूर्य की ओर इसका जो भाग रहता है उसका तापमान २ सेण्टीग्रड है।

मंगल यह सान रंग का एक ग्रह है। पृथ्वी के नजदीक आने पर यह और अधिक भास्वर हो जाता है। १६५६ ई० म यह पृथ्वी के अत्यंत नजद आया था। उस समय पृथ्वी से यह साने तीन करोड मील दूर था। ऐसी स्थिति इसकी इससे पहले १६२४ ई० म आई थी। १६७१ ई० म पुन यह उसी स्थिति म आयेगा। मंगल को कुछ लोग पृथ्वी से अलग होकर बना हुआ ग्रह मानते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं भौम कुज और महीसुत। य नाम बताते हैं कि किसी युग म यह पृथ्वी का ही एक भाग था। इसका व्यास ४२ ० मील

है। यह पृथ्वी के व्यासार्द्ध से कुछ अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी १४ करोड़ १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर होने पर यहाँ जलवायु पृथ्वी की अपेक्षा अधिक ठण्डी है। इसकी गति प्रति सेकेण्ड १५ मील है। फिर भी, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में इसे ६८७ दिन लगते हैं। यह अपनी धुरी पर २४ घण्टे ३७ मिनटों में एक बार घूम जाता है। पृथ्वी के समान इसकी धुरी भी झुकी हुई है। यह भी इसके 'महीसुत' होने का प्रमाण है। पृथ्वी के समान यहाँ ऋतु-परिवर्तन होता है तथा इस पर "प्राण" होने का विश्वास है।

मंगल के दो उपग्रह हैं। इनके नाम 'फोबस' और 'डिमोस' हैं। १८७७ ई० में इनका पता चला। फोबस निकटवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है। यह मंगल के चारों ओर ७ घण्टे में घूम आता है। 'डिमोस' दूरवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घण्टों में मंगल की परिक्रमा पूरी करता है।

बृहस्पति आकाशस्थ ग्रहों में यह सबसे बड़ा है। सूर्य से यह ४८ करोड़ ४० लाख मील दूर है। विपुवत् रेखा पर इसका व्यास ८८ हजार ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व शेष सब ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के दुगुने से भी अधिक है। शुक्र के बाद यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इतना विशाल होते हुए भी इसे अपनी धुरी पर घूमने में केवल १० घण्टे लगते हैं। परन्तु सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में यह १२ वर्ष लगाता है। एक राशि को पार करने में यह एक वर्ष लेता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रहों में से ४ बड़े और ८ छोटे हैं। बड़े उपग्रह तो आकार में चन्द्रमा और बुध के समान हैं। इसके चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की विपरीत दिशा में घूमते हैं। यह एक विचित्र बात है। सम्भवतः ये चार उपग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य के स्थान में घूमने वाले लघु-ग्रह समूह में से हो और बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इनको अपनी कक्षा में ले आया हो।

शनि - यह भी एक बड़ा ग्रह है। यह देखने में कुछ धुंधला है। इसकी गति मन्द है। अतः इसका नाम शनि या शनैश्चर है। अपनी धुरी पर तो यह बृहस्पति के समान १० घण्टे में घूम जाता है, परन्तु सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में ३० वर्ष लेता है। यह एक राशि में ढाई साल रहता है। अतः शनि की साढ़ेसाती भी ढाई साल की होती है। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड़ ६४ लाख मील है। इसके चारों ओर तीन मण्डलाकार परिवेष्टन मालूम पड़ते हैं। परिवेष्टन शनि की सतह से ७००० मील बाद प्रारम्भ होते हैं। ये विपुवत् रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे में हैं। परिवेष्टनों महित शनि का व्यास १ लाख ७० हजार मील है। शनि के उपग्रहों की संख्या ९ है। इनमें तीन बहुत बड़े हैं। इनमें एक का नाम टीटन है। इसका व्यास ३५०० मील है। शनि के परिवेष्टन इसके कुछ उपग्रहों के नष्ट हो जाने के कारण माने जाते हैं।

वरुण (नेप्च्यून) : इसका पता दूरबीक्षण यन्त्र से लगा। १८४५ ई० के पहले इसका नाम अज्ञात था। इसकी गणना भारतीय नवग्रहों में नहीं है। सूर्य से यह २ अरब, ७९ करोड़, ३० लाख मील दूर है। इसका व्यास ३३ हजार मील है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग १६५ वर्षों में पूरी करता है। इसके दो उपग्रह हैं जिनमें से अन्तिम का पता १८४८ ई० में चला।

हसी ग्रह ग्रहों की सख्या मरुस के बज्ञानिका ने और एक ग्रह की वृद्धि की है। ११ फरवरी १९६० ई को ट्स्का पता नगा है। मकर राशि के तारक-पजा का चिन् ३ते समय यह दिखायी पडा। १९५७ ई० म ही मास्को विन्विद्यालय के छात्र एडवड वनिगुक् न इमकी ओर बज्ञानिका का ध्यान जावृष्ट किया था।

लघु ग्रह बडे बडे ग्रहा के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर घूमन वाने लघु ग्रहों की सख्या बहुत है। मगल और बृहस्पति के ही मध्य १५०० से अधिक लघु ग्रह देने गए है। इनम एक ग्रह का नाम सिरस है। ट्स्का यास ४८५ मील है। ट्सी प्रकार पल्सस का २८० मील जूनो का १५० मील और वेप्टा लघु ग्रह का २४१ मील यास है।

सम्पात बिन्दु भारतीय नवग्रहों म पृथ्वी इसके उपग्रह चन्द्रमा लुप्त शुक्र मगल बृहस्पति और शनि के अतिरिक्त राहू और केतु हैं। ये दोना सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात बिन्दु है। आकाश म उत्तर की ओर बन्ते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को काटती है तब उस सम्पात बिन्दु का नाम राहू होता है और दक्षिण की ओर उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा सूर्य की कक्षा को पार करती है तब उस सम्पात बिन्दु का नाम केतु होता है। ये दोना बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। राहू और केतु को मिनाकर ही नव ग्रह पूरे होते हैं।

धूमकेतु या पुच्छलतारा धूमकेतु या पुच्छलतारा तारे के ही समान दिखाई देते है। किन्तु ये छोटे और बडे दोनो प्रकार के होते हैं। इस समय तक १०० धूमकेतुओं का पता नगा है। ये प्राय दीर्घवृत्त परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूर्य की परिभ्रमा करते है। हेरी नामक धूमकेतु पूरव दिशा म १९१ ई० म दिखाई दिया था। यह धीरे धीरे आकाश मे छा गया तथा कई मास तक दिखाई देता रहा। १९८५ ई० म यह पुन दिखाई देगा। अप्रेल १९५७ म अरड रोन्ड तथा अगस्त १९५७ म अरकोज दिखाई दिये थे। ये दोनो उत्तर पश्चिम दिशा मे सध्या समय कई दिना तक दिखाई पडे थे। १९५७ ई० के अक्टूबर मास म डोनारी नामक धूमकेतु के दशन हुए। धूमकेतु का पथ बहुत लम्बा है। अत ५० वर्षों म वह एक बार ही दिखाई देता है।

उल्कापात यह भी छोटे छोटे तारा के समान दिखाई देते हैं। यह खनिज पदार्थों से बने होते हैं। इनका भार कुछ औंस से लेकर कई टन तक होता है। जब ये गसीय पदार्थों के ससग म आते हैं तभी दिखाई देने है और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि पर आ गिरते हैं।

कभी-कभी यह भी होता है कि सौर परिवार क छोटे छोटे पिण्ड पृथ्वी के आकर्षण म आ जाते हैं। ये धूमकेतुओं से आते हैं यह अनुमान मात्र है। पृथ्वी के वायुमण्डल मे जब ये प्रवेश करते हैं तब वायु से रगड होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश रेखा बनाने के साथ ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ बडे पिण्ड वायु की रगड से क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पन्च गते हैं। परन्तु इनकी सख्या बहुत थोडी है। पृथ्वी पर गिरी उल्काआ म सबसे बड़ी धायट दक्षिण-पश्चिम अफीका के शूट फाउण्डन वाली है। इसका भार ७० टन है। ग्रीनलण्ड के वेप मौक म गिरी उल्का मसे कम है। इसका भार ३४ टन है। यूयाक सप्रहानय म यह सुरक्षित है।

सप्तार्य तारों का अध्ययन करने के लिए तारा-मूहों को विभिन्न नामों से विभक्त किया गया है। प्रत्येक दग ने इनका अलग-अलग नाम रखा है। भारतीय ज्योतिष

मे कुछ नाम इस प्रकार हैं। सप्तपि, शिशुमार चक्र, शेषनाग, पुलोमा, फालका, कपि (गणेश), हिरण्याभा, वराह, उपदानवी, शुनी, हृत्, सर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पभाल, वीणा, खगेश, ह्यशिरा, त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वेतरणी, अगस्त, त्रिशकु, कौच, काकभुशुण्डि आदि। गणना के लिए आवश्यक तारा-पुंजो को नक्षत्र और राशि, अभिधान से कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या २७ है और राशियों की संख्या बारह है। राशियों के आधार पर ही, बारह मास है।

आकाश-गंगा आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौड़ी पट्टी सी है जो रात में दिखती है। यही आकाश-गंगा है। वैज्ञानिक मत है कि यह तारक-पुंजो का समूह है। मध्य में इसकी दो शाखाएँ भी हो गई हैं। अंधेरी रात में यह स्पष्ट दिखाई देती है। अनुमान है कि आकाश-गंगा में हमारे सौर-परिवार सदृश अनेक परिवार हैं।

क्रांति-वृत्त . नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रहण भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। सूर्य तारों के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर में चक्कर पूरा करता है। उसके इस पथ का ही नाम क्रांति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस-पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। चन्द्रमा यह चक्कर २७ दिन, १६ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है

६० विपल	=	१ पल
६० पल	=	१ घड़ी या दड
६० घड़ी या दड	=	१ (अहो-रात्र दिन-रात)

चन्द्रमा २७ दिनों में चक्कर पूरा करता है, अतः गगन-मण्डल को भी २७ भागों में विभक्त करके प्रत्येक का उसके कात्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र १३ $\frac{1}{3}$ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नहीं रहती। अतः एक नक्षत्र को पार करने में वह ५४ से लेकर ६५ दण्ड तक लेता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र का मान एन नहीं है।

नक्षत्र . २७ नक्षत्र हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवणा, कनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बाटा गया है। उत्तराषाढ के चौथे चरण और श्रवणा के पहले १५ $\frac{1}{2}$ भाग को अभिजित नक्षत्र कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का एक नाम 'कचवचिया' भी है।

राशि चन्द्रमा की दैनिक गति को नक्षत्र सूचित करते हैं। सूर्य की मासिक गति को सूचना राशियाँ देती हैं। सूर्य के मार्ग क्रांति-वृत्त के १२ $\frac{1}{2}$ भाग का नाम राशि है। राशियाँ १२ हैं। एक राशि में ३० अंश होते हैं। पश्चिम में पूर्व की ओर चलने पर क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियाँ हैं। इन राशियों के ये नाम इनकी आकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि २ $\frac{1}{2}$ नक्षत्रों की है।

सूय जत्र राशि म प्रवेश करता है तो सत्राति होती है। १२ राशियों के अनुसार १२ सत्रातिया हैं। मेघ सत्राति पर सभी रात दिन बराबर होते थे। परन्तु अब मेघ सत्राति २३ दिन वाता होती है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेघ राशि के आदि के निश्चित तारों से राशिया की गणना करने पर वह निरयन राशिया होती हैं। सायन राशिया की गणना धानि वृत्त और विषुवत् वृत्त के पीछे खिसकत हुए सम्पात बिन्दु से होती है। यह सम्पात बिन्दु हर साल ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशियों में दो वष पूर्व २३ अंग १८ कला और ४१ विकला का अंतर था।

पृथ्वी दिनभर में राशि चक्र की परित्रमा कर लेती है। फलत विभिन्न समयों पर पूर्वी क्षितिजा में विभिन्न राशिया दिखाई देती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार इनका उदय काल भिन्न भिन्न होता है। लग्न का निश्चय इस बात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि जगी।

गति ग्रहा की दा गतिया होती हैं मार्गी और वनी। ग्रह की अपने माग पर पूर्व की ओर की गति मार्गी तथा पश्चिम की ओर पीछे हटने की वशी गति कहानी है।

भारतीय गणना के अनुसार सूय और अय ग्रहों की दैनिक गति यह है

	अंग	फला	विकला	प्रविकला	पराविकला
सूय	०	४६	८	१	२१
चन्द्र	१३	१	३४	३५	
बुध	४	५	२२	१८	६
शुक्र	१	३६	७	४४	३५
मंगल		३१	२६	२८	७
बृहस्पति		४	५६	६	६
शनि		२	०	२२	११
गुरेनस	०		४२	१३	४८
नपच्यून	०	०	२१	३१	४८
शुक्र	०	०	१४	१६	१२
राह और वनू	०		१	४६	१२

गोलाद्ध यदि आकाश के दो भाग को प्रकाश त्रिय जाए कि एक भाग में मध्य उत्तरी ध्रुव पड़े और दूसर भाग के बीच दक्षिणी ध्रुव आय तो ये दोनों भाग क्रमश उत्तरी गोलाद्ध और दक्षिणी गोलाद्ध हाने। भूमध्य या विषुवत् रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभक्त माना जाता है। उत्तरी गोलाद्ध में मेघ वष मिथुन बकर सिंह तथा कन्या राशियाँ हैं। मेघ ६ राशिया दक्षिणी गोलाद्ध में पडती हैं।

चन्द्र की गति के अनुसार वारह मास चन्द्र वारास ज्येष्ठ जायन् श्रावण भाग पत्र आग्निन वानिन मागशीप पौष माघ तथा फाल्गुन हैं। सौर मास का आरम्भ सत्रान्ति से हाना है। वार का आरम्भ मूर्योत्थ से होता है। भारतीय वारा के नाम ग्रहा के नाम पर हैं जैसे—सूय रविवार चन्द्र-मासवार मंगल मंगलवार बुध बुधवार बृहस्पति-बृहस्पतिवार शुक्र-शुक्रवार शनि-शनिवार।

दिनमान : सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष पर आता है। तब पृथ्वी पर दिन-रात सर्वत्र समान होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यो-ज्यो उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध में होता है। सूर्य जब सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर फिरता है। इससे उत्तर में क्रमशः दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है।

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है, तो पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसका ठीक उल्टा उत्तरी गोलार्द्ध में होता है, वहाँ से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमशः दिन छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। सूर्य चक्कर लगाता हुआ पुनः भूमध्य रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ६० अंश होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों १२-१२ घंटे के होते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। ६६ $\frac{1}{2}$ अंश पर सबसे बड़ा दिन या रात्रि २४ घंटे के होते हैं। ७० अंश पर २ मास के, ७८ $\frac{1}{2}$ अंश पर ४ मास के और ६० अंश पर ६ मास के दिन-रात होते हैं।

कालमान को सूक्ष्मतरंग रूप में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने निश्चित किया। सूक्ष्म-तरंग मान त्रुटि और तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४६,६०,००,००० त्रुटियाँ या ४६,६५,६०,००,००० तत्परस होते हैं। पश्चिमी देश अणुवम के बनने से पहले तक सेकेंड तक ही पहुँचे थे और भारतीय एक सेकेंड को २,०२,५०० त्रुटियों और ५,१४०,००० तत्परसों में विभक्त कर चुके थे। १६५५ ई० में आणविक घड़ी बनी और पश्चिम ने भी सेकेंड को ६, १६, ३१, ७७० भागों में बाँट दिया है।

भारतीय मान की दो पद्धतियों का विवरण इस प्रकार है —

त्रुटि मान-पद्धति		तत्परस मान-पद्धति	
१०० त्रुटि	=	१ लव	६० तत्परस = १ परस
३० लव	=	१ निमेष	६० परस = ५ विलिप्ता
२७ निमेष	=	१ गुर्वक्षर	६० विलिप्ता = १ लिप्ता (विपल)
१० गुर्वक्षर	=	१ प्राण	६० लिप्ता = १ विघटिका (पल)
६ प्राण	=	१ विघटिका	६० विघटिका = १ घटिका (दण्ड)
६० विघटिका	=	१ घटिका	६० घटिका = १ दिन-रात
६० घटिका	=	१ दिन-रात	

अंग्रेजी मास : अंग्रेजी मासों के नाम प्रायः रोमन देवताओं के नामों पर हैं। उनका ग्रहों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे जनवरी-जानुस, फरवरी-फेब्रुअस, मार्च-युद्ध का देवता, मार्स (मूलतः मार्च रोमन कलेडर में पहला मास था), अप्रैल लेटिन शब्द 'एप्रिलिस,' मई-

रोमन कलेंडर यह यूरोप का सबसे पुराना कलेंडर है। ईसाइया ने इसी को अपनाया। इसका प्रारम्भ ७५३ ई० पू० में रोमुलस ने किया था। इसमें पहले सात में १० मास तथा ३४ दिन होते थे। साल मार्च से प्रारम्भ होता था। बाद में नूमा पम्पिलियन ने जनवरी और फरवरी मास बनाये अब वर्ष में ३५५ दिन हो गये। मास में ३० या २९ दिन रखे गए। जुलियस सीजर (१० ई० पू० से ४४ ई० पू०) ने ४५ ई० पू० में इसमें कुछ और सुधार किए। अब साल में ३६५ दिन होने लगे। हर चौथे साल में फरवरी माह २८ की जगह २९ दिना का होने लगा। यह जूलियन कलेंडर कहलाता है। १३ वें पोप ग्रेगरी (१५०२-१५८५ ई०) ने इस कलेंडर में सुधार किया। उसने १५८२ ई० के ५ अक्टूबर को १५ अक्टूबर करार दिया। उसने यह भी किया कि लीप ईयर प्रत्येक १ वर्ष पर न होगा ४०० वर्ष पर होगा। फलतः १६०० ई० में लीप ईयर नहीं हुआ २००० ई० में लीप ईयर होगा। १५८२ ई० में क्योनिग देशों ने ग्रेगोरियन कलेंडर मान लिया। १७५२ में इंग्लैंड ने भी इसको माना। १७५२ ई० से ही १ जनवरी साल का पहला दिन माना जाने लगा। इसी दिन इंग्लैंड का विजेता विलियम राजगद्दी पर बैठा था। इस ने १६१८ ई० में इस कलेंडर को माना।

यहूदी कलेंडर यह सौर गणना के आधार पर बनाया गया है। इसमें ३६५ दिन होते हैं। पर मास चंद्रमा के अनुसार चलते हैं। १९ वर्षों के चक्र में पहला दूसरा चौथा पाचवा सातवा नवा दसवा बाराहवा पंद्रहवा और अठाहरवा वर्ष तो १२ मासों का तथा गेय १३ मासों के होते हैं। जैसे भारत में मकर मास होता है। वर्ष में ३५३, ३५४ या ३५५ दिन होते हैं। लीप ईयर में वर्ष ३८३, ३८४ और ३८५ दिना का होता है। इस रीति से १९ वर्षों में वर्ष के औसतन ३६५ दिन होते हैं। वर्ष का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से मानते हैं। यहूदी मत में सृष्टि का आरम्भ ईसा से केवल ३७६० वर्ष पहले है। पर्व आदि में दिन की गणना सूर्यास्त के बाद होती है।

पारसी कलेंडर इसको जोरोस्ट्रियन कलेंडर भी कहते हैं। इस पारसी मानते हैं। इसका आरम्भ १६ जून ६२३ ई० से होता है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र या जोरोस्टर द्वारा यह बनाया माना जाता है।

बौद्ध कलेंडर भगवान बुद्ध के जन्म-नाल ५४३ ई० पू० से इसका प्रारम्भ हुआ। पर अब बुद्ध का जन्म-समय ५८७ ई० पू० भी माना जाने लगा है। अब इसमें कुछ विवाद है। इस कलेंडर में वर्ष का प्रारम्भ वशाख पूर्णिमा से होता है। बुद्ध का जन्म और निर्वाण इसी तिथि को हुआ था।

जैन कलेंडर २४ वें तीर्थंकर महावीर के जन्म-नाल ५२७ ई० पू० से यह प्रारम्भ हुआ माना जाता है।

भारतीय कलेंडर भारत में सृष्टि सम्बन्ध भी प्रचलित है। दान और सवत्स के समय आज भी यह चलता जाता है। जनता में मान्य है पर सरकार में इसका प्रचलन नहीं है। मघिया में भी यह नहीं चलता जाना।

विश्वी सम्बन्ध विश्वी सम्बन्ध हम देश में सर्वाधिक प्रचलित है। यह राष्ट्रीय सम्बन्ध है यद्यपि सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसका प्रारम्भ ईसा से ५७५८ वर्ष पहले

सम्राट विक्रमादित्य से माना जाता है। अनेक शिला-लेखों में इसका उल्लेख है। विक्रमादित्य की शक्ति पर विजय की स्मृति में यह सम्बत् है।

शक सम्बत् : दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह प्रचलित है। इसका प्रारम्भ विवादास्पद है। कुछ लोग इसका आरम्भ सम्राट् कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ३ मार्च ७८ ई० से मानते हैं। भारत सरकार ने शक सम्बत् को राष्ट्रीय सम्बत् घोषित किया है। घोषणा २७ मार्च १९५७ ई० को की गयी। इस दिन चैत्र १, १८७९ शक था। पहले इसका व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिषी लोग) करते थे। शक सम्बत् ईसा से ७८ साल पीछे है। लीप ईसर इसमें भी चलता है। वर्ष का पहला मास चैत्र होता है। चैत्र के बाद के पाच मास ३१-३१ दिनों के होते हैं। इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए हैं। तदनुसार मासों का आरम्भ इस प्रकार है —

शक कलैडर	ईसाई कलैडर	शक कलैडर	ईसाई कलैडर
१ चैत्र	२२ मार्च, लीप वर्ष में २१ मार्च	१ आश्विन	२३ सितम्बर
१ वैशाख	२१ अप्रैल	१ कार्तिक	२३ अक्टूबर
१ ज्येष्ठ	२२ मई	१ मार्गशीर्ष-अग्राह्यन	२३ नवम्बर
१ आषाढ	२२ जून	१ पौष	२२ दिसम्बर
१ श्रावण	२३ जुलाई	१ माघ	२१ जनवरी
१ भाद्रपद	२३ अगस्त	१ फाल्गुन	२० फरवरी

पचासों में अब पुनः परिवर्तन की स्थिति दिखती है। अनुभव किया जा रहा है कि पृथ्वी की गति क्रमशः मन्द होती जा रही है। मत है कि पृथ्वी की गति में १७०० ई० से अब तक ४७ सैकड़ की और १९०३ ई० से ३५ सैकड़ की कमी आ गई है। अतः काल का नया माप ढूँढा जायगा। इस दिशा में पहला प्रयत्न 'एफिमेरिज टाइम' है। इस नये काल-माप का निर्णय चन्द्रमा के आधार पर किया गया है।

फसली साल : अकबर के समय १५५५-५६ ई० में खेती और राजस्व के मतलब से फसली साल चलाया गया था। वगाल में इसी फसली साल को वगाली वर्ष माना जाता है।

कलियुग सम्बत् . सृष्टि सम्बत् के बाद सबसे पुराना सम्बत् कलियुग सम्बत् है। इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ई० पू० को हुआ था। इस समय १९६६ ई० में कलियुग सम्बत् ५०६८ है। भारत में आज भी दान और सकल्पों में इसका पाठ किया जाता है।

दयानन्द सम्बत् आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द के नाम पर यह आर्य समाज ने चलाया है। इसका आरम्भ उनके निर्वाण १८८८ ई० से होता है। इस समय दयानन्द सम्बत् ८३ है।

हिन्दू कलैडर : प्राचीन पचासों को ही हिन्दू कलैडर का नाम दिया गया है। यह प्राचीनतम तथा पूर्णतः भारतीय सम्बत् है तथा ईसाई कलैडर की छाप से मुक्त है। इसकी एक विशेषता है। इसकी गणना सौर और चान्द्र, दोनों गतियों का विचार करके की गई है। इसमें वर्ष चलता है सूर्य की गति के अनुसार, पर मास चन्द्र के अनुसार होते हैं। चान्द्र-वर्ष का प्रथम दिन सौर-वर्ष के आस-पास ही रहता है। सौर-वर्ष वारह राशियों या

भागाम विभक्त है। इनके नाम इनकी गवत के अनुसार हैं मेघ (मटा) वृषभ (साड) मिथुन (युगन) ककट (केकडा) सिंह (गेर) कया (कुमारी) तुला (तराजू) वृश्चिक (बिच्छु) धनु (धनुष) मकर (मगरमच्छ) कुम्भ (जल वा घडा) मीन (मछली)। ये मास के नाम ही कुछ भागो म चत्र वशाख ज्येष्ठ आदि नाम स व्यवहार म आते हैं।

पव उत्सव

हिंदू या भारतीय—

दिवाली भारत का यह विजयोत्सव है तथा कार्तिक अमावस्या को पडता है। दीपावलि भी इसका नाम है। श्रीराम के लका विजय के बाद अयोध्या गौने और उनके रायाभिषेकात्सव के उपलक्ष्य मे मनाया जाता है। भारत क कुछ भागाम वष वा प्रारम्भ भी दिवाली से होता है। यापारी वग नयी वही प्रारम्भ करता है। भारत का यह सबसे बडा राष्ट्रीय उत्सव है। यह ज्येष्ठ के अक्तूबर-नवम्बर माहा म आता है।

विजयादशमी या दशहरा या दुर्गापूजा यह आश्विन गवना १० को आता है। वगान म दुर्गापूजा का महोत्सव लगभग एक मास रहता है। यह असत्य पर सत्य की अधम पर धम की विजय का सूचक है।

दगाहरा या विजयदशमी दुर्गा पूजा के दो दिन बाद ही आती है। यह रावण की पराजय और श्रीराम की विजय को सूचित करता है। मसूर म दगाहरा का उत्सव बडी धूम धाम से मनाया जाता है। प्राचीन समय म राजागण दस दिन विजय यात्रा प्रारम्भ करते थे।

गणग चतुर्थी पश्चिमी भारत का यह पव है। यह अगस्त सितम्बर म पडता है तथा आश्विन सुती ४ को मनाया जाया है। नोकमा य तिलक ने इसको अत्यंत नोकप्रिय बना दिया है। यह उत्सव नारियल दिन के नाम से भी प्रसिद्ध है।

होली भारत के सब वर्गों का यह एक प्रसन्नता और वसत के आगमन का सूचक पव है। गुनाल को दस मौके पर व्यवहार किया जाता है। रगीन पानी मित्रा पर छिडका जाता है। यह फागुनी पूर्णिमा को होता है।

रामनवमी श्रीराम के जम लिन का सूचक है तथा चत्र शुक्ला ६ को आता है। नवरात्र भी इसी समय होता है।

जमाष्टमी भगवान श्रीकृष्ण का यह जम दिन है। यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पडता है।

सरस्वती पूजा या वसत पंचमी यह माघ के गकल पक्ष म आता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा दस अवसर पर की जाती है।

गिबरात्रि फरवरी माघ म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की १४वीं को यह पव मनाया जाता है। यह गिब-पूजा का उत्सव है। गिब को भारत का रक्षक देवता माना जाता है।

मुस्लिम—

आखिरी-यहद-मुम्मा यह हजरत मोहम्मद की बीमारी म कुछ सुधार होने के दिन मनाया जाता है।

बकरीद मुस्लिम वष के अन्तिम मास के १० वें दिन मनाया जाता है। इसकी कथा यह है—अब्राहम को खुदा ने अपना पुत्र बलिदान करने का आदेश दिया था। उसने दस

आदेश का पालन किया। आखो पर पट्टी बाँध ली और अपने पुत्र की बलि दे दी। पट्टी खुलने पर उसने अपने पुत्र को समीप खड़ा देखा। इस पर दुम्बा बलि चढ़ाया गया।

मुहर्रम : मुहर्रम मास के दसवें दिन यह मनाया जाता है। यह पैगम्बर के नातियों, हसन और हुसैन के बलिदान का दिन है।

ईद-उल-फितर · रमजान के बाद पूर्णमासी को यह मनाया जाता है। माना जाता है कि कुरान का ज्ञान इसी दिन प्रकट हुआ था।

रमजान : यह रमजान के उपवास के मास का अन्त सूचित करता है।

ईसाई—

मूर्ख दिवस : आल फ़्लस डे—हर वर्ष १ अप्रैल को यह पड़ोसियों को मूर्ख बनाकर मनाया जाता है।

आल सौल्स डे मृत आत्माओं के वास्ते प्रार्थना का दिन है।

आरवर डे · अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन में यह विशेष रूप से मनाया जाता है। यह वन-महोत्सव का दिन है। इस दिन वृक्ष लगाये जाते हैं।

बैंक होली डे : सरकारी आदेश से बैंक बन्द रखने का दिन है। इस दिन पैसे की बमूनी मना की गई थी।

क्रिसमस यह ईसा का जन्म दिन माना जाता है। २५ दिसम्बर को यह पर्व माना जाता है। ईसा की ५वीं सदी से ही २५ दिसम्बर को क्रिसमस दिन माना गया है।

ईस्टर डे : २२ मार्च और २५ अप्रैल के मध्य जीमस कार्डिस्ट के पुनर्जन्म का उत्सव है।

हालोवीन : १ नवम्बर को 'आल सेट डे' के नाम से मनाया जाता है 'आल हेलोज' का अर्थ है 'होली इव'। यह शीत के आरम्भ का सूचक है।

सेंट वालेंटाइन डे . यह पर्व मध्य-युग में फ्रांस और इंग्लैंड में प्रचलित था। इसके साथ अनेक लोक-कथाएँ जुड़ी हुई हैं। वालेंटाइन का अर्थ है—“स्वीट हार्ट” (हृदय की प्रियतमा रानी)। यह १४ फरवरी को मनाया जाता है।

FOR EXCELLENT PERFORMANCE IN TROPICAL CONDITIONS



FOR 11 KV SERVICE UPTO
3500 VAmps/ KVAR CAPACITY

○ SPECIAL FEATURES

Adaptability to any condition and to a particular site

Independent switch mechanism for line up as a Switch-board with all units and switches

Exceptionally small space requirement

Easy accessibility for all parts for routine inspection

Specifically modified to meet stone equipment

Recess provided for charging cabinet core transformers etc much easier

• Vtally of the second connection provided place for wiring cable and the flexible binding a gem

Also available IB4 Oil Switches for lining up with BV Switchgear



**HEAVY ELECTRICALS
(INDIA) LTD BHOVAL**

(A Government of India Undertaking)

भारत

—मौगोलिक परिचय

भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता-संस्कृति का देश है। भरतखड, आर्यावर्त, सप्तसिंधु, भारतवर्ष आदि इसके प्राचीन नाम हैं जो संस्कृत साहित्य में प्राप्त हैं। इस देश की गाथा देवता भी गाते हैं

गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

भारत को “विश्व गुरु” कहलाने का गौरव प्राप्त है। अधकार युग से यूरोप के जागरण के समय तथा प्राचीन फारस व अरब आदि देशों में भारत की “सोने की चिड़िया” या “स्वर्ण भूमि” कह कर स्तुति की जाती रही है।

अंग्रेजी में भारत को “इंडिया” कहा जाता है। ऐसा मत है कि फारस आदि देशों में, प्राचीन काल में, भारत को “हिन्द” कहा जाता था। इस नाम तथा सिंधु नदी के लिए यूनानी नाम इण्डस (Indus) के आधार पर भारत का “इंडिया” नाम बना।

भारत के सविधान में भी इसका मूल नाम “इन्डिया वताया गया है, “भारत” का उल्लेख “तथाकथित” कह कर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सूची में इस देश का नाम “इन्डिया” है, भारत नहीं।

भारत के लिए एक और नाम “हिन्दुस्थान” है, यह “हिन्दुस्तान” का शुद्ध रूप है।

दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से ७ वा होने पर भी, भारत को ‘उपमहादेश’ कहा जाता है। भारत-भूमि एशिया के दक्षिण में एक प्राय द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में ८० से ३७ १०, उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६८ से ९७ २५, पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है।

भारत का विस्तार, जनवरी १९६५ के सर्वेक्षण के अनुसार, ३२,६८,०८१ वर्ग किलोमीटर या १२,५९,९८३ वर्ग मील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३,२२० कि० मी० या २००० मील है। इसकी चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम २९७७ कि० मी० या १८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा १५,१६८ कि० मी० है। इसमें से ४६१५ मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से है। भारत का समुद्र तट ५६८९ कि० मी० या २,५३५ मील लम्बा है।

प्राकृतिक-रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पश्चिम में सिन्धु सागर या अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिन्द महासागर लहरा रहा है। देश हिमालय से दक्षिण में फैला हुआ है।

१९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ४३ करोड़ २ लाख ४ हजार ८२ (४ ०२ ५०८२) है। इस हिसाब से १९६७ में भारत की जनसंख्या ५१ करोड़ से अधिक है।

पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा में से लगभग २८१ मील की अवधि है जोर विनिश्चित है। साथ का तब ही भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा सघन और सीमा विवादा है।

नगम में भारत त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसका आधार उत्तर में हिमालय है और साथ दक्षिण में हिन्द महासागर में है। दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नागपाति की शक्ति नगम है और यह अन्तरीप काचाकुमारी या केप कोमारिन के नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तर में स्थिति हिमालय साधारणतः भारत को एशिया के नेपाल भू भाग से काट देता है। यह त्रिभुज की अन्त भारत की भी सर्वोच्च पर्वतमाला है। इसके पश्चिम व पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान व अफगानिस्तान उत्तर में पूरव से पश्चिम चीनी तुबिस्तान (गिबियांग) निम्न नगम विविध व भूतल हैं। पश्चिम में बर्मा है। पूर्वी पाकिस्तान (पूर्वी बंगाल) पश्चिम में बंगाल व आसाम के दक्षिणी अन्त के बीच स्थित है। सिक्किम व भूतान विविध मधिया के अन्तगत भारत से संबद्ध है। दक्षिण में श्रीलंका द्वीप है जिसे भारत की गाड़ी तथा पाक स्ट्र भारत में अन्तग करती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भद्रमान तथा त्रिभुजा शीप-नामू और अरब सागर के त्रिभुजा मिनिकाय तथा अमीन शीप द्वीप-नामू भारत में अन्तगत हैं।

भारत मधु विविध है। एक कारण राष्ट्रीय औद्योगिक तापमान और औद्योगिक वर्षा नगम का भाग के लिए कार्य अन्तगत है। धार मरुभूमि में औद्योगिक वर्षा ४ से ११ है पर घण्टा में ६ से १० सेना है। एका प्रकार काश्मीर के कुछ स्थानों में औद्योगिक तापमान ६ परान्तगत सेना है जोर रात्रमध्य के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान १० से १२ रहता है। एका कारण स्थानों औद्योगिक वान की जा सकती है भार शीप का राष्ट्रीय औद्योगिक भी नगम।

एक व विचार के अनुगत में मधु-नगम वम है। बर्मा स्थानों और उप स्थानों की स्थिति वम है। भारत का पश्चिम मधु-नगम घटाना है। पूरव में मधु-नगम उचता है अन्त मधु-नगम का वद उत्तर में दूर मधु-नगम को बाध्य होत है।

हिमालय : पर्वती दीवार

हिमालय : दूर उत्तर मे पामीर ग्रन्थि से दो पर्वतमालाये निकलती है । एक दक्षिण-पूर्व और पूर्व मे जाती है । इसको ही हिमालय कहते है । पामीर को इसी कारण भारत का शीर्ष-विन्दु बताया जाता है । उत्तरी भारत की रक्षा की दृष्टि से पामीर भारत की सीमा बनाता है । दूसरी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम दिशा मे जाती है और नीचे लगभग समुद्र तक पहुच जाती है । उत्तर मे इसका नाम सुलेमान पर्वतमाला और दक्षिण मे किरथर पर्वतमाला है । भारत की पश्चिमोत्तर सीमा सुलेमान पर्वतमाला को बताया जाता है ।

पूर्व मे बर्मा और भारत के मध्व की पर्वती दीवार को विभिन्न स्थानो मे विभिन्न नामो से पुकारा जाता है । यथा, पतकोई पर्वत और कुछ दक्षिण मे, नागा पर्वत । असम मे इसकी जन्तिया, खासी और गारो शाखाए है । ये चारो पर्वत-शृखलाए लुशाई और आराकान पर्वतमालाओ से, जो उत्तर से दक्षिण जाती है, मिलती है । आराकान पर्वतमाला अत मे नागरिया अन्तरीप पहुचती है और यह अडमान निकोवार द्वीपो तक चली गयी है ।

हिमालय : पर्वतीय दीवार बनाने वाले पर्वतो मे हिमालय पर्वत सर्वाधिक महत्त्व का हे । भारत की सीमा पर यह १५०० मील तक फैला हुआ है तथा इसकी चौडाई १५० से २०० मील है । विश्व की यह सर्वोच्च पर्वतमाला है तथा साधारणत अलध्य है । गौरीशकर (२६,१४१ फुट), गोलडविन आस्टिन (२८,२५० फुट) और कचनजघा (२८,१४० फुट) सदृश उच्च पर्वत-शिखर हिमालय मे ही है ।

शेव एशिया और भारत के मध्य हिमायल एक सामान्यत अभेद्य दीवार है । हिमालय होकर आवागमन का कोई सरल मार्ग नहीं है । कुछ कठिन घाटियाँ है । उत्तर मे जोजीला दर्रा और पजाव मे शिपकी घाटी है । शिपकी से दार्जिलिंग तक और कोई मार्ग नहीं है ।

पूर्व मे बर्मा की सीमा पर पर्वतीय-भीति अधिक ऊँची नहीं है । इसको पहाडियो की शृ खला कहना अधिक सम्यक् है । यह प्रदेश आर्द्र है और कम बसा है ।

हिमालय पर्वत मुख्यत तीन समानान्तर भागो मे विभक्त है । महान् हिमालय है । इसकी औसतन ऊँचाई २०,००० फुट है । यह सदा हिमाच्छादित रहता है । यह तो हिमालय का बाहरी भाग है । मध्य भाग या अन्तराल की पर्वत-श्रेणी की ऊँचाई औसतन १५,००० फुट है । मध्यवर्ती और मैदान के मध्य की पर्वतमाला हिमालय की निम्न श्रेणी है । इसकी औसतन ऊँचाई ३५०० फुट है ।

हिन्दुस्तान का मैदान

भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से गंगा का मैदान उत्तरीय सीमा के पहाडो का अगला गहरा भाग है । यह फैला मैदान समुद्र-सतह से काफी फुट नीचे है । इस भाग का निर्माण पहाडो से आई मिट्टी-बालू आदि के जमाव से हुआ है । यह निक्षेप से भरा गड्ढा है । पूर्व मे इस निक्षेप मे पर्वतो से आई कछारी सामग्री है । पश्चिम मे मैदान हवा से उडाई गई सामग्री से पूर्ण है । यह सारा निक्षेप पक और बालू से बना हुआ है ।

सिन्धु-गंगा का मैदान २४१४ कि मी या १५०० मील लम्बा तथा २४० से ३२० कि. मी या १५० से २०० मील चौडा है । यह पृथक्-पृथक् तीन नदी-प्रणालियो—सिन्धु,

गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने या मिलने के क्षेत्र से बना है। इस सारे मैदान के बीच कहीं कोई पहाड़ नहीं है। पहाड़ में समुद्र तक जलान इतना प्रतिक रूप से हुआ है कि गंगा के मुहाने में १०० मान ऊपर का भाग समुद्र सतह से ५०० फुट से अधिक ऊंचा नहीं है। दिल्ली में समता नहीं और बंगाल की खाड़ी के मध्य तलमग १० फीट की दूरी में केवल २१ मीटर ऊंचाई का बंधी है। टुनिया भर में इससे बड़ा और इससे अधिक सघन बसा हुआ दूसरा मैदान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि में यह मैदान असुरक्षित है। चर्च करने वाले जापानियों को रोने वाला कोई प्राकृतिक अवरोधक और बाधा इसमें नहीं है। इसी कारण यह एक वा प्रगत इतिहास की मैदान में बना। दिल्ली से बंगाल की खाड़ी तक फते १ मान सम मैदान की समतलता से ऊंचाई कहीं भी ७० फुट से अधिक नहीं है।

सिंधु नदी में समतल और व्यापक नदियाँ सिंधु नदी की शाखा-नदियाँ हैं। गंगा भी सिंधु नदी की शाखा है। रावी का नद समुद्र और सिंधु नदी के लिए नदियाँ हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती। भारत की राजधानी सिंधु और गंगा के मध्य तलमग (गंगा नदी) पर अवस्थित है। सिंधु भारत की राजधानी बसा है इसका उमर सम नदियाँ हैं।

जाती है। इस समय इसमें सबके वन गई हैं तथा रेलगाडिया चलने लगी हैं। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य जगल और पहाडियों का अवरोध है।

पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पर्वत की ढाल से हो जाता है। ये दोनों दूर दक्षिण में जाकर नीलगिरि पर्वत में मिल जाते हैं। जहाँ इनका मेल होता है, वहाँ एक ऊँचा उठा हुआ शेर है जो देश का दक्षिणी कोर बनाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और मैसूर से होकर जाता है। इसके पर्वत शिखरों की ऊँचाई ५००० फुट से ६००० फुट के मध्य है। घाट की औसतन ऊँचाई ३००० फुट है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में से होकर जाता है और मद्रास तक पहुँचता है। इसकी औसतन ऊँचाई १५०० फुट है। दोनों घाटों के बीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है, जिसमें प्रसिद्ध दर्शनीय तीर्थ-स्थल ऊटकमड है।

भूगर्भीय ढाँचा : भूगर्भ की दृष्टि से भी भारत के तीन पृथक्-पृथक् भाग हैं। पठार इनमें प्राचीनतम है। हिमालय पर्वत और उसके साथ के पहाड़ और सिन्धु-गंगा का मैदान उमकी तुलना में पीछे के हैं।

प्रायः द्वीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान् प्रदेश है। विलक्षण बात यह है कि यह साधारणतः भूकंपीय जोरदार धक्कों से मुक्त है। प्रायः द्वीप का अधिकांश काल की रूपान्तरित-चट्टानों के आधारभूत मिश्रण से बना है।

भूगर्भ-शास्त्र के इतिहास की दृष्टि से आज जहाँ हिमालय है, वहाँ कुछ समय पहले तक समुद्र था। भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग अज्ञात है। पूर्व के वारे में यह बात विशेष रूप से सत्य है। कुछ बातें अभी विवादास्पद हैं। शिवालिक पहाड़ का निर्माण ही पहाड़ों के क्षरण से हुआ है। हिमालय के ऊँचा उठने के कारण बने अग्रगत को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल वन रहे निक्षेपों से बहुत भिन्न नहीं हैं।

सिन्धु-गंगा का मैदान एक बड़ा कछारी प्रदेश है। यह ७,७७,००० वर्ग किलोमीटर है। कछारी निक्षेप की गहराई काफी है। इस गड्ढे की भराई एक समान रूप से नहीं हुई है। इसकी प्रकृति भी अलग-अलग है। पूर्व में वरावर पूर्ति होती रही है। यह कार्य नदियों ने किया है। ये अपने प्रवाह के साथ कछारी मिट्टी लाती रही हैं। पश्चिम में यह कार्य आधियों ने किया है। आधिया अपने साथ कुछ-न-कुछ नई सामग्री लाती हैं। मानचित्रीय दृष्टि से मैदान विलक्षण रूप से एक समान है। जो उभार है, वह कुछ सैकड़ों किलोमीटर से अधिक नहीं।

भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से पठार विल्लीरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय से बहुत पुराना है।

पठार के उत्तर-पूर्व किनारे पर तलहटी चट्टानें हैं। देश का अधिकांश कोयला इनसे मिलता है। देश के कुल कोयला-उत्पादन का ६० प्रतिशत इसी पठारी भाग में स्थित झरिया (बिहार) और रानीगंज (बंगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला-क्षेत्र अन्य भी हैं जैसे—गोदावरी घाटी और विन्ध्य पर्वत की उत्तरी ढाल पर।

पठार का उत्तर-पश्चिमी भाग लावा से पूर्ण है। इसका नाम दक्कन लावा है। यह विश्व भर में सबसे बड़ा लावा क्षेत्र है तथा २,५०,००० वर्गमील में फैला हुआ है। यह

हजारों फुट गहरा है। बड़ा मात्रा में लावा हान पर भी विचित्र बात है कि इस प्रदेश में ज्वालामुखियों का कोई चिह्न नहीं पाया जाता या बल्कि कम मित्रता है।

गण पत्थर में जन्म-नन्हा मूल्यवान् खनिज द्रव्य मिलते हैं। पुरानी बित्तीरी चट्टानों में मसूर में गाना मिलता है। मन्नीज आध्र प्रदेश मसूर और मध्य प्रदेश में तांबा और ताँहा बिहार और उड़ीसा में अध्रक जात्र और दक्षिण-पूर्व में तथा हीरा पना (मध्य प्रदेश) में पाया जाता है। कुरनूल (आध्र) में भी हीर बानी एक चट्टान मिली है।

बगान की साड़ी में अन्मान और निकोबार नाम से छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। अरब सागर में त्वानीव नाम में द्वीप-समूह है।

वाटियावाड का बन्द अर्ध-द्वीप है। बन्द मूंगा चट्टानी गिनामय और वृणहीन क्षेत्र है। महा भूत (पट्टान) निकलने की सम्भावना है।

नदी-प्रणालियाँ

भारत की नदियाँ या नदी प्रणालियाँ (जिन निराली प्रणाली) तीन प्रकार की हैं—(१)—उत्तर की ओर बहने वाली (२)—पश्चिम की ओर बहने वाली और (३)—पूर्व की ओर बहने वाली। भारतीय पठार के उत्तरीय किनारे या विष्व से निकली नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। जल—मौन उष्ण आदि। दूसरे वर्ग में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। ये नर्मदा विष्व की ओर गंगुला में निकलकर तम्रभग समानांतर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं।

दक्षिण और दक्षिण में पश्चिम घाट से निकली नदियाँ पूर्व में बगान की साड़ी में गिरती हैं। इनमें महानदी गंगावगी वृष्णा और कावरी मुख्य हैं। हिन्दुस्तान की मन्नी नदियाँ में इन में अन्तर है। (१)—इनकी जल-शक्ति एकमात्र वर्षा में होता है। अतः इनमें निकलकर पानी नहीं मिलता। (२)—इनकी घाटियाँ गिवाँ के कम उपयुक्त हैं। (३)—सात के कुछ भागों में जब नदियाँ सूख जाती हैं तब ये नौबानयन के योग्य नहीं रहता।

भारत की नदियाँ का और एक दृष्टि में चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। (१) हिमालय की नदियाँ (२) दक्खन की नदियाँ (३) तटवर्तीय नदियाँ तथा (४) जानरिख जन क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। इन कारण इनमें गन्ना पानी रहता है। दक्खन की नदियाँ के समान मान के विभा में पानी सूखता नहीं। दूसरे वर्गीकरण में इनमें गन्ना बन्द आता है। दक्खन की नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। अतः इनका जन-मान घटता-बढ़ता रहता है। इनमें में अधिकांश बाढ़-हमामा भी नहीं है। तटीय नदियाँ विष्वत पश्चिमी तट की समुद्रों में जाती हैं। इनका प्रसरण क्षेत्र भी गमित है। पश्चिमी तटवर्तीय जन-क्षेत्र की नदियाँ अपन क्षेत्र में बाहर नहीं जाती और यदि इनकी सामर्थ्य नष्ट तब पश्चिम तट में जाती हैं। एक मात्र नदी गन्गा के समान वर्षा के तब तब ही पश्चिमी तट में जाती है। अतः नदी गन्गावगी में बिनत ही नहीं है।

गन्गा नदी का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत के कुल क्षेत्रफल के एक चौथाई भाग में गन्गा की पानी मिलता है। गन्गा के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विष्व पर्वत हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ भी उत्पन्न होती हैं। गन्गा नदी-क्षेत्र में गन्गावगी में निकलता है।

पहाड़ों में इसका नाम भागीरथी, अलकनन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती हैं। चम्बल, वेतवा और सोन भी गंगा में मिलती हैं। हरिद्वार में पहाड़ों से निकलने के बाद यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक बड़ी कमान बनाते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। मार्ग में ही इसमें यमुना, गोमती, घाघरा, गारदा, गण्डक, सोन और कोसी नदियाँ मिलती हैं। राजमहल पर्वत (बिहार) के पाम गंगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है और प० बंगाल में जाती है। फिर यह पूर्वी पाकिस्तान (पूर्व बंगाल) में प्रवेश करती है तथा पद्मा कहलाती है। एक बारा हुगली नाम से प० बंगाल में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है।

गोदावरी इसका क्षेत्र भारत में गंगा नदी-क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा है। यह सम्पूर्ण भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र में व्याप्त है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पश्चिम में सिन्धु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही हैं। कृष्णा नदी का क्षेत्र प्रायः द्वीप में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। महानदी क्षेत्र का स्थान इसके बाद है। दूर दक्षिण में कावेरी का नदी-क्षेत्र भी इसके ही समान है।

उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में पेन्नार के नदी-क्षेत्र छोटे हैं, लेकिन दोनों कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पाम है। यहाँ से निकलने पर पूर्व की ओर लगभग ५०० मील बहती है। तिब्बत में इम नदी का नाम त्सांगपो है। भारत में प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ इसमें दीवाग और लोहित नदियाँ मिलती हैं और इमका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ फिर असम घाटी में जाती हुई पश्चिम को मुड़ती है। असम घाटी ५०० मील लम्बी और ५० मील चौड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी गोबालुडो (पूर्वी पाकिस्तान) के पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है। यहाँ यह गंगा की सर्वाधिक पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती है। इन दोनों का मिला प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। लेकिन इसके गिरने से पहले इममें अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। इन मिलने वाली नदियों में मेघना नदी (पूर्वी पाकिस्तान) मुख्य है।

दक्खन की नदी-प्रणाली - दक्खन की नदी-प्रणाली की नदियाँ पठार के पहाड़ों से निकलती हैं। केवल वरसात के पानी को लेकर बहती हैं, अतः गर्मियों में अनेक जल-शून्य हो जाती हैं। इन नदियों के तीन वर्ग हैं (१) पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, (२) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और (३) उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो गंगा नदी-प्रणाली में जाकर मिलती हैं।

कावेरी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये पठार के ढाल पर बहती हैं और इमको गहरा काटती हुई जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में और दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं—महानदी और दामोदर। (२) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शारवती, नेत्रवती, चेलियार, पेन्नानी और पेरियार नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ पश्चिमी घाट में निकलती हैं और अरब सागर या सिन्धु-सागर में गिरती हैं। (३) उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ उत्तरी मैदान की ओर जाती हैं। इन नदियों में चम्बल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चम्बल यमुना नदी में मिलती है। दूसरी महत्व की नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के

गंगा गंगा में मिलता है। परन्तु सत्रम बड़ी दा नदिया नमक और तापी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं जिनमें जलवायु सागर में गिरती हैं।

जलवायु

भारत का आकाश विभाग यहाँ चार ऋतु मानता है (१) ग्रीष्म ऋतु (जून-सितम्बर मास) (२) शीत ऋतु (अप्रैल-मई) (३) वर्षा ऋतु (जून-सितम्बर) और (४) दक्षिण पश्चिम मधुघात (मानसून) की वाणिनी का काज (अक्टूबर-नवम्बर)। परन्तु भारतीय साधारणतः ६ ऋतुयें मानते हैं—वसन्त शीत वर्षा शरद हेमन्त और शिशिर। यह वर्षा विभाग ब्रह्म है तथा गौर मण्डल के अनुसार है।

वर्षा की दृष्टि से देश को चार भाग त्रिय गये हैं (१) सम्पूर्ण असम और पश्चिमी घाट का तटीय पश्चिमी तट तथा उत्तर में बम्बई और दक्षिण में त्रिक्कूर का सारा क्षेत्र भारी वर्षा का है। यहाँ वर्षा में ८० इंच से अधिक वर्षा होती है। (२) ५० से ८० इंच तक की वर्षा का प्रदेश है—उत्तर पूर्वी पठार तथा गंगा घाटी का मध्य भाग (३) ब्रह्म तट पर्वत राजस्थान का मरुभूमि सह्याद्र तथा गिरगिर तट काश्मीर का पठार ब्रह्म तट वम वर्षा का क्षेत्र है (४) मन्नाम सिन्धी पठार का दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भाग तथा गंगा का मन्नाम व उत्तरी क्षेत्र में २० से ४० इंच ही वर्षा होती है।

है। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक, भारत का उत्तरी गोलार्द्ध पाकिस्तान व चीन, इन दो जन्तु राष्ट्रों की सीमा पर है। यह सीमा-भाग लगभग ८२०० मील लम्बा है। अब तक इनकी रक्षा का कार्य विभिन्न राज्यों के पास था, परन्तु अब इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

८२०० मील लम्बी उपरोक्त सीमा का स्वरूप एक-सा नहीं है। इसमें इतनी अधिक विविधता है कि इसकी सुरक्षा कठिन समस्या हो गई है। कच्छ (गुजरात) में दलदली प्रदेश है, राजस्थान में रेतीली भूमि है, पंजाब में उपजाऊ मैदान है, काश्मीर और लद्दाख में पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में भी उच्च पर्वत है। हिमालय के उच्च चरणों में, नेफा में दुर्गम पर्वत और जंगल हैं। इस विविधता के कारण सीमा की रक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार की प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तानी आक्रमण ने इस सारी सीमा को जगा दिया है। इसके लिये विशिष्ट सरक्षक दल की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है।

इस विस्तृत सीमा पर के प्रदेश, यहाँ रहने वाले लोग, किस अवस्था में हैं, उनकी मानसिक और बौद्धिक प्रगति किस अवस्था में हो रही है, इनका अध्ययन होना अभी शेष है।

काश्मीर : भारतीय सीमा का सबसे बड़ा और महत्व का भाग काश्मीर में है। यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों के हमले हुए हैं। आक्रमण करके इन दोनों ने भारत-भूमि का काफी बड़ा भाग गैर-कानूनी तरीके से दबाया हुआ है। पश्चिम दिशा में युद्ध-बन्दी रेखा जम्मू के मैदान में से गुजरती है। परन्तु काश्मीर में बरामूला के निकट यह रेखा पर्वत शिखरों पर से जाती है।

युद्ध-विराम समझौते में यह ठहरा है कि पाकिस्तानी सैनिक युद्ध-विराम रेखा से २० मील परे ही रहेंगे। केवल भारतीय सेना ही युद्ध-बन्दी रेखा तक जा सकती है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक छद्म वेश में लुका-छिपकर आ जाते हैं। अगस्त १९६५ में तो लाखों की संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठिये आ गये थे। इसको रोकने के लिये गाव-गाव में भारतीय सैनिकों का रखना आवश्यक हो गया। इसके कारण उनके आने में कुछ रुकावट हुई है। यह सदा जाग्रत रहने वाली सीमा है।


लद्दाख की राजधानी लेह को सड़क द्वारा कारगिल में जोड़ दिया गया है। यह रास्ता श्रीनगर तक गया है। किन्तु, यह रास्ता वर्ष में पांच मास ही चालू रहता है।

पंजाब : पाकिस्तान और पंजाब के मध्य की सीमा-रेखा 'रेडक्लिफ-निर्णय' के अनुसार खींची गई है। इसमें जो कुछ विवाद था, वह २० हजार एकड़ जमीन ले-देकर हल कर दिया गया है। भारत में इस जमीन पर भूमिहीन किसानों को बसाया गया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर-व्यापार बड़ी मात्रा में होता है।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश और तिब्बत (तिब्बत चीन के अधिकार में है) के मध्य १०० मील लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। हिमाचल प्रदेश या कन्नौर किसी समय किन्नरों और गन्धर्वों का देश माना जाता था। यहाँ प्राकृतिक सुपमा अपूर्व है। इस प्रदेश के राजा केदारसिंह ने मन् १५५४ में अपनी सत्ता तिब्बत की सीमा तक पहुँचा दी थी।

बस दो या तीन बच्चे :
होते हैं घर में अच्छे



परिवार नियोजन केन्द्र की पहचान लाल त्रि

भारतीय इतिहास की एक झांकी

—एक विहंगम दृष्टि

आदिकाल विश्व के इस अज्ञात-आदि देश भारत का आदिकाल आर्यों से सञ्चित है। भारत का आदिकाल ऋग्वेद में विशेषकर तथा अन्य तीन वेदों में सामान्यतः वर्णित है। आदिकाल के जन-जीवन, भूगोल व इतिहास का वर्णन वेदों में उपलब्ध है। पर वेदों का—ऋग्वेद प्राचीनतम माना जाता है—काल निश्चित नहीं हुआ है। ईसा से ५०,००० वर्ष पूर्व तक ऋग्वेद का काल विद्वान् मानते हैं। वेद ही भारत के आदिकाल के दर्पण हैं। वेदों का एक नाम श्रुति भी है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इन्हें संहिता का रूप दिया। वेदों को हिन्दूमात्र ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुषेय हैं।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत—वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का समावेश है। वेदों के छ अंग भी हैं जो वेदांग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में एतरेय, तैत्तिरीय, गोपथ, गतपथ और पड्विग मुख्य हैं। उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी अधिक है। पर भारतीय आचार्यों ने ग्यारह को मुख्य माना है और इन्हीं का भाष्य किया है।

आर्य-जन एक बड़े परिवार के ममान रहते थे। सब 'सजात' होने से एक समान थे। वर्णाश्रम की व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। ग्रहस्थ को मवमे बड़ा आश्रम माना जाता था। परिवार पितृ-सत्तात्मक थे। साधारणतः एक पत्नीव्रत का पालन किया जाता था। स्त्रियाँ पर्दे में नहीं रहती थीं। अनेक स्त्रियाँ ब्रह्म-वादिनी थीं। आर्यों का भोजन सादा था। चावल, जौ, घी, दूध की इसमें प्रधानता थी। मांस-भक्षण इस काल में निषिद्ध नहीं था। गाय को पूज्य और 'अवन्त्या' माना जाता था। सोमपान भी किया जाता था। सोम एक शक्तिवर्धक वनस्पति थी और इसको कूटकर इसका रस निकाला जाता था।

आर्य लोग ऊन, रेशम और रूई के वस्त्र पहनते थे। मिर पर उष्णीष (पगड़ी) धरते थे। नीचे अधो-वस्त्र (धोती या साडी) और ऊपर उत्तरीय (चादर) धारण करते थे। स्त्री-पुरुष, दोनों स्वर्णादि आभूषण पहनते थे, कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव, कण्ठहार आदि प्रचलित थे।

आर्य एक ईश्वर की पूजा करते थे। बहुदेवतावाद प्रचलित नहीं था। पर, आर्य प्रकृति-देव पूजक भी थे।

आर्यों का जीवन सरल और उच्च विचार का था। वे खेती करते थे और पशु पालन थे। चर्मबिना चरती थी। भिषग (वध) विप्र माना जाता था। जूआ लेनना मना था। पत्थर का काम होता था। समुद्र में चने वान पान और नौयान थे। दूर दूर तक व व्यापार करने जाते थे। विमानों का भी प्रयोग में उल्लेख मिलता है।

राज्य का गठानन महा तथा ममिनि की सहायता में राजा या गण प्रमुख करते थे। राज्याभिषेक के समय की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन न करने वाला राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था।

उत्तरकाल आर्यों का विस्तार तथा हुआ। उनकी बर्तिया कुर पाचान वत्स मगध विष्णु तक पान गे और अनेक राज्य स्थापित हो गए। इस काल में ही वेदांगों का विकास हुआ। ऋग्वेद-सामवेद की रचना हुई। इस समय जाय हिमानय और विष्णु पवन के बीच का प्रयोग समाप्त हुआ। इस काल में ही जयोध्या में सूयवण या श्वेताकु कुन का राज्य स्थापित हुआ। कुर-पाचान में वीरवा और पाचाना का राज्य स्थापित हुआ। जयोध्या के प्रताप राजा धाराम ने तथा तद का प्रयोग जाता। कुर पाचाना की तर्ज ही वस्तुतः वीरवा-पाण्डवा की तर्ज में वर्तित हुई। यह सप्राम कुरोत्र में हुआ। १८ ज्योहिणी संज्ञा मारी हुई। यह मुद्ग भारताय धारणा के अनुसार रंगा में १ सात पत्र या वानिदास के प्रारम्भ में हुआ था। राम-न मण मुधिष्ठिर भीम-अजन मे एव हजार मान पत्र हुए हैं। अत्र श्रीगम रंगा से ६० सात पत्रे हुए।

वीरवा-पाण्डवा की कथा श्रावणव्याग द्वारा महाभारत में निबद्ध की गई। महाभारत का जय नाम भी है। महाभारत वस्तुतः आय सस्कृति और आय-नाहित्य का विश्वकोष है। महाभारत में दावा है कि जो मगध नहीं है वह कही अयत्र भी नहीं है। गीता महाभारत का ही एक भाग है। गीता विश्व भर में आन्दोलन का माय पड़ी जाती है। यह भगवान् श्रीकृष्ण के उपासकों का सग्रह है तथा समस्त आय (हिन्दू) दान का मार है।

य १६ है—गिगा र्ण व्याकरण निरुक्त यातिर और वल्य ।
उपव है—आयुर्वेद धनुर्वेद जयववेद (गिगर्ण) और मघवर ।
परमान है—गर्भ माय माय वगिनि मामामा और वगान ।
अगर पुराणा में मह्य वाय विष्णु और भागवत मुख्य हैं।

आय जनि का विस्तार ईरान चीन राम और पश्चिमी यूरोप तक हुआ। पश्चिमोत्तर में आर्यों का एक अन्य शाखा नाम नाम से बना।

मोहनजोदड़ो-हड़प्पा के पुर बर्तित आर्यों में पत्र भारत में अय त्रिग वगत थे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में गुर्ज में पत्र माममा त्त साण का ३ य पूरापियत विष्णुग दह रहा है और माना जान मग है कि य भा आर्यों के नगरा के ध्वस्तवाय ३। कर्नाट - ध्वस्तवाय हड़प्पा तक ही ममित नहा ३। सिन्धु घाटी में उत्तर मुद्गपूर में बन्दान घोषाम परगना तक और साधन में सहर विमत मग तक य मित है। साधारणतः (काश्मीर) में दक्षिणदि तक इनका प्रसार है।

सिन्धु-घाटी सभ्यता —मानवशास्त्र के हड़प्पा नाम नगी की घाटी पूरुग और सिन्धु (दक्षिण-पूरुग नदियों) की घाटी में है। विष्णु-स्य विष्णु नदियों की घाटी और



जन धम का उदय — जन धम के अनुयायियों की सख्या भारत में लगभग एक करोड़ है। जनी २० प्राचीनतम मानते हैं। वधमान महावीर २४ वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ वज्जि मूत्ता के याख्याता भी हैं। २३ वें तीर्थंकर पार्वनाथ के नाम पर बिहार में पार्वनाथ पर्वत है और यह जनियों का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। २४ वें तीर्थंकर वधमान महावीर का जन्म जातुक राजकुल में हुआ जो वज्जि गणराज्य के सभ में था। इसकी राजधानी कुण्डग्राम थी। ३० वर्ष की आयु में वधमान ने घर-बार छोड़ दिया तथा भिक्षु हो गए। बारह साल की घोर तपस्या के बाद उन्होंने केवलिन पर प्राप्ति किया। सत्स्वार के ससग से सवधा मुक्त होकर तथा सुख-दुःख की भावना से ऊपर उठ सब वस्तुओं से पृथक् केचन रूप की अनुभूति केवलिन अवस्था है। धम प्रचार करते हुए ७२ वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पटवापुर (पटना) में उनकी मृत्यु ५२० ई पू में हुई।

जन मन में अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण ये पाँच व्रत भिक्षु और गृहस्थ दोनों को पालने चाहिए। जनो का अहिंसा-व्रत बौद्धों से भी अधिक कठोर है।

जन-साहित्य बड़ा विगान है और ६ भागों में विभक्त है (१) १२ अंग (२) १२ उपांग (३) १ प्रकीर्ण (४) ६ छन्द-सूत्र (५) ४ मूल-सूत्र (६) विविध। यह साहित्य मुख्यतः प्राकृत भाषा में है। प्राकृत के अतिरिक्त कन्नड़ तेलगु आदि भाषाओं में भी जन पुस्तकें मिलती हैं।

जन धम भारत से बाहर नहीं गया। जन धम के अंतर्गत दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदाय हैं। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। तरापथी इनमें से ही हैं। दिगम्बर जनियों के मन्दिर में प्रतिमाएँ निवस्त्र होती हैं।

बौद्ध धम — गोकुल क्षत्रियों का एक छोटा-सा राज्य हिमालय की तराई में था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का शासक शुद्धोदन था। उस शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनका गोत्र गौतम था अतः वे गौतम भी कहलाये। इनका बाल्यपन शान्ति और विनास में बीता। सिद्धार्थ को शिक्षा राजकुमारों के योग्य दी गई थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। एक पुत्र भी हुआ। इसका नाम राहुल रखा गया। कपिलवस्तु में गौतम को देखते हुए उन्होंने एक दिन मरणासन रोगी एक दिन बूढ़ा और अमान्य जा रही एक अर्धा का देखा। इन सबके बाद एक गात प्रभूत सत्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर-बार छोड़कर भिक्षु होने का विचार करने लग और एक रात दारा और पुत्र को छोड़कर घर से निकल गये। गया पर्वत पर उन्होंने वन-वृष व नीच वस्त्र धार तपस्या की। यही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि तपस्या व्यर्थ है जन्म भोग विनास व्यर्थ है। दोनों के मध्य का माग ही गरी है। यही बुद्ध का मध्य माग है।

६ वर्ष की आयु में भगवान् बुद्ध ने धम प्रचार किया। तुम्बिनी उदयान में ५६७ ई पू० बुद्ध का जन्म हुआ और ८० मान की उम्र में कुशीनारा (कसिया) में ५४५ ई पू मृत्यु हुई। ४४ मान निरन्तर पश्यन करने हुए धम प्रचार किया। बुद्ध का अष्टांग माग है (१) सम्यक दृष्टि (२) सम्यक प्रयत्न (३) सम्यक वचन (४) सम्यक

सकल्प, (५) सम्यक् कर्म, (६) सम्यक् आजीविका, (७) सम्यक् विचार और (८) सम्यक् ध्यान । बुद्ध भगवान हिंसा के विरोधी और ऊच-नीच की भावना से सर्वथा मुक्त थे । प्राणी मात्र को एक समान मानते थे । जन्म के कारण किसी को ऊच या नीच नहीं मानते थे ।

बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिए सघ की स्थापना की । स्त्रीयो को भी भिक्षु बनने का अधिकार दिया । २५ मई १६५६ को उनका २५०० वाँ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया ।

भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उनके शिष्य राजगृह में एकत्र हुए । यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध किया गया । बौद्ध-साहित्य का आधार त्रिपिटक है । ये तीन हैं । इनमें बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षायें सगृहीत हैं । सौ वर्ष बाद वैशाली में इन शिक्षाओं का पुनः सग्रह करने और इनमें सशोधन करने के लिए दूसरी सगीति हुई । त्रिपिटक है विनय पिटक, (२) सुत्त पिटक, (३) अभिधम्म पिटक ।

जैन और बौद्ध, दोनों धर्म वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते, मत्रों को निरर्थक मानते हैं । दोनों जीवन की पवित्रता और सदाचार पर बहुत जोर देते हैं । दोनों ने सस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया । बौद्धों का साहित्य पाली में और जैनो का अर्ध मागधी-प्राकृत में है । बाद में सस्कृत में भी इन धर्मों का साहित्य लिखा गया । दोनों धर्म कालांतर में भारत में अत्यन्त सीमित होकर रह गए ।

भारत और सिकन्दर

ईरान में गए आर्य अपने देश को आर्यानि या एर्यानि कहते थे । ईरान शब्द का मूल यही है । इनकी दो शाखाएँ थी—पार्श (पर्शियन) और मीड । इनमें से पार्श ने साम्राज्य बनाया । हरवमनी के समय लगभग सारा ईरान पार्श साम्राज्य में आ गया था । हरवमनी के वंशजों में डेरियस या दारयबहु (५२१-४२८ ई० पू०) बड़ा प्रतापी राजा था । इसने भारत के तीन प्रदेश सिन्ध, कम्बोज और गांधार जीत लिये । डेरियस ने अपने विजय-स्तंभों में अपने को ऐर्य, ऐर्यपुत्र (आर्य-आर्यपुत्र) कहा है । भारत के, सिन्धु नदी के पश्चिम के भाग को उसने एक क्षत्रप के आधीन रखा था । इसके कारण भारत का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया से दृढ़ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया-माइनर और मिस्र पहुँचने लगे ।

दारा के आक्रमण के समय उसका नौ-सेनापति स्काईलेक्स (शैलाक्ष) समुद्र-मार्ग से सिन्ध के मुहाने तक आया था । इससे भारत के समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली । ईरानी आक्रमण के कारण भारत में खरोष्ठी लिपि आई । भारत की अपनी लिपि इस समय ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है । खरोष्ठी दायी ओर से बायी ओर को लिखी जाती थी । ईरानी लिपि का नाम अरैमिक था । सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश में अरैमिक लिपि का प्रचार हुआ । खरोष्ठी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी, पर लिपि उसकी अरैमिक से ली गई थी । ईरानी 'स' को 'ह' कहते थे । सिन्धु को हिन्दू कहते थे । फलतः वे इस देश को हिन्दुस्तान कहने लगे । ग्रीकों ने इसको 'इण्डिया' कहा ।

ग्रीस में भी आर्य बसे थे । ग्रीस पर मैसीडोनिया ने हमला किया । मैसीडोनिया के प्रतापी राजा का नाम अर्मिटस था । उसका लड़का फिलिप हुआ । इसने अपने राज्य का विस्तार किया । फिलिप का लड़का सिकन्दर हुआ । सिकन्दर अरस्तू (अरिस्टाटल) का

गिष्य था। यह बड़ा महत्वाकांक्षी था। विन्व विजय की महत्वाकांक्षा रक्षता था। सिक्न्दर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरानी साम्राज्य को मजबूत किया। इससे उसको अनायास हिन्दुस्तान तक का भारत का भू-भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस को जीतकर सिक्न्दर भारत की ओर बढ़ा। गांधार के राजा आम्बि ने सिक्न्दर से मित्रता कर ली। आम्बि की सहायता पाकर सिक्न्दर ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण किया। यह वीरता से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में दो मत हैं सिक्न्दर की हार मिक्न्दर की विजय। विन्वो की नयी पीढ़ी प्रथम मत को अधिक पुष्ट व सायक मानने लगी है। पुरु की मित्रता प्राप्त कर सिक्न्दर आगे बढ़ा। उसको अनेक गणराज्यों से युद्ध करने पड़े। इनमें से गुजरात, मल्ल और कठ मुख्य थे। कठ की राजधानी सावन (स्यालकोट) नगरी थी। कठ-युद्ध से सिक्न्दर की सेना घबड़ा गयी और उसने युद्ध करने से इन्कार कर दिया। मगध-सम्राट महापद्मनन्द की सेना के आतंक से भयभीत सिक्न्दर यास तक पहुँच कर लौट पड़ा। वापसी में सिक्न्दर की सेना को मानवा और धुद्रका ने लजकारा। मिक्न्दर इनमें मगध करने को बाध्य हुआ। यहाँ उसके कनेजे में बर्छे की चोट लगी। यह गायतिका मित्र हुई। ३२३ ई० पू० सिक्न्दर बबीलोनिया पहुँचा। यहाँ ३३ वर्ष की आयु में बर्छे का घाव से उसकी मृत्यु हो गई।

मिक्न्दर के आक्रमण का कारण ग्रीक का भारत की कला पर प्रभाव पड़ा। मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और मनुष्य निर्माण तथा वृक्षी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए। व्यापार बढ़ा। यवनाना निधि भी आई। भारत का धर्म दान व ज्योतिष पश्चिम में पट्टा।

प्रसिद्ध राजवंश

मौर्य वंश

चन्द्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने भारत से ग्रीक विजय के प्रभाव का मित्र किया तथा पुनः भारत की सीमा हिन्दुस्तान तक पट्टा दी। इस प्रकार भारत की राजनीतिक सीमा और प्राकृतिक सीमा एक हो गई। आचार्य चाणक्य का मत था कि सिंहासन पर उठकर समुद्र तक फनी एक सट्टम योजना आय भूमि है और इसमें एक पत्रपत्रों का स्थापित होना चाहिए। हम नय को उत्तम अपने शिष्य चन्द्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर पूरा किया। सत्युक्तम सिक्न्दर का एक सेनापति था। मिक्न्दर का दण्ड विन्व पर चलन हुए उगन भारत पर ५ ई० पू० में आक्रमण किया। चन्द्रगुप्त ने उगन पराजय का मिट्टी में मित्रा किया। पराजित से युक्त ने चन्द्रगुप्त को पराजितमिद (बाबुन) एरिया (हिरान) जाकोगिया (कन्हार) और जगसिया (कनात तागस्ता और मकरान) का प्रशासक किया। उगन अपना क्या भा चन्द्रगुप्त में विवाही। चन्द्रगुप्त ने अन्न मूनाना स्वमुर का ५० हाथा किया। मगस्थनाज चन्द्रगुप्त का दरबार में मूनान का राजदूत हाकर आया।

आचार्य चाणक्य का विन्व अयगास्त्र वान प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें चन्द्रगुप्त की नीति और व्यवस्था का बान है। चन्द्रगुप्त की मना में ६ लाख पत्तन ३० हजार घुन्मवार और ६ हजार हाथा थे। ८ हजार में अधिक रथ थे। मना का प्रबन्ध ६ उपममितियों द्वारा होता था। मनें राज का अन्ती था। मगध राज्य को बना आसनी थी। समुद्र से मोती

निकालने का काम राज्य करता था। नमक का कारोवार भी राज्य के आधीन था। चद्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक राज्य किया।

चद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के दरवार में सैल्युकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोक्स का दूत रहता था। मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरवार में था। बिंदुसार की २७२ ई० पू० मृत्यु हो गई।

सम्राट अशोक . बिंदुसार की मृत्यु पर मगध के राजसिंहासन पर अशोक बैठा। इसने सर्वप्रथम कलिंग (उड़ीसा) को जीता। अशोक ने इस विजय के बाद 'धम्म-विजय' (धर्म-विजय) की ओर ध्यान दिया। बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए उसने देश-विदेश में अपने प्रचारक भेजे। अशोक के 'महामात्य' का कार्य ही धर्म-प्रचार का कार्य देखना था। अशोक ने चिकित्सालय खोले। शिलाओं पर अपने सदेश अंकित करा उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया। ये शिला-लेख अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक मिले हैं। सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिंह की चार मूर्तियां बनी हुई हैं। कहते हैं, अशोक ने ८४ हजार इमारतें बनवाईं। सारनाथ, साची और पाटलिपुत्र में अशोक के भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र के राज-प्रसाद को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसको देवताओं का बनाया हुआ बताया। दुनिया के पांच महान् व्यक्तियों में अशोक का भी एक नाम है। राज्य-शक्ति का धर्म-प्रचार और जन-कल्याण में प्रयोग करने वाला विश्व का यह सभवतः पहला सम्राट् था।

मौर्य साम्राज्य प्राची, मध्यप्रदेश (पाटलिपुत्र) दक्षिण-पथ (सुवर्णगिरि, रायपुर, मैसूर), पश्चिम-चक्र (उज्जैन) और उत्तरपथ (तक्षशिला), इन पांच मण्डलों में विभक्त था। जनपद और इनकी जनपद-सभा को कायम रखा गया। ग्राम का शासक 'ग्रामिक' कहलाता था। यह कर वसूलने के अतिरिक्त मनोरजन के लिए प्रेक्षाओं (तमाशों) का भी प्रवन्ध करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्त्वपूर्ण अंग था।

केन्द्रीय शासन अठारह तीर्थों या विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक महामात्य के आधीन था। न्यायालय धर्मस्थीय (दीवानी) और कण्टक-शोधन (फौजदारी), दो प्रकार के होते थे। न्यायालय के सामने कोई मुकदमा चलने पर निम्न बातें अवश्य लिपिवद्ध की जाती थी — (१) तिथि, (२) अपराध का स्वरूप, (३) घटनास्थल, (४) यदि ऋण का हो, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी-प्रतिवादी के देश, गाव, जाति, गोत्र, नाम, पेशा, (६) दोनों पक्षों की युक्तियों और प्रत्युक्तियों का पूर्ण विवरण। मैगस्थनीज ने माना है कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। चोरिया अज्ञातप्राय थी। लोग सत्यवादी थे।

सारनाथ का स्तम्भ मौर्यकालीन कला का प्रतीक है। अशोक के समय की पाषाण वेष्टनियाँ (रेलिंग) भी दर्शनीय हैं। इन पर जातक की कथाएँ उत्कीर्ण हैं। वेष्टनिया पत्थर काटकर बनायीं गयी हैं। साची का स्तूप महत्त्व का है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फुट है। यह लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है। गुहा-मंदिर बनाने की परम्परा का प्रारम्भ इसी समय से हुआ। ऐसे मंदिर वरावर (विहार) की पहाड़ियों में बने हैं।

मैगस्थनीज के अनुसार, भारत में सात जातियाँ तब थी — (१) दार्शनिक, (२) किसान, (३) अहीर, गडरिये और चरवाहे, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) राज्य

कर्मचारी और (७) निरीक्षक या गुप्तचर। समाज में दहज की प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह और तलाक़ भी प्रचलित थे। लोग मितव्ययी थे तथा स्वच्छता व भयतापूर्वक रहते थे। रत्ना को धारण करने की प्रथा थी। अत्यंत सुंदर मलमल के बने फूलदार कपड़े लोग पहनते थे। तमगिला शिक्षा का महाकेन्द्र था। एक आचार्य व पास ५० से लेकर दस सहस्र तक छात्र रहते थे। राज्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकांश भाग में सिंचाई हान में साल में दो फसलें होती थीं। अनाज कभी नहीं पड़ता था। अनाज सस्ता था। उद्योगों में नौका व जहाज बनाने के उद्योग मुख्य थे।

मिनांदर भारत के ग्रीक राजाओं में मिनांदर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी साकल (सियाचकोट) थी। वह बौद्ध था मिनांदर पहले उसका लिला पाली भाग में एक ग्राम है। तमगिला के ग्रीक-नरेश अतलिखित का राजदूत हेलेनोदारे विदिशा में रहता था। वह बष्णव हो गया था। वासुदेव (विष्णु) की पूजा के लिए उसका बनाया गया ध्वज आज भी विद्यमान है।

बनिंग नरेश मारवण ने डेमेट्रियस (डेमेस्ट्रीयस) का हराकर भारत का यवना से रण की।

गुप्त युग

पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति था। उसने गुप्त राजवंश बनाया। अश्वमेध था भी किया। एक गिना उस में उसे अश्वमेध यात्री बनाया गया है। यवना न इसका छाटा अश्व पकड़ लिया था। उसके पीछे वसुमित्र ने उसको छुड़ाया। महाभाष्यकर्त्ता पंजनि ने इसका अश्वमेध मन कराया था। महाभाष्य में कहा गया है पुष्यमित्र यजामहे।

सातवाहन वंश

सिमुक मौर्यों के निचल हान पर दक्षिण में सिमुक ने २१ ई पू० सातवाहन वंश का नींव डाली। गांधारियों ने के किनारे प्रतिष्ठान नगरी इसकी राजधानी थी। इसके बाद गौतमिपुत्र गांधारियों ने पश्चिम में अकनित तक राज्य का विस्तार किया। इसका राज पट्टव (पापियन) और दवना (घोषा) को पराजित किया। इसका राज ६६ ४४ ई० पू था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासक डॉ० वाणीप्रसाद जायगवान ने इसी को पत्तारि किमगाण्डि बनाया है।

सागिर्त्तियुत्र थी पुनुसावि के समय सातवाहन राज्य चान देग तर फन गया। पुनुसावि न कलय व राजा गुत्ता का भार कर भगप के कष्व वग की समाप्ति कर दी। गांधारियों वग का राज्य २२५ ई० तक चला।

कुशाण साम्राज्य कुशाण में भगद और सार मनी पाटा में बमन के बाद उसका छाट कर बरिष्ठा वर मुडगि मोषा न पाष राज्य स्थापित किए। इनमें एक कुशाण साम्राज्य था। इसका राजा कर्त्तियुत्र बौद्ध था। चीन व गंग्रा का बौद्ध धर्म-ग्रन्थ भजन वाता यह दाना भगवान देगे पा। ८ राज की आयु में यह ३० ई म मर गया। इसका उत्तरा विष्णु की शिम कर्त्तियुत्र २ व था। इनमें अन्ना राज्य मथरा तक बढ़ाया। पाटलिपुत्र पर यह कर्त्तियुत्र कर्त्तियुत्र गांधारियों का राज्य था। कुशाण गांधारियों ने कुशाणों को अनेक दलों में बँटाया था और पत्तारि बहनाया। ७८ ई० में कर्त्तियुत्र राजगणों पर चला।

इसने सातवाहलो को हराया तथा अयोध्या-पाटलिपुत्र तक राज्य बढ़ाया। कनिष्क पाटलिपुत्र ने बौद्ध विद्वान् अश्वघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी भारत से इसने सातवाहन वंश के राज्य को समाप्त कर दिया। कनिष्क ने उत्तर में वक्षु-सीर नदियों तक के प्रदेश को जीता। चीन से लडकर काशगर, खोतान और यारकन्द के प्रदेश इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए। वक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन के लिये इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क के सिक्कों पर देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। कुण्डलवन (काश्मीर) विहार में कनिष्क के संरक्षण में बौद्धों की चौथी महासभा हुई। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्ष्व इसमें ५०० विद्वानों के साथ सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटक का प्रामाणिक भाष्य संस्कृत में तैयार किया गया। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध-प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवर्तन इसी समय हुआ। कनिष्क की एक सिरकटी मूर्ति मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक राज्य किया। कनिष्क के बाद हविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए।

११० ई० में सातवाहनों ने उज्जैनी के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब के कुर्णिक और यौधेय और मालव गणराज्यों ने अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। कुशाण साम्राज्य को इन सबने समाप्त कर दिया।

नाग भारशिव वंश . कुशाणों के साम्राज्य के भस्मावशेष से उत्पन्न राज्यों में नाग भारशिव वंश मुख्य है। इन्होंने ग्वालियर के पास पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया। कौशाम्बी से बढ़ते-बढ़ते ये मथुरा पहुँचे। इन्होंने गंगा-यमुना का प्रदेश कुशाणों से जीता था, अतः गंगा-यमुना को अपना राज्य-चिह्न बनाया। इस वंश के शासक वीरसेन ने बनारस में गंगा-घाट पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए।

वाकाटक वंश . भारशिव राजाओं का एक सामंत था, विध्य शक्ति (२७८ ई०)। इसने कुशाणों को हराया। इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड़ से शकों को मार भगाया। प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्र था। इसका विवाह नाग भारशिव वंश के राजा भगनाग की कन्या से हुआ। इससे उत्पन्न पुत्र रुद्रसेन भारशिव और वाकाटक, दोनों वंशों के राज्यों का शासक हुआ। उत्तरी भारत इसके राज्य में आ गया।

गुप्त-साम्राज्य (३१६ ई०—५१० ई०)

वाकाटकों के निर्बल होने पर लिच्छवियों ने गंगा के दक्षिण में पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। कुशाण साम्राज्य के अन्त में उत्पन्न वीरों में श्री गुप्त एक था। इसने पूर्वी मगध में अपना राज्य स्थापित किया। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसका पोता चन्द्रगुप्त (३१६—३३५ ई०) महापराक्रमी हुआ। वह महाराजाधिराज हो गया। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवीगण से मैत्री की तथा उसकी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवी राज्य एक हो गए। कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर इसकी विजय-प्रशस्ति अंकित है। प्रशस्ति हरिषेण की लिखी हुई है। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश का राज्य समाप्त कर दिया, कांची के राजा विष्णुगोप को हराया। समतट (गंगा-ब्रह्म-पुत्र का मुहाना), दवाक (चटगाव-त्रिपुरा), कामरूप (असम), नेपाल और कर्तृपुर (कुमायू) के राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुशाण 'शाहानुशाहि' ने भी समुद्रगुप्त

का प्रभाव स्वीकार किया। समुद्रगुप्त विद्या और कला प्रेमी सम्राट था। ३७८ ई० में समुद्रगुप्त का देहांत हो गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८५ ई०) रामगुप्त नपसंग राजा था। कुशाण-नरेश नाहानुगाहि ने इस पर हमला कर लिया। रामगुप्त ने संधि की जो तब स्वीकार की थी वे उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त को स्वीकार नहीं थी। चन्द्रगुप्त ने स्त्री वेष धारण करके कुशाण राजा के अंतपुर में प्रवेश किया और उसको मार लिया। रामगुप्त के पराभव पर यह गुप्त राज्य का स्वामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रुवस्वामिनी के साथ उसने विवाह कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुशाणा को हराया। चन्द्रगुप्त का सेना हिंदूकुश पर्वतमाला को पार कर बाल्हीन (बख) तक जा पहुँची। दिल्ली में मेहरौली के पास एक गाँव खड़ी है। इस पर चन्द्रगुप्त की विजय की प्रशंसा उत्कीर्ण है। बंधु नदी से अरब सागर तक साम्राज्य स्थापित करने के बाद इन्होंने विज्रमादिर्य की उपाधि धारण की।

कुमारगुप्त (४१४-४५५ ई०) इसका ४१ वर्ष का शासन शान्ति का शासन रहा। नागदा महाविहार की स्थापना इसने की। इसमें दूर दूर के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस समय हूणा के हमले पुनः प्रारम्भ हो गए। इनके कारण गुप्त वंश की राज्य शक्ति कमजोर हो गई।

स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ई०) हूणा से यह बीरतापूर्वक लड़ा गुप्त राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया गया को हराया।

स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्षीण होता गया। तोरमाण हूण ने ५० ई० में पञ्जाब और मालवा जीता। इसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल था। इसको गुप्तवंश के नरसिंह बाल्हाण्टिय ने हराया। मिहिरकुल धर्म से शत्रु था।

यशोधर्म हूणा को विजय करने वाले सेनानी का नाम गिलादेश्वर मंजन द्वयशोधर्म कहा गया। मन्मौर का विजय-स्तम्भ इसका यश गाथा गा रहा है।

गुप्तवंश का साम्राज्य नष्ट होने पर भारत में सावभौम सम्राटों का भी अन्त हो गया। पाण्डित्युप का साम्राज्य इसके बाद फिर नहीं उदय हुआ।

फाहियान चीना यात्री पाण्डित्युप गुप्त सम्राटों के राज्यकांत में भारत आया था। यह त्रिपिटक की खोज में भारत आया तथा यहाँ १५ वर्ष रहकर चीन वापस लौटा। चीन यह एक भारतीय जगत् पर लौटा। इसने अपने यात्रा विवरण में भारतीय शासन की बड़ी प्रशंसा की है। इन्होंने लिखा है कि राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई सेना उठालता घना जायता बार्ड उभ नहीं छड़ता। लेन दन मौखिक ही होता था त्रिस्ता पदी और पचासन का बोर्ड जल्द नहीं हानी। अपराधियों को अपराध के अनुसार अथ-दण्ड दिया जाता था। प्राण दण्ड और शारीरिक दण्ड नहीं लिया जाता। राज्य भर में जीव हिंसा नहीं हानी। बार्ड मद्य भी नहीं पाता। पाण्डित्युप का धर्मोत्तर लहसुन प्याज भी कोई नहीं खाता। गुह्र और मुर्गा नहीं पाले जाते। गराव की दूकानें नहीं थीं। मूनागार (बुकडखाना) भी नहीं थे। बन्धन पाण्डित्युप मजदूरी पकड़ने सिद्धार सेवते और मास वचत थे।

हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य का अन्त होने पर (१) कन्नौज में मौखरि वंश (२) बनारस में वपन वंश और (३) बनारस में मयिक वंश राज्य कर रहे थे। गुप्ता का राज्य

मगध तक सीमित रहा। इनमें वर्धन वग का हर्षवर्धन गुप्त वग के बाद भारत का सबसे विख्यात राजा हुआ।

मौखरि राज-वग ने गुप्तों की अधीनता का त्याग करके ईसा की छठी सदी में कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया। ईश्वरवर्मा हूणों से लड़ा था। इसके बाद कन्नौज की गद्दी पर ईश्वरवर्मा और सर्ववर्मा बैठे। सर्ववर्मा ने गुप्त वगी राजा दामोदर गुप्त को एक युद्ध में मार दिया, पाटलिपुत्र पहुँच गया। छठी शती के अन्त में कन्नौज भारत का केन्द्र हो गया। सर्ववर्मा के बाद अवन्तिवर्मा और गुहवर्मा राजगद्दी पर बैठे। गुहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। गुहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई। प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, दो पुत्र थे। राज्यश्री के राजगद्दी पर आने पर गुप्तों के एक सामन्त नरेन्द्रगुप्त शशाक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया। इस पर राज्यवर्धन एक बड़ी सेना लेकर कन्नौज अपनी वहिन की सहायता के लिए पहुँचा। शशाक ने युद्ध न करके राज्यवर्धन को सधि-वार्ता का आमन्त्रण दिया। राज्यवर्धन के डेरे पर पहुँचने पर शशाक ने उसको मार दिया। भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घबड़ा गई। उसने आत्म-हत्या करने का निश्चय किया और विद्याचल के जंगल में चली गई। हर्षवर्धन अब भाई की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुँचा। हर्षवर्धन स्वतः वहिन की खोज में निकला। शशाक का सामना उसके ममेरे भाई भंडी ने किया। राज्यश्री चिंता में प्रवेश करने को जब उद्यत थी, तब हर्षवर्धन दूढ़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। राज्यश्री की रक्षा हो गई। भण्डी ने इधर शशाक को हराया। हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी वहिन का प्रतिनिधि होकर कन्नौज का भी राज्य करने लगा। राज्यश्री निःसन्तान थी। हर्षवर्धन ने ६ साल तक विजय-यात्रा की। गुप्तवंश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का बाल-सखा था। अतः गुप्तों की ओर से उसका विरोध नहीं हुआ। प्रागज्योतिष (असम) का राजा भास्करवर्मा हर्षवर्धन का मित्र हो गया। हर्षवर्धन ने बल्लभ के शासक मैत्रकवशीय ध्रुवसेन द्वितीय को हराया। फिर उससे मैत्री कर ली और अपनी पुत्री भी उसको व्याह दी।

वाण भट्ट : वाण भट्ट ने 'हर्षचरित' में हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है। वाण की कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य में अनुपम स्थान रखती है। कन्नौज शहर का विस्तार पाच मील लम्बे और सवा मील चौड़े में था। ह्युएन्त्सांग इस समय आया था। कन्नौज में बौद्धों के १०० विहार थे और उनमें दस हजार भिक्षु रहते थे। हिन्दू मन्दिर दो मी के लगभग थे।

चालुक्य वंश . पुनकेशी द्वितीय : नर्मदा के दक्षिण में चालुक्य वगी पुलकेशी द्वितीय का शासन था। इसकी राजधानी वातापी (वादासी-बीजापुर) थी। पुलकेशी ने पल्लववगी महेंद्रवर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य-विस्तार किया था। चोल, पाण्ड्य और केरल राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करते थे।

हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बीच अनेको युद्ध हुए। हर्षवर्धन उनमें सफल नहीं हुआ। नर्मदा के दक्षिण में उसका राज्य नहीं फैल सका। हर्षवर्धन प्रयाग के मगध पर हर पाचवें साल एक बड़ा मेला लगवाता था जिसमें वह विपुल धनराशि दान करता था। हर्ष ने कन्नौज में एक महामभा का आह्वान किया था। इसमें राजा महाराजाओं के अतिरिक्त चार हजार बौद्ध भिक्षु और तीन हजार पौराणिक पंडित सम्मिलित हुए थे।

ह्यूएत्सांग यह चीनी यात्री हंपवधन के समय में आया था। १४ साल बाद जब स्वयं चोटा तप यह अपने साथ जनेक मूर्तियां तथा बुद्ध अस्थ्यावशेषों के अतिरिक्त ६५७ मस्तूत के ग्रंथ भी लाने गया था। उनकी सगृहीत सामग्री सियान नगर के समीप तायेन (कांगान-वाण) नामक विहार में आज भी विद्यमान है। ह्यूएत्सांग ने यहां रहकर भारत में लाने हुए ग्रंथों का ३० साल तक चीनी में अनुवाद किया। उसकी समाधि इस विहार में बुद्ध मीन दूर है। इस महायात्री ने १२८ देशों की सीमाओं को पार किया और हजारों ग्रंथों का अनुवाद किया। ह्यूएत्सांग के समय कन्नौज यानेवर कण सुवर्ण आदि नगर समृद्ध देशों में थे। उस समय जमींदारी प्रथा का आरम्भ हो गया था। वेतन के बन्ने जागीरों देने की प्रथा का प्रचलन हो चुका था। ह्यूएत्सांग नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र रह चुका था। उस समय वहां दस हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। वहां का एक स्मारक भी मजिनी थी। विद्यार्थियों के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्थी का कक्ष अलग अलग था। परन्तु एक भी भवन था जहां दस हजार छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। द्वार पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। द्वार पण्डित की परीक्षा बड़ी कठिनी थी। २०३ प्रतिशत ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने थे। गिना विभाग भारत वस्त्र सब निराल्क थे।

अलतमश (१२११-१२३६ ई०) : यह कुतुबुद्दीन एबक का दामाद था। यह उत्तरी भारत का स्वामी हो गया। नाजुक समय में इसने दिल्ली के सुल्तान की रक्षा की।

रजिया बेगम (१२३६-१२३६ ई०) : यह अलतमश की लडकी थी। यह दिल्ली की मुस्लिम स्त्री शासिका थी।

खिलजी वंश (१२६०-१३२० ई०)

अलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१३१० ई०) . यह अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ हुआ। दक्षिण भारत को पहली बार हिन्दू से मुस्लिम बने इसके सेनापति मलिक काफूर ने विजय किया। मलिक काफूर हिन्दू था और इसकी गिनती सप्ताह के सबसे बड़े विजेताओं में की जा सकती है। दक्षिण भारत को लूटकर मलिक काफूर १३११ ई० में दिल्ली लौटा। अलाउद्दीन ने राजपूताना में रणथम्भोर को जीतने के बाद चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वह मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को चाहता था। १३१३ ई० में जब उसने चित्तौड़ जीता, तो वहाँ उसको एक भी स्त्री नहीं मिली। यह चित्तौड़ का 'पहला साका' के नाम से प्रसिद्ध है। रानी पद्मिनी ने एक हजार वीरागनाओं के साथ जौहर-व्रत किया था—चित्तौड़ में कूद कर भस्म हो गई थी।

अलाउद्दीनखिलजी को पहला लौकिक राजा कहा जाता है। इसने सेना, वित्त और प्रशासन में अनेक सुधार किये। काजियों को नियन्त्रण में रखा। वह हृदयहीन था। अतः प्रजा का प्रेम नहीं प्राप्त कर सका। इसके मरते ही खिलजी-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

तुगलक वंश (१३२०-१४१४ ई०)

मोहम्मद तुगलक (१३२०-१३५१ ई०) गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना, मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। उसको 'बुद्धिमान पागल' बादशाह कहा जाता है। यह दक्षिण विजय के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद (देवगिरि) ले गया। दिल्ली उजड़ गई। युद्धों का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताम्बे के सिक्के चलाये। लोग नकली ताम्बे के सिक्के न बना सके, इसका कोई उपाय यह न कर सका। अतः इसकी योजना निष्फल हो गई। बाद में ताम्बे के सिक्के बन्द कर दिये। लोगों ने जाली ताम्बे के सिक्कों के बदले राज्य से सोना-चादी लिया। राजकोष खाली हो गया। इस पर इसने क्रोध बढ़ाया। किसानों को कुचला। किसान खेत छोड़कर जंगलों में भाग गये। आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। फलतः जगह-जगह विद्रोह हो गये।

१३३६ ई० में विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर-साम्राज्य ने दक्षिण भारत से तुर्क राज्य को समाप्त कर दिया।

फिरोजशाह (१३५०-१३८८) : मोहम्मद तुगलक के बाद उमका चचेरा भाई फिरोजशाह तुगलक गद्दी पर बैठा। यह उदार और दयालु था। इसने अनेक विद्यालय और अस्पताल खोले। खेती को बढ़ाया, नहरें, कुएँ तथा पुल बनवाये। जमुना की नहर इसने ही बनवाई। भोजनालय खोले जहाँ गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। किसानों पर कर हल्का किया। लेकिन यह कट्टर मुसलमान था। धर्मान्ध होने से इसने काफ़िरो, गैर-मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए अनेकों उपाय बरते। राजिया कर कठोरता से वसूल किया।

शास्त्रण का हममें मुक्त नहीं रक्त यय । तुंगनक साम्राज्य म हो रहे विद्रोहा का शात बनेने म य मवथा अगमय रहा । हमके वाट के गासक दुवन थ । दिसम्बर १४३८ म समूरलेग न शिना को तूना और करन आम किया । हमने राय न किया और नोट गया ।

लोगन यग (१४५१ १५२६ ई०)

हम वा का पहना गामक बहलोन लोनी था । हमके वाट सिक्कर लोनी (१४८६ १५१७ ई) हुआ ।

इब्राहीम लोदी (१५१७ १५२६ ई) यह सिक्कर लोदी का लडका था । इसको बाबर न पानीपत क पहन सघाम म हराया । लोनी राज-वग का १५२६ ई० म अन्त हा गया ।

मुगल यग (१५२६ १८५७ ई०)

बाबर (१५२६ १५३० ई०) बाबर ने मगल राजवग की स्थापना की । पानीपत गानवा और पाघरा की नडा-या जीनीं और मगल-साम्राज्य की भारत म स्थापना की । पाना और राजपूत का हराया । यह प्रकृति का प्रमी था । तुर्की म इसन अपना आत्म चरित लिगा है ।

अंग्रेज-काल

भारत के गवर्नर-जनरल (१७७४-१८५८ ई०) :

क्लाइव वगाल के शासन का १७५७-६० ई० और १७६५-६७ ई० दो बार प्रमुख बना। १७५७ ई० में इसने सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी की लड़ाई में क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज्य का स्थापक बना दिया। १७६५ ई० में वगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वास्ते प्राप्त करके कम्पनी को शासक बना दिया। कम्पनी इसके कारण लगान वसूल करने और न्याय प्रदान करने का कार्य करने लगी। इसने कम्पनी का शासन सुधारा।

वारेन हेस्टिंग (१७७४-१७८५ ई०) : यह भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर-जनरल था। वगाल और अवध इसने ब्रिटिश शासन में ले लिए। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोका। निजाम को अपने साथ मिलाया। वारेन हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश राज्य को दृढ़ किया।

लार्ड डलहौजी (१८४८-१८५६ ई०) : दूसरे सिख-युद्ध (१८४८-४९) के कारण इसने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। दूसरे बर्मा-युद्ध (१८५२-५३) के फलस्वरूप दक्षिणी बर्मा ब्रिटिश भारत में मिला लिया। सतारा, सम्बलपुर, भासी, नागपुर, जैतपुर के राज्य समाप्त कर दिए। क्योंकि इनके शासक निःसन्तान मर गए थे। रेलवे लाइन बनानी प्रारम्भ की। तार की लाइनें लगवाईं। सारे भारत में डाक-तार घर खोले। सड़को, पुलों और नहरों की मरम्मत की। इजीनियरिंग स्कूल चलाये। पुरानी इमारतों की रक्षा की। विज्ञान, वन-विज्ञान को प्रोत्साहन दिया तथा वाणिज्य-उद्योग और खान-शास्त्र की उन्नति की।

लार्ड केनिंग (१८५६-५८ ई०) ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के लिए पहला भारतीय स्वाधीनता सग्राम इसके समय में हुआ।

१८५७ की राज्य-क्रांति

१८५७ के राज्य-विप्लव होने के अनेक कारण थे (१) जनता विदेशी शासन से घृणा करती थी और असन्तुष्ट थी। (२) निःसन्तान मरे राजाओं के राज्य समाप्त कर दिए गए थे। (३) ईसाई धर्म के प्रचार से लोग भयभीत हो गए थे। अंग्रेजी सैनिक और भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अन्तर था। (४) भूमि का लगान बहुत बढ़ा दिया गया था। (५) कारतूसों में चर्बी मिलाई गई थी।

घटनायें :

एमफील्ड राइफलों की कारतूसों में चर्बी मिली होने का सिपाही मगल पाडे ने विरोध किया। १३ मार्च, १८५७ को वैरकपुर (कलकत्ता) में उसका कोर्ट-मार्शल किया गया। (२) ९ मई, १८५७ को मेरठ में विप्लव भड़का। दिल्ली, कानपुर, भासी, आगरा, ग्वालियर और लखनऊ भी इसके केन्द्र हुए। (३) जून १८५८ में विप्लव कुचल दिया गया। भासी की रानी लक्ष्मीबाई लडती हुई रण-क्षेत्र में मारी गईं। वीर कुवर्सिंह, तात्या टोपे, नाना फडनवीस, अवध की बेगम आदि इस विप्लव के नेता थे। विप्लव दक्षिण में

समिन्नाह तक फना था। पश्चिमी विहार में पूर्वी बंगाल तक का क्षेत्र पूर्णतः रंगी
 "याप्त रहा।

विफलता व कारण

१८५७ का विद्रोह विफल रहा। क्योंकि (१) अग्रजों का पागल अहंकार समाप्त
 था। भारतीयों की अपेक्षा अग्रज अधिक साधन सम्पन्न थे। (२) अग्रजों और आम जन
 के अधिकतर अग्रजों का साथ न था। (३) अग्रजों ने अग्रजों का साथ नहीं किया। (४) अग्रजों
 की गद्दी पर बने मुगल बादशाह बंगालुराह हुए व्यक्ति थे।

परिणाम

भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। कम्पनी का शासन
 समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल शासन का प्रभुत्व वापस रहा जो भारतीय विद्रोहों के
 सम्बंध में वायसरॉय कहलाया। वायसरॉय शासकीय शक्ति को धरतले लाता था।

भारत के वायसरॉय

लॉर्ड कैनिंग (१८५८-१८६२ ई०) १८५८ की विद्रोहों के कारण भारत
 के गवर्नर जनरल को ही वायसरॉय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में ब्रिटिश शासन का
 पुनर्गठन किया। इसने समझौता और मेल मित्रता का नीति चलाया।

लॉर्ड रिपन (१८८०-८४) इंडस्ट्रियल युग का पहला उदारवादी था। अंग्रेजों
 भारतीय आकांक्षाओं को जगाया और उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। भाषाई
 समाचार पत्र कानून (ब्लैकियुटर प्रेस एक्ट) पसंद नहीं किया। स्वायत्त शासन कानून (वीन
 सल्फ गवर्नमेंट एक्ट) बनाया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने की कोशिश
 की। पहली मजदूरी की रक्षा के नियम फक्टरी कानून बनाया। अनवरत बिल द्वारा वायसरॉयों
 में विद्यमान वण भेद दूर किया।

लॉर्ड कर्जन (१८६६-१९०५) (१) सीमाप्रायतः पसंद आगे पट्टी की सेना को पीछे
 लौटाया। कर्नायली एक्टों की रक्षा के नियम कर्नायली सेना एक्टों की। उसके पीछे ब्रिटिश
 सना रहा। (२) पश्चिम में ब्रिटिश हिंदो की रक्षा की। (३) तिब्बत को हराया और
 तिब्बत की परराष्ट्र नीति का चानक अग्रजों को बनाया। (४) १६५ में पंजाब में एनि
 नियमन एक्ट बनाया। उसके द्वारा महारानी और सुदखोरा के लिए विस्तार की जमीन
 बना बंदिन कर लिया गया। (५) यूनिवर्सिटी एक्ट १६४ बना कर पसंद सानेट में नामजद
 सदस्यों का बहुमत कर दिया। विश्वविद्यालय सरकारी नियंत्रण में पसंद रीति से जा गए।
 (६) १६५ में इसने बंगाल को विभक्त किया—पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल व असम।
 बंग भंग के विरोध में तूफानी आंदोलन हुआ फलतः १६११ में बह रद्द कर लिया
 गया।

लॉर्ड मिंटो (१६५-१६१०) उसके काल में राजनीतिक अशांति रही। मार्ने
 मिंटो शासन सुधार और पश्चिमी बंगाल एक्ट १६६ भारतीयों को सत्सुप्त नहीं कर
 सके। मुसलमानों के लिए अंग्रेज पृथक् निर्वाचन प्रणाली मान्य की। इस प्रकार पाकिस्तान के
 निर्माण का बीज बोया।

लार्ड हार्डिंग (१९१०-१९१६) : इसके समय में दिसम्बर १९११ में दिल्ली में दरवार किया गया। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक किया गया। दंग-भग रद्द किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। लार्ड हार्डिंग पर बम फेका गया था। क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस ने बम फेका था, यह माना जाता है। प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया।

लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६-१९२०) • युद्ध-प्रयत्नों को सफल बनाया। माटेग्यू-चेम्सफोर्ड शासन सुधार या इण्डिया एक्ट १९१९ बनवाया। रॉलट एक्ट, मार्शल लॉ—और असहयोग आन्दोलन इसके काल की मुख्य एटनाये हैं। दिल्ली से हिन्दी का पहला दैनिक 'विजय' १९१८ में प्रकाशित हुआ।

लार्ड रीडिंग (१९२१-२६) : इसके काल में प्रिंस आफ वेल्स की भारत यात्रा का महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहिष्कार किया। गांधीजी का न्यायालयों, धारासभाओं, स्कूलों, कालेजों और ब्रिटिश माल के चतुःसूत्री बहिष्कार का कार्यक्रम चला। सविनय कानून-भंग आन्दोलन को यह समझने में असमर्थ रहा।

लार्ड इरविन (१९२६-३०) १९२७-२८ में साइमन कमीशन भारत में आया। इसका बहिष्कार किया गया। लाहौर कांग्रेस (३१ दिसम्बर, १९२९) ने अपना ध्येय भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। नमक कानून-भंग के साथ सामूहिक कानून-भंग आन्दोलन (अप्रैल १९३०) को गांधीजी ने दाड़ी में नमक कानून-भंग करके प्रारम्भ किया। मार्च १९३१ में गांधी-इरविन पैक्ट होने पर यह आन्दोलन समाप्त हुआ। प्रथम गोलमेज कांग्रेस १९३० में लन्दन में हुई।

लार्ड विलिंगटन (१९३१-१९३६) : १९३१ में दूसरी गोलमेज कांग्रेस लन्दन में हुई। महात्मा गांधी इसमें उपस्थित हुए। रैम्जे मैकडॉनेल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की। साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधीजी ने आमरण अनशन किया। पूना-पैक्ट बना। १९३१ में तीसरी गोलमेज कांग्रेस हुई। कांग्रेस अवैध घोषित की गई। १९३४ के अन्त में केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। बिहार और क्वेटा में भारी भूकम्प आया। बम्बई कांग्रेस (१९३४) के सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद हुए। इन्होंने महात्मा मालवीय जी के विरोध पर भी साम्प्रदायिक निर्णय को महात्मा गांधी के परामर्श पर 'न स्वीकार किया और न अस्वीकार किया।'

लार्ड लिनलिथगो (१९३६-४३) • इण्डिया एक्ट, १९३५ प्रान्तों में लागू किया गया। इसके अनुसार चुनाव होने पर आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। दूसरा महा-युद्ध छिड़ा। १९३९ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिया। मार्च, १९४२ में "क्रिप्स मिशन" भारत आया। वैधानिक सुधारों की वार्ता विफल रही। कांग्रेस ने बम्बई में (८ अगस्त १९४२) "भारत छोड़ो" आन्दोलन का सूत्रपात किया। इसका ब्रिटिश दमन बड़ा उग्र रहा, गांवों पर बम गिराये गए।

लार्ड वेवेल (१९४३-४७) • मजदूर दल की सरकार के तीन मंत्री भारत आये और उन्होंने कैबिनेट मिशन शासन-योजना पेश की। १९ दिसम्बर, १९४६ को सविधान परिषद् की पहली बैठक हुई। सविधान परिषद् के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद चुने गए। मुस्लिम लीग

ने इसका बहिष्कार किया। मुसलमानों की मांग थी कि अण्ड भारत छोड़ने से पहले भारत को विभक्त कर दें। लान बिने म आजान हिंद फौज के तीन जारलो पर मुकदमा चलाया गया। अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई (सितम्बर १९४६)।

लाड लुई माउण्टबेटन (१३ मार्च १९४७ से १४ अगस्त १९४७) भारत विभाजन की ३ जून की घोषणा यह कहकर की गई कि भारत में हो रहे साम्प्रदायिक दंगा को दान्त करने का एवमान यही (ब्रिटिश) उपाय है। मुसलमानों को इस प्रकार प्रयत्न किया गया। हिन्दुओं ने उस समय विभाजन स्वीकार करके भारी दुःखता और अदूरर्गिता का परिचय दिया। १५ जुलाई १९४७ को इण्डिया इण्डिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया। १५ अगस्त १९४७ को भारत इण्डिया (भारत) और पाकिस्तान में विभक्त किया गया।

भारत संघ के बधानिक गवर्नर-जनरल

लाड लुई माउण्टबेटन — १५ अगस्त १९४७ से २ जून १९४८।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी — २१ जून १९४८ से २५ जनवरी १९५०।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति

१ डा० राज प्रसाद — २६ जनवरी १९५० से १९६२ तक।

२ डा० सवर्पली राधाकृष्णन् — मई १९६२ से अप्रैल १९६७ तक।

३ डा० जाकिर हुसेन — अप्रैल १९६७ से

भारत की लोकप्रिय साइकिल

हीरो

निर्माता हीरो साइकिल इण्डस्ट्रीज
जी० टी० रोड, लुधियाना

भारत : जन-सांख्यिकीय विवरण

१९६१ ई० में जन-गणना सिविकम समेत सम्पूर्ण भारत की हुई। पाकिस्तान और चीन द्वारा बलात् अधिकृत जम्मू-काश्मीर का भाग ही इससे बचा रहा। गोवा की जनगणना पुर्तगाल ने १५ दिसम्बर, १९६० ई० को की थी। उसको भारत के जन-गणना विभाग ने स्वीकार कर लिया।

भू-क्षेत्र और जनसंख्या : विश्व के भू-क्षेत्र का भारत केवल २४ प्रतिशत है, किन्तु भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का १४.६ प्रतिशत है। भारत से केवल चीन की ही जनसंख्या अधिक है। उसकी जनसंख्या का अनुमान ५८ करोड़ २२ लाख किया गया था। इस दशक (१९५१-६१ ई०) में भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष २२ प्रतिशत बढ़ी। पश्चिमी देशों की तुलना में हमारी जनसंख्या अभी तरुण और किशोर है, क्योंकि कुल आबादी का ४० प्रतिशत १४ साल से कम आयु का है।

पुरुष और स्त्री : भारत में स्त्रियों की संख्या से पुरुषों की संख्या अधिक है। स्त्रियों की संख्या प्रति दस वर्ष में कम हो रही है। किन्तु बड़ी उमर के वर्ग में स्त्रियों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से अधिक है। ७० साल की आयु के ८६० लाख व्यक्ति हैं। इनमें ४१७ लाख पुरुष हैं और ४४३ लाख स्त्रियाँ हैं।

दो बड़े शहर भारत के दो सबसे बड़े शहर, कलकत्ता और बम्बई हैं। एक पूर्वी भारत में है, दूसरा पश्चिमी भारत में। वृहत्तर बम्बई एक निगम के आधीन है। लेकिन वृहत्तर कलकत्ता नहीं।

	क्षेत्रफल	जनसंख्या
वृहत्तर बम्बई	१८६ वर्गमील	४१ लाख
वृहत्तर कलकत्ता	१७० वर्गमील	६० लाख
कलकत्ता निगम क्षेत्र	४० वर्गमील	२९ लाख
	कलकत्ता	बम्बई
जनसंख्या की घनता (प्रति वर्गमील)	७३१.८२	२२३.२३
साक्षरता का प्रमाण (प्रति हजार)	५.९३	५.८६
प्रति हजार स्त्रियों की संख्या	६१२	६६३
एक दशक (१९५१-६१) के मध्य जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत	८.५	३.८७

धार्मिक दृष्टि से जन गणना

धार्मिक दृष्टि से जन गणना को देखा जाय तो पात होगा कि हिन्दुओं की गणना भारत के स्वाधीन होने के बाद भी ब्रिटिश शासन के समान घट रही है। १९५० में प्रति हजार हिन्दु ८५० थे किन्तु दस साल बाद १९६१ में ८४० रह गये। यह विचित्र तुलना हमें अत्यन्त ध्यान देने योग्य है।

प्रति हजार जन, धर्म की दृष्टि से

	१९५१	१९६१
हिन्दु	८५०	८४०
मुस्लिम	६६	१०२
ईसाई	३	२४
मिरा	१७	१८

हिन्दुओं की संख्या कम होने के कारण दो रहे। (१) हरिजन वर्ग में सामूहिक रूप में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। (२) पाकिस्तान से बड़ी संख्या में मुस्लिम आए। (३) ईसाई मिशनरियों के प्रचार से ईसाई भी बने। घट केवल हिन्दु।

जन और सिख प्रवास प्रिय है। आर्थिक कारणों से ये दाना वर्ग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रवृत्ति के हैं।

हरिजनों का बौद्ध धर्म ग्रहण करना एक ऐतिहासिक घटना है। १९५१ में भारत में बौद्ध १८ ८२३ व १९६१ में बढ़कर ३२५ २२८ हो गए। कुल जनसंख्या में बौद्धों का प्रतिशत १९५१ में ०.५ था जो १९६१ में ७२ हो गया। महाराष्ट्र विभाजन के बाद भी हरिजनों ने हिन्दु धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रभाव था किन्तु पर यह तक पया कि बड़ा १९५७ के चुनाव में हरिजनों के लिए लोकसभा की दो सीटों का बंटन एक ही सीट रह गई। जागरण का निर्वाचन क्षेत्र सामान्य हो गया। इसके कारण हिन्दुओं की संख्या घटा।

मुस्लिम वृद्धि मसलमानों की संख्या १९६१ में ४६६ २६ ५५७ हो गई। उनकी वृद्धि २५ ६१ प्रतिशत के हिसाब से हुई जबकि सारे देश की आबादी २१ प्रतिशत के हिसाब से हो गई। भारत में १९५१ में मसलमानों की कुल संख्या ५४ १४ २८४ थी।

भारत के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों में वृद्धि इस प्रकार हुई ईसाई २३ ३ लाख मिरा १८ ३ लाख और जट ४ १ लाख।

हिन्दु धर्म के अनुयायी वर्ग देश में सर्वाधिक हैं। दस साल की अवधि में १९५१ से १९६१ तक हिन्दुओं की संख्या में ६२६२७ ४०४ की वृद्धि हुई। प्रतिशत प्रमाण हिन्दुओं का घट गया। १९५१ में उनकी कुल संख्या ०३ ५७५ थी। १९६१ में यह बढ़ कर ६६ ५ २ ० से अधिक हो गई। इसका अर्थ यह है कि हिन्दुओं की जनसंख्या २ २६ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी।

ईसाई—इनकी जनसंख्या ८३,२२,००० से बढ़ कर १,०७,२६,००० हो गई। वृद्धि का प्रतिशत २७.३८ रहा। इसमें मुख्य योगदान ईसाई मिशनरियों के धर्म-प्रचार का रहा।

बौद्ध—यह भी बढ़े। १९५१-६१ के मध्य इनकी वृद्धि ७९६ प्रतिशत के हिसाब से हुई। १९५१ में इनकी कुल संख्या १८१ लाख थी। १९६१ में यह ३२५ लाख हो गयी।

जैन—१९५१ में जैनों की कुल संख्या १६१८ लाख थी। १९६१ में जैन २०.२७ लाख गिने गए। इनकी जनसंख्या में वृद्धि २५.१७ प्रतिशत हुई।

सिख—१९५१ की जन-गणना में सिखों की संख्या ६२१९ लाख थी। परन्तु १९६१ में यह बढ़कर ७८४५ लाख पर पहुँच गई। सिख २५.१३ प्रतिशत बढ़े।

शहरी आबादी—दस लाख से अधिक आबादी के शहरों की संख्या सात है। ये इस प्रकार हैं—

शहर	जनसंख्या
१ बृहत्तर बम्बई	४१५ लाख
२ कलकत्ता	२९३ लाख
३ दिल्ली-शाहदरा, नई दिल्ली, छावनी समेत	२३५ लाख
४ मद्रास	१७२ लाख
५ हैदराबाद	१२५ लाख
६ बंगलौर	१२.०६ लाख
७ अहमदाबाद	१२.०६ लाख

घनता की दृष्टि से कलकत्ता और बम्बई के बाद मद्रास का तीसरा स्थान है। देश में प्रति वर्गमील घनता १९५१ में २१२ थी। १९६१ में यह २७० हो गई।

दिल्ली के शहरी क्षेत्र (पुरानी दिल्ली) व सदर, पहाडगज मोहल्लो में घनता प्रति वर्गमील १,४३,१८५ जन की है। करौलवाग तथा पटेलनगर की घनता ७८,१९५ है। दिल्ली के ये दोनों इलाके दुनिया की सघनतम बस्तियों का मुकाबला करते हैं। इस दृष्टि से दिल्ली का सघनता में पहला स्थान रहेगा।

एक दशक के भीतर असम की जनसंख्या ११४६० प्रतिशत बढ़ी और उड़ीसा की ८७६२ प्रतिशत। विहार का इन दोनों के बाद स्थान है। इसकी जनसंख्या ४९०८ प्रतिशत बढ़ी। इसी दशक में मध्य प्रदेश की ४७७६ प्रतिशत और केरल की ४२४४ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी।

स्त्री-पुरुष का अनुपात—१९५१ में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या ९४० थी। १९६१ में ९४१ हो गयी। यह अनुपात सर्वत्र एक समान नहीं है। तटवर्ती प्रदेश और २२ अश देशांश के नीचे भी स्त्रियों की संख्या कम है।

साक्षरता—साक्षरता की कसौटी जन-गणना में यह रखी गई थी कि जो लिखना और पढ़ना जाने, उमको साक्षर माना जाय। १९५१ में साक्षर १६६ प्रतिशत थे और १९६१ में २४० प्रतिशत। दिल्ली, केरल, अण्डमान, गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र में

साक्षरता का प्रतिशत अधिक रहा। काश्मीर हिमाचल प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रतिशत कम है।

पुरण-साक्षरों की तुलना में स्त्री साक्षरों की संख्या बहुत कम है। परन्तु तदवर्ती प्रवेश में स्त्री-साक्षरों का प्रमाण अधिक है।

शहरी आबादी—१९६१ में ४३ करोड़ आबादी गिनी गई। इसमें से ८२.१० प्रतिशत देहाती में और १७.९९ प्रतिशत शहरों में थी। १९५१ में यह प्रमाण प्रतिशत ८२.७२ और १७.२८ था। शहरी और देहाती आबादी का नियम निश्चित कसौटी पर परीक्षा करने के बाद किया गया है। उस पर भी शहरी आबादी ६१.८७ लाख से बढ़कर १९६१ में ७७.८४ लाख हो गई। यह वृद्धि २४.२५ प्रतिशत हुई। एक लाख की आबादी के अब भारत में १० शहर हैं।

१९५१-६१ के मध्य शहरों में स्त्रियों की संख्या में कमी आई है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण मद्रास मसूर और केरल राज्य और राज्यस्थान में प्रति हजार पुरुषों के पीछे ९०० स्त्रियाँ हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत के शहरों में सामाजिक विकास के अन्तर का सूचक है।

१९०१-१९६१ के मध्य भारत की जनसंख्या में प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष	जन	प्रतिशत
१९०१	२३ ६२ ८१ २४३	
१९११	२५ २१ २२ ४१०	+ ५.७८
१९२१	२५ १३ ५२ २४१	+ ०.२१
१९५१	२७ ९० १५ ४९८	+ ११.१
१९४१	३१ ८७ १ ०१२	+ १४.२३
१९५१	६ ११ २९ ६२२	+ १३.३१
१९६१	४३ ९२ ५५ ८२	+ २१.५

के-प्रमाणित प्रदोनों में जलसह्यता या यष्टि क्रम

	१९११	१९२१	१९३१	१९४१	१९५१
४ ए १ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
५ ए २ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
६ ए ३ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
७ ए ४ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
८ ए ५ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
९ ए ६ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
१० ए ७ (विशेष) भार इलाहाबाद	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९
गणेश	१९६९	२६६९	२९६९	३९६९	५३६९

नोट — १ एला १९५१ भाग से बार जनगणना की गई। जलम की जनसह्यता म इसकी जनसह्यता सम्मिलित है।
 २ घोषा दमा वीव की जनगणना १९६९ ए पुनर्गणना अधिनियम १९५१ की मान लिया गया है।
 ३ एला १९५१ की पुनर्गणना गणना है। एला १९५१ की पुनर्गणना एला १९५१ की मान लिया गया है।
 ४ एला १९५१ की पुनर्गणना गणना है। एला १९५१ की पुनर्गणना गणना से हिसाब लगाकर निवासी गई है। १९५१
 और एला १९५१ की जनसह्यता १९५१ और १९५१ की आबादी का गणितानुक्रमक एला से हिसाब लगाकर निवासी गई है। १९५१
 और एला १९५१ की जनसह्यता १९५१ और १९५१ की आबादी का गणितानुक्रमक एला से हिसाब लगाकर निवासी गई है। १९५१
 और एला १९५१ की जनसह्यता १९५१ और १९५१ की आबादी का गणितानुक्रमक एला से हिसाब लगाकर निवासी गई है। १९५१

राज्यो व प्रदेशो के क्षेत्रफल और उनकी जनसख्या और आबादी की घनता मे क्या कोई सम्बन्ध है, इसका उत्तर नीचे तालिका मे दिया गया है .

तालिका—२

क्षेत्रफल, जनसंख्या और आबादी की घनता : १९६१

	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर मे)	जनसख्या	आबादी की घनता
भारत	३,२६८,०८०.६२	४,३६,०७२,५८२	१३८ ^२
राज्य			
आन्ध्रप्रदेश	२७५,२४३ ४१	३५,६८३,४४७	१३१
असम ^३	२०३,३६८ ३७	१२,२०६,६३०	६०
बिहार	१७४,००७ ७६	४६,४५५,६१०	२६७
गुजरात	१८७,०६२ ०५	२०,६३३,३५०	११०
जम्मू-कश्मीर	२२२,८६६ ७८	३,५६०,६७६	२२६२
केरल	३८,८६७ ५६	१६,६०३,७१५	४३५
मध्य प्रदेश	४४३,४५८ ०३	३२,३७२,४०८	७३
मद्रास	१२६,६६५ ५१	३३,६८६,६५३	२५६
महाराष्ट्र	३०७,२६८ ३३	३६,५५३,७१८	१२६
मैसूर	१६१,७५६ ०७	२३,५८६,७७२	१२३
नागालैण्ड	१६,४८७ ८४	३६६,२००	२२
उड़ीसा	१५५,८५६ २१	१७,५४८,८४६	११३
पंजाब और हरियाणा	१२२,००६ ५७	२०,३०६,८१२	१६६
राजस्थान	३४२,२६६ ४३	२०,१५५,६०२	५६
उत्तर प्रदेश	२६४,३६५ ०८	७३,७४६,४०१	२५१
प० वंगाल	८७,६७५ ६१	३४,६२६,२७६	३६८
संघीय प्रदेश			
अण्डमान व निकोबार			
द्वीप-समूह	८,२६२ ७३	६३,५४८	८
दादर व नगर हवेली	४८८ ६६	५७,६६३	११६
दिल्ली	१,४८३ ०५	२,६८५,६१२	१७६३
गोआ, दमन व दीव	३,७३३ ०७	६२६,६६७	१६८
हिमाचल प्रदेश	२८,१६४ ६०	१,३५१,१४४	४८
लकादीव, मिनिक्ॉय व अमनदीव द्वीप-समूह	२७ ८७	२४,१०८	८६५
मणिपुर	२२,३४५ ६६	७८०,०३७	३५
पाण्डिचेरी	४७२ ६१	३६६,०७६	७८१
त्रिपुरा	१०,४५० ६३	१,१४२,००५	१०६

१. जनवरी १९६५ के भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार । महाराष्ट्र और आन्ध्र का क्षेत्रफल लगभग दिया गया है ।

२. प्रति किलोमीटर जनसख्या का हिसाब जनगणना-कृत क्षेत्र तक सीमित है ।

३. नेफा के ८१४२५ ०६ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और जनसख्या—३३६,५५८ समेत ।

भारतीय जनगणना १९६१ आकड़े

भारत - जनसंख्या	४ ३६ २३४ ७७१	प्रति वगमील घनता	३७०
पुरुष	२ २६ २६३ २०१	जावाल गावा की सख्या	५६७ १६६
स्त्री	२ १२ ९४१ ५७०	गर आवाल गावा की सख्या	५४ ८६१
देगती आवाली	३ ६० २६८ १६८	कस्वा की सख्या	२६६०
गहरी आवाली	७८ ६३६ ६०३	मत्यु प्रमाण	१६५१
क्षेत्रफल	१ १७८ ६६५ वगमीन	(प्रति हजार)	२७४
गहरा आवाली (प्रतिगत)	१८	जम प्रमाण	
दगता आवाली (प्रतिगत)	८२०	(प्रति हजार)	४० ६
प्रति १० पुण्या पर		स्त्री आवादी (प्रतिगत)	४८ ६
स्त्रिया	६४१	साक्षरता प्रमाण	
आवाली म प्रतिगत वृद्धि		सामाय (प्रतिगत)	१६ ६
(१९५१-६१)	२१ ५१	पुरुष (प्रतिगत)	२४ ६
		स्त्री (प्रतिगत)	७ ६
		जीवनागा (सामाय	३२
		प्रति हजार)	४५

मुख्य ६ घमों के अनुयायी

(१९६१)

सिख	३ ६६ ५२६ ८६६	सिख	७ ८४५ ६१५
मुगलमान	४६ ६४ ७६६	बौद्ध	३ २५६ ०३६
समाई	१ ७२८ ०६	जन	२ ०२७ २८१

१९५१-६१ के मध्य राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत

आंध्र	१५ ७	महाराष्ट्र	२३ ६
अगम	४५	मसूर	२१ ६
बिहार	१६ ८	उडुपी	१६ ८
पुडुचरी	२६ ६	नागालण्ड	१४ १
उत्तराखण्ड	६४	पनाब और हरियाणा	२२ ६
कर्नाट	२४ ८	राजस्थान	२६ २
मध्य प्रदेश	२४ २	उत्तर प्रदेश	१६ ७
मणिपुर	११ ६	प वंगाल	३२ ८

केन्द्र शासित प्रदेश

अण्डमान-निकोबार	१०५ २	सिक्किम	१७ ३
दिल्ली	५२ ४	दादर व नागर हवेली	३६ ६
हिमाचल प्रदेश	२१ ८	गोवा, दमन व दीव	१.७
मणिपुर	३५ ०	पाडीचेरी	१६ ३
लकादीव, मिनीकाँय व अमीनदीव	१४ ०	त्रिपुरा	७८.७

देहाती और शहरी जनसंख्या : (१९५१-६१)

(कुल आबादी का प्रतिशत)

	देहात	शहर	देहात	शहर
१९२१	८८.६	११ ४	१९५१	८२.७
१९३१	८७ ६	१२.१	१९६१	८२ २
१९४१	८६ १	१३ ६		१७ ८

मुख्य भाषा-भाषियों की संख्या १९६१

कुल संख्या (लाखों में)

प्रतिशत

हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी व पंजाबी	१४६६ ०	४२ ०
तेलुगू	३३० ०	६ २
मराठी	२७० ०	७ ६
तामिल	२६५ ०	७ ४
बंगला	२५१ ०	७ ०
गुजराती	१६३ ०	४.६
कन्नड	१४५ ०	४ १
मलयालम	१३४ ०	३.८
उडिया	१३२ ०	३ ७
असमिया	५० ०	१.४

जन्म के समय जीवनाशा : प्रतिशत

	पुरुष	स्त्री
१९०१-११	२२ ६	२३ ३
१९११-२१	१६ ४	२० ६
१९२१-३१	२६ ६	२६ ६
१९३१-४१	३२ १	३१ ४
१९४१-५१	३२ ५	३१ ७
१९५१ सामान्यजीवनाशा	४५ प्रतिशत	

प्रति हजार पीछे वार्षिक जन्म-मृत्यु-प्रमाण

	जन्म	मृत्यु
१९०१-११	५१ ३	४३ १
१९११-२१	४६ २	४८ ६
१९२१-३१	४६ ४	३६.३
१९३१-४१	४५ २	३१ २
१९४१-५१	३६ ६	२७ ४
१९५१-६१	४०.०	१८.०

मैसूर	७४,२१०	३१८	२३,५८७	२६,३७७	२,९७२	२३०
उडीसा	६०,१६४	२९२	१७,५४८,८४६	४६,४६६	५,६५९	६२
पुजाब और हरियाणा	४७,२०५	४३०	२०,३०६,८१२	२१,२६९	१,४६८	१८७
राजस्थान	१३२,१५२	१५३	२०,१५५,६०२	३२,२४०	२,२८८	१४५
उत्तर प्रदेश	११३,६५४	६४९	७३,७४६,४०१	११२,६२४	१२,७२०	२७५
प० बंगाल	३३,८२९	१,०३२	३४,९२६,२७९	३८,५३०	३,५९०	१८४
नागालैण्ड	६,३६६	५८	३३९,२००	८१४	१४	३

केन्द्रशासित प्रदेश

अण्डमान-निकोबार (द्वीप)	३,२१५	२०	६३,५४८	३९९	१३	१
दिल्ली	५५३	४,६४०	२,६५८,६१२	२७६	२३	३
हिमाचल प्रदेश	१०,८८५	१२४	१,३५१,१४४	१०,४३८	१,१६९	१३
लकादिव, मिनीकाय	११	२,१९२	२४,१०८	१०	९	—
और अमीनदीव (द्वीप)	११	९०	७८०,०३७	१,८६६	४२	१
मणिपुर	८,६२८	२८३	१,१४२,००५	४,९३२	३५४	६
त्रिपुरा	१८९	३०७	५७,९६३	७२	—	—
दादर, नागर हवेली	१,४२६	४४०	६२६,६६७	—	—	—
गोवा, दमन व दीव	१८५	१,९९५	३६९,०७५	३८८	—	५
पाडीचेरी	२,७४४	५९	१६२,१८९	४६०	५९	१
सिक्किम	३१,४३८	११	३३६,५५८	२,४५१	—	—

शहरों या कस्बों का १९१६ में किया वर्गीकरण

१९६१ की जनगणना में कस्बों का ६ वर्गों में इस प्रकार वर्गीकरण किया गया —

वर्ग	जनसंख्या	संख्या	वर्ग	जनसंख्या	संख्या
१	१००,००० या अधिक	१०७	४	१०,०००-१६,६६६	८१७
२	५०,०००-९९,९९९	१४१	५	५,०००-९,९९९	८४४
३	२०,०००-४९,९९९	५१५	६	५,००० से कम	२६६

कुल शहर या कस्बे २,६६०

हरिजनों और आदिम-जातियों की राज्यवार व संघीय प्रदेशवार संख्या

	हरिजन वर्ग	आदिम जातियाँ
भारत	६४,५११,३१३	२९,८०३,४७०
राज्य		
आंध्र प्रदेश	४,६७३,६१६	१,३२४,३६८
असम	७३२,७५६	२,०६८,३६४
बिहार	३,५३६,८७५	४,२०४,७७०
गुजरात	१,३६७,२५५	२,७५४,४४६
जम्मू-कश्मीर	२६८,५३०	—
केरल	१,४२२,०५७	२०७,६६६
मध्य प्रदेश	४,२५३,०२४	६,६७८,४१०
मद्रास	६,०७२,५३६	२५२,६४६
महाराष्ट्र	२,२२६,६१४	३६७,१५६
मैसूर	३,११७,२३२	१६२,०६६
नागालैण्ड	१२६	३४३,६६७
उड़ीसा	२,७६३,८५८	४,२२३,७५७
हरियाणा और पंजाब	४,१३६,१०६	१४,१३२
राजस्थान	३,३५६,६४०	२,३०६,४४७
उत्तर प्रदेश	१५,४१७,२४५	—
पश्चिमी बंगाल	६,६५०,७२६	२,०६३,८८३
प्रदेश		
अण्डमान-निकोबार (द्वीप)	—	१४,१२२
दादर व नगर हवेली	१,१८४	५१,२६१
दिल्ली	३४१,५५५	—

	हरिजन धर्म	आदिम जातियाँ
हिमाचल प्रदेश	३६६ ६१६	१०८ १६६
उत्तराखण्ड मिनीराय व अमीनगढ़ (द्वीप)	—	२३ ३६१
मणिपुर	१३ ३७६	२४६ ०४६
नगालैण्ड	—	५ ०४२
पारसीवरी	५६ ८६१	—
गिरिवात	७ २००	३७ १७०
त्रिपुरा	११६ ७२५	३६० ०७०

पुल जनसंख्या में छ मुख्य धर्मावलम्बियों का प्रतिशत

	१९५१	१९६१		१९५१	१९६१
बौद्ध	५	० ७४	हिन्दू	८४ ६८	८३ ५
ईसाई	२ ३५	२ ४४	मुसलमान	६ ६१	१० ७
जैन	४५	० ४६	सिख	१ ७४	१ ७६
			अन्य	० ५२	० ३७

उड़ीसा

कटक	१४६,३०८
हरकोला	६०,२८७
पुरी	६०,८१५
वरहामपुर	७६,६३१
भुवनेश्वर	३८,२११
पंजाब और हरियाणा	
अमृतसर	३६८,०४७
जालन्धर	२६५,०३०
लुधियाना	२४४,०३२
अम्बाला	१८१,७४७
पटियाला	१२५,३३४
चण्डीगढ	६६,२६२
फिरोजपुर	६७,६३२
रोहतक	८८,१६३
जगाधरी	८४,३३७
करनाल	७२,१०६
हिसार	१५४,५०८
शिमला	११२,६५५
लाहौल-स्पीति	२०,४५३
प० बंगाल	
कलकत्ता (कापॉरिशन)	२,६२७,२८६
हावडा	५१२,५६८
आसनसोल	१६८,६८६
खडगपुर	१४७,२५३
द० दमदम	१११,२८४
कमरहाटी	१२५,४५७
वर्दवान	१०८,२२४
पनिहाटी	६३,७४६
श्रीरामपुर	६१,५२१
हुगली चिनसुरा	८३,१०४
टीटागढ	७६,४२६
पांडीचेरी	
पांडीचेरी	४०,४२१
कारीकल	२२,२५२
जम्मू-कश्मीर	
श्रीनगर	२६५,०८४

जम्मू	१०२,७३८
अनन्तनाग	२१,०८७
वारामूला	१६,८५४
केरल	
कोचीन-अरनाकुलम्	३१३,०३०
त्रिवेन्द्रम्	३०२,२१४
कालीकट	२४८,५४८
अलेप्पी	१३८,८३४
क्वीलोन	६१,०१८
पालाघाट	७७,६२०
त्रिचुर	५२,६८५
मध्य प्रदेश	
इन्दौर	३६४,६४१
जबलपुर	३६७,०१४
ग्वालियर	३००,५८७
भोपाल	२२२,६४८
उज्जैन	१४४,१६१
रायपुर	१३६,७६२
दुर्ग (भिलाई सहित)	१३३,२३०
सागर	१०४,६७६
विलासपुर	८६,७०६
बुरहानपुर	८२,०६०
मद्रास	
मद्रास	१७,२६,१४१
मदुराई	४२४,८१०
कोयम्बतूर	२८६,३०५
तिरुचिरापल्ली	२४६,८६२
सलेम	२४६,१४५
पलायमकोट्टई	१६०,०४८
तूतीकोरन	१२७,३५६
काचीपुरम्	६२,७१४
वेल्लौर	१२२,७६१
कुम्भकोणम्	६६,७४६
महाराष्ट्र	
वृहत्तर बम्बई	४,१५२,०५६
पूना	७३७,४२६

बोट	स्टाफ	हिन्दू	जन	मुसलमान	सिख	इतर धर्म	धर्म नहीं बताया
उत्तर प्रान्त	१०१६११	६२४ ७३१६	१२२१०८	१ ७८८ ८६	२८३७३७	४१४	२ ३
गंगा	२ ४४३०	२७४२३३४८	२६६४	६६८४२८७	३४१८४	३८६१	१११७
राज्य प्रान्त							
अवध प्रान्त	१७६७३	३२७८१	३	७३६८	२४१	३४४४	१
बंगाल-प्रान्त	७६६	४६४७६	१२०	४४३	—	२३	—
बिहार	२६२६६	२२३४४६७	२६४६४	१४४४४३	२०३६१६	२८४	३१
गोवा दमन व दीव	१८६	४८३७८	६८	१४६००	—	२१३	१७
हिमाचल प्रदेश	४३०८	१३१००१६	६४	२४६१६	८४३७	७२	२
मध्य प्रदेश							
अमरावती प्रदेश	४६	२६३	—	२३७८६	—	—	—
मणिपुर	१४२ ४३	४८१११२	७७८	४८४८८	४२३	—	६६६६८
गोवा-प्रेसिडी	३३६४६	३११२२३	७६	२३४७	१४	३२४	—
त्रिपुरा	१००३६	८६७६६८	१६४	२३०००२	४६	४	२

नोट —

- (१) देखा जे उस भाग के आँकड़े असम में सम्मिलित नहीं किये गए हैं जहाँ पूर्णतः नहीं की गई। सम्मिलित भाग के आँकड़े हैं बोट ४ ८०६ ईसाई १७१३ हिन्दू २४ ४६६ जन १४ मुसलमान १० ८ सिख ७४४ इतर धर्म १ ७८४ तथा धर्म न बताये जाते २०३३।
- (२) बाहर व नगर क्षेत्रों के आँकड़े १६६२ के हैं।
- (३) गोवा दमन व दीव के आँकड़े १६६० के हैं।

जन्म-मृत्यु का प्रति हजार प्रमाण—क्षेत्रीय स्थिति

१९५१-६१ के मध्य राज्यो मे सर्वोच्च जन्म-प्रमाण असम (४९३) मे और निम्नतम मद्रास मे (३४९) रहा । मृत्यु-प्रमाण भी असम मे सर्वोच्च (२६९) और निम्नतम (१६१) केरल मे रहा । स्वाभाविक रीति से सर्वोच्च वृद्धि पजाव, हरियाणा (२५८) और निम्नतम वृद्धि मद्रास (१२४) मे हुई । नीचे की तालिका मे जन्म-मृत्यु का प्रमाण क्षेत्रवार दिया गया है —

क्षेत्र	राज्य	आनुमानिक	
		जन्म-प्रमाण (प्रति हजार)	मृत्यु-प्रमाण
उत्तरी	पजाव, हरियाणा और राजस्थान	४३६	१९०
मध्य	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	४२०	२४४
पूर्वी	असम, बिहार, उड़ीसा और प० वगाल	४३३	२३९
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैसूर	३८५	२२३
पश्चिमी	गुजरात और महाराष्ट्र	४२८	२१४

स्वाभाविक वृद्धि का सर्वोच्च प्रमाण (२४६) उत्तरी भारत मे और निम्नतम प्रमाण (१६३) दक्षिणी भारत मे रहा ।

नवीन उपलब्ध सामग्री से ज्ञात होता है कि अभी जन्म-अनुपात लगभग ४०, मृत्यु का अनुपात १६—१८ और शिशु-मृत्यु का अनुपात १२५—१४० है ।

प्रति दशक के भीतर स्त्री और पुरुष की जीवनाशा मे क्या अन्तर आया, यह निम्न तालिका मे दिखाया गया है

जीवनाशा : प्रतिदशक स्थिति

दशक	जन्म के समय जीवन की आशा	
	पुरुष	स्त्री
१८८९-१९००	२३.६३	२३.९६
१९०१-१९१०	२२.५९	२३.३१
१९११-१९२०	१९.४२ ^१	२०.९० ^१
१९२१-१९३०	२६.९१	२६.५६
१९३१-१९४०	३२.०९	३१.४७ ^१
१९४१-१९५०	३३.४५ ^१	३१.६६ [*]
१९५१-१९६०	४१.९० ^१	४०.६०

*गैर-सरकारी आकड़े

प्रथम महायुद्ध के बाद फैले युद्ध-ज्वर या इनफ्लुएजा का प्रभाव १९११ से १९३० तक रहा । भारत मे स्वाधीनता के बाद जीवनाशा मे तेजी से वृद्धि हुई । परन्तु स्त्रियों की जीवनाशा पुरुषो के मुकाबले घट गई है । १९२० तक स्त्रियों की जीवनाशा पुरुषो की अपेक्षा अधिक थी ।

जीवनाशा (१९५१-६०) क्षेत्रीय स्थिति

क्षेत्र	जन्म के समय जीवन श्रेणी	
	पुरुष	स्त्री
उत्तरी	४६६	४४६
मध्य	३६८	८८
पूर्वी	३६८	४०१
दक्षिणी	४११	३६२
पश्चिमी	४४२	४२५

स्त्रियों की जीवनाशा और पुरुषों की जीवनाशा में भारी अन्तर है जो उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक है। केवल पूर्वी क्षेत्र में स्त्रियों की जीवनाशा पुरुषों में अधिक है। पश्चिमी क्षेत्र में यह अधिक है पर अन्तर मामूली है। इस अन्तर का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पटना अनिवाद्य है।

आयु वर्ग (१९६१)

विभिन्न आयु वर्ग में कुल जनसंख्या का वित्तन प्रतिशत है यह निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है —

	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या की प्रतिशत
शिशु और छोटे बच्चे	से ४	११
बच्चे-सड़किया	५ से १४	२६
तरुण और तरुणी	१५ से २४	१६७
	२५ से ३४	१५४
वयस्क (मध्य आयु वर्ग)		
स्त्री पुरुष	५ से ४४	११
वयोवृद्ध	४५ से ५४	८
	५५ से ६४	४८
	६५ से ७४	२१
	७५ और उसमें अधिक	१
	योग—	१

हमें एक बात पान होगी कि ४१ प्रतिशत जनता का पालन-पोषण करने और उसे शिक्षा देकर योग्य बनाने की भारी जिम्मेदारी हम देश के अभिभावकों पर है। दूसरी बात यह कि ५१ प्रतिशत ही उम्र करण और जाविबोपाजन की स्थिति में हैं। इनके कठोर श्रम पर ही सम्पूर्ण समाज और देश का सुखी जीवन निर्भर है।

१९०१ से १९६१ के मध्य स्त्री-पुरुष के अनुपात में आया राज्यवार अन्तर
(प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या)

	१९०१	१९११	१९२१	१९३१	१९४१	१९५१	१९६१
भारत	९७२	९६४	९५५	९५०	९४५	९४६	९४१
आंध्र प्रदेश	९८५	९९२	९९३	९८७	९८०	९८६	९८१
असम	९३३	९२७	९०८	८८६	८८६	८७७	८७६
बिहार	१०५४	१०४४	१०१६	९९४	९९६	९९०	९९४
गुजरात	९५४	९४६	९४४	९४५	९४१	९५२	९४०
जम्मू काश्मीर	८८२	८७६	८७०	८६५	८६९	८७३	८७८
केरल	१००४	१००८	१०११	१०२२	१०२७	१०२७	१०२२
मध्य प्रदेश	९९०	९८६	९७४	९७३	९७०	९६७	९५३
मद्रास	१०४४	१०४२	१०२९	१०२७	१०१२	१००७	९९२
महाराष्ट्र	९७८	९६६	९५०	९४७	९४९	९४१	९३६
मैसूर	९८३	९८१	९६९	९६५	९६०	९६६	९५९
नागालैण्ड	९७३	९९३	९९२	९९७	१०२१	९९९	९३३
उड़ीसा	१०३७	१०५६	१०८६	१०६७	१०५३	१०२२	१००१
पंजाब एवं हरियाणा	८४८	८०७	८२१	८३०	८५०	८५८	८६४
राजस्थान	९०५	९०८	८९६	९०७	९०६	९२१	९०८
उत्तर प्रदेश	९३७	९१५	९०९	९०४	९०७	९१०	९०९
प० बंगाल	९४५	९२५	९०५	८९०	८५२	८६५	८७८
संघीय प्रदेश							
अण्डमान-निकोबार द्वीप	३१८	३५२	२०३	४९५	५७४	६२५	६१७
दादर, नगर हवेली	९६०	९६७	९४०	९११	९२५	९४६	९६३
दिल्ली	८६२	७९३	७३३	७२२	७१५	९६८	७८५
गोवा, दमन व दीव	१०८५	११०३	११२२	१०८८	१०८३	११२८	१०७१
हिमाचल-प्रदेश	८८५	९०४	९०२	९०६	८९७	९१५	९२३
लकादीव, मिनीकाय,							
अमीनी दीप द्वीप	१०६३	९८७	१०२७	९९४	१०१८	१०४३	१०२०
मणिपुर	१०३७	१०२९	१०४१	१०६५	१०५५	१०३६	१०१५
पांडीचेरी	—	१०५८	१०५३	—	—	१०३०	१०१३
त्रिपुरा	८७४	८८५	८८५	८८५	८८६	९०४	९३२

नोट—१ भारत में पांडीचेरी सम्मिलित नहीं है।

२ अमम में नेफा सम्मिलित नहीं है। क्योंकि १९६० से पहले वहां जनगणना ही नहीं हुई थी।

३ जम्मू-काश्मीर के १९५१ के आकड़े १९४१-१९६१ की जनगणना के आधार पर तैयार किये गये हैं।

४. पांडीचेरी की १९४२ की जनगणना को १९५० की जनगणना माना गया है।

आयु और विवाहित अवस्था (हजारों में) १९६१

सामाजिक ढांचा

भारत की कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या और उनमें विवाहित अविवाहित विधुर विधवा विधुर विधवा है
यह निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है —

आयु-वर्ग (वर्ष)	कुल जनसंख्या		अविवाहित		विवाहित		विधुर		विधवा		विवाह विच्छेद		अवगिनत स्त्रियाँ		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
सब आयुओं के	४३८६३७	२२६१४६	२१२७६१	११६६८४	६०	८८	६७१४१	६८४८४	८३४१	२३०२४	८८२	१०८	६८	१०८	—
०-६	७३	७७७	६४११४	६१२६२	६४४१४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१-१४	४६३	२६२७४	२३०३२	२४४७६	१८४२८	१७३४	४४२६	१६	०	१६	२६	२	१८	१८	१८
१५-१९	३१८८३	१८४६६	१७२८६	१४१६	४४	४४	४३२६	१२	२४	४४	६१	४१	१११	१४	१३
२०-२४	३७३३३	१८१६६	१६१२४	७६७८	११४३	६६३७	१७४४८	१६४	२६८	१६४	१३०	११	११	१४	१४

२५-२६	३६५८२	१८५३२	१८०५०	३२८३	३४१	१४७७२	१६६६८	३१०	५२२	१५८	१७५	१४
३०-३४	३०८४२	१५६८८	१४८५४	१२३६	१५४	१४१८८	१३५८१	४१६	६५४	१३४	१५४	११
३५-३६	२५४६४	१३६०४	११८६०	६२५	८८	१२३६६	१०३२०	५००	१३२२	१०४	१२२	८
४०-४४	२२८६०	१२०८२	१०७७४	४७३	६७	१०७८६	८३६७	७२३	२२२७	८६	१०६	७
४५-४६	१८०५६	६७३६	८३२३	३२०	४२	८५४३	५८०३	८०३	२४००	६६	७३	५
५०-५४	१७१११	६१३१	७६८०	२६४	३७	७६४५	४२४६	११३०	३६२६	५८	६०	५
५५-५६	६८३२	५२८६	४५४६	१५५	१६	४२७३	२२११	८२१	२२८६	३०	३०	३
६०-६४	११२४०	५७०७	५५३३	१६५	२३	४२६१	१६२७	१२४६	३८५२	३२	१८	३
६५-६६	४३५२	२४७३	२३७६	७०	१०	१७४७	६४७	६४०	१७०६	१५	१२	१
७०	८६२०	४१७७	४४४३	११८	१८	२५२५	६५७	१५०८	३७५०	२४	१६	२

आयु न बताये
वाले

१७६ ६५ ८१ ६६ ५८ ५८ २२ १६ २ ५ १ ३ २

इससे ज्ञात होगा कि बाल-विवाह का, ६ साल से कम आयु में विवाह का अन्त हो गया है। अतः बाल-विधवाएँ नहीं हैं। यह १९६१ की जनगणना की विशेषता है। बाल-विवाह जैसे भयकर सामाजिक रोग से देश आधिक रूप से मुक्त हुआ है। लेकिन विवाह-वय १८ (स्त्री) — २५ (पुरुष) वर्ष पर नहीं पहुँचा है। १०-१४ वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुष क्रमशः ४४२६ हजार और १७३४ हजार विवाहित हैं। इस आयु-वर्ग के विधुरों की संख्या १६००० और विधवाओं की संख्या ३०००० है। इससे प्रकट है कि पूर्णतः बाल-विवाह का अन्त नहीं हुआ है और देश में किशोरी विधवाओं की संख्या काफी है। भारत में वैवाहिक जीवन का औसत काल २५ वर्ष माना जा सकता है। २० से ४४ वर्ष के वय-वर्ग के विधुरों और विधवाओं की संख्या को देखकर सहज में यह अनुमान किया जा सकता है।

एक और बात दिखाई देगी कि ४१ गान की आयु ५ वार का विवाहित स्त्रियों की संख्या बराबर घटती जा रही है। ७० और उससे अधिक आयु की विवाहित स्त्रियों की संख्या ६५७ हजार है जबकि पुरुषों की २,२२५ हजार है। विधुर और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ७० वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं की संख्या ३७५ हजार है जबकि विधुरों की संख्या १,५०८ हजार है। इस अंतर का पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का कोई उपाय नहीं है।

१९५१ की तुलना में १९६१ तक ६ मुख्य धर्मोपनिषदों की प्रतिगणना में वृद्धि यह निम्न तालिका में बताया गया है

१९५१ और १९६१ में मुख्य धर्मों के मानने वालों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत

धार्मिक वर्ग	१९५१		१९६१		प्रतिशत वृद्धि १९५१-१९६१
	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
बौद्ध	१८ ८२	१	३२२६ ६	७४	१६७ ७१
हिन्दू	८ ६२ ३८	७२.१	१ ७२८ ८६	२ ६४	२७ ३८
जैन	३५,७५,४७४	८६.६८	६६,४७,६८६	८२.५०	२ २६
बौद्ध	१६१८६०६	०.४१	२ २७,५८१	६६	२१ १७
मुसलमान	१,६१,४५,८४	६.६१	६६,६६,७६६	१०.७०	२१ ६१
गिरी	६२१६१ ६	१.७६	७ ६,६१,१	१.७६	२१ १५
अन्य	१८४८ ४	५.२	१६११६ ५	७	-१ ०१
योग	६१,०८८ ६०	१०	६ ६७,४७,७१	१	२१ ११

मुख्य धर्मों में व्यक्तिगत धर्मों के मानने वालों का संख्या घटा है जहाँ ६ मुख्य धर्मों के मानने वालों का संख्या बढ़ा है। हिन्दु धर्मियों का संख्या कम रहा है और धर्मों के संख्या बढ़ा है जिस प्रमाण में बढ़ा है उस प्रमाण में भी नहीं बढ़ा है। राष्ट्रीय दृष्टि से यह संख्या बढ़ा है। यह कि धर्मों पर संख्या कम है। धर्मोपनिषदों के संख्या घटा है। अन्य धर्मियों का संख्या का घटना राष्ट्रीय दृष्टि में घटता है।

देहाती और शहरी आवादी

सिक्किम सहित भारत की ४३ ६२ करोड आवादी मे से ३६ ०७ करोड या ८२ प्रतिशत गाँवो मे रहती है। गहरो मे रहने वालो की मख्या ७ ८६ करोड या १८ प्रतिशत है। १६२१ से १६६१ के मध्य नगरीकरण बराबर हो रहा है यद्यपि इसकी गति मन्द है, यह निम्न तालिका से ज्ञात होगा

देहाती और शहरी आवादी १६२१-६१ के मध्य

कुल जनमख्या का प्रतिशत	१६२१	१६३१	१६४१	१६५१	१६६१
देहाती	८८ ८	८८ ०	८६ १	८२ ७	८२ ०
शहरी	११ २	१२ ०	१३ ६	१७ ३	१८ ०

१६६१ की जनगणना के अनुसार सिक्किम को छोडकर, भारत मे २६६६ शहर और ५६६८७८ गाँव है। राज्यवार इनका वितरण इस प्रकार है

शहरो का राज्यवार विवरण १६६१

नाम राज्य	१००००० और इससे अधिक	५०००० से	२०००० से	१०००० से	५००० से	५००० से कम	योग
भारत	१०७	१३६	५१८	८२०	८४७	२६८	२६६६
राज्य							
आंध्र प्रदेश	११	६	५१	७३	७२	७	२२३
असम	१	२	१०	१२	२४	११	६०
बिहार	७	७	३३	५२	४६	८	१५३
गुजरात	६	६	४३	५४	६०	६	१८१
जम्मू-काश्मीर	२	—	१	४	६	३०	४३

केरल	४	५	३१	३१	१८	१	१८२
मध्य प्रदेश	६	६	३५	१७	६८	१७	२१६
मनास	६	१६	६१	११६	६१	३६	३३६
महाराष्ट्र	१२	१५	४७	८६	८८	१५	७६६
मसूर	६	६	२४	८१	६४	७	७६
नागानण्ड	—	—	—	—	३	—	३
उड़ीसा	१	३	८	२२	२२	२१	६२
पंजाब हरियाणा	५	१७	३५	४०	५४	४	१८६
राजस्थान	६	४	२३	५२	५१	६	१४५
उत्तर प्रदेश	१७	१८	५६	८१	७६	१६	२६७
प० वंगाल	१२	१६	४६	४५	५	१२	१८४

मघ प्रदेशा म नगरो व शहरो का विवरण

नाम प्रदेश	१० और वससे अधिक	५०० से ६६६६६	२० स ४६६६६	१ स १६६६६	५ से ६६६६	५००० से कम योग
------------	-----------------	--------------	------------	-----------	-----------	----------------

जण्डमान निको वार द्वीप समूह	—	—	—	१	—	—	१
दिल्ली	२	—	१	—	—	—	३
गोवा दमन व दीऊ	—	—	१	१	४	७	१३
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	२	४	७	१३
मणिपुर	—	१	—	—	—	—	१
पाडीचेरी	—	—	२	१	२	—	५
त्रिपुरा	—	१	—	१	४	—	६

राज्य व प्रदेशवार गावों का विवरण

नाम राज्य	१०००० और उसमे ऊपर	५००० से	२००० से	१००० से	५०० से	५०० से	योग
भारत ^१	७७६	३४२१	२६५६५	६५३७७	१७६०८६	२५१६५०	५,६६,८७८ ^२
राज्य							
आंध्र प्रदेश	२८	४५८	३६१८	६०५०	५८३४	१,०७,६६	२,७०,८४
असम	—	१३	३६८	१,६६६	५,०४१	२,०६,६६	३,०१,५३ ^३
बिहार	४४	४४१	३३३६	७६३५	१,३७,८४	४,२४,२२	६,७६,६५
गुजरात	७	१४१	१,३३२	३,३०१	५,२६६	८,५०४	१,८५,८४
जम्मू काश्मीर	—	५	११४	५,२८	१,३२०	४,५६२	६,५५,६
केरल	५,१०	५,८७	३,६५	५७	१८	६	१,५७,३
मध्य प्रदेश	—	२८	७,८७	३,८११	१,२७,६५	५,२६,६३	७,०४,१४
मद्रास	६६	४,४६	३,५३६	४,७७१	३,२१६	२,०५,३	१,४१,४२
महाराष्ट्र	२६	३,०५	२,२१५	५,६५८	१,०२,३५	१,७१,०६	३,५८,५१
मैसूर	—	१,७२	१,४३२	३,७२३	६,४८१	१,४५,६६	२,६३,७७
नागालैण्ड	—	—	११	६५	१,५७	५,८१	८१४
उड़ीसा	—	१६	४,५२	२,५१३	७,३३४	३,६१,५१	४,६४,६६
पंजाब, हरियाणा	१२	१,४२	१,४४०	३,४७०	५,३३७	१,०८,६८	२,१२,६६
राजस्थान	—	६४	१,००३	२,६३६	६,५६६	२,१६,१२	३,२२,४१
उत्तर प्रदेश	२३	३,०८	३,७६५	१,२८०१	२,६०,१५	६,६६,८२	१,१२,६२४
प० वंगाल	२५	२,४४	२,१५६	५,२२४	८,५१४	२,२२,६१	३,८४,५४ ^३

१ मिक्किम विना ।

२ इसमे ३ ग्राम ऐसे हैं जिनके विवरण प्राप्त नहीं हैं ।

३ उन ११ ग्रामों विना जिनकी आवादी के अलग-अलग आकड़े नहीं मिलते ।

सघीय प्रयोग

अण्डमान निवोवार तीप	—	—	—	२	२०	३७७	३६६
दादर नागर हवेली	—	—	—	१८	७३	२८	७२
दिल्ली	—	—	४२	५६	६६	७६	२७६
गोवा दमन दीऊ	२	१३	८३	८०	४६	२१	२४५
हिमाचल प्रदेश	—	—	२	६४	२६६	१०१२६	१ ४३८४
नकाबिब मिन काय व अमीन दीव द्वीप	—	—	६	२	१	१	१०
मणिपुर	—	२	५१	१२६	२०	१८८७	१८६६
पानीचेरी	—	३	२१	६२	८६	२१३	३८८
त्रिपुरा	—	—	३१	१४२	५६६	४३६५	४६३२
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—

४ २७ ग्रामा मलित जो जावाद नदी है पर लोग जहा बिना घरा के पडे है ।

शुद्ध मसाला उपयोग मे लाइये
प्योर पैक प्रोडक्ट्स
का
दीपक मसाला
(छूण)
१३, रानी रासमणि रोड, कलकत्ता १३

भारत की शासन व्यवस्था

संविधान

भारत का वर्तमान संविधान २६ जनवरी १९५० से लागू हुआ। संविधान तैयार करने का कार्य संविधान निर्मात्री परिषद् ने २६ नवम्बर १९४६ में समाप्त किया। परिषद् का निर्माण १९४६ के चुनाव में बनी प्रान्तिक परिषदों द्वारा चुने गए सदस्यों और केन्द्रीय सभा (अमेम्बली) के सदस्यों द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने इससे अमहयोग किया। १९४६ का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इस दृष्टि से वर्तमान संविधान भारतीय जनता का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करता।

२६ जनवरी १९५० से प्रचलित संविधान द्वारा ही इस देश का शासन इस समय होता है। यह लिखित संविधान विश्व में सम्भवतः सबसे बड़ा है। इसमें ३९५ अनुच्छेद और ८ अनुसूचियाँ हैं।

संविधान ने देश का नाम 'इण्डिया' रखा है, भारत नहीं। भारत का उल्लेख मात्र है और वह भी 'तथाकथित' विशेषण के साथ। संयुक्त राष्ट्र में भी 'इण्डिया' नाम पजित किया गया है, भारत नहीं। यही बात सब अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं में है।

सघ राज्य

भारत सघ राज्य या 'यूनियन' है। संविधान का उद्देश्य और लक्ष्य भारत में मार्क्स-भौम सत्ता-सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है।

संविधान की भूमिका में सम्मन भारतीय जनता को निम्नांकित की प्राप्ति कराने का मकसद प्रकट किया गया है

न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

स्वतंत्रता—विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति तथा निष्ठा और पूजा की।

समानता—पद और अवसरों की समानता, सब में इस भावना को बढ़ाने का सकल्प।

बन्धुता—वैयक्तिक गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की मुनिश्चितता।

राज्य और प्रदेश

भारत सघ के निम्न राज्य हैं, इन सबका प्रमुख गवर्नर या राज्यपाल होता है

१ अमम, २ आँध्र प्रदेश, ३ उत्तर प्रदेश, ४ उड़ीसा, ५ केरल, ६ जम्मू-काश्मीर, ७ गुजरात, ८ नागालैंड, ९ पंजाब, १० प० वंगाल, ११ बिहार, १२ महाराष्ट्र, १३ मद्रास, १४ मध्यप्रदेश, १५ मैसूर, १६ राजस्थान और १७ हरियाणा।

सपीय प्रदेग हैं हिमाचल प्रदेश दिल्ली मणिपुर त्रिपुरा अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह लवादीव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समूह पाडीचेरी गोजा दमन जीर दाव दान्तर व नागर हवेली तथा चण्डीगढ ।

सविधान म सातवा सगोधन न होन तक (१९५६ के पूव) राय ४ वर्गो म (क ख ग घ) विभक्त थ । इनम से क म १ ख म ८ तथा ग म ६ राय और घ म १ क्षेत्र का उल्लेख था ।

रायो म विस्तार की दृष्टि स मध्य प्रदेश सबसे बडा है नागालड सबसे छोटा । जनसख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहना है और नागालड का अंतिम । जम्मू काश्मीर का प्रमुख भी अब रायपाज या गवनर कहा जाने गगा है । पहन वट सटर ए रियासत कहाता था ।

सविधान का महत्व—इम सविधान का महत्व निम्न विनोपताआ को लेकर है

१—यह सावभीम सत्ता-सम्पन्न गणराय की स्थापना करता है ।

२—साधारणत यह शासन की अकल्पना करता है परंतु सकट के समय यह गणावयवी (यूनिटरी) सरकार की व्यवस्था करता है ।

३—यह ससदीय (पालमेट्री) प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है अर्थात् राष्ट्रपति ध्वजमात्र है । शासन का प्रमुख लोकसभा क प्रति उत्तरदायी प्रधान मंत्री है ।

४—यह ऐहिक या तौकिक (सकयुनर) राय की स्थापना करता है ।

५—वयस्क मताधिकार का सूत्रपात करता है । २१ वष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर नारी न निवाचन म मत देने का अधिकारी है । उसने सकुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया है मद्यपि आन्विसिया और हरिजना के वास्ते १९७० तक सुरक्षित स्थान रक्ता गया है ।

(इगका महत्व समझन क लिए यह जानना आवश्यक है कि कण्डिया एकट १९१९ म कुन सख्या क कवन प्रतिगत को ही मताधिकार दिया था । कण्डिया एकट १९३५ म इगका बड़ाकर १० प्रतिगत कर दिया । इम सविधान ने ५० प्रतिगत को मताधिकार प्रदान किया है । १९७२ क आम चुनाव म लगभग २७ करोड मतगता भाग गेगे । कतन अधिक मतगता और किमा लोकनत्र राज्य म नहीं हैं । सोवियत रुम की ता क्तनी आवाजी भी नगी है ।)

६—इसके अन्तगन क म दो सभन है साक-सभा और राय-सभा ।

७—यह भारत क प्रत्येक नागरिक को मून अधिकार दता है ।

८—इमम राज्य-शासन के लिए निर्देशिका भी है ।

९—इमम कानून कण्डि-नों क निवाय और किमी वग का विनोपाधिकार न । दिया गया है ।

१०—यह स्वतंत्र जायतानिका का स्थापना करता है ।

११—यह पचासवा राज्य का स्थापना और उमका प्रोमाहन दन का निर्णय देता है ।

१२—भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को घोषित करता है। हिन्दी १९७५ के बाद से पूर्णतः राष्ट्रभाषा होगी। हिन्दी के साथ-साथ आवश्यकता रहने तक अंग्रेजी भी चलेगी।

१३—इसमें विभिन्न सेवाओं की भरती के लिए सघीय सेवा आयोग है।

१४—सविधान में सशोधन करने का उपबन्ध निहित है।

१५—इसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आंध्र और पंजाब में क्षेत्रीय समितियाँ हैं।

१६—इसके अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग (माइनरटी कमीशन) नियुक्त किया गया है।

अद्भुत मेल—भारत का सविधान विश्व भर में अद्भुत है। इसका ढाँचा सघीय है। परन्तु इसकी भावना एकावयवी (यूनिटरी) है।

संघीय तत्व—(क) सविधान लिखित है। केन्द्र और इकाइयों के बीच विषयों और अधिकार-क्षेत्र का स्पष्टता के साथ विभाजन किया गया है। सविधान का ठीक-ठीक अभिप्राय बताने के लिए, केन्द्र और राज्यों और राज्यों के भी पारस्परिक विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है।

एकावयवी तत्व—भारत के सविधान में एकावयवी (यूनिटरी) तत्व निश्चित रूप से समाहित है। १ सविधान में विभिन्न राज्यों का भी सविधान अन्तर्निहित है। २ राज्यों और सघीय प्रदेशों को समान दर्जा नहीं दिया गया है। ३ सारे देश में एक नागरिकता है, अमेरिका के समान दोहरी नहीं है। ४ न्यायपालिका एक है। अनेक अखिल भारतीय सेवाएँ हैं। ५ ऐसे विषयों की सूची पर्याप्त लम्बी है, जिनमें केन्द्र और राज्य, दोनों नियम बना सकते हैं। ६ अवशिष्ट अधिकार केन्द्र में निहित हैं। ७ राज्य सभा राज्य-सूची से समवर्ती विषयों में से किसी को भी केन्द्र को दे सकती है। जैसे, खाद्य दिया हुआ है। ८ राज्यों की सीमा का निर्धारण सघीय संसद कर सकती है। सकट के समय केन्द्र सारी शक्ति ले सकता है। ९ नियोजन का निर्णय केन्द्र करता है। राज्य वित्तीय सहायता पाने के लिए केन्द्र पर निर्भर है। १० कोई राज्य किसी दूसरे देश से सीधे किसी विषय पर बात नहीं कर सकता। सलेम में जापान की सहायता से इस्पात का कारखाना लगाने की बात इसी कारण खटाई में पड़ गई कि मद्रास राज्य सरकार ने जापान से बात केन्द्रीय सरकार के माध्यम से नहीं की थी। कलकत्ता की समस्या को हल करने के लिए तत्कालीन स्व० मुख्यमंत्री डा० विधानचन्द्र राय ने अपने यूरोप-प्रवास में विदेशी सरकारों से सहायता के लिए बात करनी चाही तो, केन्द्र द्वारा आपत्ति की गई और डा० राय को इससे टलना पड़ा। ११ कोई राज्य जो सघ में है, इससे अलग नहीं हो सकता।

मूल अधिकार

नागरिकों के कुछ अधिकार मूल या बुनियादी माने जाते हैं। व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए ये अपरिहार्य समझे जाते हैं। इनसे किसी शान्त और राजनिष्ठ नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। सविधान में ये मूल अधिकार दर्ज हैं। ये कानूनन प्राप्त किये जा सकते हैं। इनके भंग होने की अवस्था में, इनकी रक्षा के लिये न्यायालय से अपील की जा सकती है। सकट के समय इनका निषेध हो सकता है, अन्यथा नहीं।

धार्मिक स्वतन्त्रता—भारत का प्रत्येक नागरिक धार्मिक विश्वास रखने, उसका प्रचार करने और उसके अनुसार पूजा-पाठ करने व उत्सव मनाने में स्वतन्त्र है। यहाँ जो अपवाद है, उनका सम्बन्ध शान्ति, कानून एवं व्यवस्था तथा नीति की भी रक्षा से है। ये भग नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्ति या धर्म नग्नता, अश्लीलता का प्रचार नहीं कर सकता।

सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार—भारत की ४८ करोड़ की आबादी एक ही भाषा बोलने वाली नहीं है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी सब एक स्तर पर नहीं है। यहाँ विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं। अतः प्रत्येक समुदाय और वर्ग को अपनी भाषा बोलने, लिखने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक अपनी मान्यता के अनुसार शिक्षणालय भी खोल सकता है और उसको चला सकता है। गुजरात विश्वविद्यालय इसी कारण सबके लिए शिक्षा का माध्यम 'गुजराती' या 'हिन्दी' नहीं कर सका। एक मराठी-भाषी छात्र की अपील पर उसको अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मानना पड़ा। इस अधिकार का क्षेत्र और इसकी मर्यादा बहुत व्यापक है और विस्तृत है।

अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की कानून द्वारा सुरक्षा का अधिकार—प्राप्त अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा करने के लिए संविधान में अनेक उपाय निर्दिष्ट हैं। सरकार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे के अन्दर-अन्दर किसी दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख उपस्थित करना भी जरूरी है। न्यायालय में अपील करके गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। न्यायालय जब तक किसी को दण्डित न करे, कोई व्यक्ति अपराधी और दोषी नहीं माना जा सकता। संसद या विधान-सभाएँ यदि मूल अधिकारों का विरोधी और उसके विपरीत कोई कानून बनावे, तो वह न्यायालय द्वारा रद्द कराया जा सकता है।

राजकीय नीति के निर्धारक निर्देशक सिद्धान्त

भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कालिदास के शब्दों में इसको 'पितृ-राज्य' कहा जा सकता है। पितृ-राज्य का लक्षण है

विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि,
स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ॥

राज्य रोजमर्रा किस नीति से काम करे, यह निर्देशक तत्वों में बताया गया है। इनको किन्तु, कानूनन नहीं प्राप्त किया जा सकता। राज्यों से इतनी ही अपेक्षा और आशा की जाती है कि वे शक्ति भर इनके अनुसार कार्य करेंगे। जैसे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। इसके लक्ष्य १९६० तक प्राप्त हो जाने चाहिये थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। यही बात दारु-वन्दी की है।

राजकीय नीति के निर्धारक सिद्धान्त इस प्रकार हैं

१—सब नागरिकों (नर-नारियों) को आजीविका कमाने के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विश्वविद्यालय और विशिष्ट प्रौद्योगिक शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए। परन्तु इस सिद्धान्त की इस सीमा तक किसी ने अभी तक व्याख्या नहीं की है।

२—आर्थिक उत्पादना व साधना का स्वामित्व या मिश्रितता रूढ़ रूढ़ न हो जिससे उनका सबसे हित में उपयोग हो सके और सम्पत्ति सुरंगी भूत साधना व साधना में सम्पत्ति न हो जाय। सावजनिक क्षेत्र में मूल उपयोग की स्थापना का अधिकार गरीब तब्य में दिया जाना है।

३—शिक्षा प्राप्त करने व रोजगार पान का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। वकारी बुढ़ापा बीमारी और अपाहिज होने की अवस्था में सावजनिक साधना पाने का भी अधिकार है।

पृथक सुरक्षा मजानय की स्थापना करके इस दिना में काय प्रारम्भ किया गया है। बुढ़ापे में पान देने की बात भी चलाई गई है। परंतु बुढ़ापे का आरम्भ सावियन रूढ़ के समान ६ साल में नहीं बल्कि ७० और ८ वर्ष से माना गया है। जीवन-सुरक्षा की ओर अभी कदम उठाया गया है। सरकारी कमचारिया के स्वास्थ्य आरोग्य और जीवन रक्षा के लिये और कारखानों तथा खानों में काम करने वाले कमचारिया के लिए सातू जीवन रक्षा योजनाओं का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इनसे सामान्य जनता वंचित है।

४—राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिसमें रोगों को पुष्टिकर भाजन मिन उनका स्वास्थ्य उन्नत हो और उनका जीवन प्रतिमान ऊंचा हो।

मुरी पालन मत्स्य पालन साव मज्जी उपजाने और फनदार वृक्ष पान का अभियान और वन महोत्सव जादि इसी उद्देश्य की पूर्ति के परिचायक हैं।

५—वृषि तथा पशु पालन के नये तरीका को अपनाया जाय। गौ वध रोक जाय।

राजस्थान के मगानगर जिन में सोवियत रूढ़ की सहायता से चलाया जा रहा सरकारी मूरतगढ़ का फाम रूरी मिद्धात के अनुसार स्थापित हुआ है। रूढ़पुर का वृषि विभवविद्यालय भी इसी दिना में एक प्रयास है। पर गौ वध बढा है घना नहीं।

६—दस साल के अन्दर अन्दर १४ साल की आयु तक के सब बानका और बालिकाओं को निशुल्क और अनिवाय शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय। अठारह साल बीत जाने पर भी अभी यह एक अप्राप्त जाल्म ही बना हुआ है। दिल्ली में दसवी कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। जम्नू का मीर में सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क है पर अनिवाय नहीं। केरल में भी दसवी तक शिक्षा निशुल्क है। लेकिन यह स्फुट प्रयत्न हैं और आलम की आशिक पूर्ति हो करत हैं।

७—हरिजन और अय पिछने जातियो और दलित वर्ग को शिक्षित करने और उनकी आर्थिक दगा सुधारने का विधेय प्रयत्न किया जाय। इस दिना में सरकारी प्रयत्न बहुत किया गया है। परंतु हरिजन उतने से सतुष्ट नहीं हैं। इस काम में समाज की सहायता व सहयोग आवश्यक है। इस काय की देख भान व लिए एक अनग आयुक्त भी नियुक्त है। हरिजन भूमि चाहते हैं। पर सबको भूमि दी नहीं जा सकती। भूमि की भूख सरकार पूरी नहीं कर सकती।

८—नतीली वस्तुओं के उपयोग को रोक जाय। इस विषय में सरकार की नीति में एकवाक्यता नहा है और उसका इस विषय में सकल्प भी स्थिर है।

९—ग्राम पंचायतों का सघटन किया जाय जिससे जनता को शासन में अधिकाधिक

भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इस निर्देश का प्रथम प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन से बहुत उत्साह से पालन किया गया। पर इच्छित फल नहीं निकला। इसका कारण भारत की नौकरशाही और उसका अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह है। सरकार के किसी एक भी विभाग या अनुभाग का काम एकमात्र भारतीय भाषाओं में अभी तक नहीं हो सका है। आज भी उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को रखने का आग्रह किया जाता है। विदेशी डिग्रियों, विशेषतः ब्रिटिश, का विशेष आदर रहते हुए ग्राम पंचायतों की स्थापना से इच्छित फल प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि पंचायत गणराज्य या ग्राम-राज्य का स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकी, जिस ओर संविधान ने संकेत किया है।

१०—न्याय विभाग सर्वथा पृथक् और स्वतंत्र रखा जाय।

११—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति की नीति का अनुसरण किया जाय।

इस सिद्धान्त का पालन गलत रूप में किया गया और सैनिक शक्ति से भारत को दुर्बल रखा गया। शान्ति का मार्ग शक्ति और सामर्थ्य-वृद्धि की राह से गुजर कर जाता है। इसका विस्मरण कर दिया गया।

१२—ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की रक्षा की जाय।

दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत इसी के अनुसार सरकारी पैसे से कराई गई। किन्तु सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार में सरकार ने कुछ भी खर्च नहीं किया।

१३—समान काम की समान उजरत, भृत्ति और वेतन दिया जाय।

१४—मानव-श्रम (कार्य) की अवस्थाओं को इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाय जिससे प्रत्येक को आराम का पूर्ण अवसर मिले तथा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के भरपूर अवसर सुलभ हों।

१५—सार्वजनिक आरोग्य और स्वास्थ्य की अभिवृद्धि की जाय।

१६—कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी निर्देश दिया गया है।

मूल अधिकारों और इन नीति निर्धारक निर्देशों में अन्तर इतना ही है कि सरकार को नीति-निर्देशों का पालन करने के लिए जनता कानूनन या अदालत की सहायता से बाध्य नहीं कर सकती। सरकार इनका पालन करने के लिए प्रतिवाधित नहीं है। इसके विपरीत मूल अधिकार न्यायालय की सहायता से सरकार से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नागरिकता भारत में उत्पन्न, भारतीय माता-पिता से उत्पन्न तथा संविधान के लागू होने से पहले पाँच वर्ष तक निरन्तर भारत में रहने वाला भारत का नागरिक हो सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह उस देश का नागरिक नहीं माना जायगा। १९ जुलाई १९४८ से पहले के पाकिस्तान से आये व्यक्ति भारत के नागरिक माने गए हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान गए व्यक्ति जो भारतीय अधिकारी से स्थायी 'परमिट' पाकर भारत लौट आये हैं, वे भी भारत के नागरिक माने गए हैं। १९ जुलाई १९४८ के बाद भारत में आये लोग पंजीयन कर भारत के नागरिक बनाये गये हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहाँ के भारतीय दूतावासों में अपने नाम पंजित कराकर भारत के नागरिक हो सकते हैं।

नागरिकता अधिनियम १९५५ (सिटीजनशिप एक्ट १९५५) बनाया गया है जो एक सभ्यता अधिनियम के द्वारा संविधान के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने नागरिकता व अधिकार संचित करने आदि के विषय में नियम बना लिए गए हैं। नागरिकता की अहता और अनहता पानता और अपानता विषयक बातें भी स्पष्ट कर दी गई हैं।

केन्द्र

संघीय सरकार या यूनियन गवर्नमेंट ही केंद्रीय सरकार कहती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल एतका सम्मिलित और समुच्चय रूप ही केंद्रीय सरकार से अभिहित होता है। यही भारत सरकार है जो देश की सर्वोच्च शासक शक्ति है। संघ सरकार से १७ राज्य सम्बद्ध हैं और १ संघीय प्रदेशों पर उसका सीधा शासन है। राष्ट्रपति

सम्पूर्ण राज्य का वास्तविक राष्ट्रपति या प्रेजिडेण्ट के नाम से होता है। राष्ट्रपति नावभौम सत्ता-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक भारत गणराज्य का प्रमुख है। संघ राज्य की शक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में निहित है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है चुनाव समस्त संसद और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से होता है। चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल सन्नमणीय मत द्वारा होता है। इस प्रणाली के कारण कम जायदादी के राज्यों की शक्ति कायम की गयी है। भारत का राष्ट्रपति बड़ी ही शक्तिशाली है जो भारत का नागरिक हो लोक सभा का सदस्य होने की शक्ति रखता हो और ५ साल की आयु से कम का न हो। साथ ही वह भारत सरकार या अन्य किसी राज्य में लाभकारी सरकारी पद पर न होना चाहिए। राज्य के राज्यपाल मंत्रिमण्डल और उपराष्ट्रपति के पद लाभकारी नहीं माने जाते। राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुना जाता है। वह दूसरी बार भी उम्मीदवार हो सकता है।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में निवास करता है। उसका किराया नहीं देना होता। उसका मासिक वेतन २५ हजार (१० रु) रुपये है। इनके सिवाय उसको अन्य अन्य भत्ता मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर वह १५ रु मासिक जीवनवृत्ति और छाटा सा वायानय एगन का एक पान का अधिकारी है।

राष्ट्रपति के अधिकार

संविधान की रक्षा करने या इसके विपरीत कार्य करने पर संसद के मन्त्राभियोग द्वारा राष्ट्रपति पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन पहले विधानी चानि तथा एक पर उम मन्त्र के कम से कम एक चौथाई संसद के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव जिस सदन में स्वीकृत होगा उससे भिन्न सदन आरोपों और अभियागों की जान करेगा। यदि अभियागों की जांच करने वाला सदन दो तिहाई मत से उसको ठीक पाये तो राष्ट्रपति को पदच्युत कर लिया जायगा।

वायवास्तिक सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों सर्वोच्च वायवास्तिक और उच्च वायवास्तिक व मुख्य वायवास्तिक वायवास्तिक संघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) के सदस्य महावायवास्तिक (एटर्नी-जनरल) केला नियंत्रक

और महानेखा-परीक्षक, महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) की और सभी राजनय-सम्बन्धी नियुक्तिया करता है। भारत की समस्त सशस्त्र सेना का वह सर्वोच्च सेनापति है। सघीय क्षेत्रों पर मुख्यायुक्त (चीफ कमिश्नर) की मारफत शासन करता है। मुख्यायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही लोक-सभा में बहुसंख्यक सदस्यों के दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और उसको मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। मन्त्रिगण प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रमाद पर्यन्त ही अपना पद रखते हैं।

विधि-विधानात्मक अधिकार—राष्ट्रपति ससद के सम्मुख भाषण दे सकता है। उसको सन्देश भेज सकता है। वह जिन विषयों पर ससद द्वारा विचार करना आवश्यक समझता है, उनके सम्बन्ध में सन्देश भेज सकता है। वह सदन को आमन्त्रित करता है, उस को स्थगित करता है और लोक-सभा को भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति बजट पेश करने और उस पर मजूरी लेने के लिए ससद को बुलाने को प्रतिबद्ध है। ससद द्वारा पारित विधेयकों (बिलों) पर उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही वे अधिनियम (एक्ट) हो सकते हैं, इससे पहले नहीं। अपडमान-निकोवार तथा लका-दीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीप समूहों के लिए कायदे-कानून बना सकता है। ससद का जब अधिवेशन न चल रहा हो, तो वह अव्यादेश (आर्डिनेंस) जारी कर सकता है।

वित्तीय अधिकार :

कोई भी वित्तीय विधेयक (मनी बिल), मांग और अनुदान ससद में राष्ट्रपति की पूर्व-सहमति प्राप्त किए बगैर पेश नहीं किया जा सकता।

न्यायिक अधिकार

राष्ट्रपति को अपराधी को क्षमादान देने व उसकी सजा घटाने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्यु-दण्ड भी रद्द कर सकता है।

सकटकालीन अधिकार .

देश पर सकट आने की अवस्था में, यह चाहे युद्ध, आक्रमण, आन्तरिक उपद्रव या सविधान-यन्त्र के विफल होने से पैदा हुआ हो (जैसे केरल में हुआ था) अथवा वित्तीय अस्थिरता के कारण हो, राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर सकता है और शासनाधिकार एवं समस्त शासन-सूत्र अपने हाथ में ले सकता है, भारत के किसी राज्य का शासन भी अपने हाथ में ले सकता है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति राज्य-सभा का पदेन अध्यक्ष है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अन्य कारणों से राष्ट्रपति के देश में बाहर रहने पर वह राष्ट्रपति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में नये राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य करता है।

उपराष्ट्रपति का समद के दोनों सदनों में नियुक्त बँटक में चुनाव होता है। चुनाव नमानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सक्रमणीय मत में होता है।

उत्तराङ्गपति प की जन्ता यत् है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आय ५ लाख से कम न होनी चाहिए तथा राज्य सभा का सदस्य होने का पात्र होना चाहिए। उत्तराङ्गपति का वायव्य भी एक मात्र का होता है यदि वह किसी कारण से पदभ्याज न करे या उसका किसी कारणवश पदभ्याज न कर दिया जाय।

मंत्रिमण्डल राज्यपति को परामर्श और सहायता देने के लिए उसके आह्वान पर मंत्रिमण्डल का संघटन प्रधान मंत्री करता है। वायव्यपति का वस्तुतः प्रधान मंत्री और मंत्रिमण्डल में ही मन्त्रित्व है। राष्ट्रीय सरकार का सारा वायव्य सम्भारन और उमकी पूरा करने का उत्तरदायित्व मंत्रिमण्डल पर ही है।

राज्यपति साधारणतः वारसभा में द्विगुण का सम्मेलन होता है उसका नेता को मंत्रिमण्डल (संसद) द्वारा के लिए आह्वान करता है। देश का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री फिर अपने मन्त्रियों को चुनता है। प्रधानमंत्री का मित्राचार पर ही पति द्वारा मन्त्रों का नियुक्त करता है और उनके विभाग निर्दिष्ट करता है। मंत्रिमण्डल मन्त्रों के रूप में वारसभा में प्रति उत्तरदायिता होता है। मन्त्रिमण्डल का एक भावना का यदि राज्य विद्या द्वारा या राज्य सभा का कार्य राज्य प्रधान मंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का साहचर्य का सम्मेलन होता अतिरिक्त है। क्योंकि मंत्रिमण्डल ही वारसभा में प्रति उत्तरदायिता है या वारसभा के प्रति नेता।

प्रधानमंत्री

रिक) अब यह प्रतिबन्ध मन्त्रिपरिषद् में किये गए हमारे सङ्गोष्ण द्वारा हटा दिया गया है । माधारणतः एक लोक-सभा का जीवन पाच साल का होता है । पर, राष्ट्रपति इससे पहले भी इसको भंग कर सकता है तथा सकट-काल में इसका कार्य-काल बढा भी सकता है ।

केन्द्रशासित प्रदेशों के लोक-सभा में २५ से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते । लोक-सभा की सीटों का राज्यवार वितरण आवादी के आधार पर किया गया है । लोक-सभा में एंग्लो-इण्डियन समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति उनके दो व्यक्ति नामजद कर सकता है । लोक-सभा के कार्यकाल की गणना उमकी पहली बैठक से की जाती है । लोक-सभा का अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव सदस्य स्वतः अपने मध्य से करते हैं ।

राज्य सभा

यह स्थायी सभा है, इसका कभी विमर्जन नहीं होता । इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है । इसके सदस्यों की कुल संख्या २५० से अधिक नहीं हो सकती । इनमें से १२ स्थानों पर साहित्य, कला, विज्ञान-समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों में विख्यात व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनो-णी किये जाते हैं । शेष स्थानों का विभाजन राज्यों में जनसंख्या के अनुपात से किया गया है । प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी विधान-सभा द्वारा राज्य-सभा के लिए अपने सदस्य चुनता है । राज्य-सभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक और तीस वर्ष में कम आयु का न हो । हर दो साल बाद राज्य सभा के सदस्य सदस्यता से हट जाते हैं तथा इनकी जगह नये सदस्यों का चुनाव होता है । इस रीति से राज्य-सभा सदा बनी रहती है । उपराष्ट्रपति पदेन इसका सभापतित्व करता है । राज्य-सभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल सङ्गणीय मत से चुने जाते हैं ।

लोक-सभा व राज्य-सभा के मध्य सम्बन्ध—दोनों सदनों का कार्य विधि का निर्माण करना है । विधेयक (बिल) अधिनियम (एक्ट) होने से पहले दोनों सदनों में पारित होना चाहिए । यदि कभी किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो, राष्ट्रपति इसे दूर करने के लिये दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है । लोक-सभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से, स्वाभाविक है कि अन्ततः उसकी सम्मति मानी जायगी । परन्तु यह प्रक्रिया केवल अर्थ-विधेयको में अतिरिक्त विधेयको के लिए ही है । अर्थ-विधेयको सम्बन्धी अधिकार लोक-सभा को हैं । अर्थ-विषयो में राज्य-सभा को कोई अधिकार और शक्ति नहीं है । अर्थ-विधेयक अनिवार्य रूप से पहले लोक-सभा और तब राज्य-सभा के समक्ष उपस्थित किया जा सकता है । राज्य-सभा अर्थ-विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, अधिक से अधिक १४ दिन तक वह इसे रोक सकती है । मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल है जो लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य-सभा के प्रति नहीं ।

विषयों का वर्गीकरण

संघीय विषय—सरकार व राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है—शिक्षा, परराष्ट्र, संचार, डाक-तार, मुद्रा-चलन, जवात, आयरन आदि मिलाकर कुल ६७ संघीय विषय हैं ।

उभयवर्ती

ये ऐसे विषय हैं जिनमें वे \neq और राज्य दोनों का विधि निमाण का अधिकार है ।
 इनमें मुख्य हैं—

विवाह तथाक प्रम-व्यापण विवाहापन प्रमिव गणन सामाजिक सुरक्षा फौजदारी और दीवानी सहिता यत्पर और उद्योग समाचार पत्र तथा खासा जायिा नियोजन आदि । इन विषयों की सरया कुल ४७ है ।

राज्य विषय

इनमें मुख्य है —

शिक्षा स्थानीय स्वायत्त शासन भावजनिक बल्याण कानून और व्यवस्था भू र जस्य वन धाय व्यवस्था पुनिस जल कृषि पचायनराज और मत्स्य पालन । ये विषयों की कुल सख्या ६६ है ।

ज्वगिष्ट विषय

उपरोक्त वर्गीकरण में छोटे अनुचितित या नय विषय ज्वगिष्ट विषय हाने और ये सय सरकार के अतगत हाने । मस ही इन विषयों में निणय कर सकती है ।

ससद की शक्ति और अधिकार

सपीय सूची में शिप गण ६७ विषयों पर कानून बना सकती \neq । साधारणतः राज्या के विषय ससद के विचार क्षेत्र में नहीं आत । राज्या के विषयों पर ससद उसा समय विधि बना सकती है जब राज्य-भा वस आगय का प्रस्ताव स्वीकार कर के राज्य सरकार को दे ।

सावजनिक वित्त पर नियंत्रण—राष्ट्रीय या सावजनिक वित्त पर ससद का पूण नियंत्रण है । ससद का अनुमति के बिना सरकार एक पसा भी खच नला कर सकती । भारत मय के सुशासन के निय क पीय मन्त्रिमन्ल लोकमभा के प्रति उत्तरदायी है । ससद राष्ट्रपति पर मन्त्राभिधेग तथा सकती है । ससद धाय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती । तबिन धाय की विगुदना और धाय-पान के काय के सतत जारी रखन पर ध्यान रखती है । लान गभा मन्त्रिमन्ल पर अविश्वाम का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके पारित होने का शक म मन्त्रिमन्ल को बर्खास्त कर सकती है । प्रधानमन्त्री का नेवसभा का मन्त्र्य तथा शाना चाहिए उनका कारण यहा नित्त \neq । ससद को सविधान में सगोधन तथा भा अधिकार है ।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

यस नारन में धाय-पान का सर्वोच्च कर्त है । सम एक प्रधान न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) और अधिनतम १ न्यायाधीश होत हैं । ससद राष्ट्रपति नियुक्त करता है । ६५ मात्र का उच्च नय य अपन पद पर रख सकती है ।

सर्वोच्च न्यायालय नारन सरकार और राज्या तथा राज्य और राज्य के मध्य न्याय व्यवस्था विभाग का निणय करता है तथा सस प्रकार सपीय न्यायालय का काम करता है । सस उच्च न्यायालय (हाय कोर्ट) में भी ग्यास विस्म के फौजदारी और

दीवानी मामलो से सवधित अपीलें आती है । राष्ट्रपति को यह न्यायिक विषयों में परामर्श देता है, यदि वह माँगा जाय । इसका निर्णय समस्त देश में मान्य होता है ।

यह मूल अधिकारो का रक्षक है, अर्थात् जब कोई नागरिक यह अनुभव करे कि उसको किसी मूल अधिकार में वंचित किया गया है या उसके अधिकारो का अतिव्रमण किया गया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की तीन प्रकार की शक्तियाँ और अधिकार हैं (१) मौलिक (२) अपील सुनना और (३) परामर्शदाता । इसको लोकतन्त्र का रक्षक भी माना जाता है क्योंकि यह प्रशासन को निरकुश और स्वेच्छाचारी होने से रोकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय वन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस), परमादेश (मैडेमस), प्रतिवेध (क्वो वारटो), अधिकार-पृच्छा (सैशियोटेरि) और उत्प्रेषण के प्रकार के लेखों द्वारा निर्देशात्मक आदेश भी दे सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, एक या दो या और भी उच्च न्यायालयों में कम-से-कम ५ साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, या दस वर्ष से एक या अनेक उच्च न्यायालयों में वकील रह चुका हो या राष्ट्रपति की राय में वह कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो । उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने का प्राविधान भी अब कर दिया गया है । सर्वोच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त कोई न्यायाधीश देश के किसी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता ।

प्रमाणित दुराचार, भ्रष्टाचार या अयोग्यता वाले न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद से तभी अलग कर सकते हैं, जब सदन के दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई मत से इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार करे ।

प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है । इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं । कार्यपालिका और विधि-सभाओं से न्यायपालिका स्वतंत्र है ।

अपील की विशेष अनुमति . उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध संविधान में (अनु० १३२-४) है । ऐसी अवस्था या मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो तो, उसे अपील की विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार है । यह न्यायाधिकरणों के कार्य के सम्बन्ध में भी दी जा सकती है । सैनिक न्यायालय या न्यायाधिकरण इसके अपवाद हैं । विशेष परिस्थितियों में ही इस अधिकार का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है ।

संघीय लोक-सेवा आयोग

संविधान की धारा ३१५ (१) के अंतर्गत संघीय लोक-सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं । ये ६ वर्ष तक रहते हैं । आयोग सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्यपालिका और विधि-सभा से स्वतंत्र होता है ।

आयोग का मुख्य काम विभिन्न मधीय-सेवाओं के लिए प्रत्यागियों की लिखित और मौखिक परीक्षा ले तथा उनकी अन्तर्वीक्षा (इंटरव्यू) कर उनका चयन करना है ।

आयोग से निम्न विषया में सलाह ली जाती है

- (क) राष्ट्रीय सेवा में कमचारियों की नियुक्ति से सम्बंधित विषय ।
- (ख) नियुक्ति पणोनति और स्थान परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का विषय ।
- (ग) लोक-सेवा के व्यक्तियों से सम्बंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई के विषय ।
- (घ) सरकारी सेवा करत हुए यदि कोई व्यक्ति आहत हो जाय तो उसको वृत्ति देने से सम्बद्ध विषय ।

आयोग का काम है कि वह प्रशासन को बराबर चलाता रखे तथा सर्वोच्च राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे । यह सरकारी कमचारियों की हित रक्षा भी करता है ।

महा-यायवादी (एटर्नी जनरल)—भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च यायालय का यायाधीश होने के योग्य व्यक्ति का महा-यायवादी (एटर्नी जनरल) नियुक्त करत है । यह कानूनी विषयों में सरकार को सलाह देता है । उसकी सलाह कानून विरोध की सलाह मानी जाती है । महा-यायवादी राष्ट्रपति द्वारा सौंप कानूनी कार्य भी करता है । यायालय में यह सरकार की ओर से उपस्थित हाता है । किसी कानून के अभिप्राय के विषय में राजा हान पर राज-सभा भी महा-यायवादी को राय देने के लिए बुला सकती है ।

लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक—केन्द्र और राज्यों के विमाव किताब पर नजर रखने के लिए राष्ट्रपति तथा नियंत्रक (कम्पट्रोलर) और महालेखा-परीक्षक (आडिटर जनरल) नियुक्त करत हैं । यह हिसाब किताब की जांच के विषय में प्रतिव्यय राष्ट्रपति और राज्यपालों को रिपोर्ट देते हैं तथा काम यह देखना भी है कि सभी सम्बद्ध विभाग ससद और विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार उह भिन्न धनराशि खर्च करत हैं या नहीं । हम पर भी नजर रखते हैं कि स्वीकृत रकम से ज्यादा तो खर्च नहीं करते । इनके कार्य और अधिकार क्षेत्र का निणय ससद द्वारा निम्न अधिनियम से हाता है ।

राज्य

भारत में (एग्जिन्ट यूनिट्स) में हम समय १७ राज्य हैं । इनके नाम हैं असम नागालैंड त्रिपुरा पश्चिमी बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश पंजाब जम्मू काश्मीर राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मसूर केरल मणिपुर जाध प्रदेश और हरियाणा ।

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्य की मायपानिका का प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) कहनाता है । राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साधारणतः पांच साल के लिए करत है । हमका ५५ ० ६ मासिक पदक मितता । हमके अनिश्चित हमका आय भत्त और विभागाधिकार प्राप्त होते हैं । भारत का नागरिक और ५ वर्ष या हमसे अधिक आयु का व्यक्ति हा राज्यपाल होने का पात्र हो सकता है । राज्यपाल पांच साल पूरा होने के पहन भी त्याग-पत्र दे सकता है । राज्यपाल ससद या किसी विधान-मंडल का मस्य नहीं हो सकता । वह आय का सरकारी पत्र भी नहीं ले सकता । राज्यपाल के विषय में अभी तक कोई मुनिश्चिन परम्परा कायम नहा हुई है । राज्यपाल पत्र का कायम रखने की आवश्यकता पर भी मसद प्रकृत किया गया है । राज्यपाल का कार्य क्षेत्र भी निश्चिन नहीं । राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल के मध्य क्या सम्बन्ध हो यह भी

सुनिश्चित नहीं। प्रसिद्ध वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ को ही राज्यपाल बनाने की प्रथा चलाई गई थी। बाद में निर्वाचन में पराजित नेता भी बनाये जाने लगे। सेवा-निवृत्त उच्च सरकारी अधिकारी को राज्यपाल बनाना पहले पसन्द नहीं किया जाता था, परन्तु अब यह भी बात नहीं रही है।

राज्यपाल के कर्त्तव्य और अधिकार—कोई अर्थ-विधेयक (बिल) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधान-सभा में उपस्थित नहीं हो सकता। राज्यपाल विधान-सभा और विधान-परिषद (जिन राज्यों में है) की संयुक्त बैठक का प्रतिवर्ष उद्घाटन करता है। विधान-मंडल (लेजिस्लेचर) द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना विधेयक अधिनियम (एक्ट) नहीं हो सकता। जब विधान-मण्डल का अधिवेशन नहीं होता, उस समय राज्यपाल अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी कर सकता है। राज्यपाल विधान-सभा का अधिवेशन बुला सकता है और उसको विसर्जित भी कर सकता है। राज्य में यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। सविधान का ठीक-ठीक पालन होता है या नहीं, यह देखना राज्यपाल का कर्त्तव्य है। सविधान सुचारु रूप से काम नहीं कर सकता, राज्यपाल से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राज्यपाल के इस कर्त्तव्य पर विशेष बल नहीं दिया जाता।

मन्त्रिमण्डल—राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता है। इसका नेता मुख्य मन्त्री (चीफ मिनिस्टर) कहलाता है। विधान-सभा में जिस दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणतः मुख्य मन्त्री पद पर नियुक्त करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति मुख्य मन्त्री के परामर्श से राज्यपाल करता है। मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या मुख्य मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। इस विषय में कोई नियम और प्रथा नहीं है। मुख्य मन्त्री प्रायः अपनी स्थिति को स्थिर रखने की दृष्टि से मन्त्रियों की संख्या निश्चित करता है। विधान-सभा और विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या ही इसका कुछ-कुछ नियन्त्रण करती है। राज्य की आय भी एक सीमा तक इस पर प्रतिबन्ध लगाती है। मन्त्रिगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पद पर रहते हैं।

राज्य विधान-मंडल—प्रत्येक राज्य में विधान-मंडल (लेजिस्लेचर) है। विधान-मंडल में दो सदन होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विधान-सभा है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित-विधान-परिषद है। किसी-किसी राज्य में केवल विधान-सभा है।

विधान-सभा—के सब सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक सदस्य साधारणतः ७५,००० लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती। विधान-सभा में हरिजन-वर्ग और आदिवासियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हैं, यद्यपि मतदान में सब भाग लेते हैं। विधान-सभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसका कार्य-काल साधारणतः पांच साल है। विधान-सभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो—

(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ साल से कम आयु का न हो और (३) उम्र सब अहताओ से युक्त हो जो सस्य निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपान विधान मभा' म एग्ना र्नि डयन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधान परिषद—इसके सदस्यों की मर्यादा विधान मभा व सदस्यों की कुल संख्या व एक तिहाई से अधिक न हानी चाहिए। लेकिन ४ से कम भाग न हानी चाहिए। परिषद के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्थाओ द्वारा तथा एक तिहाई विधान मभा व सस्यो द्वारा चुन जाते हैं। १- सस्य विधिविधानय के स्नातको द्वारा चुन जाते हैं। चुनने का अधिकार उसी को है जो तीन मान पुराना स्नातक हो। २- सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं। इनका कम से कम माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर की शिक्षण संस्थाओ म तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। ३- सस्य राज्यपान द्वारा मनानीन होते हैं। साहित्य विज्ञान या समाज सेवा के लिए विद्यालय योग्य म से इनका मनानयन होता है। अथ विधायक सीधे विधान परिषद म उपस्थित नहीं किया जा सकता। उपस्थित होने पर १४ दिन के भीतर उसम सन्तोषन व परिवर्तन का सुभाव देन म का अधिकार विधान परिषद का है।

सघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध

विधानात्मक

विधि बनाने की तीन सूचीया बनाई गई हैं। सघ सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची। सस्य सघ सूची म लिए गए ६७ विषया पर अकन ही विधि बना सकती है। ४७ विषया म सघ और राज्य दाना विधिया बना सकते हैं। हम क्षेत्र म भी सघ का वचस्व स्वीकार किया जाता है। राज्य कोई विधि सघ विधि व प्रतिकूल या विपरीत या विरोधा नही बना सकते। राज्या व विधान मण्डल ६६ विषया म विधि बना सकते हैं।

प्रशासनात्मक

राज्यीय और राज्यों की वायपानिका का अधिकार देन उन सब विषया तक विस्तृत है जो समवर्ती सूची म दजे हैं। कुल दानो म राज्या को कानून के जादेन का पालन करना होता है।

वित्तीय

आदिर और विधायक दृष्टि से राज्य वस्तु-मुद्र के पर निर्भर करते हैं। राज्य कानून म अनुदान की आगा करत हैं। जायकर और उत्पादन शुल्क की आय म से अधिकाधिक भाग पान की उदा करत हैं। कानून से राज्या को किम मात्रा म वित्तीय और आर्थिक सहायता प्राप्त म मका निश्चय हर पांच साल पर किया जाता है। निश्चय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग करता है।

कानून (मन्त्र) मार देन के लिए कानून बनाता है। राज्य कवन अपन क्षेत्र के लिए। कानून का बनाया को कानून हम आधार पर अवध नही टहराया जा सकता कि उसम प्रादे गिर मोमा का अतिरिक्त जाना है। कानून को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। राज्यीय सरकार राज्य सरकारों को सचिव-भाषणा व निर्माण और उनका सार-मन्त्रान का जादेन दे सकती

है। वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ, जल मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित कर सकती है। केन्द्रीय सरकार सेना के आवागमन के साधनों का निर्माण कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसकी सहमति से केन्द्रीय सरकार का काम उसे करने के लिए कह सकते हैं। युद्ध और आन्तरिक अशान्ति के समय राष्ट्रपति राज्यों को विशेष आदेश दे सकते हैं।

राज्य की न्यायपालिका—सविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहते हैं। इन्हें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से नियुक्त करते हैं। ६२ वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, उमी विधि से पद से हटाया जा सकता है।

सघीय प्रदेश

सविधान ने जिन प्रदेशों को पहले 'ग' राज्यों की सूची में रखा था, वे अब सविधान में किए गए सातवें संशोधन (१९५६) के बाद से 'सघ द्वारा शासित' प्रदेश कहे जाते हैं। इन की कुल संख्या १३ है। ये अडमान निकोबार द्वीप-समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीव, अमीनदीवी व मिनीकाय द्वीप-समूह, गोवा, दमन व दीऊ, मणिपुर, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, पाण्डिचेरी नेफा तथा चण्डीगढ़ हैं।

सविधान के १४ वें संशोधन के द्वारा सघीय प्रदेशों में विधान-सभा की स्थापना की व्यवस्था १९६३ से की गई है। दिल्ली में अभी होनी शेष है। १९६३ के अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पाण्डिचेरी में विधान-सभा की स्थापना की गई है। लोक-सभा में सघीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढाकर २५ कर दिया गया है। लोक-सभा में दिल्ली के छ और राज्य-सभा में तीन प्रतिनिधि होते हैं।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—हरिजन-वर्ग और आदिमवासियों या अन्य जातियों के लिए ससद और राज्यों के विधान-मण्डलों में कुछ स्थान सुरक्षित हैं। लोक-सभा में एंग्लो-इण्डियन समाज के दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यदि वे अनुभव करें कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। विधान-सभाओं के लिए राज्यपालों को भी यही अधिकार प्राप्त है।

सविधान के लागू होने के दस साल बाद, पिछड़े वर्ग और अन्य अल्प-संख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए थी। परन्तु सविधान में १९६० में आठवाँ संशोधन कर १९७० तक के लिए स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध किया गया है।

भाषा

सविधान के अनुच्छेद-३४३ के अनुसार भारत सघ की भाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी है (सरकारी कामों में रोमन अक्षर रहेंगे, नागरी नहीं)। प्रशासनिक कार्य के योग्य हिन्दी को बनाने के लिए सविधान लागू होने से १५ साल तक अंग्रेजी जारी रहने देने का उपबन्ध किया गया। २६ जनवरी १९६५ से सघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई, १९६५ के बाद अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त किया जाना था। परन्तु इससे भी पहले ही १९६३ में सविधान में संशोधन कर राज भाषा अधिनियम, १९६३ प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार, १९६५

(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ साल से कम आयु का न हो और (३) उस सब अहताओ से युक्त हो जा ससन् निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राज्यपान विधान मभा म एग्लो डिडयन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है।

विधान परिषद—सके सस्यो की सस्या विधान सभा के मदस्या की चुन सस्या के एक तिहाई स अधक न होनी चाहिए। लेकिन ४ स कम भी न होनी चाहिए। परिषद के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्याआ द्वारा तथा एक तिहाई विधान मभा क सस्या द्वारा चुन जाते है। १- सस्य विवविद्यालय के स्नातक द्वारा चुन जात है। चुनन का अधिकार उसी को है जो तीन साल पुराना स्नातक हो। १- सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि हात है। इनका कम स कम माध्यमिक विद्यालय या ससे ऊपर की शिक्षण सस्याआ म तीन साल शिक्षक रहना आवश्यक होता है। १- सदस्य राज्यपान ारा मनानीत होत है। साहित्य विज्ञान या समाज सेवा के लिए विख्यात लोग म से इनका मनोनयन होता है। जय विधेयक सीध विधान-परिषद म उपस्थित नही किया जा सकता। उपस्थित हान पर १४ दिन के भीतर उसम सगोधन व परिवर्तन का सुभाव देन भू का अधिकार विधान परिषद का है।

सघ और राज्यो का परस्पर सम्बध

विधानात्मक

विधि बनान की तीन सूचिया बनार्त गई ह। सघ सूची ममवर्ती सूची और राज्य सूची। ससन् सघ सूची म लिए गए ६७ विषया पर अकेन ही विधि बना सकती ह। ४७ विषया म सघ और राज्य दाना विधिया बना सकत हैं। स क्षेत्र म भी सघ का वचस्व स्वीकार किया जाता है। राज्य कोई विधि सघ विधि क प्रतिकूल या विपरीत या विरोधी नही बना सकन। राज्यो के विधान मण्डन ६६ विषयो म विधि बना सकन है।

प्रशासनात्मक

राजीय और राज्यो की वायपालिका का अधिकार क्षेत्र उन सघ विषयो तक विस्तृत है जा ममवर्ती सूची म दज हैं। कुछ बानो म राज्या को क स के आदेश का पानन करना होता है।

वित्तीय

आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से राज्य बहुत-कुछ क्षेत्र पर निर्भर करते है। राज्य के स अनुदान की आगा करत हैं। आयकर और उत्पादन शुल्क की जाय म स अधिकाधिक भाग पान की सहा करत हैं। क स राज्या का किस मात्रा म वित्तीय और आर्थिक सहा दना प्राप्त स। सका निचय हर पाच साल पर किया जाता है। निचय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग करत ह।

क (मसन्) मार दग के लिए कानून बनाता है। राज्य केवन अपने क्षेत्र के लिए। क का बनाया को कानून इस आधार पर अवध नहीं टहराया जा सकता कि उसस प्रादे गित मौमा का अनिक्रमण हाता है। क को अवगिष्ट अधिकार प्राप्त है। क द्वीय सरकार राज्य मररारो को सचार-साधना क निर्माण और उनके सार-मम्भान का आदेश सकती

व्यापार और व्यवसाय—सविधान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु ससद और राज्यों के विधान-मंडलों को इसको मर्यादित और प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में आवश्यकता होने पर बनाये जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। समद उपर्युक्त उपलब्धों को लागू करने के लिए उचित समझने पर कोई अधिमत्ता भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौंसिल)—ये सविधान का भाग नहीं है। पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत है।

दो या दो से अधिक राज्यों के प्रशासन में एकसूत्रता लाने के लिए पाँच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ़ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामर्शदाता व दो या दो से अधिक राज्यों से सम्बन्धित एक-सी समस्याओं पर विचार करने वाली संस्था है। परिषदें यों हैं —

- १ उत्तरी क्षेत्र—पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ और जम्मू-काश्मीर।
- २ मध्य क्षेत्र—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
- ३ पूर्वी क्षेत्र—विहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड।
- ४ पश्चिमी क्षेत्र—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली।
- ५ दक्षिणी क्षेत्र—मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और पाण्डिचेरी।

क्षेत्रीय परिषद की रचना—१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

२ सर्वधित प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमन्त्री और दो-दो मन्त्री भी परिषद में होते हैं। मन्त्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

३ जहाँ सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वहाँ राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियों को परिषद में मनोनीत न करेगा।

४ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामर्शदाता मनोनीत होता है।

क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हैं।

- (क) राज्यों के मुख्य सचिव (चीफ सिक्रेटरी)।
- (ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।
- (ग) राज्यों के विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) परिषद के परामर्शदाता इसके विचार-विमर्श में भाग लेने के अधिकारी हैं मत देने के नहीं।

के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। सर्वोच्च पाषाणय उच्च पाषाणय का कारवाई अंग्रेजी में जारी रह सकती है। इसी प्रकार विधेयन और अधिनियम पढ़ने के समान अंग्रेजी में बन सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी सह राजभाषा है। राजकीय व्यवहार में अंग्रेजी का प्रचलन पूर्ववत् है। अंग्रेसे हिन्दी का भविष्य अधिकारमय कहा जा रहा है।

सब भाषा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य १४ क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव है। अनुसूची आठ में यह असमिया बंगाली उर्दू मराठी गुजराती पंजाबी संस्कृत का मारो तनुगु सिन्धा तमिल मलयालम कन्नड़ और उडिया। इनका उत्तम राष्ट्रीय भाषाण कह कर हुआ है। इससे मति विभ्रम होता है। क्योंकि एक राष्ट्र की एक ही राष्ट्र भाषा हो सकती है।

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन का निर्माण तथा संसद विधान मण्डल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और निर्वाचन आयाधिकरण के भी निर्वाचन का नियंत्रण निर्वाचन आयोग (एलकान कमीशन) करता है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चाफ एनेशन कमिशनर) होता है जो अपने पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च पाषाणय का कोई पाषाणीय। प्रत्येक निर्वाचन मण्डल के अलग-अलग भिन्न-भिन्न निर्वाचनों के लिए मनदाताओं की एक ही सूची है। कोई भी व्यक्ति धर्म बना जानि त्रिग जादि के कारण उसमें अपना नाम लिखाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

वित्त आयोग —

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग (फाइनांस कमीशन) की नियुक्ति की व्यवस्था है। आयोग कुछ करा (आयनर उत्पादन शुल्क व कुछ नियत करों जादि) के विषय में केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण अनुपात के विषय में सिफारिश करता है। पहला वित्त आयोग १९५१ में दूसरा अगस्त १९५६ में तीसरा १९६६ में और चौथा १९६४ में नियुक्त किया गया था।

केन्द्र और राज्य समकालीन समकित निधि और राज्य समकित निधि का निर्माण करने के लिए वाध्य है। भारत सरकार और राज्य सरकार सारी उपबंध और संप्रदित आय का इस निधि में विनियोग करने का वाध्य है। संसद और विधान सभाय जब तक विनियोग विधेयक पारित न करें और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति न दे तब तक सरकार इसमें से एक पन्ना भी व्यय करने की अधिकारिणी नहीं है। भारत और राज्यों के लिए वाणिज्योत्तरी फंड की स्थापना की गई है। विनियोग विधेयक पारित न हान तक इस निधि में से सरकारें राब कर सकती हैं।

पूरक अनुमान

वाणिज्य बजट में मन्मनित अनुमान से यह अनुमान पृथक है। वाणिज्य बजट में अनुमान हान पर भी व्यय में अवल्पित आवश्यकतायें उत्पन्न हो सकती हैं। जस युद्ध बाल अकाल आदि के कारण। इससे लिए पूरक अनुमान का उपबंध किया गया है। बजट सान भर का आवश्यकता का न पूरा कर तब भा पूरक अनुमान के माध्य सरकार समल में तथा राज्य सरकारों विधान-सभाओं में पंग करती हैं।

व्यापार और व्यवसाय—मविधान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु मसद और राज्यों के विधान-मंडलों को इसको मर्यादित और प्रतिबन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित में आवश्यकता होने पर बनाये जा सकते हैं। सार्वजनिक हित में व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। समद उपर्युक्त उपलब्धों को लागू करने के लिए उचित समझने पर कोई अधिसत्ता भी स्थापित कर सकती है।

क्षेत्रीय परिषदें (जोन्ल कौंसिल)—ये सविधान का भाग नहीं हैं। पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत है।

दो या दो से अधिक राज्यों के प्रशासन में एकसूत्रता लाने के लिए पाँच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये करती हैं। साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को दृढ़ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामर्शदाता व दो या दो से अधिक राज्यों से सम्बन्धित एक-सी समस्याओं पर विचार करने वाली संस्था हैं। परिषदें यो हैं —

- १ उत्तरी क्षेत्र—पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ और जम्मू-काश्मीर।
- २ मध्य क्षेत्र—उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
- ३ पूर्वी क्षेत्र—विहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड।
- ४ पश्चिमी क्षेत्र—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली।
- ५ दक्षिणी क्षेत्र—मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और पाडीचेरी।

क्षेत्रीय परिषद की रचना—१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

२ सत्रित प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमन्त्री और दो-दो मन्त्री भी परिषद में होते हैं। मन्त्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

३ जहाँ सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वहाँ राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियों को परिषद में मनोनीत न करेगा।

४ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामर्शदाता मनोनीत होता है।

क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित भी परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हैं :

(क) राज्यों के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी)।

(ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति।

(ग) राज्यों के विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) परिषद के परामर्शदाता इसके विचार-विमर्श में भाग लेने के अधिकारी हैं मत देने के नहीं।

वाय

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक परामर्शदात्री मस्था होती है और राज्या व पारस्परिक हितों के प्रश्नों पर विचार करती है। यह निम्न विषयों पर विचार और निर्णय कर सकती है

(क) शैक्षिक और सामाजिक नियोजन सम्बन्धी सामान्य हित के विषय।

(ख) सीमा विवाद भाषायी अल्पमह्यक और अन्तर्राज्य परिवहन से सम्बद्ध विषय।

(ग) राज्या के पुनर्गठन से उत्पन्न कोई विषय।

उद्देश्य

स्वर्गीय गृहमन्त्री पन्त ने परिषदों की स्थापना के ये उद्देश्य बताये —

(१) देश में भावात्मक एकता का निर्माण करना।

(२) उग्र प्रादिकता आचलिकता भाषावाद और अन्य विविध प्रवृत्तियों पर रोक लगाना।

(३) सामाजिक और आर्थिक मामलों में अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्न करना। इस प्रकार समाज के कल्याण के लिये समरूप नीतियों को विकसित करना।

(४) विकास की मुख्य परिकल्पनाओं को सफल बनाने में परस्पर सहयोग करना।

तन्नुसार (१) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिनर चम्बल घाटी के प्रांतों का संघर्ष कर रहे हैं। (२) उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में एक सामान्य पुनर्संरचना फोस बनाना है। (३) रिहद परियोजना से उत्पन्न बिजली का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश व बीच वितरण के प्रश्न का निपटारा क्षेत्रीय परिषदों की जून १९६३ की बैठक में किया गया।

सकटकालीन और अन्य विधेय व्यवस्थाओं का संवर्धन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए संविधान में राष्ट्रपति का असाधारण अधिकार दिया गया है। जैसे (१) किसी राज्य में राजनयिक न चलाने पर संविधान के अनुसार राजनयिक न चल सकता हो राज्य विधान सभा में किसी पक्ष का अल्प बहुमत न हो। स्थिर सरकार बनाने की संभावना न हो। (२) आर्थिक समीक्षा देण में उत्पन्न हो जाय। (३) बाहरी जाक्रमण या आन्तरिक उपद्रवों के कारण अशांति व्याप्त हो जाय।

राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह पर सकटकालीन अधिकार ग्रहण करता है। सकट कालीन घातों का चरम है और यह भी मांग से अधिक नहीं रह सकती। भारत पर चीनी आक्रमण १९६० का राष्ट्रीय सकटकालीन घोषणा की गई थी। इसी प्रकार मद्रास में सकट की घोषणा कराने में मिनर १९६४ में की गई जब तक मंत्रिमण्डल न लागू हो जाता था। ऐसा ही घोषणा फिर दिसम्बर १९६५ में की गई।

राष्ट्रपति संविधान के २२ में २८ अनुच्छेदों को स्थगित कर सकता है।

अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिवासियों के कल्याण का विषय उत्तरदायित्व होता गया है।

असम के आदिमजातीय क्षेत्र असम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तशासी जिलो तथा प्रदेशो की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों का भार सौंपा गया है और इन जिलो तथा प्रदेशो के लिए परिपदे बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिपदो को अपने-अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयो मे कानून बनाने, विवादो और मुकद्दमो को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने और विद्यालय, औपघालय व बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार है। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलो व प्रदेशो के प्रशासन का निरीक्षण करने और इस विषय मे प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। उत्तर-पूर्व सीमात प्रदेश (नेफा) का प्रशासन असम का राज्यपाल करता है। त्वेनसाग क्षेत्र नागालैण्ड मे मिला दिया गया और २४ जनवरी १९६१ को नागालैण्ड राज्य का निर्माण किया गया। १ सितम्बर १९६३ से यह अन्य राज्यों के समान एक राज्य हो गया।

विशेष अधिकारी • राष्ट्रपति अनुमूचित भाषायी अल्पसंख्यको की शिकायते दूर करने मे मदद देने के लिये भी एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते है।

आचलिक समितिया (रीजनल कमिटी)

१९५६ मे राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितिया पञ्जाब और आंध्र प्रदेश की भाषिक और सांस्कृतिक समस्याओ को हल करने के लिए बनाई गईं।

सविधान मे मशोधन

भारत का सविधान २६ जनवरी १९५० से अमल मे आया। १९५३ मे ही पहला सशोधन किया गया। इसके बाद १९६४ तक इसमे १७ सशोधन किए जा चुके है। पन्द्रह वर्षों मे १७ सशोधन। लिखित सविधानो मे भारत का सविधान सबसे बडा है और अल्प-काल मे ही उसमे सबसे अधिक सशोधन भी किए गए है।

अन्तर्राज्य परिपद—राष्ट्रपति निम्न बातो के लिए अन्तर्राज्य परिपद स्थापित कर सकते है —

(१) राज्यों मे उत्पन्न विवादो के कारणो की जाच करने और उनके विषय मे राय देने के लिए। जैसे, कृष्णा-गोदावरी नदियो के पानी-वितरण के बारे मे उठे विवाद की शान्ति के लिए 'गुलाटी समिति' नियुक्त की गई थी।

(२) राज्यों और सब के मध्य के सामान्य विषयो की जाच करने और उनको निपटाने के लिए।

(३) सघीय ढांचे को दृढ करने और इसकी इकाइयो के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए।

सार्वजनिक लेखा समिति—सविधान मे विहित है कि लेखा-नियंत्रक, महा लेखापरीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगे। राष्ट्रपति उसको समद के दोनो सदनों के सामने उपस्थित करेगे। दोनो सदनों की सदस्य संख्या चूकि विगल है, अत उनके सदस्यो की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है। यही 'कमिटी आफ पब्लिक एकाउन्ट्स' या सार्वजनिक लेखा समिति है।

संविधान में संशोधन की विधि

संविधान में संशोधन की विधि बतायी गयी है। संशोधन के लिए दूसरी संविधान परिषद् चुनाने की आवश्यकता नहीं है। संसद का कोई भी सदन संसद के किसी भी सदन में संशोधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है।

विधि

(१) यदि संसद के दोनों सदन बहुमत से जोर उपस्थित संसद के दो तिहाई मत से संशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह संशोधन संविधान का अंग होगा तथा लागू होगा।

(२) कुछ विशिष्ट विषयों में जैसे—(१) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय (२) के अथवा राज्य में अधिकार वितरण (३) संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व (४) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया तथा (५) संविधान में संशोधन की विधि और प्रक्रिया—किया गया संशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए भेजने के पूर्व कम से कम ५० प्रतिशत राज्य विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

(३) कुछ विषयों में जैसे—राज्य का नाम बदलना दोनों सदन का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है।

भाषायी अल्पसंख्यकों की संरक्षण की व्यवस्था

१ राज्य एकभाषी माना जावेगा यदि जनसंख्या का ७ प्रतिशत एक भाषा बोलने वाला हो।

२ यदि जनसंख्या का ३ प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो तो वह द्विभाषी राज्य माना जावेगा।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं में आगे से ५ प्रतिशत नाम राज्य से बाहर के भरना किए जायें। इसका भविष्य में ऐसे अवसरों पर ध्यान रखा जावेगा।

४ नापिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। यदि एक विद्यालय में एम ४ और एक कक्षा में ऐसे १० छात्र हों तो उन्हें उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

५ राष्ट्रपति अल्पसंख्यक जायुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा।

६ अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों का राज्य भाषा में होगा।

७ राज्य में नौसरी के नियम अधिवास को गन हटा दी गयी।

भारत : की न्याय-व्यवस्था

विधि-विधान : न्यायपालिका

भारत का शासन सघीय है, द्वैधात्मक है। किन्तु न्यायपालिका एकसूत्रीय और एकीकृत है।

भारत के वैधानिक विषयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का विधि मन्त्रालय है। जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन है, उसका क्षेत्र यही मन्त्रालय बनाता है, उनमें जान डालता है तथा उनको शक्ति देता है। पर, इसका कार्य प्रदर्शनात्मक नहीं है।

विधि मन्त्रालय विधि मन्त्री के निर्देश और पथ-प्रदर्शन में काम करता है। इसके मुख्य कृत्य ये हैं केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों और विभागों को विधि के मामलों में, जिनके अन्तर्गत विधियों का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमों की पैरवी करना भी है, परामर्श देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण, विधि और प्रारूपण की दृष्टि से कानूनी नियमों तथा आदेशों की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियों का प्रकाशन। कम्पनियों और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग-परिसीमन आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित विषय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

२१-१-१९६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है। तब से इसके तीन विभाग हैं - विधि कार्य-विभाग, विधायी विभाग और कम्पनी कार्य विभाग। हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। विधि कार्य विभाग विधिक मामलों में परामर्श और निर्वाचनों, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध मामलों का कार्य करता है, इसके बम्बई और कलकत्ते में शाखा सचिवालय भी हैं। विधायी विभाग विधेयको, अध्यादेशों और विनियमों के प्रारूपण और कानूनी नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि की जाच का काम करता है। यह राजभाषा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त है जो कानूनों के अनुवाद और यावत्साध्य सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करता है। विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियों के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्बन्धित कार्य भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम १९५६, जाच आयोगों और चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे वृत्तिक निकायों का प्रशासन करता है।

सविधान मे सशोधन की विधि

सविधान मे ही सशोधन की विधि बतायी गयी है। सशोधन के लिए दूसरी सविधान परिषद् बुनान की आवश्यकता नहीं है। मसूचा का कोई भी सदस्य ससद के विरुद्ध भी मन्त्र मे सशोधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है।

विधि

(१) यदि ससद के दोनो सन्त बहमत से और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत मे सशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह सशोधन सविधान का अंग होगा तथा माय होगा।

(३) कुछ विनिष्ट विषयो मे जैसे—(१) सर्वोच्च यायालय उच्च यायालय (२) केन्द्र व राज्या मे अधिकार वितरण (३) मसूचा मे राज्य का प्रतिनिधित्व (४) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया तथा (५) सविधान मे सशोधन की विधि और प्रक्रिया—क्रिया गया सशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए भेजने के पूव कम से कम ५० प्रतिगत राज्य विधान सभाओ द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

(३) कुछ विषयो मे जैसे—राज्य का नाम बदलना दोनो सदन का भाषारण बहु मत ही पर्याप्त है।

भाषायी अल्पसंख्यको को सरक्षण की व्यवस्था

१ राज्य एकभाषी माना जावेगा यदि जनसंख्या का ७ प्रतिगत एक भाषा बोलने वाला हो।

२ यदि जनसंख्या का ३ प्रतिगत या इससे अधिक भाग एक भिन्न भाषा बोलने वाला हो तो वह विभाषी राज्य माना जावेगा।

३ राज्य पुनर्गठन आयोग न सिफारिश की थी कि अखिल भारतीय सभाजा मे आगे स ५ प्रतिगत भाग राज्य से बाहर के भरती किए जायें। इसका भविष्य मे ऐसे अवसरों पर ध्यान रखा जावेगा।

४ नापिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा मे शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। यदि एक विद्यालय मे एक ४० और एक कक्षा मे ऐसे १ छात्र हों तो उन्हें उनकी भाषा मे शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

५ राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देगा।

६ अल्पसंख्यकों के विद्यालयों को राज्य मान्यता देगा।

७ राज्य मे नौजरी के लिये अधिवास की गन्त हटा दी गयी।

भारत : की न्याय-व्यवस्था

विधि-विधान : न्यायपालिका

भारत का शासन सघीय है, द्वैधात्मक है। किन्तु न्यायपालिका एकसूत्रीय और एकीकृत है।

भारत के वैधानिक विषयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का विधि मन्त्रालय है। जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन है, उसका क्षेत्र यही मन्त्रालय बनाता है, उनमे जान डालता है तथा उनको शक्ति देता है। पर, इसका कार्य प्रदर्शनात्मक नहीं है।

विधि मन्त्रालय विधि मन्त्री के निर्देश और पथ-प्रदर्शन में काम करता है। इसके मुख्य कृत्य ये हैं केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों और विभागों को विधि के मामलों में, जिनके अन्तर्गत विधियों का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमों की पैरवी करना भी है, परामर्श देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण, विधि और प्रारूपण की दृष्टि से कानूनी नियमों तथा आदेशों की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियों का प्रकाशन। कम्पनियों और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग-परिसीमन आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित विषय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

२१-१-१९६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है। तब से इसके तीन विभाग हैं : विधि कार्य-विभाग, विधायी विभाग और कम्पनी कार्य विभाग। हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। विधि कार्य विभाग विधिक मामलों में परामर्श और निर्वाचनों, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध मामलों का कार्य करता है, इसके बम्बई और कलकत्ते में शाखा सचिवालय भी हैं। विधायी विभाग विधेयको, अध्यादेशों और विनियमों के प्रारूपण और कानूनी नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि की जाच का काम करता है। यह राजभाषा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त है जो कानूनों के अनुवाद और यावत्साध्य सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करता है। विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियों के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्बन्धित कार्य भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम १९५६, जाच आयोगों और चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे वृत्तिक निकायों का प्रशासन करता है।

विधि काय विभाग

इसके कई अनुभाग हैं

१ परामर्श अनुभाग—इसके मुख्य काय ये हैं सविधान तथा विभिन्न कानूनी कानूनी नियमों आदों आदि के उपबन्धों के निवचन सहित कानूनी मामला और सरकारी मुकदमा की वादन अथ मन्त्रालयों और विभागों को परामर्श देना केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके पक्ष में निष्पाद्य सविदाओं और अथ निष्पत्तियों के प्राप्ति के लिए या उसके अतिरिक्त विदेशी सरकारों तथा अथ पक्षों से सहयोग करारों में भारत सरकार की ओर से बातचीत करना और उनको अन्तिम रूप देना राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रण विधेयकों की कानूनी दृष्टि में जांच मामलों के स्पष्टीकरण तथा अथ मन्त्रालयों में प्राप्त सन्निवृत्तियों के समझ रखी जाने वाली टिप्पणियों तथा सक्षिप्तियों की विधिक दृष्टि से जांच और भारत सभ के विरुद्ध वादों तथा अपीलों से सम्बद्ध कार्यों का समन्वय ।

२ मुकदमा सम्बन्धी अनुभाग—इसके मुख्य कृत्य हैं दिल्ली से राज्या उच्च न्यायालय की सरकिट न्यायाधीश और दिल्ली स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के न्यायी मुकदमा को सम्भालना तथा विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के मुकदमों के वाजिब पक्षों का सन्निवृत्त जांच तथा सहायकार को परामर्श देना ।

३ केंद्रीय अभिकरण अनुभाग—यह भारत सभ की ओर से उच्चतम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मुकदमों का परवी करता है । इस अनुभाग का न्याय केंद्रीय सरकार तथा योजना मन्त्रालय तथा सरकारों सहित करती है । जात्र प्रदेश जसम केरल मध्य प्रदेश मराठ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के अतिरिक्त न्ये सभी राज्य सरकारों इस योजना में है ।

४ न्यायिक अनुभाग—यह सरकार के विभिन्न कानूनी अधिकारों की नियुक्ति व अथ न्यायिक विषयक काय करता है । यह उन विवादों के भी विभिन्न कार्यों को देखता है जिनमें केंद्रीय सरकार भी एक पक्ष हो । गरीबों का विधिक सहायता विषयक काय भी इसके अंतर्गत है ।

५ निर्वाचन अनुभाग—इसमें निर्वाचन आयोग तथा परिधीय न्यायालय में सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मामलों और निर्वाचन विधि निर्वाचनों पर होने वाले वध नोक प्रति निहित्व अधिनियम १९१० और १९५१ तथा अन्य अंतर्गत नियमों के प्रशासन के काय होते हैं । आयकर अथ अधिकरण से सम्बन्धित प्रशासनिक काय भी यन् करता है । इसकी १० पीठें हैं ४ बम्बई में दिल्ली और कानपुर में ११ प्रयाग हैरारावाद मद्रास और पटना में । इस अनुभाग का प्रशासनिक सम्बन्ध पूर्वी पञ्जाब के विशेष अधिकरण से भी है जो निर्वाचन में है ।

शाखा सचिवालय

बम्बई स्थित शाखा सचिवालय—केंद्रीय सरकार के बम्बई स्थित न्यायालय से सम्बन्धित व अथ कानूनी मामलों की जांच का देगना है । कलकत्ता स्थित शाखा सचिवालय

रेलवे और आयकर विभागो को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित अन्य सभी कार्यालयो को कानूनी सलाह देता है ।

विधायी विभाग

इसके भी दो अनुभाग हैं । एक अनुभाग का मुख्य कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की ओर से, जिनका विधायी प्रस्थापनाओं से प्रशासनिक सम्बन्ध है, सभी केन्द्रीय विधेयको, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण है । इसके अन्य कार्य हैं विधायी प्रस्तावों के बारे में मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखी जाने वाली सक्षिप्तियों की जाच, सभी विधेयको के ससद और संयुक्त की जाने वाली समितियों या प्रवर समितियों से गुजरने के प्रक्रमों से सम्बन्धित कार्यवाही, राज्यों के लिए आदर्श विधेयको का प्रारूपण, राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में विधेयको का मस्विदा तैयार करना और उन्हें व्यावहारिक रूप देना । यह अनुभाग समस्त गौण विधान अर्थात् कानूनी नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, उपविधियों आदि की विधि सविधान तथा प्रारूपण की दृष्टि से जाच करता है । दूसरा अनुभाग समवर्ती विषयों में विधायी प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में काम करता है—कानून बनाने के विषय को देखता है । विधि, आयोग की सिफारिशों का परिपालन भी इसका काम है । इसका कार्य हर एक वर्ष में पारित या प्रख्यापित समस्त केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सक्षिप्त विवरण तैयार करना और उनको प्रकाशित करना भी है । अधिवक्ता अधिनियम का प्रशासन तथा हिन्दू धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट का परिपालन भी इसके अतर्गत है ।

प्रकाशन शाखा

इसका कार्य ४ अनुभाग करते हैं—१ प्रकाशन अनुभाग, २ साधारण कानूनी नियम और आदेश अनुभाग, ३ शोधन अनुभाग और ४ मुद्रण अनुभाग । प्रकाशन अनुभाग का काम केन्द्रीय अधिनियमों व अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री—भारत का सविधान निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि—का प्रकाशन है । दूसरा अनुभाग साधारण कानूनी नियमों और आदेशों का पुनरीक्षित संस्करण निकालता है । शोधन अनुभाग का कार्य उपरोक्त विषयों व अन्य कानूनी तथ्यों सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों का अद्यतन सेट तैयार करना है । मुद्रण अनुभाग विधेयको, अध्यादेशों, केन्द्रीय अधिनियमों आदि के प्रकाशनों से संबद्ध संपादन और मुद्रण का कार्य सभालता है ।

अनुवाद अनुभाग

इसका प्रधान कार्य केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी रूपांतर करना तथा उन्हें द्विभाषीय (हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करणों में प्रकाशित करना व विधि मंत्रालय द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत समस्त सामग्री का प्रकाशन है ।

विधि आयोग

यह २० दिसम्बर, १९६४ को और तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया । १६ दिसम्बर, १९५५ से इसने कार्य प्रारम्भ किया था । इसका मुख्य कार्य संपूर्ण न्याय-प्रणाली का अनुवीक्षण करना, उस पर पुनर्विचार करना और आवश्यक हो तो, सुधार के

४ जाच आयोग ।

५ उपर्युक्त मदों की वास्तविक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से सवध विषयों में केन्द्र का दायित्व ।

अदालत की मानहानि समिति—इस समिति की स्थापना सरकार ने जुलाई १९६१ में की । इसके कार्य (१) अदालत की मानहानि के मामलों की परीक्षा करना और अभियुक्त को उचित दण्ड दिलाने की विधि बताना, (२) इस विषय के विद्यमान कानूनों में, यदि आवश्यकता हो तो, संशोधन करना और उनमें एकरूपता लाना तथा यदि कहीं अस्पष्टता हो तो उसे दूर करना, (३) जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ कानून में सुधार सुझाना और (४) समिति द्वारा परीक्षा के बाद यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता हो, तो सुझाना । इस प्रकार विधि मंत्रालय भारत-राष्ट्र की कानूनी एकता को कायम रखने का है और देश भर के कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयत्न करता है ।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

१६ अगस्त, १९४७ से पहले जो प्रादेश या 'रिट' देशभर में ब्रिटिश सम्राट के नाम से चलता था, वह अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों (हाई कोर्टों) के नाम पर चलता है । संविधान के अनुच्छेद २७२ में कहा गया है कि इसके चालू होने से पहले देश में जो कानून प्रचलित थे, वे उस समय तक अपने रूप में चलते रहेंगे, जब तक उनमें परिवर्तन न किया जायगा या उनको रद्द न किया जायगा ।

संविधान के अनुच्छेद १३ में विहित किया गया है कि संविधान के चालू होने से पहले प्रचलित कानूनों में जो मूल अधिकारों (भाग ३) के विरोधी होंगे, वे अमान्य रहेंगे । राज्यों को भी अनुच्छेद १३ (२) में मूल अधिकारों के विरोधी कानून बनाने से रोक दिया गया है । अनुच्छेद १४ में कहा गया है कि विधि या कानून के सम्मुख सब व्यक्ति समान माने जायेंगे । कानून का संरक्षण सबों को एक समान प्राप्त होगा ।

विद्यमान कानून के सातत्य की ओर कानूनी प्रक्रिया के जारी रहने की गारंटी अनुच्छेद ३७५ में दी गयी है । न्यायिक अधिसत्ता और पद पहले के समान बने रहने और जारी रहने दिए गए । भारत का देशी कानून वैयक्तिक है और वह हिन्दू एव मुस्लिम विभागों में विभाजनीय है । हिन्दू और मुस्लिम, दोनों कानूनों का स्रोत धर्म है ।

संविधान के अनुच्छेद १२४ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विहित है । इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं । कुल १३ न्यायाधीश हो सकते हैं । अभी इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीश समेत ११ है । राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं । ६५ साल की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं । न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य ली जायगी । सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारतीय नागरिक हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय का पांच साल तक न्यायाधीश रहा हो, या जिसकी १० साल की चलती बकालत हो । राष्ट्रपति किसी विख्यात न्यायशास्त्री को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं ।

न्यायाधीश अपने पद से उस समय तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से स्वीकार न कर

में। प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में स्वाकृत होना चाहिए और तब राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा यदि भारत की किसी प्रकार की अदालत में शकान्त नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय अभिनव (रिवाज) न्यायालय है। न्यायालय का अपमान करने या न्यायाधीश का भी अधिकार इस है। यह दिवसीय में आस्थित है। पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का महमति में किसी से अलग भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निम्न मामला में एकाकी मूल न्यायाधिकार है

(१) कानून सरकार किसी राज्य या राज्यों के साथ विवाद (२) केंद्रीय सरकार और एक या अनेक राज्य एक आर और इनके विरोध में अथवा राज्य (३) दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद (४) यदि किसी विषय में कानून या सभ्य पर विवाद हो जिसका कारण कानून अधिकार (अनु. १३१) की शक्ति पहुंचने का भय हो।

यहां अज्ञान-न्यायाधिकार बताना व्यापक है। उक्त न्यायालय में किसी भी नियम प्रमाणित (शिका) और अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है यदि उक्त न्यायालय इस बात को प्रमाणित करे कि इस विषय में कानून की व्याख्या महत्वपूर्ण है। यदि कभी उक्त न्यायालय प्रमाणित करने में असमर्थ हो तो अनु. १६ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विषय परिशिष्टों में अज्ञान करने का अनुमति दे सकता है। दीवानी मुकदमा की भी सर्वोच्च न्यायालय में जाना हो सकता है यदि मामला २०० रु से कम का न हो तो उक्त न्यायालय अनु. १८ के अनुसार उमका सर्वोच्च न्यायालय में अपील के उपयुक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश की सब अदालतों के लिए मान्य होगा ।
संसद को सर्वोच्च न्यायालय का विधान बनाने, इसका संगठन करने और न्यायाधि-
करण-क्षेत्र निश्चित करने का अधिकार है ।

अनुच्छेद २२ विहित करता और गारन्टी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधि-
कारी को लागू करने के लिए विधि-विहित कार्य करने का अधिकारी है ।

शाही क्षमादान या दण्ड कम करने का अधिकार अब अनु० ७८ ने राष्ट्रपति को दिया है । अनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्य की भाषा अंग्रेजी होगी । संसद और विधान मण्डलों में पेश हुए विधेयकों की भाषा अंग्रेजी होगी और वे ही प्रमाणित भी माने जायेंगे । राष्ट्रपति द्वारा प्रचारित सब अध्यादेशों और कानून की भाषा भी अंग्रेजी ही होगी । यदि भाषा का परिवर्तन अभीष्ट और वाछनीय हो, तो संसद को पहले इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा । संसद ने १९६३ में राज्यभाषा अधि-
नियम स्वीकार किया है । यह राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह उच्च न्यायालय को हिन्दी या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में व्यवहार करने को कह सकता है । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की भाषा में परिवर्तन का उपबन्ध इस कानून में नहीं है ।

अनुच्छेद १४४ के अधीन दीवानी, फौजी और मुल्की अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करनी चाहिए । जजों की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई है । उनको समेकित विधि से वेतन दिया जाया करेगा और संसद में उनके कार्यों की आलोचना या समीक्षा नहीं की जा सकती ।

उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट)

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है । इसे भी अभिलेख का और अन्य सभी अधिकार प्राप्त हैं । उच्च न्यायालय को अपना अपमान करने वालों को दण्ड देने का भी अधिकार है ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । इसमें प्रान्त के राज्यपाल और उसके उच्च न्यायालय के न्यायापति की भी सलाह ली जाती है । न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है । न्यायाधीश वही भारतीय हो सकता है जो न्यायाधिकार क्षेत्र का पदाधिकारी रहा हो या जिसने कम से कम १० वर्ष तक वकालत की हो । अनुच्छेद १२४ (अ) में विहित विधि के सिवाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से और विधि में नहीं हटाये जा सकते । उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवा-निवृत्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के सिवाय देश भर में और कहीं वकालत नहीं कर सकता । सविधान में अतिरिक्त या अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का विधान है । अनुच्छेद २२२ में राष्ट्रपति को, यदि चाहे तो, किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है । राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं ।

२६ जनवरी १९५० से भारतीय सविधान जारी हुआ किन्तु उच्च न्यायालय इससे पहले से चले आ रहे हैं । इनमें से अनेक ६० साल पुराने हैं । सविधान के अनुच्छेद २२६ ने

उत्तरा और उनका व्यापार अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है। सरकार ने निम्नान जादेग परमाण्य प्रतिपद्य अधिहार पृच्छा उत्पक्षण और न्यादेग (रिट) का स्वीकार किया। बरी प्रत्यभाकरण जीर जम पूव प्राप्त अधिहार भी स्वाकार किए गए। अनुच्छेद २२६ के नारा उच्च व्यापार्य का मून अधिहार न्निान ता भी अधिहार लिया गया।

हम समय उच्च व्यापार्य का व्याय क्षेत्र क्या प्रकार है —

नाम	स्थापना-काल	अधिकार क्षेत्र	स्थान
१ व्यापार्य	१९१९	उत्तर प्रन्ग	प्यापार्य (उगनऊ म यायपीर)
२ आर प्रन्ग	१९१९	आर प्रन्ग	कैरारापार्य
अगम य नागापार्य	१९६८	अगम	गोपनी
४ बम्बई	१९६१	मगराण	उम्बई (तागपुर म व्याय पीर)
५ बनरला	१९६१	प बगाय अहमान य विहीनार नाव-ममू	बनरला
६ म्बाराय	१९६६	मुजगान	जहमपारापार्य
७ जम्मु पार्य	१९६८	जम्मु पार्य	शानगर जम्मु
८ वरर	१९६१	बनल पार्य दितावाय २ अमीन रीया डार मम	पनाहनम

की सुनवाई मत्र न्यायाधीश करता है और कानूनन दण्ड देने का अधिकारी है। विहार ने १९६१ में जूरी द्वारा न्यायदान की व्यवस्था का अन्त कर दिया। महाराष्ट्र ने भी जूरी-व्यवस्था नमाप्त कर दी है। मैसूर और पश्चिमी बंगाल भी इसे समाप्त करने का विचार कर रहे हैं। असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जूरी-व्यवस्था नहीं है।

दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की अदानतें तीन प्रकार की हैं और इनके अधिकारों में भी अन्तर है। ये साधारणतः जहरो में स्थापित हैं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में प्रेमीडेनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के मामले आने वाले मामलों को सुनता है। मानार्ह दंडाधिकारी (ऑनरेरी मजिस्ट्रेट) मामूली मामलों को सुनता है।

मविधान के अनुच्छेद ५० में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग रखेंगे। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, मध्य भारत, विध्यप्रदेश भोपाल (मध्य प्रदेश के क्षेत्र) पंजाब के पेंसू जिले और उत्तर प्रदेश के ४७ जिलों में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग हैं। विहार के पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन, भागलपुर, सहरसा, हजारीबाग और पूर्णिया जिलों में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दी गई है। असम और राजस्थान की सरकारें इस प्रश्न पर अभी विचार कर रही हैं।

दीवानी छोटी अदालतों की रचना और इनके न्याय-क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न हैं। मोटे तौर पर जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश प्रत्येक जिले के लिए होते हैं। जिला न्यायाधीश मुख्यतः दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता है। इन पदों के लिए मुख्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के व्यक्ति ही लिए जाते हैं। कुछ नियुक्तियाँ प्रादेशिक सेवा में की जाती हैं। अब 'वार' के मदरस भी भरती किए जाने लगे हैं। प्रायः करके राज्यों की छोटी अदालतों के न्यायाधीश तरक्की पाकर जिला न्यायाधीश के पद पर पहुँचते हैं।

इनके बाद अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुसिफों का स्थान आता है। इनका मूल न्याय क्षेत्र भी सारे देश में एक समान नहीं है।

इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे मामलों के लिए पृथक अदालतें हैं। ये 'स्माल कॉज कोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ५०० रु० तक के दावे इनके सामने पेश किए जाते हैं। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के शहरों में, जहाँ उच्च न्यायालय का मूल न्याय-क्षेत्र है, ये अदालतें २,००० रु० तक के मामले सुनती हैं।

मद्रास और बम्बई में 'मिटी सर्विस कोर्ट'—नगर की दीवानी अदालतें हैं। बम्बई की ऐसी अदालत २५,००० रु० तक के मुकदमों सुनती है।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों का 'इन्सॉल्वेन्सी कोर्ट' के रूप में भी न्याय-क्षेत्र है। मुफस्सिल में यह अधिकार 'प्राविन्सियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' १९२०, के द्वारा मुफसिल अदालत को दिया है।

केवल बम्बई और कलकत्ता में ही 'कोरोनर' हैं। अन्यत्र उनका कार्य दंडाधिकारी और पुलिस अफसर जूरी की सहायता के बिना करते हैं।

विशेष 'यायालय

अधिकार रा-यो म श्रम 'यायालय और औद्योगिक 'यायालय हैं । श्रम-न्यायालय म एक 'यायाधीन ही बठता है । इस 'यायालय के मुख्य काय ये हैं—(१) यह नेगना नि काय नियोजक (एम्प्लायर) का आदेश कानूनी है या नहीं । (२) स्थायी आदेश का व्यवहार और उनकी 'याख्या तथा मघाथ । (३) सरकार द्वारा भेजे गये विवादा म पचाट करना ।

श्रम 'यायालय के नियम के विरुद्ध अपील औद्योगिक 'यायालय म का जानी है । इस 'यायालय को मूल अधिकार प्राप्त हैं । यह सरकार द्वारा और प्रतिनिधि श्रमिक सङ्गठना द्वारा भेजे गये विवादो पर भी नियम करता है । यह वेतन पपद (वेज बोड) क द्वारा भेजे गए विवादा पर भी नियम देता है । आवश्यकता पर किसी श्रम संबधी अधिनियम की व्याख्या भी करता है । श्रम 'यायालय के काय के निरीक्षण का भी इसको अधिकार है ।

१९४७ मे अन्तरिम ससद ने औद्योगिक विवाद अधिनियम—इंडस्ट्रियल डिस्पूट एक्ट बनाया । इसका उद्देश्य औद्योगिक विवादो को निपटाना है । औद्योगिक 'यायाधिकरण की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई है । इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम भोला पपद विवादी पक्षो म समझौता न करा सके का मामला 'यायाधिकरण क सामने जाता है । विवाद के दोनो पक्षा मे से कोई भी दूसरे पक्ष की अनुमति और 'यायालय की सहमति के बिना क्वील नहीं वा सकता ।

औद्योगिक 'यायाधिकरण स्थायी 'यायालय नहीं है । जब कभी कोई औद्योगिक विवाद सरकार के सामने पेन किया जाता है तब वह औद्योगिक 'यायाधिकरण नियुक्त करती है । 'यायाधिकरण एक या एक से अधिक 'यक्तिया का हो सकता है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९५६ और विविध प्रावधान अधिनियम स ३६ ने यायालय और यायाधिकरण की स्थापना के निम्न उपबध भी तय किए हैं

१ उपयुक्त सरकार श्रम 'यायालय स्थापित कर सकती है । इसम एक ही 'यायाधीन होगा ।

२ औद्योगिक 'यायाधिकरण भी एक 'यायाधीन का होगा । इसका यायाधीन उच्च यायालय का 'यायाधीन ही हो सकता है । 'यायाधिकरण की स्थापना उपयुक्त सरकार करेगी ।

३ राष्ट्रीय यायाधिकरण की स्थापना केन्द्रीय सरकार ही करती है । यह भी एक ही 'यायाधीन का हाता है । इस सम्बधी अधिनियम १ सितम्बर १९५६ स लागू है ।

श्रम कानूनों के प्रणामन का उत्तरदायित्व विभक्त है । इस सम्बध म केन्द्रीय सरकार निम्न के लिए जिम्मेदार है —

(१) मुख्य श्रम-आयुक्त कार्यालय—नई दिल्ली (२) कोमला खान कल्याण आयुक्त कार्यालय—घनबाण (३) कोमला खान भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय—घनबाण (४) कल्याण आयुक्त अन्नक खान मजदूर कल्याण-कोष आयुक्त कार्यालय—घनबाण और मैल्बोर (५) मुख्य खान निरीक्षक कार्यालय—घनबाण (६) मुख्य पक्करी परामर्शाता कार्यालय—नई दिल्ली (७) महानिर्देशक कर्मचारी बीमा निगम

कार्यालय—नई दिल्ली, (८) प्रवासी श्रमिक नियंत्रक, कार्यालय—शिलांग, (९) निर्देशक, श्रम कोष, कार्यालय—शिमला, (१०) केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, कार्यालय—नई दिल्ली।
श्रम कानूनो को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों के अपने सगठन हैं।

वाल-अपराधियों के मामले वाल-अदालतें सुनती हैं। जहाँ ऐसी अदालतें नहीं हैं, वहाँ उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या वेतनभोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या वेतनभोगी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनता है। इस अदालत में वकील वकालत नहीं कर सकते। विशेष अवस्थाओं में अदालत इसकी अनुमति दे सकती है।

राज्य सरकारें इन अदालतों की सहायता के लिए प्रोवेशन ऑफिसर नियुक्त करती हैं। इन अफसरों के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन नियमों (रूलों) में किया गया है। इनका मुख्य काम वाल-अपराधी के इतिहास की खोज करना और अदालत की सहायता करना है। वाल-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई के सामने की जा सकती है। अन्य स्थानों में सत्र न्यायाधीश के सामने अपील की जा सकती है। चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होती है।

पचायत न्यायालय (न्याय पचायत के नाम से ये प्रसिद्ध हैं) अनेक राज्यों में स्थापित हैं। पचायत न्यायालय के सदस्य ग्राम पचायत से चुने जाते हैं। पचायत अधिनियम के खंड २०-२४ में इस सम्बन्धी नियम दिये गये हैं, जिनमें इनके अधिकार-क्षेत्र और इनके अन्तर्गत मामलों का उल्लेख है। न्याय पचायत अपने निर्णय को बदल नहीं सकती। न्याय पचायत के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति जिला न्यायाधीश के सामने अपील करता है।

भारत रक्षा अधिनियम (१९६२, न० ५१) ने सरकार को विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार (खंड १३) दिया है। यह इसके खंड ३ के अन्तर्गत अपराधों की जांच के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

विधि अधिकारी

केन्द्रीय सरकार के समान हरेक राज्य के अपने विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी या कानूनी अफसर हैं। प्रत्येक राज्य का अपना एक महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) है। महाधिवक्ता वह हो सकता है जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। महाधिवक्ता के अतिरिक्त राज्यों में सरकारी वकील भी होते हैं।

राज्य सरकारों के महाधिवक्ता सरकारी वकील के अतिरिक्त भी कानूनी अफसर हैं। यह 'रिमेम्बरेंस आफ लीगल अफेयर्स' कहलाता है। यह कानूनी विभाग के सचिव का काम भी करता है। यह सरकारी कर्मचारी होता है। यह कभी किसी अदालत की अध्यक्षता नहीं करता। प्रायः जिला जजों में से कोई 'रिमेम्बरेंस आफ लीगल अफेयर्स' नियुक्त किया जाता है। यह विलो का मस्विदा तैयार करता है और सरकारी विभागों को कानूनी सलाह देता है।

बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के हाई कोर्टों के साथ शेरिफ सम्बद्ध हैं। इनको जूरी की सूची तैयार करने, समन जारी करने और अन्य कानूनी काम सौंपे जाते हैं। बम्बई का

गरिफ पन्न महाराष्ट्र स्टेट परमानेण रिनीफ वमिटी का अध्यक्ष है। वह नागरिका का और से सावजनिक मभा भी बुना सकता है।

वकीला की दो धणिया हैं। सुप्रीम कोट म वकालत करन बाल सीनियर एडवोकेट कहनाते हैं तथा अन्य जूनियर एडवोकेट।

सुप्रीम कोट के सब एडवोकेट हाई कोट म वकालत कर सकत हैं। बगर एटर्नी के हाई कोट के ओरिजनल पक्ष म मामले को पेग कर सकते हैं। बम्बई और कलकत्ता म एटर्नी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर ओरिजनल पक्ष म ही एडवोकेट वकालत कर सकता है। एटर्नी एट ना ने यदि एडवोकेट के रूप मे अपना नाम लिखाया है तो वह भी हाई कोट म वकालत कर सकता है।

प्लीडर—जिला जज की अमानत म ही वकालत कर सकता है और वह भी उसी जिले म जिसकी उसने पाता सनद हो।

इनके अनिरिक्त असम बिहार, गुजरात उड़ीसा राजस्थान उत्तर प्रदेश और प० बंगाल म मुह्तार हैं। असम म इनके सिवाय और एक बग है। वह रेवेन्यू एजेंट कहमाना है।

गवर्न ने १९६१ म एडवोकेट एक्ट (न २५) बनाकर वकीला को एकसूत्रबद्ध कर दिया है। इसने बार कौमिल और अखिल भारतीय बार की स्थापना सम्भव कर दी। बार कौमिल देश भर क वकीला की नाम-सूची रखेगी। यह कौमिल वकीलों के व्यवसाय क प्रतिमान की रक्षा करेगी। विन्वविद्यालय की महायता से कानूनी शिक्षा का प्रतिमान ऊंचा करेगी। हरक विन्वविद्यालय का कानून का स्नातक (ना ब्रज्जुएट) अब बार कौमिल की मान्यता प्राप्त होने पर ही एडवोकेट हो सकता है।

रमजी गिफारिणो पर नों कानून का पाठ्यक्रम बनाकर तीन भाग का कर दिया गया है। सिन्धी म यह १९६५ म किया गया है।

हिन्दू कानून मे सुधार

गविष्यात म सिधदा का राजनाति और सामाजिक समानता का जिनसार प्रणय किया है। एम साधारण सभारण्य म हिन्दू समाज की पुराना सामाजिक अवस्था का पारा रहना एक विगमन हागा। इस दृष्टि म हिन्दू कानून म हुए सुधारा पर एम दृष्टिपा करना आवश्यक है।

१९ म नवर १९४५ तन क स्वाधानता-समग्राम म महिला-जा का भाग बराबर बढ़ना एम सिधो न एम ही नगी हाडा बकि पर चूना भा छाडा। भारत की जागृत और उद्वृ महिला न १९१२ म साऊय बारा समिति क समान मताधिरार की माग की सी और अन निग स्थान गुर्गात एमन का विराध किया भारतीय महिला-जा न उमारी क सार्व धवन म इतरार कर दिया। समनमाना क समान उठान अपन की कमजोर समझ कर अन निग सिधन समाम्रा म स्थान सुरगित करने की माग नया का जबकि विप्या समार दा को उठान था।

सिन्धी की एम सार्वजनिक का दग भूता गहा। १९६६ म तन दग म प्रातीय

स्वायत्त शासन स्थापित हुआ, तो १९३७ में केन्द्रीय एसेम्बली ने 'हिन्दू विमेन्स राइट्स प्रापर्टी एक्ट' (हिन्दू नारी साम्प्रतिक अधिकार अधिनियम) स्वीकार किया। इसने हिन्दू विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति में भाग पाने और वटवारा कराने का अधिकार दिया।

चार साल बाद सरकार ने सम्पूर्ण हिन्दू कानून पर विचार करने और संहिताकरण करने के लिए एक समिति नियुक्त की। यह हिन्दू संहिता समिति के नाम से प्रसिद्ध है। इसने दो विधेयकों का मसविदा तैयार किया। एक था हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक और दूसरा हिन्दू विवाह विधेयक।

केन्द्रीय विधान-मण्डलो में जब इस पर विचार किया गया, तब दोनों सदनों ने प्रस्ताव किया कि राव समिति को अपना कार्य जारी रखने और उसको सम्पूर्ण हिन्दू-कानून का संहिताकरण करने के लिए कहा जाय। १९४४-४५ में समिति ने सारे देश में दौरा करके जनता की राय जानी। इसने हिन्दू संहिता तैयार की। देश के प्रमुख वकीलों की समितियों का सग्रह भी इसने तैयार किया। हिन्दू-समाज के विभिन्न सगठनों की राय भी प्रस्तावित संहिता पर सग्रहीत की।

हिन्दू स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून स्वीकार किए गए हैं

१ हिन्दू विवाह अनार्हता (पुनरीक्षण) अधिनियम, १९४६ बना। इसके द्वारा अपने ही गोत्र और प्रवर में हिन्दू स्त्री का विवाह सम्भव हो गया।

२ हिन्दू विवाहिता महिला आवास व निर्वाह अधिकार अधिनियम, १९४६ ने हिन्दू महिला के लिए अपने पति से निवास-स्थान और कुछ हालतों में जीवन-वृत्ति पाना सम्भव कर दिया है। हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम, १९४६ ने विवाह में जाति-बाधा को दूर कर दिया तथा प्रतिलोम विवाह भी वैध करार दिया। बाल-विवाह निरोध (सशोधन) अधिनियम (चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट—अमेडमेन्ट—एक्ट), १९४९ ने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ायी। १४ के बदले १५ वर्ष पहले लड़कियों का विवाह निषिद्ध किया गया। इसमें अभी और भी सशोधन की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक लड़की को माध्यमिक शिक्षा देना आवश्यक माना जाए, तो उसकी विवाह की उम्र १८ से कम न होनी चाहिए।

वम्बई में एकपत्नीव्रत का नियम बना दिया गया है। वहाँ (हिन्दू बहुपत्नी-विवाह निरोध अधिनियम) १९४६ बनाया गया। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह निषिद्ध कर दिया गया है। वम्बई ने ही सर्वप्रथम 'वम्बई हिन्दू विवाह-विच्छेद (तलाक) अधिनियम, १९४७' पारित किया और हिन्दू स्त्रियों को कुछ दशाओं में तलाक देने का अधिकार दिया।

मद्रास राज्य में भी एक अधिनियम था जो हिन्दू को बहुविवाह करने से रोकता था और स्त्री को तलाक देने का अधिकार देता था। इसका नाम था मद्रास (हिन्दू वाईगमी प्रीवेशन एक्ट एण्ड डाइवोर्स एक्ट) हिन्दू बहुपत्नी निरोध तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम। मद्रास विधान-सभा ने १९४७ में मद्रास देवदासी (प्रीवेशन ऑफ डेडोकेशन एक्ट) अधिनियम पास किया। इसके द्वारा हिन्दू मन्दिरों में हिन्दू लड़कियों को भेट करने की प्रचलित पुरानी प्रथा का अन्त कर दिया गया।

बम्बई हिन्दू महिला सापत्तिक अधिकार (कृषि भूमि) अधिनियम १९३२ (बम्बई हिन्दू विमोस राइट टु प्रापर्टी एक्ट—एक्सटेंशन टु एग््रीकल्चरल लैंड) न हिन्दू स्त्री का अधिकार कृषि भूमि तक विस्तृत कर दिया। उस तरह का एक कानून मद्रास में भी बनाया गया।

हिन्दू कोड बिल यद्यपि सरकार ने पेश नहीं किया किन्तु इससे आधार पर अनेक कानून सरकार ने बनाये। विधेय विवाह अधिनियम (दी स्पेशल मरिज एक्ट) १९५४ १८७२ के पुराने विधेय विवाह अधिनियम (स्पेशल मरिज एक्ट) को रद्द कर देता है। यह यद्यपि हिन्दू कोड का भाग नहीं है फिर भी वह हिन्दू और गर हिन्दू दोनों को सिविल मरिज—अदानती विवाह की इजाजत देता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दू मरिज एक्ट) १९५५—१८ मई १९५५ से अमल में आया और इसके साथ निम्न पुराने कानून रद्द हो गए।

(१) हिन्दू विवाह अनाहता पुनरोक्षण अधिनियम (हिन्दू मरिज डिसएथीलिट्री रियूअन एक्ट) १९४६ (२) हिन्दू विवाह वधना अधिनियम (हिन्दू मरिज वनिडिट्री एक्ट) १९४६ (३) हिन्दू विवाह विच्छेद अधिनियम (हिन्दू डाइवोस एक्ट) १९४७ (बम्बई) (४) हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध अधिनियम (हिन्दू वार्डगमस मरिज प्रीवेंशन एक्ट) १९४६ (५) मद्रास हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध व विवाह विच्छेद अधिनियम (हिन्दू वार्डगमी प्रीवेंशन एक्ट डाइवोस एक्ट) (६) सौराष्ट्र हिन्दू बहुपत्नी विवाह निरोध अधिनियम (सौराष्ट्र प्रीवेंशन आफ हिन्दू वार्डगमी मरिज एक्ट) (७) सौराष्ट्र हिन्दू विवाह विच्छेद अधिनियम (दी सौराष्ट्र हिन्दू डाइवोस एक्ट)।

१९५५ के हिन्दू विवाह अधिनियम (हिन्दू मरिज एक्ट) २५ के अनुसार हिन्दू समाज में एकपत्नीविवाह का नियम हो गया है। तलाक का अधिकार कुछ अवस्थाओं में दिया गया है। अन्तर्जातीय विवाह और समाज विवाह भी वध माने गए हैं। हिन्दू अल्पवयस्कता व सरक्षण अधिनियम (हिन्दू मान्मारिट्री एण्ड गार्जियनशिप एक्ट) (३२) १९५६ सरक्षता सम्बन्धी कानून का नियमन करता है। इसने मिताक्षरा और दायभाग कानून का भेद मिटा दिया। फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (हिन्दू सक्सेशन एक्ट) २९ १९५६ हिन्दू उत्तराधिकार व्यवस्था का नियमन करता है। माहमकट्टामम शासित लोगों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। यह कानून उत्तराधिकारियों को दो श्रेणियों में बांटता है तथा उनकी को अपने भाई के समान पिता की जगह में भाग पाने का अधिकार देता है। पहले के हिन्दू कानूनों में उसका अभाव था। हिन्दू उत्तराधिकार व्यवस्था में निम्न परिवर्तन किए गये हैं (१) हिन्दू स्त्री को जो अपनी संपत्ति में धन है उसका वह पूरा स्वामिनी है। वह उसका जमा चाहे विनियोग कर सकती है तथा उसका लिए उस पर कोई बंधन नहीं है।

मन हिन्दू व उत्तराधिकारी कुल की अविभक्त संपत्ति में भी हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। मिताक्षरा कानून अब कोई बाधा नहीं देता। हिन्दू अब अविभक्त संपत्ति के विषय में समीपन कर सकता है।

नियम्बर १९५६ में हिन्दू दत्तक-सनति और सगोपन अधिनियम (हिन्दू एडोपशन एण्ड मरिज एक्ट) ७९ १९५६ पार हुआ। इसके द्वारा नन्का या लड़की को गोप्य देने की इजाजत दी गई है। गोप्य देने में पत्नी की सहमति आवश्यक है।

इन कानूनों के अतिरिक्त, सामाजिक सुधार के लिए ससद ने अनेक कानून बनाए हैं ।

महिलाओं व बालिकाओं का अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम (दी सप्रेसन ऑफ इम्मॉरैल ट्रेफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट) १९५६, न० १०४, दिसम्बर १९५६ में स्वीकार किया गया । यह न्यूयार्क में ९ मई, १९५० को एक अन्तर्राष्ट्रीय करार पर किये गये दस्तखत के अनुसार बनाया गया । यह गणिका-वृत्ति सम्बन्धी सस्थाओं को लाइसेन्स लेने के लिए बाध्य करता है ।

अपराधी सुधार अधिनियम (प्रोवेशन ऑफ अफेण्डर्स एक्ट) १९५८ (२०) भी एक सामाजिक सुधार का कानून है ।

बम्बई सरकार ने विवाह पजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट) बनाया । दहेज विरोधी अधिनियम (डावरी प्रोहीविशन एक्ट) न० २८-१९६१ स्वीकार किया गया । इसके अनुसार दहेज लेना और देना दण्डनीय है और उल्लघन करने पर ६ मास की कैद की सजा दी जा सकती है ।

समाज-सुधार की दिशा में और एक कानून दातव्य अनाथालय (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम, आर्फनेज चैरीटेबल होम्स (सुपरविजन एण्ड कन्ट्रोल) बिल ससद में पेश कर बनाया गया ।

बाल अधिनियम (चिल्ड्रन एक्ट) न० ६०—१९६० का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षा, संरक्षण, पालन, कल्याण और प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना है । उपेक्षित विकलांग बच्चों की रक्षा की भी यह व्यवस्था करता है ।

इस सक्षिप्त विवरण से और एक बात प्रकट होगी कि स्वाधीनता के बाद समाज-सुधार विषयक कानून बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया । गणराज्य की स्थापना के बाद हिन्दू-समाज को संगठित और कानून द्वारा एकसूचित करने का यत्न किया गया ।

—————




कृषि, पशु पालन, पंचायत तथा ग्रामीण
समस्याओं पर उपयोगी रचनात्मक-
साप्ताहिक

कृषक जगत

वार्षिक शुल्क-१२ रु.

पो. बा ३, भोपाल- (म. प्र.)

ज्ञान के नवीन संसार में



ज्ञान के नये संसार का कौतुक किशोर की जो प्रोढ़ होगा कौतुहलभरी
आँखों के समक्ष खुल रहा है यह कागज द्वारा ही संभव हुआ है।
कागज के विषय में जागरूक दुनिया की अत्यन्त कठिन माँगों को पूरा
करने में ओरियन्ट को गव है।

जहाँ भी कागज है वहाँ ओरियन्ट है

ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड

मन्दायनगर, उडिसा • अमलाई, मध्य प्रदेश



“कोयला आज जलाइये”

“गोबर लकड़ी बचाइये”

“अधिक अन्न उपजाइये”

अधिक से अधिक कोयले का उपयोग करके, हम प्राकृतिक खाद, गोबर तथा लकड़ी का स्रोत जंगल बचा सकते हैं तथा इनका उपयोग करके अधिक से अधिक अन्न उपजा सकते हैं। आज देश की अन्न समस्या के समाधान के लिए कोयला भी महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है।

युनाइटेड माइनिंग कं० प्रा० लिमिटेड

विक्टरी कोलियरी

भरिया



फोन : ६५६५

राष्ट्र की जीवन रीत भारतीय रेल देश की तीव्र आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रही है। ये लयात्रा को और अधिक भीषणगामी सुरक्षित तथा सुखदायक बनाने के लिए कटिबद्ध है। किंतु यह सब आपको सक्रिय सहायता से ही किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि छतरे की छाँड़ कर दुरूपयोग (किना / स्ट यात्रा और रेलवे सम्पत्ति तथा रेल-भाग की लोड-वोल्यू को समाप्त करने में हमें सहयोग दीजिए।

हमसे सहयोग कीजिए जिससे हम आपको और भी अच्छी सेवा कर सकें।



उत्तर रलवे



साथी
और
मास
वाहन में
दिन रात
तक

चतुर्थ महानिर्वाचन

फरवरी १९६७ में भारत के चतुर्थ पंचवर्षीय आम चुनाव सम्पन्न हुए। इसके पूर्व १९५२, १९५७ व १९६२ में आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनावों के पश्चात् यह पहला अवसर था, जब सभी राज्यों में विधान सभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। १९५७ में आंध्र राज्य में केवल तेलंगाना क्षेत्र में ही आम चुनाव हुए थे। १९६२ में उड़ीसा तथा केरल की विधान सभाओं के चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि केरल में १९६० और उड़ीसा में १९६१ में मध्यावधि चुनाव हो चुके थे। जम्मू-कश्मीर, नगर हवेली और दादरा, अण्डमान और नीकोवार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप और मिनिकीय द्वीपों में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान हुआ। इसके अतिरिक्त राजधानी दिल्ली में नगर निगम के १०० स्थानों तथा नवनिर्मित महानगर परिषद के ५६ स्थानों के लिए मतदान भी आमचुनाव के साथ ही किया गया। पाण्डिचेरी एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है, जहाँ इस बार केवल लोकसभा का ही चुनाव हुआ, वहाँ की विधान सभा का चुनाव १९६९ में होगा।

चुनाव की पृष्ठभूमि

भारत को विश्व का सबसे विशाल लोकतन्त्री देश होने का गौरव प्राप्त है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रत्येक आने वाले आम चुनाव में इस लोकतन्त्र का विस्तार होता जा रहा है जिसका परिचय तालिका 'एक' से मिल सकता है। इस तालिका के अनुसार चतुर्थ महानिर्वाचन के लिए कुल मतदाताओं की संख्या २४ करोड़ से अधिक थी, जिनमें से १५ करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ज्ञातव्य है कि मतदाताओं की यह संख्या विश्व के दो महान् राष्ट्र—रूस और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। ७६ प्रतिशत निरक्षर जनता के इस विशाल देश में चुनावों का शान्तिपूर्वक सम्पन्न होना भारतीय जनमानस में जनतन्त्रवादी आस्था तथा सरकारों की गहराई का परिचायक है।

नई लोक सभा

नई लोक सभा की कुल सदस्य संख्या ५२० है जबकि तृतीय लोकसभा में यह संख्या ५१४ थी। इन सीटों के लिए विभिन्न दलों ने जो उम्मीदवार रखे किये उनकी संख्या तालिका न० २ में दी हुई है, जिसके अनुसार सबसे अधिक प्रत्याशी कांग्रेस ने (५११) और उसके पश्चात् जनसंघ ने (२४९) रखे किये। लोकसभा के लिए सबसे भारी मतदान (७५६६ प्रतिशत) केरल राज्य में हुआ जबकि सबसे हल्का मतदान (४३६३ प्रतिशत) उड़ीसा में रहा। लोकसभा के लिए एक बार प्रत्येक दल को प्राप्त होने वाले मत तथा उसका प्रतिशत अनुमान तालिका क्रमांक ३ में दिया गया है। इस तालिका के अध्ययन में स्पष्ट है कि कांग्रेस के बाद सर्वाधिक मत जनसंघ को प्राप्त हुए हैं। तीसरा नम्बर स्वतन्त्र

पार्टी का आना है। ससोपा कम्यु पार्टी व कम्यु० (माक्स) का लगभग बराबर मत मिल रहे हैं और उनका प्रतिशत काफी कम है। वर्तमान लोकसभा में विभिन्न दलों की स्थिति निम्न प्रकार है काग्रस २८१ स्वतंत्र ४२ जनसघ ३५ कम्युनिस्ट पार्टी २३ ससोपा २३ द्रविड मुनेत्र कडगम २५ कम्यु (माक्स) १६ प्रसोपा १३ अय दल १३ तथा निर्दलीय ४२ हैं। इसके विपरीत १९६२ की लोकसभा में काग्रस का ३६१ स्वतंत्र का २२ जनसघ को १४ कम्युनिस्ट पार्टी को २६ ससोपा को ६ और प्रसोपा को १२ सीटें प्राप्त हुई थी।

विवरण से यह स्पष्ट है कि इस बार लोकसभा में लगभग सभी विरोधी दला ने अपनी स्थिति सुधारी है और काग्रस का बहुमत बहुत घट गया है। काग्रस का बहुमत पिछली लोक सभा के ११४ से घटकर इस बार केवल २५ रह गया है।

लोकसभा के कुल ५२० स्थानों में से ५११ पर ही चुनाव हुआ। पांच स्थानों में निर्विरोध चुनाव हो गया। आंध्र से—१ असम से—१ जम्मू-कश्मीर से—२ जीर नागा लण्ड के एकमेव स्थान पर निर्विरोध चुनाव हुआ।

भारतीय लोकतंत्र की प्रगति

तालिका १

आम चुनाव का वर्ष	कुल मतदाता	कुल वध मत	प्रतिशत
१९५२	१७ ३२ १३ ६३५	१ ५६ ४४ ४६५	६१ १६
१९५७	१६ ३६ ४६ ६६	१२ ०५ १३ ६१५	६२ २३
१९६२	२१ ६३ ७२ २१५	११ ५१ ६७ ८६०	५३ १३
१९६७	२४ ६ ०३ ३३४	१४ ५८ ६६ ५१	६१ ३३

चतुर्थ महानिवाचन में दला की स्थिति

तालिका २

दल का नाम	लोकसभा कुल स्थान ५२०			विधानसभा कुल स्थान ३४८७		
	जमानत			जमानत		
	सीटें लडा	सीटें जीता	शेई	सीटें लडी	सीटें जीती	शेई
काग्रस	५११	२७६	७	३४१२	१६६१	१३६
जनसघ	२५१	३५	११३	१६०७	२६८	८५३
स्वतंत्र पार्टी	१७६	४४	८८	६७८	२५७	४६८
ससोपा	११२	२३	५५	८१३	१८	४१६
कम्युनिस्ट पार्टी	११	२३	४१	६२५	१२१	३१२
कम्युनिस्ट पार्टी (माक्स)	५८	१६	१५	५११	१२८	१८६
प्रगोपा	१०६	१५	७५	७६८	१६	५१२
रिपब्लिकन पार्टी	७०	१	४२	७७८	२३	२८५
अप मान्यता प्राप्त दल	७४	७	१६	६०२	२५८	१७८
मान्यता रहित दल	१५	६	७	२२४	८५	६०
निर्दलीय	८६५	३५	७४७	५५६४	३७६	४४

अखिल भारतीय लोकसभा निर्वाचन

विश्लेषण

कुल मतदाता—२४,६०,०३,३३४, कुल मतदान—१५,२७,२४,६११, प्रतिशत—
६,१३३, वैध मत—१४,५८,६६,५१०, अवैध मत—६८,३०,४६०, प्रतिशत—४ ६८

दलो को मिले मत

दल का नाम	वैध मत	प्रतिशत
कांग्रेस	५,६४,०२,७५४	४० ७३
जनसघ	१,३७,१५,६३१	९ ४१
स्वतन्त्र	१,२६,५६,५४०	८ ६८
ससोपा	७१,७१,६२७	४ ६२
कम्युनिस्ट	७५,६४,१८०	५ १६
कम्युनिस्ट (माक्सवादी)	६१,४०,७३८	४ २१
प्रसोपा	४४,५६,४८७	३ ०६
रिपब्लिकन	३६,०७,७११	२ ४८
अन्य दल	१,१०,६६,३४२	७ ६२
निर्दलीय	२,००,५१,२००	१३ ७५

विभिन्न राज्यों मे लोकसभा के लिए चुनाव का विश्लेषण अलग-अलग दिया जा रहा है। आकड़े केवल उन स्थानों के हैं जहां मतदान हुआ था। निर्विरोध-निर्वाचनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश

कुल स्थान—४०, कुल मतदाता—२,०५,६६,०६६, मतदान—१,४१,२४,०६७,
रह गन—५,५०,०६२।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४०	३४	६३,५४,६५६	४६ ८२
स्वतंत्र पार्टी	१६	३	१८,६५,८६२	१३.७५
जनसघ	६	—	१,६५,३५७	१ ४४
ससोपा	३	—	५६,८६६	० ४२
कम्युनिस्ट	२२	१	१७,१३,५८५	१२ ६२
कम्युनिस्ट माक्सवादी	६	—	८,४१,१२३	६ २०
प्रसोपा	१	—	२३,०४६	० १७
रिपब्लिकन	२	—	६८,४५६	० ५०
निर्दलीय	६१	२	२४,५२,६६१	१८ ००

असम

कुल स्थान—१३ कुल मतदाता—५३ २६ ३४१ कुल मतदान—३१ ५७ ३५१
रद्द मत—१ ६६ ५८८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	१३	६	१३ ६६ ७१५	४१ ८४
स्वतंत्र	१	—	२८ ७११	६६
जनसघ	३	—	१ ६३ ७६०	५ ४८
ससोपा	२	—	१ १३ ५४३	३ ८०
कम्युनिस्ट	४	१	२ ४७ १०७	८ २७
प्रसोपा	४	२	३ ८२ ४७२	१२ ८०
सबदनीय पवतीय				
नेता सम्मनन	१	१	१ १२ ४६२	३ ७७

बिहार

कुल स्थान ५३ कुल मतदाता—२ ७६ ७६ ६४६ कुल मतदान—१ ४१ ५४ ४६४
रद्द मत—६ ३३ १३६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	५३	३४	४७ ४६ ७२५	३५ १२
ससोपा	३४	७	२४ ३३ २३२	१७ ६३
जनसघ	४८	१	१५ ०४ १६४	११ १४
प्रसोपा	३२	१	६ ६६ ८२८	७ ३८
कम्युनिस्ट	१७	५	१२ ६२ १५८	६ ३५
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	४१ ७४१	० ३१
स्वतंत्र	२५	—	४ ५७ २५१	३ ३६
निन्नाय	१ ३	५	२० ७६ १६६	१५ ३८

गुजरात

कुल स्थान—२४ मतदाता—१ ०६ ६७ ८८८ मतदान—६८ १० ०२६ रद्द मत—
३० ७६६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	२४	११	३० ३६ ७८६	४६ ६२
स्वतंत्र	१६	१०	२३ ८८ ५	३५ ६३
प्रसोपा	३	—	६४ ३६७	१ ४६
महा गुजरात जनता				
परिषद्	४	१	२ ६६ ०४८	४ ५७
अन्य दल और निन्नाय	०	२	७४ १८६	११ ४२

हरियाणा

कुल स्थान—६, कुल मतदाता—४३,६७,१४०, कुल मतदान—३१,८५,२०५
रद्द मत—१,३३,०७६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	६	७	१३,४४,८३०	४४.०६
कम्युनिस्ट	३	—	५१,७५८	१.७०
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	२५,४७६	०.८३
जनसघ	७	१	६,०५,८८८	१९.८५
रिपब्लिकन	२	—	७०,६२०	२.३२
सयुक्त सोशलिस्ट	५	—	१,६७,६०३	५.५०
स्वतन्त्र	२	—	१,७०,८६१	५.६०
प्रजा समाजवादी	१	—	१०,६०५	०.३६
निर्दलीय	३६	१	६,०३,५६५	१९.७८

जम्मू व कश्मीर

कुल स्थान—६ (दो निर्विरोध चुने गये), कुल मतदाता—१४,८२,८३८ (४ निर्वाचन क्षेत्रों के), कुल मतदान—८७२,१०४, रद्द मत—२६,४८० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	४	३	४,२५,६६८	५०.५२
नेशनल कांग्रेस	४	१	२,१०,०२०	२४.६२
जनसघ	३	—	१,७१,३६७	२०.३४
निर्दलीय	१	—	४,७८१	०.५७
डेमोक्रेटिक नेशनल कांग्रेस	१	—	३०,७८८	३.६५

केरल

कुल स्थान—१६, कुल मतदाता—८६,१५,५५६, कुल मतदान—६५,१७,७८५, रद्द मत—२,४६,२८८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१६	१	२२,६७,३६३	३६.१५
स्वतन्त्र पार्टी	३	—	१,४७,००५	२.३४
जनसघ	४	—	८७,४१६	१.३६
समोपा	३	३	५,१६,५०६	८.३४
कम्युनिस्ट पार्टी	३	३	५,०१,३५३	७.६६
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	६	६	१५,४०,०२७	२४.५६
प्रमोपा	१	—	१५,०७२	०.२४
केरल कांग्रेस	५	—	३,२१,२१६	११.७२
मुस्लिम लीग	२	२	४,१३,८६८	
निर्दलीय	१२	१	४,६१,६१६	७.३६

मध्य प्रदेश

कुल स्थान—३७ कुल मतदाता—१ ८३ ६३ ३४० कुल मतदान—६८ ३३ ७४३ रद्द मत—५ ७८ ६७० ।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	३७	२४	३७ ७४ ३६४	४० ७८
स्वतंत्र पार्टी	२	१	२ ५३ ६३६	२ ७४
जनसघ	३२	१०	२७ ३५ ७३३	२६ ५६
सगोपा	११	—	३ ३७ ६७१	३ ६५
कम्युनिस्ट	६	—	१ ३१ १९३	१ ४२
प्रसोपा	१५	—	४ ६४ ३०६	५ ०२
रिपब्लिकन	७	—	१ १७ ७५४	१ ७
जन काग्रस	३	—	१ ३६ ६३१	१ ४८
निम्नीय	६१	२	१२ ६२ ८३६	१३ ६५

मद्रास

कुल स्थान—३६ कुल मतदाता—२ ८७१ ६६३ कुल मतदान १५ ६२१ ३२४ रद्द मत—४ ८५ २३० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	३६	३	६४ ३६ ७१०	४१ ६६
स्वतंत्र	८	६	१४ १४ २०८	६ १६
जनसघ	४	—	३३ ६२६	० २२
निम्नीय	२७	१	६ ५४ ६२८	४ २४
रिपब्लिकन मुनिस बडगम	२५	२५	१ ५२४ ५१४	३५ ७८
प्रसोपा	१	—	१२ १६२	० ०८
कम्युनिस्ट	६	—	१ ७३ २५३	१ ७७
कम्युनिस्ट (मा)	५	४	१० १७ ६४२	४ ८५
रिपब्लिकन	२	—	३१ ४५१	० २०

महाराष्ट्र

कुल स्थान—६५ कुल मतदाता—२ २१ ६५ ६५५ कुल मतदान—१ ६३ ३३ ६६६ रद्द मत—७ १३ ७६५ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	४५	३७	६६ १८ १७१	४६ २
पी एचड काग्रस	१	०	१ २८ ७५३	७ २
कम्युनिस्ट	७	२	७ ०१ ७४	४ ६
गणस गणनिष्ठ	५	२	५ १० १२८	३ ६
प्रसोपा	८	१	३ ४७ ३५	२ ५
जनसघ	२४	—	१ ०६ ३३४	७ ०
रिपब्लिकन	१७	—	१७ २८ ५५८	१२ ०
स्वतंत्र	४	—	१ ४७ ६००	१ ०
निम्नीय	२१	१	१५ ३१ ६२५	१० ७

१२१

मैसूर

कुल स्थान—२७, कुल मतदाता, १,२७,७८,६६६, कुल मतदान, ८०,४४,०५३, रद्द मत ३,८२,६२६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२७	१८	३७,५५,३३६	४६ ००
स्वतन्त्र	११	५	१०,६४,४५८	१४ २६
प्रसोपा	५	२	३,६२,५६७	५ १२
ससोपा	२	१	२,००,३१०	२ ६१
जनसघ	५	—	१,७०,३६१	२ ०५
रिपब्लिकन	३	—	२,३७,०६६	३ १०
कम्युनिस्ट (मा०)	२	—	१,२३,३१६	१ ६१
निर्दलीय	४४	१	१६,८५,७३८	२२ ००

उडीसा

कुल स्थान—२०, कुल मतदाता ६८,८३,१७१, कुल मतदान ४३,१८,७४६, रद्द मत २,५६,७५७ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२०	६	१३,५३,७०४	३३ ३३
स्वतन्त्र	१७	८	१२,५३,८६३	३० ८७
प्रसोपा	५	४	६,५३,८८२	१६ ०१
जनसघ	२	—	२२,३६८	० ५५
ससोपा	२	१	१,८२,८८६	४ १०
कम्युनिस्ट	३	—	१,५६,२८२	३ ८५
निर्दलीय	१६	१	४,३८,६७७	१० ८१

पजाव

कुल स्थान—१३, कुल मतदाता—६३,११,५०१, कुल मतदान—४४,८६,६६३, रद्द मत—२,०४,४४४ ।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	१३	६	१५,६८,५४६	३७ ३१
स्वतन्त्र पार्टी	६	—	१,६६,४०१	४ ६५
जनमत	८	१	५,३४,६२८	१२ ४६
सोपा	१	—	१७ ३६६	१ १
कम्युनिस्ट	३	—	१,८३,३११	४ ०८
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	—	—	८१,००८	१ ८६

१२२

रिपब्लिकन	२	—	११०/१००	०
जवाहीर दल (गन गुट)	८	—	६६०/३१०	०३
अवाहीर दल (मास्टर गुट)	७	—	१८६/३६०	१
निष्पक्ष	२५	—	६६/६६	६०

राजस्थान

कुल स्थान ० कुल मतदाता १२१ ७६ ६/ कुल मतदान ० ६/ १६०
रद्द मत २८१ १४१ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बाग्रस	२२	१०	१०५५/६६	६६/
स्वतंत्र पार्टी	१४	८	१८६/७१	१००६
जनसघ	७	२	६६६/६६	१००
समाजा	३	—	१७५/६६	२१८
कम्युनिस्ट	—	—	११८८/४४	१७६
कम्युनिस्ट मासग	१	—	७०६/६६	१०६
प्रसोपा	१	—	१६/१	८
रिपब्लिकन	१	—	१२०७/२	१८
निष्पक्ष	६४	२	११६६/४५	१७१२

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान ८/ कुल मतदाता ४२१ ३१ ४८७ कुल मतदान २२६ ६६ ८४५
रद्द मत ११ ८३ १७१ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बाग्रस	८५	४७	७१६७/१८५	५३/४
जनसघ	७७	१२	४६१६/०४६	२२५८
समाजा	४५	८	२२५६/३८५	१००
स्वतंत्र	८	१	१५६/६८	४७७
कम्युनिस्ट	१७	५	८१६/२४६	३७५
कम्युनिस्ट (मा०)	६	१	१५३/६६	७१
रिपब्लिकन	२४	१	८८६/२१	८७
प्रसोपा	५७	०	८१५/६१	३७६
निष्पक्ष	१६	८	३७२०/३७	१७८

पश्चिमी बंगाल

कुल स्थान ४ कुल मतदाता २ २४६ १६६ कुल मतदान १ ३५ ७० ४४६
रद्द मत १ ८ ६८ ।

दल वा नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बाग्रस	६	१४	१११/१०	५६६६
स्वतंत्र पार्टी	—	—	८८/५६	७७

जनसघ	७	—	१,७८,५०८	१३६
ससोपा	३	१	१,६१,२४३	१४६
कम्युनिस्ट	११	५	११,७५,७११	६१४
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	५	२०,१२,५२२	१५६५
प्रमोपा	२	१	२,१८,१४६	१७०
रिपब्लिकन	१	—	८४,६४४	०६६
फारवर्ड ब्लाक	६	२	६,२७,६१०	४८८
वगला कांग्रेस	७	५	१२,०४,३५६	६३६
निर्दलीय	४४	७	१६,६५,३०१	१५२८

दिल्ली ससदीय चुनाव परिणाम

कुल स्थान—७, कुल मतदाता—१६,८४,७१४, कुल मतदान—११,७०,७४२, रह
मत—४६,५८२।

दल	सम्मोदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	७	१	४,३४,६३७	३८७६
जनसघ	७	६	५,२३,८६०	४६७२
ससोपा	२	—	२,२६५	०२०
रिपब्लिकन	६	—	६३,७०६	५६८
निर्दलीय	२४	—	६६,३६३	८६०

सघीय क्षेत्रों से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान—२४

- १ अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह एक स्थान कांग्रेस को प्राप्त।
- २ चण्डीगढ़ एक स्थान—जनसघ को प्राप्त।
- ३ दादरा और नगर हवेली एक स्थान—कांग्रेस को प्राप्त।
- ४ दिल्ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक कांग्रेस को प्राप्त।
- ५ गोवा, दमन, दीव कुल दो स्थान—एक कांग्रेस को और एक कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त।
- ६ हिमाचल प्रदेश कुल छ स्थान—सभी कांग्रेस को प्राप्त।
- ७ लकादीव, मिनीकाय और अमीन द्वीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त।
- ८ मणिपुर कुल दो स्थान और दोनों कांग्रेस को प्राप्त।
- ९ पाण्डिचेरी एक स्थान कांग्रेस को प्राप्त।
- १० त्रिपुरा कुल दो स्थान और दोनों कांग्रेस को प्राप्त।

रिपत्रिकन	२	—	१ १२ ५५०	२ ६३
जवाना दन (गा गुरु)	८	३	६ ६८ ७१२	२७ ५
अकानी दन (मास्टर गुरु)	७	—	१ ८६ २६	
निष्ठीय	२५	—	५ ६६ ३४६	६ २

राजस्थान

कुल स्थान २ कुल मन्तगाता १ २१ ७६ २६ / कुल मन्तगाता ७ ६ / १६०
 २२ मा २ ८१ १४१ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
वाङ्मय	२२	१	२७ ५२ ४६५	५६ ६ /
स्वातंत्र्य पार्ति	१६	८	१८ ६२ ७ /	२७ ०४
जनसम	७	—	६ ६६ ६ ५	१ २७
समाजवादी	३	—	१ ७२ १६३	२ ५८
कम्युनिस्ट	—	—	१ १८ ८४४	१ ७४
कम्युनिस्ट मासग०	१	—	७० ६५६	१ ४
प्रगोषा	१	—	५ ६० /	० ०८
रिपत्रिकन	१	—	१२ ७२	१ ८
निष्ठीय	६४	२	११ ६६ ५४३	१७ १५

उत्तर प्रदेश

कुल स्थान ८१ कुल मन्तगाता ४ २१ ३१ ४८७ कुल मन्तगाता २ २६ ६६ ८५५
 २२ मा ११ ८ १७५ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
वाङ्मय	८५	४७	७१ ६७ १८३	३३ ०४
जनसम	७७	१५	४६ १६ ०४६	२२ ५८
समाजवादी	४	८	२२ ३६ २८५	१ २७
स्वातंत्र्य	८	१	१० ८ ६६८	६ ७७
कम्युनिस्ट	१७	५	८ १६ २४	७ ५
कम्युनिस्ट (मा)	६	१	१ ५ ६६	० ७१
रिपत्रिकन	४	१	८ ८६ २१	६ ७
प्रगोषा	५७	२	८ १५ १६१	३ ७४
निष्ठीय	१६	८	७ २० ७	१ ७ ८

पश्चिम बंगाल

कुल स्थान ६० कुल मन्तगाता २ २ ६८ १ ६ कुल मन्तगाता १ ७० ६४६
 २२ मा १ ६८ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
वाङ्मय	६०	१६	११ १ १७०	६ ६८
स्वातंत्र्य	—	—	८८ ५८	० ७७

जनसघ	७	—	१,७८,५०८	१ ३६
ससोपा	३	१	१,६१,२४३	१ ४६
कम्युनिस्ट	११	५	११,७५,७११	६ १४
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	५	२०,१२,५२२	१५ ६५
प्रसोपा	२	१	२,१८,१४६	१ ७०
रिपब्लिकन	१	—	८४,६४४	० ६६
फारवर्ड ब्लाक	६	२	६,२७,६१०	४ ८८
वगना काग्रेस	७	५	१२,०४,३५६	६ ३६
निर्दलीय	४४	७	१६,६५,३०१	१५ २८

दिल्ली ससदीय चुनाव परिणाम

कुल स्थान—७, कुल मतदाता—१६,८४,७१४, कुल मतदान—११,७०,७४३, रद्द मत—४६,५८२ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	७	१	४,३४,६३७	३८ ७६
जनसघ	७	६	५,२३,८६०	४६ ७२
नसोपा	२	—	२,२६५	० २०
रिपब्लिकन	६	—	६३,७०६	५ ६८
निर्दलीय	२४	—	६६,३६३	८ ६०

सघीय क्षेत्रों से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान—२४

- १ अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
- २ चण्डीगढ़ एक स्थान—जनसघ को प्राप्त ।
- ३ दादरा और नगर हवेली एक स्थान—काग्रेस को प्राप्त ।
- ४ दिल्ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक काग्रेस को प्राप्त ।
- ५ गोवा, दमन, दीव . कुल दो स्थान—एक काग्रेस को और एक कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त ।
- ६ हिमाचल प्रदेश . कुल छ स्थान—सभी काग्रेस को प्राप्त ।
- ७ लकादीव, मिनीकाय और अमीन द्वीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त ।
- ८ मणिपुर कुल दो स्थान और दोनों काग्रेस को प्राप्त ।
- ९ पाण्डिचेरी एक स्थान काग्रेस को प्राप्त ।
- १० त्रिपुरा . कुल दो स्थान और दोनों काग्रेस को प्राप्त ।

विधान सभाओं के चुनाव में राजनतिक दलों की अखिल भारतीय स्थिति

कुल मतदाता—२४ ७१ ०४ २१३ कुल मतदान—१५ १७ ६३ ७१५ मतदान का प्रतिशत—५९ ४५ बंध मत—१४ ३२ ५६ ५०६ रद्द मत—८५ ३५ ०७२ प्रतिशत—५ ६६ विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त मत

दल का नाम	प्राप्त मत	प्रतिशत
काँग्रेस	१ ७२ ५२ ५७	३६ ६६
जनसम	१ २५ ६७ ६१८	८ ७८
यतंत्र	६५ १६ २३१	६ ६५
गमापा	७४ २४ ६ ३	५ १६
कम्मु [मा०]	५ ८६ ६५२	४ ६
कम्मुनिस्ट	५६ ६ १०६	४ १३
प्रमापा	४८ ६८ ७२०	३ ४०
स्वतंत्र	२१ ८८ ६७३	१ १३
अन्य दल तथा निष्पक्ष	६६ ४८ ७ १	२५ ८१

विधान सभाओं में स्थानों का विवरण

आंध्र प्रदेश २८७ असम १२६ बिहार १८ गुजरात १६८ हरियाणा ८१ जम्मू काश्मीर ७५ कर्नाटक १३३ मध्य प्रदेश २६६ महाराष्ट्र २७ मसूर २१६ उड़ीसा १४ पंजाब १०४ राजस्थान १८६ उत्तर प्रदेश ४२५ पश्चिम बंगाल २८ गारा मनन्वीव ० त्रिमाचल प्रदेश ६ मणिपुर ० त्रिपुरा ३ । कुल ५८ ८७ ।

विधान सभाओं के चुनाव परिणाम

आंध्र प्रदेश

कुल मतदाता—२८७ कुल मतदान ७ ६ ६८ कुल मतदान १ ८८ ७६ १ ८ २१ मत ६ २ ।

दल का नाम	मतदाता	प्राप्त मतदान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काँग्रेस	२-५	१६	६२ ७८ ८७	८१ २
प्रजाप	६	६	१ ६ ८२	६ ८६
कम्मुनिस्ट	१ ६	११	१ ७७ ८६६	७ ७-
कम्मुनिस्ट [मा]	८	६	१ ५ ८११	७ ६१
जनसम	८	१	२ ६१ ७८	२ ११
स्वतंत्र	११	१	६ ७१७	७
गमापा	८	१	६८ ६६	६
अन्य	—	—	८ १ ८	१
निष्पक्ष	८ १	—	७ ७ १	५१

असम

कुल स्थान—१२६, कुल मतदाया—५४,४६,३०५, कुल मतदान—३३,६६,२३०,
रह मत—२,६२,०४६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	११७	७० + (५) %	१३,५४,७४८	४३ ६०
सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन	१०	७	१,०८,४४७	३ ४६
कम्युनिस्ट	२२	७	१,५६,६०५	५ १५
प्रसोपा	३५	५	२,१३,०६४	६ ८६
कम्युनिस्ट (मा०)	१४	—	६१,१६५	१ ६७
ससोपा	१७	४	१,०१,८०२	३ २८
जनसघ	२०	—	५७,१४१	१ ८४
स्वतन्त्र	१३	२	४६,१८७	१ ४६
निर्दलीय	२३६	२५	१०,०४,६६५	३२ ३३

बिहार

कुल स्थान—३१८, कुल मतदाता—२,७८,४३,१६०, कुल मतदान १,४२,६१,५६७,
रह मत ७,५२,६७४ ।

दल	उम्मीदवार	स्थान प्राप्त	प्राप्त मत	प्रतिशत
काँग्रेस	३१८	१२८	४४,७६,४६०	३३ ०८
ससोपा	१६६	६८	२३,८५,६६१	१७ ६२
जनसघ	२७१	२६	१४,१०,७२२	१० ४२
प्रसोपा	१८२	१८	६,४२,८८६	६ ६६
कम्युनिस्ट	६७	२४	६,३५,६७७	६ ६१
कम्युनिस्ट (मा०)	३२	४	१,७३,६५६	१ २८
स्वतन्त्र	१२६	३	३,१५,१८४	२ ३३
रिपब्लिकन	२	१	२३,८६३	० १८
निर्दलीय	७६६	४६	२८,७२,१५५	२१ २१

गुजरात

कुल स्थान—१६८, (घोषित परिणाम १६७ (एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है।) कुल मतदाता—१,०६,६४,६२२, कुल मतदान—६८,१२,६३१, रह मत ४,३१,८०७ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काँग्रेस	१६७	६३	२६,१८,८०६	४५ ७४
स्वतन्त्र	१४७	६६	२४,३६,६०१	३८ १६
प्र० मो० पा०	३७	३	२,१२,३१८	३ ३३

• निर्विरोध निर्वाचित ।

१२७

कम्युनिस्ट	२२	१६	५,३८,००४	८ ५७
ससोपा	२१	१६	५,२७,६६२	८ ४०
मुस्लिम लीग	१५	१४	४,२४,१५६	६ ५०
स्वतन्त्र	६	—	१३,१०५	० २१
जनसघ	२४	—	५५,५८४	० ८८
प्रसोपा	७	—	१३,६६१	० २२
निर्दलीय	७५	१५	५,३१,७८२	८ ४७

मध्य प्रदेश

कुल स्थान—२६६, कुल मतदाता—१,८३,६४,८४६, कुल मतदान—६८,३६,१५०,
रह मत ७,२३,७६० ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	२६६	१६७	३७,०६,०३५	४० ६६
स्वतन्त्र पार्टी	२१	७	२,३२,०६६	२ ५५
जनसघ	२६५	७८	२५,७८,११६	२८ २८
ससोपा	११४	१०	४,८१,०८०	५ २८
कम्युनिस्ट	३३	१	१,०१,४२६	१ ११
कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी)	६	—	२०,७२८	० २३
प्रसोपा	११०	६	४,२६,८४३	४ ६८
रिपब्लिकन	३८	—	७६,७७६	० ८४
जन काग्रेस	३३	२	१,३८,६८२	१ ५२
निर्दलीय	६३४	२२	१३,५०,२६६	१४ ८१

मद्रास

कुल स्थान—२३४, कुल मतदाता—२,०७,६३,३६२, कुल मतदान—१,५६,२५,७६६
रह मत—६,१५,०६६ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	२३४	५०	६२,८४,२७७	४१ ०४
द्रविड मुन्नेत्र कडगम	१७४	१३८	६२,४२,६६५	४० ७७
स्वतन्त्र	२७	२०	८,११,२३२	५ ३०
कम्युनिस्ट	३२	२	२,७५,६३२	१ ८०
कम्युनिस्ट (मा०)	२२	११	६,२३,११४	४ ०७
जनसघ	२४	—	२२,७४५	० १५
प्रसोपा	४	४	१,३६,१८८	० ८६
सगोपा	३	२	८४,१८८	० ५५
रिपब्लिकन	१३	—	३१,२८६	० २०
निर्दलीय	२४५	७	७,६६,०४५	५ २२

माराग ७

कुल स्थान—२७ कुल मतदान—२२१ १७ १११ ५१ मतदान—१११ ११ १११

२१ मत—८८४ ११

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बांसग	२७	२७ (१)०	१०८८ ४९१	१३ ३
जगजग	१६५	४	१०११ २९१	८ १८
शिवाजी मन्त्रीग पाटी	१६	१६	१०८ ४६१	७ ६६
रिपनिवन पाटी	७६	१	८६ ३७७	९ ९९
मसोपा	६८	६	६१६ १६६	१ ६१
प्रसोपा	६१	८	१०९८	३ ८६
स्वतंत्र	६	—	१५ १०१	१ १५
कम्मुनिस्ट	६१	१०	६५१ ०७७	४ ८७
कम्मुनिस्ट (मा०)	११	१	१५५ ०८	१ ०८
निम्नीय	६६४	१६	१६४६ ६२६	१ ६१६

मसूर

कुल स्थान—२१६ कुल मतदान—१२६ १६ १६२ कुल मतदान—७६ ६४ ४१६

रद्द मत ४८४ १०६ १

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बांसग	२१६	१२४ + (२)०	३६५१ ०६०	४८ ६२
स्वतंत्र	४५	१६	४६७ ०५५	६ ६२
कम्मुनिस्ट	६	१	३८ ७ ७	० ५२
कम्मुनिस्ट (मा)	१	१	८२ ५३१	१ १
जनसंघ	५७	४	२११ ६६६	२ ८२
प्रसोपा	५२	२	६६६ ६६२	८ ८८
मसोपा	१७	६	१८५ २२२	४ ४७
रिपनिवन	१२	१	५७ ७३६	० ७७
निम्नीय	३५२	४१	२१ ६७ ८६२	२ ८ २१

उडीसा

कुल स्थान—१४० कुल मतदान—६८ ७३ १७ कुल मतदान—४३ ४८ ८३८

रद्द मत ३२ १४५ १

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
बांसग	१६	३१	१२३५ १४६	३ ६६
स्वतंत्र	१०१	४६	६ ६४२१	२२ १८
प्रसोपा	३३	२१	४६३ ७५	१२ २६
कम्मुनिस्ट	५१	७	२११ ६६६	५ २६

* निर्विरोध निर्वाचित ।

१२६

ससोपा	६	२	६१,४२६	१ ५२
जनसघ	१६	—	२१,७८८	० ५४
जन-काग्रेस	४७	२६	५,४२,७३४	१३ ८७
कम्युनिस्ट (माकर्म०)	१०	१	४६,५६७	१ १६
निर्दलीय	२१३	३	५,०५,३६४	१२ ३५

पजात्र

कुल रथान—१०४, कुल मतदाना—६३,११,६६३, कुल मनदान—४४,६०,३६६,
रहमत २,३४,६२८ ।

दल	उगमीदवार	प्राप्त रथान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१००	४७	१५,५६,५७३	३८ ५६
शि अ द (तारा)	६१	२	१,७८,७४६	४ २०
शि अ द (मत)	५६	२४	८,७१,७४२	२० ४८
जनसघ	४६	६	४,२८,६२१	६ ०८
कम्युनिस्ट	२०	५	२,२४,५३१	५ २७
कम्युनिस्ट (मा)	१२	३	१,३५,८२०	३ १६
रिपब्लिकन	१७	३	७६,०८६	१ ७६
स्वतन्त्र	१०	—	२१,५०६	० ५१
प्रसोपा	६	—	२१,६३५	० ५१
ससोपा	८	१	३०,५६१	० ७२
निर्दलीय	२५७	१०	७,२०,६५६	१६ ६४

राजस्थान

कुल स्थान—१८४, कुल मतदाता—१,२२,०३,६२६, कुल मतदान—७१,०८,३८,७७३
रह मत ३,४८ ४३१ ।

दल	उगमीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	१८२	८६	२७,६८,४११	४१ ४२
स्वतन्त्र	१०७	४८	१४,६३,०१८	२२ १०
जनसघ	६३	२२	७,८६,६०६	११ ६६
कम्युनिस्ट	२०	१	६५,५३१	० ६७
कम्युनिस्ट (मा०)	२२	—	७६,८०६	१ १८
प्रसोपा	१७	—	५४,६१८	० ८१
ससोपा	३८	८	३,०१,५७८	४ ७६
रिपब्लिकन	५	—	८,६३०	० १३
निर्दलीय	४३८	१६	११,३८,५८५	१६ ६४

उत्तर प्र ग

कुल स्थान—४२५ कुल मत—४२१ ६८ ६६ कुल मत—५ ६६ ३११
 रद्द मत—१४ २१ ७५२ ।

दल	उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
नामग	४२५	१६६	६६ १५ १०६	०
स्वतंत्र पार्टी	० ७	१०	१ १६ ५८६	१०
जनसघ	६०१	६८	६६ ११ ३ ८	१ ६०
गसोपा	२५६	६६	२१ ६ ६ ६	६ ६०
कम्युनिस्ट	६६	१	६२ ६६०	
कम्युनिस्ट (माकगवादी)	५७	१	० ७२ १६५	१ ५७
प्रसाध	१६७	११	६ ७ ८ ७ ८	६ ०६
रिपब्लिकन	१६८	१	८ ८ ६ १०	६ १६
निर्दलीय	१२ ८	५७	४० १० १ ८ ६	१ ८ ६

पश्चिम प्र ग

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रस	२८०	१२७	५२ ०७ ६	४१ १५
कम्युनिस्ट (माकगवादी)	१३५	५३	२२ ६३ ०२६	१८ ११
कम्युनिस्ट	६२	१६	८ २७ १६६	६ ६
फारवार्ड	४२	१	५ ६१ १४८	६ ४३
प्रसोपा	६	७	२ ३ ८ ६ ६	१ ६८
ससोपा	२६	७	२ ६ ६ २ ४	० १३
जनसघ	१८	१	१ ६ ७ ६ ४	१
स्वतंत्र	२१	१	१ ० २ ५ ७ ६	० ८१
रिपब्लिकन	१	—	१ २ १ ५	० १
निर्दलीय	४०७	६५	२६ ६ ४ ६	२ ६५

गावा दमन दीव

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
प्रसोपा	८	—	५	१ १०
महाराष्ट्रवादी मामानक दल	२६	१६	१ ११ ११	} ८१ २८
युनाइटेड गोवा का कुर्तानी गुट	—	—	७ ८ ८ १	
युनाइटेड गोवा का सी ककरा गुट	३०	१०	१ ६ ४ २ ६	
निर्दलीय	११९	२	६ ८ ७ १	१ ७ ६३

प्रसाध व अनावा कियो तय जतराय मायना प्राप्त राजातिक दल न गोवा विधान सभा वा गुनाव नहा नडा ।

हिमाचल प्रदेश

कुल स्थान—६०, कुल मतदाता—१५,८२,१०३, कुल मतदान—८,१०,३५३,

रद्द मत—४४,२३४ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	६०	३४	३,२३,२४७	४२ १६
स्वतन्त्र पार्टी	५	१	१४,७६७	१ ६३
जनसघ	३३	७	१,०६,२६१	१३ ८८
ससोपा	१	—	६७६	० ०६
कम्युनिस्ट	११	२	२२,१७३	२ ८६
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	६	—	३,०१६	० ३६
प्रसोपा	२	—	२८३	० ०४
रिपब्लिकन	४	—	—	—
निर्दलीय	१४७	१६	२,६१,८८४	३८ १०

मणिपुर

कुल स्थान—३०, कुल मतदाता—४,६८,७०७, कुल मतदान—३,२३,८५८,

रद्द मत—११,८४३ ।

दल	उम्मीदवार की संख्या	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	२८	१५ + (१)*	१,०१,५०४	३२ ५३
ससोपा	१२	४	३६,५२०	११ ७०
कम्युनिस्ट	६	१	१७,०६२	५ ४७
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	५	—	२,०६३	० ६७
प्रसोपा	५	—	२,४१७	० ७७
निर्दलीय	६६	६	१,५२,४१६	४८ ८५

त्रिपुरा

कुल स्थान—३०, कुल मतदाता—६,०५,६३४, कुल मतदान—४,५०,३३४, रद्द

मत—१६,६४२ ।

दल	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
कांग्रेस	३०	२७	२,५१,३४५	५७.६५
कम्युनिस्ट मार्क्सवादी	१६	२	६३,७३६	२१ ६१
कम्युनिस्ट	७	१	३४,५६२	६ ६७
जनसघ	५	—	१,५०६	० ३५
ससोपा	१	—	८३	० ०२
निर्दलीय	२८	—	५२,४५७	१२ १४

* निर्विरोध प्राप्त स्थान

राजनैतिक प्ला की स्थिति

भारत का लोकतन्त्र में गठननैतिक प्ला का अन्वयन में वपूर्ण स्थान है। लोकतन्त्र और विधानसभा में बहुतम वाना राजनैतिक दल की गन्तव्य बना है। चुनाव व अवसर पर राजनैतिक प्ला अपनी नीतिया और भावी कार्यक्रम की घोषणा करते हैं तथा उनके आधार पर जनता में समर्थन की मांग करते हैं। अतः किस प्ला की विजयना समर्थन प्राप्त होता है वसते अनुमान लगाया जा सकता है। जनता ने कब किस प्रकार की विचारधारा को क्या समर्थन दिया।

चार आम चुनावों में राजनैतिक प्ला की स्थिति और प्रगति का विवरण आग नीचे तादिकाओं से स्पष्ट होता है।

विभिन्न दलों को आम चुनावों में मिले स्थानों और मतों का विवरण

२०
२०
२०

दल	१९५७			१९५७			१९५२		
	नीचे	मत	प्रतिशत	माँट	मत	प्रतिशत	माँट	मत	प्रतिशत
काँग्रेस	२९	१९९४	४०.७३	३६२	५१५	६९.४	७१	१,७१,७६	५६.३
जनसम	५	७१५	११	१४	७४,१५	१७	६	७१,४६	८२.४
कम्युनिस्ट	२३	७५	१.१६	२६	१,१४५	३७	२७	७५,६०७	८६.२
कम्युनिस्ट (मा)	१६	६१४	७.८५	—	—	—	—	—	—
स्वतंत्र	४६	१,२६,१६	८.६८	२२	६,८५,२१२	७.६८	—	—	—
राजयोग	०३	७१,७७	१.०८	६	३०,६६	६.७	०	—	—
प्रसोना	१३	४६५	६.८७	१२	७८,५८	१.४३	८७	१,२५,४०	६६.६

कांग्रेस की प्रगति

लोक सभा

चुनाव वर्ष	कुल स्थान	कांग्रेस द्वारा लड़ी गई सीटे	कांग्रेस को मिली सीटे	कांग्रेस को मिले मत	कुल मतों का प्रतिशत
१९५२	४८६	४७२	३६४	४,७६,६५,८७५	४५.०
१९५७	४९४	४६०	३७१	५,७५,७६,५६३	४७.७८
१९६२	४९४	४८८	३६१	५,१५,०६,०८४	४४.७२
१९६७	५२०	५११	२७६	५,६,४०२,७५४	४०.७३

कांग्रेस की प्रगति

विधान सभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटे	कांग्रेस द्वारा लड़ी गई सीटे	कांग्रेस को प्राप्त सीटे	कांग्रेस को मिले मत	कुल मतों का प्रतिशत
१९५२	३,१६६	३,०७५	२,२४६	४,४८,०२,५४६	४२.१६
१९५७	३,१०२	३,०७६	२,०३८	५,५६,६१,१६५	४५.६५
१९६२	३,३३४	३,२५६	१,६५७	५,०५,४६,८३७	४३.६१
१९६७	३,४८७	३,४१२	१,६६१	५,७२,५२,३५७	३६.६६

जनसंघ लोक-सभा

१९५२	४८६	६३	३	३२,४६,४८८	३.१
१९५७	४९४	१३३	४	७१,२६,८२४	५.६३
१९६२	४९४	१६६	१४	७४,१५,१७०	६.४४
१९६७	५२०	२५१	३५	१,३७,१५,६३१	६.४१

जनसंघ की प्रगति विधान सभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटे	लड़ी गयी सीटे	प्राप्त सीटे	प्राप्त मत	प्रतिशत
१९५२	३१,६६	६७६	३६	२८,६६,५६६	२.६६
१९५७	३१,०२	५८४	४६	१३,८०,६३८	३.६
१९६२	३३,५८	१,१६८	११६	६४,३६,७६४	४.५५
१९६७	३४,८७	१,६०७	२६८	१,२५,६७,६१८	८.७८

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी— लोक सभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटे	लड़ी गई सीटे	प्राप्त सीटे	प्राप्त मत	प्रतिशत
१९५२	४८६	४६	१६	३८,८८,०७५	३.३
१९५७	४९४	४०६	२७	१,०७,५८,०७५	८.६२
१९६२	४९४	१३७	२६	१,१८,५०,०३५	६.६४
१९६७	५२०	कम्यु० ११० माकर्म० ५०	२३	७५,६४,१८८	५.१६
			१६	६१,४०,७३८	८.२१

कम्युनिस्ट पार्टी—विधानसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	लडी गईं साटें	प्राप्त सीटें	प्राप्त मत	प्रतिशत
१९५२	५१६	८६	१६	४१,१२५७	८.१२
१९५७	१०२	८१०	१७०	१,१४,७१६०	६.३५
१९६६	३५४	६६४	१६६	१,०४,४१	१०.७
१९७७	३४८७ कम्यु० भावम	६०५	१२१	५६,६१०६	४.१
		५११	१२८	६५,७६,६१२	८.६

प्रजा समाजवादी दल—लाकसभा

नोट १९५२ के चुनाव में किसान मजदूर प्रजा पार्टी व सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव नटा था। यह मिला कर प्रजासमाजवादी दल बनाया गया।

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	सीटें लडी	सीटें मिनी	मिन्न मत	प्रतिशत
१९५२	४८६	६०१	२६	१,७३,७३,३५७	१६.४
१९५७	४६४	१६४	१६	१,२५,४०,६६६	१०.६१
१९६२	४६४	१६८	१२	७८,४८,४१	६.८१
१९६७	१२	१०६	१३	४४,५६,८८७	३.०

प्रजामाजवादी दल—विधानसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	सीटें लडी	सीटें मिनी	मिन्न मत	प्रतिशत
१९५२	१६६	०७६३	१६७	१,१,२२,२१३	१४.८२
१९५७	३१२	१,१५६	२०८	१,१८,८१,६६	६.७६
१९६०	१	१,१५१	१७६	८८,१८,१८	६.६१
१९७७	६०७	७६८	१६	४८,६८,६२०	५.४

स्वतंत्र पार्टी—लाकसभा

चुनाव वर्ष	कुल सीटें	लडी गईं सीटें	प्राप्त साटें	मिन्न मत	प्रतिशत
१९६२	४६६	१७	०२	६०,८५,२५५	७.८६
१९७७	५००	१७६	६६	१,२६,१८,६००	८.८

स्वतंत्र पार्टी—विधानसभा

१९६५	६	१,७६	०६	७७,७८,१,६	७.६
१९६७	६०७	६७८	२५७	६५,१६,२३१	६.६६

मयुक्त मागनिस्ट पार्टी—लाकसभा

१९६६	४६६	—	६	६६,६७	०.६६
१९७७	५००	१२२	२५	७१,७१,६०७	८.८२

मयुक्त मागनिस्ट पार्टी—विधानसभा

१९६२	६	—	६२	८,६८,८,४	२.७१
१९६७	४७	८१५	१८०	७४,२४,६५	५.१८

राजनैतिक दलों की मान्यता

चौथे आम चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दलों को लोकसभा और विधानमण्डलों के लिए प्राप्त मतों का चुनाव आयोग ने विप्लेपण किया है और उसके आधार पर दलों को चुनाव चिह्न के प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान की है।

किमी भी दल को एक राज्य या सघीय क्षेत्र में मान्यता के लिए आवश्यक है कि उसके उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का चार प्रतिशत से कम मत नहीं प्राप्त हुआ हो। इस गणना में उन उम्मीदवारों के मत नहीं जोड़े जाते, जिनकी जमानत जप्त हो जाती है।

चौथे आम चुनाव के परिणामों के आधार पर सात राजनैतिक दलों को "बहुराज्यीय दल" के रूप में मान्यता दी गई है।

१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—सभी राज्य (नागालैंड को छोड़कर) और सभी सघीय क्षेत्र (गोवा, दमन और दीव तथा लकादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपों को छोड़ कर)
२. स्वतन्त्र पार्टी—आंध्र, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान, चण्डीगढ़ और हिमाचल-प्रदेश
३. भारतीय जनसंघ—बिहार, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश
४. मयुक्त सोशलिस्ट पार्टी—बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और मणिपुर
५. कम्युनिस्ट पार्टी—आन्ध्र, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा।
६. कम्युनिस्ट पार्टी [मार्क्स]—आन्ध्र, केरल, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, दादरा और नगर हवेली तथा त्रिपुरा।
७. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी—असम, उड़ीसा, बिहार और मैसूर।

तीसरे आम चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मान्यता मिली थी तथा बहुराज्यीय दल हो गया था परन्तु चौथे आम चुनाव में केवल महाराष्ट्र में ही उसे मान्यता प्राप्त हो सकी है।

मध्यावधि चुनावों का कारण

देश की सरकारें कानून और समयों के अन्तर्गत चुने गये जन-प्रतिनिधियों द्वारा बनती और चलती हैं और चुनाव में खुद राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है। नियम में उस दल की सरकार बनती है।

चौथे आम चुनाव के पूर्व तक देश में कांग्रेस दल की सरकारें बनती रही और शासन व्यवस्था चरनी रही। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल केन्द्र में बना रहा किन्तु राज्यों में कुछ सरकारें नहीं बना सका। अन्य राजनीतिक दलों की या गैर-कांग्रेसी दलों की मयुक्त

सरकार बना। नम प्रकार की बात गतराग म कर्त्त विन्गीय यथा कर्त्त स्याद जा प्रति निद्रि अपन दन त्याग करन दूगर दला म गामित हो गय। यथागत राग १ हा म नन वन्दन समस्या न गन्वी पदा कर दी। एस कई रा-या म एक क बा-ए म गतराग गिरनी और नई सरकार बनती रही जीर अन म एगा स्थिति उत्पन्न हा कर्त्त कि किगी स्याया गतरार का बनना हा असम्भव हा गया। इगवा परिणाम राष्ट्रपति शासन क रूप म हथा। परिमाण प वगत उत्तर प्रदेश जीर विगार म राष्ट्रपति गामा नागू हथा। परिमाण म म यावधि चुनाव हो भी गया है जीर अय रा-या म नम वय क अ-या जगत यय क आरम्भ म नान जा रहा है।

दन वन्दन की समस्या न भारतीय राजनीति को वन्दन जम्भिर कर दिया है। तीथ जाम चुनाव के बा-ए जब भी किगी रा-य की गतरार का तला उठटा है तत्र उगाा मून गारण दन वदन ही रहा है। गृह मन्त्रालय और विधि मन्त्रानय अपन ढग म ह-ए का उगारा करन की सोच रह है। य जन प्रतिनिधि अधिनियम म सगोधन कर नमके निय गतिधा म भी सगोधन किया जा सकता है।

विभि १ राज्या क १ ३ ६७ म ३० ६ ६८ मध्यक हुए उप चुनाव क परिणाम

सप्तमीय चुनाव क्षेत्र		विजित दल			
क्रम	रा-य	चुनाव क्षेत्र	उप चुनाव की तारीख	उप चुनाव	अ-य चुनाव
१	अ-रि	१—नीलाकुचम	२८ ४ ६७	स्वतंत्र	स्वतंत्र
२	असम	५—कोबरामार	१ ८ ६७	काग्रस	काग्रस
	बिहार	६६—हजारीबाग	१ ६८	स्वतंत्र	जाजा
४	बिहार	सावीपुर	२ ६ ६८	जाजा	जाजा
५	गुजरात	७—भावनगर	२४ ४ ६७	काग्रस	काग्रस
६	जम्मू-कश्मीर	५—ऊधमपुर	१ १ ६७	काग्रस	काग्रस
७	मध्य प्रदेश	४—गुना	३० ४ ६७	स्वतंत्र	स्वतंत्र
८	मन्गल	२—मन्गल दक्षिण	७ ११ ६७	द्रमुक	द्रमुक
९	महाराष्ट्र	८—बम्बई उत्तर पश्चिम	२४ ४ ६७	काग्रस	काग्रस
१०	मन्मूर	१३—मान्या	२४ १ ६८	प्रमापा	कम्युनिस्ट
११	राजस्थान	१—झीमा	२६ ४ ६८	काग्रस	काग्रस
१२	उत्तर प्रदेश	४४—बागा	५ १ ६८	कम्युनिस्ट	स्वतंत्र
१३	प वगत	१०—कृष्ण नगर	१८ ५ ६८	काग्रस	जाजा


हरियाणा मव्यावधि चुनाव परिणाम

कुल स्थान—८१, कुल मतदाना—४५,५१,७६७, कुल मतदान—२६,०६,७८०,
रद्द मत—६४,६६४।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	८१	४८	११,१४,३०६	४३.८३
जनमघ	४२	७	२,६५,७२६	१०.४६
स्वतन्त्र पार्टी	३२	२	२,०६,८४३	८.१८
कम्युनिस्ट	३	—	८,२१०	३.२
कम्युनिस्ट (माक्सवादी)	१	—	३,६३२	१.४
प्रमोपा	२	—	१,८०१	.०७
ससोपा	८	—	२३,६३७	.६४
विशाल हरियाणा	२६	१३	३५६,६८३	१४.०८
भारतीय क्रान्ति दल	६	१	३७,००५	१.४६
रिपब्लिकन	१३	१	२१,६१३	.३५
बाजाद	१७	६	५,००,०१८	१९.६७

प्रसिद्ध पंजीकृत चिन्ह

स्वास्तिका



छाप

पीतल और तांबे की
औद्योगिक चादरों एवं पाटियों के निर्माता

स्वास्तिका मैटल वर्क्स

जगाधरी

हिन्दुस्थान वार्षिकी के राष्ट्रभाषा में प्रकाशन पर इसके
प्रकाशकों एवं पाठकों को शुभ-कामनाएं भेजते हैं।

सरकारें बना। इस प्रकार की बना सरदारों में वृत्तनीय स्वयं गद्द दत्तय जा प्रति निधि अपन दन त्याग करके दूसरे दत्ता में शामिल हो गय। बधानि राव न होत ग न्य बलन समस्या न गडबडी पदा कर दी। एस कई राण्या में एक के प्राण एक सरदारों गिरनी और कई सरकारों बननी रही जोर जत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हा गई कि किसी स्वयंया सरकार का बनना ही असम्भव हा गया। इसका परिणाम गण्टपति गासन व न्य म न्या। परियाणा प वगान उत्तर प्रदेश जीव विचार में राष्ट्रपति गासन नामु हुआ। परियाणा में मन्दावधि चुनाव हो भी गया है और अद्य राण्या में न्य वष के अन या अगत वष के आरम्भ में हान जा रहा है।

दल वलन की समस्या ने भारतीय राजनीति को वलन जम्बिर कर लिया है। तीथ जाम चुनाव के घाट जय भी किसी राण्य की सरदार का तस्ता उठटा है तत्र उगाता मून वारण दन वलन ही रहा है। गृह मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय अपन न्य म हू का उपचार करन की मोच रहे है। वे जन प्रतिनिधि अधिनियम में सन्तोधन कर इसके लिये सविधान में भा सशाधन किया जा सकता है।

विभिन्न राज्या के १३६७ स ३०६६८ म यक हुए उप चुनाव व परिणाम

सप्तदशेय चुनाव क्षेत्र		विजित दल			
नम	राण्य	चुनाव क्षेत्र	उप चुनाव की तारीख	उप चुनाव	जय चुनाव
१	आंध्र	१—ग्रीलाकुलम	२८ ४ ६७	स्वतंत्र	स्वतंत्र
२	असम	५—कोकराभास	१ ८ ६७	काग्रस	काग्रस
	विहार	४६—हजारीबाग	५ ५ ६८	स्वतंत्र	आजात
४	विहार	माधीपुर	२ ६ ६८	आजाद	आजाद
५	गुजरात	७—भावनगर	२४ ४ ६७	काग्रस	काग्रस
६	जम्मू-कश्मीर	१—ऊधमपुर	१० १ ६७	काग्रस	काग्रस
७	मध्य प्रदेश	४—गुना	५ ४ ६७	स्वतंत्र	स्वतंत्र
८	मन्गल	२—मद्रास दक्षिण	७ ११ ६७	द्रमुक	द्रमुक
९	महाराष्ट्र	८—वर्धम उत्तर पश्चिम	२४ ४ ६७	काग्रस	काग्रस
१०	मगूर	१—मन्गला	२४ १ ६८	प्रमोपा	कम्युनिस्ट
११	राजस्थान	५—बीसा	२९ ४ ६८	काग्रस	काग्रस
१२	उत्तर प्रदेश	६४—धागो	५ ६ ६८	कम्युनिस्ट	स्वतंत्र
१३	पंजाब	१०—कृष्ण नगर	१८ ५ ६८	काग्रस	आजात


हरियाणा मव्यावधि चुनाव परिणाम

कुल स्थान—८१, कुल मतदाना—४५,५१,७६७, कुल मतदान—२६,०६,७८०,
रद्द मत—६४,६६४ ।

दल का नाम	उम्मीदवार	प्राप्त स्थान	प्राप्त मत	प्रतिशत
काग्रेस	८१	४८	११,१४,३०६	४३.८३
जनसघ	४२	७	२,६५,७२६	१०.४६
स्वतन्त्र पार्टी	३२	२	२,०६,८४३	८.१८
कम्युनिस्ट	३	—	८,२१०	३.२
कम्युनिस्ट (माक्सवादी)	१	—	३,६३२	.१४
प्रसोपा	२	—	१,८०१	.०७
ससोपा	८	—	२३,६३७	.९४
विशाल हरियाणा	२६	१३	३५६,६८३	१४.०८
भारतीय क्रान्ति दल	६	१	३७,००५	१.४६
रिपब्लिकन	१३	१	२१,६१३	.३५
आजाद	१७	६	५,००,०१८	१९.६७

प्रसिद्ध पंजीकृत चिन्ह

स्वास्तिका



छाप

पीतल और तांबे की
औद्योगिक चादरों एवं पाटियों के निर्माता

स्वास्तिका मैटल वर्क्स

जगाधरी

हिन्दुस्थान वार्षिकी के राष्ट्रभाषा में प्रकाशन पर इसके
प्रकाशकों एवं पाठकों को शुभ-कामनाएं भेजते हैं ।

अक्षय वन सम्पदा से भरपूर, मध्य प्रदेश
वनोपज पर आधारित उद्योग के
लिए स्वर्णिम सम्भावनाएँ उपस्थित करता है।

मध्य प्रदेश के बहुमूल्य वन
सम्पत्ता और मनोरजन दोनों के सन्देशवाहक हैं
सम्पत्ता औद्योगीकरण के माध्यम से।
मनोरजन वनों के भ्रमण और वन्य प्राणियों के दर्शन से।

अपनी छुट्टियाँ मध्य प्रदेश में बिताइए
काहा, शिवपुरी और बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों में उन्मुक्त
विवरण करते हुए वन्य प्राणी देखिये —
शेर, तैलुयै, बायसन, साभर, चीतल,
वार्रासिंघा, काले हिरन और चिंकारे।

काहा राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से १७० किलोमीटर दूर,
मण्डला जिले में।

शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान आगरा-बम्बई रोड पर ग्वालियर से
११५ किलोमीटर दूर।

बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रीवा से १२८ किलोमीटर तथा पास
की रेलवे स्टेशन उमरिया से ४८ किलोमीटर।

मध्य प्रदेश में पधारिए—

- (१) व्यवसाय उद्योग के लिये
- (२) भ्रमण और ज्ञानवर्धन के लिये
- (३) स्वस्थ मनोरजन के लिये

विशेष विवरण के लिए मुरय वन मरक्षक, मध्य प्रदेश,
'भोपाल से' सम्पर्क साधिये

CALCINED PETROLEUM COKE

Carbon	—	99.5%
Ashes	—	0.26%
Density (9ms0cc)	—	2.05%
Sulphur	—	0.55%
Volatiles	—	0.28%
Moisture	—	0.02%
Conductivity (0hms/inch) ³	—	0.04%

INDIA CARBON LIMITED

NOONMATI

GAUHATI

VISIT GUJARAT

Famous for its cultural and archaeological heritage

CULTURAL

- *Somnath Temple (Veraval)
- *Sun Temple (Modhera)
- *Shaking Minarets and Carved stone Jali (Ahmedabad)
- *Jain Temples (Palitana)
- *Rudramal (Siddhapur)
- *The King of Forest the Gir Lion (Junagadh) One and only place to see lions in Asia

ARCHAEOLOGICAL

- *Pae historic excavations at Lothal

INDUSTRIAL

- *Oil Fields at Cambay Ankleshwar & Kalol
- *Gujarat Refinery and
- *Fertilizer Factory (Baroda)
- *Amul Dairy (Anand)

For detailed information please contact —

- | | |
|---|--|
| <p>1 The Director of Information
Govt of Gujarat Sachivalaya
Ahmedabad Tel 7611
Ext 303 & 308</p> | <p>2 Gujarat Information Centre
72 Janpath New Delhi
Tel 46148</p> |
| <p>3 Gujarat Govt Tourist Office
Dhanraj Mahal Apollo Bunder
Bombay Tel 257039</p> | |

भारत की रक्षा-व्यवस्था

भारत की वर्तमान सेना यद्यपि राष्ट्रीय सेना है, पर इसके संगठन और शिक्षा-दीक्षा का मूलाधार ब्रिटिश ही है। इसके नाम-धाम भी अंग्रेजी में है।

भारत की समस्त सेवाओं के सर्वोच्च अधिकारी, सचिवान के अनुसार, राष्ट्रपति हैं। प्रशासन और कार्यवाही का दायित्व रक्षा मन्त्रालय और सेना की तीनों शाखाओं के मुख्यालयों (केन्द्रों) पर है।

सुरक्षा-संगठन का दायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। मुख्य दायित्व ये है—(१) तीनों सेनाओं का विकास तथा गतिविधि व इन दोनों में समन्वय, (२) सरकार से नीति सम्बन्धी निर्णय प्राप्त करना, उन्हें तीनों सेना मुख्यालयों तक पहुँचाना और उनका परिपालन करवाना तथा (३) ससद से सुरक्षा व्ययों के लिये आवश्यक धन स्वीकृत करवाना।

संगठन

तीनों सेनाओं का दायित्व सुरक्षा मन्त्रालय का है, पर तीनों का कार्यपालन अपने-अपने प्रधान या अध्यक्षों के अन्तर्गत होता है।

'चीफ ऑफ दी स्टाफ' के मुख्यालय नई दिल्ली में है। अपनी-अपनी सेनाओं की गतिविधि का नियन्त्रण यही करता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बने मण्डल और उसके विस्तार का ही नाम 'चीफ ऑफ दी स्टाफ' है।

गत वर्ष रक्षा संगठन में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये —

१ स्वतन्त्र रक्षा-पूर्ति विभाग (डिफेन्स सप्लाई) की स्थापना। इसका काम रक्षा-कार्यों में उपयोगी बाहर से मगाई जाती वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन व तत्सवधी कार्य व रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन के कार्यों और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान और विकास कार्यों में तालमेल रखना है।

२ रक्षा मन्त्रालय में एक आयोजना कोशा की स्थापना। यह एक अपर सचिव के अधीन काम करती है। इसका काम रक्षा विकास योजना के उन सभी पक्षों पर, जिनका रक्षा प्रयत्नो पर प्रभाव पड़ता है, विचार करना तथा इनमें से प्राथमिकता का निर्णय करना है।

३. स्थल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों का कार्यकाल ४ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष कर दिया गया। नौसेनाध्यक्ष का कार्यकाल ३ वर्ष का ही है।

४ 'चीफ ऑफ एयर स्टाफ' की पदवृद्धि कर 'एयर चीफ मार्शल' बनाया गया।

स्थल सेना

इसका एक अध्यक्ष या प्रधान होता है जो स्थल सेनाध्यक्ष कहलाता है। इसकी सहायता के लिए उपसेनाध्यक्ष तथा चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर होने हैं। ये चार प्रमो-डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ एडजुटेंट जनरल क्वार्टर मास्टर जनरल तथा मास्टर जनरल आफ आर्म्स कह जाते हैं। इनके अतिरिक्त साक्षात् मुख्य होन हैं जो सैनिक मनिय तथा इंजीनियर इन चीफ (मुख्य अभियन्ता) कहलते हैं।

स्थल सेना की विभिन्न शाखाएँ हैं

- १ जनरल स्टाफ ब्रांच—इसके दो काय हैं (१) स्थल सेना का संगठन व काय नियोजन सैनिक काय जामूसी प्रशिक्षण युद्ध-वीरान का विकास और सैनिक सर्वेक्षण व इंजीनियरिंग स्टाफ के मामलें। इनका निपटारा उपसेनाध्यक्ष करत हैं। (२) सय सम्बन्धी काम हथियार व साज सामान चुनता तथा तत्सम्बन्धी नीति का समन्वय। य काय डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इसके विभिन्न कायों के निय ११ निदेशालय हैं।
- २ एडजुटेंट जनरल ब्रांच—यह जन शक्ति भर्ती छुट्टी वतन भत्ता व पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों व अनुशासनिक काय एवं कल्याण स्वास्थ्य तथा सैनिक कानून क काय देखती है।
- ३ क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच—कर्मचारिया भण्डार तथा साज-सामानो का संचालन भण्डार निर्माण खाद्य पदार्थ चारा तथा इधन का निरीक्षण व सप्रेषण सैनिक फाम रिमाउण्ट तथा पशु चिकित्सा संवाण सैनिक डाक-संवा थम तथा क टीन सेवाएँ (नके निदेशानय) तथा निमाण कायों क मुख्य तकनीकी निरीक्षण इसके अंतर्गत आत है।
- ४ मास्टर जनरल आफ आर्म्स ब्रांच—इसके अधीन तीन निदेशालय हैं—आर्म्स सेवा रक्षा सामग्री का जजन विकास संगठन तथा विजली व मकेनिकल इंजीनियर्स। इसका मुख्य काय सय सामग्रिया की आपूर्ति तथा सभी मकेनिकल तथा इन्जिनियरिंग सैनिक सामग्रिया की निगरानी मरम्मत और रख रखाव है। नौसेना तथा वायुसेना के काम क साधारण सामान भी इसमें शामिल है।
- ५ मिलिटरी सेक्टररी ब्रांच—यह सैनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत अभिलेख (रिकार्ड स) रखता है तथा उनके पदस्थापन स्थानांतरण प्रोन्नति तथा काय निवृत्ति व मानाह सवग का स्वावृत्ति आदि के निय उत्तरदायी है।
- ६ इंजीनियर इन-चीफ ब्रांच—इंजीनियर इन चीफ कोर आफ इंजीनियर्स का प्रधान होना है तथा तीना सेनाध्यक्ष व आर्म्स फक्टरिया क महानिर्देशक को इंजीनियरिंग सत्रधी मामलो म राय देता है। इसके अधीन अनेक निदेशालय हैं।

नौसेना

इसका मुख्य चीफ आफ नेवन स्टाफ है। इसके नीचे चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर और एक नेवन सेक्टररी है। अफसर और उनके काय विषय ये हैं —

१. डिप्टी चीफ आफ नेवल स्टाफ—सक्रियाए, योजनाए, हथियार सबधी नीति, नौसेना-जासूसी, नौसंचार व्यवस्था, सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा निर्माण योजनाए ।
२. चीफ आफ पर्सनल—भर्ती मेवा के नियम व शर्तें प्रशिक्षण, नौसेना के सैनिक व असैनिक कार्मिको के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, रसद और नौसेना के वैधानिक मामले ।
३. चीफ आफ मेटेरियल—जहाजो, हथियार और साज-सामान, नौसेना डॉकयार्ड और हथियारो की व्यवस्था, शस्त्रो की देखभाल तथा नौसेना इजीनियरिंग कार्य ।
४. चीफ आफ नेवल एवियेशन—नौसेना की हवाई यूनिट ।
५. नेवल सेक्रेटरी—नौसेना वजट, नौसेना मुख्यालय के प्रतिष्ठान सबधी मामले, प्रकाशन और अभिलेख ।

प्रशासकीय अधिकारी :

नौसेनाध्यक्ष निम्न ४ अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन करते हैं

१. फ्लैग अफसर कमांडिंग, भारतीय वेडा,
२. फ्लैग अफसर, बम्बई,
३. कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन,
४. कमोडोर, पूर्वी समुद्री तट, विशाखापत्तनम् ।

भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर-कमांडिंग पर भारतीय वेडे के सभी जहाजो के संचालन, प्रशासन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भार है ।

फ्लैग अफसर, बम्बई और उसके आस-पास स्थित नौसेना के समुद्रतट स्थित प्रतिष्ठानो की देख-रेख करता है । इसमें जामनगर तथा लोनावाला के प्रतिष्ठान भी हैं । इस पर बम्बई में रहनेवाले ऐसे जहाजो के नियंत्रण का भी भार है जो फ्लैग अफसर-कमांडिंग, भारतीय वेडे के अधीन नहीं हैं ।

कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन के दायित्व में कोचीन और कोयम्बतूर स्थित समुद्रतटीय प्रतिष्ठान तथा वहा स्थित सामुद्रिक जहाज व वायुयान हैं ।

पूर्वी समुद्री तट के कमोडोर पर भारतीय नौसेना के पोत 'सिरकार्स' के प्रशासन का भार है । इस पोत के साथ वह नौसेना के 'हुगली' (कलकत्ता) तथा 'अड्यार' और 'जरावा' (पोर्ट ब्लेयर) का भी 'अफसर कमांडिंग' है । विगाखापत्तनम् में स्थित जहाजो की देख-रेख का भार भी इसी पर है ।

नौसेना अफसर-इन-चार्ज, गोवा, नौसेना के पोत 'गोमान्तक' और नेवल एयर स्टेशन-टवलिम का प्रशासक है । यह सीधे नौसेना मुख्यालय के अधीन है ।

वायुसेना

इसका मुख्य 'चीफ ऑफ एयर स्टाफ' है जिनकी नहायता के लिये चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं—वाउम चीफ ऑफ एयर स्टाफ (उप वायुसेनाध्यक्ष), डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मेटेनैन्स (वायुसेना पदाधिकारी, नधारण) तथा एयर अफसर एडमिनिस्ट्रेशन (वायुसेना पदाधिकारी, प्रशासन) । वायुसेना मुख्यालय को तीन मुख्य शाखाएँ ये हैं ।

- १ वायुसेना बमबारी वगैरे गान्ना (गनर स्टान ट्राप)— ताँत तथा यात्रा प्रमाण सक्कत गि ता सहायता और सुरक्षा तथा नियंत्रित दमन—उन वायुगताध्ययन के अंतगत है। सत्रियाण उमान-गुरगा जागूमी तथा मोगम विमान व काय प्रतिवायु-सेनाध्ययन देखत हैं।
- २ वायुसेना प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी—इसके अधीन प्रशासन गाता है। काय—भर्ती अनुशासन सेना के नियम व सत नियन्त्रित पानति कल्याण काय चिकित्सा तथा बजट और निर्माण।
- ३ सधारण शाखा—यह वायुसेना सधारण के प्रभारी पदाधिकारी के अधीन है। काय—वायुयानों की देखभाल हथियारों व अन्य साज-सामानों का भंडार रखना वायुयानों का सग्रह।

वायुसेना कमान

इसकी ५ कमानें हैं—पश्चिमी केन्द्रीय पूर्वी प्रमाण तथा अनुरक्षण कमान। कुछ विरचनाएँ वायुसेना मुख्यालय के नीचे काम करती हैं।

भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी है और अत्यन्त उज्वल है। देश रक्षा के साधारण काय के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य काय भी हैं (१) देश में शांति और व्यवस्था को कायम रखने में मदद देना जब स्थिति पुलिस के काम में नहीं रहे। आन्तरिक विद्रोहों का दमन करना भी इसका काम है। केन्द्रीय सरकार की देश में शांति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है उसको वह सना के ही सहारे पूरी करती है। (२) इसके सिवाय यह प्राकृतिक विपत्तियों—जम भूकम्प बाढ़ आदि अकाल में मुन्की अधिकारियों की मदद करती है। अमापारण स्थिति में भी सेना नागरिक कार्यों में मदद करती है जबकि नागरिक प्रशासन असमर्थ हो जाता है। (३) यह जाकागीय फोटोग्राफी सर्वे करती है। इससे विकास योजनाओं और जन विद्यन परियोजनाओं के निर्माण में और उनका स्थान चुनने में सहायता देती है। (४) सना कास के जंगलों को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने में मदद देती है। सेना न अपनी छावनियाँ की जमीन में खेती करके जन-सकट को दूर करने में भारी मदद पहुँचाई है। (५) विद्रव-शांति की रक्षा में यह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करती है।

देश से बाहर—भारतीय सेना ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और उसकी रक्षा के लिए भारत से बाहर जाती थी और इसका खर्च भी ब्रिटिश खजाना नहीं भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी बाहर जाती है पर शांति की स्थापना में सहायता के लिए। इस दिशा में भारतीय सेना के काय सब विस्तृत हैं—

- (१) कोरिया युद्ध विराम-संधि को भारतीय सेना ने क्रियावित किया।
- (२) वियतनाम लाओस व कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण का काय भारतीय सेना आज भी कर रही है। जनेवा करार १९५४ के अधीन यह काय भारत को सौंपा गया था और वह अभी जारी है। इस काम की समाप्ति तब होगी जब दोनों वियतनाम (उत्तर और दक्षिण) समुक्त हो जायेंगे और चुनाव के बाद सार देश का एक सरकार स्थापित हो जायगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर लड़ें तब यह भारतीय सेना का काम है। इस कमीशन में वनाडा और पोर्तुगल भी हैं। भारत इसका अध्यक्ष है।

(३) १६ नवम्बर, १९६५ को स्वाधीन भारत की सेना देग से वाहुर भेजी गई। इस वार सयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए गई। मित्र मे सयुक्त राष्ट्र की एमजेंसी फोर्स मे भारतीय सेना का एक दस्ता भी था। (४) १९५८ मे लेबनान मे सयुक्तराष्ट्र के पर्यवेक्षण दल (मुपरवीजन ग्रुप) मे भारतीय सेना के ७० अफमरो ने भाग लिया। (५) इससे पहले कागो मे शान्ति स्थापित करने के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य मे सयुक्त राष्ट्र की सहायता मे ७०० सैनिक गये। फिर कागो मे युद्ध के भयकर होने पर कुछ तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड मार्च, १९६१ मे गई। कागो मे ही भारत हवाई मैनिफो के साथ ६ इण्टरसेक्टर कैनवेरा जेट विमान भेजे गये। चीनी आक्रमण के बाद अप्रैल, १९६३ मे ब्रिगेड ग्रुप और कुछ प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया। इसके बाद शेष रहा भाग भी कागो से वापस बुला लिया गया। (६) सेना के अफमरो का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया।

शान्ति स्थापन—पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया मे शान्ति रखने का काम भारतीय सेना ने समय-समय पर किया है और इस देश की सरकार और सेना ने सिद्धान्तत इस काम को मान लिया है कि यह कार्य उसका है। इसका अर्थ है कि भारत की सैनिक शक्ति इस शान्ति-रक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक सैनिक शक्ति का निर्माण और विस्तार करना भी भारत का कार्य है। १८ साल के जीवन मे पाच वार उसको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना के कार्य मे योग देना पडा है। इसके अतिरिक्त १९५० मे कोरिया-युद्ध मे भारत ने डाक्टरी सहायता भेजी थी। सेना का यह उत्तरदायित्व सविधान मे निहित निर्देशो के अनुच्छेद ५१ के अधीन है। इसमे कहा गया है कि—

राज्य

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का,
- (ग) सगठित लोगो के पारस्परिक व्यवहारो मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सधियों के प्रति आदर बढ़ाने का, तथा
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादो को मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

इस निर्देश ने भारतीय सेना को शान्ति-विजय का कार्य सोपा है।

भारतीय सेना के इतिहास मे भारत-विभाजन एक उल्लेखयोग्य परिवर्तनकारी घटना है। देश के साथ-साथ सेना भी साम्प्रदायिक व स्वेच्छा के आधार पर विभक्त हो गई। सेना का एक तिहाई भाग पाकिस्तान को मिला, दो-तिहाई भाग भारत के पास रहा। रायल एयर फोर्स समेत ब्रिटिश सेना भारत से चली गई।

भारतीय सेनाओ मे नौसेना का अपेक्षित-विकास नहीं हुआ। यह सेना का परिव्यय देखने से स्पष्ट है।

सर्वापरि समिति मन्त्रिमंडल की 'रक्षा समिति' है। यह स्थायी समिति है। हाल ही मे इसका पुनर्गठन किया गया है। सेना के लिये, व्यावहारिक दृष्टि से, यही सरकार है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह मन्त्रिमंडल की ओर ने रक्षा सवधी मभी मुख्य प्रश्नों पर विचार करती है तथा उन प्रश्नों को मन्त्रिमंडल के सम्मुख रखती है जिन्हे यह इस हेतु आवश्यक समझती है।

सेना का परिव्यय

१९६८-६९ के बजट अनुमानों की मुख्य विभापनाएं निम्नलिखित हैं—

१ राजस्व व्यय (कुल) पर ९४३.३९ करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय (कुल) पर १३.९ करोड़ रुपये लगने का अनुमान है।

२ वेतन और भत्त पर सार्वजनिक सेवाओं के कर्मियों के लिए (मंडिकन कर्मियों को छोड़कर) २.९७८ करोड़ रुपये और सिविलियनों के लिए (मंडिकन कर्मियों को छोड़कर) ७६.३२ करोड़ रुपये।

३ इसके अतिरिक्त राशन पर ६३.७६ करोड़ रुपये और वस्त्र तथा भूखण्ड पर ९८ करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं।

४ आइनेंस कारखाना में उत्पादित और वहां से सप्लाई किये जाने वाले भंडारा को छोड़कर तीनों सेनाओं के भंडारा और उपकरणों के लिए २.५१ करोड़ रुपये।

५ आइनेंस कारखाना पर राजस्व व्यय १२०.९२ करोड़ रुपये। आइनेंस कारखाना पर उनके मयत्र और मशीनों सहित ३२.०२ करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा। रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं की गैर पूंजी पर ६.७९ करोड़ रुपये की धनराशि लगाई जायेगी।

६ बिल्डिंगों, उपकरणों आदि की लागत सहित १४.१२ करोड़ रुपये की धनराशि अनुसंधान तथा विकास कार्य पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

७ रक्षा भण्डारों आदि के निरीक्षण गुण नियंत्रण आदि पर १३.५५ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

८ तीनों सेनाओं के लिए परिवहन व्यवस्था सबट आदि के बिराए और टेलीफोन पर ५२.१६ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

९ डाक्टरी सुविधाओं, आवास और पेंशन पर निम्नलिखित व्यय की व्यवस्था है—

(क) डाक्टरी सुविधाएं २९.६१ करोड़ रुपये।

(ख) पृथक् किये गये परिवारों के लिए आवास व्यवस्था सहित पारिवारिक आवास व्यवस्था २४.१२ करोड़ रुपये।

(ग) पेंशन २८.२५ करोड़ रुपये।

१० हवाई अड्डा होगा प्रशासकीय और तकनीकी इमारतों, डाकघरों आदि जैसे अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय ५४.५९ करोड़ रुपये का होगा।

११ वर्तमान इमारतों आदि पर ४५.४ करोड़ रुपये का अनुरक्षण व्यय होने का अनुमान है।

१२ प्रादेशिक सेना पर १.६७ करोड़ रुपये का व्यय होगा।

१३ सार्वजनिक सेनाओं को डेरी की वस्तुएं मजदूरी करने के लिए धन सेना सचिव पाम करता है। इन पार्श्यों पर ८० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

रक्षा मंत्रालय के टांचे में कोई विद्युत् परिवहन नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय का विवरण त्रिभुज रक्षा मंत्रालय भी सम्मिलित है परिशिष्ट (क) में दिया गया है।

जान बचाना तीन सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न अन्य मंत्रालयों और संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का विवरण दिया गया है।

विवरण १

३१ म र्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत परिच्यय पर खर्च की जाने वाली धन राशि का अनुमान (भाग सत्या ५—मुख्य शीर्षक ७६) ।

	वास्तविक	वजट अनुमान	संगोधित अनुमान	वजट अनुमान
	₹	₹	₹	₹
१ उप-मुख्य शीर्षक १—थल सेना				
१ थल सेना के वेतन और भत्ते	१,९३,४३,४५,६०७	१,९३,७७,३०,०००	२,०६,६२,९२,०००	२,०६,८८,६७,०००
२ प्रादेशिक सेना के वेतन और भत्ते और विविध व्यय आदि	५,३०,९९,५१३	५,४६,०३,०००	५,४६,०३,०००	५,४३,६३,०००
प्रभारित			५,०००	
३ थल सेना में (या उसके लिए) काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	५४,६१,४०,८०२	५३,५०,८५,०००	५७,७०,२२,०००	५६,९५,५१,०००
प्रभारित	...	४,७८५	...	३५,०००
४ परिवहन और विविध	४२,९३,९८,४८५	४२,३२,९४,०००	४१,६८,७४,०००	४०,४८,८८,०००
प्रभारित	१,२४,८६३	३,००,०००	२,९५,०००	३,००,०००
५. सैनिक फार्मों पर व्यय	१,३६,४९,१६,९६६	१,४१,९६,३८,०००*	१,४२,९६,३८,०००*	७,६०,००,०००
प्रभारित	...	५०,०००*	५०,०००*	...

६ भण्डारा पर व्यय [निर्माण
और अनुसंधान मित्रद्विया
और भवनिक इंजीनियरी सेवा
(इंजीनियर स्पोर डिगुआ को
दोष्यर) से भिन्न]
प्रभारित

१ ७७ २६ ४४ ००४	१ ६७ ७४ ६३ ० ०	१ ६६ ६३ ७३ ० ०
	४	३ ०० ० ०

७ निर्माण वाय (राजस्व पर
प्रभाम) रख रखाव जादि
पर व्यय

३४ ६१ ६ ४२८	३२ ७६ ४ ००	३६ ४७ ०० ०
८१ ००६	२ ४० ०	२ ०० ०

८ इगण्ड म व्यय
प्रभारित

४ ०४ ७० ८६४*	७ ६८ ४७ ००*	७ ४३ २४ ०
२ ४८ ३८४	४ ० ००	

९ विनिमय से ट्रानि या नाम

जोड उप मुख्य गीपक ?—धर

६ ४६ ७७ ४६ ४४	६ ७३ ६१ ००	४ ६३ ४० ६ ०००
२ १३ २१६	१ ० ०	८ ०० ०००

सेना
प्रभारित

*सभी निर्माण आर अनुसंधान सम्बन्धी सभी प्रतिष्ठाना पर होने वाला व्यय स्वयं सम्मिलित है।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	सशोधित अनुमान १९६७-६८	वजट अनुमान १९६८-६९
	₹	₹	₹	₹
उप-मुख्य डीर्बक २—नौसेना				
(क) नौसेना के वेतन और भत्ते ...	८,१५,४२,५९५	८,६९,७०,०००	९,१४,०३,०००	१०,०२,४०,०००
(ख) आरक्षित सैनिकों के वेतन और भत्ते ..	४,७४,१८२	६,६०,०००	१०,१०,०००	१०,७०,०००
(ग) असैनिकों के वेतन और भत्ते...	६,७९,६१,८८६	७,४६,९०,०००	७,९२,१०,०००	८,३६,६५,०००
(घ) परिवहन और विविध ...	२,६२,३५,५२३	४,२९,७५,०००	४,०१,८०,०००	४,२६,८५,०००
...	५०,०००	४९,०००	४०,०००
(ङ) भण्डारी पर व्यय (आर्डिनेन्स कारखानों द्वारा भेजे जाने वाले भण्डारों से भिन्न)	१०,२३,५७,९१०*	१०,३३,८५,०००*	१०,९०,२०,०००*	९,००,००,०००
(च) निर्माण कार्यों (राजस्व पर प्रभार्य), रख-रखाव आदि पर व्यय ...	२,२८,८८,९९९	२,५२,३५,०००	२,४०,६२,०००	१,७२,७५,०००**
... ..	१,५८७	...	१,०००	...
(छ) इग्लैंड में व्यय ...	४,५३,६६,७६३	५,५६,८५,०००	४,४५,१५,०००	४,७२,२५,०००
(ज) विनिमय से हानि या लाभ ...	२,१८,१७७	...	२,००,०००	...
जोड़ उप-मुख्य डीर्बक २—				
नौसेना	३४,७०,४६,०३५	३८,९६,००,०००	३८,९६,००,०००	३८,२१,६०,०००
प्रभारित	१,५८७	५०,०००	५०,०००	४०,०००

*— आर्डिनेन्स कारखानों की उत्पादन व्यवस्था से भेजे गये भण्डारों पर किये जाने वाले व्यय भी इसमें सम्मिलित है ।
 **— एम० ई० एस० द्वारा किये गये निर्माण-कार्य के लिये विभागीय प्रभार इसमें सम्मिलित नहीं है ।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक	बजट अनुमान	संगणित अनुमान	बजट अनुमान
	₹ १६६६ ६७	₹ १६६७ ६८	₹ १६ ७-६८	₹ ६ ८ ८
उप मुख्य गीपक ३—वायु सेना				
(क) वायु सेना के वतन और भत्त	२६ ४६ १२ ६८१	३० ३२ ०० ००	३३ ४४ १७ ०००	४ ७ ६ ८ ००
(ख) वार्षिक और गृहयक सेनाओं के वतन और भत्त	७ ८६६	२४	२४ ०००	६ ०००
(ग) जमानिका के वतन और भत्त प्रभारित	८ ३६ ४२ २ ८	८ ४७	६ ६००	१० २ ६ ० ०००
(घ) परिवहन और विविध प्रभारित	७ ०८ ८७ ७७	७	७ ८ ०	७ ४ १ ७ ६ ००
(ङ) सड़क पर चय (आडनेल कारखानों द्वारा भेज गये सफ़ाई म भिल)	७ ६ ६३ ६ ६७००	४ ०००	६ ०००	४ ०००
(च) निर्माण-कार्य (राजस्व पर प्रभाव) रख रखाव आदि पर व्यय प्रभारित	६ ८ १ ८४ ८६	१० ६ ०००	१० ६ १ ०० ००	७ ७ ० ००० ००
(छ) हवाई म चय	८ १६३	४ ०० ०	४ ००	४ ० ०००
(ज) विनिमय से ज्ञानि या नाम	१ ८ १४ ३ ०६७	१ ६ १ ४ ४ ०००	१ ७ ७ ७ ३ ६ ०	१ ० ६ १ ० ०
	८ ७ ८ ६ ६ २	—	६ ६	—
जो—उप मुख्य गीपक ३—				
वायु सेना	१ ६ ६ ६ ८ १	१ ६ ४ ०० ००	१ ७ १ ०० ००	१ ६ ८ १ ३ ० ०
प्रभारित	८ १ ६ ३	१ ० ० ०	१ ० ० ०	१ ० ० ० ०

*आन्ध्र कारखाना द्वारा भेज गये सफ़ाई मी हम्म मस्मिन्त ३ ।

**एम० २० एम द्वारा चय निर्माण-कार्य के चय विभागीय प्रकार हम्म मस्मिन्त १ १ ३ ।

विवरण १ (जारी)

	वास्तविक १९६६-६७	बजट अनुमान १९६७-६८	सशोधित अनुमान १९६७-६८	बजट अनुमान १९६८-६९
- उप-मुख्य शीर्षक ४—रक्षा उत्पादन—				
(क) आर्डेन्स तथा वस्त्र कारखाने	₹ ५	₹ ५	₹ ५	₹ ५
प्रभारित	६०,०००
(ख) अनुमान तथा विकास संगठन	११,०५,०९,०००
(ग) निरीक्षण संगठन	१२,११,००,०००
(घ) इन्सैड मे व्यय	१,९६,४४,०००
(ङ) विनिमय मे हानि या लाभ
जोड़—उप-मुख्य शीर्षक ४—				
रक्षा उत्पादन	१,४५,२८,७४,०००
प्रभारित	६०,०००
जोड़—माग सख्या ५—				
रक्षा सेवा सत्रिय	८,३४,१६,०९,०३०	८,७३,४०,००,०००	८,९१,४४,९९,०००	९,१५,०४,००,०००
प्रभारित	२,२३,९६६	११,५०,०००	११,५०,०००	१०,००,०००

*आवश्यक घन राशि पर थल सेना माग के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाने के कारण ये कालम खाली छोड़ दिये गये हैं—

विवरण २

रक्षा सभाओं के निम्निय ऋय के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६६ को गमाए होने वाले ऋय में आभार प्राप्त राशि का अनुमान (११-११-६६)

६—मुख्य शीपक ८२) ।

	वास्तविक	बजट अनुमान	गणित अनुमान	बचत अनुमान
	१९६६ ६७	१९६७-६८	१९६७-६८	१९६७-६८
१ बल सेना प्रभारित	₹ २३ ७३ ३३ ५८०	₹ २४ ६३ २५ ०००	₹ २४ २४ ८० ०००	₹ २३ ७३ ३३ ५८०
२ नौ सेना	₹ ४९ ९५ ६८०	₹ ५८ ५५ ० ०	₹ ५८ ०० ०	₹ ४९ ९५ ६८०
३ वायु सेना	₹ ३० १२ ८०८	₹ ५८ ५ ००	₹ ३६ ० ००	₹ ३० १२ ८०८
४ इन्डि म व्हाय	₹ ६ ५८५	₹ ३५ ०००	₹ १८ ०००	₹ ६ ५८५
५ विनिमय से हानि या लाभ	₹ ५७२		₹ ० ०००	₹ ५७२
				₹ ७३ ११ ६०

जोड—भाग की सख्या ६—रक्षा सभाएं निम्निय प्रभारित

₹ २४ ५६ ८० २२५ ₹ ५० ००० ₹ ५० ००० ₹ २० ०००

विवरण ३

३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रक्षा पूंजीगत परिव्यय पर खर्च हो जाने वाली आवश्यक कुल धन राशि का अनुमान (माग नम्बरा १०४—मुख्य जीर्णक १३०) ।

	वास्तविक १९६६-६७	वजट अनुमान १९६७-६८	सशोधित अनुमान १९६७-६८	वजट अनुमान १९६८-६९
(क) धन सेना	₹ ८०,७०,२३,७००	₹ ८२,३०,००,०००	₹ ७९,२०,८८,०००	₹ ४५,७९,६०,०००
प्रनारित	२,२९,९८६	३,००,०००	३८,८६,०००	३०,००,०००
(ग) नौ सेना	५,५६,०४,१११	११,१०,७५,०००	१०,३६,५८,०००	१८,६३,६५,०००
प्रनारित	—	२०,०००	२०,०००	—
(घ) वायु सेना	२६,१०,५४,३२७	२६,५८,००,०००	२६,४५,३६,०००	२४,०२,३५,०००
प्रनारित	२,०८,९०४	६,८०,०००	६,८०,०००	५,००,०००
(ङ) निर्माण तथा अनुमान सम्बन्धी ..	—	—	—	—
(च) औद्योगिक उप क्रम और अन्य	—	—	—	—
मागतों के अन्तर्गत पर व्यय	३,६७,०६,२००	४,०३,८०,०००	१,८३,५८,०००	६,७९,२०,०००
जोड़—माग मर्यादा १००—रक्षा	१,१६,०३,९१,३३८	१,२७,०२,५५,०००	१,१७,८६,४०,०००	१,३०,५५,०००
पूँजीगत परिव्यय	४,३८,८९३	१०,००,०००	४५,८६,०००	३५,००,०००
प्रनारित	—	—	—	—

*आवश्यक धन राशि पर उप जीर्णक (क)—थल सेना के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाने के कारण इन कालमों को खाली छोड़ दिया गया है ।

थल सेना

समी तथीन वष के अन्तगत धन रोज की मन्त्रियात्मक बायोजना का धना त्रिगम प्रशिक्षण व्यवस्था को और अन्नी बनाने की योजना सम्मिलित है परन्तु दत्त का और अधिक बनाने के विचार से गारी थल गता का पुनर्गठन करती त्रिगम युक्ति और त्रिगम नाभा को और अधिक युक्तिमगन बनाने का काम चिह्नित है मण शस्त्रा का उपकरण का त्रिगम मुख्यवस्थित रूप से चालू करने और उपस्वरो का गुरक्षित भण्डार तयार करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया । नए शस्त्रा और उपस्वरो का भी परी तण किया गया ।

संगठन

अफसरों की वृत्तिक जायोजना और आपत्ती-कमीगन प्राप्ति अफसरों की नियुक्ति और सेवाविमुक्ति से सम्बन्धित अतिरिक्त कायभार को पूरा करने पर पर्याप्त ध्यान देने का त्रिगम वष के अन्तगत त्रिगेडियर के ओट्टे में डिप्टी मिलिट्री सक्ती का एक और पन्ना बनाया गया ।

प्रशिक्षण

थल सेना की सन्त्रियाजो म पर्याप्त हवाई सहायता की आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए वष त्रिगम में थल सेना और वायु सेना ने समुक्त रूप से युद्ध सम्बन्धी परीक्षण किए । इन परीक्षाओं के दौरान उपर्युक्त परिणामों के आधार पर नई त्रियाविधि तयार की गई । कुछ तन्त्रात्मक सन्त्रियात्मक अभ्यास भी किए गए और एम अभ्यासों के दौरान जा भी सबक सीखा गया उसे प्रशिक्षण निदेशों में समाहित किया गया जिससे कि सन्त्रियों को वास्तविक युद्ध स्थितियों के अनुकूल तयार किया जा सके ।

सैनिक इंजीनियरिंग कालेज की प्रशिक्षण क्षमता को और बढ़ाने के विचार से पुनः हए सैनिक अफसरों को सिविल इंजीनियरिंग कालेजों में तीन वर्षीय शिक्री कोर्सेस में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ।

इस वष राष्ट्रपति ने ६ दिसम्बर १९६७ को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमीगन देने पर की जाने वाली औपचारिक परेड की सन्नामी दी ।

थल सेना में अफसरों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून और अफसर प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में और अधिक सख्या में अफसरों को प्रशिक्षण देने की क्षमता बना दी गई है । अफसर प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में अल्पकालीन कमीगन (गर तकनीकी) कोर्सेस का सभय ४३ सप्ताह से बढ़ाकर ४४ सप्ताह का कर दिया गया है ।

सैनिक शिक्षा कोर के अफसरों ने नेशनल कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग तथा सेट्रल स्टडीट्यूट आफ दगलिग हैदराबाद द्वारा चलाए गए कोर्सेस में तथा विन्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन सस्थान कार्यक्रमों में पूरववद भाग लिया ।

सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र में स्नातकोत्तर कोर्सेस के परिणाम बहुत ही अच्छे रहे । तीन परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और एक परीक्षा में

६८ प्रतिशत परिणाम रहा। सैनिक शिक्षा कोर के एक जूनियर कमीशंड अफसर ने सागर विश्वविद्यालय की वी० एड० की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

थल सेना हेडक्वार्टर ने सभी सैनिकों के लाभ के लिए उनके फानतू समय में उन्हें सागर विश्वविद्यालय से वी० ए० की परीक्षा के लिए तैयार करने के विचार से एक पत्राचार कार्यक्रम चलाया है और बहुत से सैनिकों ने इस सुविधा से लाभ उठाया है।

डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कालेज और आर्मी कैंडेट कालेज पूर्ववत् काम करते रहे हैं। डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कालेज में भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए सीटों की मांग बढ़ती जा रही है।

देश में प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का विकास होने से अब विदेश में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे जाने वाले सैनिक अफसरों की संख्या काफी घट गई है। फिर भी कुछ अफसर विशेषित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजे गए।

सिक्किम और भूटान तथा घाना, मलेशिया, संयुक्त अरब गणराज्य, ईराक, सूडान, नाइजेरिया उगाडा, यमन और नेपाल के सेना कार्मिक गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारी रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पांच मिलिट्री स्कूल के परिणाम काफी अधिक अच्छे रहे और इस वर्ष औसतन ७५ प्रतिशत लड़के पास हुए। अजमेर मिलिट्री स्कूल के सभी लड़के पास हुए।

हिन्दी में रक्षा शब्दावली तैयार करने में काफी प्रगति की गई है। अब तक रक्षा सेनाओं से सम्बन्धित लगभग बीस हजार शब्दों के हिन्दी रूपान्तर तैयार किये जा चुके हैं और रक्षा विषय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा उनका अनुमोदन भी किया जा चुका है। इस प्रकार के शब्दों का एक शब्द संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है।

विदेशी मुद्रा को बचाने के विचार से डम वर्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज के अफसर-छात्रों द्वारा विदेशों का दौरा लगाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

सैनिक स्कूल सोसायटी इस समय १५ सैनिक स्कूलों को चला रही है। ये स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए पोषक संस्थान के रूप में काम करते हैं। इन स्कूलों के खोले जाने के समय से लेकर अब तक इनके ३७५ लड़के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिल हो चुके हैं। एयर फोर्स फ्लाइट कालेज, जोधपुर में कमीशन देने पर की गई अन्तिम परेड में सैनिक स्कूल कपूरथला का एक भूतपूर्व छात्र सबसे उत्तम कैंडेट घोषित किया गया। मई १९६७ में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए आयोजित प्रवेश-परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान सैनिक स्कूल पुटलिया के एक छात्र का था। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सगठन द्वारा आयोजित शैक्षिक-कार्यक्रम में सैनिक स्कूल, बीजापुर को शामिल किया गया है।

भर्ती

गत वर्षों की भांति थल सेना में भर्ती होने के प्रति लोगों की अनुक्रिया मन्तोपजनक रही। यद्यपि गैर-तकनीकी अफसरों और अन्य सैनिकों के सम्बन्ध में भर्ती करने का निर्धारित

सभ्य सामान्य रूप से पूरा हुआ लेकिन तकनीकी क्षेत्र में अग्रगण्य की कमी बनी रही। फिर भी स्टाई कमीशन देने के लिए एजीनिसरी अग्रगण्य की भर्ती में कुछ सुधार हुआ।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना नागरिकता की एक सेना है जिसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को उनके पालतू समय में सैनिक प्रशिक्षण देना और आवश्यकता पड़ने पर उनके विभिन्न व्यवसायों में बिना बाधा डाले समय आने पर देश रक्षा हित में सैन्य उद्योगों का अवसर प्रदान करना है। प्रादेशिक सेना के काम इस प्रकार हैं (१) नियमित सेना को उत्तम स्थिति में रखना से मुक्त कराना और अगर उन्हें सेना में सम्मिलित कर लिया गया हो तब दधी विधियों में और ऐसी स्थितियों में जब कि देश की सुरक्षा को गंभीर हो अग्रिम अधिकारियों की सहायता करना (२) हत्या मार तोषा पर काम करना और (३) आय वसूली पत्रों पर नियमित सेना में यूनिटों के रूप में काम करना। १ अक्टूबर १९६७ की स्थिति में अनुसार प्रादेशिक सेना की अधिकृत संख्या ५१,२८३ है जबकि वास्तविक संख्या ४२,६७६ है।

प्रादेशिक सेना की वायव्यता को बढ़ाने के लिए वर्षों के अन्तगत कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। चारों ब्रिगाडों में एक-एक प्रादेशिक सेना ग्रुप हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। यह हेडक्वार्टर सीधे जी ओ सी इन चीफ के अधीन काम करेंगे और ब्रिगाड की वाय क्षेत्र के अन्तगत प्रादेशिक सेना में सभी मामलों पर विचार करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से प्रादेशिक सेना में मजबूती और सघनता की भावना पैदा होनी और पनपने के अतिरिक्त प्रादेशिक सेना और राज्य की भर्ती करने वाली विभिन्न सिविल एजेंसियों के बीच सम्पर्क व्यवस्था भी हाँ जाएगी।

प्रादेशिक सेना के अर्थ जवानों के कायकाल में संगोपन किया गया है। प्रादेशिक सेना की आर्टिज़री और इन्फैंट्री यूनिटों में भर्ती किए गए जवान प्रादेशिक सेना में १ वर्ष तक और प्रादेशिक सेना रिजर्व में पाँच वर्ष तक रहेंगे जब कि अर्थ प्रादेशिक सेना की यूनिटों के लिए यह अवधि क्रमशः १२ वर्ष और ३ वर्ष है।

आवश्यक योग्यताओं वाले चिकित्सा व्यवसायियों को प्रादेशिक सेना की सेना मेडिकल कोर में सीधे कप्तान के ओहदे में कमीशन दिया जाएगा जब कि अभी तक उन्हें लैफ्टिनेंट के ओहदे में कमीशन दिया जाता था।

१९६७ के अन्तगत प्रादेशिक सेना में १८ पदों को अपसर कमीशन और ८२ पदों को जूनियर अपसर कमीशन दिए गए।

नौ सेना

नौसैनिक जलयानों का निर्माण और उनकी प्राप्ति

नौ सेना को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए गत वर्षों में जो प्रयास आरम्भ किए गए थे उन्हें जारी रखा गया। पनडब्बियाँ जिनकी आवश्यकता बहुत समय पहले से अनुभव की जा रही थी अब नौसेना के अभिन्न अंग के रूप में हैं।

नए समुद्री जहाजों को पानी में उतारना

भारतीय नौसेना के "दीपक" नामक प्रथम पलीट टैंकर को २० नवम्बर १९६७ को पानी में उतारा गया ।

भर्ती :

वर्ष के अन्तर्गत ६१ अफसरों को राष्ट्रीय रक्षा आकादमी के द्वारा और २१६ अफसरों को सीधे भर्ती करने की प्रणाली द्वारा भर्ती किया गया । इनके अतिरिक्त ७ अफसरों को नौसेना रिजर्व में भर्ती किया गया ।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, खडकवास्ला के माध्यम से भर्ती किये गये नेवल कन्स्ट्रक्टर अफसरों का प्रथम बैच उस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।

नौसेना के उड्डयन कैंडेटों के रूप में सीधा भर्ती करने के लिए आवश्यक योग्यताओं और आयु सीमा सम्बन्धी नियमों में कुछ ढिलाई दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कैंडेट अधिक संख्या में भर्ती किए गए ।

तकनीकी नौसैनिकों के अभाव की पूर्ति के लिए वर्ष के अन्तर्गत भर्ती किए गए कुल ३,८२० नौसैनिकों में से १२० डिप्लोमा प्राप्त नौसैनिकों को कारीगरों के रूप में चुना गया और उन्हें भर्ती किया गया ।

नौसेना डाकयार्ड प्रसार योजना .

इस योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है । दूसरे चरण के अधिकतर भाग का इजीनियरी निर्माण कार्य के लिए ठेका हो चुका है तथा उस पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाने की आशा है ।

नौसेना डाकयार्ड परियोजना, विशाखापटनम :

विशाखापटनम जल मार्ग के एक नये भाग की खुदाई आदि करके उसकी सफाई करने के लिए और वहा जहाजों को ठहराने के लिए स्थान बनाने और जहाजों की मरम्मत जादि करने की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । १९६६ के अन्त तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा है ।

नौसैनिक वैमानिक व्यवस्था .

गोवा में डवोलिम पर नौसेना के हवाई अड्डे के लिए बनाई गई विकास योजना के द्वितीय चरण पर काम जारी रहा ।

नौसेना निर्माण कार्य :

वर्ष के अन्तर्गत जो मुख्य निर्माण परियोजनाएँ मजूर की गई थी उनमें पोर्ट ब्लेयर पर एक घाट का निर्माण, वम्बई में अफसरों और नौसैनिकों के लिए अतिरिक्त रिहायशी मकानों का निर्माण, नौसेना डाकयार्ड, वम्बई में वर्कशाप की सुविधायें, विशाखापटनम में वायरलेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन और गोवा में एक नया राइफल रेंज बनाने का काम सम्मिलित है ।

वायुसेना

वायु सेना का काम थल सेना की सहायता करना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, समुद्री टोह लगाना और नौसेना को हवाई सहायता पहुंचाना है तथा जहा कही

आवश्यक होना है थल सैनिकों और उपस्करणों के लिए परिवहन व्यवस्था भी करना है। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए ४५ स्क्वाड्रन को एक आधुनिक और सन्तुलित वायु सेना के निर्माण की दिशा में वष के अन्तगत सतत प्रयास किए गए।

वायुसेना को पुनः सुसज्जित करने का कार्यक्रम

पुराने और अप्रचलित किस्म के लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे बदलने की योजना को और आगे कार्यान्वित किया गया और ऐसी आशा है कि अगले वष तक तूफानी विमान वायु सेना में नहीं रह पाएंगे और सक्रियात्मक क्षेत्रों में काम में लाए जाने वाले अधिकतर वेम्पायर विमान भी बदल लिए जाएंगे। इस वष और अधिक 'नाट' और 'मिग' विमान वायुसेना में शामिल किए गए। पन्ना एच एफ २४ स्क्वाड्रन इस वष तैयार किया गया। समुची टोह काय के लिए सुपर वास्तुगत विमानों के अवयवों में आवश्यक फेर बदल करके उन्हें अप्रचलित लिब्रटर विमानों की जगह पर लाया जा रहा है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड कानपुर से कुछ और एवरो विमान उपलब्ध हुए हैं जिनका उपयोग संचार व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। यद्यपि उपयुक्त मध्यम दर्जे के ऐसे मानवाहक विमानों की उपलब्धि के स्रोतों का पता लगाने का काम जारी है जो उड़ान देने और उतरने में कम जगह लेंते हों और जिनके पिछले भाग में माल चढ़ाने और उतारने की सुविधा मौजूद हो तथापि वर्तमान काय व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने और विशेष विमान बहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ और करिवो विमानों के लिए आर्डर किए गए हैं।

हैलीकाप्टर यूनिटों को और सुध बनाया जा रहा है।

हवाई रक्षा चेतावनी तथा संचार व्यवस्थाएँ

अमरीका व सैनिक सहायता कार्यक्रम के अन्तगत प्राप्त किए गए अधिक गतिशीली रेडार केन्द्रों और खरीटे हुए चल रेडारों द्वारा काम आरम्भ करने से अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए रेडार व्यवस्था सम्भव हो सकी है। रेडार व्यवस्था की कार्यकुशलता को और अधिक बढ़ा बनाने के विचार में एक नूतन और विवसनीय हवाई रक्षा संचार प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम उठाए जा रहे हैं।

मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यक्रम

भारतीय वायु सेना के विमानों और अन्य उपकरणों की कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी मरम्मत और सफाई आदि करने की समुचित सुविधाओं के लिए आवश्यक सामग्री और पुर्जों की व्यवस्था सन्तोपजनन हो। भारतीय वायु सेना के पास विमानों व अनुरक्षण के लिए ५ मरम्मत शिबिर हैं। साविकत सध से प्राप्त विमानों और हवाई इजना की मरम्मत और ओवरहॉल करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में और आगे प्रगति की गई। एम आई ४ हैलीकाप्टरों की मरम्मत अब भारत में ही भारतीय वायु सेना द्वारा की जा रही है। अधिक पुराने विमानों को बदलने के कार्यक्रम व फनस्वरूप मरम्मत करने व कायभार को पुनः वर्तमान मरम्मत डिपुआ में वापस जा रहा है। वायु सेना अपने कुछ विमानों और उपकरणों के अनुरक्षण काय में हिन्दुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड इन्डियन एयरलाइंस और एयर इन्डिया की भी सहायता लेती है। अधिक काय कुशलता

बनाए रखने और किफायत करने की दृष्टि से सामान को मुहैया करने की क्रियाविधि की लगातार समीक्षा होती रहती है।

गोदाम व्यवस्था

युक्तिसंगत गोदाम व्यवस्था सम्बन्धी एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अवाञ्छनीय भंडारों को छाटने और उनका शीघ्र निपटान किए जाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है।

निर्माण कार्यक्रम

१९६६-६७ के अन्तर्गत वायु सेना निर्माण परियोजनाओं पर कुल खर्च लगभग २५ ६३ करोड़ रुपए का था। १९६७-६८ के वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के समय ४३६ वायु सेना निर्माण कार्य, जिनके लिए लगभग १६७ ८० करोड़ रुपये तक की मजदूरी दी गई थी, कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थे। पहली अप्रैल १९६७ को इन निर्माण कार्यों की आगे ले जाई गई लागत ४८ ८३ करोड़ रुपए की थी। पहली अप्रैल से नवम्बर १९६७ के अन्त तक १७ ३७ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के १४८ और निर्माण कार्य मजूर किये गये। १९६७-६८ के सशोधित बजट में इसके लिए २७ ५७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण :

अफसर पाइलटों, नेविगेटरों और फ्लाइट इंस्ट्रक्टरों को प्रारम्भिक और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सात केन्द्रों में दिया जा रहा है। तकनीकी और गैरतकनीकी ब्राचों के ग्राउन्ड ड्यूटी अफसरों को दो अन्य केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी श्रेणी के वायु सैनिकों को तीन स्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है।

हैदराबाद से १२ मील दूर डुड्डीगल नामक स्थान में १६ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक वायु सेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से ११ अक्टूबर १९६७ को इसका शिलान्यास किया। यह नई अकादमी पाइलटों, नेविगेटरों, ग्राउन्ड ड्यूटी अफसरों (गैर तकनीकी ब्राचों) और वायु सैनिकों, सिगनलरों को तथा साथ ही साथ प्रेक्षक विमानों में पाइलटों के रूप में काम करने वाले सैनिक अफसरों को और नौसेना के विमान स्कन्ध के पाइलटों और नेविगेटरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदेशों से आए हुए कैडेटों को भी पाइलट प्रशिक्षण और नौचालन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। इस परियोजना का पहला चरण, जिसे इस समय ५ ६३ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जुलाई १९७० तक और सारी परियोजना १९७१ में पूरी हो जाने की आशा है। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाएँ, जो बाद में इस अकादमी में विलीन हो जाएँगी, एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार बन्द कर दी जाएँगी।

विदेशी प्रशिक्षण

वायु सेना की सक्रियात्मक दक्षता को और उत्तम बनाने के लिए गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारतीय वायु सेना के कुछ अफसरों और वायु सैनिकों को व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया। भारतीय वायु सेना ने भी मित्र देशों के बहुत से विदेशी प्रशिक्षणाधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देना स्वीकार किया।

उत्पादन सम्बन्धी नीति और लक्ष्य

रक्षा उपस्करों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा उद्योग का आत्म सहायक और गतिशील होना आवश्यक है। तदनुसार रक्षा उत्पादन व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य ऐसा देशी उत्पादन आधार तैयार करना है जो कि प्राचीनक दृष्टि से आत्म सम्पन्न हो और कार्यान्वयन के समय उसमें थोड़ी फेर-बदल के लिए अवकाश हो।

आइनेस कारखाने

आइनेस कारखाने इंजीनियरी और रसायनिक मदो बस्त्र और सामान्य भण्डारों को बनाने वाली अनेक प्रकार की यूनितों के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। दैनिक प्रयोग सम्बन्धी काय सुविधा के विचार से क्लोथिंग फ़ैक्टरी शाहजहानपुर हार्नेस एण्ड सेडलरी फ़ैक्टरी कानपुर पराशूट फ़ैक्टरी कानपुर आइनेस क्लोथिंग फ़ैक्टरी आवाड़ी आइनेस वेबन फ़ैक्टरी चण्नीगढ़ का आइनेस इक्विपमेण्ट फ़ैक्टरी (ओ इ एफ़) नामक एक अलग ग्रुप बनाया गया है। यद्यपि ये सभी कारखाने महानिदेशक के नियंत्रण में आइनेस कारखानों के संगठन के अंग के रूप में बने रहेंगे लेकिन उत्पादन नियंत्रण और सामान्य प्रशासन के लिए इन्हें आइनेस कारखानों के प्रवर अपर महानिदेशक के अधीन रखा गया है। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर जो इस समय कलकत्ता में है कानपुर में आवश्यक व्यवस्था हो जाने पर यहाँ चला जायगा। आइनेस कारखानों के महानिदेशालय के हेडक्वार्टर पर व्यर्थ में अधिक बोझ न डालने के विचार से हैवी वेहीकल्स फ़ैक्टरी आवाड़ी और टूटला के पास एमलरेटिड प्रीज ड्रॉइंग (मीट) फ़ैक्टरी नामक दो अन्य कारखानों की प्रवर्ध और काय व्यवस्था रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की जाती है।

अधिक सूक्ष्म उपकरणों के निर्माण के लिए नई परियोजनाएँ तैयार की जा रही हैं और पुराने कारखानों में सयंत्र और मशीनें विभिन्न चरणों में तद्विस्तार की जा रही हैं। आइनेस फ़ैक्टरी बेरगाव जो १९६४ से उत्पादन शुरू करने लग गई थी ७ ६२ मि.मी. गोनावाहद तैयार कर रही है। आइनेस फ़ैक्टरी तिरुचिरापती (जुलाई १९६६ से उत्पादन काय शुरू करने लगी थी) में बर्वाइनों की उत्पादन व्यवस्था सफ़नतापूर्वक की गई है। चण्नीगढ़ फ़ैक्टरी का निर्माण काय पूरा होने वाला है। उसके लिए अधिकांश सयंत्रों और मशीनों के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और उनमें से अधिकांश अगले कुछ ही महीने में प्राप्त हो जाएंगे। इस कारखाने को सहा करने के लिए आवश्यक निर्माण काय शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा तथा इंजीनियरिंग फ़ैक्टरी अम्बाहठी के निर्माण काय में और उनके लिए सयंत्रों और मशीनों की उपलब्धि में पर्याप्त प्रगति हुई है। सुन्दर अयूमोनियम मिश्रधातुओं के विशेष इस्पानो पेचा अयूमोनियम त्रिक मैनेसियम मिश्रधातु और अयूमोनियम कापर मग्नोनियम को बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक मीडियम कारबन कोड स्टीन स्ट्रिंग को विशेष से आयात किया जाता था। उन्हें भी अब देश में बनाने का काम हाथ में लिया गया है। बार मिल माटर बम्बा के लिए सयोजक गल मशीनियम पदार्थ और बड़ा ध्यान वाली गैरें और उसका गोनावाहद तैयार करने की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। रसायनिक ग्रुप में बहुत ही सयंत्रों में उत्पादन काय शुरू हो गया है तथा काय और सयंत्र शीघ्र ही उत्पादन काय आरम्भ करने लगेंगे। जहाँ कहीं सम्भव होता है

हथियारो और गोलाबारूद के अवगवो के निर्माण मे आर्डनेन्स कारखानो की उत्पादन क्षमता मे योग देने के लिए मिचिल कारखानो से भी सहायता ली जाती हे ।

पिछले ६ वर्षों मे जारी की गई मदो की कीमत निम्नलिखित थी —

वर्ष	कीमत (करोड रुपयो मे)
१९६२-६३	६३ ४०
१९६३-६४	१११ ३४
१९६४-६५	१०१ ४९
१९६५-६६	१०८ ०२
१९६६-६७	१०४ ०० (अनन्तितम)
१९६७-६८	११२.०० (अनुमानित)

१९६३ ६४ के दौरान सबसे अधिक उत्पादन कार्य इसलिए हुआ था कि उस वर्ष के दौरान चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद वस्त्रो ओर सामान्य भण्डारो की आवश्यकताए एकाएक बढ गई थी । इनमे से बहुत-सी आवश्यकताए पूरी की गई है और अब इन चीजो की केवल सामान्य जरूरतो की ही पूर्ति करनी है । इसलिए इन चीजो का उत्पादन भी काफी कम हो गया है । पिछले पाच वर्षों मे जारी की गई मदो की कीमते निम्नलिखित थी —

१९६३-६४ १९६४-६५ १९६५-६६ १९६६-६७ १९६७-६८
(करोड रुपयो मे)

(I) हथियार, गोला-गारूद

और गाडिया(भारी

गाडियो सहित)

६३ १० ६३ ७५ ७८ ०८ ८४ ०० ९२.००।

(II) वस्त्र और सामान्य

भण्डार

४८ २४ ३७ ७४ २९ ९६ २०.०० २० ००।

('प्रावकलन)

आर्डनेन्स कारखानो ने परमाणु शक्ति आयोग को गुम्बा राकेट परियोजना के लिए राकेट प्रणोदक, चाजिज, गढी वस्तुए और लोहे की सलाखे दी । उन्होने रेलवे, अन्य सरकारी सस्थाओ ओर मदो के निर्माण करने वाते सयन्त्रो को ऐसे ढलाई ओर गढाई आदि के उपकरणो सहित विभिन्न प्रकार के उपस्कर और मशीनी अवयव देकर सहायता की, जिनके लिए अन्यत्र कही भी उनकी व्यवस्था नही हो सकती थी ।

हथियार तथा गोलाबारूद

रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध मे ऐसा कहा जा सकता हे कि रक्षा उत्पादन मे छोटे हथियारो और गोलाबारूद के मामले मे आत्मनिर्भरता आ गई है । वोल्ट की क्रिया से चलने वाली राइफल का एक बहुत ही हल्के रूप का विकास किया गया हे और उस पर फाईरिंग परीक्षण भी सफलतापूर्वक हो गया है । स्वचलित पिस्तौल का एक ऐसा डिजाइन बनाया गया हे जिसमे गोलाबारूद उतना ही इस्तेमाल होगा जितना कि देशी कार्वाइन मे किया जाता हे । २२ मैत्रिक राइफले बाफी वडी सरया मे बनाने की व्यवस्था की गई हे ।

वडी व्यास वाली गनो, माउण्टेन गनो और टैंको के लिए गौण हथियार वडी सरया

म बनाय गये हैं। देश में विरसित वी गर्म वृष्टी-याग वाली फील्ड गन्ना के टाँ रूप में प्रथम आद्यरूप में मत्तोपजनक रूप से काम किया और जब उसके लिए मालाबाहद के निजाम जीर विकास पर काम चल रहा है।

विजयन्ता टक जीर माउण्टेन गन में स्तेमाल होने वान मूसम उपकरण का निमाण किया जा रहा है तथा माटरा के लिए तकनिया और रिक्वायन रहित गन्ना व नियमनी स्कोपा का उत्पादन वर गया है। हवाई अड्डे के प्रकाश उपकरण का उत्पादन भी ही आरम्भ हो जायगा।

जीप टक तथा टकटर

एक वर्ष गतिमान परियोजना अपने उत्पादन के नवें वर्ष में प्रवेश हुए। ३१ दिसम्बर १९६७ तक ८,२४१ गतिमान टक बनाए गए। एक समय उनमें दोगी जंगल नगभय ७२ प्रतिशत थे।

निगान १ टन टका का निर्माण १९६६ में आरम्भ हुआ था। दिसम्बर १९६७ तक १८,२३० टक बनाए गए। उनमें दोगी जंगल ४५२ प्रतिशत है।

निगान गन्नी जीपें जून १९६२ से बननी आरम्भ हो गई थी। दिसम्बर १९६७ तक ६,४९२ जीपें बनाई गईं। उनमें दोगी जंगल २५२ प्रतिशत है।

जयपुर में यू. वी. कल फक्टरी टका जीर निगान गादिया को बनाने का काम १९७० से आरम्भ कर दोगी।

जब ८,६ टकटका की आवश्यकता के निर्माण और मयोजन काय के पूरा न जान पर टकटक परियोजना की सारी सम्पत्ति जिसमें सिविल व उपयोग के लिए बनाए जाने वाले पानतू, पंच पुर्जों व भण्डार सयत्र और मशीनरी जिग औजार जुटाने जाति गामिन हैं भारत अर्थ मूवमेंट विमित्त में जा कि जंगल टकटका को बनाने के लिए उत्तरदाया है स्थानांतरित कर दी गई है। एक टकटका व बनाने वाले पुर्जों को भी बनाया गया है और उक्त भारत अर्थ मूवमेंट लिमिटेड को भेजा गया है।

अन्य विभागीय सत्याए

हैवा बहावन फक्टरी आवाडी (मद्रास)

टका का निर्माण एक में उत्पादन करने का व्यवस्था की गई है और बनाने में टक बना का लिए गए हैं। जोशान में उत्पादन कायायम पूर्व योजनानुसार चल रहा है। आपात प्रति धारण व्यवस्था पर अधिष्ठित बनाने व फलस्वरूप उत्पादन में आरम्भित चरणा में दोगी जयपुर का प्रतिगत पूर्व आयोजित प्रतिगत में अस्थाटित अधिष्ठित था। चानू वर्ष के अन्त में एक बारगान में स्थित वास्तव और श्रम का बनाने का व्यवस्था की गई है।

एसमन्तरत्ति श्राद्ध फक्टरी हजूरत पुर् (उत्तर प्रदेश)

एक फक्टरी का स्थापना तथा मन्तिारण शरत गुचित्त प्रतिया का आयुनिवतम मन्तिार का अन्त में एक व्यवस्था और अन्य का पूर्व पुराया तथा गुचित्त मान तयार करने का लिए का गया है। मन्तिार का माग का वजन तथा श्राद्ध है काफी समय तक उग मन्तिार का स्थापना है मन्तिार मन्तिार बना रहना है जीर उग पुरान में भी बनाने का काम चलाने का गया है।

सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं

रक्षा उत्पादन विभाग के नीचे निम्नलिखित सात सरकारी क्षेत्र की संस्थाएँ हैं ।

- १ हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बम्बई,
- २ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर,
- ३ मजागा डाक लिमिटेड, बम्बई,
- ४ गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता,
५. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद,
६. भारत अर्थसूवर्स लिमिटेड, बंगलौर,
- ७ गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नाम से एक अकेली सरकारी क्षेत्र की संस्था पहली अक्टूबर १९६७ को बनाई गई । इसमें सारे देश के लिए विमानों और उनसे सम्बन्धित उपकरणों का निर्माण होता है । इसकी निम्नलिखित यूनिटें हैं —

- (१) बंगलौर डिब्बीजन, जो सबसे पुरानी यूनिट है और जिसे २५ वर्ष पूर्व बनाया गया था,
- (२) वायुसेना के एक मरम्मत डिपू के रूप में १९५९ में और एक व्यापारी यूनिट के रूप में १९६४ में खोला गया कानपुर डिब्बीजन, और
- (३) नासिक, हैदराबाद और कोरापुट में तीन मिग कारखाने ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को १९६६-६७ के दौरान उत्पादन बोनस की अदायगी करने के बाद और आयकर चुकाने तथा मृत्यु ह्रास और उपदानों की व्यवस्था पर किए जाने वाले व्यय को निकालने के बाद १ २९ करोड़ रुपये का लाभ हुआ ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० (बंगलौर डिब्बीजन) में १९६६-६७ के अन्तर्गत १८०७.६८ लाख रुपये का उत्पादन कार्य हुआ । ऐसी आशा है कि १९६७-६८ के दौरान उत्पादन लागत लगभग १९०० लाख रु० हो जायेगी ।

१९६६-६७ के अन्तर्गत मिग कारखानों में १२ २६ करोड़ रुपये का उत्पादन कार्य हुआ । १९६७-६८ के दौरान लगभग २१ करोड़ रुपये के उत्पादन कार्य के होने का अनुमान है ।

आयात किए गए सयोजकों से नासिक में विमान को बनाने की योजना तैयार हो गई है । इस कार्यक्रम का अगला चरण, जिसमें उपसयोजकों से विमान के सयोजन की व्यवस्था है, आरम्भ हो गया है । कच्चे धातु और त्रिवरणों के आधार पर विमानों के बनाने का काम अगले कुछ वर्षों में शुरू किया जाना है, इसलिए उसके देशी पुर्जों की कीमत काफी बढ़ जायेगी ।

कोरापुट (इजन) और हैदराबाद (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखानों की स्थापना में काफ़ी प्रगति हुई है । हैदराबाद में १९६७-६८ के दौरान उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायेगा जबकि कोरापुट में १९६८-६९ से उत्पादन कार्य आरम्भ होगा ।

भारत इलस्ट्राटिड लिमिटेड

भारत इलस्ट्राटिड लिमिटेड १९२४ में स्थापित किया गया था। यह 1917 पर बल्बो ओर ट्रांसमिटर का निर्माण करने वाली देश भर में सबसे बड़ी एक कंपनी है। आगे उपस्कर डिब्बीजन में यह कंपनी मूल्य विनिर्माण प्रोग्रामाबरा ट्रांसमीटर और रणारो का निर्माण करती है। निर्माण की गई मशीन की विभिन्नता भारतीय मूल्य और युव उत्पान की दृष्टि मूल्य के इलेक्ट्रानिफ कारगाना में एक कंपनी का स्थाप अग्र गण्य है।

रक्षा सनाआ के लिए उत्पादन बायो में वृद्धि करते हुए भारत इलस्ट्राटिड लिमिटेड न पिछले वर्षों की तुलना में अन्य सरकारी विभागा की बायो आवश्यकताओं का भा पूर्ति की है। अर्थात् विभागा की बच गए राजगमान का मूल्य १९६४ ६५ में १८ करोड़ रुपये और १९६६ ६७ में २५ करोड़ रुपये का बचत-बचत १९६७ ६८ में लगभग १० करोड़ रुपये हो गया।

मजागा डॉक लिमिटेड :

मजागा डॉक लिमिटेड का मुख्य काम जनयाना की मरम्मत करना और उनका निर्माण करना है। जनयान निर्माण घाटा और दो खुले गोदिया वाली मजागा डॉक लिमिटेड अब १४५ मीटर तक लंब और २४ मीटर तक चौड़ा लगभग १५०० टन डी० सी० ग्री जहाजा का निर्माण कर सकता है। इसमें ट्रिस्टायर और फ्रिगटा परिवहन जनयाना परिवहन तथा मान वाहक जहाजा ड्रजरो टगा वार्जा टावरों का बना करना करनी गोदिया पाट्टना तथा जानामक नौकाओं के निर्माण के लिए क्षमता है।

मार्च १९६७ में इस कंपनी का बनाया हुआ एक बड़ा बकट ड्रजर निकपन भारत तीय नौमना को दिया गया। देश में बनाए जाने वाले पहले सुरगनागक जनयान को पानी में उतारा गया और आवश्यक उपस्करों से सजित किए जाने के बाद उसे गीधरी तालू किया जाएगा। एसी आगा है कि टाण्टर किस्म का पहला निर्माणाधीन फिगट वायुक्रम गृही के अनुसार जून १९६८ में पानी में उतार दिया जाएगा। उसके पश्चात् उस मजिज दिया जाएगा और फिर सागर में डगवे पराण मग। वायुक्रम गृही के अनुसार १९७१ में जन नर उसे भारतीय नासना में चालू किया जाना ही आगा है।

गानन रीच बकशाप लिमिटेड

गानन रीच बकशाप लिमिटेड का मुख्य व्यवसाय सामान्य एंजीनियरी गहाण निर्माण करना और जहाज मरम्मत करना है। इस कंपनी को समुद्री डीजन गहाण के निर्माण के लिए आवश्यक समय की स्थापना का बाय भी सीधा गया है। इसकी आय १९६४ ६६ में २६२ लाख रुपये में बढ़ कर १९६६ ६७ में ४८२ लाख रुपये की हो गई थी। १९६७ ६८ में इस धनराशि के और बचकर ६ लाख रुपये हो जाने की आगा है।

इस कंपनी ने इस वर्ष के दौरान प्रतीप बन्दरगाह के लिए एक ड्रजर नौसेना के लिए दो हापर वाज और बकशाप बन्दरगाह के आयुक्ता के लिए दो गीनी टग बनाए का निर्माण कार्य पूरा किया।

प्रागा ट्रॉस लिमिटेड :

प्रागा ट्रॉस लिमिटेड की इस समय दो डिब्बीजने हैं—नामत (१) मशीन ट्रॉस डिब्बीजन (२) फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिब्बीजन । मशीन ट्रॉस डिब्बीजन रक्षा मदो के अतिरिक्त ड्रिलिंग मशीनो, ट्रॉल तथा कटर ग्राइडरो, मिलिंग मशीनो और ड्रिल चक्स लाथ चक्स, जैसे मशीनी औजारो को बनाता है, जबकि फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिब्बीजन रेलवे स्क्रू कप्लिंगो और आटो तथा डीजल पुर्जो का उत्पादन कार्य करता है । इस कम्पनी मे एक सूधम मदो की निर्माण-शाला है । मशीनी औजारो के लिए आवश्यक गढाई ओर ढलाई सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिब्बीजन द्वारा की जाती है ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बडी गेजो वाले रेल डिब्बो, भारत अर्थ मूविंग उपस्कर और कालर ट्रैक्टरो को बनाने का काम करता है ।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

राष्ट्रीय कैंडेट कोर के सगठनात्मक ढांचे के सम्बन्ध मे कुछ सामान्य वाते परिशिष्ट "क" मे उदिलिखित हे ।

वर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैंडेट कोर के सीनियर डिब्बीजन मे अनिवार्य सेवा की व्यवस्था के प्रश्न पर फिर मे विचार किया गया । शिक्षा आयोग ने छात्रो के लिए एक राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय कैंडेट कोर का ही एक प्रकारान्तर रूप है, बनाने का मुभाव दिया था । इस आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय कैंडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था को ऐच्छिक बनाने के पक्ष मे शिक्षाविदो की बढती हुई विचारधारा और इन्स्ट्रक्टरो की वर्तमान कमी तथा सीनियर डिब्बीजन मे बहुत बडी सख्या मे कैंडेटो के लिए आवश्यक साज-सामान की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय कैंडेट कोर के स्थान पर राष्ट्रीय सेवा के अन्य स्वरूपो का विकास करना वाछनीय है । सीनियर डिब्बीजन मे कैंडेटो के अनिवार्य प्रशिक्षण का समय ३ वर्ष से घटा कर २ वर्ष कर दिया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि १९६७ के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैंडेट कोर के युवती डिब्बीजन का और अधिक प्रसार न किया जाय तथा जूनियर डिब्बीजन का प्रसार अधिक से अधिक १५,००० कैंडेटो तक ही किया जाय । जुलाई १९६७ मे त्रैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने के समय से इन निर्णयो को लागू किया गया । शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रीय सेवा के अन्य स्वरूप तैयार करने की योजना बना रहा है । बैकल्पिक योजना पर हो रही प्रगति को देखते हुए ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षो मे राष्ट्रीय कैंडेट कोर के सीनियर डिब्बीजन मे लडको की सख्या कम हो जाएगी । उम स्थिति मे तब सम्भव हो सकता है कि राष्ट्रीय कैंडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था मे और सुधार किया जाये ।

सीनियर डिब्बीजन मे लडको की सख्या घटने से इन्स्ट्रक्टरो और कैंडेटो के अनुपात मे और प्रशिक्षण के लिए साज-सामान की व्यवस्था मे कुछ सुधार हुआ है । प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम और समयावधि मे और फेर-बदल किए जाने का विचार है ।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को घटा कर दो वर्ष करने के परिणामस्वरूप सीनियर डिब्बीजन मे भर्ती किए गए कैंडेटो की सख्या, जिसमे लडकिया भी

सम्मनित है ३१ दिगम्बर १९६७ की स्थिति व अनुसार ७४८ नाग तार हो गई थी पर कि १९६६ व आत म उनकी सख्या ९७४ नाग थी । ३१ दिगम्बर १९६७ का जूनियर निवीजन के कडेटी की कुन सख्या ६४४ नाग थी जब की १ दिगम्बर १९६६ की उनकी कुन सख्या १७ लाग थी ।

२१ दिगम्बर १९६७ को राष्ट्रीय क्बेट कोर की सख्या सति इग प्रसार थी —

(क) अफसर और अनुदेश अमला

३१ दिगम्बर १९६७ की स्थिति के अनुसार प्रत्यागित आवडे

	अफसर		जूनियर कमीगड वर कमीगड	
	अधिवृत	वास्तविक	अधिवृत	वास्तविक
थन सेना	२ ७९	१ ८६६	५ ६७८	१ ३५२
नौ सेना	१३९	६२	४९६	३५८
वायु सेना	१७६	७१	५५	५३

(ग) राष्ट्रीय क्बेट कोर के अफसर

	अधिवृत	वास्तविक
मीनियर निवीजन	६ १७७	६ ७५
जूनियर निवीजन	६ ७९५	६ ६५६

सम्मान तथा पुरस्कार

राष्ट्रपति न २६ जनवरी १९६७ के बाट निम्नलिखित वीरता पत्र और जय अवकरण प्रदान किए —

(क) वीरता पदक

जगोव चक्र	६
सत्तावीर चक्र	२
वीर चक्र	२
वीर चक्र	३
वीर चक्र	१८

(स) अन्य अवकरण (संगरम सता कामिका की प्रदत्त)

पद्म भूषण	१
परम विगिष्ट सेवा मेहन	८
अति विगिष्ट सेवा मेहन	११
मना मेहन	१८
नौमना मेहन	१५
वायुमना मेहन	१७
विगिष्ट सेवा मेहन	१९

राष्ट्रपति ने १२ अप्रैल १९६७ को राष्ट्रपति भवन में आयोजित मानाभिपेक समारोह में निम्नलिखित वीरता पदक और अन्य अलंकरण प्रदान किए :—

(क) वीरता पदक

महावीर चक्र	.	१
वीर चक्र	.	७
शौर्य चक्र	.	६

(ख) अन्य अलंकरण (सशस्त्र सेना कार्मिकों को प्रदत्त)

परम विशिष्ट सेवा मेडल	.	७
अति विशिष्ट सेवा मेडल	.	१८

रक्षा संगठन का विवरण

रक्षा मंत्रालय, जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग सम्मिलित हैं, निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है।

रक्षा मंत्रालय

- १ भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना—इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम शामिल हैं जो लड़ाई के समय में उसे ठीक ढंग से चलाने तथा लड़ाई के बाद सेना को नियमित रूप से विघटित करने के लिए आवश्यक हैं।
- २ सघ की सशस्त्र सेनाएं, अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना।
- ३ थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के रिजर्व।
- ४ प्रादेशिक सेना तथा सहायक वायु सेना।
- ५ राष्ट्रीय कैंडेट कोर।
- ६ थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के निर्माण कार्य तथा एम० ई० एस० को सोपे गए रक्षा उत्पादन संगठन से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करना।
- ७ सैनिक फार्म संगठन।
- ८ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इण्डिया)।
- ९ रक्षा प्राक्कलनों से खर्च प्राप्त करने वाली असैनिक सेवाएं।
- १० सामुदायिक सर्वेक्षण तथा नौपरिवहन चार्ट बनाना।
- ११ नई छावनियों का निर्माण, छावनी क्षेत्र की हृदवन्दी, उनमें से कुछ क्षेत्र निकालना, ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त शासन, छावनी बोर्ड तथा प्राधिकारियों का सविधान और अधिकार क्षेत्र तथा आवास सम्बन्धी व्यवस्था (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।
- १२ रक्षा कार्यों के लिये भूमि और जायदाद का अर्जन, अधिग्रहण और त्याग। रक्षा भूमि तथा जायदाद से अनधिकृत लोगों को बाहर निकालना।
- १३ भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित मामले (उनमें पेंशन प्राप्त सैनिक भी शामिल हैं)।

सेनाध्यक्षों की समिति

यह सेनाध्यक्ष नौ सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष की समिति सेनाध्यक्षों की समिति कहनाती है। इसकी अध्यक्षता समिति वा वरिष्ठ गन्धर्व करता है। तीनों सेनाध्यक्ष सम्मिलित रूप से सरकार को रक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर व्यवगाधित सैनिक सेना ह्वारों के रूप में अपनी राय देते हैं। इस समिति की सहायता के त्रिये बर्न उप-समितियाँ हैं जो योजना सुधिया प्रशिक्षण आदि विधेय विषयों पर विचार करती हैं। इस समिति की तथा उसकी उप समितियों की सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था का भार मंत्रि मंडल सचिवालय (सैनिक स्वयं) पर है।

रक्षा उत्पादन बोर्ड और विमान उत्पादन बोर्ड

सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में रक्षा उत्पादन बोर्ड का काम रक्षा उत्पादन की भावी योजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ तक कि उनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता हो कच्चे माल को एकत्रित करने के त्रिये नीति बनाना रक्षा सेनाओं के त्रिये आवश्यक नई मशीनों के उत्पादन की व्यवस्था करना आयात किए गए रक्षा भण्डारों को देना ही बनाने और रक्षा उत्पादन रख रखाव और मरम्मत सम्बन्धी कार्य-कारणों के क्षेत्र में अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करना सलाह देना और सिफारिशें करना है।

सचिव (रक्षा उत्पादन) की अध्यक्षता में विमान उत्पादन बोर्ड को ऐरोनाटिक्स (मिसाइल सहित) क्षेत्र में उन्नी प्रकार के काम सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड ऐरोनाटिक्स से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास की बड़ी परियोजनाओं पर विचार करेगा और उनका अनुमोदन करेगा तथा उत्पादन और निरीक्षण कार्य में और ऐरोनाटिक्स सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्य में समन्वय स्थापित करेगा।

रक्षा मंत्रालय का संगठन

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग आते हैं—प्रथम में तो तीनों सेनाओं तथा अ तर्सेवा संगठनों से सम्बन्धित काम होते हैं और दूसरे में रक्षा उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी सारे काम होते हैं और तीसरे में रक्षा उद्योगों के त्रिये आयात किये जाने वाले भंडार की प्रतिस्थापना सम्बन्धी योजनाएँ बनाने तथा उस सम्बन्ध में योजनाओं को कार्यान्वित करने के सारे काम होते हैं। रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा पूर्ति विभाग तथा तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टरों के संगठन सम्बन्धी चाट I से ३ अनुबन्ध में लिखाय गये हैं।

तीनों सेनाओं का संगठन

तीनों सेनाओं के संगठन सम्बन्धी कुछ और योरे अग्रत परिच्छेदों में दिए गए हैं

थल सेना

थल सेना हेडक्वार्टर

इस संगठन का मुख्य चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ है। उसकी सहायता वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ तथा अन्य चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर करते हैं जो क्रमशः डिप्टी चीफ

आफ स्टाफ एडजुटेण्ट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, तथा मास्टर जनरल आफ आर्डनेन्स हे । उनके अतिरिक्त ब्राचो के मुख्य हे, जिन्हे मिलिट्री सेक्रेट्री तथा इजीनियर-इन-चीफ कहते है । थल सेना हेडक्वार्टर की विभिन्न ब्राचो के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालय अनुवध III मे दिखाये गये है । विभिन्न ब्राचो के नाम निम्नलिखित है —

- (क) जनरल स्टाफ ब्रांच—(१) थल सेना का सगठन तथा सेना को काम मे लगाना, सैनिक सक्रियाये, खुफिया सैनिक प्रशिक्षण और शिक्षा, युद्ध कौशल सम्बन्धी विकास, सैनिक सर्वेक्षण—इसमे नक्शो की सप्लाई करना तथा उन्हे सुरक्षित रखना और योजनाओ और इन्जीनियरी स्टाफ के मामले, इन पर वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ विचार करता है, और (२) स्टाफ सम्बन्धी काम, हथियारो और साज-सामान का चयन और उनकी मात्रा निर्धारित करना, अन्तर-संचार व्यवस्थाए, साज-सामान सम्बन्धी नीति मे समन्वय, इसमे रसद व्यवस्था सम्मिलित है, सभी आरमर्ड कोर की यूनिटो के लिए प्रशिक्षण और उपस्कर सम्बन्धी व्यवस्था, इन्फेन्ट्री मामलो मे सलाह और सुझाव देने का काम, प्रादेशिक सेना और रक्षा सुरक्षा कोर ये सब विषय डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ के अधीन है ।
- (ख) एडजुटेण्ट जनरल ब्रांच—इसके अन्तर्गत जन-शक्ति, भर्ती, छुट्टिया, वेतन तथा भत्ता और पेशन तथा सेवा की अन्य गतों और अनुशासन जैसे विषय आते है । यह कल्याण, स्वास्थ्य और सैन्य विधि सम्बन्धी काम भी करती है ।
- (ग) क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच—इसके अन्तर्गत कार्मिको का सचलन, भंडार तथा साज-सामान और इंधन, खाने की वस्तुओ तथा चारे का अनुमान लगाना, उनका स्टोर करना, निरीक्षण करना और उनकी सप्लाई करना, निर्माण नीति सैनिक फार्म, सैनिक रिमाउन्ट तथा वेटेरिनरी सेवाये, सेना डाक सेवाये, थ्रम तथा कैंटीन सेवाये, आग बुझाने सम्बन्धी सेवाये और एम० ई० एस० निर्माण विलो की तकनीकी जाच, जैसे विषय आते है ।
- (घ) मास्टर जनरल आफ आर्डनेन्स ब्रांच—सामान प्राप्त करने सम्बन्धी नीति के सभी पहलुओ, आर्डनेन्स सप्लाई के सभी सामानो तथा साज-सामान की व्यवस्था और उनकी स्टोर-व्यवस्था, वसूली, मरम्मत, रख-रखाव तथा उन्हे जारी करने का कार्य—इसमे सैनिक गाडिया, हथियार तथा गोला-बारूद और नौ सेना तथा वायु सेना के उपयोग मे आने वाले साधारण सामान भी शामिल है ।
- (ङ) मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच—मेना मे कमीशन देना, सेना के सभी गैर-मेडिकल अफ-मरो की तैनाती, तवादला, पदोन्नति, नियुक्ति, निवृत्ति, इस्तीफा, अशक्तता और नियमित रिजर्व मेना के सभी गैर-मेडिकल अफमरो की गोपनीय रिपोर्टों तथा व्यक्तिगत अभिलेखो को रखना, ऐमे चयन बोर्डों के लिये मन्त्रिवालय सम्बन्धी व्यवस्था करना जो कि लेफ्टि० कर्नल तथा उमसे उच्च पदो मे पदोन्नति के लिये सिफारिश करते है, सेना के अफमरो को सम्मान तथा पदक देने सम्बन्धी सिफारिशें करना तथा अमेनिको को सेना मे अवैतनिक कमीशन देना ।

(न) इंजीनियर इन चीफ आंच—इंजीनियरो यूनिटों और २ जीनियरो भंडारा मरधी सभी मामले (इनम परिवहन बम्बा का निगटान और सुरगा का हजाना मरधी मामले सम्मिलित हैं) एम० ई० एस० तथा २ जीनियर कोर के कामिना के प्रशासन सम्बन्धी मामले रक्षा सेवाओ के सभी आवाजाओ के बानाओ और उनकी व्यवस्था करना तथा अर्थ निर्माण कार्यों के करना और उन्हें ठीक रचना विशेष परियोजनाओ और छावनी योजना के निर्माण सम्बन्धी अध्ययन ।

कमांड और एरिया

थल सेना हेडक्वाटर के अधीन थल सेना को चार कमांडो म गठित किया गया है प्रत्येक कमांड को फिर आगे एरियाओ स्वतंत्र सब एरियाओ और सब एरियाओ में विभक्त किया गया है । प्रत्येक कमांड की कमान लेफ्टि० जनरल के ओहदे का एक जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ (जिसे आर्मी कमांडर कहा जाता है) करता है एरियाओ की कमान जनरल अफसर कमांडिंग (मेजर जनरल) और स्वतंत्र सब एरियाओ की कमान ब्रिगेडियर करते हैं । ये सभी स्थतिक विरचना हेडक्वाटर हैं । फिर भी प्रत्येक कमांड हेडक्वाटर अपनी थल विरचनाओ पर सत्रियात्मक नियंत्रण करने के लिए एक थल सामरिक हेडक्वाटर बना सकता है जिसमें कोर डिवीजन ब्रिगेड ग्रुप स्वतंत्र ब्रिगेड और ब्रिगेड होते हैं । एक कोर हेडक्वाटर को दो या दो से अधिक डिवीजनो या डिवीजनों ब्रिगेड ग्रुप और स्वतंत्र ब्रिगेडो के सम्मिलन का कमान करने के लिये कमांड हेडक्वाटर के अधीन रखा जाता है ।

नौ सेना

नौ सेना हेडक्वाटर

इस संगठन का मुख्य चीफ आफ दी नेवल स्टाफ है । उसके अधीन चार स्टाफ अफसर और एक नेवल सेक्रेटरी है जिनके नाम नीचे बताये गये हैं । नौ सेना हेडक्वाटर का संगठन चाट अनुबन्ध IV में दिखाया गया है ।

(i) वाइस चीफ-आफ नेवल स्टाफ—सत्रियाए योजनाए हथियार सम्बन्धी नीति सुफिया पतडब्दो सेवाग और अधिग्रहण परियोजनाए नौ संचार व्यवस्था सामुक्तिक सर्वेक्षण तथा निर्माण योजनाए ।

(ii) चीफ-आफ पर्सोनल—नौ सेना के सभी सैनिक और असैनिक कामिना की भर्ती सेवा के नियम तथा गतों प्रशिक्षण बल्याण काय और नौ सेना के अनुशासन शिक्षा चिकित्सा रोग पढ़चाना और बधानिक मामले ।

(iii) चीफ आफ मेटेरियल—जहाजो हथियार और साज-सामाना नौ सेना डाक याड और नौ सेना भंडारा की व्यवस्था करना नौ सेना गस्त्र सम्भरण तथा नौ सेना संगस्त्र निरीक्षण संगस्त्रें समुन्नी तथा विद्युत् इंजीनियरिंग ।

(iv) अडिस्टेंट चीफ-आफ नेवल एवियेशन—सभी नौ सेना हवाई सम्बन्धी मामलें त्रिनम नीति सत्रियाए अमना तथा सामान सम्बन्धी मामलें भी शामिल हैं तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी मामला का सत्रियात्मक नियंत्रण और नौ सेना की हवाई यूनिटों के प्रशासन ।

(v) नवन मरठी—नौ सेना के बजट सम्बन्धी सभी मामलें प्रकाशन तथा अभिलेख और नौ सेना हेडक्वाटर के मिन्बन्नी सम्बन्धी सभी मामलें ।

प्रशासकीय अधिकारी

चीफ-आफ नेवल स्टाफ निम्नलिखित अधिकारियों के द्वारा कमान सभालते हैं —

- (क) फ्लैग अफसर कमांडिंग, भारतीय वेडा ।
- (ख) फ्लैग अफसर, बम्बई ।
- (ग) फ्लैग अफसर, पूर्वी समुद्री तट, विशाखापटनम् ।
- (घ) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन ।
- (ङ) नेवल आफिसर-इन-चार्ज, गोवा ।

भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर कमांडिंग पर नौ सेना के ऐसे सभी जहाजों को चलाने और उन पर प्रशासन करने का भार है जो भारतीय वेडे में शामिल हैं ।

फ्लैग अफसर बम्बई, नौ सेना के उन सभी जहाजों और समुद्र-तटीय सिव्वन्दियों की देख-रेख करता है जो बम्बई में और उसके आस-पास हैं । इसमें जामनगर और लोनावाला की सिव्वन्दिया भी शामिल हैं । उस पर ऐसे जहाजों के प्रशासकीय और सक्रियात्मक नियंत्रण का भी उत्तरदायित्व है जो बम्बई में रहते हैं और भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर कमांडिंग के अधीन हैं ।

विशाखापटनम् में पूर्वी समुद्री तट के फ्लैग अफसर पर विशाखापटनम्, कलकत्ता, पोर्ट ब्लायर (अण्डमान) और मद्रास की सभी समुद्र-तटीय सिव्वन्दियों का उत्तरदायित्व है । जो जहाज विशाखापटनम् में ठहरते हैं उनके लिये भी वह उत्तरदायी है ।

कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन के उत्तरदायित्व में वे सभी समुद्र-तटीय सिव्वन्दियाँ हैं, जो कोचीन या उसके आस-पास स्थित हैं इनमें कोयम्बतूर सम्मिलित है । इसमें वे समुद्री जहाज और विमान भी सम्मिलित हैं जो इन सिव्वन्दियों में हैं ।

गोवा में स्थित भारतीय नौ सेना के जहाज, "गोमन्तक" "हस" और नेवल एयर स्टेशन, डबोलिम-सभी नौ-सेना अफसर-इन-चार्ज, गोवा के प्रशासनाधीन हैं ।

वायु सेना

वायु सेना हेडक्वार्टर

इस सगठन का मुख्य चीफ आफ दी एयर स्टाफ है, जिसकी सहायता चार प्रिंसिपल स्टाफ अफसर करते हैं । वायु सेना हेडक्वार्टर का सगठन चार्ट अनुबध V में दिया गया है । वायु सेना हेडक्वार्टर के तीन मुख्य ब्राचों के काम नीचे दीए गए हैं —

(1) वाइस-चीफ आफ एयर स्टाफ के नीचे एयर स्टाफ ब्राच नीति तथा योजना, सिव्वन्दी, प्रशिक्षण, सिगनल, शिक्षा, सहायक और रिजर्व सेना तथा नियंत्रित शस्त्र सम्बन्धी काम करती है और डिप्टी चीफ-आफ एयर स्टाफ के नीचे वह सक्रियाए, उडान, सुरक्षा, खुफिया तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्य करती है ।

(11) प्रशासन ब्राच भर्ती, अनुशासन-सेवा के नियम तथा शर्तें तैनाती, पदोन्नति तथा कल्याण कार्यवाही, चिकित्सा लेखा-बजट, और निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताएँ, सगठन और कानूनी सलाह देने सम्बन्धी काम करती है ।

(11) भेटनेस ब्राच का काम विमानों और गाड़ियों की व्यवस्था करना तथा उनको ठीक रखना हथियारों साज-सामान तथा वायु सेना के अन्य भंडारों को प्राप्त करना तथा उनको स्टोरा में रखना है। इसमें अस्त्र-शस्त्र तथा विमानों के स्टोरो में रखने का काम भी सम्मिलित है।

वायु सेना कमांड

वायु सेना हेडक्वार्टर के अंतर्गत पांच कमांड हैं—पश्चिमी वायु सेना कमांड केन्द्रीय वायु सेना कमांड पूर्वी वायु सेना कमांड प्रशिक्षण कमांड और अनुरक्षण कमांड। कुछ यूनिटों को अपने विशेष कामों के कारण सीधा वायु सेना हेडक्वार्टर के नीचे काम करना होता है।

पश्चिमी केन्द्रीय तथा पूर्वी वायु सेना कमांडों के अंतर्गत सभी फ्लाइट यूनिटों हैं जस लडाकू बमबपक टोह तथा हवाई परिवहन स्ववाइल और सिगनल यूनिट। कमांडों का उत्तरदायित्व अपने-अपने क्षेत्रों में हवाई आक्रमण से देश की रक्षा करना है और यह सेना तथा नौ सेना को सामान्य रूप से हवाई हमलों के सिलसिले में सहायता देना है।

प्रशिक्षण कमांड के अधीन वे सभी प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं जो भारतीय वायु सेना के अफसरों को सभी ग्राउण्ड तथा फ्लाइट प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। यह कमांड ग्राउण्ड ड्यूटी ब्रांच के अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखती है।

भेटनेस कमांड के अंतर्गत वे सभी यूनिटें हैं जिनका उत्तरदायित्व विमानों सैनिक गार्डियों सिगनल साज-सामान हथियार गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की मरम्मत करना तथा उन्हें ठीक प्रकार से स्टोरा में रखना है।

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन संगठन

आइनेस कारखाना का महानिदेशालय

आइनेस कारखानों के महानिदेशक भारतीय आइनेस कारखानों के प्रशासन नियंत्रण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। ये कारखाने भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हैं और रक्षा सनाथा की आवश्यकता के हथियारों गोला-बारूद गाड़ियों वस्त्र और अन्य उपकरणों को बनाने में लगते हैं। कलकत्ता से सभी कारखानों के प्रशासन की अति प्राथमिक ध्येयवस्था को दूर करने के विचार से वस्त्र और सामान्य भण्डारों की मरम्मत का उत्पादन करने वाले कारखानों को अलग कर लिया गया है और उन्हें आइनेस इक्विपमेंट प्रोडक्शन (ओ आर एफ) नामक एक अलग ग्रुप में संगठित किया गया है। उस ग्रुप को कारखानों के अन्तर्गत महानिदेशक के अधीन रखा गया है। यह ग्रुप इन प्रकार १९६७ के मध्य में काम कर रहा है। आइनेस कारखानों के महानिदेशक इस नए ग्रुप पर भी व्यापक नियंत्रण बनाए रखेंगे और सभी कारखानों के सामान्य नीति सम्बंधी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे।

अब कुछ आइनेस कारखानों की संख्या २५ हो गई है जिनमें इजीनियरी धातु काम करने वाले वस्त्र और घमड़ा तकनालाजिया का काम किया जाता है और उनमें लगभग

१,४०,००० व्यक्ति काम करते हैं तीन और नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं जिन में से दो कारखानों को स्थापित करने का काम काफी आगे तक हो चुका है।

निरीक्षण महानिदेशालय

निरीक्षण महानिदेशक का उत्तरदायित्व रक्षा सेवाओं के लिए उन हथियारों, गोला-बारूदों तथा साज-सामानों का निरीक्षण करना है जो आर्डनेन्स और विभागीय कारखानों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं और सिविल क्षेत्रों में बनते हैं तथा उनमें कुछ ऐसे भण्डार भी सम्मिलित हैं जिनके लिए सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक के द्वारा आर्डर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह महानिदेशालय इस बात की भी छानबीन करता है तथा सलाह देता है कि रक्षा भण्डार की वे मदे जो वाहुर से आयात की जाती हैं किस प्रकार अपने देश में बनाई जा सकती हैं। सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ऐसे भण्डारों के निर्माण के सम्बन्ध में भी यह तकनीकी सलाह देता है जो कि सिविल सेक्टर में तैयार किये जाते हैं। उपस्क्रो को इस्तेमाल करते समय उनमें जो कमियां दिखाई पड़ती हैं उनके विषय में यह निदेशालय जाच-पड़ताल करने में सहायता करता है।

निरीक्षण सेवाओं का महत्वपूर्ण काम सामग्रियों और तैयार झुदा भण्डारों का प्रयोग-शालाओं में परीक्षण करना है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निश्चित विवरण के अनुसार हैं। इस काम के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अलग प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जिससे स्प्लाई की जाने वाली चीजों का निरीक्षण जल्दी हो सके।

४५ मुख्य निरीक्षण सिव्न्दिद्या है। इनके अतिरिक्त बहुत से स्कन्ध टोलियां हैं जो आर्डनेन्स कारखानों, सरकारी क्षेत्रों के कारखानों और प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्रों के साथ-साथ स्थापित हैं।

आर्डनेन्स कारखानों के उत्पादन से सम्बन्धित कुछ निरीक्षण कार्यों को पुन वितरित किया जा रहा है जिससे स्तर और अन्तर-स्तर निरीक्षण कार्य का उत्तरदायित्व उत्पादन अधिकारियों को दिया जाय। एक स्वतन्त्र सेवा निरीक्षक अब अन्तिम निरीक्षण और प्रमाण कार्य करेगा। उसे यह भी अधिकार है कि किसी भी उत्पादन स्तर पर निरीक्षण कार्य कर सकता है।

आयोजना और समन्वय निदेशालय .

यह निदेशालय एक अन्तर-सेवा सगठन है और रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन काम करता है। यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन किसी भी सरकारी मस्था या आर्डनेन्स कारखाने के कार्यक्षेत्र में पडने वाले रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के प्रस्तावों का अध्ययन करने से सम्बन्धित है और रक्षा उत्पादन बोर्ड और राजकीय क्षेत्र की संस्थाओं की बैठकों के लिये सचिवालय के रूप में काम करता है। रक्षा उत्पादन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में यह निदेशालय अन्य मंत्रालयों और सगठनों जैसे औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों (लाइन्सें देने वाली समिति) के मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा योजना आयोग से सम्पर्क बनाये रखता है।

अनुसंधान तथा विकास सगठन

यह सगठन सम्पूर्ण रूप से रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन है जो अनुसंधान और विकास सगठन का महानिदेशक भी है। इस सगठन का उत्तरदायित्व, अनुस-

धान निजाइन और सगस्त्र सेनाओं की जरूरतों के लिए सभी प्रकार के गाज-आयुधों का विकास करना है। २६ विनास निष्ठा तथा जोर अनुसंधान प्रयोगशालाओं भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हैं। अनुसंधान और विकास निष्ठा तथा/प्रयोगशालाओं के कार्यों का समन्वय करने और उनकी प्रगति के नियंत्रण में सैनिक हेडक्वार्टरों और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिये रक्षा अनुसंधान तथा विनास संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है जिसमें छत्र तकनीकी निदेशालय नामक आर्मामेंट इंजिनियरिंग इंजीनियरिंग एरोनाटिक्स गार्डिया और अनुसंधान प्रयोगशालाओं और एक प्रशासन निदेशालय हैं। इनके अतिरिक्त कुछ त्रिआंगुल ग्रुप नामक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय वैज्ञानिक मूल्यांकन ग्रुप और अग्नि सलाहकार कार्यालय भी अनुसंधान तथा विकास संगठन के एक भाग के रूप में काम करते हैं। तीनों सेनाओं को दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक मामलों में सलाह देने के लिए उनके साथ तथा घल सना के कमांडों के हेडक्वार्टरों के साथ वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में प्रवर वैज्ञानिक लगाए गए हैं। अनुसंधान और विकास सम्बंधी नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देने के लिये तथा उनके अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये १६ अनुसंधान तथा विकास पैनल और समितियां बनाई गई हैं।

सरकारी स्तर पर अनुसंधान तथा विकास सम्बंधी प्रयत्नों का दिग्निर्देशन रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद करती है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री है और अन्य लोग के अतिरिक्त उसमें तीनों सेनाओं के मुख्य सदस्यों के रूप में सम्मिलित है।

मानकीकरण निदेशालय

यह संगठन एक निदेशक के अधीन है। यह तीनों सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न उपकरणों के मानकीकरण और सूची बनाने के लिए उत्तरदायी है। एक मानकीकरण समिति वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में मानकीकरण के महत्व को तथा देश में सामान बनाने के आसारों को ध्यान में रखते हुए रक्षा सेवाओं में नये उपकरणों को चानू करने के लिये सभी प्रस्तावों पर विचार करती है। इस समिति के नीचे ७ उप समितियां हैं। प्रत्येक उप-समिति किसी एक विशेष प्रकार के उपकरणों से सम्बंधित है।

तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु सना) निदेशालय

रक्षा वैज्ञानिक उपकरणों का निरीक्षण करना तथा कच्चे माल विमान के सामान्य हिस्से-पुर्जों और अन्य वैज्ञानिक भण्डारों के लिये देशी साधनों का विकास करना इस संगठन का काम है। यह निदेशक विमानों के हिस्से पुर्जों से सम्बंधित समिति के सचिवालय के रूप में भी काम करता है।

हैवी व्हीकल फ़ैक्टरी और ए० एफ० डी० फ़ैक्टरी

विजयन्ता नामक मीडियम टर्को के उत्पादन के लिए आवाडी (मद्रास) में हैवी व्हीकल फ़ैक्टरी स्थापित की गई है और अधिक ऊंचाई में तनात सैनिकों के लिए हिमीवृत गुप्त माम तयार करने के लिए हजरतपुर में (आगरा जिले के अन्तर्) एक ए० एफ० डी० फ़ैक्टरी स्थापित की गई है।

अन्य आर्डनेन्स कारखानो के सम्बन्ध मे की गई व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था के अन्तर्गत जिनकी प्रशासन व्यवस्था आर्डनेन्स कारखानो के महानिदेशक द्वारा की जाती है, ये दोनो कारखाने रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के प्रशासनिक नियन्त्रण मे है ।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित स्वायत्त संस्थायें

रक्षा उत्पादन के अधीन निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र की संस्थाएँ हैं —

- (i) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
- (ii) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
- (iii) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड
- (iv) मजागा डाक लिमिटेड
- (v) प्रागा टूल्स लिमिटेड
- (vi) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
- (vii) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ।

(१) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

इस विमान कारपोरेशन मे निम्नलिखित पाच विभाग हैं —

- (i) बंगलौर डिवीजन—भूतपूर्व हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड मे मुख्य रूप से विमानो, इजिनो तथा सम्बन्धित सामग्रियो के निर्माण, ओवरहाल तथा मरम्मत करने की व्यवस्था है ।
- (ii) कानपुर डिवीजन—एच० एस० ७४८ विमानो तथा ग्लाइडरो की निर्माण व्यवस्था ।
- (iii) नासिक डिवीजन—मिग-२१ विमानो के ढाचो की निर्माण व्यवस्था ।
- (iv) कोरापुट डिवीजन—मिग-२१ विमानो के हवाई इजिनो के निर्माण की व्यवस्था ।
- (v) हैदराबाद डिवीजन—इलेक्ट्रानिक यन्त्रो तथा मिग विमानो के लिए, अन्य साज-सामान की निर्माण व्यवस्था ।

(२) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर

यह कम्पनी उन विभिन्न इलेक्ट्रानिक साज-सामान को तैयार करती है जिनकी रक्षा सेवाओ को आवश्यकता पडती है । यह सिविल विभागो तथा रेडियो उद्योग के लिए भी सामान बनाती है ।

(३) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता

गार्डन रीच वर्कशाप मे जहाजो की मरम्मत और उन्हें दुबारा फिट करने तथा नदियो मे चलने वाली नौकाओ और अन्य मझोले साइज की नौकाओ का निर्माण होता है । यह कम्पनी डीपवेल टर्बाइन पम्प, रोड-रोलर और एयर कम्प्रेसरो का भी निर्माण करती है ।

(४) मजागा डाक लिमिटेड, बम्बई

यह कम्पनी उन जहाजो की मरम्मत करती है जो बम्बई बन्दरगाह पर आते हैं । इसके अतिरिक्त यह सिविल तथा नौसेना की आवश्यकता के अन्य निर्माण कार्य भी करती है । इस कम्पनी ने भारतीय नौसेना के लिये युद्धपोतो को बनाने का काम भी अपने हाथ मे ले रखा है ।

(५) प्रागा ट्रूस लिमिटेड सिकंदराबाद

इस कम्पनी का काम कार्बाइल धरन ग्रीच नाव और रक्षा उत्पादन की अन्य विविध मदें बनाना है। इनके अतिरिक्त यह कम्पनी हल्के मशीनी यन्त्र सहायक छोटे मोटे मशीन यन्त्र सूक्ष्म मदें रेलवे के स्क्रू कर्पनिंग गाडियों के पेच पुजों और विभिन्न प्रकार की गनी वस्तुओं का बनाने में लगी हुई है।

(६) भारत अय मूवस लिमिटेड, बगलौर

यह कम्पनी पहले पहल जमीन खोलने के लिये भारी उपकरण बनाने के विचार से स्थापित की गई थी। इसमें हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड का रैन कोच डिवीजन मिला देने से अब यह रैन डिब्बे बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। जापान की मेसस कुमात्सु कम्पनी के साथ सहयोग सम्भोजी के अतगत प्रालर टकटरो का उत्पादन अभी तक आइने में धारखाना में किया जाता था अब यह काम भी इस कम्पनी को सौंपा गया है।

(७) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा

यह कम्पनी अभी तक मेजागा डाक लिमिटेड के पास पट्टे पर थी लेकिन अब यह १ अक्टूबर १९६७ से स्वतंत्र कम्पनी के रूप में फिर से सन्निव हो गई है। इस समय यह कम्पनी कच्ची धातु उठाने वाले धार्जों के निर्माण करने और बाजों तथा छोटे याना की छोटी मोटी मरम्मतें करने में लगी हुई है।

अंतर्संवा सगठन

(२) मुख्य प्रशासक अफसर का कार्यालय

मुख्य प्रशासक अफसर मुख्य रूप से निम्नलिखित कामों के लिये उत्तरदायी है —

- (क) सशस्त्र सेनाओं के हेडक्वार्टरों तथा अंतर्संवा सगठना के सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ सम्बन्धी सभी प्रशासकीय काम।
- (ख) रक्षा हेडक्वार्टरों के कार्यालयों के लिये स्थान और सशस्त्र सेनाओं के हेडक्वार्टरों तथा अंतर्संवा सगठन में नियुक्त सना अफसरों के लिये रिहायगी आवास की व्यवस्था।

(२) राष्ट्रीय कडेट कोर महानिदेशालय

यह सगठन एक महानिदेशक के अधीन है जिसका पद मेजर-जनरल का है। इसमें राष्ट्रीय कडेट कोर सम्बन्धी सभी काम होते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिये पूरा देश १६ निदेशालयों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निदेशालय एक निदेशक के अधीन है जिसका पद ब्रिगडियर या कर्नल या उसके समकक्ष होता है। प्रत्येक ग्रुप में ६ से ८ तक यूनिटें हैं। इन प्रकार कुल ११२ ग्रुप हेडक्वार्टर हैं और प्रत्येक हेडक्वार्टर एक रेजिमेंट कर्नल के अधीन है।

राष्ट्रीय कडेट कोर का उद्देश्य चरित्र निर्माण एक साथ काम करने की भावना और सेवा करने की भावना का विकास तथा नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न करना देना की रक्षा में अतिव्यवस्था बढ़ाने के लिये सेना से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान सशस्त्र सेनाओं का तेजी से प्रसार करने के लिये एक रिजर्व

जन-शक्ति तैयार करना है। राष्ट्रीय कैंडेट कोर पर सेवा करने का कोई वास्तविक उत्तर-दायित्व नहीं है।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर में स्कूल के १३ से १८ $\frac{1}{2}$ वर्ष की आयु वाले लड़कों के लिये एक जूनियर डिवीजन, कालेजो, विश्वविद्यालयों और कालेज स्तर के तकनीकी संस्थाओं में पढ़ने वाले २६ वर्ष से कम आयु वाले लड़कों के लिए एक सीनियर डिवीजन तथा एक युवती डिवीजन, जिसमें कालेज की छात्राओं के लिए सीनियर स्कन्ध और स्कूल की छात्राओं के लिये जूनियर स्कन्ध है, बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर के जूनियर और सीनियर डिवीजनों को तीन स्कन्धों में विभक्त किया गया है—थलसेना, नौ सेना और वायु सेना। सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कन्ध में आरमर्ड, आर्टिलरी, इन्फैंट्री, इंजीनियर, सिगनल, इलेक्ट्रीकल और मैकेनिकल, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल और वेटेरिनरी यूनिटें हैं। सीनियर डिवीजन के नौ सेना स्कन्ध में तीन यूनिटें हैं—तकनीकी, गैर-तकनीकी और मेडिकल। सीनियर डिवीजन के वायु सेना स्कन्ध में दो प्रकार की यूनिटें हैं—फ्लाइट और तकनीकी।

सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कन्ध में कैंडेट सशस्त्र कवायद, हथियार प्रशिक्षण, युद्ध, कौशल, नक्शा देखने, सदेश लिखने और उनकी अपनी विशेष शाखा या सर्विस से सम्बन्धित तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

नौ सेना स्कन्ध (गैर-तकनीकी यूनिट) में कैंडेट नौ सेना सम्बन्धी विषयों पर अभिभाषण, परेड प्रशिक्षण और सशस्त्र कवायद, तोपों तथा हथियारों का प्रशिक्षण और संचार व्यवस्था, नौ कौशल सम्बन्धी प्रारम्भिक नौचालन, पनडुब्बी नाशक तारपीडो, क्षति नियंत्रण, जहाजों और नावों के प्रतिरूप बनाने के काम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल यूनिटों के कैंडेट स्वास्थ्य विज्ञान और सफाई व्यवस्था, स्ट्रेचर कवायद, घायलों को सुरक्षित स्थान पर निकाल लेने की व्यवस्था, जहाजों में निवास व्यवस्था, नौसैनिक उड्डयन औषधि तथा विकिरण सफाई में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नौसैनिक इंजीनियरी यूनिटों के कैंडेट, समुद्री जहाजों के इंजीनियरी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त नौ सेना स्कन्ध के जूनियर डिवीजन में जहाजों के प्रतिरूप बनाने का काम भी सिखाया जाता है।

वायु सेना स्कन्ध में कैंडेट कवायद, शारीरिक प्रशिक्षण, सगठन, प्रशासन, नागरिकता, प्राथमिक उपचार, हथियार प्रशिक्षण, उड़ान सम्बन्धी नौचालन सिद्धांत, मौसम विज्ञान, हवाई-इंजनों, विमानों के प्रतिरूप बनाने, ग्लाइडरो और शक्ति चालित विमानों पर उड़ान लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तकनीकी हवाई स्ववाङ्मनों में दूर-संचार व्यवस्था, रेडियो और रेडार तंत्र जैसे तकनीकी विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है। जूनियर डिवीजन में प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त वायु सेना स्कन्ध के सभी कैंडेटों को विमान के प्रतिरूप बनाने का काम सिखाया जाता है।

युवती कैंडेटों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें प्रारम्भिक उपचार, प्रारम्भिक उपचर्या, वेतार और टेलीफोन संचार व्यवस्था और सिविल रक्षा कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय कडेट कोर का मुख्य अफसर महानिदेशक है जो मेजर जनरल के पद का अफसर है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कडेट कोर के १६ निदेशक हैं जो ब्रिगडियर कनन या उनके समकक्ष पद के अफसर हैं। प्रत्येक निदेशानय की यूनिट को ग्रुपो में गठित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप में ६ से ८ तक यूनिटें हैं। इस प्रकार कुल ११२ ग्रुप हंडकवाटर हैं और प्रत्येक हंडकवाटर एक लेफ्टि० कनन के अधीन है।

राष्ट्रीय कडेट कोर पर जो व्यय होता है उसे केन्द्र और सम्बंधित राज्य सरकारों में मोटे तौर पर २ और १ के अनुपात में बांटा जाता है। स्टाई प्रशिक्षण अमना (संग्रह्य सेनाओं के कार्मिक) के वेतन भत्ता आदि यूनिट उपस्कर गाड़िया और उनकी हिफाजत कडेटों के निये बर्दिया वार्षिक अभ्यास के लिये गोलाबारूद और शिविर व्यय का ५० प्रतिशत खर्च रक्षा मंत्रालय को देना होता है। राष्ट्रीय कडेट कोर की यूनिटों में सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्ता का खर्च कार्यालय के विविध व्यय आवास फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर गाड़ियों के लिये पेट्रोल राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों की पूव कमीशन तथा रिफार्म प्रशिक्षण व्यवस्था परिधान भत्ता और राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों के लिए मानदेय कडेटों के लिए जन-पान और अन्य भत्ता तथा शिविर का ५० प्रतिशत खर्च राज्य सरकारों को देना होता है।

राष्ट्रीय कडेट कोर के अफसरों और अफसर कडेटों को रिफार्म और पूव-कमीशन प्रशिक्षण देने के लिये तीन प्रशिक्षण सिखिन्दिया हैं—राष्ट्रीय कडेट कोर अफसर ट्रेनिंग स्कुल कम्पटी राष्ट्रीय कडेट कोर अकादमी पुरथर और राष्ट्रीय कडेट कोर कानेज (युवतिया के लिये) म्वालिपर।

(३) संग्रह्य सेना मेडिकल सेवाओं के महानिदेशालय

धल सेना नौ सेना तथा वायु सेना की समुक्त मेडिकल सेनाओं का मुख्य संग्रह्य सेना मेडिकल सेवाओं का महानिदेशक होता है। एक मेडिकल सेवा सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष मेडिकल सेवाओं का महानिदेशक है और धल सेना नौ सेना तथा वायु सेना की मेडिकल सेवाओं के निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति चिकित्सा सम्बन्धी सगठन तथा नीति सम्बन्धी सभा मामला पर अपनी सिफारिशों कोफ आफ स्टाफ समिति के द्वारा मरवार का भेजती है। महानिदेशक अनुसंधान तथा विकास परिषद की संग्रह्य सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति का भी अध्यक्ष है और वह कम हैमिदन से फौज सम्बन्धी औपधिया में अनुसंधान करने के मामला पर सलाह देने के लिये उत्तरदायी है। वह स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक चिकित्सा परिषद् तथा अन्य सेवाओं की रक्षा सेवाओं की चिकित्सा सगठन में सम्पन्न स्थापित करता है। संग्रह्य सेनाओं का मेडिकल कानून पूना मेडिकल स्टाफ डिपो बम्बई सगठन चिकित्सी छावनी और पूना इतिहास सरीराग के पूना तथा संग्रह्य सेनाओं का इन्डियन मेडिकल कानून चिकित्सा इंग महानिदेशक के नियंत्रण में है।

(४) अन्तःसैन्य निदेशालय रक्षा मंत्रालय

इस कार्यालय का सम्बन्ध रक्षा मंत्रालय और संग्रह्य सेनाओं के जन सम्पन्न कार्यों में है। यह कार्यालय जन सम्पन्न (रक्षा) निदेशक के अधीन है जो कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक अधिकारी है। वह मंत्रालय में इन कार्यालय के लिये कुछ तकनीकी सहायक की स्थापना करता है। अन्य सैन्य अफसर रक्षा मंत्रालय शाल ही चुने जाते हैं।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि सरकार की सम्पूर्ण प्रचार नीति के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इस कार्यालय के जन सम्पर्क अफसर बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, जम्मू, लखनऊ, शिलांग तथा श्रीनगर में है। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमा पर सशस्त्र सेनाओं की कार्यवाहियों को व्याप्त करने के लिये ८ जन सम्पर्क यूनिटें खड़ी की गई हैं।

(५) सशस्त्र सेनाओं का फिल्म तथा फोटो डिवीजन

यह सगठन फिल्म अधिकारी के नीचे है। यह तीनों सेनाओं की प्रशिक्षण सवधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या रिकार्ड के लिए फिल्में, फिल्मी फीते तथा फोटोग्राफ बनाने, उन्हें प्राप्त करने और उन्हें बाटने का काम करता है। फिल्मों का निर्माण करने के लिए यह सगठन, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के साथ सम्पर्क बनाये रखता है।

(६) सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशालय

इस निदेशालय का काम छावनी क्षेत्रों की हदबन्दी तथा उनका प्रशासन करना है। यह उन सैनिक भूमियों तथा इमारतों की प्रवध व्यवस्था भी देखता है जो सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस समय इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। यह सशस्त्र सेनाओं के इस्तेमाल के लिये भूमि अर्जन, भूमि अधिग्रहण तथा किराये पर इमारतें उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्य और हमेशा के लिए फालतू घोषित की गई सम्पत्ति का निपटान सम्बन्धी कार्य भी करता है।

सैनिक भूमि तथा छावनी के निदेशक की सहायता के लिए हेडक्वार्टर दिल्ली में एक सयुक्त निदेशक तथा अन्य अधिकारी हैं। प्रत्येक कमाण्ड हेडक्वार्टर में एक उपनिदेशक तथा स्टाफ अफसर नियुक्त किये गए हैं। इस समय देश में १७ सैनिक सम्पदा वृत्त और ६२ छावनियां हैं।

(७) विदेशी भाषा स्कूल

विदेशी भाषा स्कूल में सेनाओं के कार्मिकों तथा भारत सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए विदेशी भाषाएँ सीखने की सुविधा है। स्थान रहने पर बाहर के कुछ लोगों को भी दाखिल कर लिया जाता है। इस स्कूल में अरबी, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, फारसी, रूसी, स्पैनिश तथा तिब्बती भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था है। मलाया और ब्रह्मासा इण्डोनेशिया को सिखलाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

(८) ऐतिहासिक अनुभाग

ऐतिहासिक अनुभाग सशस्त्र सेनाओं का एक अभिलेख और सदर्थ कार्यालय है। इसके काम इस प्रकार हैं—युद्ध-दैनिकियों का अनुरक्षण और उनकी अभिरक्षा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सैनिक सक्रियाओं का विस्तृत इतिहास लिखना, तीनों सेनाओं के लिए मौजूद दिलचस्प समस्याओं पर विशेष अध्ययन की व्यवस्था करना तथा सैनिक इतिहास से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देना। यह अनुभाग तीनों सेनाओं की यूनिटों को उनके रेजिमेण्ट सम्बन्धी इतिहास तैयार करने में सहायता तथा दिशा निर्देशन देता है। इसका नाम किरीट चिह्न निर्धारण करना है, जैसे ऋण्डों और ताजों के डिजाइन बनाना और उन पर उपयुक्त आदर्श वाक्य जड़ना।

(६) राष्ट्रीय रक्षा कानून

राष्ट्रीय रक्षा कानून में कानून तथा उगमे ऊ। एना वा। तथा मीमेता एव वागुोता के समक। एना वाने अफगरो और उगमुता एना और अनुभव वा। निविनिगत अफगरो व लिए प्रगिगण की व्यवस्था है। इग कानून में राष्ट्रीय रक्षा मे सम्बन्धित मुद्दे तीति भाषित वज्ञानिक राजनीति तथा औद्योगिक पहनुआ पर अध्ययन किया जाता है।

(१०) भारतीय सनिव नाविक तथा यमानिक बोड

भारतीय सनिव नाविक तथा यमानिक बोड का काम भूतपूर्व सनिव तथा उता परिवारा को सहायता देना और मया में सग उन कामिका व परिवारा का हिन देगता है जो अपने घरा से बहुत दूर मया कायो में सग हुए हैं। यह बोड कर्ष कल्याण विधिया की व्यवस्था भी करता है। तिनी में एक केतीय बोड है जिगने अध्ययन रक्षा मारी है। इग बोड की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य बोड है जिगका अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इनके अतिरिक्त उन जिला में सनिव नाविक और यमानिक व जिता बोड है जहां सेवा में नग कामिका तथा उनके परिवारा की सख्या एक निम्न सख्या मीमा से अधिक है।

(११) पुनर्वास महानिदेशालय

यह निदेशालय केन्द्रीय मन्त्रालय राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी और सरकारी सगठनों के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे भूतपूर्व सनिव का सरकारी प्राय्वेट सेक्टर में पुनर्व्यवस्थापन हो सके। वह हम प्रकार की योजनाओं का पूरा करने सम्बन्धी कामों की देख रेख करता है और हम प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदान निदान का भी काम करता है।

(१२) सेनाओं का खेल नियंत्रण बोड

सेनाओं का खेल नियंत्रण बोड तीना सेनाओं व कामिका के आयोजित खेल-कूद में समय-समय स्थापित करता है और इसके अतिरिक्त विभिन्न अतर्गवा सन प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करता है। तीना सेनाओं व अफसर वारी-वारी से इसके अध्यक्ष तथा सचिव नियुक्त किये जाते हैं।

इण्डियन आयल हमारा है!



मैं जिस फैक्टरी में काम करता हूँ वहाँ किसी तरह की गडबडी की गुजाइश नहीं। मोबिल ल्यूब्रिकेण्ट्स मशीनों को गतिशील रखते हैं और इस ल्यूब्रिकेण्ट्स का बितरण इण्डियन आयल ही करता है। इण्डियन आयल के इंजीनियर समस्याओं के सुलझाने के लिये तत्पर रहते हैं। अच्छी फलें उगाने के लिये मुझे इण्डियन आयल सहायता देता है। ट्रैक्टर के लिये हाईस्पीड डीजल तेल, सिंचाई के पम्प के लिये लाइट डीजल तेल, रासायनिक खाद के लिये नाप्या और फार्म की मशीनरी के लिये ल्यूब्रिकेण्ट्स — सभी इण्डियन आयल की देन हैं। इण्डियन आयल हम सबकी सहायता करने को तत्पर है — क्योंकि यह हमारा है।



— राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक

इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रकाशन

मानक ग्रन्थ

१—अपना हृदय सबल बनाए—ले० वी० जनेनिन	पृ० १४२	मूल्य ५००
२—सिखा का तिहाग—ले० हरीराम गुप्त	पृ० ३०६	मूल्य ५००

स्वयं शिक्षक पुस्तकें

१—हिन्दी-तमिल स्वयं शिक्षक (तीन अंश प्रथम)	पृ० १७८	मूल्य ३८५
--	---------	-----------

कोश साहित्य

१—यावहारिक हिन्दी-अंग्रजी शब्द-कोश	पृ० ३२४	मूल्य ४५०
२—शब्दाथ मीमासा—ले० रामचन्द्र वर्मा	पृ० ३२६	मूल्य ११५०

भाषा पत्रिका

(अगस्त ६१ से प्रारम्भ) अब तक त्रमासिक १२७ अंक प्रकाशित हो चुके हैं। मूल्य एक प्रति २०० वार्षिक ७-१० रुपये

भाषा के विनोदाक

१—शांति—रक्षा अंक आठ पेपर पर दो रंगों में	पृ० १४८	मूल्य ४७५
२—द्विवेदी स्मृति विनोदाक आठ पेपर पर दो रंगों में	पृ० २७०	मूल्य ११५०
३—सकलन भारतीय साहित्य के प्रमुख कृतिकारों की रचनाएँ	पृ० ५८०	मूल्य १०५०

हिन्दी समाचार जगत (मासिक पत्रक)

सितम्बर १९६६ से प्रकाशित

अब तक १९ अंक प्रकाशित निःशुल्क वितरण के लिए

यूनेस्को कूरियर हिन्दी (मासिक)

अगस्त १९६७ से प्रकाशित अब तक ४ अंक प्रकाशित	एक प्रति	१००
(शेष अंक प्रथम में)	वार्षिक मूल्य	१०५०
	शिक्षा मस्याआ के लिए	६५०

निःशुल्क वितरण के लिए

१—समस्त भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य गण्टूलिपि परिवर्धित देवनागरी	
२—मानक देवनागरी	३—स्टडड देवनागरी स्क्रिप्ट
४—देवनागरी धू द एजेज	५—परिवर्धित देवनागरी (चाट)
६—देवनागरी लेखन विधि (चाट)	७—मानक देवनागरी बणमाला (चाट)

शिक्षा

शिक्षा राज्यों का विषय है, किन्तु भारत सरकार शिक्षा नीति में एक सूत्रता कायम रखने का काम करती है। उच्च शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा व प्रावधिक शिक्षा के विस्तार और वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य केन्द्रीय सरकार की देखरेख में और सहायता से होता है। शिक्षा पर राज्य जितना खर्च करते हैं, उससे अधिक नहीं तो लगभग उसके बराबर खर्च केन्द्रीय सरकार करती है।

चौथे आम चुनाव के बाद डा० त्रिगुण सेन ने १६ मार्च, १९६७ को शिक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सभाला। उन के सहायक के रूप में दो राज्य मंत्री प्रो० शेरसिंह और श्री भगवत भा आजाद काम कर रहे हैं।

कार्यक्षेत्र और कार्य : शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की अनेक जिम्मेदारियाँ हैं, जिन में से कुछ का निर्देश सविधान में प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया है और कुछ उससे ध्वनित होती हैं। सविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार इन बातों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व की सभी संस्थाएँ, हिन्दी को समृद्ध करना और उसका प्रचार और प्रसार, उच्चतर शिक्षा में मानकों का समन्वय और उन्हें बनाए रखना, वैज्ञानिक तथा गिल्प-वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शिक्षा, जिस में विदेश स्थित भारतीय छात्रों का कल्याण तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक करार शामिल हैं। मजदूरों का तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती उत्तरदायित्व है, और इसी प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक योजना, जिसमें शैक्षिक योजना भी शामिल है, भी एक समवर्ती उत्तरदायित्व है, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की शिक्षा भी केन्द्र की एक विशेष जिम्मेदारी है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार शिक्षा सम्बन्धी सूचना को एकत्र करने और उसके वितरण करने का कार्य भी अखिल भारतीय रूप में करती है। वह शैक्षिक विकास के क्षेत्र में प्रेरणादायक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का तथा राज्य सरकारों को उनके शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रयत्न करती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना . अब यह निश्चय किया गया है कि १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ को वार्षिक योजना वर्ष मान लिया जाए और चौथी पंचवर्षीय योजना अब १९६९-७० से शुरू हो। अतः नई योजना को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्यों तथा सघ-शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे शिक्षा आयोग की सिफारिशों के सदर्थ

म दूरगामी परिप्रय का ध्यान म रस कर गि ११ व रिनाग का एण गमुधित गायनम तयार करे जीर उतकी पृष्भूमि म चौथी योजना तयार करे ।

गिशा आयोग की रिपोट गिशा आयोग (१९६४-६६) की रिपोट सरकार की जून १९६६ म प्रस्तुत की गई थी । इस रिपोट पर दस वष समाचार-गत्रा जनता गिशा सगठनो विन्वविद्यालयो तथा राय सरकारा म व्यापक चर्चा हुई ।

रायो के गिशा मत्रियो का सम्मेलन गिशा आयोग की गिपारिशा पर विचार करने के लिए राजयो के गिशा मत्रियो का सम्मेलन नई दिल्ली म २८ से ३० अप्रन १९६७ को हुआ । कुछ सिफारिशो पर योरेवार विचार के बाद सम्मेलन ने विभिन्न विषयो पर सबसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किए जैसे (१) पढोस स्फूल प्रणाली (२) काय-अनुभव (३) विन्वविद्यालय स्तर पर गिशा का माध्यम (४) स्कूना के अध्यापना के वेतनमान (५) अध्यापको का दर्जा और उनकी गिशा (६) गिशा सम्बधी अप्रताण (७) गिशा प्रणाली का ढाचा (८) प्रतिभा प्रोत्साहन के कायक्रम (९) राष्ट्रीय फंडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा कोर तथा खेनबूद के कायक्रम (१०) गिशा की वित्त-व्यवस्था व क्षेत्र म केन्द्र और राय सरकारा के सम्बध (११) नलिक गिशा और (१२) स्कून स्तर पर भाषाया की गिशा ।

केन्द्रीय गिशा सलाहकार बोड आलोच्य वष म २२ और २३ अगस्त १९६७ को केन्द्रीय गिशा सलाहकार बोड का ३३वा अधिवेशन हुआ । बोड ने मुख्य रूप से इन विषयो पर विचार किया [गिशा] आयोग की रिपोट और गिशा सम्बधी राष्ट्रीय नीति पर ससद सदस्यो की गिशा समिति द्वारा तयार किए गए वक्तव्य का मसौदा ।

उपकुलपति सम्मेलन उपकुलपतिया का सम्मेलन ११ १२ १३ सितम्बर १९६७ को हुआ जिसमे मुख्य रूप से उच्चतर गिशा के विषय म गिशा आयोग की सिफारिशा पर विचार किया जाना था । सम्मेलन ने सिफारिशो को मोटे तौर पर मान लिया है ।

इस विचार विनिमय के आधार पर गिशा की एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जा रहा है ।

स्थाप्यो प्रमारों की समीक्षा आन्तरिक वषत-समिति की एक वठक म १९६८ ६९ से सम्बधित वजट प्राक्कलना पर जा कि मुख्य सचिवालय के अनुमानो से सम्बधित थे और जिनमे स्थायी स्थापनाओ की व्यवस्था भी शामिल थी योरेवार विचार किया गया । वजट की कुन व्यवस्था ९४ १४ लाख रुपए थी और इसकी तुनना म अनुदाना के पुनरीक्षित अनमान तथा वजट अनुमान समष्टि रूप मे क्रम ९३ ६४ लाख तथा ९७ ६१ लाख निकाले गए हैं । यह अनुमान सम्बधित वित्त विभाग की सहायता से निकाले गए हैं ।

वजट १९६७ ६८ के लिए समूचे मन्त्रालय के लिए मजूर १३ ६१ करोड रुपए व कुन अनुमान (जिसम गृहमन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा परिचालित गिशा मन्त्रालय की भागें भी सम्मिलित हैं) योजनागत तथा योजनावर की तुलना मे १९६७ ६८ के पुनरीक्षित अनुमान तथा १९६८ ६९ के वजट अनुमान जिनकी व्यवस्था करने का विचार है क्रम १४ ४८ करोड रुपए (अनतिम) तथा १४९ ७८ करोड रुपए (अनतिम) हैं ।

स्कूल शिक्षा

स्कूली शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिनकी विस्तार तथा सुधार योजनाएँ केन्द्र से सहायता प्राप्त करती हैं। स्कूली शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी सीमित है। यह मोटे तौर पर उन विशेष परियोजनाओं और अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों तक ही सीमित है। स्कूली शिक्षा में सार्थक प्रयोग करने के लिए सघ सरकार स्वैच्छिक सगठनों को भी वित्तीय सहायता देती है। इसी प्रकार सघ सरकार स्कूल शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रयोग करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक सगठनों को भी वित्तीय सहायता देती है। इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाएँ आगे के पैराओं में दी गई हैं।

राज्यों के शिक्षा संस्थान. स्कूल स्तर पर, विशेष रूप से प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए १९६३-६४ में केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में राज्यों में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की योजना शुरू की गई थी। इन संस्थानों के प्रमुख कार्य ये हैं निरीक्षण अधिकारियों तथा प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिये नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण सवधी अध्ययन और अन्वेषण करना, तथा अध्यापकों तथा छात्रों के लिए साहित्य प्रकाशित करना।

नागालैंड और हरियाणा को छोड़ कर सभी राज्यों में शिक्षा संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। एक संस्थान दिल्ली में भी खोला गया है।

इन संस्थाओं के विकास कार्यों के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए त्वरित कार्यक्रम. माध्यमिक शिक्षा के सुधार की जो योजना १९६४-६५ में शुरू की गयी थी, उसे इस वर्ष भी चालू रखा गया। इसके आधीन राज्यों को उनकी योजनागत सीमा के अतिरिक्त शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिससे वे माध्यमिक स्तर के स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को साधन-सम्पन्न बना सकें, विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें और विज्ञान शिक्षा के राज्य एकक-संस्थान स्थापित कर सकें।

पाठ्य पुस्तकें पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तथापि राज्यों में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की सत्या बहुत कम है और कुछ राज्यों में काफी बड़ी। एक या दो राज्यों में तो पाठ्यपुस्तकों की विक्री और वितरण की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले ली है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रहा है जिन्हें राज्य सरकारें स्वीकार/अनुकूलित कर सकती हैं।

माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम माध्यमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के जेप कार्य को पूरा करने के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना संवन्धी प्रारम्भिक कार्य वर्ष में के दौरान पूरा हो चुका है और वह अपना कार्य १९६८-६९ में शुरू कर देगी।

अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार १९६७-६८ के शीरा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों तथा संस्कृत पाठशालाओं/टीना के ६६ अध्यापकों को उनका द्वारा की गई समाज सेवाओं के वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

त्रिलोभ योजना भारत सरकार इस आवश्यकता पर जार देती रही है कि राज्य सरकारों को सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों के लिए पुराने भविष्य निधि और बीमा की त्रिलोभ योजना अपनानी चाहिए। आठ राज्यों ने इस योजना की गुरुता कर दी है और नये राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। जहां तक संधारित क्षेत्रों का संबंध है भारत सरकार ने इस योजना की मजूरी अप्रैल १९६६ में दे दी है।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् नर्किया और महिलाओं की शिक्षा के विभिन्न मामलों में परिषद् सरकार को परामर्श देती रही और सरकार तथा इन क्षेत्रों के विभिन्न संस्थाओं के बीच सम्पर्क बनाए रखने का काम भी वह करती रही। वर्ष के दौरान परिषद् के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई और अब उसके कार्य क्षेत्र में नर्किया और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित सभी स्तरों का समावेश हो गया है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्थानांतरित होने वाले वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के अपने बच्चे और उनकी देखरेख में रखे बच्चों के लिए एक सपाठ्यविवरण और प्रशिक्षण माध्यम यान्त्रिक स्कूलों का जान-सा बिछा रखा है। १ अप्रैल १९६६ से इन स्कूलों का प्रशासन सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्गेनाइजेशन नामक स्वायत्तशासी निगम को (जिसका नाम अब केंद्रीय विद्यालय संगठन रखा जा चुका है) जिसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६ के अधीन पंजीकृत किया गया था साप दिया गया है।

इस समय सोसाइटी के अधीन ११८ स्कूल कार्य कर रहे हैं और लगभग ५७० बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों की एक सूची परिशिष्ट चार में दी गई है।

तिब्बती स्कूल सोसाइटी तिब्बती स्कूल सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६ के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संगठन है। सका स्थापना १९६१ में की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य तिब्बती शरणार्थी बच्चों की शिक्षा और/अथवा प्रशिक्षण के लिए स्थापित स्कूलों या संस्थाओं का प्रशासन और प्रबंधन कायदा संचालन करना है।

केंद्रीय अग्रजी संस्थान हैदराबाद केंद्रीय अग्रजी संस्थान की स्थापना नवम्बर १९५८ में हैदराबाद समिति पंजीयन अधिनियम (हैदराबाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट) के अधीन पंजीकृत गोमायती के रूप में की गई। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तकनीकों में अध्यापकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान के द्वारा भारत में अग्रजी की शिक्षा में सुधार करना है। आलायक वर्ष में संस्थान को ब्रिटिश काउंसिल तथा फोड फाउंडेशन की ओर से आर्थिक सहायता मिलती रही।

वालमवन और राष्ट्रीय बाल सघालय बाल भवन और राष्ट्रीय बाल सघालय की स्थापना तिब्बती में जून १९५६ में की गई। इसके मुख्य उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन तथा खेल वृत्तों की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के, अवसर प्रदान करना, उद्देश्य

सहायक-सामग्री के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण और अनुसंधान के उपर्युक्त कार्यक्रम चलाना और बच्चों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों सस्थानों को उनके श्रेष्ठ तथा बहुमूल्य कार्य के लिए सभी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है।

स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओं को सहायता पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत तीन उपयोजनाएँ हैं :

- (क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओं को सहायता देने की योजना।
- (ख) महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओं को सहायता देने की योजना।
- (ग) कुछ चुने हुए अच्छे आवासी स्कूलों को सहायता देने की योजना।

माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड सन् १९६२ में पुनर्गठित यह बोर्ड केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक पजीकृत सोसायटी है। भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार बोर्ड का नियन्त्रक प्राधिकारी है।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक बोर्ड द्वारा ६१९ सस्थों को मान्यता दी जा चुकी है। इसकी तुलना में पिछले वर्ष के अन्त तक यह संख्या ५५९ थी। दिल्ली में सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बोर्ड से सम्बद्ध हैं। यहाँ दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों की संख्या ४३५ है। इनमें से ४२१ स्कूलों ने दिल्ली योजना की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को अपनाया है, तीन ने उच्चतर माध्यमिक तकनीकी योजना को और शेष ने अखिल भारतीय योजना को अपनाया है। दिल्ली से बाहर १८४ स्कूल हैं जिनमें से १८० ने अखिल भारतीय योजना को अपनाया है। आलोच्य वर्ष में, बोर्ड की अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएँ लेने वाले केन्द्रीय स्कूलों की संख्या १०३ से बढ़कर ११६ हो गई है।

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित प्रादेशिक शिक्षा कालेजों के साथ सम्बद्ध चार निदर्शनात्मक बहुद्देशीय स्कूल इस समय काम कर रहे हैं। ये स्कूल बोर्ड से सम्बद्ध हैं और इनमें इस योजना को अपनाया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्रयोग के रूप में तैयार किया है। इस योजना के अधीन अन्तिम वर्ष की पहली परीक्षा बोर्ड द्वारा १९६७ में ले ली गई थी। आलोच्य वर्ष में, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित तीन तकनीकी स्कूल बोर्ड के साथ सम्बद्ध किए गए और उच्चतर माध्यमिक तकनीकी परीक्षा को, जो कि समाप्त की जा रही थी, पुनः चालू किया गया।

वित्त-विनिधान : इस अध्याय में वर्णित विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त-विनिधान इस प्रकार है

योजना	मूल व्यवस्था	१९६७-६८ पुनर्गणित	१९६७-६९ न. नि. व्ययस्था (घ. प्रा०)
(१)	(२) र	(३) र	(४) र
१ माध्यमिक शिक्षा सुधार (त्वरित कार्यक्रम)			
(क) माध्य-स्कूला की विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाना	१ ५० ०००	४८ ८९ ००	५००
(ख) राज्य सस्थान विज्ञान शिक्षा विश्व विद्यालय	१५० ०	२ ०००	२० ०० ०००
२ राज्य शिक्षा सस्थान	२४	३ ० ०	३५ ०० ०००
३ मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार के राज्य एकांक	३ ० ०	३ २५	३ ७५ ०००
४ शिक्षक तथा व्यावसायिक मागस्थान पूरो	३ ११	३ ५ ०	४ ०० ०
५ सेमीनार और सम्मेलन	१	१० ०००	१० ०००
६ माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम	३ ०० ०	२ ५ ००	२ ५ ० ०
७ राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिपत्र के सदस्या को याना भत्ता तथा महंगाई भत्ता	६ ५ ०	१० ००	७० ००
८ केन्द्रीय जयजी सस्थान हैदराबाद			
(क) विकास व्यय	४ ००	४ ०० ००	४ ०० ०
(ख) अनुरक्षण तथा परिचालन व्यय	३ १ ०	३ ५० ०	३ ७५ ० ०
(ग) फोर्न फाइनेंस परियोजना	१ ४१	१ ८४	१ १५ ०००
९ बान भवन तथा एन० सी एम०	६ ५	६ ४८	६ ५ ०००
१० स्वच्छिक तथा गतिक संगठना को अनुदान	१७ २२ ००	८ ००	१० ० ०
११ बान पुस्तक व्यास	१ ४२ ५०	१ ४२ ५	९८ ८
१२ राष्ट्रीय भारतीय सनिच कानज देहरादून के मधीय क्षेत्र व छात्रा को वृत्ति	७ १००	७ १ ०	७ १००

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

सगठन, कार्य और प्रशासन : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना सितम्बर, १९६१ में स्वायत्त सगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उच्चस्तर के अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रमों का विकास करना है। यह सस्था पजीयन अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत पजीयित है।

परिषद् के सामान्य निकाय में राज्यों के शिक्षा मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। परिषद् के सभी कार्यों तथा निधि का प्रबन्ध शासी निकाय के हाथों में है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं। परिषद् के आधीन शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन का एक बोर्ड भी है जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के सभी मामलों में परिषद् को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त परिषद् की एक वित्त-समिति है जो वित्त सम्बन्धी मामलों में परिषद् को सलाह देती है। परिषद् को, अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक लगभग सारी राशि भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में मिलती है।

परिषद् के आधीन निम्नलिखित सस्थान हैं (१) राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान जिसमें ६ विभाग हैं और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, (२) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में स्थित शिक्षा के चार प्रादेशिक कालेज। इस समय निम्नलिखित विभागों में काम हो रहा है (१) क्षेत्र सेवा विभाग, (२) प्रौढ शिक्षा विभाग, (३) श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग, (४) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन विभाग (जिसमें बुनियादी शिक्षा शामिल है) (५) विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप, (६) मनोवैज्ञानिक आधार विभाग, (७) शैक्षिक प्रशासन विभाग (८) शिक्षा आधार विभाग, और (९) अध्यापक शिक्षा विभाग।

गतिविधियाँ और कार्यक्रम : परिषद् की मुख्य गतिविधियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित छ, मोटे वर्गों में रखा जा सकता है (१) अनुसंधान (२) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण (३) विस्तार कार्य, (४) शिक्षा सम्बन्धी साहित्य का निर्माण, (५) विज्ञान की शिक्षा, (६) विविधि।

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व मोटे तौर पर भारत सरकार का है। परन्तु गोआ, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पाडिचेरी और त्रिपुरा क्षेत्रों के अपने विधान मंडल हैं और उनकी अपनी-अपनी सरकारों को संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, १९६३ में निर्दिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं।

संघशासित क्षेत्रों में १९६७-६८ के दौरान स्कूल-शिक्षा की जो प्रगति हुई, उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी जा रही है

(क) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह

शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य वर्ष में, इस संघशासित क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल, मिडिल सीनियर वेसिक स्कूल, तीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल और एक केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। पिछले वर्ष तक आरम्भ किए गए प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल

जारी है तथा अधिक छात्रों व नामांकन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन एक केन्द्रीय स्कूल स्थापित किया गया है।

लड़कियों की शिक्षा—लड़कियों के लिए एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को वृत्तिकाएँ दी जाती हैं और बाकी के लिए यातायात की सुविधा देने की दृष्टि से रियायती दरों पर यातायात की सुविधाएँ भी दी गई हैं।

विज्ञान की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक सामान्य विज्ञान को आनिबाय विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नौवीं कक्षा से विज्ञान की शिक्षा अवैकल्पिक विषय के रूप में भी दी जाती है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए बजट उठाए जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान की शिक्षा का अधिक आज़ाद बनाने के लिए तीन सीनियर बसिक स्कूलों तथा सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के प्रगतिशील अध्यापकों की व्यवस्था की गई है।

छात्रवृत्तियाँ और अन्य रिआयतें उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और मुख्य भू-भाग में आकर मट्रिक से आगे की पढाई के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। गीतगमू में उच्चतर माध्यमिक स्तर से पूर्व की पढाई के लिए और मुख्य भू-भाग की शिक्षा मस्याओं में उच्चतर माध्यमिक स्तर से आगे की पढाई के लिए गरीब छात्रों का पाठ्यपुस्तक मपन भी जाती है।

अनुसूचित आदिम जातियों के गरीब स्कूलों के बच्चों का पुस्तकें और नखतन-सामग्री मुफ्त में जाती है। ५ प्रतिशत कीमत पर दो योगाओं प्रनिवप दी जाती हैं।

बजट मन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाला खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए ११.८२ लाख रुपये और योजनागत कार्यों के लिए १९.९४ लाख रुपये है। मन् १९६८-६९ में योजनागत कार्यों पर १२.७३ लाख रुपये और योजनागत कार्यों पर २१.९४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) चण्डागढ़

शिक्षा की सुविधाएँ चण्डीगढ़ का गणराज्य में नवम्बर १९६६ में अस्तित्व में आया। आनाथ बच्चों में महा-२ प्राथमिक स्कूल १३ मिडिल स्कूल और १४ उच्च (हाई) उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। छात्र संख्या इस प्रकार की

	नामांकन
	१९६७-६८
प्राथमिक स्तर	१०-२३४
मिडिल स्तर	५-२२४
माध्यमिक स्तर	१५-७४१

बजट मन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए ३.९१ लाख रुपये और योजनागत कार्यों के लिए ८.२६ लाख रुपये है। खर्च करने वाले १९६८-६९ में योजनागत कार्यों पर ६.४४ लाख रुपये और योजनागत कार्यों पर ८.१२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) दादरा और नगर हवेली .

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में यहाँ ६८ प्राथमिक स्कूल १८ मिडिल सीनियर वेसिक स्कूल तथा ३ हाई स्कूल थे। छात्र-संख्या इस प्रकार थी

	नामांकन
	१९६७-६८
प्राथमिक स्तर	२,९८६
मिडिल स्तर	३,५४०
माध्यमिक स्तर	४८१

सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सहशिक्षा की व्यवस्था है।

बजट : सन् १९६७-६८ के लिये सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए ३ २५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ६ २७ लाख रुपये है। अगले वर्ष योजनागत कार्यों पर ४.१५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर ६ ६२ लाख खर्च होने का अनुमान है।

(घ) दिल्ली

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में, यहाँ ६२६ प्राथमिक स्कूल, ४६१ मिडिल स्कूल और ४०७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से एक मिडिल स्कूल और १६ उच्चतर माध्यमिक स्कूल १९६७-६८ में शुरू किए गए हैं। वर्ष में छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार रही :

	नामांकन
	१९६७-६८
प्राथमिक स्तर	४,३०,५३३
मिडिल स्तर	१,९४,६०२
माध्यमिक स्तर	१,१३,६६८

लड़कियों की शिक्षा : लड़कियों के लिए ३८७ प्राथमिक स्कूल, १९६ मिडिल स्कूल, और १६४ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अध्यापिकाओं की विधेय भत्ते तथा अध्यापन का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को वृत्तिकाएँ दी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त यातायात की सुविधाएँ देने की एक योजना भी चल रही है।

विज्ञान की शिक्षा : विज्ञान की शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से स्कूलों की प्रयोगशालाओं को उपकरणों से सज्जित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

छात्रवृत्तियाँ और अन्य रिआयतें : आठवी कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। मिडिल स्तर पर (छठी से आठवी कक्षा तक) तीन वर्ष के लिए ५० रुपये प्रतिवर्ष की सुली छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में (नवी से ग्यारहवी कक्षा तक) १० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, जैसे धर्मार्थ छात्रवृत्तियाँ, निराश्रितों के लिए छात्रवृत्तियाँ, राजनैतिक पीड़ितों के लिए छात्रवृत्तियाँ, औद्योगिक स्कूलों में मिलने वाली छात्रवृत्तियाँ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिक स्तरों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन और नसरी कक्षाओं के प्रशिक्षण के लिए एक स्तर है। माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन कालेज हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं की वार्षिक दायित्वा क्षमता ४६२ माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाओं की ३ ५ और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संस्थाओं की ८७ है।

प्रौढ़ साक्षरता सन् १९६६ ६७ और १९७० ७१ के बीच की अवधि में ४० ००० प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चारू वर्ष में इस कार्यक्रम के अनुसार १० ०० प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित बनाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार का कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए भी रखा गया है।

अध्यापकों के वेतन शिक्षकों की आर्थिक और यावसायिक स्थिति को अर्द्ध बनाने के लिए सभी वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानों का २१ दिसम्बर १९६७ से पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार विभिन्न वर्गों के अध्यापकों की कुल परिनिधि (केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाली परिनिधियों से तथा देश के अधिकांश भागों के अध्यापकों की वर्तमान परिनिधियों से सामान्यतया अधिक हो जाएगी।

उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (नीची से ग्यारहवीं कक्षा तक) के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया गया है जिसके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी तैयार किए जाएंगे। इसका पाठ्य विवरण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अखिल भारतीय योजना के अनुरूप होगा। शिक्षा का माध्यम प्रारम्भ में हिन्दी होगा। यह पाठ्यक्रम १ मई १९६८ से शुरू होगा जिसमें देश के सभी भागों के छात्र प्रवेश पा सकेंगे और इसका समय चार वर्ष होगा।

बजट सन् १९६७ ६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए १२२ ५६ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ८६७ ३ लाख रुपये है। अगले वर्ष अर्थात् १९६८ ६९ में योजनागत कार्यों पर १६२ ५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर ११५ ५० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ड) गोवा दमन और दीव

शिक्षा की सुविधाएँ आलोच्य वर्ष में यहाँ १ ३१ प्राथमिक स्कूल (माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक अनुभागों को मिलाकर) १८८ मिडिल स्कूल १४२ हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से २५ संस्थाएँ लड़कियों की थीं।

बजट सन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाला खर्च का अनुमान योजनागत कार्यों के लिए १ ८८६ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए १८० ३६ लाख रुपये है। अगले वर्ष अर्थात् १९६८ ६९ में योजनागत कार्यों पर १५ ५१ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर १६० ७७ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(च) हिमाचल प्रदेश

शिक्षा की सुविधाएँ आलोच्य वर्ष में यहाँ ३ ६३८ प्राथमिक स्कूल ६१५ मिडिल स्कूल २६२ हाई स्कूल और ८८ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे।

बजट १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा बजट योजनागत में ५२ २७ लाख

योजनेतर मद २५ ६२ लाख । अगले वर्ष, योजनेतर मद ६५६ ३७ लाख और योजनागत मद ६८ ८६ लाख ।

(छ) लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में यहाँ ६ पूर्व-प्राथमिक स्कूल, १८ प्राथमिक स्कूल, १० मिडिल स्कूल, ३ हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे ।

वजट : सन् १९६७-६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनागत कार्यों के लिए १३ ६८ लाख रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ३ ६५ लाख रुपये है । अगले वर्ष, अर्थात् १९६८-६९ में, योजनागत कार्यों पर ५ ०० लाख रुपये और योजनेतर कार्यों पर १२ ६२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ज) मणिपुर

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में यहाँ २,१७७ प्राथमिक स्कूल, ३१८ मिडिल स्कूल और १२८ माध्यमिक स्कूल थे ।

वजट : सन् १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनेतर कार्यों के लिए २४३ २१ लाख रुपये और योजनागत कार्यों के लिए २८ ०० लाख रुपये है । अगले वर्ष, अर्थात् १९६८-६९ में, योजनेतर कार्यों पर ३,२०,६२,००० रुपये और योजनागत कार्यों पर ३२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(झ) पाडिचेरी

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में यहाँ प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई । आलोच्य वर्ष में क्षेत्र में २३६ प्राथमिक, ८५ मिडिल व ४१ हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे । १९६७-६८ के नामांकन हैं प्राथमिक ५१,३८६, मिडिल १३,८६२ तथा माध्यमिक ७,५६५ थे ।

वजट : १९६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा वजट, योजनागत मद ३४ ८६ लाख, योजनेतर मद ७१ ०५० लाख । अगले वर्ष, योजनागत मद ४० १२० लाख, योजनेतर मद ७५ ६७० लाख ।

(ञ) त्रिपुरा

शिक्षा की सुविधाएँ : आलोच्य वर्ष में यहाँ १,३७६ प्राथमिक स्कूल, १७७ मिडिल स्कूल और ७६ उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे ।

वजट : सन् १९६७-६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, योजनागत कार्यों के लिए ४२,४०,६०० रुपये और योजनेतर कार्यों के लिए ३,५३,६१,७०० रुपये है । अगले वर्ष, योजनागत कार्यों पर ८४,८८,२०० रुपये और योजनेतर कार्यों पर ३,८२,८६,२०० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

उच्च शिक्षा

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनीगड, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है । देश में उच्च शिक्षा के स्तरों में तालमेल रखने और उन्हें बनाए रखने का दायित्व भी इसी मन्त्रालय पर है ।

सी उद्देश्य की पूर्ति के लिए १९५३ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरोध और विकास-कार्यों के लिए गत प्रतिगत आधार पर और राज्य विश्वविद्यालयों का भवन उनकी विकास परियोजनाओं के लिए सहभागिता के आधार पर अनुदान दिया जाता है। सांविधिक विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय मानी जाने वाली संस्थाओं को भी अनुरोध और विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है। ये अनुदान दो उद्देश्यों से दिये जाते हैं एक तो इसलिए कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाएँ शिक्षा की अभूतपूर्व मांग को पूरा कर सकें और दूसरे इसलिए कि शिक्षा के स्तर को सुधारण की तुरन्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय में विस्तार और शिक्षा के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण विकास घटनाएँ हुई हैं उनमें से कुछ का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से डा० अबुल अलीम को नवाब अली यावर जंग के स्थान पर उपकुलपति नियुक्त किया है। नवाब अली यावर जंग संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं।

सितम्बर १ १९६७ को विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या ६६६६ थी। चारू शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय में सेमिस्टर प्रणाली और कक्षा विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में आनस पाठ्यक्रम गृह किए गए हैं। डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए जिंहे इजीनियरी का कुछ अनुभव हो एक अशकानिक इजीनियरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी इसी वर्ष से शुरु कर दिया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में डा० ए० सी० जोशी को डा० त्रिगुण सन के स्थान पर उपकुलपति नियुक्त किया है क्योंकि डा० सेन केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री नियुक्त हो गये हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संगोषण) अधिनियम १९६६ के उपबंध के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों का पुनर्गठन किया गया है।

सन् १९६७-६८ के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों की कुल संख्या ९५४० थी।

अनेक संकायों के विभिन्न विभागों में सेमिस्टर प्रणाली प्रारम्भ कर ली गई है जिसके अनुसार हर वर्ष दो विश्वविद्यालय परीक्षाएँ हुआ करेंगी।

विश्वविद्यालय की परिषद् ने हिन्दी की शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रारम्भ करने का एक महत्वपूर्ण निणय किया है। परिषद् ने यह भी निर्देश दिया है कि इस निणय को कार्यान्वित करने के लिए एक हिन्दी माध्यम बोर्ड की तत्काल स्थापना की जाये और इस उद्देश्य के लिये आवश्यक साहित्य प्रकाशित किया जाये। तब से इस विषय पर विभिन्न

सकायो और शैक्षिक परिपद मे विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि कुछ समय तक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों के द्वारा शिक्षण-कार्य जारी रखा जाए ।

विश्वविद्यालय मे दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया गया . भारतीय दार्शनिक सम्मेलन और भारतीय विज्ञान कांग्रेस सस्था ।

दिल्ली विश्वविद्यालय .

जुलाई, १९६७ मे विश्वविद्यालय के छात्रों की कुल सख्या ४३,५४२ थी । इसके अलावा ७,३७८ छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय मे पजीयित किये गये, १,६५० महिला छात्र गैर-कालेजी महिला शिक्षा बोर्ड मे और १४२ अध्यापक वी० एड० पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये केन्द्रीय शिक्षा सस्थान मे पजीयित किये गये ।

सात नये कालेजों को अनुमति दे दी गई कि वे छात्रों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करे ।

अठारह प्रख्यात अध्येताओं ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों मे अतिथि प्रोफेसर के रूप मे कार्य ग्रहण कर लिया हे । फोर्ड फाउण्डेशन ने विश्वविद्यालय को अगले पाच वर्षों के लिये मानविकी तथा अन्य समाज विज्ञान विभागों के वैज्ञानिक उपकरण, पुस्तकालय, निदर्शन, कर्मचारीगण तथा भवन-निर्माण एव अन्य आवश्यकताओं के लिये पचास लाख डालर के अनुदान की स्वीकृति दे दी है । विश्वविद्यालय ने फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता का श्रेष्ठ ढंग से प्रयोग करने के लिये स्थूल रूपरेखा तैयार करने के लिये अनेक विज्ञेपज्ञ समितियाँ नियुक्त कर दी है ।

विश्वभारती .

विश्वविद्यालय ने १९६७-६८ के शैक्षिक सत्र से दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये है एक तो ललित कला और शिल्प मे पचवर्षीय डिग्री कार्यक्रम और दूसरा इन्ही विषयों मे पचवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय मे दर्शन-शास्त्र के उच्च अध्ययन केन्द्र के तत्वावधान मे 'मूलभूत दार्शनिक दृष्टिकोण—ज्ञान-भक्ति-कर्म' पर सातवी अखिल भारतीय विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अहाते के लिए आवश्यक १,००० एकड़ भूमि मे से दिल्ली प्रशासन ने मुनीरका ग्राम के निकट लगभग ६०० एकड़ भूमि अर्जित कर ली है । जेप भूमि-अर्जन के लिये कार्रवाई जारी है । उपकुलपति की नियुक्ति और शैक्षिक तथा सलाहकार समितियों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाए

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन भारतीय खान स्कूल, धनवाद नामक एक और सस्था को 'विश्वविद्यालय मानी गई सस्था' घोषित कर दिया गया । इस प्रकार अब विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओं की कुल सख्या १० हो गई है ।

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली गुजरात कागरी विश्वविद्यालय इस्लाम गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद कागरी विद्यापीठ वाराणसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय (इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज) नई दिल्ली विश्वविद्यालय मानी गई इन पांच सस्थाओं को उनके पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में जिनके कारण उन्हें विश्वविद्यालय माना गया है घाटे की पूर्ति के आसार पर अनुरोध अनुदान दिये गए। अनुरोध अनुदान में पूजोगत व्यय की कोई भी धामिन नहीं की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा समान (मॉनिग) राशि दी जा रही है। विकास अनुदान के लिए आवर्ती और अनावर्ती राशि का निम्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों की सख्या बढ़कर ७० हो गई है जोर विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओं की सख्या १ तक पहुच गई है। सन् १९६६ ६७ में वाजेजो की सख्या (जिसमें विश्वविद्यालय का विभाग शामिल नहीं है) २७४६ तक पहुच गई। सन् १९६६ ६७ में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिल छात्रों की सख्या १७ २८ ८७३ से बढ़कर १९४६ १२ हो गई।

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वि. अ. आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओं को अनुदान देना जारी रखा।

विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओं को अप्रैल दिसम्बर १९६७ में दिए गए विकास अनुदानों का यौरा इस प्रकार है

(१) विज्ञान विषय	दी गई राशि
उद्देश्य	(लाख रुपयों में)
(क) पुस्तकें और पत्रिकाएँ	१८ ५५
(ख) विज्ञान उपस्कर	४६ ४२
(ग) अतिरिक्त कमचारी	१६ ३७
(घ) भवन	५६ २३
	<hr/>
	१४७ ५७
(२) मानविकी और समाज विज्ञान	दी गई राशि
उद्देश्य	(लाख रुपयों में)
(क) पुस्तकें और पत्रिकाएँ	१४ ७
(ख) उपस्कर	१ २२
(ग) अतिरिक्त कमचारी	३७ ३७
(घ) भवन (पुस्तकालय भवन सहित)	२८ ४५
	<hr/>
	८१ ७४

इजीनियरी और शिल्प-विज्ञान : आयोग ने विश्वविद्यालयों और इजीनियरी तथा शिल्प-विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं को विकास अनुदान की मजूरी भी दी है। ये अनुदान वर्तमान सुविधाओं में सुधार, पंचवर्षीय समाकलित पाठ्यक्रम, भेषजीय शिक्षा के विकास, प्रबंध अध्ययन पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और इजीनियरी तथा शिल्प-विज्ञान आदि में अनुसंधान के लिए दिये गये हैं। किन्तु विशेष जोर विस्तार की वजाय समेकन तथा विकास कार्यक्रमों पर दिया गया। अप्रैल-दिसम्बर १९६७ के दौरान विश्वविद्यालयों तथा उनके द्वारा चलाई गई संस्थाओं को दी गई कुल राशि १ १६ करोड़ रुपये थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान : केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों को विकास कार्य के अतिरिक्त अनुरक्षण अनुदान भी आयोग शत-प्रतिशत आधार पर देता रहा है। अप्रैल-दिसम्बर, १९६७ के दौरान अनुरक्षण-अनुदान के रूप में विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली राशि ५ १८ करोड़ रुपये थी।

छात्र-कल्याण : छात्र-कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का आयोग ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है और उपलब्ध साधनों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों को छात्र समुदाय के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय, अनिवासी छात्र केन्द्र, छात्रावासों का निर्माण तथा छात्र-सहायता निधि आते हैं। इन योजनाओं के लिए १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर १९६७ तक विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान की कुल रकम २३.३४ लाख रुपये थी।

छात्रवृत्तियां तथा अधिवृत्तियां (फ़ैलोशिप) : आयोग ने निम्नलिखित छात्रवृत्तियां आदि प्रदान की

- (1) मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए ५०० रुपये प्रतिमास की २२ प्रवर अधिवृत्तियां तथा ३०० रुपये प्रतिमास की ८७ अवर अधिवृत्तियां,
- (11) विज्ञान विषयों में २७ वरिष्ठ और १२६ अवर अधिवृत्तियां,
- (111) इजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए ४०० रुपये प्रतिमास की २८ अनुसंधान अधिवृत्तियां,
- (1V) अरबी और फारसी में आनर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए १०० रुपये प्रतिमास की १६ छात्रवृत्तियां,
- (V) उत्तर-पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों के छात्रों को २५० रुपये प्रतिमास की दो अनुसंधान छात्रवृत्तियां तथा १२० रुपये प्रतिमास की २८ स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां।

आयोग ने ६० विश्वविद्यालयों को २५० रुपये प्रतिमास की ३२१ अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की।

पत्राचार पाठ्यक्रम . दिल्ली विश्वविद्यालय में वी० ए० (पाम) के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रायोगिक परियोजना के रूप में सितम्बर, १९६२ में प्रारम्भ किए गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर आयोग इस बात के लिए महमत हो गया कि विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय को स्थायी रूप प्रदान कर दिया जाए। कुछ अन्य विश्व-

५ देशबन्धु कोनेज को अनुदान (वि० अ० आ० द्वारा दिये गए अनुरक्षण अनुदानों की पुरानी और नई दरों का अन्तर) (योजनेतर)

६ अखिल भारतीय महत्व के उच्च अध्ययन संस्थान (योजनागत)

७ बड़े शहरों में छात्रावास निर्माण (योजनागत)

८ उच्च अध्ययन संस्थान निर्माण की स्थापना (योजनेतर)

(योजनागत)

९ विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (योजनागत)

१० गांधी अध्ययन संस्थान (योजनागत)

११ रूसी अध्ययन संस्थान (योजनागत)

१२ विश्वविद्यालय और वाणिज्य अध्ययन केंद्रों के वर्तमान में सुधार—राज्य सरकारों की सहायक अनुदान (योजनेतर)

१३ विश्वविद्यालय और वाणिज्य संस्थानों के वर्तमान में सुधार—मध्य गणित क्षेत्रों का सहायक अनुदान (योजनेतर)

१४ प्रवर्धित वाणिज्य की योजना (योजनागत)

१५ विश्वविद्यालयों और शि्षण केंद्रों के लिए

५००००	५००	१२००
३००००	०००००	२०००००
२०००००	१५००	२००
६०००	६०	६१२००
६०००	६००००	६०
—	२०५०	२७००
२५०	५	१००
१०००	१०००	११३६
००००	५	१००
—	१	१
५०००	१०	—

संस्थान विदेशी विरोधना का खर्च (योजनागत)	—	० ०००
२६ भारत का अन्तर्विधिविचारण वा (योजनातर)	३२ ००	५० ०००
२७ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मिभाजा पर प्रमुख व्यक्तियों के आस्थान (योजनागत)	२३ ०००	२ ०
२८ गांधी दान (योजनागत)	१० ०००	१०० ०
२९ राष्ट्रमण्डल शिक्षा योजना—विदेशी विरोधना और तकनीगियना का स्थानीय खर्च (योजनातर)	१०५ ०००	५ ०००
३ अमरीकी जघ्मयत अनुसंधान केन्द्रों हेतु आबाद—साहित्यिक शिवाग्नापो में सलगन संस्थाएँ और व्यक्ति (योजनातर)	—	१८ ०००
३१ शिक्षा सम्मेलन—प्रायेश्वरा और निष्टमण्डना का आदान प्रदान	५० ००	३३ ००
३२ गार्स्त्री भारत-जनाहा संस्थान की अनुगुणा (योजनातर) (योजनागत)	६०० ०००	—
३३ ग्रामीण उच्च शिक्षा (योजनातर) (योजनागत)	११२ ० ०	११ ० ०००
४ जय शंकर—ग्रामीण उच्च शिक्षा (योजनातर) (योजनागत)	३०५ ० ००	१२४ ०००
३५ ग्रामीण संस्थानों के अस्थापना का खर्च म हा प्रशिक्षण (योजनागत)	७० ०००	५२ ०
	५ ०	१० ००
	५ ०	१५ ८

तकनीकी शिक्षा

सन् १९६६-६७ मे १३७ सस्थाए पहली उपाधि (डिग्री) स्तर पर इंजीनियरी और शिल्पविज्ञान के पाठ्यक्रम चला रही थी और २८४ सस्थाए डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों को चला रही थी। इन दोनों प्रकार की सस्थाओं में दाखिल छात्रों की वास्तविक संस्था क्रमशः २४, ६३४ और ४६,४६१ थी। इन सस्थाओं से स्नातक बनकर निकलने वाले छात्रों की संख्या १३,०५१ तथा डिप्लोमाधारी छात्रों की संख्या २२,२६० थी।

बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति तथा अन्य कारणों से तब तक उपाधि और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं की योजना नहीं बनाई जा रही जब तक कि चौथी और पाचवी पंचवर्षीय योजना की निश्चित दिशा और तकनीकी कार्मिकों के लिए उनकी मांगों का पता नहीं चल जाता। खनन उद्योग में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, १९६७-६८ में उपाधि तथा डिप्लोमा स्तर पर खनन पाठ्यक्रमों में दाखिलों की संख्या बहुत कम कर दी गई थी।

भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थान : भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है और यह लक्ष्य उत्तरोत्तर पूरा होता जा रहा है। निम्नलिखित विवरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा

	पूर्व स्नातक (अडर- ग्रेजुएट) स्तर पर जुलाई, १९६७ के दौरान हुए दाखिले	छात्रों की कुल संख्या	संस्थान से निकले शिक्षितों छात्रों की संख्या		
			उपाधि पाठ्य- क्रम	स्नातक- कोत्तर पाठ्य- क्रम	डाक्टर उपाधि (पी- एच० डी०)
बम्बई दिल्ली .	३७१ २७०	२,१४५ १,६०७	३०४ १६६ +	१६१ १६	५ ४
			=		
			(डिप्लोमा)		
कानपुर सहगपुर .	३२० ४५१	१,८०२ २,६२८	७६ ३८७	२८ २०८	११ २६
मद्रास .	३५४	१,७१८	२५६	५०	१२

यह नियम विद्या गया कि इन संस्थाओं में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और पूर्वस्नातक विद्यार्थियों के बीच अंतिम अनुपात १ : २ होना चाहिए। वर्तमान अनुपात इस प्रकार है बम्बई १ : ४ : ४ दिल्ली १ : ४ : २ कानपुर १ : २ : ३ राइगपुर १ : ३ : ४ और मद्रास १ : ५ : ७।

ये संस्थाएँ देश की आवश्यकताओं तथा विज्ञान में होने वाली आधुनिकतम घटनाओं को ध्यान में रख रही हैं और इन्होंने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं

बम्बई सगणक गिल्पविज्ञान (कंप्यूटर टेक्नालाजी) वायुयान उत्पादन गिल्पविज्ञान प्रणोदन (एयर क्राफ्ट प्रोडक्शन टेक्नालाजी प्रोग्राम) इसके अतिरिक्त एक साल के तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे—(१) उष्ण उपचार शिल्पविज्ञान (हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी) (२) प्लास्टिक इंजीनियरी और (३) गोदी और वस्त्रगाह इंजीनियरी। सारे देश में केवल यही पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

दिल्ली बक्रीट निर्माण कार्य और गिल्पविज्ञान (बक्रीट स्ट्रक्चर एण्ड टेक्नालाजी) वस्त्र इंजीनियरी (टेक्स्टाइल इंजीनियरिंग) अभिव्यक्ति इंजीनियरी (डिजाइन इंजीनियरिंग) सव्यवहारिक विश्लेषण (यूमेरिकन एनेलिसिस) और स्वचालित सगणन (आटोमेटिक कम्प्यूटिंग) का एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

कानपुर दो साल का बर्तमान इंजीनियरी (एरोनाटिकल इंजीनियरिंग) सिविल इंजीनियरी यांत्रिक इंजीनियरी (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) आर धातु कार्य इंजीनियरी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के उच्च पाठ्यक्रम जिनको पूरा करने पर मास्टर ऑफ टेक्नालाजी की डिग्री दी जाती है।

राइगपुर मास्टर ऑफ टेक्नालाजी इन माइनिंग—दो साल का उपाधि पाठ्यक्रम। दो साल का पाठ्यक्रम जिसकी समाप्ति पर मास्टर ऑफ एम सी० पी और मास्टर ऑफ रीजनल प्लानिंग की उपाधि दी जाती है। ये दोनों योजना पाठ्यक्रम भूतपूव एम० टेक० उपाधि और प्रादेशिक योजना (रीजनल प्लानिंग) के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के स्थान पर चालू किए गए हैं। विद्युत कृषि (इलेक्ट्रिकल टैगन) और दुग्धदाता इंजीनियरी का एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

मद्रास द्रव इंजीनियरी (हाइड्रोलिकस) मदा यांत्रिकी और नाव इंजीनियरी (मार्इन मेकनिक एण्ड फाउंडेशन इंजीनियरिंग) और संरचना इंजीनियरी (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) के दो साल के उपाधि पाठ्यक्रम। यांत्रिक इंजीनियरी (मेकेनिकल इंजीनियरिंग) में दो साल का एम टेक० उपाधि पाठ्यक्रम। इलक्ट्रानिकी (इलक्ट्रानिकस) माप गति प्रणाली (मैजरमट पावर सिस्टम)। रासायनिक इंजीनियरी (केमिकल इंजीनियरिंग) में दो साल का उपाधि पाठ्यक्रम।

३२. अनुदान और ऋण : पञ्चवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए १९६७-६८ के दौरान १४ करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मजबूरी राज्य सरकारों और इंजीनियरी तथा शिल्पविज्ञान संस्थाओं को दिए जाने की आशा है। यह भी आशा की जाती है कि छात्रावासों के निर्माण के लिए ३९१ लाख रुपये के ऋण दिए जायेंगे।

३३. वित्तीय व्यवस्था : सन् १९६७-६८ और १९६८-६९ के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए की गई वित्तीय व्यवस्थाओं का व्यौरा इस प्रकार है

(लाख रुपये में)

१९६७-६८ के लिए व्यवस्था	२९४७
१९६७-६८ के लिए पुनरीक्षित अनुमान	२८०२
१९६८-६९ के लिए वजट अनुमान	२६६६

वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने अनुसन्धान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देकर वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम इस वर्ष भी जारी रखा। भारतीय सर्वेक्षण और अन्य तीन वैज्ञानिक सर्वेक्षण—वनस्पति, प्राणिविज्ञान और मानव विज्ञान—सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य जारी रहा और उनके अपने-अपने कार्यक्रम विकसित होते रहे।

(क) वैज्ञानिक अनुसन्धान

वैज्ञानिक और अनुसन्धान निकायों को प्रोत्साहन : वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षा मन्त्रालय ने अनेक गैर-सरकारी वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थानों, संस्थाओं, वैज्ञानिक अकादमियों और समितियों के अनुरक्षण और अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए अनुदान देने का काम जारी रखा। वैज्ञानिक निकायों को सक्रिय अनुसन्धान कार्य में विस्तार करने, वैज्ञानिक पत्रिकाओं और साहित्य का प्रकाशन करने, सम्मेलनों, सगोष्ठियों और विचार गोष्ठियों का आयोजन करने, अनुसन्धान अधिवृत्तियों की व्यवस्था करने, उपस्कर और फर्नीचर तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने और प्रयोगशालाएँ निर्माण करने के लिए ये अनुदान दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय समितियाँ : निम्नलिखित विषयों सम्बन्धी राष्ट्रीय समितियाँ इस वर्ष भी अपना कार्य करती रही (१) शुद्ध तथा अनुप्रयुक्त भौतिकी, (२) रेडियो विज्ञान, (३) भू-गणित और भौतिकी, (४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष, (५) समुद्री अनुसन्धान, (६) जीव-रसायन, (७) स्फाटिकी, (८) विज्ञानों का इतिहास, (९) भूगोल, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्रव विज्ञान सम्बन्धी दशक, (११) जीव विज्ञान, (१२) वैज्ञानिक सघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्, (१३) अन्तर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन सघ। सामान्यतया समितियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ये बातें हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकलापों की योजना बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना, उनमें तालमेल रखना तथा उनका विस्तार करना और संबंधित क्षेत्रों के अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोवेंसर डा० गी० पी० रमा प्रो० एम० एन० बाग डा० पी० वी० बाण डा० डी० एन० धादिया डा० वी० आर० गनोवन् डा० गुणीनि कुमार चर्जी और डा० एस० आर० रगनाथन् राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोग्राम का मूलाधार करते रहे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया

क्र०	प्रथम	प्रयोगशाला/स्थान
स०		
१	विद्युत विद्युत्पी लोह चूण (इन्क्यूबेटर आधारन पाउडर)	मद्रास इन्क्यूबेटर रिग इन्स्टीट्यूट कराकुडी ।
२	हाइड्र पाउडर	मद्रास एंड रिग इन्स्टीट्यूट मद्रास ।
३	शेफील्डर नेड के लिए सान चक्र	मद्रास एंड रिग इन्स्टीट्यूट रिगच इन्स्टीट्यूट बनारस ।
४	शीगा तथा क्लोमेल विद्युत् मापी (ग्रास एण्ड कन्सोमल इन्वेस्ट्रोट मीटर)	मद्रास एंड रिग इन्स्टीट्यूट रिगच इन्स्टीट्यूट बनारस ।
५	४ पाइन् रेजिस्टिविटी प्राब	मद्रास इन्वेस्ट्रानिक्म इन्जीनियरिंग रिगच इन्स्टीट्यूट पितानी ।
६	एस० आर आई० इन्विट्रानिक् माइस्चर मीटर	जीराम इन्स्टीट्यूट दिन्नी ।
७	यान टगन मीटर	वज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की योजना के अंतर्गत जीराम इन्स्टीट्यूट मे ।

अन्तर्राष्ट्रीय वज्ञानिक सघ भारत इस मन्त्रालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय वज्ञानिक परिषद् (इन्टरनेशनल काँसिल आफ साइंटिफिक यूनियंस) तथा १६ अन्तर्राष्ट्रीय सघों और संस्थानों आदि का सदस्य बना रहा ।

इन सघों का सदस्य होने के कारण हमें वज्ञानिक साहित्य प्राप्त होना रहा है जिससे देश के वज्ञानिक समूहों को अर्थ देगा में होने वाले आधुनिकतम वज्ञानिक विकास से परिचित होने में सहायता मिली है । यह निणय किया गया है कि एक समिति जिन्म राष्ट्रीय सघटन एक्क (राष्ट्रीय समितिया) के अध्यक्ष हाने निसि (NISI) के तत्वावधान में अब में अन्तर्राष्ट्रीय वज्ञानिक सघ परिषद् और उससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वज्ञानिक सघों के मलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

स्थलाकृतिक और विकास परियोजना सर्वेक्षण सन् १९६७-६८ के दौरान विभाग के दोष कमचारिया में से ६५ से ७ प्रतिशत कमचारी स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (जिसमें रक्षा मन्त्रालय तथा विन्म मन्त्रालयों के लिए सर्वेक्षण भी शामिल हैं) में सलग्न रहे और नैप कमचारी चौथी पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिए गए विकास परियोजना सर्वेक्षणों में

व्यस्त रहे। कोलवो योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण-कार्य नेपाल में भी शुरू किया गया। इस अवधि में १५०,००० के पैमाने पर १,५१,४०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का १२५,००० के पैमाने पर ४,००० वर्ग कि० मी० का, १२५०,००० के पैमाने पर ४,६४,८०० वर्ग कि० मी० का क्षेत्र और फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण तथा ३७ अन्य बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं का सर्वेक्षण पूरा किया गया।

आदिम जातिय और जातियो से सम्बन्धित छ पुस्तको की सूक्ष्म फिल्म तैयार की गई और पाच अभिलेखो तथा पुस्तको की सूक्ष्म फिल्मो का दुवारा मुद्रण किया गया।

फोटोग्राफी खण्ड ने राजस्थान की कुवि कध और कनिक्कर आदिम जातियो और फ़ैजरगज के मत्स्य पालको के चार चित्र-अल्वम पूरे कर लिए हैं। भील, कोकू, कोलम और परग आदिम जातियो के अल्वम तैयार किये जा रहे हैं और वेगा, मारिया गोड और मैमूर की दस्तकारी सम्बन्धी अल्वमो का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग

खोज : सितम्बर-अक्टूबर, १९६७ के दौरान सर्वेक्षण विभाग के उत्तरी सर्कल का एक अधिकारी गगोत्री खोज अभियान दल के साथ गया। इस अभियान दल का गठन केदारनाथ पर्वत अभियान समिति ने गगोत्री हिम नदी और आस-पास के क्षेत्रों की खोज के लिए किया था। सर्वेक्षण दल ने इस अवसर से लाभ उठाया और गगोत्री हिम नदी, तपोवन, गिर्वर्लिंग तलहटी और हिम नदी के क्षेत्र से पीघो के नमूने एकत्र किये। यह क्षेत्र केदारनाथ गुम्बन्द के अन्तर्गत ५,४९० मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस अवसर पर कुल २३५ जाति के १,३७५ नमूने एकत्र किये गये।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग

क्षेत्र सर्वेक्षण . भूटान से पक्षियों, कीटाणु आदि एकत्र करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूटान, वुरजहोम के नवपाषाण युगीन अवशेषों से पजर-अवशेष एकत्र करने के उद्देश्य से वुरजहोम (जम्मू और कश्मीर राज्य) तथा पशु अवशेष जमा करने के लिए नागपुर तथा उसके आस-पास सर्वेक्षण कार्य किया गया। गोआ, छोटा नागपुर (बिहार) तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में इस वर्ष त्वरित क्षेत्र सर्वेक्षण भी होता रहा।

क्रम	याजना का नाम	१९६७-६८ का निगम व्यय		१९६६-६७ का व्यय का बकाया
		मूल	पुनर्गीत	
		₹ ४०	₹	₹ १०
१	२	₹	₹	
१	वैज्ञानिक समितियाँ और संस्थानों को सहायक अनुदान	₹ ६७४०	₹ १७७०	₹ ३३०
२	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोपेसर (१) वेतन की अदायगी (२) अनुसंधान काम पर खर्च	₹ ३२०	₹ ६००	₹ ६६१०
३	विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आर्थिक वित्तीय सहायता	₹ २०००	₹ ००	₹ १७००
४	वैज्ञानिक सम्पन्न मन वृत्त	₹ ६०	₹ ००	₹ ६१०
५	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	₹ ६६०	₹ १०००	₹ १७०००
६	अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच	₹ ५०	₹ २०	₹ १००
७	वैज्ञानिक तथा अन्य निष्ठमठों के गहन-कार्य संस्था पर मंच	₹ ००	₹ ००	₹ २०००
८	विज्ञान मन्दिर	₹ ००००	₹ २०००	₹ २०००

६	श्रीष्मकालीन स्कूल	४०,०००	३५,०००	४५,०००
१०	विज्ञान को लोकप्रिय बनाना	—	४,५००	—
११	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	५,०४,३०,०००	४,७८,३४,१००	५,३८,४७,३००
१२	राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन	११,८०,०००	९,५९,२००	११,२४,०००
१३	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	१७,८३,०००	१६,००,४००	१९,६५,४००
१४	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग	३४,४०,०००	३३,६७,०००	३९,१०,८००
१५	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग	२९,६२,०००	२८,७६,७००	३२,९०,९००
१६	वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्तवियों का पारस्परिक आदान-प्रदान			२९,०००	२९,०००	३५,०००
१७	भूविज्ञान और खनिज साधनों की राष्ट्रमण्डल समिति के खर्च में आशदान			२८,२००	३९,०००	२४,०००
१८	नफील्ड फाउण्डेशन वरसरीज योजना			७,०००	६,०००	६,०००

६ ग्रीष्मकालीन स्कूल	५०,०००	३५,०००	४५,०००
१० विज्ञान को लोकप्रिय बनाना	—	४,५००	—
११ भारतीय सर्वेक्षण विभाग	५,०४,३०,०००	४,७८,३४,१००	५,३८,५७,३००
१२ राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन	११,८०,०००	६,५६,२००	११,२४,०००
१३ भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	१७,८३,०००	१६,००,४००	१६,६५,४००
१४ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग	३४,४०,०००	३६,६७,०००	३६,१०,८००
१५ भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग	२६,६२,०००	२८,७६,७००	३२,६०,६००
१६ वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्तियों का पारस्परिक आदान-प्रदान	२६,०००	२६,०००	३५,०००
१७ भूविज्ञान और खनिज साधनों की राष्ट्रमण्डल समिति के खर्च में अशदान	२८,२००	३६,०००	२४,०००
१८ नफील्ड फाउण्डेशन वरसरीज योजना	७,०००	६,०००	६,०००
			२०
			२०
			५०

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

१६ मार्च १९६७ से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार डा. प्रिगुण सेन ने श्री फारूकीन जनी अहमद से ग्रहण कर लिया।

इस वर्ष के दौरान परिषद् के आधीन ३० राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और दो औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय सप्रधानय कार्य कर रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं में से कुछ नये विस्तार सेल प्रभाग अथवा स्वयं बनाये गए थे। इनमें से सम्मिलित हैं (१) सी. बी. आर. आई. विस्तार सेल अहमदाबाद (२) सी. ई. ई. आर. आई. टेलीविजन विस्तार केन्द्र दिल्ली (३) एस. ई. आर. सी. क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास (४) सी. एस. एम. गी. आर. आई. क्षेत्र यूनिट मद्रास (५) एन. जी. आर. आई. भूकम्प विज्ञान वेधशाला हैदराबाद (६) सी. जी. सी. आर. आई. ट्रसर प्रयोगशाला और (७) आर. आर. एन. डिजिटल कम्प्यूटर केन्द्र।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण सप्लाय चण्डीगढ़ की प्रयोगशालाओं और वरुणापो का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन ने २८ दिसम्बर १९६७ को किया।

भटनागर स्मारक पुरस्कार परिषद् के शासी निवाय में निम्नांकित विद्वानों को १९६५ के दार्ति स्वरूप भटनागर स्मारक पुरस्कार देने का अनुमोदन किया।

- (१) भौतिकी विज्ञान प्रो. बी. रामचंद्र राव अध्यक्ष भौतिकी विभाग आंध्र विश्वविद्यालय।
- (२) इजीनियरी विज्ञान जी. ए. एस. राव निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप तथा निदेशक विकिरण सुरक्षा निदेशालय ए. ई. ई. टी।
- (३) रासायनिक विज्ञान (क) प्रो. आर. सी. मेहरोत्रा रसायन सहाय के. डी. राजस्थान विश्वविद्यालय (ख) प्रो. साधन वसु रसायन के. पणित प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय।
- (४) चिकित्सा विज्ञान (क) डा. एन. के. दत्त हाफकाउन इस्टीट्यूट बम्बई (ख) डा. बी. राम लिंग स्वामी आल इण्डिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली।

अनुसंधान के लिए सहायता वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परिषद् ने उद्योगों द्वारा अनुसंधान सभों की माफत उद्योगों को वित्तीय सहायता देना जारी रखा। १९६७-६८ के दौरान इस प्रकार के ११ अनुसंधान सभ काम कर रहे थे—३ सूती कपड़ा उद्योग से लिए और रैगम तथा कृत्रिम रैगम प्लाइवुड ऊन डूट चाय सीमेन्ट रागम तथा रबर उद्योग के लिए एक एक।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से दो अनुसंधान करने में वर्ष के दौरान काम किया। ये अनुसंधान केन्द्र हैं—भूकम्प इजीनियरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल रुहनी तथा विरल जल रसायन तयार करने वाला के. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इस्टीट्यूट दिल्ली। भूकम्प इजीनियरी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण स्कूल ने भूकम्प कटिबंध में बहुद्रीय नदी घाटी तथा अन्य परियोजनाओं की योजना डिजाइन तथा निर्माण का काम किया।

वित्तीय व्यवस्था : परिपद के लिए वित्त व्यवस्था इस प्रकार थी

	(१९६७-६८)		१९६८-६९
	मूल	पुनरीक्षित	वजट प्राक्कलन
	(रुपए लाखो मे)		
आवर्ती	१२०३.११	१२२०.८८	१३३०.०५
पूजी	६५७.५३	६४८.०२	६६६.४९
कोलम्बो योजना	१०८	२८४	३.५१
टी सी ए कार्यक्रम	१७६	—	—

छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना : योग्य छात्रों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिये यह योजना १९६१-६२ में शुरू की गई थी। प्रारम्भ में पहले वर्ष २,४०० छात्रवृत्तियों दी गईं तथा सन् १९६७-६८ में इन्हीं छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर ७,००० हो गई और यदि उपयुक्त राशि उपलब्ध हो तो छात्रवृत्तियां १९६८-६९ में भी देने का प्रस्ताव है।

संपूर्ण भारत के परीक्षा लेने वाले विभिन्न निकायों द्वारा ली जाने वाली अनुमोदित परीक्षाओं के लिए इन छात्रवृत्तियों का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। इसके लिए योग्यता सूची में सब से ऊपर के छात्र चुने जाते हैं तथा परीक्षा-परिणामों की घोषणा होने के साथ-ही-साथ उनके नाम भी घोषित कर दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना यह योजना पहले-पहल १९६३-६४ में शुरू की गई थी। इस योजना में जरूरतमन्द और योग्य छात्रों को अनुमोदित पाठ्यक्रम की समाप्ति तक के लिए बिना व्याज के ऋण-छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई है। ऋण की अधिकतम सीमा शिक्षा के स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। यह ऋण मासिक किस्तों में वसूल किया जाता है और ये किस्ते ऋण लेने वाले छात्र का काम लग जाने के एक वर्ष बाद या छात्रवृत्ति की समाप्ति के तीन वर्ष बाद, जो भी पहले हो, शुरू होती है। ऋण लेने वाले जो छात्र अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद अव्यापन-व्यवसाय अपना लेते हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष सुविधा दी जाती है। इन व्यक्तियों के मामले में सेवा के हर वर्ष के लिए ऋण का १/१० भाग वट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

सन् १९६६-६७ में, १८,५०० नई छात्रवृत्तियां दी गईं। द्रव्य की कमी के कारण १९६७-६८ में छात्रवृत्तियों की यह संख्या घटकर १४,८२५ रह गई। सन् १९६८-६९ में छात्रवृत्तियों की संख्या यही होगी। ये छात्रवृत्तियां विभिन्न राज्यों और सघशासित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से बांटी जाती हैं।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये छात्रवृत्तियां अध्यापकों द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता देने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के विचार से ये योजना १९६१-६२ में शुरू की गई थी। अध्यापकों के जो बच्चे स्कूल शिक्षा-समाप्ति या विश्व-विद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम परीक्षा में कम से कम ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं वे ही इस

छात्रवृत्ति देने पाने के पात्र होते हैं। इसके लिये योग्यता-सूची में सबसे ऊपर के छात्र चुन जाते हैं। सन १९६६-६७ में ७२० नई छात्रवृत्तियाँ दी गईं। किंतु सन १९६७-६८ में द्रव्य की कमी के कारण छात्रवृत्तियों की यह संख्या घटकर ४१२ रह गई। सन १९६८-६९ में भी इतनी ही छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है।

आवासी और पब्लिक स्कूलों के लिए छात्रवृत्तियाँ यह योजना उन लोगों को अर्द्धी चीनरफा स्कूली शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो श्रम या ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकत। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष २० नई छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था है। सन १९६७-६८ के लिए २० छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था है। सन् १९६७-६८ के लिए २०० छात्रवृत्तियों के लिए चुनाव भी ही पूरे कर लिए जायेंगे। सन १९६८-६९ में भी इतनी ही छात्रवृत्तियाँ दिये जाने का प्रस्ताव है।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियाँ इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान युवा व्यक्तियों को हिंदुस्तानी संगीत (गायन और वाद्य) कर्नाटक संगीत (गायन और वाद्य) पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत रवींद्र संगीत लोक संगीत भरतनाट्यम कुचिपुडी कथक मणिपुरी जोड़िसी लोकनृत्य नाटक और ललित कलाओं अर्थात् चित्र कला मूर्तिकला पुस्तक निष्पत्ति और डिजाइन में उच्च प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष २५ छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ और अन्य शैक्षिक सुविधाएँ जसा कि इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है इसके अंतर्गत राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं।

विदेशों में अध्ययन के लिए भारतीय राष्ट्रियों को छात्रवृत्तियाँ

भारत सरकार की योजनाएँ

विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना इस योजना के लिए अधीन भारतीय राष्ट्रियों को विदेशी भाषाओं में विद्यापन प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण १९६४-६५ से यह योजना सश्रिय रूप से जारी नहीं रखी जा सकी है। वज्र में व्यवस्था पन्न की टोनिया के उही विद्यापिया की छात्रवृत्तियाँ के लिए की गई है जो अब भी विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं।

सघीय क्षेत्र समुपार छात्रवृत्तियाँ इस योजना के अंतर्गत उच्च अध्ययन के लिए उन व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था है जो जन्म या अधिवास से सघीय क्षेत्रों में निवासा है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पहल की तरह यह योजना १९६६-६७ से रकी रही। वज्र में व्यवस्था पहल की टोनिया के उही विद्यापिया के लिए की गई है जो अब भी विदेशों में हैं।

आंगिक विदेशी सहायता (ऋण) योजना इस योजना के अधीन ऋण उन समुपार तथा शिक्षा की दृष्टि में प्रवीण छात्रों का उनका भाग-व्यय तथा अन्य प्राथमिक ऋणों के लिए शिक्षा प्राप्त है जो विदेशों में विद्यालय आदि में उन विषय क्षेत्रों में दाखिला पा चुके हैं जिनके लिए पन्न सुविधाएँ भारत में नहीं हैं। १९६७-६८ के दौरान एम ऋण २७ छात्रों को दिए गए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित अदिम जातियों आदि के लिए छात्रवृत्तियां

भारत मे मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो, अनुसूचित यायावर (खानाबदोश) और अर्ध-यायावर कवीलो तथा कम आमदनी वाले वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है। इस योजना को राज्य सरकारें तथा सघशासित क्षेत्रों के प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलाते हैं। सभी पात्र छात्रों को विहित साधन परीक्षा के बाद ही तथा उपलब्ध द्रव्य के अनुसार ही मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती है। यह योजना पहली जनवरी, १९६८ को शिक्षा मन्त्रालय से लेकर समाज-कल्याण विभाग को सौंप दी गई है।

अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिम जातियो आदि को समुद्र पार छात्रवृत्तियां इस योजना के अन्तर्गत १९६७-६८ मे पिछडी जातियो के सवधित वर्गों के छात्रों को विदेशो मे अध्ययन के लिए नौ छात्रवृत्तिया मिलीं। कुछ चुने हुए उम्मीदवार भारत से जा चुके हैं और अन्य शीघ्र ही विदेश रवाना हो जायेगे। इतनी ही छात्रवृत्तिया १९६८-६९ मे भी दिये जाने का प्रस्ताव है, अर्थात् ४ अनुसूचित जातियो के छात्रों को, ४ अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रों को तथा १ अनुसूचित यायावार (खानाबदोश) और अर्धयायावार जातियो के छात्रों को।

अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियो आदि के लिए मार्गव्यय अनुदान इस योजना के अन्तर्गत नौ मार्गव्यय अनुदान दिये जाते हैं जिनमे से चार अनुसूचित जातियो के छात्रों को, चार अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रों को तथा एक अनुसूचित यायावार और अर्ध-यायावार जातियो के छात्रों को दिये जाते है। ये मार्गव्यय अनुदान ऐसे छात्रों को दिये जाते हैं जिन्हें विदेशो मे अध्ययन के लिए ऐसी छात्रवृत्तिया मिली हो जिनमे मार्गव्यय के लिए अनुदान न दिया गया हो तथा जो अपने ही माधनो से इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं। सन् १९६७-६८ मे पाच व्यक्तियों को मार्गव्यय अनुदान दिये गये। सन् १९६८-६९ मे भी ऐसे ही ९ मार्गव्यय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।

योजना का नाम	वज्रट प्रावकलन ₹६६७ ६८	मुनरीसित प्रावकलन ₹६६७ ६८	वज्रट प्रावकलन ₹६६८ ५६
१ सामा य सांस्कृतिक एगनवृत्ति योजना	२७००० ०	२४५०० ०	२७५ ०
२ विदनी छाया के विल अग्रनी म विंग पाठयक्रम	४५ ०	४५००	४५०
३ इण्टरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस बनवता	—	—	५०००
४ सप नागित क्षेत्र समुद्र पार एगनवृत्तिया	१३२ ०	६४० ०	५००००
५ विदनी भाषा छात्रवृत्ति योजना	२२००	२३०००	१००
६ हिन्दी म अट्रिव उत्तर छाया के लिए अहिदीभाषी सायो स छात्र वृत्तिया (साजनागत) (योजनेतर)	४० ०० ६ ० ०	२६५ ०० ६०००००	७०० ६२७०००
७ इण्टरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस विली प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापको के बन्धो के लिए योग्यता छात्र वृत्तिया (योजनागत) (योजनेतर)	१० ० ० १३६५०००	७२५००० १२० ००	१३६८०० १ ०० ०
६ —बही—सप नागित क्षेत्र (योजनागत) (योजनेतर)	४५०० १८ ००	२०० ० १७०००	१५ १० ००

५०
५०

१०	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	१,२४,४०,०००	५०,००,०००	१,६३,००,०००
	(मोचनाम)	६६,००,०००	६०,००,०००	१,२६,००,०००
११	राज्यीय (मध्य राज्य क्षेत्र) (मोचनाम)	१,५५,०००	१,००,०००	३,४०,०००
	(मोचनाम)	३६,०००	३०,०००	२४,०००
१२	(मध्य) (मोचनाम)	२,४२,००,०००	२,३५,६०,०००	३,४५,२२,०००
	(मोचनाम)	२,५६,३७,०००	२,५६,२७,०००	२,२१,३५,०००
१३	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	—	१,७१,०००	२,७५,०००
	(मोचनाम)	१,२१,०००	१,६६,०००	१३,२०,०००
१४	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	४,६०,०००	२,२५,०००	४०,१०,०००
	(मोचनाम)	१,२५,०००	१,०१,०००	१,०६,०००
१५	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	५०,००,०००	४६,६०,०००	४०,००,०००
१६	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	५०,०००	४६,६००	५०,०००
	(मोचनाम)	३०,०००	२६,०००	५,०००
१७	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	११,५००	११,५००	११,५००
१८	राज्यीय व्यवस्थापिका (मोचनाम)	२५,०००	२५,०००	२५,०००

समाज शिक्षा

समाज (प्रौढ) शिक्षा क्षेत्र की आधारभूत बात प्रौढ साक्षरता है और इसके क्षेत्रीय कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और सघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनो पर है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का कार्य है—इन कार्यक्रमों को समन्वित करना, सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना तथा मार्गदर्शी परियोजनाओं को संचालित करना।

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण के पिछले वर्षों में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों का समेकन और विस्तार १९६७-६८ के दौरान किए गए कार्यक्रमलापो की भी प्रमुख विशेषता बने रहे।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर : यह कालेज छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करता रहा।

राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान : सन् १९६७-६८ का राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान देश भर में नवम्बर, १९६७ से जनवरी १९६८ तक चलाया गया। १९६६-६७ के अभियान में ९ लाख व्यक्ति शामिल हुए जबकि १९६७-६८ के अभियान के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें सम्मिलित होने वालों की संख्या १५ लाख रही।

शारीरिक योग्यता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की सातवीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता लक्ष्मीबाई कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर में आयोजित की गई। इसमें ४६ प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिनमें ११ स्त्रियां भी थीं। १५ व्यक्तियों को शारीरिक योग्यता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें ५ स्त्रियां भी थीं।

योग को प्रोत्साहन इस योजना के अन्तर्गत अनुसंधान और/या अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप वाली योग-संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष में इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों की राशि २ लाख रु० होने की संभावना है।

खेलकूद

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् एक सलाहकार निकाय है जो भारत सरकार को देश में खेलकूद के विकास से संबंधित सभी मामलों में सलाह देने के लिए स्थापित की गई है।

तारीख १८ अक्टूबर, १९६७ से एक वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का पुनर्गठन किया गया तथा जनरल के० एम० करिअप्पा इनके अध्यक्ष बनाए गए।

युवक कल्याण कार्यक्रम

स्काउट और गाइड प्रशिक्षण योजना इस योजना का उद्देश्य सड़के-नदरिया व चारित्रिक विकास में सहयोग देना स्काउट और गाइड कार्य का प्रशिक्षण देकर उन्हें अच्छे नागरिक बनाना और इस प्रकार उनमें निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति सद्भावना उत्पन्न करना है।

भारत स्काउट्स और गाइड्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्वयंसेवक संगठन है। यह स्काउटिंग और गाइडिंग के सभी कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। उन्हें अपने संगठनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है तथा अनुमोदित मंत्र, जैसे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जवूरियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए यह सहायता कुल व्यय का ७५ प्रतिशत तक दी जाती है। ३ लाख रु० (योजनागत) और १०,००० रु० (योजनेतर) की बजट व्यवस्था में से ७२,६८२ रु० (योजनागत) और ५,००० रु० (योजनेतर) के राशि की मजूरी भारत सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष संगम उपसमिति गल गाइडों और बालिका स्काउटों के विश्व एसोसिएशन का एगियाई बेडर नई दिल्ली को ३१,१२,१६६६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संगम उपसमिति द्वारा दिए गए संगठनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए ६,००० रु० की तथा पूना में भवन निर्माण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त सरकारी योगदान के रूप में १,५०,००० रु० की मजूरी भारत सरकार ने और दी।

युवक कल्याण बोर्ड और समितियाँ इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय वानज के छात्रों में युवक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा उनकी दायरे के लिये युवक कल्याण बोर्ड और समितियाँ के गठन के लिए दश के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रयोजन यह है कि छात्रगण सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने छात्रों समय का सदुपयोग कर सकें। चालू वर्ष में इसके लिए ३०,००० रु० की बजट-व्यवस्था है।

युवक नेतृत्व और नायक प्रशिक्षण शिविर इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/वानजा के अध्यापकों को अपने-अपने विश्वविद्यालय/कानेजा में युवक कल्याण कार्यक्रमों को सगठन की तकनीक में अत्यंत आवश्यक अल्पकालीन प्रशिक्षण देना है। यह योजना मंत्रालय द्वारा सीधे तथा विश्वविद्यालयों व माध्यम से भी कार्यान्वित की जाती है।

विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले शिविर विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित शिविर स्थायी प्रकार के होते हैं। जिन अध्यापकों को मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले शिविरों में प्रशिक्षण का नाम नहीं मिल पाता उन्हें भी प्रशिक्षण देकर मंत्रालय के प्रयासों को पूरी तरह संपन्न बनाना और उनका विस्तार करना ही इन शिविरों का प्रयोजन है। इसके लिए मंत्रालय कुल व्यय का ७५ प्रतिशत सहायक अनुदान देता है किन्तु इस अनुदान को राशि एक शिविर के लिए अधिक से अधिक ३,००,००० रु० होती है। चालू वर्ष में इसके लिए २७,००,००० रु० की बजट-व्यवस्था है।

अज्ञात कार्य परियोजनाओं की योजना इस योजना का उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं में

मनोरजन-व-सभाकक्षो, तैरने के तालाबो, व्यायाम शालाबो, खुले रगमचो, मडपो, छोटे स्टेडियमो, और सिंडर ट्रैको आदि की अत्यावश्यक सुविधाबो को जुटाना है ।

श्रम और समाज सेवा शिविर इस प्रकार के शिविरो का उद्देश्य छात्रो और दूसरे युवको मे शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना तथा उन्हे ग्राम्य जीवन के सम्पर्क मे आने और सामुदायिक विकास खण्डो के कार्यों मे भाग लेने का अवसर प्रदान करना है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना १९६२ मे राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किये जाने के बाद कालेजो और विश्वविद्यालयो मे पढने वाले सभी छात्रो के लिए अगस्त १९६३ से राष्ट्रीय कैंडेट कोर अनिवार्य कर दिया गया । इस समय भारत सरकार विश्वविद्यालय के छात्रो के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप मे एक राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू करने के उपायो और साधनो पर विचार कर रही है ।

भारतीय भाषाएं

सविधान मे १४ भाषाबो को 'राष्ट्रीय भाषाएं' स्वीकार किया गया है । ये हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत । ऐसा एक मत है कि इस मान्यता का कोई आस्त्रीय या वैज्ञानिक आधार नहीं है ।

भारत राष्ट्र की भाषा—राष्ट्र भाषा—हिन्दी घोषित की गई, परन्तु सविधान ने इसे 'राजभाषा' कहा । अब यह राजभाषा भी नहीं, 'सम्पर्क भाषा' (लिंग लैंग्वेज) कही जाती है । हिन्दी विश्व के अनेक स्थानो मे बोली जाती है ।

सविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत उपबन्ध हे कि देवनागरी मे लिखी हिन्दी भारत-सघ की भाषा होगी । किन्तु नागरी अको का व्यवहार नहीं किया जाएगा । इनकी जगह रोमन अक होंगे इससे हिन्दी का महत्व गिरा है तथा नागरी लिपि के पूर्णज्ञान मे बाधा आई है । हिन्दी का लिपि-सौन्दर्य भी इससे विगडा है ।

सविधान के लागू होते ही हिन्दी भारत की राजभाषा नहीं हुई । २६ जनवरी, १९६६ तक की अवधि इसके लिए रखी गई थी, समझा गया था कि १५ साल मे हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख लेंगे । परन्तु गणराज्य आरम्भ होने पर, प्रथम राष्ट्रपति के बार-बार कहने पर भी किसी एक मंत्रालय, विभाग या अनुभाग मे हिन्दी के व्यवहार का श्री गणेश नहीं किया गया । सेना के आदेश अवश्य अभी हिन्दी मे तैयार किए गए । निरक्षर सैनिको को हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी गई । अन्वो को भी हिन्दी जानने के लिए कहा गया । पर इसका फल आगानुकूल न निकला ।

१९६३ मे राजभाषा अधिनियम १९६३ बनाकर हिन्दी को राजभाषा होने से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया । इससे अंग्रेजी का भारत मे अनिश्चित काल तक प्रभुत्व स्वत मिट्ट हो गया । इससे हिन्दी का भविष्य अन्वकारमय हुआ । २६ जनवरी, १९६६ को हिन्दी के राजभाषा होने की घोषणा होनी थी पर उम अधिनियम ने ऐसा न हो सका । हिन्दी भाषी राज्य भारत सरकार मे हिन्दी मे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, परन्तु उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद सलनन करना आवश्यक है ।

उद्गम

भारतीय भाषाएँ चार परिवारों से आती हैं—(१) आय परिवार (भारतीय) (२) द्रविड परिवार (३) एकाक्षरी-परिवार—(क) स्यामी चीनी (ख) तिब्बती बर्मी (४) आस्ट्रिक एणियाटिक ।

१ आय परिवार इस परिवार की मूलभाषा—वदिक सस्कृत है । इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र प्रायः उत्तरी भारत है । वदिक सस्कृत से हिन्दी तथा इसके विकास पथ तक इसका इतिहास है । भारत में इस परिवार की तीन भाषाएँ हैं— ईरानी, दरद और भारतीय । ईरानी के अनेक शब्द उन्नीसवीं सदी बोली में हैं पर यह (ईरानी) बोली नहीं जानी । दरद भाषा को पन्जाबी भी कहा गया है । ऐसा मत है कि पन्जाबी का प्रभाव नहदा सिंध पंजाब और कोकणी मराठी पर है और कश्मीरी भाषा का विकास भी पन्जाबी अपभ्रंश से माना जाता है । दक्षिणी भारत में काकणी भाषा आय-परिवार की सदस्य है । १०वीं सदी से वर्तमान आय भाषाओं का विकास हुआ ।

भारत में इस परिवार की भाषाओं के उद्गम के सम्बन्ध में आर्यों के मूल-स्थान और वेदों के काम को लेकर विभिन्न मत हैं ।

२ द्रविड परिवार आय भाषा परिवार के बाद इसी का महत्व है । इस परिवार में भारत के दक्षिण प्रायद्वीप की भाषाएँ हैं । तमिल, तेलुगू, कन्नड तथा मलयालम मुख्य भाषाएँ हैं । आय भाषाओं में तुलु, कोडागु, टोन्डा, कोटा, गाड, खोड, उराव और रजमहन हैं । ये बोलियाँ और भाषाएँ भारत के उत्तरी पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भागों मानावार तट युग (मानावार तट के साथ सटा हुआ) नीलगिरी पर्वत मध्य भारत उत्तर पश्चिमी उड़ीसा तथा राजमहन पहाड़ियों में बोली जाती हैं । इस परिवार की भाषाओं में तमिल सर्वाधिक उन्नत है तथा इसमें ईसा की ८वीं सदी से साहित्य रचा जा रहा है । दूसरा स्थान मलयालम का है । मलयालम तमिल की पुत्री मानी जाती है जो ईसा की ९वीं सदी में इसमें पृथक् हो गयी । इसका भी साहित्य अच्छा है । इसमें सस्कृत के प्रभाव अधिक हैं । दक्षिण भाषाओं में यह आय-परिवार के निकट है । कन्नड मसूर की भाषा है । इसका वाक्य तथा साहित्य भी प्राचीन है और लिपि तनुगु से मिलती है । तनुगु दक्षिण-पूर्वी भारत में बोली जाती है । जनसंख्या की दृष्टि से यह इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा है ।

एकाक्षर परिवार इस तिब्बती चीनी परिवार भी कहते हैं । चीनी भाषा भारत में नहीं बानी जाती परन्तु तिब्बती बर्मी भाषा का प्रयोग उत्तरी भारत के पर्वतीय प्रदेशों में होता है । इसकी तीन गाराएँ हैं— तिब्बती हिमालय, असमात्तरी तथा अमम-बर्मी । तिब्बती हिमालयी भाषा में तिब्बन की मुख्य भाषाएँ तथा हिमालय के उत्तरी अंचल की छोटी-छोटी बोलियाँ हैं । नदास तथा कश्मीर में इस प्रकार की बोलियाँ हैं । गाला में बर्मी तथा अमम के गीमान क्षेत्र की छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिनमें तुगाई, मिशमी (उत्तर-पूर्वी अमम) पन्थर (मणिपुर) और अब (भूटान के पूर्व में) हैं । असमोत्तरी असम के उत्तरी भाग में बानी जाती है । तिब्बती भाषा की कई उप-बोलियाँ भारतीय सीमा प्रदेश में प्रचलित हैं । नपाव की प्रधान बानी नेवारी भी इसी परिवार से है ।

४ आस्ट्रिक परिवार - इस परिवार की भाषायें समस्त प्रदान्त महासागर के आर-पार तक फैली हुई हैं। इनका विस्तार पूर्व पश्चिम में मेडागास्कर में ईस्टर द्वीप तथा उत्तर-दक्षिण में उत्तरी पजाव से न्यूजीलैण्ड तक है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या कम है। इसके दो स्कन्ध हैं—आग्नेय दक्षीय और आग्नेय द्वीपीय। दूसरे स्कन्ध को मलय-पोलिनेशियन भी कहा जाता है।

भारत में प्रथम स्कन्ध की भाषाएँ बोली जाती हैं पर ये धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। शेष बची भाषाओं के तीन विभाग हैं—मुण्डा और मौन ख्येर या खासी, कोल या निकोवारी तथा भारत में इस परिवार की भाषाएँ अधिकांश वनवासी जातियों में प्रचलित हैं। भारत की कुल आबादी में इन जातियों का अनुपात १३ है। ये जातियाँ मध्य भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के जंगलों और पर्वतों में रहती हैं। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार, इन बोलियों का स्रोत आस्ट्रिक भाषाएँ हैं। इन बोलियों का सम्बन्ध उत्तर-पूर्वी एशिया की बोलियों से जोड़ा जाता है। इस मत के मानने वाले कहते हैं कि इस भाषा-परिवार के लोग भारत में आर्यों से पहले आये। इस सम्बन्ध में विवाद है।

भारत में इस परिवार की भाषाओं में मुंडा प्रधान है। यह पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा मद्रास के गज्जाम जिले तक फैली हुई है। शिमला पर्वत श्रेणी के निकट इसका एक रूप है जो कनावरी कहा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप सावर भाषा है। यह सावरो—जंगली शिकारियों की भाषा है। अन्य महत्वपूर्ण भाषाएँ सथाली (बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम), मुण्डारी (बिहार में राँची जिला तथा आसपास) हैं। मौनखेर अभी तक परिमार्जित तथा साहित्य-सम्पन्न भाषा थी। अब यह स्याम, बर्मा तथा भारत के वनवासियों द्वारा बोली जाती है।

निकोवार भाषा निकोवार द्वीप की है। असम की खासी बोली इससे सम्बद्ध मानी जाती है। भारत में कुछ ऐसी भाषाएँ बोली जाती हैं जिन्हें किसी वर्ण या परिवार में रखना सम्भव नहीं। इनमें एक सुमेरी भाषा है जिसका सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने हडप्पा मोहिंजोदड़ो की सभ्यता से जोड़ा है। अण्डमान द्वीप की “अण्डमानी बोली” ऐसी ही है। दूसरी “गुरुशासकी” या खूजना है। इसका क्षेत्र कश्मीर का उत्तर-पूर्वी भाग माना जाता है।

आधुनिक भारतीय भाषाएँ

हिन्दी

भारत में गंगा-यमुना के बीच के क्षेत्र—मध्य देश—में संस्कृत, पाली तथा शौरसेनी प्राकृत भाषा विभिन्न युगों में थी। आगे चलकर इस प्रदेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ। कालान्तर में बोल-चाल का शौरसेनी का अपभ्रंश हिन्दी के रूप में परिणत हुआ। १४वीं सदी में उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत में जाने लगे और १६वीं सदी में गोलकुण्डा और बीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के आधार पर एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जो दक्कनी कही जाती है। बाद में यह भाषा लौट कर दिल्ली पहुँची। १७वीं सदी के अन्त में इस नई भाषा से भिन्नता प्रकट करने के लिए दिल्ली की बोली को हिन्दुस्तानी या हिन्दोस्तानी नाम दिया गया। १९वीं सदी के प्रारंभ में यह खड़ी बोली कहलाई। कालान्तर में यह हिन्दी के रूप में विकसित हुई।

हिंदी का मूल आधार मेरठ बिजनौर की बोली है। डा० उदय नारायण तिवारी ने हिन्दी की यह परिभाषा दी— ब्रज भाषा और हिन्दुआ द्वारा प्रयुक्त लिपि की वह बोली जिसमें फारसी का प्रभाव नहीं था तथा जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी।

हिन्दी के छ प्रमुख रूप और बोलिया हैं ब्रज अवधि ग्रामीण खड़ी-बोली हिन्दुस्तानी साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू।

एक मत यह भी है हिन्दी कम से कम १६६ विभिन्न बोलिया के मेल से बनी भाषा है।

उर्दू

यह कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं है। वाक्य रचना और व्याकरण इसका हिन्दी के ही समान है। उर्दू की अपनी कोई प्रिया नहीं है। उसमें सवनाम का भी अभाव है। यह अरब फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी है जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुता है।

फारसी लिपि में लिखी जाने वाली दक्षिण की दक्कनी से प्रभावित हिन्दी १७ वीं सदी में मुगल सेनाओं के साथ दक्षिण पहुँची तो वहाँ इसे जवाने उर्दू ए मुअल्ला या ग़ाही तम्बू की भाषा या ग़ाही दरबार की भाषा कहा गया। १८ वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यह शोध होकर जवाने उर्दू और बाद में केवल उर्दू रह गयी। साहित्यिक उर्दू १८ वीं सदी में अस्तित्व में आयी।

संक्षेप में— उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ है शाही पड़ाव। वस्तुतः उर्दू दिल्ली के आस-पास बोली जाने वाली पड़ाव से कुछ प्रभावित वह भाषा है जिसका प्रयोग दिल्ली के शासकगण साधारण ज़ातों से खोज चाल के लिए करते रहे। उर्दू का जन्म शाही पड़ाव या सभो में ही हुआ। यह कभी मुगलों के दरबार की भाषा नहीं रही। मुगल साम्राज्य के पतनकाल के इसका उदय सैनिक छावनियों में हुआ। रहीम ने कविता उर्दू में नहीं खड़ी-बोली में की। इस प्रकार रसखान ने भी हिन्दी—ब्रज को अपनाया।

हिन्दी के विद्वान डा० पदमसिंह गर्मा ने उर्दू को हिन्दी की एक शाखा माना था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि हाली ने भी उर्दू को हिन्दी की एक शाखा कहा।

उर्दू उस समय जम्मू कश्मीर की राजभाषा है।

बंगला

यह पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) और प० बंगाल की भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या ८ करोड़ ८० लाख बताई जाती है।

एसा मत है कि बंगला भाषा का प्रारम्भ कुछ वृष्णवी भक्ति-गीता से हुआ। कुछ उसका प्रारम्भ बौद्धों के रहस्यात्मक गीतों से मानते हैं। आरम्भ १० वीं सदी से माना जाता है। एक मत यह भी है कि बंगला भाषा का प्रारम्भ नवाब धनीशर्मा खाँ के समय हुआ। अजरा के सम्पर्क से इसमें नई दृष्टि और ब्राह्म समाज के कारण नई चेतना आई। राजा राममोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सर मान्देन मधुसूदनदास कविमचन्द्र चन्द्रों रवीन्द्र नाथ ठाकुर शरदचन्द्र त्रिजेतान राय आदि ने इस भाषा को सवारा और

विकसित किया। श्री शरदचन्द्र चटर्जी के समय तक वगला के माध्यम से भारत की आत्मा बोलती थी।

आज का वगला साहित्य भी अपनी विभिन्न विधाओं में काफी समर्थ और विकसित है।

तेलुगू

यह आन्ध्र प्रदेश की भाषा है। इसके दो रूप हैं : प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन तेलुगू में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। तेलुगू वर्मा में भी उन परिवारों में बोली जाती है, जो कभी तेलगाना से बहा जाकर बने।

भोजपुरी :

यह हिन्दी की एक बोली है। बिहार के चम्पारन, सारन, शाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ़ जिलों में बोली जाती है। यह भारत के बाहर भी उन स्थानों में बोली जाती है, जहाँ भारतीय बसे हैं।

मराठी :

यह महाराष्ट्र की भाषा है। एक मत है कि यह एक प्राकृत भाषा से विकसित हुई। इस प्राकृत भाषा को ईसवी सन् के प्रारम्भ से महाराष्ट्रीय कहा जाने लगा था। इसकी लिपि देवनागरी है। इसका साहित्य भी बड़ा विशाल और सम्पन्न है। मराठी में उर्दू शब्द भी काफी मात्रा में हैं। अब अंग्रेजी के प्रभाव से अंग्रेजी शब्द भी बढ़ते जा रहे हैं। संस्कृत का प्रभाव कम हो रहा है।

कोकणी .

एक मत है कि यह एक जन-बोली है, परन्तु भाषाविदों और आचार्यों का कालेलकर, मामा दरेकर जैसे विद्वानों का मत है कि यह एक स्वतन्त्र भाषा है। कोकणी गोवा और कोकण (महाराष्ट्र के रत्नागिरी, थान आदि जिले) में बोली जाती है। कोकणी देवनागरी, कन्नड और रोमन, तीन लिपियों में लिखी जाती है।

गुजराती .

यह गुजरात प्रदेश की भाषा है।

राजस्थानी

यह राजस्थान (पुराना राजपूताना) की बोली है। मेवाड़ी, मेवाती, मुण्डारी, जोधपुरी, वीकानेरी, जैसलमेरी आदि बोलियाँ इसके विभिन्न रूप हैं। इसका प्राचीन साहित्यिक रूप डिंगल भाषा में है। राजस्थानी एक भाषा है, इस आधार पर डा० मोतीलाल मिनारिया का ग्रन्थ "राजस्थानी भाषा और साहित्य" विख्यात है।

पहाड़ी .

उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बोलने से पहाड़ी नाम दिया गया है। यह भी हिन्दी की ही एक बोली है।

भारतीय भाषाओं की जन-गणना

१९६१ में जनगणना के साथ-साथ भाषा-भाषियों की भी गणना की गई। तब, भारत की कुल जनसंख्या ४४ करोड़ गिनी गई। इसमें हिन्दी बोलने वालों की संख्या १३

करोड ३४ लाख अर्थात् ३७ प्रतिशत गिनी गई। बिहार और बंगाल मिलाने पर हिन्दी भाषियों का कुल संख्या १६ करोड ५१ लाख होती है। इसके अतिरिक्त ६५ लाख लोग न हिन्दा को अपनाया है यद्यपि उनकी बोली यह नहीं है। इस प्रकार हिन्दी भाषियों की कुल संख्या १७ करोड ४६ लाख होती है।

संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बोलने वालों की संख्या इस प्रकार है

हिन्दी	१७ करोड ४६ लाख	संविधान की अनुसूची में जो बोलिया	
तेलुगु	३ करोड ७६ लाख	दख नहीं हैं उनमें से कुछ के बोलने	
उर्दू	३ करोड ५८ लाख	वाले हैं	
मराठी	३ करोड ३२ लाख	बुयादूनी	१ लाख ३ हजार
तमिल	५ करोड ६ लाख	नेपाली	१ लाख २१ हजार
उड़	१ करोड ७ लाख	पहाडी	१ लाख ४ हजार
गुजराती	२ करोड ३ लाख	विहनी (दमडी)	१ करोड ६८ लाख
बन्न	१ करोड ७४ लाख	राजस्थानी	१ करोड ४६ लाख
मलयालम	१ करोड ७ लाख	संघाली	२२ लाख ४७ हजार
उड़िया	१ करोड ५७ लाख	गडो	१५ लाख
पञ्जाबी	१ करोड ६ लाख	काकरी	१३ लाख ५२ हजार
असमिया	६८ लाख	दूरख उराव	११ लाख ४१ हजार
बन्नीगी	१६ लाख		
संस्कृत	२ ५४४		
गिधी	१३ लाख ७१ हजार		

उत्तर प्रदेश · हिन्दी—८५.३६ प्रतिशत, उर्दू—१०.७० प्रतिशत, कुमायूनी—१.३६ प्रतिशत ।
 प० वगाल वगला—८४.२८ प्रतिशत, हिन्दी—५.४८ प्रतिशत, सथाली—५.२७ प्रतिशत ।
 पूर्वी पाकिस्तान में वगला-भाषी ५५.५ प्रतिशत हैं ।

विश्व की मुख्य भाषाएं

भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (लाखों में)	भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (लाखों में)
अरबी	३३०	फारसी	२१०
वगला	३३०	पौलिंग	३३०
वर्मी	१५०	पुर्तगीज	७८०
चीनी (चीन में)	४४०	राजस्थानी	१७०
अग्नेजी	२८८०	रूमानीयन	१७०
फ्रेच	५१०	रूसी	१६४०
जर्मन	७१०	स्यामी	२१०
हवका (चीन में)	१६०	स्पेनिश	१५२०
हिन्दी	१७००	तमिल	३६०
होरियन	१२०	तेलुगु	४००
इटालियन	५८०	तुर्की	२५०
जापानी	६७०	इदोनेशियन (रूस)	४१०
जवानी	४२०	उर्दू	५३०
कन्नड	२००	वियतनामी	२५०
कोरियन	३४०	वू (चीनी)	३००
मलयालम	१६०	चिन (चीन)	३६०
मण्डारिन (चीन में)	४८१०	डच	१७०
मराठी	३३०	उडिया	१५०

हिन्दी का विकास

सविधान के अनुच्छेद ३५१ के अधीन यह सघ सरकार का दायित्व है कि वह हिन्दी की उन्नति और विकास करे ताकि वह भारत की समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । इन दायित्वों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय पिछले कई वर्षों से हिन्दी के विकास और उन्नति से सम्बन्धित विविध योजनाएँ कार्यान्वित करता रहा है । हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति करने और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना करने के लिए तथा स्वैच्छिक हिन्दी सगठनों को, विघेपत अहिन्दी भाषी राज्यों के सगठनों को, हिन्दी अध्यापन कक्षाएँ चलाने, हिन्दी प्रचारकों को प्रशिक्षण देने, हिन्दी पुस्तका-

नया और वाचनालयों की स्थापना करी हिन्दी में प्रवीणता के लिए पुरस्कार प्रदान करने तथा विद्यार्थी भेजे आयोजित करने व्याख्यान दौर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस वर्ष जो महत्वपूर्ण योजनाएँ चालू की गई हैं उनमें से एक का सबसे अधिक हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों और विदेशियों को पत्राचार पाठयक्रम द्वारा हिन्दी सिखाने की सुविधा से है। हिन्दी के विकास के लिए हिन्दी विश्वकोषों द्विभाषी तथा अर्ध-कोषों एवं लोकप्रिय पुस्तकों के प्रकाशन तथा विदेशियों और अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों के लिए प्राइमरी स्कूलों आदि के लिए अनुदान दिए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ₹०८५० लाख रुपए की बजट-व्यवस्था की गई थी।

हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति इस योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को अपने स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सहायता अब केवल मिडिल उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में की गई नियुक्तियों के लिए ही दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में यद्यपि ₹५५ लाख रुपए की ही बजट-व्यवस्था की गई थी किंतु एक करोड़ रुपए खर्च होने की सम्भावना है। सन् १९६८-६९ के लिए एक करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिये शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उन्हें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापक मिल सकें। यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई थी और अब भी चल रही है। इस योजना के अंतर्गत दो कालेज आंध्रप्रदेश में एक गुजरात में दो केरल में और एक एक कानून मन्स एव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तथा तीन कालेज मसूर में स्थापित किए गए हैं। हिन्दी अध्यापकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्र चालू करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को भी वित्तीय सहायता दी गई है। इसी प्रकार एक कालेज खोलने की मजूरी असम को भी गई है जिसके अगले वित्तीय वर्ष में चालू हो जाने की सम्भावना है। जम्मू और कश्मीर नागालैंड और पंजाब में ऐसे कालेजों के खोलने के मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। सन् १९६७-६८ में ₹५० लाख ४० के अनुदान राज्य सरकारों को दिए जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा हिन्दी का अध्यापन विधियाँ और सम्बन्धित शिक्षण साधनों समस्याओं के बारे में तकनीकी विशेषज्ञता और व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सप्टेम्बर १९६० में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की। मण्डल द्वारा संचालित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तीन विभिन्न पाठयक्रम चला रहा है जो कि अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (टी० टी० सी०) बी० एड और एम० एड० के समतुल्य हैं। यह संस्थान गण-मंडल तथा विशेष रूप से अहिन्दी भाषी राज्यों की आवश्यकताओं के सदर्भ में हिन्दी अध्यापन की तकनीकों पर अनुसंधान भी करता है। सन् १९६७-६८ के दौरान संस्थान में १५२ उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त इस सस्थान ने अहिन्दीभाषी राज्यों के स्वैच्छिक सगठनों और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चालू किये हैं ।

सन् १९६७-६८ में मण्डल को ६२० लाख रुपए का अनुदान दिया गया । सन् १९६८-६९ के वजट में योजनागत व्यय के लिए ५ लाख रुपए तथा योजनेतर व्यय के लिए ६.२० लाख की व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है ।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सगठनों को निम्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के हेतु, हिन्दी अध्यापन तथा हिन्दी टाइप और आशुलिपि की कक्षाएँ चलाना, हिन्दी प्रचारकों का प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति, हिन्दी पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना, निवध और वाक्-प्रतियोगिता कराना, विचार-गोष्ठियों का आयोजन, हिन्दी अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाना, हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों के खर्च की कमी को पूरा करना आदि । इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान की राशि अनुमोदित कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय का ७५ प्रतिशत होती है । सन् १९६७-६८ में इस योजना के अन्तर्गत ११ लाख २० तक के अनुदान मंजूर किया । सन् १९६८-६९ के लिए ११ लाख २० की वजट-व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है ।

हिन्दी शिक्षा समिति हिन्दी के प्रचार और विकास से सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित हिन्दी शिक्षा समिति इस वर्ष भी कार्य करती रही । हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वैच्छिक सगठनों द्वारा संचालित हिन्दी की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने, हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी सगठनों के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार करने के सबध में इस समिति ने जो सिफारिशें कीं, उन्हें विधिवत् कार्यान्वित किया गया ।

हिन्दी परीक्षाओं की मान्यता स्वैच्छिक हिन्दी सगठनों द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा दी गई मान्यता कुछ मामलों में दिसम्बर, १९६९ तक बढ़ा दी गई ।

हिन्दी विश्वकोश दस खण्डों में हिन्दी विश्वकोश तैयार करने का काम नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी को सौंपा गया था । इस वर्ष सभा ने आठवाँ और नवाँ खण्ड प्रकाशित किया । दसवाँ खण्ड प्रैस में है । इस परियोजना की कुल लागत का अनुमोदित अनुमान १२,३९,००० रु० है जिसमें से १२,१५,००० रु० अब तक सभा को दिए जा चुके हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी भारत सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए पहली मार्च, १९६० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई । इसका मुख्य कार्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास तथा भारत सरकार के कार्यालयों की नियम-पुस्तकों, फार्मों और क्रियाविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद के कार्यक्रम कार्यान्वित करना है ।

नियमपुस्तकों, फार्मों नियमों और विनियमों आदि का हिन्दी में अनुवाद इस योजना के शुरू होने से लेकर जब तक १४१७ नियम पुस्तकें (७३ ६५४ पृष्ठ) आदि तथा २५०६२ फार्म भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से हिन्दी में अनुवाद के लिए प्राप्त हुए। इनमें से ७८ नियम पुस्तिका (२४ ३५ पृष्ठ) आदि तथा १५ ६३३ फार्मों का अनुवाद सितम्बर १९६७ तक पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी गई १८ नियम पुस्तिका (३ ५१५ पृष्ठ) और ३ ३५१ फार्मों के अनुवादों का पुनरीक्षण किया गया।

हिन्दी में पत्राचार पाठयक्रम निदेशालय ने १९६८ में देश विदेश के सरकारी व्यक्तियों के अहिन्दीभाषी लोगों को पत्राचार पाठयक्रम के जरिए हिन्दी सिखाने की एक योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत दो पाठयक्रम चालू किए जिनमें से प्रत्येक की अवधि दो वर्ष की होगी। इन पाठयक्रमों के पूरा करने पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे।

संस्कृत का विकास

स्वच्छिक संस्कृत सगठनों की सहायता इस योजना के अंतर्गत स्वच्छिक संस्कृत सगठनों/संस्थाओं की संस्कृत की उन्नति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस वर्ष ४८६ लाख १० की राशि का अनुदान मंजूर किए गए।

गुरुकुलों की वित्तीय सहायता चालू वर्ष के दौरान गुरुकुलों का अनुरक्षण तथा उनके छात्रों को वृत्तिकार प्रदान करने के लिए २८७ लाख रुपए की राशि के अनुदान मंजूर किए गए।

परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की अनुसंधान छात्रवृत्तियां इस वर्ष के लिए नए चुनावों की प्रतीति के लिए जाने की आशा है। इस वर्ष के दौरान लगभग ७ छात्रों को इस योजना का लाभ मिला रहा। इस योजना के अंतर्गत अब तक ४५ छात्रों ने अपना शोधपत्र पूरा कर लिया है तथा अपने शोध प्रबंध भी प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें से कुछ शोध प्रबंधों को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निरूपित और राज बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए प्रकाशित कराने का प्रस्ताव है। सन १९६७-६८ में इस योजना के अंतर्गत १५१ लाख रुपए का व्यय किया गया।

अभावग्रस्त प्रसिद्ध संस्कृत पंडितों की सहायता इस योजना के अंतर्गत ३०८ पंडितों का वित्तीय सहायता देने के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को ३४६ लाख रुपए का अनुदान दिए गए।

संस्कृत के अध्ययन के लिए योग्यता-छात्रवृत्तियों उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले लगभग १० छात्रों का राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष योग्यता-छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस वर्ष के दौरान इस योजना पर २६३ लाख रुपए खर्च किए जाने की सम्भावना है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास की योजना के अंतर्गत विश्वकोश द्विभाषी भाषाओं में पुस्तिका विभिन्न भारतीय भाषाओं में समानताओं के निरूपण द्वारा पाठ

लिपियों की सूचियों, सांस्कृतिक, साहित्यिक भारत विषयक या भाषा विज्ञान सबधी पुस्तकों आदि जैसे प्रकाशनों के लिए अनुमोदित मदों पर होने वाले व्यय के ५० प्रतिशत तक अनुदान दिये जाते हैं । इसी आधार पर साहित्यिक सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों और प्रदर्शनियों तथा भारतीय भाषाओं के विकास में सहायक समझे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य कलापो के आयोजन के लिये भी अनुदान दिये जाते हैं । सहायता प्रदान करने का एक रूप यह भी है कि अच्छे प्रकाशनों की कुछ प्रतियां खरीद ली जाती हैं । स्वैच्छिक सगठनों की सहायता के लिए चालू वर्ष की ४.७६ लाख रुपये की वजट व्यवस्था में से अब तक लगभग १० लाख रुपये की राशि मजूर की गयी है । सन् १९६८-६९ के लिये ५०० लाख रुपये की वजट-व्यवस्था की गई है ।

साहित्य और सूचना

साहित्य अकादेमी

भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने एवं ऊंचे साहित्यिक मानदण्ड स्थापित करने तथा सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और उनका समन्वय करने के लिए तथा उन सब के द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता का प्रसार करने के लिए मार्च, १९५४ में साहित्य अकादेमी की स्थापना की गई । अकादेमी ऐसे उपाय और साधन तलाश करने का उपाय करती है जिनसे भारतीय साहित्यकार भाषा और लिपि की सीमाओं को लाघकर एक दूसरे को जान सकें और पाठक साहित्यिक विविधता व वैचित्र्य से परिचय प्राप्त कर सकें ।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकादेमी द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं जिनकी रूपरेखा निम्नलिखित है —

सामान्य परिषद् मई १९६७ में भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर डा० जाकिर हुसैन ने साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया । इस स्थान के रिक्त हो जाने पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी को सर्व-सम्मति से अकादेमी का उपाध्यक्ष चुना गया ।

साहित्य अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक २३ दिसम्बर, १९६७ को मद्रास में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई । विधि के अनुसार नई सामान्य परिषद् के सदस्यों को चुना ।

वार्षिक पुरस्कार १९६७ साहित्य अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड ने २३ दिसम्बर, १९६७ को मद्रास में हुई अपनी बैठक में १९६७ के वार्षिक अकादेमी पुरस्कार के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की निम्नलिखित पुस्तकों को चुना

- (१) असमिया 'आधुनिक गल्प साहित्य' (आलोचना), लेखक—त्रैलोक्यनाथ गोस्वामी,
- (२) वगला 'तेजस्वी ओ तरनिणी' (नाटक), लेखक—बुद्धदेव बोस,
- (३) अग्रेजी 'शेडो फ्राम लद्दाख' (उपन्यास), लेखक—भवानी भट्टाचार्य,
- (४) गुजराती 'गुजराती भाषानु ध्वनि-स्वरूप अनेक ध्वनि परिवर्तन' । भाषा विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, दो खण्ड, लेखक—पी० वी० पण्डित,

- (५) हिंदी अमृत और विष (उपन्यास) लेखक—अमृतानंद नागर
- (६) कन्नड श्रीमद्भगवद्गीता तात्पर्य अथवा जीवन धर्म योग (योग) लेखक—
डी० पी० गुणप्पा
- (७) कन्नड़ी सावा ते प्रवाह (कविता) रचयिता—अमीन कामिन
- (८) मलयालम धामारथोनी (कविता) रचयिता—पी० कुहिरमन नेयर
- (९) मराठी भाषा इतिहास आणि भूगोल (भाषा विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन)
लेखक—एन० बी० कानेलकर
- (१०) उडिया ओडिया साहित्यार इतिहास (साहित्य का इतिहास)
लेखक—सुयनारायणदास
- (११) पंजाबी तूना (गीति नाट्य) रचयिता—शिवकुमार
- (१२) संस्कृत चित्रकाव्य कौतुकम् (कविता) रचयिता—रामरूप पाठक
- (१३) तमिल विरार उलागम' (प्राचीन तमिल साहित्य गीय) लेखक—के० बी
जगनाथन्
- (१४) उद पत्थर की आवाज (कहानी संग्रह) लेखक—कुरतुल एन हैदर ।

ललित कलाए

दो राष्ट्रीय अकादेमिया अर्थात् संगीत नाटक अकादेमी और नर्तित कला अकादेमी प्रमाण कला (परफॉर्मिंग आर्ट्स) और स्वर कला (प्लास्टिक आर्ट्स) के अपने-अपने क्षेत्रों में सुविस्तृत कार्यक्रम चलाती रही। उनके कार्य कलापों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

संगीत नाटक अकादेमी

यह अकादेमी जो कि संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादेमी है भारत सरकार द्वारा १९५३ में स्थापित की गई थी। यह म संस्था पञ्जीयन अधिनियम १९६० के अंतर्गत पञ्जीकरण किया गया। इसका पञ्जीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

जिन उद्देश्यों के लिए अकादेमी स्थापित की गई वे इस प्रकार हैं—संगीत नृत्य और नाटक की प्राग्गिक या राज्य अकादेमिया की गतिविधियों का समन्वय करना और क्षेत्रों में अनुसंधान का अभिवृद्धि संगीत नृत्य और नाटक कलाओं में सवध में देश के विभिन्न प्रान्तों के बीच वचारिक आदान प्रदान और उमका प्रोत्साहन तथा तकनीकी में अभिवृद्धि एवं भारत और अन्य देशों में बीच सृष्टिक सवधों को बनाना।

अप्य बातों के अतिरिक्त अकादेमी प्रतिवध तीनो प्रमाणकलाओं के विविष्ट कलाकारों को पुरस्कार देना है और अकादेमी के पञ्जी चुनकर उनका सम्मान करती है। अकादेमी संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अर्पित सम्पदा भी बना है। अकादेमी इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं का मायता भी प्रदान करती है।

संगीत नाटक अकादेमी अधिवर्तियों और पुरस्कार १९६७ संगीत नाटक अकादेमी

की सामान्य परिषद् ने जिमकी बैठक १८ दिसम्बर १९६७ को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी, अकादेमी अधिवृत्ति के लिए आठ प्रसिद्ध विद्वानों तथा कलाकारों को एव अकादेमी पुरस्कार-१९६७ के लिए संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में दस कलाकारों को चुना। अकादेमी पुरस्कार पहली बार नौटकी—जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित परम्परागत नाट्यरूप है—के लिए और मैसूर के भागवत मेलो के लिए दिए गए।

अधिवृत्तियां

- १ श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुण्डेल
- २ श्री शम्भू महाराज
- ३ गुरु कृजु कुरूप
- ४ श्री वडे गुलाम अली खा
- ५ श्री मुसिरि सुब्रह्मण्यम अय्यर
- ६ श्री आद्य रगाचार्य "श्रीरग"
- ७ श्री ई० अल्काजी
- ८ श्री वेन्दान्तम् सत्यनारायण शर्मा

पुरस्कार १९६७

संगीत १ श्री अयोध्याप्रसाद	हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत (पगवाज)
२ श्री अमीर ग्वा	हिन्दुस्तानी गायन
३. श्री के० एन० वेंकटरमैया 'पापा'	कर्नाटक वाद्य संगीत (वायलिन)
४ श्री चिन्तलपल्लि वेंकटराव	कर्नाटक गायन
नृत्य ५ श्री कलामण्डलम् कृष्णन नायर	कथकनी
६ श्री बालू भागवतार	भागवत मेला
नाटक. ७ श्री पी० एन० देवपाण्डे	नाट्य रचना
८ श्री नचिनारत र्न	दगाली में अभिनय
९. श्री एन० बी० मन्त्रनामम्	नमिन में अभिनय
१० श्री टाग मणी पहनमान	नौटकी

वित्तगत व्यवस्था सन् १९६७-६८ के लिए पुनरीक्षित प्रातःसन् २० १९,४३,१०० (सोन्सोन्न) और २० १,२०,००० (सोन्सोन्न) का। सोन्सोन्न व्यवस्था में निम्नलिखित धारितः ? —

दिल्ली द्वारा किया जाता है और उसके लिए वित्त की व्यवस्था अकादेमी द्वारा की जाती है।
ललित कला अकादेमी

ललित कला अकादेमी की स्थापना दृश्य और रूपकर कलाओं के क्षेत्र में प्रिया कनापो को प्रोत्साहन देने और उनका समन्वय करने तथा देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगस्त १९५४ में उद्घाटित यह अकादेमी संस्था पञ्जीयन अधिनियम १८६० के अन्तर्गत एक पञ्जीकृत संस्था है।

दृश्य और रूपकर कलाओं की अभिवृद्धि को प्रमुख लक्ष्य बनाकर अकादेमी का मुख्य कार्यक्रम प्रदर्शनियों का आयोजन करना प्रकाशन करना कला संगठनों को मान्यता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना भित्ति चित्रों की नकल करना और कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	प्रकार
१	२	३	४
१	आगरा विश्वविद्यालय आगरा	१९२७	सम्बद्ध करने वाला
२	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना	१९६२	आवासी और अध्यापन
३	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	१९२१	आवासी और अध्यापन
४	आलाहाबाद विश्वविद्यालय इनाहाबाद	१८८७	आवासी और अध्यापन
५	आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेर	१९२६	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राजमनगर हैराबाद	१९६४	आवासी और अध्यापन
७	अन्नमन विश्वविद्यालय अन्नमनागर	१९२९	आवासी और अध्यापन
८	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	१९१६	आवासी और अध्यापन
९	बंगलौर विश्वविद्यालय बंगलौर १	१९६४	सघीय
१०	बंगलूर विश्वविद्यालय बहुरामपुर	१९६७	सम्बद्ध करने वाला
११	भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	१९६०	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१२	बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार)	१९६२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१३	बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई	१८५७	सघीय और अध्यापन
१४	बम्बैन विश्वविद्यालय बम्बैन	१९६०	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन

१	२	३	४
१५	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	१८५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१६	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ...	१९२२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१७	डिब्रूगढ विश्वविद्यालय, राजामेटा, डिब्रूगढ	१९६५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१८	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	१९५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
१९	गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी ...	१९४८	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२०.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	१९४९	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२१	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ	१९५६	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२२	इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर . .	१९६४	सम्बद्ध करने वाला
२३	जवलपुर विश्वविद्यालय, जवलपुर	१९५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२४	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता-३२	१९५५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२५	जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	१९४८	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
२६	जवाहरलालनेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवलपुर	१९६४	अध्यापन और आवासी
२७	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ..	१९६४	अध्यापन और सम्बद्ध करने वाला
२८	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ...	१९६२	आवासी और अध्यापन
२९	कल्याणी विश्वविद्यालय, पो० ओ०, कल्याणी	१९६०	आवासी और अध्यापन
३०	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व- विद्यालय, दरभंगा	१९६१	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
३१	कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ...	१९६५	सम्बद्ध करने वाला
३२	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड ..	१९४९	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
३३	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम् ...	१९३७	सघीय और अध्यापन
३४	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र . .	१९५६	आवासी और अध्यापन
३५.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ...	१९२१	आवासी और अध्यापन

१	२	३	४
५४	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर ..	१९६४	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
५५	रुडकी विश्वविद्यालय, रुडकी ...	१९४९	आवासी और अध्यापन
५६	सवलपुर विश्वविद्यालय, सवलपुर	१९६७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
५७	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, आनन्द	१९५५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
५८	सागर विश्वविद्यालय, सागर ...	१९४६	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
५९	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ...	१९६५	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६०	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-४	१९६२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६१	एस० एन० डी० टी० महिला विश्व- विद्यालय, बम्बई	१९५१	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६२	श्री वेकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	१९५४	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६३	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	१९६५	सम्बद्ध करने वाला
६४	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ...	१९६२	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६५	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मल्ले- श्वरम्, बगलौर	१९६४	आवासी और अध्यापन
६६	उत्तरप्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पत- नगर, जिला नैनीताल	१९६०	आवासी और अध्यापन
६७	उत्कल विश्वविद्यालय, वरी विहार, भुवनेश्वर	१९४३	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६८	वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	१९५८	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
६९	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ...	१९५७	सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन
७०.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति- निकेतन		सम्बद्ध करने वाला और अध्यापन

विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ

- १ विडला शिल्पविज्ञान और विज्ञान संस्थान, पिलानी
- २ गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
- ३ गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

- ४ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हिलसाइड रोड नई दिल्ली
- ५ भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर
- ६ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय नई दिल्ली
- ७ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली
- ८ काशी विद्यापीठ वाराणसी
- ९ टाटा समाज विज्ञान संस्थान बम्बई
- १० भारतीय खनन विद्यालय धनबाद
(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स)

संघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन)

संघीय लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) के अध्यक्ष और उसके अध्यक्षों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति के दिन से ६ साल तक पदाधीन रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ये कार्यपालिका और विधान मंडल से स्वतंत्र हैं। केन्द्र के समान प्रत्येक राज्य में भी लोक सेवा आयोग हैं। इनका कार्य परीक्षाएँ देना है जिससे शासन सुचारु रूप से बराबर चलता रहे। इसका भी महत्त्व है कि प्रशासकीय व्यक्ति राजनीतिक दलबन्दी के प्रभाव से बचकर मुक्त रहे किसी दल का भी प्रभुत्व हो विधान मंडल में किसी पक्ष का बहुमत हो प्रशासन चलना रहना चाहिए उसकी गति और कार्य में अंतर नहीं आना चाहिए।

लोक सेवा आयोग निम्न परीक्षाएँ लेता है

(क) भारतीय प्रशासकीय सेवा (इण्डियन एडमिनिस्ट्रटिव सर्विस-आई ए० एस०) भारतीय परराष्ट्र सेवा (इण्डियन फारेन सर्विस-आई० एफ० एस०) आदि में भरती के लिए निम्न परीक्षाएँ

वर्ग १—इण्डियन एडमिनिस्ट्रटिव सर्विस (आई ए एस) भारतीय प्रशासकीय सेवा इण्डियन फारेन सर्विस (भारतीय परराष्ट्र सेवा)।

वर्ग २—भारतीय जारक्षी (पुलिस) सेवा और दिल्ली हिमाचल पुलिस सेवा (ग्रुप २)।

वर्ग ३—भारतीय लेखा परिक्षा और लेखापालन सेवा (इण्डियन जाडिट एण्ड एकाउण्ट सर्विस) भारतीय चण्डी—केन्द्रीय उत्पादन सेवा (इण्डियन कस्टम-सेंटेन एक्साइज सर्विस) भारतीय आयकर सेवा—ग्रुप १ (इण्डियन इनकम टक्स सर्विस—ग्रुप—१) सैनिक भू व छावनी सेवा (मिलीटरी लडस एंड कंट्रोल सर्विस) ग्रुप १ भारतीय आयुष निर्माणगत सेवा—ग्रुप १—सहायक-शाला—व्यवस्थापक अप्राविधिक (इण्डियन आडिनेस फक्टरी सर्विस—ग्रुप १)—असिस्टेण्ट वक्स मनजर नान टविनक्ल भारतीय डाक सेवा—ग्रुप १ (इण्डियन पोस्टल सर्विस—ग्रुप १) भारतीय रेल लखा सेवा (इण्डियन रेलवे एकाउण्ट सर्विस) भारतीय रेलों के वरिष्ठ राजस्व प्रतिष्ठान के यातायात व ध्याव सायिक विभाग ट्रांसपोर्ट (ट्रान्सपोर्ट एंड कमनियन डिपार्टमेण्ट आफ दी सुपीरियर रेलवे एस्टेबलिशमेंट आफ इण्डियन रेलवेज) केन्द्रीय सचिवानय सेवा—विभागीय अधिकारी—

श्रेणी २ (सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस—सेक्शन आफिसर—ग्रेड २), चुगी सेवा—श्रेणी २ (कस्टम अप्रेजर्स सर्विस—ग्रेड २), दिल्ली हिमाचल प्रदेश असैन्य सेवा—श्रेणी २ (सिविल सर्विस—ग्रेड २) तथा रेलवे परिपद सचिवालय सेवा—श्रेणी २ (रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरियट सर्विस—ग्रेड २) ।

ख अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षाए (इजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशनस्)—भारतीय रेलो की अभियान्त्रिकी सेवा (इण्डियन रेलवे सर्विस आफ इजीनियर्स), भारतीय रेलो के वरिष्ठ राजस्व प्रतिष्ठान (दी सुपीरियर रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट आफ इण्डियन रेलवेज) के सकेतक अभियान्त्रिकी विभाग (सिगनल इजीनियरिंग डिपार्टमेंट), विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग (इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट), अभियान्त्रिकी व सवाहन (विद्युत) विभाग (इन्जीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन (पावर) डिपार्टमेंट्स) केन्द्रीय अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १ व २ (सेण्ट्रल इजीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १ व २), तार संचार अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १ (टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १) सैनिक अभियान्त्रिकी सेवा—श्रेणी १, वी व आर० सवर्ग तथा ई० व एम० सवर्ग (मिलिटरी इजीनियरिंग सर्विस—ग्रेड १, वी० एण्ड आर० कैंडर एण्ड ई० एण्ड एम० कैंडर), भारतीय आयुध निर्माणशाला सेवा—श्रेणी १, सहायक शाला व्यवस्थापक (इण्डियन आर्डनेन्स फैक्टरीज सर्विस—ग्रेड १, असिस्टेंट वर्कस मैनेजर । केन्द्रीय अभियान्त्रिकी सेवा (सडक)—श्रेणी १ (सेण्ट्रल इजीनियरिंग सर्विस—(रोड) ग्रेड १), तार संचार यातायात सेवा—श्रेणी २ (टेलीग्राफ ट्रेफिक सर्विस—ग्रेड २), सहायक अभियता (कर्मशाला)—श्रेणी २ (असिस्टेंट इजिनियर (वर्कशाप)—ग्रेड २) ।

ग अभियान्त्रिकी सेवा (विद्युदणु)—इजिनियरिंग सर्विस (इलेक्ट्रोनिक्स) : इन सेवाओ मे भरती के लिए परीक्षाए —प्राविधिक अधिकारी—श्रेणी १ (टेक्निकल अफसर—ग्रेड १) तथा सहायक प्राविधिक अधिकारी—श्रेणी २ (असिस्टेंट टेक्निकल अफसर—ग्रेड २), नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) विभाग, परिवहन व संचार मन्त्रालय, अपर प्रभारी अभियता—श्रेणी १ (डिप्टी इन्जिनियर-इन-चार्ज ग्रेड १), सहायक अभियता—श्रेणी २ (असिस्टेंट इन्जिनियर—ग्रेड २) तथा प्राविधिक सहायक—श्रेणी २ (अराजपत्रित) टेक्निकल असिस्टेंट—ग्रेड २—नन-गजेटेड)—विदेश संचार सेवा, परिवहन व संचार मन्त्रालय, अभियता (वेतार का तार) श्रेणी १—योजना व समन्वय शाखा व मामिटरिंग सगठन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी १), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी-२), सुरक्षा मन्त्रालय मे सहायक अभियता (श्रेणी-२, अराजपत्रित) ।

घ भारत का सर्वेक्षण, श्रेणी १ व श्रेणी २ की परीक्षायें ।

ङ यात्रिक अभियान्त्रिकी व परिवहन (विजली) विभागो की परीक्षा—यह भारतीय रेलवे के वरीय राजस्व प्रतिष्ठान के लिये होती है ।

च सैनिक सेवा की परीक्षाए—इनमे भरती के लिए राष्ट्रीय (रक्षा अकादेमी, भारतीय सैनिक अकादेमी, वायु सेना उड्डयन कालेज और भारतीय नौसेना के विशेष प्रविष्ट कैंडेट ।

छ आर्मी मेडिकल कोर की परीक्षाए ।

ज. सहायक श्रेणी की परीक्षाए—इनमे भरती के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा

की (सहायक) श्रेणी ४ भारतीय विदेश सेवा (सारा—बी) तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ।

भू लिपिक (क्वर्क) श्रेणी की परीक्षा—इनमें भरती के लिए भारतीय सचिवालय लिपिक सेवा (श्रेणी २) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा (श्रेणी २) भारतीय विदेश सेवा (बी) श्रेणी ६ तथा निम्न सवर्ग का लिपिक-गण भारत सरकार में सम्बन्ध दफ्तरो के लिए परन्तु केन्द्रीय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने के लिए नहीं ।

अ स्टेनोग्राफर (आमुलिपिक) की परीक्षा—इसका पूरा विवरण आयोग (कमीशन) के दफ्तर से १ र० में मिल सकता है । पत्र-व्यवहार इस पत्र पर करता चाहिए—गविव केन्द्रीय लोक सेवा आयोग बौनपुर हाऊस गार्हजहा रोड नई दिल्ली—१

भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा—यह परीक्षा सामान्यतः साल में एक बार होती है । परीक्षा अक्तूबर-नवम्बर में होती है । एकका पूरा विवरण परवरी मान में प्राप्त हो सकता है ।

आयु

वर्ग २ के लिए परीक्षार्थी की आयु २०-२४ वर्ष की होनी चाहिए । अन्य परीक्षाओं के लिए आयु २१-२४ वर्ष होनी चाहिए । परीक्षा जिस साल देनी हो उस साल १ अगस्त को जो आयु हो वही आयु मानी जाती है ।

योग्यता

वर्ग १—के उम्मीदवार के लिए उपाधिकारी होना आवश्यक है विज्ञान में हो पर औद्योगिकी या रासायनिक अभियांत्रिकी की उपाधि न हो ।

शैक्षिक पात्रता

भारतीय विश्वविद्यालय की वाणिज्य सिविन यात्रिक या विद्यत् कृषि या (टेली कम्यूनिकेशन सहित) अभियांत्रिकी व बम्बई गुजरात कार्नाटक और पूना विश्वविद्यालय (मनोहित पाठ्यक्रम) की एल एल बी० या आधुनिक विश्वविद्यालय की बी एन डिग्री ।

वर्ग—२ के उम्मीदवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट (स्नातक) होना चाहिए । परिवहन (ट्रिफ) के उम्मीदवार को और भारतीय रेलवे के वरिष्ठ राजस्व प्रतिष्ठान के यावसायिक विभागा के उम्मीदवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का उपाधिकारी होना चाहिए या अभियंता सस्था (भारत)—इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की सहसदस्यता परीक्षा (एसोसियेट मेम्बरशिप एक्जामिनेशन) ए और बी० भाग में उत्तीर्ण होना चाहिए या उसे भारतीय विज्ञान सस्था (इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस) बंगलौर की सहचारिता (एसोसियेटशिप) या उस फेलोशिप मिलनी हो या लाफ चारों बानज लीसीस्टर गायर (इगनड) का आनस डिप्लोमा रखता हो । सेवाओं के लिए उम्मीदवार का किसी भारतीय विश्वविद्यालय का उपाधिकारी होना आवश्यक है ।

परीक्षा

परीक्षा लिखित होती है । मौखिक परीक्षा के लिए जो योग्य माने जाते हैं उनके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है ।

लिखित परीक्षा के लिए अनिवाय विषय हैं—निबंध लेखन सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान ।

वैकल्पिक या पर्याय

विशुद्ध गणित, व्यावहारिक गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भू-गर्भ शास्त्र, अग्रेजी साहित्य, भारतीय इतिहास, ब्रिटिश इतिहास, विश्व इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र कानून, तत्त्वज्ञान, भूगोल । इनमें से कोई एक

अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, पाली, फारसी, रूसी, संस्कृत, और स्पेनिश तथा साह्यकी, एडवास्ड एकाउन्टेंसी एन्ड आर्डिटिंग, समुद्रीय व्यापार सम्बन्धी कानून मैकेनिक्स, प्राइम मूवर्स हिन्दी ।

वर्ग—२ के सिवाय, शेष सब परीक्षाओं के उम्मीदवार वैकल्पिक विषयों में से, किन्हीं तीन विषयों को चुन सकते हैं । वर्ग—२ की सेवा की परीक्षाओं का उम्मीदवार वैकल्पिक विषयों में से कोई दो विषय ले सकता है ।

वर्ग—१ की सेवाओं के उम्मीदवार को इन अनिश्चित विषयों में से दो को अवश्य चुनना होता है : उच्चस्तरीय विशुद्ध गणित या उच्चस्तरीय व्यावहारिक गणित, उच्च-स्तरीय—रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र प्राणिशास्त्र, भूशास्त्र, तथा अग्रेजी साहित्य (१७८०-१९०१), भारतीय इतिहास (१६०० से आज तक) या ब्रिटिश सवैधानिक इतिहास (१९०५ से आज तक) या यूरोपियन इतिहास (१७८९ से १८७८) उच्च आर्थिक सिद्धान्त या उच्च भारतीय अर्थ शास्त्र, राजनीतिक सिद्धान्त (हान्स से अब तक) आध्यात्म शास्त्र, (एपिटोमोलोजी) या परिक्षणात्मक मनोविज्ञान समेत उच्च मनो-विज्ञान, अरबी साहित्य में विद्यमान मध्ययुगीन सभ्यता (५७० ई० से १६५० ई०) या प्राचीन भारतीय सभ्यता व तत्त्वदर्शन, नृवश शास्त्र, समाज शास्त्र, उच्च भूगोल ।

परीक्षा शुल्क

₹ २०५० पैसे (हरिजनो व आदिम जाति के लिए ₹ २०५० पैसे)

अभियात्रिकी सेवा परिक्षायें इजीनियरिंग सर्विस एक्जामिनेशन) साल में एक बार साधारणतः सितम्बर मास में होती हैं । इसका पूरा विवरण मार्च अप्रैल में मिल सकता है ।

आयु :

रेलवे के विद्युत अभियात्रिकी विभाग (इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग डिपार्टमेंट) और सकेत अभियात्रिकी विभाग (सिगनल इजीनियरिंग डिपार्टमेंट) के उम्मीदवार की आयु १ अगस्त को २१-२५ वर्ष के मध्य होनी चाहिए । उम्मीदवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय का इजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना चाहिए । रेलवे की अभियात्रिकी सेवा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवश्यक विवरण आयोग से प्राप्त किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अकादेमी परीक्षा :

सेना के तीनों विभागों की जनवरी और जुलाई की परीक्षा की भरती के लिए इसकी परीक्षा वर्ष में दो बार जून और दिसम्बर में होती है । उम्मीदवार पुरुष को अविवाहित होना चाहिए । इस विषय का पूरा विवरण नवम्बर-दिसम्बर और जुलाई में आयोग से प्राप्त हो सकता है ।

पाठ्यक्रम जब प्रारम्भ हो, तब उम्मीदवार की आयु १५-१७।। वर्ष होनी चाहिए ।

- (२) अध्यापकों का दर्जा वेतन भत्त और शिक्षा—(क) शिक्षा की गुणता और राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान के लिए उत्तरदायी बरतना में से अध्यापक निस्सन्देह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसके व्यक्तिगत गुणों और चरित्र शक्ति योग्यताओं एवं यावसायिक अहताओं पर अतः शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रयत्नों की सफलता निर्भर है। अतः अध्यापकों को समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनकी योग्यताओं और उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुए उनके वेतन भत्त तथा अन्य सेवा की शर्तें पर्याप्त और सन्तोषजनक होनी चाहिए।
- (ख) स्वतंत्र अध्ययन तथा अनुसंधान सम्बन्धी प्रबन्ध प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भाषण करने और लिखने की अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
- (ग) अध्यापक शिक्षा विशेष रूप से अन्तर्संवा शिक्षा पर मर्यादित बन दिया जाना चाहिए।
- (३) भाषाओं का विकास—(क) प्रादेशिक भाषाएँ—भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है। जब तक यह नहीं किया जायेगा लोगों की सजनात्मक पक्षिया त्रियाशील नहीं होगी शिक्षा के स्तरों में सुधार नहीं आयेगा जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुँचेगा और बुद्धिजीवियों तथा जनसाधारण के बीच खाई यदि चौड़ी न भी हुई तो यथावत् बनी रहेगी। प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में व्यवहृत किया जा रहा है। अब उनका प्रयोग विश्वविद्यालय अवस्था में भी करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए।
- (ख) त्रिभाषा सूत्र—माध्यमिक अवस्था में राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र लागू करना और जोर जोर के साथ उसको त्रियान्विम करना चाहिए। इस सूत्र के अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा तरजोहन् एक दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन तथा साथ ही हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अग्रजी और अहिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा तथा अग्रजी के साथ हिन्दी का अध्ययन शामिल है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी तथा/या अग्रजी के उपयुक्त पाठ्यक्रमों की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि छात्र विहित विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप इन भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त कर सकें।
- (ग) हिन्दी हिन्दी के विकास और प्रसार का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए कि यह भाषा संविधान के अनुच्छेद ३१५ के उपबन्धों के अनुसार भारत की सामाजिक सभ्यता के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकेगी। अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के माध्यम में शिक्षा देने वाले कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा को अन्य संस्थाओं को स्थापित करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

- (घ) संस्कृत—भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत में विशेष महत्व को देखते हुए और देश की सांस्कृतिक एकता के लिए उसके अपूर्व योगदान की दृष्टि से स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएँ अधिक विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिए। इस भाषा के अध्यापन के नए तरीकों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रथम और द्वितीय डिग्री अवस्थाओं पर, उन पाठ्यक्रमों में जहाँ कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है (जैसे, आधुनिक भारतीय भाषाएँ, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत विद्या तथा भारतीय दर्शन) संस्कृत के अध्यापन की सम्भावनाओं की खोज की जानी चाहिए।
- (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएँ—अंग्रेजी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। सार में ज्ञान का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है, विशेषकर विज्ञान और शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में। भारत को न केवल इस विकास को बनाए रखना है बल्कि अपनी ओर से भी उसमें सार्थक योगदान करना है। इस उद्देश्य से अंग्रेजी के अध्ययन को विशेष रूप से पुष्ट करना चाहिए।
- (च) शिक्षा के अवसरों का समानीकरण—शिक्षा की समस्याओं के समानीकरण के लिए श्रमपूर्वक प्रयत्न किए जाने चाहिए।
- (क) शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक असंतुलन को मिटाना चाहिए तथा ग्रामीण और अन्य पिछड़े इलाकों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएँ दी जानी चाहिए।
- (ख) सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा आयोग की सिफारिशों में बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। पब्लिक स्कूलों के समान विशेष स्कूलों में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये और सामाजिक वर्गों के पृथक्करण को बचाने के लिए फीस-माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे संविधान के अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ग) न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक रूपान्तरण की गति को तीव्र करने के लिये भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये।
- (घ) पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिये अधिक तीव्र प्रयत्नों की आवश्यकता है।
- (ङ) विकलांगों और मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के लिये शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिये और ऐसे समन्वित कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए जिसके द्वारा ये बच्चे नियमित स्कूलों में अध्ययन प्राप्त कर सकें।
- (च) प्रतिभा की पहचान—प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ हैं उनको छोटी से छोटी उम्र में खोज निकालना चाहिए और उनके विकास के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

- (६) कार्यानुभव और राष्ट्रीय सेवा—परस्पर गवा और सहायता के उपयुक्त काय नमा द्वारा स्कूला और समुन्या को एक दूसरे के निरुट नाना चाहिए । तनुसार कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा जिसम सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुननिर्माण के साथक तथा चुनौतीपूण कायक्रम भी गामिन हैं शिक्षा का अभिन अग होने चाहिए । इन कायनमा म स्वावतम्यन चरित्र निर्माण तथा सामाजिक उद्देश्यो के निर आत्मोत्सग की भावना के विकास आदि पर बल दिया जाना चाहिए ।
- (७) विनान शिक्षा तथा अनुसंधान—राष्ट्रीय अय यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विनान शिक्षा तथा अनुसंधान की उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्कूल अवस्था के अन्त तक विनान और गणित सामान्य शिक्षा का अभिन अग होने चाहिए ।
- (८) कृषि तथा उद्योग की शिक्षा—कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।
- (९) प्रत्येक राय म कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए । जहा तक हो सके मे विश्वविद्यालय एक अहाते मे स्थित स्वत पूण होने चाहिए पर जहा आवश्यक हो उनके विभिन्न अहातो म स्थित सघटक कानेज भी हो सकते हैं । अय विश्व विद्यालया म भी जहा आवश्यक सम्भावनाए हैं कृषि के एक या उससे अधिक पहनुओ के अध्ययन के लिए पुस्ता विभाग खोले जाने चाहिए ।
- (१०) तकनीकी शिक्षा मे उसके अभिन्न अग के रूप म उद्योगा से सम्बन्धित याव हारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान का सम्बन्ध उद्योग से बहुत निकट का होना चाहिए ताकि एक से दूसरे मे कार्मिक आ जा सकें और प्रशिक्षण कायक्रमा तथा सुविधाजा की यवस्था रूपरेखा तयार करने तथा आवधिक समीक्षा क लिए यवस्था हो सके ।
- (११) दग की औद्योगिक कृषि तथा अन्य तकनीकी जनशक्ति की जावश्यकताओ की निरन्तर समीक्षा होनी चाहिए तथा शिक्षा संस्थाआ से निकन छात्रो तथा रोजगार क अवसरा के बीच उचिन सन्तुलन बनाये रखन के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जान चाहिए ।
- (१२) पुस्तकों का उत्पादन—प्रोस्ताहन तथा पारिश्रमिक की उन्नर नीति के द्वारा थप्टतम नतका को जाकपित करके पुस्तका की गुणता म सुधार किया जाना चाहिए । स्कूला और विश्वविद्यालया क निर उच्च स्तर की पाठय पुस्तकें प्राप्त करने के लिए तत्काल कर्म उठाए जान चाहिए । बार-बार पाठय पुस्तकें बदलने से बचना चाहिए और इन पुस्तका का मूल्य इतना होना चाहिए कि मामूली हैमियन का छात्र भी उन्हें खरीन सक ।

व्यावसायिक पमाने पर स्वायत्त पुस्तक निगमा का स्थापना की सम्भा वनाआ की परीक्षा की जानी चाहिए और कुछ एमी बुनियाती पाठय पुस्तका का निर्माण किया जाना चाहिए जा दग भर के लिए समान हा । बच्चा की

पुस्तको और प्रादेशिक भाषाओ की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तको पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

- (१०) परीक्षाएँ—परीक्षा सुधारो का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि परीक्षाओ की विश्वसनीयता और उनकी मान्यता मे सुधार हो सके और मूल्यांकन एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि के स्तर को उन्नत करने मे सहायता देना होना चाहिए न कि समय-विशेष मे उसके कार्य की गुणता को देख कर उसे 'प्रमाणपत्र' दे देना ।
- (११) प्रारम्भिक शिक्षा—(क) माध्यमिक (तथा उच्चतर) स्तर पर शिक्षा के अवसर सामाजिक परिवर्तन तथा रूपान्तरण का एक प्रमुख उपकरण है । अतएव माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ तेजी से उन क्षेत्रो और वर्गो को भी दी जानी चाहिए जिनको आज तक यह प्राप्त नहीं हो सकी ।
- (ख) इस अवस्था पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाओ को बढ़ाने की आवश्यकता है । माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओ की व्यवस्था मोटे तौर पर विकासमान अर्थ-व्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार अवसरों के अनुरूप होनी चाहिये । तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावी रूप से समापक बनाने के लिए यह सम्बन्ध आवश्यक है । तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओ का उपयुक्त रूप से विशाखन किया जाना चाहिए ताकि उसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध, कला और शिल्प, अनुसन्धान प्रशिक्षण आदि आ सकें ।
- (१२) विश्वविद्यालय शिक्षा—(क) एक कालेज या विश्वविद्यालय मे कितने पूर्ण-कालिक छात्र भर्ती किए जाए, इसकी सत्या प्रयोगशालाओ, पुस्तकालयो तथा अन्य सुविधाओ और कर्मचारियों की सत्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए ।
- (ख) नए विश्वविद्यालयो की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है । उनकी स्थापन तभी की जानी चाहिए जब पर्याप्त मात्रा मे निधि उपलब्ध हो तथा उपयुक्त मानकों के बनाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई हो ।
- (ग) इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण अनुसंधान के मानको मे सुधार करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- (घ) उच्च शिक्षा के केन्द्रो की सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए और कुछ थोडे से ऐसे 'केन्द्र स्कूल' स्थापित किये जाने चाहिए जिनका उद्देश्य अनुसंधान और प्रशिक्षण मे उच्चतम मानक स्थापित करना हो ।
- (ङ) विश्वविद्यालयो मे अनुसंधान को सामान्यतया अधिक बढ़ावा नहीं दिया जाना

चाहिए। जहाँ तक हो सके अनुसंधान की संस्थाएँ विश्वविद्यालय व अलग-अलग ही कार्य करें अथवा उनके साथ निश्चय सम्पर्क रहें।

- (१३) अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम—अल्पकालिक शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ाए जायें पर विनियमित किया जाने चाहिए। यही सुविधाएँ माध्यमिक स्तर के छात्रों, अध्यापकों तथा औद्योगिक कृषि सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों के लिए भी दी जानी चाहिए। अल्पकालिक तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को बड़ी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि पूर्णकालिक शिक्षा के। इस प्रकार की सुविधाओं से स्कूल से रोजगार की ओर जाने में आराम रहेगा शिक्षा व हित को बढ़ावा मिलेगा तथा उन बहुत से लोगों को अवसर भी मिल सकेगा जो आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर पूर्णकालिक आधार पर नहीं कर सकते।
- (१४) साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार—(क) लोक निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है। यह केवल लोकतन्त्रीय संस्थाओं के कार्य में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा कार्यक्रमों की गति तीव्र करने के लिए (विशेष कर कृषि के क्षेत्र में) ही नहीं बल्कि सामान्य राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए भी आवश्यक है। बड़ी वाणिज्यिक औद्योगिक तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को जितनी जल्दी हो सके काम चलाऊ रूप से साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य में मांग दान सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को करना चाहिए अध्यापकों और छात्रों को सश्रिय रूप से साक्षरता अभियानों का संगठन करना चाहिए विशेष रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमों के रूप में।
- (ख) युवा कृषकों की शिक्षा तथा स्वनिर्भरता के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- (१५) खेलकूद—खेलकूद का विकास बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य औसत विद्यार्थी तथा इस क्षेत्र में प्रवीणता दिखाने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी शारीरिक योग्यता और खेलकारियों को उत्तम करने के लिए किया जाना चाहिए। जहाँ पर खेल के मदानों तथा अखिल राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के विकास की अन्य सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ ये सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए।
- (१६) अल्पसंख्यकों की शिक्षा—न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक अभिरूचि को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में अगस्त १९६१ में एक वक्तव्य जारी किया गया था।
- (१७) शिक्षा का ढाँचा—यह आवश्यक है कि देश के हर भाग में शिक्षा का ढाँचा मोट तौर पर एक समान हो। इसका उद्देश्य अन्ततः १०+२+३ पढ़ने को अपनाना चाहिए, इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दो वर्षों की

राष्ट्रीय एकता को खतरा

'आज हमारे देश को जिस सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है वह है साम्प्रदायिकता का।

दूसरा खतरा है प्रान्तीयता का, प्रादेशिकता का और सक्तीयता का। ये भी उही दुर्भावनाओं की उपज हैं, जो कि साम्प्रदायिकता का मूल में हैं।

असमानता के बने रहने से, इसका उन्मूलन न होने से राष्ट्रीय एकता के लिए एक गम्भीर खतरा बना हुआ है। यह असमानता ही सम्भवतः दूसरे खतरा की जननी है।

'एक अर्थ प्रश्न जो हमको परस्पर सगठित रख सकता है या फिर हम में फूट की दीवार खड़ी कर सकता है वह है भाषा का।

आज सत्तार में जो परिस्थितियाँ विद्यमान हैं उनमें अपने अस्तित्व का बनाये रखने के लिए यह पहली शर्त है कि देश में राष्ट्रीय एकता हो। राष्ट्रीय एकता ही हमारे अस्तित्व का मूलाधार है।

—इन्दिरा गांधी
प्रधान मंत्री

(राष्ट्रीय एकता परिषद् के श्रीनगर में हुए सम्मेलन में दिये हुए भाषण का एक अंग)

लोक सम्पर्क विभाग, हरियाना द्वारा प्रचारित

हिन्दु स्थापनावापि की

के लिए

शुभकामनाओं सहित

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार सघ,
जयपुर, (राजस्थान)

आज दिल्ली कहीं स्वच्छ, सुन्दर व सुखी नगर है

कोई भी प्रशासन इन बातों पर गर्व कर सकता है

—यातायात के लिए सड़को पर आज अधिक बसे चल रही है ।

—जनता को अपनी पसन्द का गेहू चावल देने के लिए धीरे-धीरे राशन व कण्ट्रोल की समाप्ति ।

—स्कूल शिक्षा के ढाचे मे क्रांतिकारी परिवर्तन एव हायर सैकेण्ड्री स्कूलो मे विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक सुविधा तथा अधिक वैज्ञानिक पुस्तकालयो की व्यवस्था ।

—७ नये कालेज, २४ हायर सैकेण्ड्री स्कूल व ६ मिडिल स्कूल खोलना ।

—जमीन की कीमतो मे भारी गिरावट ।

—कम व मध्यम आय वाले वर्ग के लिए २० रु० से ३८ रु० प्रति वर्ग गज के दाम पर लाटरी द्वारा प्लाट देना ।

—सहकारी समितियो के लिए शीघ्रता से जमीन तथा किश्तो पर निर्मित मकानो की बिक्री ।

—व्यापार मे एकाधिकार का सफाया ।

—टैक्सी व स्कूटर ड्राइवरो द्वारा अधिक किराया लेने व सवारियो के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए कारगर कारवाई ।

भविष्य मे और अधिक सेवा के लिए कृत संकल्प

जन सम्पर्क निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रसारित

भारत का प्राचीनतम हिन्दी दैनिक

विश्वसित्र

कलकत्ता, उम्बई, पटना एवं तानपुर से एन साथ प्रकाशित

निकट भविष्य में स्वर्ण-जयन्ती आयोजित

बिहार की ऐतिहासिक भूमि

आपका सहर्ष स्वागत करती है

कृपया पटना नालन्दा पावापुरी राजगिरि बाधगया वशाली वचनाथ धाम सासाराम सिन्दरी मथन बोकारा पंचेत तोपचाची हजारीबाग, राची, जमशेदपुर आदि स्थानों का परिदशन करें।



पयटकों की सुविधा के लिए नि शुल्क मागदशन तथा उचित मूल्य लेकर परिवहन एवं आवास की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाती है।

पूण विवरण के लिए पयटक सूचना केन्द्र पटना नालन्दा राजगिरि गया बोधगया हजारीबाग राची नेतरहाट देवघर मुंगेर मोतिहारी, दरभंगा जमशेदपुर, धनबाद सासाराम वशाली से कृपया सम्पर्क स्थापित करें।

निदेशक, पयटन विभाग, बिहार, द्वारा प्रसारित

Come to see

Tripura is changing fast. One of the most ancient states of India, Tripura is now keeping step with the rest of India in its march towards modernism and prosperity. A visit to Tripura— to the Rudrasagar Lake, Dumboor Falls or the Unokuti Hills, will be refreshing and rewarding.



old and new

गुम कामगारों के काम

दि विनोद मिल्लस कम्पनी लिमिटेड

(विनोद, धीपान्द व विमल मिल्लस)

सोल मलिंग्ज एजण्ट
विनोदी राम बालचन्द एजेन्सीज

रजिस्ट्रार ऑफिस
जागर राट उज्जैन
(म० प्र०)

मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम

“यात्रियों की सेवा में—राज्य की सेवा में”

निरंतर ससम्पन्न

यात्रियों की यातायात सुविधा के लिए प्रमुख अन्तर्प्रान्तीय मार्गों पर बस सर्विसेज की सेवा—उपलब्ध है

- १—ग्वालियर दिल्ली
- २—ग्वालियर लखनऊ
- ३—इंदौर-अहमदाबाद
- ४—इंदौर मनमाड
- ५—इंदौर-अकोला
- ६—इंदौर-कोटा
- ७—इंदौर धम्बई
- ८—इंदौर अजंता

- ९—इंदौर-अमरावती
- १०—भोपाल-वाटा
- ११—सागर-लाहाबाद
- १२—सागर-वानपुर
- १३—रायपुर सम्बलपुर
- १४—रायपुर नागपुर
- १५—नागपुर इलाहाबाद
- १६—नागपुर भोपाल
- १७—जबलपुर बनारस

निम्नांकित मार्गों पर शीघ्र ही बस सर्विसेज चलाये जान की कार्यवाही जारी है

- १—ग्वालियर जयपुर
- २—इंदौर जयपुर

- ३—भोपाल अजमेर
- ४—जगदलपुर विशाखापटनम
- ५—रायपुर भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी

रकम एवं समय की बंधन के लिए राज्य परिवहन

की बसेज से ही यात्रा कीजिए

विशेष जानकारी के लिए निकटतम कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।

जन-स्वास्थ्य

जन-स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रधानतः राज्यों पर है। सघ-सूची के विषयो की जिम्मेदारी एकमात्र केन्द्रीय सरकार की है, समवर्ती सूची के विषयो के लिए उसका राज्यों के साथ समान दायित्व है। केन्द्र राज्यों के स्वास्थ्य सवधी कार्यों में एकसूत्रता लाने और रखने का काम करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आयोजनाओं को तैयार कर योजना आयोग को स्वीकृति के लिए देता है। केन्द्र दिल्ली, अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह तथा लकादीव, मिनिकाय और अमीन द्वीप-समूह में सघ-क्षेत्रों के राज्य-विषयो के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

जलपूर्ति एवं परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य के लिए तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में धन की व्यवस्था व खर्च इस प्रकार हुआ

योजना	धन की व्यवस्था (करोड़ रु० में)	कुल योजना का प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों में	व्यय (करोड़ रु० में)
पहली	१४०.००	५८	१०१.००
दूसरी	२२५.००	४.७	११६.००
तीसरी	३४१.८०	—	३५३.०३
चौथी	६६०.००	—	—

भारत में जन्म और मृत्यु (प्रति सहस्र)

औसत जीवन-काल

वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर	पुरुष	स्त्री
१९०१-१०	४८.१	४२.६	२२.६	२३.३
१९११-२०	४६.२	४८.६	१६.४	२०.६
१९२१-३०	४६.४	३८.३	२६.६	२६.६
१९३१-४०	४५.२	३१.२	३२.१	३१.४
१९४१-५०	३६.६	२७.४	३३.५	३१.७
१९५१-६०	४१.७	२२.८	४१.०६	४०.६
१९५६-६१	४०.७	२१.६	४१.६८	४२.६
१९६१-६६	४०.०	२८.०	४५.००	४५.८

विशुद्ध मृत्यु वर
(प्रति सन्ध्य जन्म म)

वय	बालक	घातिका
१९४१ ५१	१९० ०	१७५ ०
१९५१ ५६	१६१ ४	१४६ ७
१९५६ ६१	१४२ ३	१२७ ६

आहार और पोषण

(भारत म आवश्यक व नारी)

पुरुष (१२० पी)

विशुद्ध कलौरी बच्चे (आयु वय) विशुद्ध कलौरी

हृत्का और मध्यम काम	२४	१ सान से कम	१०
हल्का कठोर श्रम	३	१ से तीन वय तक	६
बन्त कठोर श्रम	३६	३ स ५ वय तक	१२००

स्त्री (१ ० पी)

साध रण काम	२१ ०	५ सान से ७ वय	१४
साधारण कठोर श्रम	२५००	७ सान म ६ वय	१७
बहुत कठोर श्रम	३	६ से १२ वय तक	२
गभवती	१	किसीर ५ तरुण	
स्तन-वत्मा	३७	१२ से १५ वय	२४
		१५ से २१ वय	२४

सन्तुलित आहार की रचना (प्रति दिन)

(ओसा म)	—	(जीवा म)	
गानी घाय	१४	फल	६
दानें	३	चीनी गुड	२०
हरा गाक	४	तेल या घी	२
काला गाक	५	मछली मांस	५
अन्य गाक	६	अण्ड	१

भारत मे प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्य पदार्थ

वय	जन सन्ख्या (करोड़ों म)	खाद्यान्न (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्य पदार्थ (औसतों मे)
१९५७	४ ६	७५६	१५ १
१९५६	४२ ३	८२५	१६ २
१९६१	४४	८४४	१६ २
१९६३	४६ ४	८३१	१५ ३
१९६५	४८ ५	६१	१४ ६

औषध-निर्माण—नियंत्रण-भंडार-प्रयोगशाला

औषध अधिनियम १९४० के अधीन इस देश में औषधों के निर्माण, वितरण, आयात और विक्री पर नियंत्रण है। इस अधिनियम में १९५५, १९६०, १९६१, १९६२ तथा १९६४ में संशोधन कर नये नियम बनाए गए। १९६२ तथा १९६४ के संशोधनों द्वारा क्रमशः (१) अग्राग एव (२) आयुर्वेद व यूनानी औषध निर्माण को १९४० के कानून के अन्तर्गत ले लिया गया।

औषध अधिनियम १९४० के अन्तर्गत औषध प्राविधिक सलाहकार मण्डल (दी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तत्त्वपयक परामर्श देता है। केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला (दी सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी) कलकत्ता की स्थापना औषध अधिनियम के अधीन की गई है तथा यह सांविधिक प्रयोगशाला का काम करती है। यह भेजी दवाइयों के नमूनों की परीक्षा करती है।

डाक्टरों पेशे के लोगों के लाभ और उनकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय योग संहिता (दी नेशनल फार्मुलरी आफ इण्डिया) का प्रकाशन किया गया है। यह फार्मेशियों और अस्पतालों के लिए भी उपयोगी है।

मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, करनाल और गोहाटी में औषध भंडार संगठन (मेडिकल स्टोर्स ऑरगनाइजेशन) के डिपो हैं। औषध भंडार संगठन विगत ५० वर्षों से देश में कार्य कर रहा है। यह सरकारी अस्पतालों और दवाई घरों को औषध आपूर्ति करता है। स्थानीय संस्थाओं की औषध सवधी आवश्यकताओं को भी यह पूरा करते हैं। इस संस्था की फैक्ट्रियां बड़े परिमाण में अनेक दवाइयां बनाती हैं। इसके व्यावसायिक प्रतिनिधि होते हैं जो सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण पाते हैं।

फार्मैसी एक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित 'फार्मैसी कौंसिल आफ इण्डिया नामक संस्था न केवल स्थाई है, अपितु ग्रासकीय है। इसका कार्य फार्मैसी विद्या का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने में सहायता देना और फार्मैसी के पेशे का नियंत्रण करना है। अनेक राज्यों में भी इसकी स्थापना की गई है।

यह अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन, रति रोगों और स्त्री-रोगों की चमत्कारी चिकित्सा के मिथ्या दावों आदि को रोकता है। नियंत्रण का यह कार्य चुगी और डाक अधिकारियों के निकट सहयोग से किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय कूटनीतिक अधिकारियों से भी सहयोग लिया जाता है। १९६३ में इस कानून में संशोधन किया गया।

प्रथम भारतीय भेषज संहिता (इंडियन फार्म कोपिया) का प्रकाशन १९५५ में हुआ। १९६७ में केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला गार्जियावाद ने कार्य प्रारम्भ किया।

भारत की इस केन्द्रीय भेषज संहिता प्रयोगशाला में अब औषधियों की रासायनिक जांच के लिए सब सुविधायें और साज सामान उपलब्ध हैं। तदनुकूल जैविकेतर औषधियों की जांच के लिए भारत सरकार ने प्रयोगशाला के निदेशक को सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर दिया है।

प्रयोगशाला में अणुजीव विज्ञान अनुभाग स्थापित करने के लिए बजट उठाये जा रहे हैं।

भारतीय भेज सहिता

भारतीय भेज सहिता का दूसरा संस्करण जिसमें भेजिकल प्रक्रिया में आजकल काम आने वाली औषधियों के ८८४ मोनोग्राफ हैं १ जून १९६७ से प्रयोग में लाया जाने लगा है। इसमें जो औषधियाँ अंकित हैं औषध और अग्राहक कानून के अंतर्गत उनके लिए यही एक मात्र मानक पुस्तक है।

अनिवाय औषध समिति

अनिवाय औषधियों की तथा समय समय पर औषधियों के निर्माण और आयात के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी इसकी सूचना तैयार करने में भारत सरकार को सलाह देते रहने के लिए मार्च १९६६ में अनिवाय औषध समिति का गठन किया गया था। इसमें चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं से लिये गए विशेषज्ञ हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं।

इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट नवम्बर १९६७ में सरकार को पेश की।

कीटनाशक विधेयक

मनुष्यों और जानवरों को खतरों से बचाने के लिए कीटनाशक औषधों के आयात उत्पादन वित्री परिवहन तथा प्रयोग नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक संसद ने १९६७ ६८ में पारित कर दिया।

कृषि अनुसंधान संस्थान, बसोली—इसकी स्थापना १९५५ में हुई। यह आरक (पाएन कुल क काटने से उत्पन्न रोग) टी० ए० बी हैजा विपरीत टिटनस टोकसाइड डिप्थेरिया एंटी-टोक्सिन और इन्फ्लुएंजा क टीके तैयार करता है। संस्थान में पीत ज्वर की भी बनी है।

इस में आरकरोधी उपचार केन्द्र की कुल संख्या १९६४ में ४४६ १९६४ में ४८८ १९६६ में ५२२ तथा १९६७ में ५३६ थी।

संस्थान क अन्तर्गत राष्ट्रीय सभ प्रयोगशाला है जो टिटनस क डिप्थेरिया क राष्ट्रीय मानक तैयार करती है। संस्थान के अन्तर्गत राष्ट्रीय केन्द्र टॉक्सिन क तैयार का राष्ट्रीय महत्त्व क राष्ट्रीय अन्वेषण केन्द्र शिपि एंजाइम क वाह्य प्रति-प्रयोग का क्षेत्रीय केन्द्र क इन्फ्लुएंजा केन्द्र है।

संस्थान क ग्राह्य शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाना जाता है।

डी० सा० जी० बसोली प्रयोगशाला गिण्टी मद्रास—इसकी स्थापना १९४८ में हुई। यह इस समय भारत का सबसे बड़ा संस्थान उत्पादक केन्द्र है। यह सभी राष्ट्रीय बी० ए० जी० अभिन्न में मनुष्य अथवा भारतीय संस्थाओं तथा अन्वेषण-संस्थान और सहायकी संस्थाओं का बी० ए० जी० बसोली तथा दूधरकुतान और बर्मा तथा मलयेशिया में चल रही दुर्लभ रोग संस्थाओं को बसोली देती है।

१-११-६४ से ३१-१०-६५ तक प्रयोगशाला मे उत्पादन यो हुआ :

वी० सी० जी० वैक्सीन २७,७६,८६४ मी० मी०

ट्यूबरकुलीन २८,६१,२३० मी० मी०

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि. पिपरी, डी० डी० टी० फ़ैक्टरी, दिल्ली तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लि ऋषिकेश मे उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है ।

हाफकिन इंस्टीच्यूट, बम्बई—यह सस्था सल्फा औषधियो का निर्माण करती है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता—इस सस्था की स्थापना भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (३७) के आधीन की है । यहा खाद्य पदार्थो के नमूनो का विश्लेषण और उनकी जाच की जाती है । मिलावट को रोकने की दृष्टि से यह उपाय किया गया ।

१९६४ मे ८२७ तथा १९६५ मे ६५६ खाद्य-नमूनो की जाच की गई ।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली

भारत सरकार ने ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है । देशी चिकित्सा पद्धति मे आयुर्वेद, यूनानी, योग सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी आती है । सरकार इनके विकास के लिये अनुदान भी देती है ।

आयुर्वेद

यह भारत व विश्व की प्राचीनतम पूर्ण वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति है । आयुर्वेद के विषय मे श्री के० एन० ऊडूपा की अध्यक्षता मे गठित एक समिति की सलाह पर आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना की गई है ।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर—यह अप्रैल, १९६३ से चल रहा है । इसका प्रशासन एक शासीनिकाय के हाथ मे है जिसमे भारत सरकार, गुजरात सरकार तथा गुलाब कुवर व आयुर्वेदिक सोसाइटी के प्रतिनिधि है ।

संस्थान के शिक्षण विभाग ये प्रशिक्षण देते है

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एच० पी० ए०—५५ छात्र

गुजरात विश्वविद्यालय

डिग्री कोर्स

बी० ए० एम० एस०—८७ छात्र

शुद्ध आयुर्वेद डिग्री कोर्स डी० एस० ए० सी०—१०८ छात्र

संस्थान का २१४ पलंगो का अस्पताल है जिसमे प्रति माह औसतन २११४ अतरंग तथा २,८५८ बहिरंग रोगियो का इलाज किया जाता है ।

संस्थान की अपनी औषध निर्माणशाला भी है । संस्थान 'आयुर्वेदालोक' नामक एक त्रैमासिक भी प्रकाशित करता है ।

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् : आयुर्वेद के विकास, विशेषकर उसके विभिन्न पहलुओ पर वैज्ञानिक खोज के सबध मे भारत सरकार को मन्नणा देती है । इसके अतर्गत मिश्रित औषध अनुसंधान योजना चल रही है । १९६७-६८ मे इसका पुनर्गठन किया गया ।

छात्र नर्स-धात्रियों की सख्या मे २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। धात्रियों का प्रशिक्षण धीरे-धीरे सहायक नर्स धात्रियों को दिया जाने लगा है इसलिए धात्रियों की सख्या मे कोई वृद्धि नहीं हुई। अब केवल पाच ही स्कूल धात्री-प्रशिक्षण दे रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद्—इसे भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम १९५६ के अधीन ६ फरवरी, १९६० को पुनर्निर्मित किया गया। परिषद् भारतीय चिकित्सा पजी रखती है जिसमे देश के सब पजीकृत चिकित्सको (डाक्टरों) के नाम लिखे जाते है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ के पीछे भी एक इतिहास है। जर्मनी और इटली के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति आयुर्वेदालकार था जिसने भारत मे हृदय का आपरेशन सबसे पहले किया था। आयुर्वेदालकार की उपाधि ब्रिटिश शासन काल मे मान्य नहीं थी। इण्डिया मेडिकल कौंसिल ने इसी आधार पर उसका नाम पजित करने से इकार कर दिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। डाक्टर विजयी हुआ। उसकी विजय ने इण्डियन मेडिकल कौंसिल को नया नियम बनाने की आवश्यकता उत्पन्न की। इसका क्षेत्र विस्तृत किया गया। पर यह आज की एलोपैथी प्रणाली के ही चिकित्सको का रजिस्टर है।

केन्द्रीय खाद्य-मानक समिति—इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों को खाद्य पदार्थों मे की जाने वाली मिलावट रोकने के उग्यों के बारे मे सलाह देना है।

प्रादेशिक चिकित्सा परिषद् (प्राविशियल मेडिकल कौंसिल)—यह १९४२ मे सभी प्रान्तों मे स्थापित हुई। यह सम्बद्ध प्रान्त के चिकित्सको के नाम की पजी रखती है।

भारतीय दंत परिषद् (डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया)—१९४८ मे दंत चिकित्सा अधिनियम बना। इसके अधीन १४ मई, १९४९ को परिषद् की स्थापना की गई। यह दंत-चिकित्सको की सस्था है। इसकी स्थापना से दंत-चिकित्सा के प्रशिक्षण का सारे देश मे एक प्रतिमान निर्धारित करना सम्भव हो गया है। परिषद् ने भारतीय दंत-चिकित्सा पजी १९६६ प्रकाशित की है।

अखिल भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा—स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए प्रतिमान निर्धारित करने का कार्य इस परिषद् का है। यह विश्वविद्यालयों मे चिकित्सा शिक्षा का प्रतिमान स्थिर करती है।

राष्ट्रीय पोषण मंत्रणा समिति—अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सस्था (एफ० ए० ओ०) रोम की १९५७ की सिफारिश पर १९६० मे इस सस्था की स्थापना की गई।

केन्द्रीय चिकित्सा-विधि सलाहकार समिति (दी सेंट्रल मेडीको-लीगल एडवाइजरी कमिटी)—चिकित्सा कानून के क्षेत्र मे सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। चिकित्सा क्षेत्र मे भारत मे आधुनिक तरीकों और विधियों को कैसे चलाया जाय, यह बताना इस समिति का काम है।

खाद्य में मिलावट

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (दी प्रीवेंशन आफ एडल्ट्रेशन एक्ट) १९५४ और इसके व्यवहार के लिए बनाये नियम सारे देश मे लागू हैं। अपराधी को इसके अधीन

गन्ध और निरोधक द्रव्य देने का विधान है और मिलावट वाले दूधपित खाद्य पदार्थ का जाया निर्यात और उमकी बित्री इसके अधीन निषिद्ध है। बलकत्ता में इस उद्देश्य के केन्द्रीय गाद-मानक समिति और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

रोग नियंत्रण

मलेरिया

१९५३ में सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया-उन्मूलन प्रारम्भ किया। अगले १९५८ में इसे राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम में बदला गया।

इस समय तक अन्तगत देश में ३६३ २५ एकर काम कर रहे हैं। इनमें से एक १९६४ में भूगतन में है। प्रत्येक एकर के अन्तगत औसतन १२ लाख जनसंख्या है।

उन्मूलन कार्यक्रम की ३ अवस्थाएँ हैं। प्रत्येक अवस्था के अन्तगत एको की संख्या इस प्रकार है

	जनसंख्या (सारा म)	एकर क्षेत्र
उत्पन्न अवस्था (एकर क्षेत्र)	५१	४४ ५५
उत्पन्नोत्पन्न अवस्था (कमीनिडेगन क्षेत्र)	१४७	१२० ७४
देग देग अवस्था (मैनेनेंग क्षेत्र)	२६१	२२७ ६६

सचारी रोग सस्त्रान मे है । दितली क्षेत्रीय समन्वय सगठन तथा राज्य प्रशिक्षण केन्द्रो मे भी मलेरिया-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

विदेशो से आये व्यक्तियो का प्रशिक्षण : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने जो प्रगति की है उसके फलस्वरूप पूर्व तथा पश्चिम दोनो ओर के अनेको दूसरे देशो के मलेरिया और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के लिए भारत एक प्रशिक्षण-स्थल बन गया है ।

१९६७ मे विभिन्न देशो के ४२ व्यक्ति भारत मे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए आये । उन्हे विश्व स्वास्थ्य सगठन एव अमरीकी सहायता मिशन की ओर से भेजा गया था ।

विशेष समिति

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति मे आई रुकावटो के कारणो का पुन-रीक्षण करने और इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का मूल्याकन करने तथा उसे सुधारने के उपाय सुझाने के लिये भारत सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है । समिति ने उत्तर प्रदेश, असम तथा उडीसा का दौरा कर लिया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

नेपाल तथा भारत मलेरिया उन्मूलन की गतिविधियो मे और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के हेतु भारत-नेपाल सीमा मलेरिया-निरोधी समन्वय का चतुर्थ सम्मेलन काठमाडू (नेपाल) मे १३ से १५ सितम्बर १९६७ तक किया गया ।

वर्मा, भारत-पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन २६ फरवरी से २८ फरवरी, १९६८ तक मेमी (वर्मा) मे किया गया ।

फाइलेरिया

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम १९५५-५६ से चल रहा है । इसके दो भाग है रोगियो को दवाये देना और मच्छरो का विनाश करना । देश के विभिन्न भागो मे कुल ६५ ४ फाइलेरिया इकाइया और २२ सर्वेक्षण इकाइया है । अनुमान है कि १२ २० करोड व्यक्ति (१९५३ का अनुमान २ ५ करोड व्यक्ति) फाइलेरियावाले क्षेत्र मे रहते है ।

कालीकट, राजमुन्त्री और व.राणसी मे फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र है । तीसरी योजना मे केरल, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, मैसूर और गोवा मे विशिष्ट फाइलेरिया केन्द्र खोले गए है । ग्राम फाइलेरिया नियंत्रण के लिए गत वर्ष आंध्र के रामावरम् मे अनुसंधान सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई । एक ऐसा केन्द्र १९६६ मे म० प्र० सरकार ने तथा १९६७ मे उ० प्र० सरकार ने खोला ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशियो को भी फाइलेरिया का प्रशिक्षण दिया जाता है । १९६५ मे थाइलैड के दो तकनीशियनो को दिया गया । अनुसंधान कार्यों मे विदेशी वैज्ञानिको का भी सहयोग लिया जाता है, फरवरी-मार्च १९६५ मे ब्रिटेन के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान के डा० पी० हार्किंग ने कार्य प्रारम्भ किया ।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम एको का पुनर्गठन केरल तथा अगतः आंध्र प्रदेश मे हो गया, कार्यक्रम मे भाग लेने वाले अन्य राज्यों मे होना है । १९६७-६८ तक

नियंत्रण एवको की सख्या ७२४ हो गई है। तीन एकक नगरीय क्षेत्रो म काय कर रहे हैं।

तपेदिक या क्षय

तपेदिक या क्षय रोग के उमूनन और इसके नियंत्रण का कायक्रम चातू है। क्षय सर्वक्षण का काय १९५८ मे पूरा हो गया है। इस जाच से पता चना (१) विभिन्न क्षेत्रो म क्षय से प्रति हजार ७ से ३० यक्ति मरते हैं। (२) गावो छोटे कस्बा और शहरो म क्षय रोग का प्रबोध वसा नही है जसी कि पहले कल्पना की जाती थी। (३) क्षय पुरयो की तुलना म स्त्रियो को कम होता है। (४) ४५ साल और वससे अधिक की आयु के वय म यह राग अधिक मात्रा म पाया जाता है। (५) रामाणु-जय रोगियो की सख्या विभिन्न क्षेत्रो म १ से ११ प्रति हजार है। अनुमान है कि देश म ६० ७० लाख क्षय रोग के रोगा (रेडियोलाजीकल टी बी० के केस) हैं। इनमे से १५ १८ लाख स्पुटम पाजिटिव केम हैं।

बी० सी० जी० का टीका अभियान—१९४८ मे बी सी० जी० का टीका लगाना प्रारम्भ किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षय निरोधक अभियान का एक भाग था। बाद म इस काम म अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सख्या और यूनीसफ से मदद मिली। १९४९ से १९६७ तक २४ ३० करोड लोगो की परीक्षा की गई और १० २२ करोड लोगो को टीका लगाया गया। २ वष तक की आयु के १ ७० करोड यक्तियो को बिना जाच किय टीके लगाय गय इसम ८ लाख नवजात गिणु भी सम्मिलित हैं।

बी० सी० जी० के दनो को जिला क्षय रोग केन्द्रो के साथ मिलाया गया है ताकि प्रत्येक जिले म सभी सम्बन्ध रोगियो को नियमित तथा स्थायी रूप से बी सी० जी० के टीके उपलब्ध होन रहे। अभी तक सम्बन्धित कायक्रम के अन्तगत विभिन्न क्षय रोग केन्द्रो के साथ १२३ दल काम कर रहे हैं (कुल दनो का सख्या २१६ है)। य दल घर घर जाकर टीका लगाने का काम कर रहे हैं। १९६८ ६९ म ३० नय दल बढ़ाने का विचार है।

१ ११ ६४ स ३ १ ६५ तक ८६ २० लाख यक्तियो की क्षय-परीक्षा की गई और ५४ ४ लाख यक्तियो को टीका लगाया गया।

क्षय आगधान एवक मदनापन म क्षय के विषय म अनुसंधान किया जाता है आगरा अहमदाबाद अजमेर बंगलौर बम्बई बलकस्ता कटक हैदराबाद मनास भागपुर नई दिल्ली ग्वाियात्रा पटना श्रीनगर और त्रिवन्म इन पाँह स्थाना म प्रयोग और प्रशिक्षण का स्थापित है।

प्रशिक्षण और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता स बंगलौर म राष्ट्रीय क्षय संस्थान की स्थापना १९५९ म की गई। यह संस्था हर मान ७५ टीमा को प्रशिक्षित करती है तथा शिक्षा क्षय नियंत्रण कायक्रम चनानी है। इस कायक्रम क अन्तगत प्रत्येक जिले म कम-से-कम एक माताशाल क्षय बजोतिक हानी चाहिए। १९६७ क अन्त म ५०२ बजोतिर हैं फिर भी ७१ जिले एन है जहा एक भी नही है। दश म १५ सनीटारिम (आरोग्य घृत्) १९५ बरह और ३५० राण-संघायो क्षय रागिया क नियम उपलब्ध थी। रोग मुक्ता के पुनर्वासन क नियम १५ बलिष्ठा है। रोग-मुक्ता का पुन उभा स्थान पर भजना जहा स वे हसनात म अन्त म गार रगना नही है। अन्त जहे अलग बस्ता म बमान की यात्रना क्षय-उन्मू जन बन्धन का एक भाग है।

क्षयरोग रसायन चिकित्सा केन्द्र (टी० वी० केमोथेरापी सेंटर), मद्रास—यह विश्व स्वास्थ्य सगठन, ब्रिटिश चिकित्सा अनुमधान परिषद् तथा मद्रास सरकार के सहयोग से चल रहा था। अब भारतीय चिकित्सा अनुमधान परिषद् के अधीन स्थाई प्रतिष्ठान बन गया है। विभिन्न केन्द्रों में रोग निरोधक दवाइयों की तुलनात्मक विभव की जाच की जाती है।

यह नियंत्रित क्लीनिक अव्ययनों द्वारा छाती में होते हुए क्षय रोग के इलाज की जानकारी तथा सस्ती विधियाँ ढूँढता है। केन्द्र द्वारा किये परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि रोगियों का घर पर इलाज करने पर भी परिणाम उतना ही अच्छा होगा जितना कि सेने-टोरियम आदि में करने पर।

मदनापल्ले क्षेत्र-अनुसधान एकक के कार्य से यह बात प्रकाश में आई है कि बारह सालों के प्रयत्न से क्षय-रोगियों का पता लगाने, उनका इलाज करने और टीका लगाने से रोग का होना आधा हो गया है।

क्षय-नियंत्रण के लिए तीसरी योजना में देश में ५ सचल एक्स-रे इकाइयाँ स्थापित की गईं। ये इकाइयाँ आगरा, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और अजमेर के क्षय-प्रदर्शन व प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गईं।

राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान. बंगलौर—क्षय रोग नियंत्रण तथा क्षेत्र अनुसधान कार्य वाले दलों को प्रशिक्षण देने के मामले में यह संस्थान एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में काम करता रहा।

इस वर्ष ८ फरवरी १९६७ से १८ सितम्बर १९६७ तक इस संस्थान में तीन-तीन महीने की अवधि के दो नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये। इनके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के ४२ चिकित्सा अधिकारियों, ४६ आयोजकों, ३९ एक्स-रे तकनीशियनों, ४६ प्रयोगशाला तकनीशियनों, २२ वी० वी० जी० दलों के नेताओं और ३८ सांख्यिकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।

क्षय-रोग निरोधी औषधियाँ—क्षय-रोग क्लीनिकों को औषधियाँ सुलभता से प्राप्त कराने के लिये १९६३-६४ में राज्यों ने एक योजना प्रारम्भ की। उसके अनुसार २२५ क्षय-रोग क्लीनिकों को ये औषधियाँ मुफ्त मिलती हैं।

भारतीय क्षय-रोग सगठन—यह एक सार्वजनिक सगठन है। यह अपनी स्थापना के समय (१९३९) से क्षय-निरोधक कामों को वैज्ञानिक व समन्वित रूप में आगे बढ़ाने में प्रवृत्त है। यह कर्मचारियों के सम्मेलन, राज्य क्षय सगठन सचिव सम्मेलन तथा तकनीकी समितियों व फोरमों का आयोजन करती है। सस्था प्रशिक्षण की सुविधायें भी देती है और क्षय-निरोधक उपायों का प्रदर्शन करती है। इस समय २० राज्यों में इस सगठन की २८० शाखाएँ हैं।

कोढ़ :

१९६३ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कोढ़ियों की अनुमानित संख्या २५ लाख है। विश्व के प्रत्येक ४ कोढ़ियों में से एक भारत का है—इसमें से २० प्रतिशत सत्रामक प्रकृति के रोगी हैं। देश के कुछ भागों में प्रति हजार ४० व्यक्ति तब कोढ़ी हैं। मद्रास और आंध्र प्रदेश में कोढ़ रोग की समस्या ज्यादा विकट है। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, महाराष्ट्र

इस प्रकार की अन्य गैर-सरकारी सस्थाएँ हैं हिन्द कुष्ठ निवारण सघ, महारोगी सेवा मण्डल, रामकृष्ण मिशन और विदर्भ महारोगी सेवा मण्डल । महाराष्ट्र के चाँदा जिले में वरोडा नामक स्थान पर कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों को व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिये एक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

रति-रोग या प्गुत-रोग .

सोलह साल पहले अनुमान लगाया गया था कि भारत में सिफलिस (उपदश) से पाँच प्रतिशत लोग पीड़ित हैं । इसी प्रतिशत में गनोरिया (सुजाक) से ग्रस्त लोग हैं । आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 'घाव' (फफोला) रोग फैला हुआ है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने १९४९ में हिमाचल प्रदेश में एक प्रदर्शन-मण्डली की स्थापना की थी । इसने विस्तृत सर्वेक्षण और सामूहिक उपचार कार्यक्रम चलाया तथा राज्यों द्वारा भेजी कई मण्डलियों को प्रशिक्षण दिया । अनुमान किया जाता है कि यह बीमारी प्राप्त आकड़ों से भी अधिक व्यापक है ।

देश में २२० से अधिक रति रोग उपचारालय हैं । जनवरी से अक्टूबर, १९६४ के मध्य इन्होंने ३०४३८३ रोगियों का इलाज किया । उपचारालय इलाज करने के साथ-साथ निरोधक कार्य भी करते हैं । तीसरी योजना में नवम्बर, १९६५ तक २ हेड क्वार्टर्स क्लीनिक तथा ४० जिला क्लीनिक स्थापित की गईं, १९६६-६७ में क्रमशः २ और १६ और खोली जाएंगी । सितम्बर, १९५९ में कुतलू घाटी में सारी आवादी को रति रोग से मुक्त करने का अभियान प्रारम्भ किया गया । फफोला-विरोधी दवाओं ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा में जोखिम उठाकर बड़ी जनसंख्या की सेवा की । उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों और देहरादून जिले के जोनसार वावर इलाके में रति-रोग नियंत्रण कार्यक्रम जोरो पर है ।

रति-रोग प्रशिक्षण-केन्द्र, सफदर जग अस्पताल, नई दिल्ली—यह मार्च, १९५४ से कार्यरत है । यहाँ रति-रोग की आधुनिकतम चिकित्सा तथा महामारी विज्ञान का प्रशिक्षण किया जाता है । अक्टूबर, १९६४ से दिल्ली विश्वविद्यालय में रति-रोग विज्ञान का एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (डी० पी०) शुरू किया गया है । निम्न स्थानों में औरियण्टेशन प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है (१) लेडी हार्डिंग स्वास्थ्य विद्यालय दिल्ली, (२) कालेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली, (३) परिवार नियोजन केन्द्र तथा (४) भारत में नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान सघ के केन्द्र । रति-रोग विज्ञान सस्थान, मद्रास में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सगरोधन

यह केन्द्रीय विषय है । कलकत्ता, विशाखापत्तनम्, मद्रास, कोचीन, बम्बई और काडला के ६ प्रमुख बन्दरगाहों तथा बम्बई (सान्तागज), कलकत्ता (दमदम), मद्रास (मीनाम्बकम्), तिरुचिरापल्ली व दिल्ली (पालम) के ५ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सगरोधन-प्रशासन केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है । तिरुचिरापल्ली का हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन जुलाई, १९६४ में बन्द कर दिया गया था, अब जुलाई १९६५ से फिर चालू किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय यातायात वाले छोटे बन्दरगाहों पर भी भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम १९६५ लागू होते हैं । प्रशासन के अन्तर्गत विमान-अड्डों और बन्दरगाहों पर पर्यावरणिक सफाई व मच्छर व कुन्तक-प्राणी विरोधी उपाय की व्यवस्था है । नागरिकों

एक समय स्थानिकमारी क्षेत्रों को आयोडीकृत नमक की पूर्ति करने के लिये दो आयाडीकरण एक्क वाम कर रहे हैं जिनमें एक साबर म तथा दूसरा कलकत्ता म है ।

नमक के आयोडीकरण का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है तथा यह आयोडीकृत जनता को उसी दर पर बेचा जा रहा है जिस पर साधारण नमक बिक रहा है । १९६६ और १९६७ म साबर तथा कलकत्ता के आयोडीकरण सयंत्रों से दिये गये आयोडीकृत नमक की मात्रा इस प्रकार है —

दो के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों म रहने वाले ४ करोड़ व्यक्तियों म से केवल एक करोड़ ३३ लाख व्यक्तियों को साबर से तथा १४ लाख व्यक्तियों को कलकत्ता सयंत्र आयोडीकृत नमक दिया जा रहा है ।

१९६८-६९ के लिये कार्यक्रम

इस कठिनाई म रहने वाली ४ करोड़ जनसंख्या की सारी मांग को पूरा करने के लिए इस वर्ष तक अतः तक ९ और छिड़काव की किरम वाले सयंत्रों के सगाय जाने की सम्भावना है । इनके अतिरिक्त साबर में एक सयंत्र १९६७ से ही चालू हो गया है ।

कसर

कसर चिकित्सा के दो प्रमुख अनुसंधान-केन्द्र हैं—चितरजन राष्ट्रीय कसर अनुसंधान केंद्र कलकत्ता और कसर अनुसंधान संस्थान मद्रास ।

चितरजन राष्ट्रीय कसर अनुसंधान केंद्र कलकत्ता एका प्रमुख एक शासितिकाय करता है जिसमें भारत सरकार पंचिम बंगाल सरकार तथा दशबधु स्मारक यास के प्रति निधि होत हैं । एकी अय-व्यवस्था का सारा भार स्वास्थ्य मंत्रालय पर है । यह केंद्र कसर और मत्र अनुसंधान तथा प्रणिगण-मुविधाआ की व्यवस्था करता है । इस केंद्र का आठ मजिना विगान अनुसंधान भवन १९६७-६८ म पूरा हो चुका है । कलकत्ता से २८ मील दूर पानगर म अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र चालू किया गया ।

कसर अनुसंधान संस्थान मद्रास एकी स्थापना १९५५ म भारतीय महिला सघ न की । १९५७-५८ म भारत सरकार इसके अनुसंधान अनुभाग को अनुदान देती है । अब यह दो म कसर चिकित्सा और अनुसंधान का एक मुख्य केंद्र बन गया है ।

एम पी० गाहू कसर अस्पताल अहमदाबाद इसकी स्थापना गुजरात कसर मंत्रालय गुजरात सरकार और भारत सरकार के समुक्त प्रयास म की गई है ।

प्रादेशिक कसर केंद्र टाटा स्मारक कसर अस्पताल बम्बई कसर संस्थान मद्रास कसर अस्पताल कलकत्ता और एम पी० गाहू कसर अस्पताल अहमदाबाद प्रादेशिक कसर अस्पताल हैं ।

जिना म मंत्री प्रादेशिक महिला कलकत्ता और अस्पताल तथा मस्तरजग अस्पताल में म कसर का चिकित्सा का व्यवस्था है ।

इस कलकत्ता संस्थान मद्रास कलकत्ता नई जिना हैराबाद कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता और कलकत्ता क १७ अस्पतालों म कसर सुनिश्चित उपलब्ध है ।

१९६५-६६ में भी उपरोक्त ३ इकाइयों की प्राप्ति के लिए कनाडा सरकार ने मोटे तौर पर २,५०,००० डालर देना स्वीकार कर लिया है।

मानसिक स्वास्थ्य

१. अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलोर—यह संस्थान शिक्षण और अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान है। इसमें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा डिप्लोमा (डी० पी० एम०) चिकित्सा एवं सामाजिक मनोविज्ञान डिप्लोमा (डी० एम० एण्ड एस० पी०), मनोविज्ञान उपचर्या डिप्लोमा (डी० पी० एन०) के अतिरिक्त मनोविज्ञान चिकित्सा में एम० डी० तथा नैदानिक मनोविज्ञान में पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

इस संस्थान के अन्तर्गत मानसिक चिकित्सा अस्पताल कार्य कर रहा है।

२. मानसिक रोग चिकित्सालय राँची—इस अस्पताल में चिकित्सा के आधुनिकतम साधन हैं।

इस चिकित्सालय के अन्तर्गत काँके से तीन मील दूर वसे एक गाँव बोरिया में ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है। चिकित्सालय के अन्तर्गत जीर्ण रोगियों के लिए १०० पलंगों वाला एक पुनर्वास केन्द्र २४ अप्रैल १९६७ से चालू किया गया है।

इस चिकित्सालय के अन्तर्गत डी० पी० एम० तथा डी० एम० एण्ड एस० पी० पाठ्यक्रम चालू हैं। १९६८-६९ में मनोविज्ञान में पी० एच० डी० तथा मनोविकार सामाजिक कार्य में डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण कोर्सों को राँची विश्वविद्यालय के मरक्षण में प्रारंभ करने की मजूरी दे दी गई है। यहाँ मनोविकार विज्ञान में एम० डी० भी इस वर्ष प्रारंभ होने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का विशेषज्ञ विभाग—इस योजना के अधीन सफ़दरजग अस्पताल तथा विलिङ्गडन अस्पताल नई दिल्ली में मनोविकार विज्ञान योजनाएँ चल रही हैं।

चिरिल्ला को निम्मा और प्रशिक्षण

निम्मा मुक्किया एउ प्रशिक्षित गक्ति

सं	१८४० ४१	१८४१ ४२	१८४२ ४३	१८४३ ४४	१८४४ ४५	१८४५ ४६	१८४६ ४७	१८४७ ४८	१८४८ ४९	१८४९ ५०	१८५० ५१	१८५० ५२
गतिशय कतिपय	३०	४२	४७	५७	६९	८१	९४	११२	१२४	१३८	१५६	१७० ७१
बागिचा मन्थन	२४००	३४००	४८००	६०४२०	७१०७९	८४	११२००	१३१२४	—	—	—	१६१२४
दाम कतिपय	४	७	१०	१३	१४	१४	१५	१६	—	—	—	१६
बागिचा मन्थन	१४०	२३१	२८१	४०६	४४५	४८४	५२५	५०००	—	—	—	१०००
सुशिक्षण	४६००	६४००	७००००	८६०००	९००००	९६०००	१०२४२०	१३१०००	—	—	—	१३१०००
नग	१४०००	१८४००	२७०००	४४०००	४००००	४४०००	४४०००	५१,०००	—	—	—	६८०००
गतिशय तम पाठिका	८०००	१२७५०	१६६००	६०००	४१००	४८०००	४६०००	४५०००	—	—	—	६४०००
नया पाठिका	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नये मेडिकल कालेजो की स्थापना और मौजूदा कालेजो के विस्तार की योजना को तीसरी योजना मे केन्द्र से सहायता-प्राप्त योजना के रूप मे शामिल किया गया ।

इसके अतर्गत राज्यों को केन्द्र से ७५ प्रतिशत अनावर्ती तथा ५० प्रतिशत आवर्ती सहायता मिलती है ।

डाक्टरों की माग की पूर्ति के लिए प्रवेश-संख्या मे वृद्धि की भी एक केन्द्र-अनुमोदित योजना है । इसके अतर्गत भी केन्द्रीय सरकार आवर्ती व अनावर्ती सहायता देती है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्र पाच क्षेत्रीय मेडिकल कालेजो की स्थापना की योजना स्वीकार कर चुका है ।

सकट कालीन योजना के अतर्गत मेडिकल कालेजो मे अतिरिक्त प्रवेश देने की व्यवस्था है । इस सकटकालीन योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल २,२८८ प्रवेश दिए गए हैं ।

सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन व्यूरो नवम्बर १९५६ मे इस व्यूरो की स्थापना हुई । इसका लक्ष्य देश भर मे डाक्टरी शिक्षा मे एक सूत्रता लाना और उसको बढ़ाना है । यह 'स्वास्थ्य हिन्द' नाम से एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है । सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आरगनाइजेशन के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है । अधिकांश राज्यों मे स्टेट हेल्थ एजुकेशन व्यूरो स्थापित है ।

आयुर्वेद

देश मे आयुर्वेद की शिक्षा देनेवाली १०० से अधिक संस्थायें हैं जिनको किसी न किसी रूप मे सरकारी मान्यता प्राप्त है । आयुर्वेदिक महाविद्यालय देश भर मे फैले हुए हैं । इनमे से कुछ महाविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं ।

केन्द्रीय शुद्धायुर्वेद शिक्षा मण्डल का मुख्यालय दिल्ली मे है । इस मण्डल ने आयुर्वेदीय शिक्षा की सशोधित पाठ्यचर्या तथा पाठ्य विवरण प्रकाशित किया है ।

बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना, मद्रास, वेल्लूर, नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक, बंगलौर, पटना, पाडिचेरी, जयपुर और कानपुर के १७ अस्पतालों मे कैंसर यूनिट उपलब्ध हैं ।

होमियोपैथी — होमियोपैथी की शिक्षा देने वाली तीस संस्थायें हैं । इनमे से कुछ को राज्य परिषद् की मान्यता प्राप्त है तथा कुछ को वर्ग बढ़ाने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है । होमियोपैथी की चिकित्सा को नियम-बद्ध करने के लिए राज्यों ने परिषद् बना लिए हैं । होमियोपैथिक फार्माकोमिया कमिटी ने एक प्रस्तावली प्रचारित की है ।

स्वास्थ्य निरीक्षक—इनके प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मिलती है । प्रशिक्षण योजना १९५४-५५ से प्रारम्भ हुई । तीसरी योजना के अन्त तक लग-भग ४,३७० स्वास्थ्य-निरीक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया । चौथी योजना मे भी २,००० स्वास्थ्य-निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने का विचार है ।

दाइयो का प्रशिक्षण—दाइयो को प्रसूतिदोष (अनेप्सिम) चिकित्सा वी आयुनिक तकनीको का प्रशिक्षण देने के लिए एक छमाही पाठ्यक्रम राज्यों मे चलता है । उनमे केन्द्र

आर्थिक सहायता करता है। चौथी योजना में २६०००० दाइयाँ के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त में ३०००० दाइयाँ प्रशिक्षित हो चुकी हैं।

दशक के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बम्बई हैल्थवाच नर्स दिल्ली इन्दौर और कलकत्ता में नर्सिंग राजें हैं।

अनुसंधान व प्रशिक्षण की विभिन्न संस्थाएँ

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-संस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना समद के १९५६ की अधिनियम संख्या २५ के अंतर्गत हुई। यह स्वायत्तगामी संस्था है। यह एक अधिस्नातक मेडिकल कानून चलाती है। तथा देश में चिकित्सा शिक्षा के ऊँचे स्तर का मापदण्ड रखती है। इसका एक अस्पताल और पुस्तकालय है। यह संस्थान विश्व के इस भूभाग में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का एक प्रमुखतम केन्द्र है। १९६७-६८ में इस संस्थान को सहायानुदान देने के लिए १ करोड़ ६१ लाख ५१ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

फाल्तेज आफ नर्सिंग नई दिल्ली—यह दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहाँ मास्टर आफ नर्सिंग बी० एम-सी (आनर्स) निस्टर कोस सिस्टर ट्यूटर कोस धात्री ट्यूटर कोस और उपन्यास प्रशासन के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है।

लेडी हार्डिंग फाल्तेज एण्ड हास्पिटल, नई दिल्ली—भारत में छात्राओं के लिए यह एक पुराना और प्रसिद्ध डॉक्टरी कॉलेज है।

बलावती गरण बाल चिकित्सालय नई दिल्ली—लेडी हार्डिंग मेडिकल कानून की उपस्नातक को यहाँ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चों का भी यहाँ इलाज होता है।

लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय तथा रामचन्द्र लोहिया त्रिगु कल्याण केन्द्र (दिल्ली) एम स्नून में दो पाठ्यक्रम चलते हैं।

भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) विद्यालय व प्रशिक्षण केन्द्र, बम्बई—भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से के० ई० एम अस्पताल बम्बई में इसकी स्थापना की।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (दिल्ली योजना) इसका अंतर्गत दिल्ली के अस्पतालों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चुने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार की एक केन्द्रीय चयन समिति करती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अपने लिए नियम छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों का चयन स्वयं करता है। अस्पतालों में अध्ययन करने वाले ७७ छात्रों का छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं।

अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ३०० छात्रवृत्तियाँ हैं। यह योजना गारे देण के छात्रों के लिए है। उम्मीदवारा का चयन सात में दो बार भारत सरकार की चयन समिति करता है।

आर्य जीवन मरण एवं स्वास्थ्य सांख्यिकीय इकाई नागपुर १९५७ में इस प्रकार विभागात्मा। एमएम व स्वास्थ्य सांख्यिकी चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रशासन के तीन

पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलते हैं। इनकी अवधि त्रैमासिक १०, १२ और २ सप्ताह की है। इनमें केवल स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारी तथा राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेसियों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों द्वारा भेजे गये व सार्वजनिक कार्य में लगे व्यक्तियों को ही भर्ती किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना :

पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती थी। १ जुलाई, १९५४ से यह प्रारंभ हुई। पहले यह दिल्ली तथा नई दिल्ली में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही थी। पर नवम्बर १९६३ से बम्बई में भी यह लागू की गई। योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायत्तशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनों के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सगठनों के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पेंशनयापता कर्मचारी तथा दिल्ली के चुने हुए इलाकों में बसे लोग आते हैं। इसका लाभ ससम्बन्धियों को भी उपलब्ध है।

योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ में दो और अर्ध सरकारी संस्थाएँ लाई गईं, अब इनकी कुल संख्या ७८ है जिनमें १२,३११ परिवार हैं। दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनयापता कर्मचारियों को १ जनवरी १९६५ से योजना के लाभ उपलब्ध कराये गये हैं। १९६७-६८ के प्रारम्भ में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परिवारों की संख्या दिल्ली में १,४५,३७० थी।

योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसके अनुसार, स्वयं विशेषज्ञ औपचारिकों में जाकर रोगियों को परामर्श देते हैं। चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेषज्ञों की सेवाएँ काफी बड़े पैमाने पर विकेन्द्रित की गई हैं। इस समय ८ विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।

प्रयोगशाला परीक्षणों की सुविधा के विस्तार के लिए २० औपचारिकों में क्लीनिकल प्रयोगशालाएँ खोलने की योजना में से १६ प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

आर्थिक सहायता करता है। चौथी योजना में २८० ००० दाइया के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त में २० ००० दाइया प्रशिक्षित हो चुकी हैं।

देश के सब बड़े अस्पतालों में नर्सों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। हमने अतिरिक्त बम्बई हैरालावाड नई दिल्ली इंदौर और बालौर में नर्सिंग कॉलेज हैं।

अनुसंधान व प्रशिक्षण की विभिन्न संस्थाएँ

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-संस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना संसद के १९५६ की अधिनियम संख्या २५ के अंतर्गत हुई। यह स्वायत्तशासी संस्था है। यह एक अधिस्नातक मॉडर्न काल का बनाती है। तथा देश में चिकित्सा शिक्षा के ऊँचे स्तर का मापदंड रखती है। इसका एक अस्पताल और पुस्तकालय है। यह संस्थान विश्व के इस भूभाग में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का एक प्रमुखतम केंद्र है। १९६७-६८ में इस संस्थान को सहायानुदान देने के लिए १ करोड़ ९१ लाख ५१ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली—यह दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्बद्ध है। यहां मास्टर ऑफ नर्सिंग बी० एम-सी० (आनर्स) सिस्टर कोस, सिस्टर ट्यूटर कोस धार्मी ट्यूटर कोस और उपबर्षा प्रशासन के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है।

लेडी हार्डिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल नई दिल्ली—भारत में छात्राओं के लिए यह एक पुण्य और प्रसिद्ध डॉक्टरों का कॉलेज है।

ब्रह्मावती शरण बाल चिकित्सालय नई दिल्ली—लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की उपस्नातकों को यहां यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चों का भी यहां इलाज होता है।

लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय तथा रायचंद लोहिया शिक्षा बल्ल्याण केंद्र (दिल्ली) इस स्कूल में दो पाठ्यक्रम चलते हैं।

भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरापी) विद्यालय व प्रशिक्षण केंद्र, बम्बई—भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से के० ई० एम० अस्पताल बम्बई में इसकी स्थापना की।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (दिल्ली योजना) इसके अंतर्गत दिल्ली के अस्पतालों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चुने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार की एक क्षेत्रीय चयन समिति करती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अपने लिए नियत छात्रवृत्तियां व लिए छात्रों का चयन स्वयं करता है। अस्पतालों में अध्ययन करने वाले ७७ छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं।

अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ३०० छात्रवृत्तियां हैं। यह योजना सार्वभौमिक के छात्रों के लिए है। उम्मीदवारों का चयन साल में दो बार भारत सरकार की चयन समिति करता है।

आर्य जीवन मरण एवं स्वास्थ्य साहित्यिकी इकाई नागपुर १९५७ में इस प्रकार स्थापित किया गया। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य साहित्यिकी चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रदान के तीन

पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलते हैं। इनकी अवधि त्रयस १०, १२ और २ सप्ताह की है। इनमें केवल स्वास्थ्य विभागा के कर्मचारी तथा राज्य सरकारो, अंतर्राष्ट्रीय एजेसियो, नगर पालिकाओ तथा नगर निगमो द्वारा भेजे गये व सँस्थिकी कार्य मे लगे व्यक्तियो को ही भर्ती किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना :

पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती थी। १ जुलाई, १९५४ से यह प्रारम्भ हुई। पहले यह दिल्ली तथा नई दिल्ली मे रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए ही थी। पर नवम्बर १९६३ से वम्बई मे भी यह लागू की गई। योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायत्तशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पैशनयापता कर्मचारी तथा दिल्ली के चुने हुए इलाको मे वसे लोग आते है। इसका लाभ ससत्सदस्यो को भी उपलब्ध है।

योजना के अन्तर्गत १९६५-६६ मे दो और अर्ध सरकारी सस्थाए लाई गई, अब इनकी कुल सख्या ७८ है जिनमे १२,३११ परिवार है। दिल्ली और नई दिल्ली मे रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पैशनयापता कर्मचारियो को १ जनवरी १९६५ से योजना के लाभ उपलब्ध कराये गये है। १९६७-६८ के प्रारम्भ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परिवारो की सख्या दिल्ली मे १,४५,३७० थी।

योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओ का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसके अनुसार, स्वय विशेषज्ञ औपधालयो मे जाकर रोगियो को परामर्श देते हे। चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेषज्ञो की सेवाए काफी बडे पैमाने पर विकेन्द्रित की गई है। इस समय ८ विशेषज्ञ काम कर रहे है।

प्रयोगशाला परीक्षणो की सुविधा के विस्तार के लिए २० औपधालयो मे क्लीनिकल प्रयोगशालाए खोलने की योजना मे मे १६ प्रयोगशालाए स्थापित की जा चुकी हे।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ये छात्रवृत्तियाँ हैं—

पाठ्यक्रम का नाम	छात्रवृत्तियाँ की संख्या प्रतिवर्ष	मासिक छात्र-वृत्तियाँ का रकम (रुपया में)
स्नानकोत्तर (चिकित्सा) दत्त सहित	१०	२०
बी०एम०सा नर्सिंग	८	७५
उपस्नातक (चिकित्सा)	७१	७५
जन स्वास्थ्य नर्सिंग	२	१०

एक मन्त्रणा समिति भारत सरकार को उपरोक्त मामला में सलाह देती है।

भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी—यह सेवा के विभिन्न कार्य करती है। हाल के सफ्ट कानन एम्बे बीमार व घायल जवानों के लिए रक्त दिया तथा बहुत सँ व्यक्तियों को आधुनिक चिकित्सा तथा उपचारों का प्रशिक्षण दिया। युद्ध के आग्रम मोर्चों पर उपहार कारगज व १ लाख रुपये के मृत्यु की मिठाइयाँ भजी।

१९६७ ६८ में सोसायटी को इसके सामान्य कार्यों के लिये सरकार ने दो लाख रुपये का अनुदान दिया।

मैज जन एम्बुलेंस (भारत)—से १९६७ ६८ में १० ००० रुपये का अनुदान दिया गया।

रक्त अधिकार तथा स्वेच्छा रक्तदान सेवा—स्वेच्छा रक्तदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये मन्त्रणा गुजरात पञ्जाब और पश्चिम बंगाल में स्वेच्छा रक्तदान सेवाएँ प्रारम्भ की गई। रक्त अधिकार प्रविधि के कमचारियों की सारी कमी को पूरा करने के लिये एक अक्टूबर १९६७ तक सेंज जाज अस्पताल बम्बई में लगभग ३६ डाक्टरों तथा ११२ तकनीकियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अहमदाबाद मन्त्रणा तथा चण्डीगढ़ में इगतड से मन्त्रणा फीज ड्राइंग न न्जाजमा प्लाट उगाए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग से आग्र उद्योग अक्षम मसूर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिये फीज ड्राई प्लांटों का एक एक तयार किए जा रहे हैं। मन्त्रणा और अहमदाबाद में प्लांट भी काम करने लगे। अब इन प्लांटों का निमाण भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग सम्भर करेगा। ६ प्लांट तयार लिये जाएंगे। पहली यूनिट न माच १९६६ में जान की गभारता थी।

शान्तिप्राप्तिका प्राविण्य तथा नत्र अधिकार—वेमाम स्वास्थ्य परिषद् की १९६८ की गिफारिंग पर शान्तिप्राप्तिका प्राविण्य व विधान (तजिमलान) ११ राया तथा २ सपीय प्रणैग म हैं—रा य १— आग्र प्रणैग विहार गुजरात करन मध्य प्रणैग मन्त्रणा महाराष्ट्र उन्गा पञ्जाब उत्तर प्रणैग पश्चिम बंगाल तथा सिन्धी और हिमाचल प्रणैग। लगभग ४ लाख रुप फन्ना का शान्तिप्राप्तिका कानन की आरम्भकता है तथा लगभग ३०० व्यक्तियों न नन्त्रणा के लिये पत्रीकरण करेगा है।

भारत की उपलब्ध चिकित्सा सुविधा

लक्ष्य

१९७०-७१

१९६७-६८

१९६६-६७

१९६५-६६

१९६०-६१

१९५५-५६

१९५०-५१

अस्पताल व डिस्पेंसरी

अस्पताल बौध्याए

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

जिला क्षय अस्पताल
कुल सुसज्जित

कुण्ट—१ नियन्त्रण इकाइया

२ सर्वेक्षण शिक्षा व उपभार केन्द्र

३ नौर चिकित्सा सहायको के लिए
प्रशिक्षण केन्द्र

रति रोग

१. जिला जीपथालय

२ मुख्य कार्यालय औपथालय

३ चतते फिरते रति रोग दल

प्रसूति गृह और शिशु कल्याण केन्द्र

* यह सख्या राज्य पैटर्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की है।

११ मार्च १९६८ को देश मे ६०% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विना डाक्टर के थे।

टिप्पणी—३१

१७७

१४

१२

४

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

३,००,१००

५,३०३

४,६२६

* + २६०

३४५

३००

२,४७५

—

—

—

—

—

—

—

२,५०,२००

४,६२६

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

२,४४,७००

४,७६३

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

१४,६००

२,४०,१००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

१२,६००

२,४५,०००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

१०,०००

१,२५,०००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

५,६०,०००

१,२५,०००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

१२,६००

२,४५,०००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

१०,०००

१,२५,०००

४,६३०

* + २६०

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

क्षय प्रत्यान एव प्रशिक्षण के द्व—यहां क्षय सम्बन्धी प्रशिक्षण व प्रत्यान होते हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली—भारतीय मलेरिया संस्थान ही १९६२ में एक संस्थान में परिवर्तित हो गया। यहां महामारी शास्त्र जीव रसायन जुनोसिस कीट शास्त्र तथा अणुजीव शास्त्र का प्रशिक्षण प्रदर्शन व अनुसंधान होते हैं।

वल्लभ भाई पटेल वक्ष रोग संस्थान दिल्ली—हृदय रोगों व अनुसंधान के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। इस विषय में यह शास्त्रों को प्रशिक्षण भी देता है। यहां क्षय तथा वक्ष रोगों के स्नातकोत्तर डिप्लोमा चिकित्सा प्रयोगशास्त्रा प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की शिक्षा व अनुसंधान होते हैं।

भारत सरकार का सीरम विनोद तथा रसायन परीक्षण का विभाग कलकत्ता—यह संस्था खून शुद्ध जाति की परीक्षा करती है। कथित अपराधियों के अपराधों की जांच के लिए आवश्यक रक्त परीक्षा आदि यहां की जाती है। इससे कार्यों में चिकित्सा-बानूनी विवरण तथा कौनिकी परीक्षण है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षा संस्थान—इसकी स्थापना २४ सितम्बर १९६४ को की गई। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। ५ वर्ष के लिए फोर्म प्रतिष्ठान से इस राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान के लिए १२ ४६ ००० डालर का अनुदान मिला है। इस राशि में ६ ८३ ०० ४ इस संस्थान के लिए हैं। प्रतिष्ठान के ४ परामर्शदाता यहां काम कर रहे हैं। यहां २ स्टाफ कानून कोस तथा ७ पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम (दोनों १९६५ में प्रारम्भ) तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के नये कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान नई दिल्ली—इसकी स्थापना १९६६ में की गई। यह विभिन्न पक्षा में परिवार नियोजन अभियान सवधी मान का प्रसार करता है।

अखिल भारतीय धाक चिकित्सा संस्थान समूर—यह ६ अगस्त १९६५ से शुरू किया गया। यहां दाक चिकित्सा का प्रशिक्षण व रोगियों का उपचार होता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन

केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन मार्च १९६६ से स्वास्थ्य सेवाओं के महानिष्ठागतय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठनों की गतिविधियों में तानमन बनाना और उनका मार्गदर्शन करता है तथा राशियों को देने के लिए स्वास्थ्य गाड़ियों व फालतू पुर्जों व भण्डार रखता है।

हैरिजन अनुसंधान संस्थान पोसियो अनुसंधान एडवर्ड बम्बई

पात्रियों व कर्मियों व उपायन तथा पराक्षण की प्रयोगशास्त्रा व निर्माण कार्य का प्रथम खर्च १९६७ में कार्य में पुरा हो गया। ये प्रयोगशास्त्रा अपना कार्य करने लग गई है और अब इनमें पास्चूर संस्थान कुनूर से प्राप्त हो रहे विधान-तरता व वचा का पराक्षण भी हो रहा है।

मेडिकल कॉलेज

एनोर्पथिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कॉलेजों के नाम प्रदेशवार

इस प्रकार है •

प्रदेश	स्थान (मेडिकल)	स्थान (उन्त)
आन्ध्र	विशाखापत्तनम्, गन्धर, कूरनूल, काफीनाड, नारगल, तिक्षपति, हैदरावाद, (२ गांधी व उस्मानिया) ।	हैदरावाद
अगम	डिन्नूगढ, गोहाटी, सिलचर ।	—
बिहार	पटना, दरभंगा, राँची, जमशेदपुर ।	पटना
गुजरात	अहमदावाद (२ वी० जे० व म्युनिस्पल), वडोदा, जामनगर, सूरत ।	अहमदावाद
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर ।	—
केरल	त्रिवेन्द्रम, कोट्टयाग, अल्लेपी, कालीकट ।	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवाँ, रामपुर ।	इन्दौर
मद्रास	मद्रास, (२—मेडिकल, स्टेनलेमेडिकल) वेल्लोर, मदुराई, किलपाक ।	मद्रास
महाराष्ट्र	बम्बई, (३—ग्रान्ट, जी० एस०, टी० एन०) पूना (२—वी० आई०, आर्मंड फोर्सेज), औरंगाबाद, मिरज, शोलापुर, नागपुर (२)।	बम्बई (२—नागर हास्पीटल, सी० ई० एम०)
मैसूर	मणिपाल, (मगलौर), बगलौर, हुबली, गुलवर्ग, बेलगाव, कोयम्बटूर ।	बगलौर, मणिपाल (मगलौर)
उड़ीसा	कटक, बुडिया (सम्बलपुर) बरहामपुर ।	—
पंजाब	अमृतसर, पटियाला, रोहतक, लुधियाना (२—क्रिश्चियन, दयानन्द) ।	अमृतसर, पटियाला
राजस्थान	जयपुर, उदयपुर ।	—
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी (२—कालेज ऑफ मेडिकल साइन्स व हिन्दू विश्व-विद्यालय) इलाहाबाद, अलीगढ, मेरठ (२)	लखनऊ
प० बंगाल	कलकत्ता (४—मेडिकल, आर० जी० कार, नेशनल इस्टीच्यूट, नीलरतन सरकार), बाकुडा ।	कलकत्ता
दिल्ली	नई दिल्ली (३—लेडी हार्डिंग, ए० आर्ट० आई० एम० एस-सी, मौलाना आजाद ।)	—
गोवा	गोवा	—
पाडिचेरी	पाडिचेरी	—
हिमाचल प्रदेश	शिमला	—

जा सकी है। मृत्युदर १९२१ म ४८ ६ प्रति हजार म घट कर २५ गान १६ प्रति हजार म ग है।

जम मर धीरे धीरे कम होना गुरु हो गया है। सकिन मृत्यु-मर म नाव स्वास्थ्य सुविधाओ और सचारी रोगा के नियंत्रण म हृत् प्रगति के फलस्वरूप तीव्र कभी आ गई है जिसने मोनो दरो के बीच का अंतर घट गया है और जनसंख्या की वृद्धि की दर म भी तीव्र वृत्तरी हो गई है जो आजकल २ ५ प्रतिगत प्रतिवष है।

जनसंख्या म वृद्धि की दर को १ ५ प्रतिगत प्रतिवष तक लाने के उद्देश्य से यह अनिवाय माना गया है कि जम दर को यथाशीघ्र ४१ प्रति हजार म २५ प्रति हजार तक कम किया जाए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

दो या तीन बच्चा बान छोड़े परिवार के आदर्श को स्वीकारने तथा परिवार नियोजन को एक जीवन के अग के रूप म अपनाते के लिए जनता का प्रेरणा देना साधन सेवाओ और मन्दाई का संगठन और विस्तार जिनम गभनिरोधक रूप और नमवदी की सुविधाए शामिल है कार्यक्रमों का प्रशिक्षण विभिन्न स्तरा पर परिवार नियोजन संगठना को मजबूत और समर्थन करना और अनुसंधान तथा मूल्यांकन के कार्यक्रमों को चलायाना।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य जहां परिवार के आकार का कम करना है वहां मा और उसक बच्चा की अच्छी देखभाल स्वास्थ्य और सुख के लिए भी प्रयत्न करना है। इसलिए मातृ तथा बान स्वास्थ्य सेवाओ को परिवार नियोजन के सभी स्तरा पर उपलब्ध सेवाओ का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की व्यय सारिणी (लाख रुपयो मे)

				अनुमानित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
प्रथम	द्वितीय	तृतीय	१९६६ ६७	१९६७ ६८	१९६८ ६९	चतुर्थ योजना
योजना	योजना	योजना				
१४ ११	२१५ १८	२४८ १ ६५	१३६९ ४४	—	३९ ९	२२९ १ ०

परिवार नियोजन संगठन

१९६६ म देश म परिवार नियोजन का एक अलग विभाग खोला गया। राशिया म संगठन स्थिति म प्रकार से है—

१ राजपरिवार नियोजन कार्यालय

२ जिला परिवार नियोजन कार्यालय (प्रत्येक जिले म)

४ ५ ० की आबादी पर एक नगर परिवार कल्याण नियोजन केंद्र अथवा ग्रामी कार्यालय।

४ प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म एक मुख्य ग्राम परिवार नियोजन केंद्र।

५ १ हजार ग्रामीण आबादी पर एक उपकेंद्र।

परिवार नियोजन पर भारत सरकार को सहाह देने के लिए सितम्बर १९५६ म स्थापित केन्द्रीय परिवार नियोजन विभाग का पुनर्गठन कर उसे केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् बना लिया गया है। परिषद् ने कार्यक्रम की सफलता के उपाय मुमान के लिए एक विचार समिति बना है।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

(१) परिवार नियोजन केन्द्र

क्रम संख्या	राज्य/सघ क्षेत्र	नगरीय केन्द्र		ग्रामीण मुख्य केन्द्र		ग्रामीण उप-केन्द्र		परिवार नियोजन का कार्य कर रही अन्य मेडिकल संस्थाएँ
		अपेक्षित (क)	कार्य कर रहे	अपेक्षित (ख)	कार्य कर रहे	अपेक्षित	कार्य कर रहे	
		१,८५४	१,६५१	५,४८०	५,१३१	४३,१३६	१७,६१७	१,३८६
								७,४८६
		योग						

(क) प्रति ५०,००० नगरीय आवादी के लिए एक के आधार पर।

(ख) प्रति खण्ड एक।

(ग) प्रति १०,००० ग्रामीण आवादी के लिए एक के आधार पर।

शिक्षा व प्रशिक्षण—नई जिनकी सम्बद्ध और वृत्तिका में भारत सरकार ने प्रशिक्षण के लिये स्थापित किए हैं। इनमें रायों के परिवार नियोजन शिक्षिका तथा ग्राम ग्राम काम चारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। रायों में एक करोड़ आबादी के पीछे एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उद्देश्य है। रायों में प्रशिक्षण दो प्रकार का है—नियमित तथा आपत्कालीन। इन दोनों में अब तक १२४२० व्यक्तियों को तैयार किया गया। इनमें १७८३ डाक्टर तथा पाँच सहायक वमचारी हैं जिनकी विभिन्न श्रेणी समस्याओं में प्रकार से —

श्रेणियाँ	कुल संख्या चाहिए
(क) टाक्टर	१०७८३
(ख) विस्तार शिक्षक (की ई ए पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षक)	६६१७
(ग) नर्स धारिया	५४६२१
(घ) स्वास्थ्य सहायक	२२६२१
(ङ) जन स्वास्थ्य काम/महित्रा स्वास्थ्य धीक्षिका	११५७२
(च) अन्य	१६८८६
	कुल १२४२०३

परिवार नियोजन के प्रमुख उपाय एवं उपलब्धियाँ—देश में परिवार नियोजन के लिये दो प्रमुख उपाय—बन्ध्याकरण १६/६ में तथा रूपा १६६/६ में अपनाया गया। रूपा एक गर्भाणु गभनिराधा है। इन दोनों कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं —

	उत्पन्न				
	१६/६ में गाँव १६६८ तक	१६६/६६	१६६६ ६७	१६६७ ६८	१६६८ ६९
(१) नमवदी	२७७६ २७८	५४२२७२	६६८०६६	१३८५ ८३	३१६ लाख
(२) रूपा	२२३२ १४६	८१२७१३	६८६६०	१२५३०	२११ लाख

रूपा में अभी तक ८५ प्रति हजार आगामी तथा बन्ध्याकरण ७३ प्रति हजार उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं।

इसके अनिश्चित परिवार नियोजन का प्रमुख उपाय बन्ध्याकरण है। त्रिवेन्द्रम में इसके उत्पादन के लिए एक फ़ैक्ट्री स्थापित की गई है जो १६६८ के अंत में उत्पादन प्रारम्भ करेगी तथा पिछले १४ करोड़ ४ लाख के काम प्रतिवर्ष निवासेगी। एक फ़ैक्ट्री में काम में पहात ही काम कर रही है।

अनुसंधान

अनुसंधान तीन क्षेत्रों में है —

(क) जनसांख्यिकी—इसका कार्य है देश में जो जिनके सम्बन्ध में विभिन्न अध्ययन योजनाओं के द्वारा परिवार नियोजन तथा जनसंख्या की समस्या का हल ढूँढा है। यहाँ पर विषय का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(घ) परिवार नियोजन सञ्चार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । उसके १३ केन्द्र हैं जो अनेक परियोजनाएँ चला रहे हैं । यहाँ सञ्चार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है । केन्द्रों को फोर्ड प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता भी मिलती है ।

(ग) पुनर्जनन कार्मिकी—परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अधीन ८ सस्थाओं और ४ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान हो रहे हैं, इनकी १७ परियोजनाएँ हैं ।

परिवार नियोजन का पुनर्गठित कार्यक्रम सभी राज्यों ने इस कार्यक्रम को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है ।

स्थानीय निकाय तथा स्वयंसेवी सगठन १९६५-६६ में इनके द्वारा २१४ ग्राम तथा ४६४ नगर केन्द्र चलाए गए हैं । इन सगठनों को अनुदान में ६२३६ लाख रुपये दिए गए ।

आर्थिक सहायता राज्य सरकारों, स्थानीय सस्थाओं और स्वयंसेवी सस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकारी नीति है । इसके अतिरिक्त विभिन्न पुरस्कार भी दिये जाते हैं ।

परिवार नियोजन की विधि (१) यात्रिक—रवड़ की बनी वस्तुओं का व्यवहार, (२) रासायनिक स्त्रियों द्वारा औषधियों का उपयोग या योनि में भाग पैदा करने वाली गोलियों का व्यवहार, (३) हारमोनल—स्त्रियों द्वारा नियमित रूप से 'हारमोन' निगलना, (४) शल्य क्रिया—स्त्री-पुरुषों के आपरेक्षण, गर्भ गिरा देना, (५) जीवशास्त्रीय—विवाद मर्यादा को ऊँचा करना भी इसमें सम्मिलित है । (६) लूप विधि परिवार नियोजन के लिए गर्भपात को कानूनी छूट देने तथा शादी की न्यूनमम उम्र बनने पर विचार किया जा रहा है ।

गर्भपात को कानूनी मान्यता देना एक उपाय है । यह भारत में अभी तक मान्य नहीं हुआ है । जापान में मान्य है । जापान में इसके द्वारा आवादी की वृद्धि का प्रमाण आधा रह गया है ।

भारत में गर्भपात को नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अभी आपत्तिजनक माना गया है । व्यवहार में देखा गया है कि इससे स्त्रियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी हानिकर प्रभाव पड़ना है ।

~~~~~  
*With Best Compliments*

of

**S.L. Maheshware**

*Sole Proprietor,*

SHREELAL SAGARMALL

23/A44A, Block 'C',

New Alipore,

CALCUTTA.

~~~~~



The global operations of AEI include network of more than 65 factories in 50 countries and 950 people

How AEI-India benefits from world-wide activities

AEI in India will derive benefits from global operations of the parent company AEI is not a local company, it has a global market and its products are sold all over the world.

To begin with exports from India will be an important part of the total sales. *At the same time, the parent company will be able to benefit from the AEI India production.*

AEI internationally is one of the largest domestic electrical manufacturing companies in the world with a reputation for the high quality of its products. Some of the well-known products are British Thomson-Houston lamps and bulbs—products well known to everyone in the world.

But such achievement is the result of systematic handling of the business—of which will be available to AEI India for production.

Yes, electrical products in India has a great opportunity for growth. So does AEI India—with progress in the country.

IN MEMORIAM



Associated Electrical Industries (India) Limited

Head Office: Cow Horse Bazar, 13, Madan Mohan Road, Calcutta
 Branches: Bombay, Madras, Hyderabad, Kanpur, Madras, New Delhi

पूर्वोत्तर रेलवे—एक परिचय

सेवित क्षेत्र—उत्तर प्रदेश एव विहार के ४० जिलो की ५ करोड जनता ।

यात्री-क्षेत्र—४६५२ ४५ किलोमीटर, मुख्यालय—गोरखपुर

स्टेशन —५८६ यानान्तरण केन्द्र—१३

जिला कार्यालय—८ इंजिन—८४३

पुनर्गठन—१५ जनवरी, १९५८ कर्मचारी—६२,६५७

कुल पूजी—१०३ २७ करोड ।

भगवान् श्रीकृष्ण एव महाकवि सूरदास मे सम्बन्धित मथुरा-वृन्दावन, भगवान् राम एव गोस्वामी तुलसीदास से सम्बन्धित अयोध्या एव शूकर-क्षेत्र, सन्त कबीर से सम्बन्धित मगहर, भगवान् बुद्ध मे सम्बन्धित लुम्बिनी-कुशीनगर-सारनाथ, तीर्थराज प्रयाग एव नैमिपारण्य, बाबा विश्वनाथ की नगरी—वाराणसी, बाबा गोरखनाथ की नगरी—गोरखपुर, ग्रीष्म का स्वर्ग—नैनीताल जाने वाले तीर्थयात्री एव पर्यटक “पूर्वोत्तर रेलवे” पर यात्रा कर लाभान्वित होते है ।

यह रेलवे उत्तर प्रदेश के पश्चिम मे आगरा के निकट अच्छेनेरा स्टेशन मे लेकर विहार मे कटिहार स्टेशन तक विस्तृत ४८६६ ४७ किलोमीटर लाइन तथा ५२ ४७ किलोमीटर बडी लाइन है । यह रेलवे जहा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग तथा आसाम से मिलाने की महत्वपूर्ण कडी है, वही टनकपुर-नीतनवा, नैपालगज, रक्सौल तथा जयनगर स्टेशनों के माध्यम से भारत तथा नेपाल के मध्य व्यापार तथा पर्यटन सम्बन्धों को दृढ बनाती है । इस रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र की प्रमुख उपज—गन्ना, जूट, खाद्यान्न, लकडी, आलू, चीनी आदि के परिवहन के साथ-साथ यहा के छोटे-बडे उद्योग-धन्वों के लिए कच्चा माल तथा मशीनों की ढुलाई तथा इनका तैयार माल अन्य क्षेत्रों को ले जाने का कार्य यही रेलवे करती है । इस रेलवे पर प्रतिदिन लगभग ३७७ यात्री गाड़िया चलती है तथा प्रतिदिन २६३५ माल डिब्बों की औसत लदान है । इस रेलवे पर ८४३ इंजन चल रहे है, सभी श्रेणियों के यात्री डिब्बों की संख्या १,३५,०६३ तथा माल डिब्बों की संख्या ६,२११ है । इस रेलवे के प्रमुख स्टेशन—मथुरा छावनी, वृन्दावन, हाथरस, फतेहगढ, कामगज, काठगोदाम, इज्जतनगर, वदायू, मुरादाबाद सिटी, कानपुर, अनवरगज, लखनऊ, सीतापुर, गोडा, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी छावनी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, वरीनी ज०, दरभंगा, महेन्द्रघाट (पटना) आदि है । इस रेलवे की प्रमुख गाड़िया—१ अप/२ डाउन सिलीगुडी-लखनऊ टाक गाडी, ५ अप/६ डाउन गोरखपुर-इलाहाबाद एकमप्रेम गाडी, ७ अप/८ डाउन

लखनऊ-काठगादाम एक्सप्रेस ६ अप/१० डाउन बरोनी खानपुर एक्सप्रेस, १३ अप/१४ डाउन लखनऊ आगरा फाट एक्सप्रेस आदि है। इसमें अतिरिक्त लखनऊ बानपुर लखनऊ सीतापुर तथा धाराणसी इलाहाबाद मण्डल पर डीजल कार सेवाएँ चल रही हैं। इस रेलवे पर १३ याना-तरण केंद्र हैं जिनमें 'गडहारा एशिया का सबसे बड़ा याना-तरण केंद्र है। सोनपुर मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसी रेलवे पर लगता है। एशिया का सबसे लम्बा तथा विश्व में दूसरे नम्बर का प्लेटफॉर्म इस रेलवे में 'सोनपुर स्टेशन का है। भारतीय रेल में सबसे प्रथम जुलाई १९६६ में इस रेलवे में गोरखपुर छपरा खण्ड केंद्र पर केंद्रीकृत यातायात प्रणाली लागू की गयी। इस रेलवे में गोरखपुर कटिहार खण्ड पर सूक्ष्म संचार प्रणाली लागू की जा रही है।

ओ रि ए ण्ट पे प र लि मि टे ड

ब्रजराज नगर
(उड़ीसा)

अमलई
(मध्य प्रदेश)]

आज की दुनिया में कागज सबसे शक्तिशाली माध्यम है जिससे हमारे मानव समाज का कोई भी संदेश बड़ी ही मरलता से प्रेषित किया जा सकता है। ओरिएण्ट के मोर ब्राड प्रिंटिंग और राइटिंग कागज देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं।

ओरिएण्ट कागज परम्परा कायम रखता है।

भाई मोहनलाल हरगोविन्ददास

जवाहरगज—जबलपुर

सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध

शेर तथा पहलवान छाप वीडियो के व्यापारी

भारतीय रेल

भारत में रेलवे का सूत्रपात १६ अप्रैल, १८५३ को हुआ। पहली रेलगाड़ी बम्बई से थाना तक २१ मील चली। भारत में इस रीति से उपक्रम 'ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला' (जी० आई० पी०—अब मध्य रेलवे) ने किया। १८५३-५८ तक भारत में रेलों के निर्माण का ठेका ब्रिटिश कम्पनियों को दिया गया था। बाद में उन्हें व्याज की एक निश्चित रेट की गारंटी दी गई। सरकार इन रेलों को २५ या ५० साल बाद खरीदने का अधिकार रखती थी। यह नीति सफल नहीं हुई। सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी। १८६८-६९ में रेल-निर्माण को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

बम्बई-थाना लाइन के चालू होने के एक साल से भी अधिक बाद ईस्ट इंडिया रेलवे (ई० आई० आर० अब पूर्वीय रेलवे) ने अगस्त, १८५४ में कलकत्ता-पादुवा के बीच रेल चलाई। मद्रास-आरनेलम रेलवे जुलाई, १८५६ में चली। अब रेलवे १२६०००० वर्गमील में फैल गई है। इस समय रेल मार्ग ५८,५०० कि० मी० से अधिक है। विभाजन के बाद २०,००० कि० मी० रेल मार्ग बढ़ाया गया है। यह २१९ करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाती है और २० करोड़ टन माल ढोती है। इसकी कुल वार्षिक आय ८०० करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें से रेल केन्द्रीय सरकार को लाभांश देती है। रेल की पूंजी ३३०० करोड़ रुपये से अधिक है। इसकी व्याज देय पूंजी इस प्रकार है—

रेलवे की व्याज देय पूंजी

वर्ष	लाख रुपयों में
१९६३-६४	२१५९६३
१९६४-६५	२४३५११
१९६५-६६	२६७५०१
१९६६-६७	२८४१५७
१९६७-६८	२९९१५७
१८६८-६९	३१३४५७

इससे प्रकट है कि रेलवेगत पूंजी प्रतिवर्ष लगभग दो अरब ८० वड़ रही है। १९२१ में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में नियुक्त रेलवे समिति ने रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की थी। यह मान ली गई और इस तरह भारत में सबसे बड़े उद्योग की स्थापना हुई।

भारतीय रेल—ज्ञातव्य बातें

डिजिन
१ भाग—१०,४२८

डिब्बे
१ मवारी—३१,६७३

२ बिजली—४२२

२ त्रिजित चार्जित मसारी—१४४६

३ डिजल—७७६

३ मान— ७५/२०

टिप्पणी यह आकड़े ३१ मार्च १९६७ के हैं। प्रतिदिन १००० टनों चनती हैं जिसमें से ६५ यात्री गाड़िया होती हैं।

भारतीय रेलवे उस समय विश्व में दूसरे नम्बर का एकगासी उद्योग है। एगिया में यह सबसे बड़ा रेलमाग है तथा लम्बाई की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ के साथ रेलवे के जीवन में नया युग प्रारम्भ हुआ। रतन यातायात बहुत बढ़ गया और यह सरकार पर भार नहीं रही।

रेलवे बोर्ड

भारत की केन्द्रीय एसम्बली ने १९२२ के निणय के अनुसार १ जनवरी १९२५ का एक्ट गड़िया रेलवे सरकारी प्रबन्ध में आ गई। जुलाई १९२६ में जी आई पी भी सरकारी प्रबन्ध में चनने लगी। रेलवे बोर्ड की स्थापना १९०५ में की गई थी। इसको ही जब रेलवे के संचालन का भार सौंपा गया। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष रेलवे मन्त्रालय का महासचिव पन्न होता है। संस्था में एक वित्तीय आयुक्त हाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन यात्रिन और अभियंत्रण विभाग देखने का न और तीन सदस्य होते हैं। ये रेलवे मन्त्रालय के सचिव के समकक्ष होते हैं।

क्षेत्रीय व्यवस्था

रेलवे प्रशासन को सुनियंत्रित सुसस्थापित और सुसूत्रित करने तथा एकरूप रेलवे व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से रेलवे ने क्षेत्रीय व्यवस्था स्वीकार की है। तत्नुसार जाट रेलवे क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रारम्भ में पांच क्षेत्र थे। रेलवे क्षेत्र इस प्रकार हैं—

क्षेत्र	निर्माण तिथि	प्रधान कार्यालय	भाग की ची	रेलमाग कि मी० में	योग कि मी में
पश्चिम	१४ अप्रैल १९५१	मन्गल	बी जी एमजी एनजी	३१९४४६ ६७१४१६ १५४१	१००६४६
मध्य	५ नवम्बर १९५१	बम्बई	बी जी एमजी एनजी	६१४८६६ १५४५५५ ११६६७४	८८६१२६
पश्चिम	१४ अप्रैल १९५२	बम्बई	बी जी एमजी एनजी	२८५५३ ५६८६७ १२२२७४	१०६४८१
उत्तरी		दिल्ली	बी जी एमजी एनजी	६८७७४४ २६७६५ २६०४४	१६३५५३
पूर्वोत्तर		गोरखपुर	बी जी एमजी	५२४७ ४६०६१४	४६६१६१
पूरव	१ अगस्त १९५५	कानकता	बी जी एनजी	३६६६५ २७५२	४१८५
पश्चिम-पूर्व	१ अगस्त १९५८	माड्रा	बी जी एनजी	६६६६ १६०५६	६०३६२

पूर्वोत्तर-

सीमात १५ जनवरी, १९५८ माह

बी जी

१७७.९९

एमजी

२७५२ १३

एनजी

८३ ६४

२३१३ ७६

रेलवे गेज का माप इस प्रकार है — ब्राड गेज

५' ६"

मीटर गेज

३' ३"

३१४"

नैरो गेज

२' ६"

स्पेशल गेज

२'

उत्तर सीमात रेलवे क्षेत्र का बहुत महत्व है। इसका सीधा सम्बन्ध सीमा रक्षा से है। पाकिस्तान और चीन दोनों से इसको भय है। पूर्वीय क्षेत्र के तीनों मार्गों को मिलाकर इसकी लम्बाई १६०१९ १५ की० मी० है।

रेलवे वित्त

१९२५ में रेलवे बजट सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे कन्वेन्शन के अधीन रेलवे निश्चित फार्मूलों के अनुसार केन्द्रीय राजस्व में अंशदान देती रही। दिसम्बर १९४९ में यह तय किया गया कि १९५०-५२ से रेलवे लगी पूँजी पर ४ प्रतिशत व्याज देगी। इस कन्वेन्शन में फिर परिवर्तन किया गया। १९५५-५६ में नया कन्वेन्शन अमल में आया। इस बार दर तो पुरानी ही रही लेकिन वन रहे रेलवे मार्ग और उसके पूरे हो जाने के एक साल बाद तक उस पर किसी प्रकार का व्याज न लेने का निर्णय किया गया। १९६० में नियुक्त रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने ५ प्रतिशत दर निश्चित की। इसके अतिरिक्त १९६२-६३ से रेलवे भारतीय कोष को १२ ५ करोड़ रुपये वार्षिक देती है।

१९६५ के नये कन्वेन्शन के अनुसार, जिसको लोक सभा ने ७ दिसम्बर, १९६५ और राज्य सभा ने १० दिसम्बर, १९६५ को स्वीकार किया, निम्न व्यवस्था पाँच साल के लिए (१९६६-७१) की गई। इसके अनुसार—

१ लाभांश देने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि रेलवे प्रति वर्ष एक निश्चित और नियमित लाभांश सरकार को देती है।

२ रेलवे अगले पाँच सालों में (१९६५-७०) निविष्ट पूँजी पर ४ ५ प्रतिशत की वर्तमान दर पर यात्री किराया-कर के बदले एक प्रतिशत अतिरिक्त लाभांश देगा। ३१ मार्च, १९६४ के बाद पर ली जाने वाली पूँजी पर लाभांश की दर ५ ७ ५ की जगह ६ प्रतिशत होगी।

३ रेलवे यात्री किराया-कर के बदले १२ ५० करोड़ देती थी। अब इसकी जगह ३१ मार्च, १९६४ के बाद निवेशित पूँजी पर अतिरिक्त अंशदान देती है। इस रकम में से १६.२५ करोड़ रुपये राज्यों को दिये जायेंगे। शेष राशि चौकीदार वाले ऊपरले और निचले पुलों के संरक्षण सम्बन्धी कामों की व्यवस्था के लिये राज्यों में बाँट दी जाएगी।

४ मामरिक महत्व की लाइनों के संचालन में घाटे के समझन की वर्तमान व्यवस्था जारी रहे, किन्तु यदि कभी इन लाइनों में लाभ हुआ हो तो वह भारत राज-कोष में अन्तरित कर दिया जाये।

५ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वाणिज्यिक उपडों की व्याज देय पूँजी के दून्ने लाभों पर लाभांश देने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

६ २० वर्षों बाद लाभांशों के स्वगित लेखा को पग्नमाप्त कर दिया जाय।

रेलवे वित्त (करोड रुपये में)

	व्यय	समाप्त	समाप्त	व्यय	अनुमान
मुसाफिरा से आय	१२५५५	१२५५	१२५५	१२५५	१२५५
सवारी पासज आदि	१२५५	२७५५	२७५५	२७५५	२७५५
अय फुटकर यातायात से आय	५५	५५	५५	५५	५५
मान यातायात से आय	५५	५५	५५	५५	५५
यातायात से कुल प्राप्तियाँ*	२५५५	२५५५	२५५५	२५५५	२५५५
साधारण कावभार व्यय	२५५५	२५५५	२५५५	२५५५	२५५५
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
पूरा निधि में विनियोग	—	—	—	—	—
चर्चित राहना को भुगतान	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
कुल संचालन व्यय	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
कुल विविध व्यय	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
कुल राजस्व	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
सामान्य राजस्व को राभाण	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
कुल बचत (+) या घाटा (-)	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५
संचालन व्यय का अनुपात	५५५५%	५५५५%	५५५५%	५५५५%	५५५५%
व्यय देय पूँजा	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५	५५५५

* उक्त राशि निवारण के पश्चात्

रेलवे वित्त प्रगतिशील है। उसका आधार दृढ है। यात्री बराबर बढ़ रहे हैं। माल-परिवहन भी बढ़ रहा है। इनमें कमी आने का कोई कारण नहीं है। बारह वर्षों में रेलवे को तीसरे दर्जे के यात्रियों से आय ६४ ८५ करोड़ से बढ़कर २२६ करोड़ रुपये हो गई है। अर्थात् प्रतिवर्ष आय औसतन लगभग १० करोड़ बढ़ी है। इसके मुकाबले ऊपर के दर्जों से आय १२ ८५ करोड़ से बढ़कर २६.१४ करोड़ तक जा पहुँची है।

माल-परिवहन से आमदनी १८०.२८ करोड़ से बढ़कर ५०६ ०० करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इस आय-वृद्धि के बल पर ही रेलवे परियोजनाओं के लिए निम्न धन निकाल सकी —

रेलवे का योजना-व्यय की पूर्ति में अशदान (करोड़ रुपये में)

	प्रथम नियोजन	दूसरा नियोजन	तृतीय नियोजन
रेलवे नियोजन व्यय	४२३ २२	१०४२.६६	१५८१ ००
नियोजन कार्यक्रम में			
रेलवे का अशदान	२८०.००	४६५ ००	५३१.००
रेलवे नियोजन में			
विदेशी विनिमय का			
भाग	—	३१६ ४५	२८३ ५६

रेलवे की उपलब्धियाँ

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
नई लाइनों का निर्माण (कि मी) में	१३०४	१३११	२६४०
लाइने दोहरी की गई	३७०	१५१३	३६६४
विद्युतीकरण	—	३६१ ५	२४६८
चल भण्डार का निर्माण			
तथा समाहरण—			
—इंजन	१५८६	२२१६	२०७०
—सवारी डिब्बे	४७५८	७७१८	८६०१
—माल डिब्बे	६१२५४	६७६५६	१५६२२७

इसके अतिरिक्त रेलवे ने केन्द्रीय राज कोष को प्रतिवर्ष जो दिया, वह इससे अलग है। १२ करोड़ रुपया वह हर साल यात्री कर के रूप में राज्यों को देती है। रेलवे ने राज्याज में अपनी देन ३६ १२ करोड़ रुपये (लाभाश के रूप में) बढ़ाते-बढ़ाते ११८ ४६ करोड़ रुपये पर पहुँचा दी है।

रेलवे में निवेशित पूँजी भी १६८ ६८ करोड़ रुपये से बढ़कर २६६१ ५७ करोड़ रुपये हो गई है। लगी पूँजी में चार गुना वृद्धि हुई है। इतना मिला नहीं क्योंकि रेल का खर्च भी बढ़ गया है। कुल संचालन-व्यय २५८ २८ करोड़ से बढ़कर ५५५ ०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गया। यह वृद्धि असाधारण है। इसका कारण यह है कि १६६५ में रेलवे ने यात्री-भाड़ा बढ़ाया था और १६६६ में माल-परिवहन पर तीन प्रतिशत अधिभार बढ़ा दिया। -

माघ १९६४ म रेलवे कमघारिया की सक्या १२७ लाग थी । माघ १९६८ म १३ ६१ लाग हो गई । इनका औसतन वान १ ९६४ लाग रणय वागित है । महगाई भरा और अय भत्त बढ जाने से प्रति ब्यक्ति वेतन की २५० रणये वागित वृद्धि हुई है ।

रेलवे की घाटा होने का भय नहीं है क्यकि वात्रिया की सक्या म प्रति वष कम स कम ५ प्रतिशत अवश्य वृद्धि होती है । इसत आय म ८ बराह की वृद्धि होती है । औद्योगिक उत्पादन निर्बाध रूप से ५ प्रतिशत बढ रहा है । इस कारण मान-यागायाग की आय ५ प्रति शत वृद्धि हर वष होना अनिवाय है ।

रेलवे की आरक्षित निधिया की स्थिति सुस्थिर है । वह इस प्रकार है—

रेलवे की मूल्य ह्रास आरक्षित निधिया (लाख रुपये म)

वष	निधि में बिनियोग	वागतविह बिनियोग
१९२४ २५	१ ०३५	३०६
१९४ ४१	१ २६४	३ ६६०
१९५० ५१	३ ३५९	१२ ३६५
१९५५ ५६	४ ८६७	१० ३४७
१९६० ६१	४ ६६४	१ ९७९
१९६५ ६६	८ ८४९	५ १८७
१९६६ ६७	१० ४६१	७ ७७६
१९६७ ६८ (संगोधिन अनुमान)	१ ०३३	७ ४२९
१९६८ ६९ (बजट अनुमान)	१ ५५२	७ ९८१

तलपट (बलस शीट लाख रुपये म)

व्योरा	३१ ३ ६६ को	३१ ३ ६७ को
देयताण		
१ पूजी ऋण (सामा य राजकोष से)	२ ६८ ३२	२ ८४ १५७
२ मूल्य द्वारा आरक्षित निधि	१५ ७७९	१६ ७६९
३ विकास निधि	२७ ७ २	३० ३८
४ राजस्व	१३ ६ ७	१४ ५५८
५ मुफ्त प्राप्त मनी व उपकरण	४३	४४०
योग	३ २५ ५५०	३ ४६ ३ ४

रेलवे आरक्षित निधियाँ

१ मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	५२८५	७७७६
२ रेलवे राजस्व आरक्षित निधि	६३२१	४४७०
३ विकास निधि	३००९	३३७
४ पेंशन निधि	२५१७	४४०९
योग	१७१३२	१६९९२
बक खाता		
१ भविष्य निधि	२९१०३	३ ७९७

२ विविध जमा आदि	६४७६	७४०६
योग	३५५८२	३८२०६
४ देयताए (वर्षान्त में बाकी देयताए)	२१११	२३६२
५ अन्तर्विभागीय व्यवहारों के कारण		
गुद्ध देयता	४०२६	३८६३
सर्वयोग	३८४४०४	४०७८१६

रेलवे का कार्यभार उसकी क्षेत्रीय स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है। इस से ज्ञात होता है कि रेलवे अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाकर और खर्च कम करके राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है।

सेवा निवृत्ति-निधि—रेलवे ने कुछ वर्षों से सेवानिवृत्ति निधि का निर्णय किया है। यह सेवा निवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों को निवृत्ति-धन देने के लिए है।

यात्री यातायात

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७
यात्रियों की संख्या (लाख में)	१२,८४०	१२,७५०	१५,६४०	२०,८२०	२१,६१०
यात्री किलोमीटर (लाख में)	६,६५,१७०	६,२४,०२०	७,७६,६५०	९,६२,६४०	१०,२१,३५०

टिप्पणी — १ गैर सरकारी रेलों के आकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

२ यात्री यातायात का ६०% तीसरी श्रेणी का है।

रेल-माल-परिवहन की मुख्य वस्तुएँ

(लाख टन में)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७
कोयला	३०६	३५८	५०३	६६४	७०५
सीमेट	२४७	४०२	६५४	८६४	८८६
लोहा व स्टील	२७५	३७१	७५८	१००१	९७८
खनिज लौह	—	—	१०५	१७६	१८१
खनिज मैंगनीज	६	१४	१२	१५	१३
अन्य खनिज	—	—	६	६	१०
अनाज	७८	६१ ८७	१२६ ५६	१४५ १४	१६४.४६
कच्चा जूट	४७	५२	६४४	७६३	७७०
चाय	२६५	२६२	२५०	२०३	२६१
कागज व कागज का बना माल	१६३	२६०	४४२	६७०	७३४
तैयार जूट माल	२७१	२६४	२६३	२७५	२६७
कपास	५.५२	७.५१	५.३६	४.८५	४.७४
सूती वस्त्र	४७२	५.५७	३.८०	३.०८	२.६६
तिलहन	१५.६५	१७.६४	१५.१७	१४.७०	१२.६३

गना	२८ १६	३४ ६३	३२ ३७	२७ १७	१६ ७२
चीनी	६ ३३	१३ ५७	१४ ८८	१५ ४३	१५ ७५
नमक	१५ ७६	१८ ८७	१६ ८१	२५ ६६	२३ ४८
कुल यातायात	—	—	१५६२	२०३०	२०१६

रेलवे इजिन एव सवारी डिब्बे निर्माण

चिन्नरजन इजिन कारखाना (स्थापित १९५०) प्रथम भाग इजिन १९५५ म ही निर्मित । अभी तक २१८६ भाग इजिनो का निर्माण । हाल ही मे यहा ६५० अश्व शक्ति के डीजल हाइड्रोलिक शॉटर इजिनो का निर्माण गुरू हुआ तथा पहला शॉटर इजिन जनवरी १९६७ मे रेल पर चलने लगा । भाग इजिन का उत्पादन प्रतिमाह १४ १५ से घटा कर ८ कर दिया गया है जो १९७० ७१ मे ३ रह जाएगा । १९६१ म चित्तरजन म विजनी से चलने वाले इजिनो का निर्माण गुरू हुआ तथा अभी तक १५ इजिन बन चुके हैं ।

डीजल इजिन कारखाना (वाराणसी) प्रथम डीजल इजिन १९६४ मे तयार हुआ । ३१ माच १९६८ तक बड़ी साइज के १८२ डीजल इजिन यहा बन चुके थे । इस समय ८ ७ डीजल इजिन प्रति माह बनते हैं । २५ डीजल इजिन प्रति वष बनाने का लक्ष्य है ।

पेराम्बूर मद्रास म कोय फवटरी सवारी डिब्बे तयार करती है । हिन्दुस्तान एयर प्रापर्ट लिमिटेड तीसरे दर्जे के पूणत इस्पाती डिब्बे तयार करती है ।

प्रशिक्षण व अनुसंधान—इंजीनियरिंग व यातायात विभाग के अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रेलवे ने की है । २१ जनवरी १९५२ से बड़ौदा मे एक स्टाफ काउन्सिल है । इसम पहल और दूसरे दर्जे के अफसरों की प्रशिक्षण का की व्यवस्था है । अवर अफसरों के लिए भी यहा पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम है । विंगिण्ट विषयो पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । प्रशिक्षण देने के ५ स्कूल हैं । इनम से कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्कूल है । अय स्कूलो म लोको ट्रेनिंग स्टाफ गार्गिट मकेनिक टन परीक्षक आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है । सिंगल ट्रेनिंग स्कूल भी १९३७ से सिरदराबाद म खुला हुआ है । मसूरी म नेगनन अकादमी आफ एडमिस्ट्रेशन की स्थापना की गई है ।

विद्यतीकरण—रेलवे का विद्यतीकरण का काम १९२५ म आरम्भ हुआ ।

डीजल एव विद्यत इजिनो—वाण इजिन की जगह अब डीजल इजिनो का प्रयोग किया जा रहा है । ७७६ डीजल इजिनो का प्रयोग इस समय किया जा रहा है । इस समय ४४२ विजली इजिनो काय कर रहे हैं ।

रेलवे सस्थाए

जनरल स्टैंडर्ड आफिस—यह दिल्ली म स्थापित है । रेलवे म बरती जाने वाली सभी सामग्रियो का डिजायनो व प्रतिमान म एकसूत्रता कायम करने का काय यह सस्था करती है । सभी तीन शाखाए हैं —मकनिकल इंजीनियरिंग स्टण्डर्ड सिविल इंजीनियरिंग स्टण्डर्ड और स्पेशीफिकेशन । इनके अनिरिक्त एक पृथक अनुसंधानाला है जा नागरिक और यात्रिक अभियन्ता म रोज का काम करती है । रिगच सिजाइन एण्ड स्टण्डर्ड आगनाइजेशन महानिदेशक क आधीन काम करता है ।

इण्डियन रेलवे कार्फ्रेंस एसोसिएशन—इसकी स्थापना १८७१ में हुई थी। वर्तमान सस्था का विधिवत उद्घाटन १९०२ में हुआ था। यह सरकार से पृथक स्वतंत्र सस्था है। विभिन्न रेलवे में माल के अंतर-विनिमय के नियम पर सस्था चलती है। सामान्य हित की समस्याओं पर भी यह विचार करती है। रेलवे परिवहन के मध्य एकसूत्रता स्थापित करने का काम भी यह करती है।

सलाहकारिणी समितियाँ .

रेलवे और जनता के बीच सहकार बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक सलाहकार समितियाँ नियुक्त हैं। जनता और रेलवे प्रशासन के मध्य निम्न सस्थाओं के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

उपक्षेत्रीय रेलवे-उपभोक्ता सलाहकार समिति—रेलवे का इस्तेमाल करनेवाले किसानों और स्थानीय व्यक्तियों की यह कमेटी है।

क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति—यह रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय में काम करती है। यह रेलवे सेवाओं और जनता की सुविधाओं के बारे में विचार करती है। रेलवे शासन पर वस्तुतः इसका प्रभाव नहीं है।

क्षेत्रीय संसदीय समिति—यह रेलवे क्षेत्र के महाप्रबंधक से मिल कर काम करती है। यह जनहित की अनेक समस्याओं पर विचार करती है।

अन्य समितियाँ हैं—समय सारिणी समिति, सर्वजन रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, यात्री सुविधा समिति, खाद्य-निरीक्षक समिति और बुक स्टाल समिति।

रेलवे शुल्क न्यायाधिकरण—इसकी स्थापना १९४९ में की गई थी क्योंकि व्यापारी और व्यावसायिक सस्थाओं ने भाड़े के बारे में शिकायत की थी। इसका मुख्यालय मद्रास में है। इसके अध्यक्ष सहित तीन सदस्य हैं। निर्धारकों के दो गुल्म होते हैं। इनमें से एक गुल्म कृषि, व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है।

रेलवे सेवा आयोग—यह बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद और मद्रास में है। यह रेलवे में कर्मचारियों को भर्ती करने का काम करता है। प्रत्येक आयोग का एक अध्यक्ष होता है। सचिव भी होते हैं और इनका अपना कार्यालय भी होता है।

केन्द्रीय निपटान कार्यालय—दिल्ली में निपटान खाता कार्यालय है। इसका काम अन्तर-रेलवे राजस्व व व्यय का निश्चय करना है। विभिन्न रेलवे के विभिन्न विभागों के आपसी लेन-देन का भी यह निर्णय करता है।

केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान परिषद्—यह सस्था प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्योगपतियों को लेकर बनी है। रेलवे के विकास और अनुसंधान पर सलाह देना इसका काम है।

चार दर्जें—भारतीय रेलवे में मुसाफिरो के लिये चार दर्जें हैं—चातानुकूलित, पहला, दूसरा और तीसरा। २०० मील से अधिक यात्रा करने पर मार्ग के किसी भी स्टेशन पर उतरा जा सकता है लेकिन यात्रा पहली बार २४० किलोमीटर पार करने के बाद ही भग की जा सकती है। गर्मियों में पर्वतीय स्थलों के लिए आने जाने के रियायती टिकट जारी

किए जाते हैं जिसमें चौघाई भाड़े की छूट मिलती है। वृत्त यात्रा टिकट कम से कम १५०० मीन का मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के लिये होता है।

गारसरकारी रेलवे—कुछ रेल मार्ग रेलवे बोर्ड के अधीन नहीं आये हैं जो इस प्रकार हैं —

व्यय	मील	व्यय
आनन्दपुर-कटवा	३२	गारण्टी की शर्तों के अधीन
आरा-सहसराम लाइन्	६५	जिला बोर्ड की सहायता प्राप्त
बाकुरा-दामादर नदी	६०	गारण्टी शर्तों के अधीन
बदवान-कटवा	३२	गारण्टी शर्तों के अधीन
बख्तियारपुर त्रिहार लाइट रेनवे	३३	गारण्टी शर्तों के अधीन
देहरी रोहतास लाइन्	४८	जिला बोर्ड से सहायता प्राप्त
फतुहा इस्लामपुर	२७	गारण्टी की शर्त के अधीन
हवड़ा-अनला लाइट	४६	जिला बोर्ड की सहायता प्राप्त
हवड़ा गेखला लाइट	१७	
गहादरा-सहारनपुर नाट	६८	कम्पनी नाइन

एन रेलों को समाप्त करने की जनता की ओर से अनेक बार मांगें आईं। ससद तक ने इनके जारी रहने पर रोप प्रकट किया।

रेलवे विस्तार

व्यय	मील	व्यय	किलोमीटर
१८६२	२६०४	१९४७ ४८	३३६८५
१८७३	५६६७	१९४८ ४६	३३८६१
१८८३	१ ४४७	१९५८ ५६	३५०८१
१८९३	१८४५६	१९५९ ६	३५२१३
१९०३	२६६५६		
१९१३ १४	३४६५६	१९६० ६१	५६६६३
१९२३ २४	३८ ३६	१९६५ ६६	५८३६६
१९३३ ३४	४२६५३		
१९४३ ४४	४ ५१२	१९६६ ६७	५८४६५

रेलवे की आय के मुख्य दो स्रोतों की आय में अन्तर बराबर माना जाता है। आय परिवहन की आय और यात्रियों के यातायात के बीच का अन्तर बहुत बड़ा गया है।

रेल दुघटनाएँ

प्रकार	१९६२ ६३	१९६३ ६४	१९६४ ६५	१९६५ ६६	१९६६ ६७	१९६७ ६८
टकरार	६८	६३	८१	७४	६७	६६
पट्टी से						
उत्तरना	१०१६	१३ ०	१ ३५	६६२	८७६	८६२
रेल पार पथ						
(नवन प्रॉविंग)	१६८	१६१	१४६	१२३	१ ४	११
गहरी में भाग	५५	८१	१	४२	५	४१
कुल	१६३७	१६३५	१२६३	१२ १	१०६७	११ ४

सत्तर प्रतिशत दुर्घटनाएँ रेल कर्मचारियों की असावधानी में मानी गई हैं।

गम्भीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या १९६५-६६ में १३ थी जो १९६६-६७ में १८ हो गई। इन दुर्घटनाओं में ६५-६६ में मृतकों की संख्या ४२ थी जबकि १९६६-६७ में यह संख्या १८६ थी।

भारतीय रेलों की शीघ्र गतिशीलता

भारतीय रेल मार्गों पर तेज रफ्तार की गाड़ियाँ चलाने का प्रयास हो रहा है। अभी तक अधिकतम रफ्तार १०० कि० मी० प्रतिघटा है जो की बढ़ाकर १२० कि मी प्रति घटा की जा रही है। आगामी लक्ष्य १६० कि मी. प्रति घटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने का है।

तेज गति से गाड़ी चलाने का परीक्षण चार मार्गों पर हो चुका है।

दक्षिण पूर्व रेलवे की एक परीक्षण गाड़ी ने नागपुर से हावड़ा तक ११३१ कि मी लम्बे मार्ग को १२ $\frac{3}{4}$ घंटों में पूरा किया। इसकी अधिकतम गति १२० कि मी थी।

इस वर्ष दिल्ली और कलकत्ता के बीच तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलायी जा रही है जो १४४५ कि० मी० की इस यात्रा को १७ घंटों में पूरा करेगी। इस गाड़ी का नाम राजधानी एक्सप्रेस होगा। इसका परीक्षण भी हो चुका है।

प्रसिद्ध रेल-गाड़ियाँ

दक्कन क्वीन—यह मध्य रेलवे में बम्बई से पूना तक चलती है। यह कम दूरी की सर्वाधिक तेज गाड़ी है। इसकी गति ४५ मील प्रति घटा है।

पलाइंग क्वीन—यह बम्बई और सूरत के मध्य चलती है।

दिल्ली-मद्रास ग्रांड ट्रक एक्सप्रेस—यह १३६१ मील की यात्रा पूरी करती है। यह भारत के आधे भाग में से गुजरती है।

फ्रंटियर मेल—यह बम्बई और अमृतसर के बीच चलने वाली सबसे तेज गाड़ी है।

अवध तिरहुत मेल—यह आसाम के गोहाटी से चलकर पश्चिम बंगाल तथा बिहार-उत्तरी अंचलों को पार करती हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन तक की दूरी तय करती है।

ताज एक्सप्रेस—यह उत्तर रेलवे की पर्यटक गाड़ी है और दिल्ली-आगरे के बीच चलती है। इसकी चाल प्रति घटा ७५ मील है।

भारतीय रेलवे देश के माल परिवहन का ८० प्रतिशत और यात्रियों का ७० प्रतिशत होती है।

गोमती नदी पर लखनऊ में बने लोहे का पुल भारत में बने लोहे के पुलों में सबसे पुराना है।

पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर स्टेशन का प्लेटफार्म (२४१५ फुट) भारत में सबसे बड़ा है और दुनिया में दूसरे नम्बर का है।

भारत में सबसे बड़ा पुल सोन पुल है। इसमें ६५ स्तंभ हैं। दो स्तंभों के बीच का अन्तर १०० फुट का है। पुल १००५८ फुट लम्बा है।

भारतीय रेलवे भारत में रोजगार और आय देनेवाली सबसे बड़ी संस्था है। इसमें १३ ६१ लाख से अधिक व्यक्ति काम करते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

१८५३—पहली भारतीय रेल १६ अप्रैल १८५३ को बम्बई और थाना के बीच २१ मील चली।

१९०५—रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च १९०५ में हुई।

१९२५—भारत में सबसे पहली बिजली गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस (बम्बई) और पुर्ना के बीच चली।

१९२७—बम्बई और दिल्ली के बीच चलनेवाली गाड़ी में पहला वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा गया।

१९५१—२६ जनवरी १९५१ को चित्तूरजन लोनोमोटिव वर्क्स का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया।

१९५२—हावड़ा में जनवरी १९५२ से रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थापित हुआ।

१९५५—२ अक्टूबर १९५५ को दिल्ली और कानपुर में भारतीय रेलवे की शत वर्षीय मनाई गई।

१९५६—२ अक्टूबर १९५६ के दिन दिल्ली और हावड़ा के बीच पहली बस्ती चुनटेड एयरबोर्डिंग तीसरे रज्जे की एक्सप्रेस गाड़ी चली। इसका नाम जनता एक्सप्रेस रखा।

१४ अगस्त १९५६ को पराम्बर (मनास) में सम्पूर्ण इस्पाती ग्रांड गाज यात्री गाड़ी का प्रारम्भ हुआ।

१९६४—आगरा और दिल्ली के बीच ताज एक्सप्रेस के नाम से ७५ मीन की चाल से चलनेवाली एक्सप्रेस गाड़ी चली।

दूरभाग मिनमा २२८७७ मनजर—२२५६५ प्रवच नित्य—२५७८८

अशोक चित्र (प्रा०) लिमिटेड, पटना

(राजधानी का सर्वश्रेष्ठ ताप—निर्यात सिनेमा गृह)

हर अवसर के लिए

उपयुक्त

ग्वालियर - सूटिंग

आपके

व्यक्तित्व को

हर प्रकार से

निखारते हैं

अपने परिवार को शक्तिदायक सिंकारा दीजिये

आवश्यक विटामिनो, शक्तिदायक खनिज तथा पौष्टिक वनस्पति का यह एक उचित मिश्रण आप के प्रिय-जनो को पुण शक्ति देता है, शरीर मे स्फूर्ति लाता है, भोजन पचाने मे सहायता देता है। बच्चो को स्वस्थ वयस्क बनने मे प्रोत्साहन देता है तथा सभी को चुस्त जीवन व्यतीत करने का उत्साह देता है। आज मे ही परिवार को सिंकारा दीजिये।



मध्यप्रदेश राज्य की बहुमुखी प्रगति के लिए कटिवद्ध

पचायत एव समाज सेवा संचालनालय

- * सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में पचायती राज का प्रसार ।
- * प्रजातंत्रीय दायित्वों को वहन करने के लिए सुयोग्य नागरिक समाज शिक्षा द्वारा तैयार किये जाते हैं ।
- * समाज कल्याण के विविध उपक्रमों से राज्य के पिछड़े वर्गों का उत्थान ।

“समाज सेवा” मासिक, “भित्ती समाचार” मासिक तथा “दीपक” त्रैमासिक का नियमित प्रकाशन ।

तार पत्रसेवा

पचायत एव समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी



अधिक अन्न... और अधिक अन्न...

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० का सिन्दरी कारखाना

अभी तक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट तथा यूरिया नामक नेत्र-जन युक्त उर्वरक तैयार करता रहा है। लेकिन अब इस सयंत्र की नवीकरण योजना कार्यान्वित हो रही है जिसके पूरा हो जाने पर यहा फास्फेट भी तैयार होने लगेगा।

भविष्य के आयोजन में अपनी भूमिका के प्रति सिन्दरी सदा सजग है। विगत वर्षों में सिन्दरी के सामने एक ही लक्ष्य था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा...

. हर व्यक्ति के लिए... और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, अधिक अन्न... और अधिक...

सिन्दरी : कृषि को समर्पित उद्योग

आपके उत्तरदायित्व बढ रहे है

आवश्यकता है

आप बचत करे

आपका भविष्य अनिश्चितताओ और उत्तरदायित्वो से युक्त है । क्या आप उनका सामना करने के लिये तत्पर हैं ? अभी से बचत प्रारम्भ कीजिये । अपनी भावी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये बचत कीजिये । कल की चुनौती का सामना करने के लिये बचत कीजिये । अपनी बचत स्टेट बैंक आफ इण्डिया मे रखिये, इसकी २,१०० शाखाए तथा उप शाखाए आपकी सहायता के लिये प्रस्तुत हैं ।

सेवा के लिए स्टेट बैंक

मध्यप्रदेश केसरवानी शिक्षा समिति जबलपुर

उद्देश्य

उच्चस्तरीय शैक्षणिक प्रावधानों के द्वारा विद्यालयों का शारीरिक मानसिक एवं नैतिक विकास कर उन्हें राष्ट्र की बहुमुखी आवश्यकताओं के अनुकूल राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठावान आदर्श नागरिकों के निर्माण के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है । पानाजनक साथ ही साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर इसमें अधिक बल दिया जावेगा । केवल उन्हीं छात्रों को इसमें प्रवेश प्राप्त होगा जो धर्म को महत्व देते हैं अनुशासनप्रिय हैं महत्ववादी हैं एवं अपने सद्प्रयत्नों से देश के सम्मान को परमोच्च गिस्तर पर ले जाना चाहते हैं ।

संचालित समस्याएँ

- (१) केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर ।
- (२) केसरवानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर ।
- (३) कना एवं वाणिज्य महाविद्यालय ब्योमारी ।
- (४) केसरवानी महाविद्यालय बरेना जबलपुर ।

केसरवानी महाविद्यालय में पाठित विषय —

हिन्दी साहित्य अंग्रेजी साहित्य संस्कृत साहित्य मराठी साहित्य पालि एवं प्राकृत साहित्य उर्दू साहित्य अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र दंगल शास्त्र इतिहास प्राचीन भारताय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व शुद्ध गणित व्यावहारिक गणित भूगोल संगीत गृह विज्ञान एवं मनोविज्ञान ।

समाज-कल्याण

समाज-कल्याण की भारतीय कल्पना प्राचीनतम है और वह व्यापक है। आज के 'समाज-कल्याण' की कल्पना दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के एक लिबरल नेता ने वेलफेयर स्टेट (लोक-कल्याण राज्य) की कल्पना से ली। यह समाजवाद से भिन्न कल्पना थी। इसको ब्रिटेन ने मान लिया। भारत में भी यह विचार वही से आया।

भारत में समाज-कल्याण सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तक ही सीमित है। समाज-कल्याण की कल्पना प्रशासन का स्वरूप नहीं है।

जून, १९६४ में स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के नये मन्त्रिमण्डल में सामाजिक सुरक्षा नामक नया विभाग खोला गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नये मन्त्रिमण्डल ने १९६६ में इस विभाग को 'समाज-कल्याण' नाम दिया तथा उसका पुनर्निर्माण हुआ। इस विभाग के अन्तर्गत ये विषय रखे गए (१) पिछड़े वर्गों का कल्याण, (२) आम समाज-कल्याण (परिवार और बाल-कल्याण, विकलांग शिक्षा, सामाजिक प्रतिरक्षा सेवा तथा केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद्), (३) सयुक्त राष्ट्र की वच्चो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आपात् निधि (यूनीसेफ) के कार्यक्रमों का, जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय कार्यान्वित करते हैं, समन्वय तथा (४) साधारण सामाजिक सुरक्षा।

जनवरी, १९६६ तक ये विषय भी 'सामाजिक सुरक्षा विभाग' के पास थे जो इन मन्त्रालयों को दे दिये गये—कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कोयला खान भविष्य निधि—श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय को, खादी ग्रामोद्योग आयोग व अखिल भारतीय शिल्प परिषद्—उद्योग मन्त्रालय को, बाल-भवन, बाल-संग्रहालय—शिक्षा मन्त्रालय को।

पिछड़े वर्ग कल्याण का एक 'पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक' होता है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये एक आयुक्त व उसकी सहायता के लिये उपायुक्त होता है। राज्यों में 'क्षेत्रीय उपायुक्त' होते हैं। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा उपायुक्तों की नियुक्ति विभाग करता है।

विभाग के ये तीन मुख्य कार्यालय हैं (१) केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद्, (२) समाज कल्याण व पुनर्वास निदेशालय, (३) सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो।

समाज-कल्याण सम्बन्धी विषयों पर गोष्ठियां भी होती हैं तथा ऐसे विदेशी आयोजनों में प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाते हैं।

मद्यनिषेध

मद्य निषेध का विषय यह मन्त्रालय से इस मन्त्रालय को २१ गितम्बर १९६७ को स्थानान्तरित हुआ। सविधान मद्य या शराब ही नहीं तमाम मात्स्य द्रव्यों का निषेध करता है। परन्तु सरकार केवल शराबबन्दी का ही नेवर धनी है।

निसम्बर १९५४ म मद्य निषेध जांच समिति स्थापित की गई थी। इसको यह काय सीमा गया है कि यह सविधान म विहित निदेश को पूरा करने का उपाय अथ तत्र के अनुभव के आधार पर करे। इस समिति की यह सिफारिश थी कि शराबबन्दी को आर्थिक विकास योजना का एक अंग बना लिया जाय लोकसभा ने इसे ३१ मार्च १९५५ को स्वीकार भी किया।

तीसरी योजना मे शराबबन्दी कार्यक्रम को एक समाज-व्यापण आन्दोलन बनाया गया और इसे स्वेच्छासेवी सस्थाओं द्वारा कराने के लिए कहा गया। कार्यक्रम की सफलता इन बातों पर निर्भर करती है (१) राष्ट्रीय नीति के रूप में इसको स्वीकार किया जाय और इस पर इच्छा से अमन किया जाय। प्रशासन ऐसे उपाय करते जिससे मात्स्य हो कि यह वस्तुतः राष्ट्रीय नीति है। (२) अधिकाधिक जनता का उसके लिए सत्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय और समाज सेवकों और स्वेच्छासेवी सस्थाओं का इस काय में सत्रिय उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाय (३) इसके कारण उत्पन्न समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूँढा जाय (जैसे रोजगार) और (४) शराबबन्दी की प्रगति के कारण राज्यों की आय में होने वाली हानि को पूरा किया जाय।

एक केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति स्थापित की गई है। इसके काय हैं (१) शराबबन्दी की प्रगति का समय-समय पर आकङ्क्षा (२) विभिन्न प्रांता और क्षेत्रों के कार्यों में एक मूनता और सम-काय स्थापित करना और (३) पूरा शराबबन्दी के जारी करने में आने वाली कठिनाइयों पर नजर रखना और उनका व्यावहारिक हल ढूँढना।

जनवरी १९६२ म राज्या के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन म शराबबन्दी पर विचार हुआ। मुख्यमंत्री इस विषय पर पहुँचे कि शराबबन्दी म किसी प्रकार की शिथिलता न आने देनी चाहिए। अप्रैल १९६३ म योजना आयोग ने एक अध्ययन मण्डल बनाया जिसे यह पता करना था कि (१) चोरी चोरी किन क्षेत्रों म शराब बनाई जाती है तथा इसको रोकने के लिए वर्तमान कानून क्या पर्याप्त हैं। जनम परिवर्तन करने की आवश्यकता है? (२) शराबबन्दी के प्रचार म स्वेच्छासेवी सस्थाओं का पूरा सहयोग कैसे प्राप्त किया जाय? (३) शराबबन्दी के आर्थिक परिणाम क्या होते हैं? इस मण्डल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है। इस पर विचार किया जा रहा है।

मद्य निषेध

१९६७ के प्रारम्भ म केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की तीसरी बैठक के सम्मुख मद्य निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा चिन्ते गये अवलोकना की रखा गया था। जिन राज्यों म मद्य निषेध चल रहा है वहाँ उसके अच्छे कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ये सिफारिशें थी अध्ययन दल ने सिफारिश की कि दवाइयों, शृंगार वस्तुओं

तथा सीरे को अवैध आसवनियो तक जाने से रोका जाये, समिति ने इन सिफारिशो की प्राय पुष्टि की। दवाई और शृङ्गार प्रसाधन अधिनियम तथा दवाई और शृङ्गार प्रसाधन बनाने सम्बन्धी (आवकारी कर) अधिनियम मे सशोधन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये ताकि अध्ययन दल की सिफारिशो को कार्यरूप दिया जा सके। ये विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई। समिति ने महसूस किया कि कानून मे सशोधन करने से सम्बन्धित सिफारिशो का विधि मन्त्रालय से सलाह करते हुए निरीक्षण किया जाना चाहिये और समिति की अगली बैठक मे सुभाव पेश किये जाने चाहिये।

अध्ययन दल की इस सिफारिश से कि जिन क्षेत्रो मे मद्य निषेध नहीं है वहा १२ वर्ष की अवधि मे क्रमश मद्यनिषेध लागू किया जायेगा, वित्तीय और प्रशासनिक समस्याये खडी होती हैं। दल द्वारा प्रस्तावित प्रावस्था कार्यक्रम से सहमत नहीं हुए और उन्होने (पूर्ण मद्यनिषेध के लिये) एक लम्बी अवधि (१२ वर्ष से अधिक) का सुभाव दिया। सवने यह माग की कि उनके राज्यो मे मद्यनिषेध के प्रसार से जो आवकारी राजस्व का घाटा होगा उसकी पूर्ण पूर्ति की जाये।

अध्ययन दल की यह सिफारिश कि मद्यनिषेध सम्बन्धी प्रचार को तीव्र किया जाये और अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद की सेवाए प्राप्त की जाए, मान ली गई। अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद को नशावन्दी क्षेत्र मे कार्य करने वाली गैर-सरकारी सस्थाओ को केन्द्रीय समन्वय निकाय के रूप मे मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ पर खर्च के लिए उसे १९६७-६८ के एक लाख रुपये का सहायक अनुदान दिये जाने का सुभाव है।

नशावन्दी लोक कार्य क्षेत्र राज्यो और सघ-शासित क्षेत्रो मे मद्यनिषेध सम्बन्धी शिक्षा कार्य कर रहे हैं। यह एक मार्गदर्शी प्रोजेक्ट है। प्रत्येक क्षेत्र पर खर्च की सीमा ५,००० रुपये है और केन्द्र और राज्य इस खर्च को ६० ४० के अनुपात मे वहन करते है।

मद्यनिषेध की प्रगति

भारत के विभिन्न राज्यो एव सघीय क्षेत्रो मे मद्यनिषेध की स्थिति अलग-अलग है। केवल गुजरात राज्य मे सम्पूर्ण मद्यनिषेध है। महाराष्ट्र मे भी सम्पूर्ण मद्य-निषेध था परन्तु गत वर्ष इसमे कुछ छूट दी गई है। अन्य राज्यो मे कुछ चुने हुए क्षेत्रो तथा कुछ चुने हुए दिनों पर शराववन्दी लागू है।

समाज-कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति

समाज-कल्याण कार्यक्रमो का स्वरूप प्रथम तीन योजनाओ के दौरान क्रमश विकसित हुआ। प्रथम योजना मे स्त्रियो और वच्चो के कल्याण कार्यक्रमो और ऐच्छिक सगठनो को अनुदान देने के लिए चार करोड रुपये की व्यवस्था की गई। राज्य समाज कल्याण योजनाए इससे बाहर थी। द्वितीय योजना मे केन्द्रीय एव राज्य योजनाओ को शामिल कर समाज कल्याण कार्यक्रमो का कार्यक्षेत्र बडा दिया गया। इस योजना मे १९ करोड रुपये की व्यवस्था की गई तथा १४ करोड व्यय हुआ। तीसरी योजना मे ३१ करोड रुपये की व्यवस्था की

गई किन्तु चीनी आक्रमण से उत्पन्न समस्याओं के कारण कायन्त्रमा का विस्तार याजनाया व अनुरूप नहीं हुआ तथा वास्तविक व्यय लगभग १६ करोड़ रुपया हुआ। चौथी योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए २० करोड़ रुपयें व्यय का प्रस्ताव है। १९६६-६७ में ४ करोड़ से कुछ अधिक रुपया व्यय हुआ। १९६७-६८ की योजना का अनुमानित व्यय लगभग ४५ करोड़ है।

सामाजिक संरक्षण तथा सुधार सेवाएँ

तीसरी योजना में इस कार्यक्रम की परियोजनाओं के लिये ३५८ करोड़ ६० रु. रकम अलग की गई है। कार्यक्रम के उद्देश्य ये रहे—(१) अपराधियों पर नियंत्रण व उनका सुधार (२) स्त्रियों और बालिकाओं का अनतिक्रम व्यापार का दमन अधिनियम १९५६ का पूर्ण अमल (३) भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं का नियंत्रण व सुधार (४) जेलों में कल्याण सेवा और (५) परिवीक्षा सेवा।

वैश्यावृत्ति के लिए १८ वर्ष से कम उम्र की बालिका का अपहरण खरीद और बिक्री के लिए भारतीय दंड संहिता में १ वर्ष तक की कारावास सजा है। वैश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों व लड़कियों के व्यापार का दमन करना इसका उद्देश्य है। पर उमने केवल गणिकावृत्ति को दंडनीय नहीं माना है। अधिनियम में आराम खोने तथा सुधारार्थक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है। तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में एक आश्रम खोने की व्यवस्था भी थी। अभी तक केवल ४ ही खोले गए हैं। अनतिक्रम जीवन से मुक्त स्त्रियों के पुनर्वास की व्यवस्था और अच्छी करने का विचार चल रहा है। साथ ही अधिनियम को लागू करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन भी विचारधीन हैं। नतिक्रम और सामाजिक खतरे में पड़ी स्त्रियों लड़कियों के लिए सस्थानीय और घर सस्थानीय सेवाओं के पुनरीक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग ने शीघ्र ही रक्षाकारण समिति नियुक्ति की जिसने अपना प्रतिवेदन इन वर्ष दिया।

(क) स्त्रियों और बालिकाओं का अनतिक्रम व्यापार का दमन अधिनियम १९५६—मई १९५० में माच में हुए व्यक्तिओं के खरीद फरोख्त तथा वैश्याओं के गोपण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सुझाव पर १९५६ के अंत में संसद ने इसे पारित किया। १ मई १९५८ से यह लागू हुआ।

(ख) राज्य में महिषासुरों के लिए सुरक्षा गृह तथा जिला आश्रम हैं। राज्य सरकार की सस्थाओं के अनिक्रम ऐसी निजी सस्थाएँ भी हैं जिन्हें केन्द्रीय सहायता मिलती है। पारिवारिक जीवन सस्थान भी इसी के अंतर्गत हैं १९६७-६८ में विभिन्न राज्यों में ६० सुरक्षा गृहों का कार्य कर रहे थे।

भिक्षावृत्ति

इस रोचक का दायित्व राज्य सरकारों पर है। उनके अलग-अलग विधान हैं। भारत सरकार कम नियंत्रण के लिए राज्यों का वित्तीय सहायता देती है। भिक्षारिया के लिये भिक्षारी-गृह निधन-गृह तथा स्वस्थ भिक्षारिया के लिए कार्य केन्द्र होते हैं। आराम असम बिहार गुजरात जम्मू-कश्मीर, केरल मद्रास, महाराष्ट्र मसूर और पंजाब ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन कानून बनाए हैं।

वाल भिक्षावृत्ति के नियंत्रण तथा उन्मूलन के लिए सरकार ने एक विशेष योजना मानी है। इसे पहले चरण में १० लाख से अधिक जनसंख्या के ८ नगरों में लागू किया जावेगा। अभी यह तीन शहरों में शुरू हो गया है।

भिखारियों व अवारागदों के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५५ (१) वी तथा १०६ (बी) के अन्तर्गत समान रूप से दंड की व्यवस्था है। सार्वजनिक स्थानों पर गडबड करने वाले भिखारी धारा १३३ के अन्तर्गत दंडनीय है। १५ फरवरी, १९४१ से रेलवे के अहाते में भीख माँगने की कानूनन मनाही है। सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर भी कानूनन मनाही है। नगरपालिका और पुलिस कानूनों में भी भिक्षावृत्ति रोकने की व्यवस्था है। भीख भगवाने के लिए बच्चों का अपहरण करना घोर अपराध है और इसके वास्ते भारतीय दंड संहिता (सशोधन) अधिनियम १९५६ बनाया गया है। बच्चे से भीख माँगने का घवा कराने के लिए उन्हें उड़ाने पर कठोर दण्ड विहित किया गया है, और यदि बच्चा विकलांग या अपाहिज बना दिया जाय, तो आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है।

सुधार सेवाओं का केन्द्रीय व्यूरो—(सेंट्रल व्यूरो आफ करेक्शनल सर्विस) अगस्त १९६१ में इसकी स्थापना की गई। व्यूरो के मुख्य काम ये हैं। राष्ट्रीय आधार पर सांख्यिकी का प्रामाणिक संग्रह करना, एक सामान्य नीति का विकास व समन्वय करना, विदेशी सरकारों और सयुक्त राष्ट्र सभ की विभिन्न एजेन्सियों के साथ जानकारी का विनिमय करना, तथा अपराधों को रोकने और अपराधियों को सुधारने के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और सर्वेक्षण को प्रोत्साहन देना। सब राज्यों के १००० अपराधियों के मामलों के अध्ययन हेतु इस व्यूरो में एक परियोजना (प्रोजेक्ट) तैयार की जा रही है।

व्यूरो सूचना-संग्रह केन्द्र के रूप में है तथा सुधार सम्बन्धी मामलों में केन्द्र व राज्य सरकारों को सलाह देता है। व्यूरो 'सामाजिक प्रतिरक्षा' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जिसमें सुधार के नियमों के बारे में जानने योग्य सामग्री रहती है। यह देश में अपने ढंग की एक ही पत्रिका है।

व्यूरो के अन्य कार्य ये हैं : सयुक्त राष्ट्र सभ के निदेश पर आरम्भ वाल उपचार सम्बन्धी एक सर्वेक्षण प्रायोजना, इंग्लैंड की प्रमुख समाज सेविका तथा अनन्तर-देखभाल की ब्रिटिश समिति की सदस्या श्रीमती वी० नार्मन बटलर द्वारा देश की विभिन्न सुवारात्मक संस्थाओं के निरीक्षण का प्रबन्ध तथा सयुक्त राष्ट्र सभ के द्वारा इस क्षेत्र में चलाने का कार्यक्रम।

जेलों में कल्याण सेवाएँ—बंदियों के साथ मानवोचित व्यवहार हो, इसके लिए जेलों में कल्याण अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। विभिन्न जेलों में १९६७-६८ में इस प्रकार के २५ पद थे।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८—इसके अन्तर्गत विशिष्ट रोगियों के अपराधियों के लिए परिवेक्षण प्रणाली का उपवध है।

समाज-कल्याण

केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद—अगस्त, १९५३ में इसकी स्थापना की गई। तात्कालिक वित्तमंत्री श्री देवमुल की पत्नी श्रीमती देवमुल इसकी प्रथम अध्यक्षता हुईं। इसका

मुख्य काम समाज-कल्याण की गतिविधियाँ का विस्तार तथा विभाग है। अथवा यही समाज कल्याण की सहायता की आवश्यकता का सर्वोत्तम गृह्यक्रम अभिवृद्धि व गृह्यक्रम का मूल्यांकन के द्वीय सरकार तथा प्रयोग सरकारों और गृह्यक्रम प्राप्त समाज कल्याण की गति विधियों का समन्वय स्वच्छिक सहायता को प्रोत्साहन देना (विभाजन जहाँ इनका अभाव हो) तथा अच्छा काम कर रही सहायता व प्रतिष्ठानों का वित्तीय गृह्यक्रम देना। वित्तीय सहायता के लिए परिषद ने कुछ गतों निर्धारित की हैं। परिषद भारत सरकार के एक विभाग की भाँति काम करता है। १९६७-६८ में इसके लिए १७३ ५४ लाख रुपये रकम दिए गए।

राज्य में प्रदेश समाज कल्याण परिषद है। मिनीवाय और अमीन दीव द्वीप समूह में ये नहीं हैं। प्रदेश परिषद के माध्यम से और सिफारिश के साथ स्वच्छिक समाज-कल्याण सहायता—के द्वीय परिषद को अनुदान के लिये आवेदन करती है। १९६१ में अनुदान देने का कार्यक्रम विनियमित किया गया और प्रदेश परिषदों को एक सीमा तक एक वर्षीय अनुदान देने का अधिकार दिया गया।

स्वच्छिक सहायता को १ वर्षीय अनुदान प्रदेश सरकारों के जरिये तथा अथवा अनुदान सीधे दिए जाते हैं।

संगठन के द्वीय परिषद में सरकार के सचिव के अतिरिक्त अथवा प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन अनुदान परियोजनाएँ आदि देखते हैं। निरीक्षण अधिकारी हैं जो अनुदान प्राप्त स्वच्छिक सहायताओं के काम व बहीखातो की जाँच करते हैं। प्रदेश परिषद से सम्बद्ध निरीक्षक व कल्याण अधिकारी हैं। प्रदेश परिषद के प्रशासनिक व्यय का आधा राज्य सरकार तथा आधा के द्वीय परिषद वहन करती है।

के द्वीय समाज कल्याण परिषद की सहायता प्राप्त अथवा गतिविधियाँ ये हैं —महिला कल्याण बाल-कल्याण रत-बसेरा कल्याण प्रसार परियोजना नगरी व ग्रामीण सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण कार्य क्षेत्र-कर्मचारी प्रशिक्षण अनुसंधान मूल्यांकन प्रचार पत्रिकाएँ चलचित्र व प्रकाशन परिवार नियोजन परिवार कल्याण सम्मेलन व विचार शिविर।

स्वयं परिषद ने अगस्त १९५४ में कल्याण प्रसार परियोजना का आरम्भ किया।

हर ग्रामीण परियोजना में २५ से ३ गाँव तथा लगभग २० ००० की आबादी है। परियोजनाओं का अंतर्गत बालबाड़ी मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवा महिलाओं को सामाजिक शिक्षा देना व साक्षर करना कला व शिक्षा केन्द्र तथा मनोरंजन की गतिविधियाँ हैं। फरवरी १९६८ के अन्त तक ८ परियोजनाओं के लिए ४५ ०० रुपये की राशि दी गई।

कल्याण प्रसार केन्द्र पहले वहाँ आरम्भ किया गया जहाँ सामुदायिक विकास केन्द्र नहीं थे। बाद में इन्हें केवल उही क्षेत्रों में चलाने का निर्णय किया गया जहाँ सामुदायिक विकास प्रखण्ड हैं। पहले कल्याण प्रसार केन्द्र महिला मंडल व स्वच्छिक सहायताओं को सौंप दिए गए। ८ परियोजना जिसमें ४ केन्द्र हैं अपने पूर्वमय में ही मणिपुर नागालड अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा पंजाब की कुल्लू घाटी में हैं। इन स्थानों में इन्हें सहायता के लिए कोई स्वच्छिक सहायता नहीं है। इही परियोजनाओं का खर्च का २ तिहाई केन्द्र तथा १ तिहाई राज्य या राष्ट्रीय प्रयोग सरकारें देती हैं। अप्रैल १९६७ के आरम्भ में ५४१ महिला मण्डल व स्वच्छिक सहायता १४६२ केन्द्र चला रही थी।

सामुदायिक विकास प्रखंडों में चल रही प्रत्येक परियोजना में १० केंद्र हैं जहां १ मुख्य सेविका, ८ ग्राम सेविकाएँ, ८ बालवाड़ी अध्यापक तथा ५ दाइया होती हैं। विकास प्रखंड में भी १ मुख्य सेविका तथा दो ग्राम-सेविकाएँ साथ होती हैं। परियोजना का कार्य परियोजना कार्यान्वयन समिति देखती है जिसमें क्षेत्र के पंचायत जिला अधिकारी होते हैं। प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत १०० गाव और ६०,००० से ७०,००० तक की आबादी है। अप्रैल, १९६७ के प्रारम्भ में ऐसी २६४ परियोजनाओं के अन्तर्गत २४५२ केंद्र कार्यरत थे। फरवरी १९६८ तक इन परियोजनाओं के लिए प्रदेश परिषदों को ३५ लाख रु० की रकम दी गई।

कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी) : इनका उद्देश्य शहरों की गंदी बस्ती में कल्याण योजनाओं का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत शिशु-गृह व बालवाड़ी का निर्माण, प्रसूति के बाद परामर्श-सेवा देना तथा शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के कार्य हैं। इनके अतिरिक्त गौकिया क्लबों की स्थापना, व्यावसायिक पथप्रदर्शन, महिलाओं तथा अपाहिजों की सेवा के भी कार्य हैं। १९६७-६८ में १६ प्रदेशों में ऐसी ५६ परियोजनाएँ कार्य कर रही थीं। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिये छुट्टियों में अवकाश-गृहों व शिविरों की व्यवस्था है। इसका प्रशासन प्रदेश परिषद् करती है। भारतीय बाल-कल्याण परिषद् योजना का समन्वय करता है। प्रत्येक अवकाश शिविर पहले २१ दिन का होता था, पर अब अधिकाधिक बालकों को लाभ पहुंचाने के लिए १५ दिन का कर दिया गया है।

बाल-कल्याण योजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। बाल-वाडियों के लिए बाल सेविकाओं को तैयार करने के लिए ३ माह के दो अल्पकालीन पाठ्यक्रम हैं। इसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने आयोजित किया। दो वर्षीय प्रशिक्षण केंद्र आंध्र, असम, गुजरात, मध्य-प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा में हैं। ऐसे कुल पाठ्यक्रमों की संख्या ७ है। कार्यकर्ताओं के लिए मार्ग-दर्शक साहित्य भी है। परिषद् की दो पत्रिकाएँ भी हैं—'सोशल वेल्फेयर' तथा 'समाज कल्याण'। इसके विशेषांक सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर प्रदेश परिषद् कार्यकर्ताओं तक पहुंचाये जाते हैं।

पोषक देख-रेख के लिए १९६४-६५ में एक संस्थान को 'पोषक देख-रेख इकाई' प्रारम्भ करने के लिए अनुदान दिया गया, पर इसमें विशेष प्रगति नहीं हुई।

बाल-अपराध बाल अपराध रोकने तथा उस पर नियंत्रण का दायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार इसमें वित्तीय सहायता तथा तकनीकी निर्देशन देती है।

१९६० में केन्द्रीय सरकार ने सघ प्रदेशों के लिये बाल अधिनियम लागू किया था। इसी आधार पर अन्य राज्यों से अधिनियम बनाने को कहा गया। असम, बिहार, राजस्थान तथा उड़ीसा को छोड़कर शेष राज्यों में अधिनियम हैं। मध्य प्रदेश में एक बाल अधिनियम है जो अभी लागू नहीं हुआ है। १९६८-६९ में सभी राज्यों में बाल अधिनियम बना कर लागू करने का निर्देश केंद्र ने राज्यों को दिया है।

तीसरी योजना में २३ परिप्रेक्ष्य गृह, १२ प्रमाणित विद्यालय, ३ बाल-भवन और १ घोस्टर्न स्कूल ऐसे बालकों के लिये खोले गये। इसकी योजना के अन्त में अनुमानत ५० बाल-न्यायालय, ११२ प्रवेष्टन स्कूल, ७० प्रमाणित स्कूल, ११२ योग्य व्यक्ति संस्थान,

२४ परिवीक्षा आवास ७ बोस्टल स्कूल सुधार गृह ५५ अपेक्षित व अपचारी बालक कल्याण सस्थाए व सोसाइटिया ३०० वेतन भोगी तथा ६० माताई परिवीक्षा अधिकारी देश भर म थे। इस समय देश म ८३ बाल अदालतें और ३ बाल कल्याण परिपदें काम कर रही हैं। इस समय ७ बोस्टल स्कूल हैं जिनमे २२०० बालका के लिये स्थान हैं।

बाल-कल्याण की बाल केदा मे एकीकृत सेवाओ की केन्द्र संचालित परियोजना है। प्रदेश सरकारो और केन्द्र ग्रासित प्रदेशो को उनके चुने हुए सामुदायिक निवास खण्डो मे जहा कुछ विकास हुआ है इसके कार्याचयन के लिये १० प्रतिशत सहायता दी जाती है। किसी क्षेत्र विशेष म यह परियोजना १६ वष से कम उम्र के बच्चो के लिए है। इसके अत गत ६० व्यवसाय पूव प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनम ४०० छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं।

भारतीय बाल-कल्याण परिपद यह नई दिल्ली म है तथा स्वेच्छा सेवी सस्था है। इसकी शाखाए लगभग सभी प्रदेशो म हैं जिह राज्य बाल कल्याण परिपद कहा जाता है। यह सस्था जनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय बाल-कल्याण संघ से सम्बद्ध है।

परिपद के मुख्य कार्य-क्याप ये हैं

(क) बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ख) बालको के लिए अवकाश गृह

(ग) बच्चा के अंतर्राष्ट्रीय गिविर मे भारतीय बालको के भाग लेने की व्यवस्था

(घ) बाल दिवस का आयोजन

(ङ) विशेष साहस का कार्य करने वाले बालको को राष्ट्रीय पुरस्कार

(च) मध्य प्रदेश म आदिवासी बालका के कल्याण हेतु सस्थान

(छ) विचार गोष्ठिया सम्मेलन

परिपद को इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है

१ बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम २ केन्द्रीय कार्य-व्यवस्था ३ प्रदेश शाखाओ म आवश्यक कमचारिया की व्यवस्था ४ मुख्य कार्यालय म बाल-सेविका कार्यक्रम के लिए आवश्यक कमचारिया की व्यवस्था ५ विचार गोष्ठी व अनुसंधान मुक्ति।

बाल सेविका प्रशिक्षण योजना इसे परिपद कार्याचित करती है। तीसरी योजना म बाल-सेविकाओ व प्रशिक्षण हेतु २ प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए ० लाख रु की व्यवस्था थी। १९६७ ६८ वष म १३ करोड़ काय करते रहे तथा उनके लिए ५५० लाख की राशि मंजूर की गई।

अभी तक १९८२ बाल सेविकाए प्रशिक्षित की गई। गतवष ४८२ सेविकाए प्रशिक्षण पा रही थी।

रात्रि विधाम गृह (रन घसेरा) विभिन्न केन्द्रो म २६ रात्रि विधाम गृह हैं। यह उन मजदूरों के लिए हैं जो बिना आवास के हैं।

महिला समाज कल्याण हमकी गतिविधिया य है

सर्पटित कार्यक्रम इगव अन्तगन १८ वष से ३ वष की उम्र तक की सागर महिलाओ का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि व माध्यमिक या मट्रिक स्तर तक शिक्षा पाकर काम पा सके और अपना रोजी रोजी कामा सकें। निसम्बर १९६४ तक ७७२ पाठ्यक्रम

प्रारम्भ किए गए और १६००० महिलाएँ भरती की गईं। अक्टूबर, १९६५ के अंत तक ७३ पाठ्यक्रम शुरू हुए तथा वर्ष पूरा होने तक ३६ और केन्द्र शुरू होने की आशा थी।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम : इसका उद्देश्य स्त्रियों को कार्य और आजीविका की सुविधाएँ प्राप्त करना है। इसके लिए केन्द्रीय समाज-कल्याण परिपद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा उनके अधीनस्थ संस्थाओं और औद्योगिक परिपदों की तकनीकी सहायता से उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था करता है। ऐसे ४२ केन्द्र हैं जिनमें १२०० महिलाएँ लाभान्वित हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण परिपद ने उनको ३२ लाख रु० दिए हैं। इस प्रकार के और ३६ केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

दफ्तरो के कार्य का पाठ्यक्रम : यह योजना केरल राज्य के लिए है, ताकि देश की गरीब व सहायता की पात्र व्यस्क महिलाओं को स्टैनोग्राफी (आशुलिपि) और टाइप का प्रशिक्षण दिया जा सके। २० उम्मीदवारों का एक पाठ्यक्रम चलाने का सुभाव है।

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली इसकी शाखाएँ देश भर में हैं। यह महिला और बाल-कल्याण के कार्य करती है। इसकी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि संस्था है जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ाना है। परिवार नियोजन, चिकित्सालय चलाना, विचार-गोष्ठी का आयोजन, विश्व-स्वास्थ्य दिवस व संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन आदि भी इसकी गतिविधियों में हैं। इसके केन्द्रीय कार्यालय के लिये सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।

स्त्रियों के लिये सामाजिक कार्य का स्कूल यह नागपुर में है। इसमें भर्ती होने के लिए कम से कम मैट्रिक होना आवश्यक है। पढाई १ वर्ष की है।

विशेष बाल-कल्याण योजना यह प्रदर्शनात्मक और रचनात्मक है। इसके अंतर्गत ये कार्य हैं —

विशेष बाल कल्याण योजनाओं पर फरवरी '६६ के अंत तक ६५१ लाख रुपये व्यय किए गए। शिशुओं के लिये कुटी के आधार पर आदर्श घर की स्थापना करना, जहाँ पारिवारिक वातावरण हो, नूतन बाल-बाडियों का निर्माण और पहले की बाल-बाडियों में सुधार, अनाथ और निराश्रित बच्चों की सेवा, इस योजना को बाल-सेवा का एक भाग बनाना। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण तथा मनोरंजन और शहरी इलाके के बच्चों के प्रशिक्षण की सेवाएँ उपलब्ध कराना। अपाहिज और मानसिक दृष्टि से अ विकसित बच्चों को प्राक्-स्कूली शिक्षा देना। योजना के अंतर्गत बच्चों के वास्ते सचित्र साहित्य के प्रकाशन की भी व्यवस्था है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के वास्ते उपयुक्त सचित्र साहित्य प्रकाशन करना इसका लक्ष्य है। यह साहित्य ऐसा होगा जो शिशु कल्याण का कार्य करने वालों के लिए भी उपयोगी हो। शिक्षण और मनोरंजन के उपकरणों का प्रतिमानिकरण करना भी इसका एक कार्य है।

वारह परियोजनाओं के क्षेत्र में ४०० से अधिक बाल-बाडियों की स्थापना की गई है। शहरी क्षेत्र के पड़ोस में १० प्राक्-स्कूल परियोजनाएँ शुरु की गईं। शिशु कल्याण कार्यकर्ताओं के लिये, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरु किये गए। बम्बई और मद्रास में दो पालन पोषण देखभाल सेवा एकक शुरु किए गए हैं।

सीमा क्षेत्रों में कल्याण-परियोजनाएं : नेफा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, और गुजरात के सीमान्त क्षेत्रों में समाज कल्याण कार्यक्रम का नूतनपात किया गया है।

इस केंद्र के अंतर्गत वहाँ प्रसूति-सेवाएँ शिल्प प्रशिक्षण समाज शिक्षा यानवाड़ी व शिक्षा सेवायें जारी की गई हैं। नेफा लेह लाहौल व किनौर में बालबाडिया हैं तथा मनोरंजक कार्यक्रम चिकित्सा सहायता तथा शिल्प प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कच्छ और बनस्करा (गुजरात) में कम्प आयोजित किए गए जहाँ महिला-नायकताओं को विभिन्न विषयों की जानकारी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद वहाँ कल्याण केंद्र भी खोले गए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों चम्बोली और उत्तरकाशी में दो परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं। इन केंद्रों का काम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार में निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण सेवाओं को तीव्र करने के लिए बोर्ड ने स्वच्छिक समस्याओं को उनके व्यय का ६५ प्रतिशत तक सहायता अनुदान देने का निश्चय किया है।

क्षेत्र कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए सामाजिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है। ये सामुदायिक विकास और सहायता मंत्रालय द्वारा खोले गए हैं।

परिवार और बाल कल्याण की योजना—यह परिपद की मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर बनाई गई तथा इसे १४ नवम्बर १९६७ से गुरु किया गया। इसके अंतर्गत स्कूल जाने के पूर्व की अवस्था के छोटे बालकों के लिये कल्याण सेवाएँ एवं सामुदायिक विकास केंद्रों में तरणी माताओं को गृह-व्यवस्था गृह-सुधार तथा बालकों की देख रेख के प्रशिक्षण दान आदि की परियोजनाओं की स्थापना है। अभी तक ५ परियोजनाएँ गुरु की गई हैं। एक परियोजना पर प्रति वर्ष आवृत्त व्यय ५१ न १० तथा अनावृत्त व्यय ५५ ५०० रुपया होता है।

प्रदेश समाज-कल्याण सलाहकार परिषद्—परिषद् १६ राज्यों में और ८ सघीय प्रदेशों में है। असम गुजरात जम्मू-कश्मीर महाराष्ट्र मसूर दिल्ली गोवा दमन और दीव हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के परिषद् की पहली कार्यवाही समाप्त होने पर उनका पुनर्गठन किया गया।

प्रदेश परिषदों की प्रशासनिक क्षमता और कार्य भार के मूल्यांकन के लिए उनका निरीक्षण किया जाता है।

सम्मेलन और सेमिनार—मई १९६५ में अखिल भारतीय स्तर की स्वच्छिक समाज कल्याण की समस्याओं के अध्ययन का एक सम्मेलन केन्द्रीय परिषद् में आयोजित किया। उसके उत्पन्न परिषद् की महत्ता का प्रथम मूल्यांकन तथा स्वच्छिक समस्याओं व परिषद् में सम्बन्धित सरकारों विभागों में अधिक सहयोग के उपाय सूचना था। नवम्बर १९६७ में राज्यों के विच्छिक क्षेत्रों काय देगन वान मंत्रियों की बैठक हुई। उसके पूर्व इसी माह में राज्यों के समाज-कल्याण निष्ठाएँ एवं सचिवा का सम्मेलन हुआ।

भारतीय सामाजिक कार्य सम्मेलन—यह बम्बई में १९६७ तथा अखिल भारतीय संस्था है। इसकी माताएँ मंगलग्राम मन्त्रालय में हैं। यह सामाजिक कार्य व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (त्रिमास) में सम्मिलित है। इसके मुख्य कार्य हैं सामाजिक कार्यों को बताना और उनमें मदद करने का निश्चय करना सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुसंधान करना सर्वेक्षण करना तथा विचार-मौलिक और सम्मेलन आयोजित करना। सम्मेलन का उत्सव केन्द्रीय कार्यालय की व्यवस्था तथा विचार-मौलिक के आयोजन के लिये विभागीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान वर्धई—यह सामाजिक कार्य की शिक्षा देता है। एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाने पर सितम्बर '६७ में शिक्षा मन्त्रालय संस्थान के अन्तर्गत आ गया किन्तु संस्थान के प्रबन्धक समिति में समाज-कल्याण विभाग का भी प्रतिनिधि है। यहाँ स्नातको को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें सामाजिक सेवा प्रशासन की स्नातकोत्तर उपाधि दी जाती है। यहाँ अनुसंधान और विचार-गोष्ठिया भी होती हैं।

सामाजिक कार्य स्कूल, मद्रास—यहाँ दो वर्षों की स्नातकोत्तर पढ़ाई होती है और 'सामाजिक सेवा प्रशासन' का डिप्लोमा दिया जाता है।

अनुसन्धान कार्य की अन्य संस्थाएं—सामाजिक सेवा का कर्वे संस्थान (पूना), अखिल भारतीय अपराध रोध संस्था (लखनऊ), बाल विहार (मद्रास), सामाजिक विकास परिषद—भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (नई दिल्ली), सामाजिक सेवाओं का संस्थान-निर्मला निकेतन (नई दिल्ली), सामाजिक विज्ञानों का संस्थान—काशी विद्यापीठ (वाराणसी), सामाजिक कार्य का सकाय—एम० एस० विश्वविद्यालय (बडौदा)।

अपंगों की शिक्षा तथा पुनर्वास

नेत्रहीनो, बहुरो, विकलागो तथा मदमति व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएँ हैं। अनुमान है कि इस देश में इस प्रकार के एक करोड से अधिक अपंग व्यक्ति हैं।

अपंग व्यक्तियों की सही-सही सख्या का ज्ञान कठिन है। १९३१ की जनगणना के साथ ऐसे व्यक्तियों की भी गणना की गई थी। तब से विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर कच्चे अनुपात ही लगाये जा रहे हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के केन्द्रीय परिषदों की संयुक्त समिति की १९४४ की 'भारत में नेत्रहीनता' रिपोर्ट के अनुसार, देश में नेत्रहीनो की सख्या २० लाख होगी, हाल के सर्वेक्षण के अनुसार यह ४० लाख से भी अधिक हो सकती है। बहुरे व्यक्तियों की सख्या का अनुमान ८ और १६ लाख के बीच है। विकलाग व्यक्तियों की सख्या नेत्रहीनो से अधिक ही होने का अनुमान है। मदमति वच्चो की सख्या १५ से १८ लाख तक होगी।

नेत्रहीन व्यक्ति—नेत्रहीनो के लिए इस समय देश में ११५ स्कूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इनमें से अधिकतर संस्थाएँ अभिकरणों द्वारा चलायी जाती हैं, पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से उन्हें सहायता मिलती है।

नेत्रहीनो के लिए राष्ट्रीय केन्द्र देहरादून

नेत्रहीनो के लिए स्थापित प्रायोजनाओं में यह एक प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने की। इसका उद्देश्य नेत्रहीनो के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इन सेवाओं का प्रारम्भ नेत्रहीन बालको की शिक्षा से तथा अल्प वयस्क नेत्रहीनो के लिए अच्छी पठन-सामग्री की व्यवस्था से होगा। इस समय केन्द्र में ये सेवाएँ हैं

१ वयस्क नेत्रहीनो के लिए प्रशिक्षण केन्द्र इसकी स्थापना जनवरी, १९५० में हुई। यह नेत्रहीनो के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें १५० पुरुष तथा ५५

स्त्रिया के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कुटीर लघोगो तथा सरल अभियांत्रिकी व्यवसायो में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके साथ ब्रल लिपि टकन तथा संगीत में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणाधिया के लिए भोजन निवास तथा शिक्षा मुफ्त है। केन्द्र ने प्रशिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के भी प्रयत्न किये। ऋषिकेश में हिन्दुस्तान एंटी वामाटिक्स में नेत्रहीनो के लिए रोजगार की सभावनाएँ हैं।

गत कुछ वर्षों में केन्द्र में हल्की अभियांत्रिकी के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है। मयुक्त राष्ट्र निकाय कार्यक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इस विभाग का विकास किया जा रहा है।

२ गेस्टड बकशाप—इसकी स्थापना जून १९५४ में की गई। इसमें ७ कुर्सियां बुनने वाले तथा ५ बुनकर काम करते हैं। कामगारों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाती है तथा उनके लिए आवास डाकूरी सहायता का प्रबंध है।

१९६७-६८ में कुर्शियां बुनने वालों ने १२००० रु० तथा बुनकरों ने १३७००० रु० का काम किया। बकशाप में कामगारों की संख्या २५ तक बढ़ाई जा रही है।

३ केन्द्रीय ब्रल प्रस—इसकी स्थापना १९५१ में हुई। इसमें सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी में विशेषकर ब्रल लिपि में साहित्य तयार किया जाता है। १९६७ के अन्त तक ११ प्रेम में २७३ टाइटिल प्रकाशित किए गए। एक हिन्दी प्रकाशित पत्रिका भी यहां में प्रकाशित की जाना है। प्रस में तयार साहित्य नेत्रहीनो की समस्याओं को रियायती मूल्य पर दिया जाता है।

४ ब्रल-साधनों की निर्माणशाला—यह १९५४ में स्थापित हुई। यह नेत्रहीनो की शिक्षा के लिए आवश्यक साधन तयार करने के लिए है। मयुक्त राष्ट्र निकाय कार्यक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इसका विकास किया जा रहा है।

१९६७-६८ में लगभग ५०० रु० के ब्रल-साधन विशेष भेजे गए।

५ नेत्रहीन बालकों का आरक्षण स्कूल—यह १९५६ में खोला गया। यह माध्यमिक आरक्षण स्कूल है। १९६५-६६ में १ बालिका भी शोध दी गई। देश के सभी भागों में नेत्रहीन बालकों को भर्ना किया जा रहा है पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। स्कूल में ६६ छात्र हैं। बकशाप में मरिचक काम की रीति बड़ान के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। माघ ६८ में स्कूल के ११ छात्र उत्तर प्रदेश हार्ड स्कूल तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल परीक्षा में बर्ना।

६ नेत्रहीनो का राष्ट्रीय पुस्तकालय—यह १९५१ में स्थापित हुआ। यह गारे देश में नेत्रहीनो का ब्रल-साहित्य मुक्त शोध को देता है। १९६७-६८ में गणना की गयी तब लगभग ७१५ गा. साहित्य प्रकाशन १३७० पुस्तकें पढ़ने का दावा है। पुस्तकालय में ११ वर्ष ०१५ तक टाइपिंग का काम है। १९६८-६९ में एक विशेष पुस्तक अनुभाग स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

७ ब्रल-साधनों के लिए स्कूल—यह एक एक भाग में ११ वर्ष ब्रल-साधनों के लिए एक एक स्कूल स्थापित किया जा रहा है।

८ ब्रल-साधनों के लिए मरिचक शिक्षा—१९६८-६९ वर्ष के दौरान ११ गा. साधन शोध

मे नेत्रहीन बच्चों को साधारण स्कूल में दाखिल करके शिक्षा देने का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के खर्च का सारा भार केन्द्रीय सरकार पर है।
नेत्रहीनों के लिए छात्रवृत्तियाँ

यह योजना १९५२-५३ में शुरू हुई। इसके अधीन १६ से ३० साल तक के नेत्रहीन छात्रों को ऊँची शिक्षा या तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। तीसरी योजना में इसके लिए ९०० लाख रु० का प्रावधान था, ५३४ व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ दी गयीं जिनका कुल खर्च ९.०१ लाख रु० आया। १९६७-६८ में ५० नेत्रहीनों को छात्रवृत्ति दी गई।

नेत्रहीनों के अध्यापकों का प्रशिक्षण—इसके लिए बम्बई, दिल्ली तथा नरेन्द्रपुर (प० बंगाल) में तीन केन्द्र हैं। सभी केन्द्र स्वैच्छिक अभिकरणों के अधीन हैं जिनका सारा खर्च भारत सरकार देती है। १९६७-६८ में ३२ अध्यापकों ने प्रशिक्षण पाया। १९६७-६८ में इन तीनों केन्द्रों के पाठ्यक्रमों का पुनरावलोकन किया गया। समान परीक्षाएँ लेने तथा समान पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक बोर्ड की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

बहरे

देश में इस समय बहरो के लिए ७१ सस्थाएँ हैं। इनमें से अधिकतर स्वैच्छिक अभिकरण चलाते हैं जिन्हें कुछ सरकारी सहायता मिलती है। अधिकतर स्कूलों में बहरो को प्रारम्भिक शिक्षा तथा कपडा सीने व बुनने, कालीन बनाने, लोहारगिरी, छपाई और जिल्द-साजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बयस्क बहरो के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद—इस केन्द्र में ६० प्रशिक्षणाध्ययों के लिए स्थान है। १६ साल से २५ साल की आयु के बहरे लड़कों को इजिनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले पाँच सालों में ८१ बहरे लड़कों ने इस केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस साल किसी नये दल ने प्रशिक्षण समाप्त नहीं किया, क्योंकि प्रशिक्षण की सामान्य अवधि दो साल की है।

बहरो के लिए छात्रवृत्तियाँ : ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रारंभ की गईं। १६ से ३० साल तक के बहरे छात्रों को ऊँची शिक्षा, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। तीसरी योजना में ४०० व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं जिन पर ३३३ लाख रु० खर्च आया। १९६७-६८ में २७ को छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

विकलांग

अत्यन्त विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी देश में २४ विशेष सस्थाएँ हैं। इनमें प्रारम्भिक शिक्षा के साथ भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इनमें से अधिकतर सस्थाओं को राज्य सरकारों से सहायता मिलती है।

ऐसे विकलांगों के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था है जो पहली योजनावधि के अन्त में शुरू हुई। इसके अधीन १२ से ३० साल तक की उम्र के विकलांग छात्रों को ७वीं कक्षा के बाद साधारण शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्र-

वृत्तियाँ दी जाती हैं। तीसरी योजना में १४ ६६ लाख रु० की ६४२ छात्रवृत्तियाँ दी गईं। १९६७-६८ में १०५ विकलांगों को छात्रवृत्ति दी गई।

मन्दमति

इस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है और अल्प वर्गों की तुलना में इन्हें सुविधाएँ बहुत कम दी गई हैं। देश में इस प्रकार के बच्चों के लिए कुल १२ स्कूल हैं। नवम्बर १९६४ में भारत सरकार ने ऐसे बालकों के लिए एक स्कूल खोना जिसमें १० आवासीय छात्रों के लिए स्थान है। इस स्कूल में १९६७-६८ वर्ष में ५१ नये आवासीय तथा ३ गैर-आवासीय छात्र दाखिल किए गए।

प्रशिक्षित विकलांगों को वतनिक काम दिलाने के लिए हाल ही में ठोस प्रयत्न किये गये हैं। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने १९५८ में एक विज्ञापन की सेवाएँ दीं। इस विज्ञापन की सिफारिश पर १९५९ में बम्बई में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला विज्ञापन रोजगार कार्यालय खोला गया। बाद में न और जानघर दिल्ली कानपुर मद्रास हैदराबाद अहमदाबाद बंगलौर तथा कलकत्ता में खोले गये।

१९६७ के अन्त तक इन कार्यालयों ने ४२९ विकलांगों को रोजगार दिनाया। १९६७-६८ में ५१५ विकलांगों को रोजगार दिनाया गया जिनमें २३ नेत्रहीन ४९ बहरे तथा ४३३ विकलांग थे।

स्वच्छिक सस्थाओं की सहायता सस्थाओं के विकासात्मक कार्यों के लिए कमचालियों के वेतन का गत प्रतिगत वर्ष और वर्ष के अल्प मदों की ५ प्रतिगत तक सहायता भारत सरकार देती है। तीसरी योजना में ४९ सस्थाओं को २१ ३४ ३६५ रु० के अनुदान दिये गए। १९६७-६८ में १३ सस्थाओं को ३ ४६ ० ० रु० अनुदान दिए गए।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात्-निधि

राष्ट्रपति के आदेश से निधि सम्बन्धी काम का समन्वय जुलाई १९६४ से स्वास्थ्य मन्त्रालय से लेकर सामाजिक सुरक्षा विभाग को दे दिया गया। निधि इन मन्त्रालयों को सक्रिय सहायता देती है

१—स्वास्थ्य मन्त्रालय २—शिक्षा मन्त्रालय ३—सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय तथा ४—छात्र-वृत्ति मन्त्रालय।

निधि में सहायता भारत सरकार के विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक कार्य क्षेत्रों के लिए मिल रही है।

१९६७-६८ में निधि ने भारत में विभिन्न प्रयाजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ६२ ६४ लाख अमरीकी डालरों की सहायता दी।

भारत सरकार निधि के न्यूनतम स्थित मुख्य कार्यालय को ४० लाख रु० का वार्षिक योगदान देती है। उस प्रमाण पर १९६९ में ६० लाख रु० किया जाएगा। १९६७-६८ में अनुदान की राशि ४५ लाख रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को

प्रवासनिक खर्च के लिए १२ लाख रु० का वार्षिक सहायक अनुदान दिया जाता है। दोनों की अदायगी रु० में होती है।

प्राक्व्यवसाय केन्द्र योजना : इसमें भी निधि का सहयोग है। योजना का उद्देश्य ११ से १४ साल तक के बच्चों को, जिनकी रुचि न होने के आर्थिक कारणों से प्राथमिक स्तर के बाद पढाई छूट गई, प्राक्-व्यवसाय प्रशिक्षण देना है।

परिवार तथा बाल कल्याण योजना : इसके अन्तर्गत निधि द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों तथा परियोजना केन्द्रों को सामग्री एवं अर्थ की सहायता दी जाती है।

विस्थापितों का समाज-कल्याण तथा पुनर्वास

देश के विभाजन के बाद निराश्रित व अनाथ महिलाओं, बालकों, वृद्धों तथा अशक्तों की समुचित देखभाल व अनुपोषण तथा पुनर्वास का भार भारत सरकार पर आया। यह कार्य प्रारम्भ में पुनर्वास मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय को तथा बाद में समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया।

समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय

उपरोक्त कार्य के लिए भारत सरकार ने विभाजन के तुरन्त बाद इसकी स्थापना की। यह अभी भी कार्य कर रहा है।

गृह तथा आश्रम विस्थापितों को समुचित देखभाल तथा अनुपोषण के लिए इनमें ठहराया गया। अनुपोषण का काम सामाजिक सुरक्षा विभाग (अब, समाज कल्याण विभाग) ने अपनी कल्याण कार्रवाई के रूप में जारी रखा। १९६७-६८ में इन गृह आश्रमों की संख्या ४० थी और इनमें लगभग ३६००० लोग थे। इनके अतिरिक्त २५ बाल संस्थायें हैं जिनमें ६०० विस्थापित बच्चे (अधिकतर अनाथ) हैं। इन्हें बच्चों के अनुपोषण और शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। गृहों, आश्रमों से बाहर रहने वाले लगभग २६०० विस्थापित हैं जिन्हें तकदी वेकारी-अनुदान दिया जाता है।

आश्रम, गृह से निकले लोगों को मकान बनवाने तथा रोजगार चलाने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। बहुतेको के लिए व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय की मुख्य गतिविधियाँ .

प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र—ऐसे १८ केन्द्र दिल्ली व नई दिल्ली में हैं। इनमें लड़कियों व महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व सहायता दी जाती है। १९६६ में १२३ स्त्रियों ने एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तथा २४ स्त्रियों ने शिल्प अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा किया। २,६४३ स्त्रियों को विभिन्न दस्तकारियों में लगाया गया।

कस्तूरबा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्ली—विस्थापित निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की देखभाल व अनुरक्षण के लिए यह है। अभी इसमें ८४० ऐसे स्त्री-बच्चे हैं। निकेतन का एक भाग उन जवानों के जरूरतमन्द परिवारों के लिए है, जिन्हें अल्प सूचना पर ही सीमा पर भेज दिया जाता है।

अमन म है । इस अधिनियम व अनगत इसके उल्लघनकर्ता को दण्ड देने की व्यवस्था है । अधिनियम के कारण किमी को दुकाना म आन और चप्ने होटल म सवके साथ बठकर खाने स्त्रू न-वानज म भरती करने व कोई नौकरी देन स इस कारण इकार नही किया जा सकता कि वह हरिजन वग का है । सराया धमगालाओ मुसाफिरखाना के दरवाजे अब उनके त्रिए बन्द नहा रमे जा सकने । हरिजनो को कोई दुकानदार कोई चीज बचने से इस कारण न्वार नही कर सकता कि वह हरिजन है । इसी प्रकार हरिजन का सामाजिक बहिष्कार करना व हमम भाग लेना दण्डनीय है । इम कानून के अधीन अपराधी पर अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने की जिम्मेवारी है ।

अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारो का दायित्व है केन्द्र समय-समय पर इसका निरीक्षण करता है । अधिनियम की कार्यावयन सम्बन्धी बातो पर विचार विमश के लिये राज्या के विभागीय मंत्रिया का सम्मेलन होता है ।

अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन केन्द्रीय सरकार १९५४ से इस आन्दोलन को वित्तीय सहायता दे रही है । आन्दोलन म सरकारी और गरसरकारी दोनो एजेंसियां लगी हैं । जनता का ध्यान इस ओर वेदित करने के लिए हरिजन दिवस हरिजन सप्ताह मनाय जाते हैं ।

अस्पृश्यता व उन्मूउन के काम म हरिजन सेवक सघ भारतीय आदिम जाति मवर सघ भारतीय दलित सघ (भारतीय लिप्रस्टेड क्लास चीग) भारत दलित सेवक सघ हिन्दी सेवक ममाज श्री सर्वेष्ट आफ इण्डिया सोसायटी दी ताता इस्टीच्यूट आफ सोशल गाइमज और स्वरकारण आश्रम सत्तन स्वेच्छासेवी सस्थाओ की मन्त भी ली गई है । इन सस्थाओ को प्रथम यात्रनावाल म ६१ ५० ७४६ ६० अनुदान म लिया गया । इमम केन्द्र का भाग १४७७२ ० ६ था । दूसरे नियोजन की अवधि म ६८ लागू ६ व तीमरे नियोजन काल म १ २० कराट ८ का अनुदान स्वीकार किया गया था ।

विधि मण्डलों से परिवर्तन मविधान के अनुच्छेद ३३० ३३२ और ३३४ के अनुगार विधि मण्डन म हरिजनो और आश्रितमिया व लिए यथामम्भव जमगस्था व अनुदान म स्थान सुरािन है ।

अनुमूचिन जानिया और अनुमूचिन कचाला व लिए मसद और विधान मभाओ म सुरािन स्थान

(३१ माच १९६७ की स्थिति)

राज्य	साथ मभा म		विधान मभाओ म			
	म मभा म कुल मभा का मभा	अनुमूचिन जानिया (हरिजन)	अनुमूचिन कबाव (अश्रित मभा)	राज्य विधान मभा का कुल मभा	अनुमूचिन जानिया का	अनुमूचिन कचालो का
आन्ध्र प्रदेश	११	६		८७	४	११
बंगाल	१४	१		१२६	८	२५
बिहार	२३	७	२	३१८	४५	२६

गुजरात	२४	२	३	१६८	११	२२
हरियाणा	६	२	—	८१	१५	—
जम्मू-कश्मीर	६	—	—	७५	६	—
केरल	१६	२	—	१३३	११	२
मध्यप्रदेश	३७	५	८	२६६	३६	६१
मद्रास	३६	७	—	२३४	४२	२
महाराष्ट्र	४५	३	३	२७०	१५	१६
मैसूर	२७	४	—	२१६	२६	२
नागालैंड	१	—	—	४६	—	—
उड़ीसा	२०	३	५	१४४	२२	३४
पंजाब	१३	३	—	१०४	२३	—
राजस्थान	२३	४	३	१८४	३१	२१
उत्तर-प्रदेश	८५	१८	—	४२५	८६	—
पंजाब	४०	८	२	२८०	५५	१६
संघीय प्रदेश						
दिल्ली	७	१	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	६	१	—	६०	१४	३
मणिपुर	२	—	१	३०	—	६
त्रिपुरा	२	—	१	३०	३	६
गोवा, दमन, दीव	२	—	—	३०	—	—
पाण्डिचेरी	१	—	—	३०	५	—
अडमान निकोबार	१	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	१	—	—	—	—	—
दादरा व नगरहवेली	१	—	१	—	—	—
लक्षद्वीप, मीनीकाय, अमीद्वीवी	१	—	१	—	—	—
योग	५२०	७७	३७	३५६३	५०३	२६२

एक सुरक्षित स्थान असम के स्वायत्तशासी जिलो के लिए है ।

नौकरिया

सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित वर्गों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हैं । खुली प्रतियोगिता के आधार पर १२½ प्रतिशत रिक्त स्थान पूरे किए जाते हैं । १६½ प्रतिशत रिक्त स्थान अन्य रीति से भरे जाते हैं । अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए ही उपयुक्त विधियों का अनुसरण किया जाता है । यथा—इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा में इस वर्ग का सफल व्यक्ति ही सुरक्षित स्थान पाएगा । यदि परीक्षा में कोई उत्तीर्ण न होगा तब ये रिक्त स्थान सामान्य वर्गों से पूरे किए जायेंगे । इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि परीक्षोत्तीर्ण का क्रमांक क्या है ।

सरकारी नौकरी पाने की विभिन्न प्रकार की सुविधायें मिलने के फलस्वरूप १९६३ व अन्त में विभिन्न वर्गों की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित वर्ग के लोग की संख्या इस प्रकार थी

वर्ग	अनुसूचित जातियाँ		अनुसूचित कबीले	
	(१९५९)	(१९६६)	(१९५९)	(१९६६)
वर्ग १	१२३	३६१	१७	१०६
वर्ग २	४८८	९७४	९७	८०
वर्ग ३	५७ ६२५	९९ १७	६ ५०४	१२ ३५६
वर्ग ४	१ ५७ ७०४	२ ११ ०७३	२३ ८१०	४४ ११३

अखिल भारतीय सेवाओं में इनकी स्थिति इस प्रकार है —

	अनुसूचित जातियाँ			अनुसूचित कबीले		अन्य
	(१९५९)	(१९६५)	(१९५९)	(१९६६)	(१९५९)	
आई० सी० एस /	३५	११४	८	४०	१६०८	२०५७
आई० ए० एस०						
आई० पी० एस /	१६	६४	७	१८	८८१	११९७
आई० पी०						
आई० एफ० एस (ए) ३	१७	—	—	५	१८४	३६६
आई० एफ० एस (बी) २९	८७	६	६	१६	१ ६९७	२ ३९१

रोजगार विभाग द्वारा १९६२ में अनुसूचित जातियों के बारे में संप्रहीत अंक इस प्रकार है

१९६६ में अनुसूचित जातियों के लिए ९६०५ रिक्त स्थान सुरक्षित घोषित किये गये। इनमें से ४१७९ ही भरे जा सके।

१९६६ में अनुसूचित कबीले के ६७९१ स्थान सुरक्षित घोषित किये गए। इसमें से १६८ स्थान भर जा सके। १९६२ के अन्त में रजिस्टर में दर्ज नामों की संख्या ४८०४ थी। ६७९१ सुरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या १९६२ में घोषित की गई। इनमें १६८ स्थानों की पूर्ति आदि विभागों से भरे गए।

१९६१ में मुख्यमंत्री ने एक नियम में कहा कि रत्न बोर्ड ने हरिजन आदि जाति वर्गों के लिए रत्न बोर्ड की नौकरियों में एक काटा निर्दिष्ट कर रखा है। यह काटा तरकारी में भी जाने वाली नियुक्तियों के लिए है। रत्न बोर्ड ने आगे जारी किया था कि गृह मंत्रालय की विधि के बावजूद तरकारी में पूरा किया जाना वाला रिक्त स्थान १ साल बाद समाप्त न होकर आगे बल्लि उमका अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति द्वारा भरण का सब प्रकार से ध्यान दिया जाय। रत्न बोर्ड ने यह भी सूचित किया कि निम्नवत् १९६६ तक स्थान समाप्त न हों। इस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों का रिक्त स्थान के लिए भरण का ध्यान बनाने और तकनीकी मान प्राप्त करने का अवसर मिला।

भारत सरकार ने भरण प्रयत्न विभाग में तरकारी द्वारा भरण जाने वाले रिक्त स्थानों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का कार्य निम्न वर्गों बनाया है।

असम का आदिमवासी क्षेत्र—छठी अनुसूची के अनुसार युनाइटेड खासी जैन्तिया हिल्स, गारो हिल्स, उत्तरी कछार और मिकिर हिल्स के लिए क्षेत्रीय कौंसिल और पांच जिला कौंसिलें स्थापित की गईं। जिला कौंसिल में २४ सदस्य होते हैं। इनमें से तीन चौथाई वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। जिला कौंसिल को नियम बनाने के और कुछ वित्तीय अधिकार बड़ी मात्रा में प्राप्त हैं।

परामर्शदात्री समितियाँ—जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं या जहाँ राष्ट्रपति निर्देश दे वहाँ कवीला परामर्शदात्री समितियाँ बनाने के लिए सविधान में कहा गया है। कवीला सलाहकार समितियों की संख्या दस है। ये आंध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पंजाब में स्थापित हैं। ये सलाहकार समितियाँ आदिम जाति के कल्याण के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर सरकार को सलाह देती हैं। असम, केरल और मैसूर में इसके कार्य के लिए सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए हैं। सलाहकार जातियाँ अण्डमान-निकोबार द्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी स्थापित की गई हैं। कवीलों के विषय में सलाह देने के लिए एक समिति केन्द्र में भी है।

कानूनी सहायता—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से कुछ राज्य अनुसूचित वर्गों को कानूनी सहायता देते हैं। तीसरे नियोजन में कानूनी सहायता की मद में अनुसूचित जातियों के लिए ४ लाख रु० और आदिमवासी जातियों के लिए ३३५ लाख रु० दिए गए थे।

शिक्षा सहायता—हरिजनों और आदिमवासियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए तीसरी योजना में १४ करोड़ रु० दिए गए। केन्द्र और राज्य के अचल में हरिजनों के लिए क्रमशः १५३७ ०० लाख रु० और ३८० ०० लाख रु० दिया गया। इसी प्रकार आदिमवासियों के लिए क्रमशः १२०० ०० लाख रु० और २१०.१० लाख रु० दिया गया।

पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा हेतु सरकार ने १९४८-४९ से छात्रवृत्तियाँ देने की योजना शुरू की। छात्रवृत्तियों की संख्या एव राशि विभिन्न वर्षों में लगातार बढ़ती ही रही है —

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित कवीले	अन्य पिछड़े वर्ग	योग
१९५१-५२	१३१६	३४८	५१७	२१६१
१९५५-५६	१६०८१	२८८३	१२४८७	३१४५१
१९६०-६१	४२०७१	६८७७	१४४२१	६३३६९
१९६५-६६	७८५४८	१५६२५	२२०८१	११६५५४
१९६६-६७	९०२६४	१७७६०	२३६४०	१३१६६४

किया गया खर्च रूपों में

१९५१-५२	८१७६७६	२८१७८०	४४११८६	१५४०६४२
१९५५-५६	६३७८४३२	१३०५२३८	७३७०२६६	१५०५३६३६
१९६०-६१	१६७८२४१२	३०६५८१४	८७६७४६०	२८६७५७१६
१९६५-६६	३७२५३५८६	७०५७८८०	१२६४१२०३	५६६५०६६९
१९६६-६७	४३७६६४४३	८३८३६२२	१२७६६०८२	६४६४६१५३

अनुसूचित जात जातियों एवं अनुसूचित जातियों के व माग के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना एवं १९६६-६७ में विभिन्न कामकाज पर के लिए राज्य क्षेत्रों द्वारा लिए गए व्यय की तात्कालिक प्रतिक्रिया है।

अनुसूचित जात जाति (राज्य भाग ६० में)

	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
शौचालय	तृतीय योजना	१९६६-६७	तृतीय योजना	१९६६-६७
शिक्षा	२४३ ४५	८५ ८०	११९५ ४०	१८८ १८
आर्थिक शिक्षा	१८७९ ६८	७९६ ७०	११११ ३५	१८९ २६
स्वास्थ्य गृह निर्माण आदि	६२ १८	२१ ९४	६७७ ०१	९३ ०२
योग	२१८५ ३१	८७४ ४४	३००३ ७६	४७० ४६

अनुसूचित जाति

	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
शौचालय	तृतीय योजना	१९६६-६७	तृतीय योजना	१९६६-६७
शिक्षा	१४७७ ८२	४३६ ८५	१७०३ २	२५८ ८४
आर्थिक शिक्षा	—	१ ९१	४६५ ८८	७९ ५६
स्वास्थ्य गृह निर्माण आदि	४१४ २१	८३ २६	४७९ ३	८६ ८२
योग	१८९२ ०३	५२२ ०२	२६४८ ०२	४२५ २२

अनुसूचित जातियों और कबीला की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दोष समाज के स्तर पर जाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और किस प्रकार किस रीति से कर रही हैं वह इससे प्रकट है। विनिधान की गई सारी रकम सच नहीं हुई है यह शिकायत तो हरक विभाग के प्रति की जा सकती है। इसलिए इसको इस वग के प्रति उपेक्षा नहीं कहा जा सकता।

अनुसूचित जात सस्यान—कबायली रीति रिवाजों का ससृति के अध्ययन की व्यवस्था आंध्र प्रदेश असम बिहार गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में है। गोहाटी विश्वविद्यालय में असम के कबीला की ससृति का अध्ययन किया जाता है। बम्बई में एथोपोलोजिकल सोसायटी (नृवर्णाशास्त्र अनुसंधान परिषद्) इस कार्य को कर रही है।

आदिवासी विकास खण्ड—दूसरे नियोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट में ४३ आदिवासी विकास खण्ड बनाए गए। तीसरी योजना के अन्त में ४५८ आदिवासी विकास खण्ड थे। १९६६-६७ में ३१ नए खण्ड प्रारम्भ हुए। १९६७-६८ में इन विकासखण्डों के लिए ४७० लाख रुपये का प्रावधान किया गया। १९६८-६९ में सम्भवतः ५२८ लाख रुपये व्यय होंगे। प्रत्येक विकास खण्ड का क्षेत्रफल २०० वर्गमील और इनकी जनसंख्या २४००० होती है। इस आबादी में ६६ २/३ प्रतिशत कबायली हैं।

(स्थापित १९५८)

बिहार राज्य सहकारिता भूमि बन्धक बैंक लि०,
पटना

१. अधिकृत पूंजी ... ४०,००,०००
२. ऋण-पत्र निर्गत ... २५६.१९ लाख
किया गया
३. ऋण दी गई राशि ... ३००.०० लाख से अधिक
४. शाखाएं .. ४२-बिहार राज्य के सभी अनु-
मण्डल के मुख्यालय में (छोटा
नागपुर एवं संथालपरगना के
जिला मुख्यालयों में) ।
५. लक्ष्य . . चालू वर्ष में २० शाखा खोलने का
लक्ष्य है एवं ९००.०० लाख ऋण
वितरण का लक्ष्य है ।
६. चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में इस बैंक की १५० नई शाखाएं
खोलने एवं १०० करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरण करने
का प्रस्ताव है ।

**THE GUJARAT STATE CO OPERATIVE LAND
DEVELOPMENT BANK LTD**

(Registered Office AHMEDABAD)

Estd 1951

489 Ashram Road Navrangpura
AHMEDABAD 9

Branches : 181

Membership : 6 17 875

FINANCIAL POSITION

Authorised Share Capital
Paid up share Capital
Reserve & other Funds
Sinking Fund Investments
Debentures

AMOUNT CRORES

Rs 10 00
Rs 4 81
Rs 0 82
Rs 13 36
Rs 54 09

The Bank is playing an important role in increasing agricultural production by creating capital assets on land by advancing productive loans for New Wells Oil Engines Electric Motors Tractors Bundings Farm Houses reclamation of land etc Total Loans advanced Rs 71 70 crores

H H Trivedi I A S

Udaybhansiniji

Maganbhai R Patel

(Retd)

Yuvaraj of Porbandar

Vice Chairman

MANAGING DIRECTOR

CHAIRMAN

VIDARBIIA

**PREMIER CO OPERATIVE HOUSING
SOCIETY LTD**

Authorised Capital

Rs 30 00 000

Deposits

Rs 1 07 51 000

Loans recoverable

Rs 1 21 46 000

Reserve Fund

Rs 5 19 000

Membership

Rs 6 300

Special Features

- (1) Deposit facilities at attractive rate of interest
- (2) Tax free dividend on shares
- (3) Quick and efficient service

R P Samarth
Vice Chairman

G S Page
Chairman

C J Kathikar
J M Wachasunder
Hony Secretaries

**Save with
Sudarsan**

**THE LARGEST CHIT FUND
ORGANISATION IN INDIA**

Turnover for 1966/67 Rs. 11.4 crores.

**Payments to subscribers during 1966/67
nearly Rs. 4 crores**

**Over 4000 Field Staff to service clients
54 offices all over India**

**SUDARSAN TRADING COMPANY LIMITED
Regd. Office Calicut-2.**

**Central Office : Sudarsan Building
Whites Road, Madras-14. Phone : 83068.
aries: STC : 163**

देतने का काम महानखा परीक्षक का है। विनियोग की गई राशि बचनी नहीं चाहिए। सरकार जो खर्च करे उस पर उसको विधि मण्डल या संसद की स्वीकृति लेनी चाहिए। रेलवे का बजट केन्द्रीय बजट से अलग रहना है। यह १९२४ के रेलवे कनवशन (अभिसमय) के अनुसार है। रेलवे केंद्रीय सरकार को अपनी आय में से कितना भाग दे यह हर तीन साल बाद निर्दिष्ट किया जाता है। साधारणतः रेलवे में लगी सरकार की पूंजी का मामूली ब्याज ही रेलवे देती है यह ६ प्रतिशत से कम होता है। इसका नाम साभाश (डिबिडेण्ट) रखा गया है। वित्त मंत्रालय

भारत सरकार के वित्त प्रबंध और सम्पूर्ण वित्तीय व्यवहारों के लिए वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। प्रबंधक मंत्रालयों के सहयोग से यह मंत्रालय भारत सरकार के सभी व्यय का नियंत्रण करता है। सरकारी कर व ऋण-नीति का नियमन भी यही करता है। बकायवस्था और मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा यही करता है तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से देश की मुद्रा का नियमन और उचित उपयोग की व्यवस्था करता है। प्रतिभूमि सचिवा (विनियमन) अधिनियम १९५६ के शासन तथा गेयर बाजारों के विनियमन में सम्बन्धित काय अथ विभाग को सौंप दिया गया। सरकारी उद्यम कार्यालय (यूरो ऑफ पब्लिक इण्डस्ट्राइजेज) का पटन समन्वय विभाग के अधीन था २४ जनवरी १९६६ से मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमण्डल काय विभाग) के अधीन कर दिया गया।

व्यय अथ और समन्वय विभाग के अलग अलग सचिवा के अधीन है राजस्व और बीमा तथा सरकारी उद्यम कार्यालय का एक ही सचिव है। हर विभाग के अधीन अनेक रायटन हैं।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत अभी तीन विभाग हैं—राजस्व और बीमा विभाग व्यय विभाग तथा व्यय विभाग २४ जनवरी १९६६ के पून मंत्रालय में ५वाँ विभाग भी था—समन्वय-काय व बीमा विभाग। यह १८ नवम्बर १९६४ को बनाया गया था। समाप्ति के बाद सामान्य राजस्व विभाग तथा समन्वय-काय विधि मंत्रालय के नये विभाग समन्वय विभाग में शामिल कर लिया गया।

(१) राजस्व व सामान्य विभाग—विभाग सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था और सामान्य मामलों के लिए उत्तरदायी है। राजस्व-नीति के विषय में सरकार का सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य इसका है। स्वयं नियंत्रण विनियमों का प्रशासन भी इसी के अधीन है।

१९६६ ६७ में ये प्रत्यक्ष कर रहे—आय कर सम्पत्ति-कर अति-कर (अधिनाभ-कर) मनक सम्पत्ति शुल्क और दान-कर आरक्षण कर हैं। सभाय उद्घाटन शुल्क मीमा शुल्क वही उद्घाटन शुल्क अतिरिक्त सामान्य-शुल्क।

() सामान्य विभाग—समन्वय विभाग है—प्रतिष्ठान प्रभाग अर्थात् व्यय प्रभाग तथा प्रभाग केमकारी निराकरण एकर मागत तथा पत्र आयोगों वित्त प्रभाग तथा सरकारी उद्यम कार्यालय। पून १९६७ में वित्त मंत्रालय के समन्वय विभाग का व्यय विभाग के अन्तर्गत लिया गया।

() अथ विभाग—करों का निपटारा करता है। विभाग मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं और सम्पत्ति की रक्षा करता है। विभाग में दो प्रभाग हैं—करों प्रभाग काय वित्त और विभाग समन्वय विभाग आर्थिक विधि प्रभाग अथ प्रभाग तथा प्रशासन प्रभाग।

वजट •

वजट प्रभाग, रेलवे-वजट को छोड़कर, भारत सरकार का वार्षिक वजट तैयार करता है। अधिक व्यय हो जाने पर अनुपूरक वजट व अतिरिक्त अनुदान भी यही तैयार करता है।

हर वित्तीय वर्ष में फरवरी मास के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय सरकार का वजट लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा पेश किया जाता है। इसमें अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का अनुमान बताया जाता है, और व्यय की मजूरी मागी जाती है। घाटे को पूरा करने के लिए नए कर भी लगाये जाते हैं, हटाए भी जाते हैं, या उनकी दर कम हो जाती है। यह वार्षिक वित्तीय वक्तव्य कहा जाता है। वजट पर पहले साधारण बहस होती है। इसके बाद प्रत्येक मन्त्रालय की मांग पेश की जाती है। इस प्रकार समेकित निधि से व्यय करने के लिए राशि निकाली जाती है। इसके बाद विनियोग अधिनियम पेश किया जाता है। ससद यह हर वर्ष पारित करता है। कर प्रस्ताव एक पृथक् विधेयक में पेश किये जाते हैं। यह वित्त विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है।

आय व्यय : केन्द्रीय सरकार की आय के स्रोत हैं—उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क, निगम-कर, आय-कर, मृत सम्पत्ति शुल्क और टकसाल की आय। रेलवे और डाक-तार से इसको अंशदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण विभाग के कार्यों तथा सरकारी उद्योग से भी केन्द्रीय सरकार को कुछ आय होती है।

राज्यों की आय के मुख्य स्रोत हैं—(१) विक्री तथा अन्य कर और शुल्क, (२) विभागों से आय, (३) राज्य के उद्योगों से आय, (४) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अंश भाग, तथा (५) केन्द्र से मिला अनुदान।

स्थानीय सस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत हैं—(१) चुगी, सम्पत्ति-कर, पशु-कर, कृत सेवाओं का शुल्क, लाइसेंस फीस, जल-कर, विजली-कर, साईकिल-कर तथा सरकार से प्राप्त अनुदान।

केन्द्रीय सरकार का व्यय तीन भागों में विभक्त है—सुरक्षा-व्यय, नागरिक या मुल्की व्यय और पूजीगत व्यय या निर्माण-व्यय।

मुल्की या नागरिक व्यय के अन्तर्गत व्यय की निम्न मदे आती है

नागरिक प्रशासन, ऋण सेवाएँ, विस्थापित पुनर्वास, खाद्य-सहायता आदि। पूजीगत व्यय की मद है—औद्योगिक विकास। इसके लिए पृथक् पूजीगत वजट तैयार किया जाता है। पूजीगत वजट के व्यय की मुख्य मदें हैं—रेलवे, डाक-तार, नदी घाटी परिकल्पनाएँ, उड्डयन। यह व्यय स्थायी कर्ज, अग्रिम (एडवांस) और राज्यों को कर्ज देकर किया जाता है।

केन्द्र से राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण—भारत के सघ शासन की एक नई विशेषता है कि केन्द्र सरकार अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग राज्य को देती है। राज्य केन्द्र को नहीं देते। वित्तीय साधनों का स्रोत केन्द्र है, और आर्थिक दृष्टि से राज्य केन्द्र पर आश्रित है।

राज्य केन्द्रीय सरकार की आय का कुछ अंश ही नहीं पाते, वल्कि सविधिक और अन्य प्रकार के अनुदान, विभिन्न योजनाओं के लिए कर्ज और पुनर्वासन-व्यय भी पाते हैं।

कर-जाँच आयोग—हर साल सरकार का व्यय बढ़ रहा है। इस लिए राष्ट्र की कर देने की क्षमता का और अधिक उपयोग कर नियोजित-व्यय को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर कर-जाँच आयोग की नियुक्ति की गई। अतः कर-जाँच

केन्द्रीय बजट १९६८-६९

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तिया (हजार रुपये में)

व्योरे के लिए विवरण	वास्तविक प्राप्तिया	बजट अनुमान	संगोचित अनुमान	बजट अनुमान
देविया	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६७-६८	१९६८-६९
राजस्व प्राप्तिया	५८५,३६५.५४	६५०,१३०.००	५२२,६९०.००	५१९,९७०.००
गैर राजस्व से आय मुख्य नीयक—				
सीमा मूल्य				
केन्द्रीय उत्पादन शल	१०,३३,७८८.२३	११,८७,३२०.००	११,६३,५८०.००	१२,५९,६५०.००
निगम-कर	३,२८,८९७.७६	३,५००.००	३,१९,६५०.००	३,३६,५३०.००
निगम-कर से भिन्न आम सम्बन्धी कर	१,७१,५८५.२२	१,५८,५१७.७८	१,२५,८३१.५४	१,५७,३१५.९९
मृत-सम्पत्ति शुल्क	१,७१,०७	३०,२९	६७,३२	५८,७०
सम्पत्ति-कर	१,०५,८५१	१,२५,०००	१,१०,०००	१,१०,०००
व्यय-कर	७,४६	९००	३००	३००
दान-कर	१,७४,७३	१,५०००	१,५०००	१,७५००
अय धीयक	३१,१२.५९	३२,००५.०	३५,५१.५६	३८,९०९.५
शुण-व्यवस्था	३,७७,५८३.२२	५,०९,०००.७	५,१७,३२.३०	५,४९,१८७.१
प्रासासिक सेवाए	१,०६,४२३	९,३०,२१	१,००,४५९	१,००,४५५

सामाजिक और विकास सबधी सेवाए
 बहुप्रयोजनी नदी योजनाए, सिंचाई और
 बिजली योजनाए
 लोक-निर्माण-कार्य (सडको सहित) और
 लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारो
 की योजनाए
 परिवहन और सचार (सडको से भिन्न)
 मुद्रा और टकसाल
 विविध

अशदान और विविध समायोजन (रेलो
 तथा डाक और तार के अशदानो से भिन्न)

रेलो का अशदान

डाक और तार का अशदान

असाधारण मदें

जोड—राजस्व प्राप्तिया

२२,५२,९९	२२,८६,५५	२६,२२,३६	२५,९५,२३
२९,१६	१५,२७	८९,५०	१,९६,७६
५,६२,४४	४,५९,७९	५,४४,१०	५,८६,५७
९,१३,४८	१०,९५,२३	११,१२,०१	११,३७,४७
६८,३०,०७	७८,०२,१३	७८,५४,६३	८६,०५,००
२५,३३,९७	२१,४१,९६	२७,४०,८३	२२,४९,४३
७,८५,७५	६,४६,७१	१०,७०,३०	१०,८३,१३
३०,७५,७८	३०,९८,०६	२९,७०,१२	३०,५२,०१
..	४,०६,१८	६,४१,३२	३,११,९७
८,२२,३९	९,४७,५३	८,३४,८५	१५,५४,०२
२७,३१,०५,७९	२९,८९,५७,०६	२८,१२,५३,८२	२९,७६,५६,८८
...	+ ५०,७३,०० ^१
२७,३१,०५,७९	२९,८९,५७,०६	२८,१२,५३,८२	३०,२७,२९,८८

राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी

जोड

टिप्पणी—१ ९६-६७ का खाता अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया है और यहा जो वास्तविक आकडे दिये गये है वे केवल अन्तिम है ।
 १ बजट प्रस्तावो का प्रभाव । २ केन्द्रीय उत्पादन शुल्को मे से राजस्व जो राजस्व मे से घटा दिया गया है ।

द्वितीय सरकार के भुगतान का विवरण

(रुज्जार रुपये में)

1 भारत की समर्पित निधि— गठन के बिना या का समय—	सुरे व निगम विवरण दिनांक	वास्तविक भुगतान	वज्र अनुमान	संगोपित अनुमान	वज्र अनुमान
बनों सुरक्षा और अन्य मूल्य राजस्वों का गणना	१३३ १६ ६५	३४ ५३ ३६	३६ १३ ८३	१६६७ ६८	१६६८ ६८
रुण व्यवस्था	५६३ ४४ ६६	५०६ ६७ १६	५०८ २६ ५३	५५० ३२ १३	५५० ३२ १३
प्रशासनिक सेवाएँ	१ २२ ६६ ५५	१ २३ ७७ ११	१ ३६ ६७ ३६	१ ४० ४ ८४	१ ४० ४ ८४
सामाजिक और विभाग सम्बन्धी सेवाएँ	१ ६३ ०६ ६२	२ ४० ०१ ८३	२ २७ ८२ ४७	२ ५२ १७ २	२ ५२ १७ २
बहुमसोत्री गद्दी योजनाएँ सिंचाई और बिजली योजनाएँ	२ ०४ २८	३ १५ ६७	४ ०३ ६३	३ ५५ ४१	३ ५५ ४१
सोव निर्माण-कार्य (सड़क सड़क) और सोव निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएँ	२६ ५० ८६	२८ ३६ ०६	२७ ७२ ०१	३२ ०८ ८४	३२ ०८ ८४
परिवहन और संचार (गडकों स भिन्न)	१२ २६ ११	१४ १२,३१	१५ २७,७८	१२ ८२ १६	१२ ८२ १६

मुद्रा और टकसाल	२०,२१,७१	२१,४४,८०	२३,४२,६०	२४,४५,०२
विविध	१,७५,०७,५९	१,६७,१७,५१	१,७१,६३,१२	१,८२,३७,०५
अशदान और विविध समायोजन	६,४२,५८,४६	६,९०,४९,१६	७,०८,३३,०८	७,५२,३६,६७
असाधारण मदें	१४,०७,०३	१०,४८,१८	९,२७,६६	११,४६,७४
रक्षा सेवाएँ (क)	७,९७,७९,७१	८,४२,४९,४८	८,५६,८१,५३	८,९४,४६,००
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	२५,०२,२९,५३	२६,८६,०५,६६	२७,२५,४४,६३	२८,९६,३८,१६
व्यय से राजस्व की अधिकता अर्थात् अधिशेष	२,२८,७६,२६	३,०३,५१,४०	८७,०९,१९	८०,१८,७२
जोड़	२७,३१,०५,७९	२९,८९,५७,०६	३०,१२,५३,८२	३०,२७,२९,८८

२४
२५

+ ५०,७३,००*

(क) शुद्ध आकड़े प्राप्तिप्राय व्यय में से घटा दी गई है। * वजट प्रस्तावों का प्रभाव।

बजट-अनुमान १९६८-६९

राजस्व बजट

करा की वतमान दरों के अनुसार १९६८-६९ का राजस्व अधिशेष ८० करोड़ रुपया आका गया है जब कि चानू वष का राजस्व अधिशेष ८७ करोड़ रुपया आका गया है। ७ करोड़ रुपये की यह कमी राजस्व प्राप्तिया में होने वाली १३१ करोड़ रुपये की वृद्धि और राजस्व से किये जाने वाले व्यय में होने वाली १३८ करोड़ रुपये की वृद्धि का परिणाम है।

राजस्व प्राप्तिया

१९६८-६९ वष की कुल राजस्व प्राप्तिया ३१३२ करोड़ रुपया आकी गयी हैं अर्थात् सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा १३८ करोड़ रुपया अधिक।

अनुमान है कि सीमानुत्क राजस्व में, सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा ३ करोड़ रुपये की कमी होगी। यह कमी आयात शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में अनुमानित अधिक आयात होने के कारण २२ करोड़ रुपये की वृद्धि होने और निर्यात-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में ७ फरवरी को घोषित की गयी रियायतों के फलस्वरूप २५ करोड़ रुपये की कमी होने का परिणाम है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाली रकम १२५० करोड़ रुपया अर्थात् सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा ८६ करोड़ रुपया अधिक आकी गयी है। यह वृद्धि कई मदों में मुख्यतः पेट्रोलियम की वस्तुओं लोहे और इस्पात की वस्तुओं तम्बाकू और रेयन और कृत्रिम रेशम में बटी हुई है। पर चीनी सम्बन्धी वसूली कम होगी क्योंकि अधिक निवासी पर शुल्क में रियायत दी गयी है।

अनुमान है कि निगम कर और आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में केवल १० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी क्योंकि अगले वष की प्राप्ति इस वष के लाभ की स्थिति पर निर्भर रहेगी।

श्रृंखला की बरतनी हुई रकम के कारण व्याज और नाभान सम्बन्धी प्राप्तिया में २९ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और सरकार को प्राप्त होने वाले रिजर्व बैंक के अधिशेष नाभान में भी ५ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। गैर वृद्धि कई मदों में—मुख्यतः बिजली कर और पी० एन० ४८० सम्बन्धी अनुमानों में बटी हुई है।

राज्यीय उत्पादन-शुल्कों में राया का हिस्सा सग्रह का अनुमान अपेक्षाकृत अधिक होने का कारण सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा ३३ करोड़ रुपये अधिक होगा।

आयकर और मन सम्पत्ति शुल्क में राया का हिस्सा १५५ करोड़ रुपया आका गया है अर्थात् सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा २६ करोड़ रुपये कम आका गया है क्योंकि सन्तोषित अनुमान में बताया रकम मौजूद नहीं है। इस प्रकार राजस्व प्राप्तिया में राया का वास्तविक हिस्सा सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा १३१ करोड़ रुपये अधिक होगा।

राजस्व में किया जान वाला व्यय

राजस्व में किया जान वाला अगले वष का कुल व्यय २६२ करोड़ रुपये अर्थात् सन्तोषित अनुमान की अपेक्षा १८ करोड़ रुपये अधिक आका गया है।

अगले वर्ष का रक्षा सम्बन्धी व्यय ८६४ करोड़ रुपया होगा अर्थात् सशोधित अनुमान की अपेक्षा ३८ करोड़ रुपया अधिक होगा। इस वृद्धि का कारण महंगाई भत्ते की वृद्धि और सामान का अधिक मूल्य है।

अगले वर्ष का असैनिक व्यय ८९ करोड़ रुपया अधिक होगा। मुख्य वृद्धि व्याज-प्रभार (४२ करोड़ रुपया) के अन्तर्गत होगी।

'सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ' के अन्तर्गत ३४ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें से अधिकतर वृद्धि शिक्षा और वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत (१५ करोड़ रुपया) होगी। चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य के लिए मुख्यतः परिवार-नियोजन के अन्तर्गत ६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और कृषि के लिए २ करोड़ रुपये की। चीनी सम्बन्धी राज-सहायता की कम आवश्यकता (७ करोड़ रुपया) होने पर भी निर्यात प्रोत्साहन के उपायों पर ८ करोड़ रुपये की व्यय वृद्धि होगी।

राज्यों और सघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों में ११ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इसमें ६ करोड़ रुपये की वृद्धि सघीय राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत और ५ करोड़ रुपये की वृद्धि राज्यों के अन्तर्गत होगी। ५ करोड़ रुपये की यह वृद्धि विकास-प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अधिक अनुदानों और अन्न की कमी को दूर करने के लिए दिये जाने वाले कम अनुदानों और आय कर के हिस्से के बदले दिये जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था के अभाव का सम्मिलित परिणाम है।

पूँजी बजट

पूँजी खाते की प्राप्ति

भारत में लिये जाने वाले सरकारी ऋण ३०० करोड़ रुपया आके गये हैं। विदेशी ऋणों से होने वाली प्राप्ति ७७५ करोड़ रुपया आकी गई है जबकि इस वर्ष के लिए ये प्राप्ति ७५६ करोड़ रुपया आकी गई है। विश्व बैंक द्वारा ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अन्तरिम सहायता के रूप में दी गई ३६ करोड़ रुपये की रकम ७५६ करोड़ रुपये की रकम में शामिल है।

अनुमान है कि पी० एल० ४८० सम्बन्धी आयातों से रूपयों में प्राप्त होने वाली रकमों के रूप में, जो विद्येय प्रतिभूतियों में निविष्ट की जाती है और परिवर्तनीय मुद्रा डालर ऋण के रूप में, अगले वर्ष कुल २६९ करोड़ रुपया प्राप्त होगा (जिसमें राजस्व खाते में दिखाये गये पी० एल० ४८० सम्बन्धी अनुदानों के रूप में प्राप्त होने वाले अनुदानों की ५ करोड़ रुपये की रकम शामिल नहीं की है), जबकि इस वर्ष इसके रूप में ३६६ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। डाक-तार और रेलों सम्बन्धी रकमों के रूप में (जो विकास-निधि से भिन्न हैं) २१ करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

छोटी वचतों, भविष्य निधियों और वार्षिकी जमा रकमों में कुल मिलाकर ३२ करोड़ रुपये की कमी होगी जिसका मुख्य कारण है भविष्य निधि में जमा की गई महंगाई भत्ते की वकाया रकमों की इस वर्ष की मद का अभाव और अगले वर्ष इन रकमों के निकाले जाने की सम्भावना है।

राज्यों और अन्य पाटियों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणों की रकमें अगले वर्ष के लिये ५४९ करोड़ रुपया आकी गई है, जबकि इस वर्ष के लिए वे ४९३ करोड़ रुपये आकी गई हैं।

इस वृद्धि का अधिकतर भाग राज्य की और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठा की नये गप ऋणों के सम्बन्ध में है।

पूजीगत भुगतान

अगले वर्ष के बजट में ७३७ करोड़ रुपये के पूजीगत भुगतान की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष इस भुगतान की रकम ७०१ करोड़ रुपये है।

आर्थिक संवाओं सम्बन्धी परिव्यय अगले वर्ष ४२ करोड़ रुपये अधिक होगा। यह मुख्यतः बीमारों द्वारा कारखानों के लिए (इस वर्ष के ५७ करोड़ रुपये के मुकाबले ११० करोड़ रुपये) हिन्दुस्तान कापर के लिए (६ करोड़ रुपये) और अन्न निगम के लिए (५ करोड़ रुपये) अधिक व्यवस्था किये जाते और हिन्दुस्तान स्टील के लिए (१६ करोड़ रुपये) मनास पटिलाइजस के लिए (७ करोड़ रुपये) और उर्वरक निगम के लिए (४ करोड़ रुपये) कम आवश्यकताएँ होने का परिणाम है। वायु निगमों (इन्डियन एयरलाइंस) के लिए भी ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उद्घटन और सामुदायिक संचार संवाओं के लिए इस वर्ष के ५ करोड़ रुपये के मुकदम १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसका मुख्य कारण निगरानी के लिए उच्च शक्ति के रेडारों की स्थापना और उपग्रह भूवेक्षण (सटीलाइट अथ स्टेशन) के लिए उच्च करणों की प्राप्ति है। रेलों सम्बन्धी पूजी परिव्यय में ७ करोड़ रुपये की कमी होगी।

अन्न की खरीद की योजना में ४३५ करोड़ रुपये की कुल खरीद और ३३३ करोड़ रुपये की बिन्नी की रकम की परिवर्तनना की गई है। इस प्रकार १०२ करोड़ रुपये का वास्तविक परिव्यय होगा जिसमें से १०० करोड़ रुपये सड़क निरोधक भण्डार के लिए है। पहले के वर्षों की हानि में से राजस्व-खाते में डाली जाने वाली रकम का हिस्सा सेने के बाद पूजी खाते में ४२ करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय होगा।

रासायनिक खादों की खरीद की योजना में २६८ करोड़ रुपये के कुल व्यय और २७५ करोड़ रुपये की बिन्नी की रकम की परिवर्तनना की गई है। इस प्रकार ७ करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ होगा।

रक्षा सम्बन्धी पूजी परिव्यय के लिए १२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह संशोधित अनुमान से ७ करोड़ रुपये अधिक है।

विकास के लिये राशियों को दिये जाने वाले अनुदानों से सम्बन्धित पूजी परिव्यय ११ करोड़ रुपये कम होगा और यह कमी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय और आर्थिक महत्व की सड़कों की मात्र में कमी होने और राजस्व खाते में डाली जाने वाली रकम में वृद्धि होने के कारण होगी।

ऋण और अग्रिम

अगले वर्ष राशियों को ऋण देने के लिए ८२८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष ८७८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी अर्थात् अगले वर्ष की रकम इस वर्ष की रकम से ५० करोड़ रुपये कम है।

यह गांवों में बिजली लगाने के लिए की जानेवाली १४ करोड़ रुपये की और विविध विकास प्रयोजनों के लिए की जाने वाली १६ करोड़ ६० की अधिक व्यवस्था का और अन्न

की कमी से सम्बन्धित राहत (४० करोड़ रुपये) और अर्थोपाय-प्रयोजनों सहित 'विविध' शीर्षक (३६ करोड़ रुपये) के अन्तर्गत की जाने वाली कम व्यवस्था का परिणाम है।

विधान मण्डल वाले सघीय राज्य क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष २८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष २४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

सरकारी कम्पनियों और निगमों को अगले वर्ष ऋण देने की व्यवस्था २१७ करोड़ रुपये की है जबकि इस सम्बन्ध में सशोधित अनुमान २३१ करोड़ रुपये का है। १४ करोड़ रुपये की यह कमी मुख्यतः हिन्दुस्तान स्टील (१७ करोड़ रुपये), नेवली लिगनाइट कारपोरेशन (१५ करोड़ रुपये) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (६ करोड़ रुपये) के अन्तर्गत कमी होने और सकट-निरोधक भण्डार के लिए अन्ननिगम के लिए (इस वर्ष के १६ करोड़ रुपये के मुकाबले ४० करोड़ रुपये) अधिक आवश्यकता होने का परिणाम है।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित, अगले वर्ष की रकम १८ करोड़ रुपये अधिक होगी। इस रकम में औद्योगिक वित्त निगम के लिए ६ करोड़ रुपये, कृषि पुनर्वित्त निगम के लिए ७ करोड़ रुपये और जहाजरानी विकास निधि समिति के लिए २ करोड़ रुपये शामिल हैं। अन्य पार्टियों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था ३६ करोड़ रुपये कम है। इसका कारण डाकतार राजस्व प्रारक्षित निधि की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकता (२०६ करोड़ रुपये) का अभाव और तकनीकी ऋणों के लिए की गई कम व्यवस्था (१४ करोड़ रुपये) है।

ऋण-परिशोध

जिन ऋणों की अवधि पूरी होने वाली है उनके सम्बन्ध में २४४ करोड़ रुपये चुकाने की व्यवस्था की गई है। इस रकम में इनामी वाण्डों के सम्बन्ध में ५ करोड़ रुपये शामिल हैं। अन्य ऋणों के परिशोध के लिए १६४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

आयोजना के लिए धन-व्यवस्था

अगले वर्ष के बजट में आयोजना के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं —	
केन्द्रीय आयोजना	१००६ करोड़ रुपये*
सघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजना	६५ करोड़ रुपये
राज्यों की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	६१५ करोड़ रुपये
	<hr/>
जोड़	१६८६ करोड़ रुपये

* इसके अलावा, रेलों और डाक-तार समेत सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपने निजी साधनों से १७० करोड़ रुपये का आयोजना व्यय करेंगे।

सम्पूर्ण स्थिति

१९६८-६९ वर्ष के बजट में कुल मिला कर ३१५ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है।

बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राजस्व-अधिशेष में ५०-७३ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी और पूंजीगत लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद कुल घाटा कम होकर लगभग २६० करोड़ रुपये रह जायगा।

केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित राजस्व

वर्ष	आयकर	(करोड़ रुपये में)		योग
		मत सम्पत्ति शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	
१९६१-६२	६३ ८५	३ ८८	८ ६५	१७८ ५८
१९६२-६३	६५ २७	३ ८८	१२४ ६१	२२४ ०६
१९६३-६४	११६ २६	४ २२	१३५ ६६	२५६ ५
१९६४-६५	१२३ ७७	६ ७८	१२७ ३४	२५७ ८६
१९६५-६६	१२३ ३४	६ ७६	१४५ ६२	२७६ ०५
१९६६-६७	१३७ १०	४ ५५	२३० ६१	३७२ ५५
१९६७-६८	१३१ ५८	६ ६४	२४६ ७३	३८८ २५
(बजट अनुमान)				
१९६७-६८	१७४ ५२	६ ५८	२३४ ६४	४१५ ७३
(सांगोषित अनुमान)				
१९६८-६९	१४८ ३४	६ ८१	२६७ ५३	४२२ ६८
(बजट अनुमान)				

राज्यों को अनुदान एवं ऋण

(करोड़ रुपये में)

	अनुदान		ऋण एवं अग्रिम
	राजस्व से	पूजी से	
१९६१-६२	१६४ ६८	१० ६४	४४३ ४७
१९६२-६३	१६५ ०३	१३ ७४	५११ ०६
१९६३-६४	२२६ ६७	१६ ४४	५८३ ६०
१९६४-६५	२६८ ६८	१६ ४६	६७८ ७०
१९६५-६६	३२४ ७	३८ ८२	८२८ ६२
१९६६-६७	४ ५ ८०	३७ १३	६२ ८८
१९६७-६८	४५२ ७५	२७ ६३	८४० ०२
(बजट अनुमान)			
१९६७-६८	४६७ ३५	३५ ७८	८८५ ३७
(सांगोषित अनुमान)			
१९६८-६९	४७८ २८	२४ ८४	८५५ ६८
(बजट अनुमान)			

भारत सरकार के प्रशासनिक व्यय का विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

कर संग्रह	पुलिस	सामान्य प्रशासन	लेखा परीक्षा	वैदेशिक कार्य	अन्य	योग
१९६१-६२	१८६५	१६०६	८.५१	८.४०	१६८७	६०.२८
१९६२-६३	२३५४	१६६६	६०६	८०३	२०६०	६८.६७
१९६३-६४	२५.०७	१६८६	६६०	७८६	२१०४	१०१३०
१९६४-६५	२५.२७	१७६४	१०.६३	७६२	२१,८३	१०७०५
१९६५-६६	२१.८३	२१०२	१२.६६	८६३	२३४२	१२३८४
१९६६-६७	४७.६८	२३.६३	१४.५५	१२.३०	२७.६८	१५४.६०
१९६७-६८	५१.४६	२४.२१	१५.८७	१२.४५	२६.६०	१६३.६२
(बजट अनुमान)	३१.८२	२५.६०	१६.३३	१२.८७	२६.१६	१७७.३१
१९६७-६८						
(संवोधित अनुमान)	३४.५६	२६.६३	१७.६०	१३.०३	३१.२५	१८५.५५
१९६८-६९	६२.४८					
(बजट अनुमान)						

टिप्पणी—१९६६-६७ और १९६८-६९ के बीच प्रशासनिक व्यय में २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। पिछले ७ वर्षों में पुलिस पर व्यय साठे तीन गुणा बढ़ गया। पुलिस पर व्यय में वृद्धि सीमा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बटालियनों बनाने के कारण हुई।

विकास से भिन्न व्यय का विश्लेषण

(करोड़ रु० में)

कर सग्रह	प्रशासनिक सेवायें	व्याज की अदायगी	मुद्रा व टक्काल	अन्य सेवायें	योग
१९६१ ६२ १८ ६५	७१ ६३	२११ ४४	११ ६९	८६ १३	४०२ ५४
१९६२ ६३ २० ५५	७८ १२	२४५ ४३	२२ ०३	१५ ५०	५१६ ६३
१९६३ ६४ २० ८७	८० ४३	२७८ ३५	१५ ५०	१६५ ३८	५६० ५३
१९६४ ६५ २३ १६	८३ ८९	३१६ ४१	१४ ७२	२१८ ९९	६५७ १७
१९६५ ६६ २६ २८	९७ ५६	३७० ६२	१७ १९	१८३ ८३	६९५ ४८
१९६६ ६७ २८ ४६	१२६ ४४	४६३ ४५	२० २२	१४३ ६८	७८२ २५
१९६७ ६८ ३० ३०	१३३ ६२	५०९ ९७	२१ ४५	१३४ ०६	८२९ ४०
(बजट अनुमान)					
१९६७ ६८ ३१ ८८	१४५ ४८	५०८ ३०	२३ ४३	१३६ ९९	८४६ ०३
(सशोधित अनुमान)					
१९६८ ६९ ३४ ५६	१५ ९९	५५ ३२	२४ ४५	१४ ५२	९०० ८४
(बजट अनुमान)					

प्रतिरक्षा व्यय

(करोड़ रु० में)

स्थल सेना	नौसेना	वायुसेना	रक्षा उत्पादन	निष्क्रिय रक्षासेवा	योग
१९६५ ६६ ५९२ ६९	३० ०८	१४६ ९०	—	२२ ८०	७९२ ७५
१९६६ ६७ ६३१ ९३	३४ ६४	१४९ ६८	—	२४ ५७	८४० ८३
१९६७ ६८ ६५४ २४	३८ ९२	१६० ५४	—	२५ ५०	८७९ २०
(बजट अनुमान)					
१९६७ ६८ ६७४ २२	३८ ९१	१६० ५४	—	२६ २५	८९९ ९२
(सशोधित अनुमान)					
१९६८ ६९ ५५९ ४०	३८ १६	१६८ १४	१४२ ००	२८ २५	९३५ ९५
(बजट अनुमान)					

उत्पादन और आय

पिछले दो वर्षों से भारतीय अर्थ-व्यवस्था में वस्तुआ और सेवाओं से सामूहिक उत्पादन में वस्तुगत गतिरोध की स्थिति रही है। १९६४ ६५ में राष्ट्रीय आय में वास्तविक अर्थ में ७.५ प्रतिशत की तेजी से वृद्धि होने के बावजूद उससे १९६५ ६६ में ४.८ प्रतिशत की कमी हुई (देखिए तालिका १)। गुरु गुरु में इस बात के संकेत मिले थे कि १९६६ ६७ में राष्ट्रीय आय १.७ प्रतिशत बढ़ गई। १९६७ ६८ में राष्ट्रीय आय १.० प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

उत्पादन और आय में परिवर्तन

(तालिका १)

मद	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
	पहले के वर्षों के मुकाबले प्रतिशत परिवर्तन			
१. स्थिर मूल्यों में राष्ट्रीय आय का सूचक अंक	७.४	—४.८	१.७	(१०.८)
२. कृषि उत्पादन	१०.८	—१६.३	—०.२	(२०)
३. अन्य उत्पादन	१०.०	—१९.५	३.१	(२७)
४ औद्योगिक उत्पादन	५.८	४.०	२.८	१७*
(१) खान खुदाई और पत्थर खुदाई	—२.५	१०.३	१.४	१.१*
(२) वस्तु निर्माण	६.१	३.१	२.५	१०*
(३) बिजली उत्पादन	११.५	१०.५	९.२	११०*
५ रेल यात्री किलोमीटर	५.५	३.०	६.१	—
६ रेलों द्वारा ले जाया गया मैट्रिक टन कि मी	—०.३	९.६	—०.२	—
७. सरकारी क्षेत्र में नियोजन	५.९	४.५	२.९	२.५†

टिप्पणियां—कोष्ठकों में दिये गये आकड़े, इस समय उपलब्ध सूचना पर आधारित अनुमान हैं।

* अप्रैल-अक्टूबर १९६६ की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर १९६७ की अवधि के आकड़े।

† जून १९६६ के अन्त की तुलना में जून १९६७ के आकड़े।

उत्पादन सम्बन्धी स्थिति

कृषि :

१९६४-६५ में देश में कृषि उत्पादन अच्छा हुआ था किन्तु १९६५-६६ में उत्पादन सूचक अंक में १६.३ की कमी हो गई। आशा के विपरीत १९६६-६७ में यह अंक ०.२ और गिर गया। १९६७-६८ में फसल अच्छी हुई तथा अनुमान है कि कृषि उत्पादन में लगभग २० प्रतिशत की आनुपातिक वृद्धि हुई है।

१९६६ में अन्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि १५ प्रतिशत घट गई। १९६७ में यह उपलब्धि और कम हुई। १९६७ वर्ष में चावल सम्बन्धी स्थिति विशेष रूप से कठिन थी।

मौसम सम्बन्धी स्थिति १९६७-६८ में अनुकूल रही। इस वर्ष कुछ छुनी हुई मण्डियों में आये चावल की मात्रा पूर्व वर्ष की तुलना में ३० प्रतिशत अधिक थी।

१९६७-६८ में अन्न की पैदावार ९ करोड़ ५० लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है जोकि पूर्व वर्ष की अपेक्षा २७ प्रतिशत अधिक होगी तथा १९६४-६५ वर्ष वाली अधिकतम पैदावार से भी २.३ प्रतिशत अधिक होगी।

रासायनिक खाद के इस्तेमान के मामले में काफी प्रगति हो चुकी है। अनुमान है कि १९६४-६५ में भूमि में डाली जाने वाली रासायनिक खाद की मात्रा में अब लगभग २०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। १९७१-७२ में रासायनिक खाद (नाइट्रोजन के रूप में) की उपलब्धि की मात्रा को बढ़ाकर ३४ ६ लाख मेट्रिक टन तक करने का नक़्क़ा रखा गया है।

सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जिनमें भूमिगत जल के विकास की योजनाएँ भी शामिल हैं काफी जोर दिया गया है।

उद्योग

१९६० में शुरू होनेवाले दशक के पहले तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में प्रतिशत के वार्षिक अनुपात से वृद्धि हुई। उसके बाद से वृद्धि का अनुपात कम हो गया है। १९६५ में उत्पादन में ५६ प्रतिशत तथा १९६६ में २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९६७ के पहली तीन तिमाहियों में १४ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई।

हाल की औद्योगिक घटनाओं को अक्सर मंदी कहा जाता है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती रही किन्तु यह काफी धीमी रही। १९६५-६६ व १९६६-६७ लगातार २ वर्ष तक सूखा पड़ने के कारण कृषि सम्बन्धी कच्चे मान की उपलब्धि में कमी आई और उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। आयातित वस्तुओं में कमी आने से भी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई।

औद्योगिक कच्चे मान के मूल्य स्तर में १९६५-६६ में १६ प्रतिशत व १९६६-६७ में २१ प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो गयी।

मुद्रा बाहुल्य का नियन्त्रण

मूल्यों का सम्बन्ध जनता के पास उपलब्ध द्रव्य से है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मुद्रा बाहुल्य पर नियन्त्रण आवश्यक है। जनता के मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत वह मुद्रा तथा जमा राशि आती है जो प्रमाण जनता के पास तथा रिजर्व बैंक संचालित बैंकों में रहती है। पिछले ६ वर्षों में जनता के पास मुद्रा के आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार रही है।

जनता के पास मुद्रा की आपूर्ति

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	जनता के पास मुद्रा (हाली तिक्का समेत)		जनता के पास जमा मुद्रा		जनता के पास मुद्रा की आपूर्ति (हाली तिक्का समेत)	
	मात्रा	वार्षिक अन्तर	मात्रा	वार्षिक अन्तर	मात्रा	वार्षिक अन्तर
१९५१	१२३६६	-३११	३६४८	-१६६	१८०४६	-५०७
१९५६	१५५१६	+१००३	६५६६	+३१२	२२०८२	+१३२०
१९६१	२०५६६	+६२२	७७४७	+३६८	२८३४२	+१२६०
१९६२	२२४६३	+१८६८	८६७६	+६०६	३११३६	+२७६७
१९६३	२४७५८	+२२६५	१०६५४	+१२७८	३५५१२	+४२७३

१९६४	२६५६०	+ १८३२	१०४३५	+ १७८५	३३०२५	+ ३६१३
१९६५	२८६५०	+ २०६०	१४३५.६	+ १९२१	४३००६	+ ३९८१
१९६६	३०१३.२	+ १४८२	१६५०.५	+ २१४६	४६६३७	+ ३६३१

इस प्रकार मुद्रा का फैलाव १९६३ में सर्वाधिक हुआ। फैलाव का प्रतिगत १९६४ में घटकर १९६५ में पुन अधिक हो गया। १९६६ में उसे फिर से नियन्त्रित किया गया।

दशमलवी सिक्के

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दशमलवी सिक्को का मूल्य

	सितम्बर १९६४	सितम्बर १९६६
सिक्का	(मूल्य लाख रु० में)	
१ पै०	३७८.१५	४४५.७६
२ "	३८६.०६	४८८.४४
३ "	—	१२३.७४
५ "	६७८.८६	८६६.२६
१० "	११३८.८४	१४७५.६७
२५ "	१०८७.८४	१४४१.८५
५० "	८२६.६५	११५६.१५
रुपया मुद्रा	२०.००	६३.१५

रुपये का मूल्य

५ जून १९६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसके पूर्व १ फरवरी १९६६ से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने खाड़ी वाले देशों से भारतीय सिक्को के आयात किये जाने की अनुमति देना बन्द कर दिया है। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप खाड़ी वाले विभिन्न देशों (मरकत तथा ओमण छोड़कर) ने भारतीय रुपयों के स्थान पर अपनी-अपनी नई मुद्राएं चालू कर दी।

डालर की सरकारी दर आज भी ४७६ रुपये है। दिसम्बर १९६५ में डालर का मूल्य ७ रुपये था। १८ अप्रैल १९६६ को १ डालर के बदले ६१० रुपये देने पडते थे किन्तु २५ अप्रैल १९६६ को डालर का मूल्य ७.१५ रुपये हो गया। विदेशी बाजार के सम्पन्न देश के अन्दर भी रुपये की ऋय शक्ति घट गई है।

महगाई

द्योव मूल्या रे सूचक अक
(१९५२ ५३=१००)

वर्ष	वृनि वस्तु	साध वस्तु		गराव जोर तम्बाकू	इपन शक्ति रोगली और चिकनने के पदाथ	३०	१५५	२१	३०	१५५	२६०	४१	२४६	१०००
		जोड	अन											
१९५५ ५६	६६	६५	५६	७८	६७	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१११	१०२	६६२
१९५६ ५७	१६	६६	६६	८८	१०५	११७	११७	११७	१०५	११७	१०५	१०६	१०५	१०५१
१९५७ ५८	१०२	६१	६१	६५	११४	११३	११३	११३	११३	११३	१०७	१०७	१०७	१०५१
१९५८ ५९	११३	१०२	१०२	६६	११६	११६	११६	११६	११६	११६	११०	११०	११०	११२१
१९५९ ६०	११७	१०	१०	६७	११८	११८	११८	११८	११८	११८	११७	११७	११६	११८७
१९६० ६१	१२६	६६	६६	११५	१२१	१२१	१२१	१२१	१२१	१२१	१२६	१२६	१२५	१२२६
१९६१ ६२	११६	१०	१०	६	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२२	१२६	१२६	१२५	१२२६
१९६२ ६३	१२१	१२	१२	११७	१२०	१२०	१२०	१२०	१२०	१२०	१३०	१३०	१२८	१२७५
१९६३ ६४	१३०	१५४	१५४	११६	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१३३	१३३	१२८	१३८५
१९६४ ६५	१५४	१५२	१५२	१८	१४८	१४८	१४८	१४८	१४८	१४८	१४१	१४१	१३६	१५१०
१९६५ ६६	१७८	१५६	१५६	१२८	१६०	१६०	१६०	१६०	१६०	१६०	१५७	१५७	१५३	१७४०
१९६६ ६७	२१४	२०१	२०१	१२८	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	१७३	१६८	१६८	१५६	२०२६

अभिप्रेत गणनाए
(मात्र)

प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम पंचवर्षीय योजना २०६० करोड रु० की थी। इस काल में उत्पादन ५४६० लाख टन (१६५०-५१) से बढ़कर ६६६० लाख टन हुआ। अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता मिली। मुद्रा का विस्तार इस काल में केवल १६६ करोड रु० का हुआ। इस कारण से ४२० करोड रु० के घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव निरस्त हो गया। कृषि पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता इस समय भली-भाँति अनुभव की गई। प्रथम नियोजन साधारण था, अल्प व्यय का था और भारत की आत्म-शक्ति में था। फलतः कीमते प्रथम नियोजन की अवधि में १५ प्रतिशत गिर गईं। इसलिए यह कहना युक्ति-युक्त नहीं है कि आर्थिक विकास के काल में कीमतों का चढ़ना अनिवार्य है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस योजनावधि में बुनियादी और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। अन्न धान्य का उत्पादन १३० लाख टन से बढ़कर ८१० लाख टन हो गया, परन्तु औद्योगीकरण के कारण उत्पादन विस्तारशील शक्तियों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। सरकारी अचल में ४८०० करोड रु० का विनियोग हुआ। यह प्रथम योजना की तुलना में ढाई गुना अधिक था। मुद्रा की आपूर्ति में ७०४ करोड रु० की वृद्धि हुई। यह प्रथम योजना के काल की तुलना में २०० प्रतिशत अधिक था। फलतः कीमते ३५ प्रतिशत चढ़ गईं। कीमते प्रति वर्ष ७ प्रतिशत बढ़ती गईं। बैंकिंग अचल में ६६५ करोड रु० के विदेशी विनिमय की कमी हो गई। पहली योजना में ६५.८ करोड रु० की ही कमी हुई थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना : तृतीय पंचवर्षीय योजना १०४०० करोड रु० की थी। यह आर्थिक असन्तुलन के आधार पर बनाई गई थी। १६६२ में चीनी हमला हुआ। सैनिक व्यय बढ़ा। इससे कीमते और तेजी से बढ़ीं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था ५५० करोड रु० तक सीमित नहीं रही बल्कि इसमें ६६ करोड रु० की और वृद्धि हुई।

असन्तुलन—पूजा विनियोग और वचत में असन्तुलन उत्पन्न हो गया। इस कारण से सरकार ने मुद्रा स्फीति के तरीकों को अपनाया।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक

	श्रमिक वर्ग (१९४६=१००)	शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी (१९६०=१००)	
अन्न	सभी वस्तुएं	सभी वस्तुएं	
वित्त वर्ष			
१९५५-५६	६४	६६	
१९५६-५७	१०८	१०७	
१९५७-५८	१११	११२	
१९५८-५९	१२१	११८	
१९५९-६०	१२६	१२३	
१९६०-६१	१२५	१२४	१००
१९६१-६२	१२६	१२७	१०४
१९६२-६३	१३१	१३१	१०८
१९६३-६४	१३८	१३७	११३
२९६४-६५	१६२	१५७	१२४
१९६५-६६	१७४	१६६	१३२
१९६६-६७	१६८	१६१	

पारिवारिक बचत

(करोड़ रु० में)

वर्ष	बचत	राष्ट्रीय आय का प्रतिशत
१९५०-५१	३८१.७	४.३
१९५५-५६	८३९.१	८.०
१९६०-६१	९२३.६	७.३
१९६१-६२	८१३.८	६.२
१९६२-६३	८५३.९	६.४

द्वितीय योजना की समाप्ति के पश्चात् से ही पारिवारिक बचत कम होती गई। प्रथम योजना के अंत में पारिवारिक बचत का परिमाण ८३९ करोड़ तथा द्वितीय योजना के अंत में ९२३ करोड़ था किन्तु उसके बाद से ही मृत्यु वृद्धि के कारण परिवारों की बचत क्षमता कम होती गई।

मुद्रा-नीति—मुद्रा-नीति का उद्देश्य बचत को प्रोत्साहन देना और पूंजी विनियोग को बढ़ाना है। १९५५ से इसका लक्ष्य मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक ने १९५१ में बैंक की यात्रा दर ३ प्रतिशत से बढ़ाकर ३.५ प्रतिशत कर दी। १९५५-५६ में रिजर्व बैंक ने बैंक रेट और ब्याज दर ४ प्रतिशत कर दी। महंगी मुद्रा की नीति को और बढ़ा लिया गया। ब्रोटा प्रणाली और उधार देने की रेट का सूत्रपात दूसरी योजनावधि में किया गया। बैंक के रिजर्व बैंक से बज्र देने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रकार बज्र महंगा ही नहीं हो गया दुर्लभ भी हो गया।

इन सबके बावजूद कीमतें बढ़ती ही गई। तृतीय योजना के साथ ही मुद्रास्फीति ने भयानक रूप पकड़ा। बैंक रेट तीन-तीन पारी में ६ प्रतिशत पर पहुंचा दिया गया। माघ १९६८ में बैंक की यात्रा दर घटा कर साठे पांच प्रतिशत कर दी गई तथा स्थिति में सुधार आया।

पूँजी खाते में केन्द्रीय सरकार की देनदारी

वर्षांत	आंतरिक ऋण	विदेशी ऋण	कुल ऋण	कुल देनदारिया *
१९५५-५६	२०२२.३	३२.२	२५४३.३	२८६५.४
१९५५-५६	२३७९.७२	११३.६३	२४९३.३५	३५११.७
१९६०-६१	३९७८	७६०.९६	४७३८.९६	६५४४.२४
१९६५-६६	५४१८.६५	२५९.६२	८०.९२७	११३२९.१२
१९६७-६८	६५५९.०६	५४.७८	११९५९.८४	१५८५९.२३
(संगोपित अनुमान)				
१९६८-६९	६९३१.८५	६२२५.३१	१३१५७.१६	१७२८.५९
(बजट अनुमान)				

* कुल देनदारिया में ऋण के अतिरिक्त छाटी बचत योजनाएँ अन्य अनिधिबद्ध ऋण प्रारम्भित निधिर्माँ और जमा सम्मिलित हैं। पाकिस्तान द्वारा विभाजन पूर्व के ऋणों का उमक हिस्सा के दायरकम ३ करोड़ रुपया सम्मिलित है।

† १९६५-६६ का देनदारिया में ९.५११ करोड़ दायित्वाँ स पूंजीगत व्यय और ऋणों के अतिरिक्त के फनस्वरूप जोड़ा जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार का पूंजी परिव्यय

वर्षान्ति	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६७-६८	१९६८-६९
विभागीय प्रतिष्ठानों पर पूंजी परिव्यय निम्न- लिखित में निवेश :	८९४७३	१०६४३०	१६८२६३	३०२९.९८	३५०४३०	३७३०.८१
(१) सरकारी कम्पनियों और निगमों में	९.४३	६९.८१	५९१.८३	१३४०.७०	१६२.२१	१६२६३१
(२) वित्तीय संस्थाओं में	५०.०५	२५०.१४	३५७.९५	४२४.२३	६४१.८३	६४८.८१
(३) अन्य कम्पनियों और निगमों में	०.२५	०.८०	९.९७	३२.८९	३५.८०	३६.८०
रक्षा सेवाओं, लोक-निर्माण-कार्यों, राज्य व्यापार योजनाओं सहित अन्य पूंजी परिव्यय राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों, विदेशी सरकारों और अन्यो को ऋण	३३३५५	४८११६	९४७८३	१७५६.८६	२३७७.९७	२६९१११
जोड़	२२०६८	९४२८९	२५३४४८	५३७९.५७	७२५५२४	८०२२६६
	१७०८६९	२८०९१०	६१२४.६९	११९६४२३	१५४५१३५	१६९४२८९

अनुमान है कि १९६७-६८ के अन्त में केन्द्रीय सरकार का कुल पूंजी परिव्यय और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की रकम, कुल देनदारियों की रकम से ११७८८ करोड़ रुपया अधिक होगी। इसका कारण यह है कि रुपये के अवमूल्यन के कारण ऋणों की रकम बढ़ा कर दिखाई गई है जबकि इन विदेशी ऋणों से स्थापित परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया। १९६८-६९ के अन्त में देनदारियों की रकम परिसम्पत्तियों की अपेक्षा ४६७० करोड़ रुपया अधिक होने का अनुमान है।

पूजो घाले मे के द्रीय सरकार द्वारा जाने वाले ऋण का विवरण

निम्नलिखित वर्षों के अन्त तक

(करोड़ रुपये में)

व्योरा	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	संगोषित अनुमान १९६७-६८	वजट अनुमान १९६८-६९
(घ) भारत में लिया जाने वाला ऋण—						
(क) स्थायी ऋण						
(i) चा नू ऋण						
(योगा अनुव घ (क) में दिया गया है)	१४३८८४६	१५०८६३	२५५५७२	४१७२८	३७२२३३	३७८३५८
(ii) इनामी बाण्ड			१५६३	११३५	८५६	३५६
(iii) १५ वर्षीय बचिक्की पत्र		९६	३४५	३७८	३३४	३१४
(iv) चुकाये जा रहे ऋण	६४९	१२२२	२२७३	३३७२	४५००	४५२५
जोड—स्थायी ऋण	१४४४९५	१५२१८१	२५९७५३	३४६६१३	३७७९२३	३८३५४३

(ख) अस्थायी ऋण—

- (1) राजकोष ड्रिडियाँ
- (11) विशेष अस्थायी ऋण
- (111) राजकोष जमा प्राप्तिया और अन्य अस्थायी ऋण

जोड़—अस्थायी ऋण

जोड़—भारत में लिया जाने वाला ऋण

₹

(ख) भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण—

(1) रक्षा पत्र

(11) इस्लैण्ड[†]

इण्डिया स्टॉक, रेलवे ऋण-पत्र और रेलवे वार्षिकिया

ब्रिटेन सरकार से ऋण

लेजर्ड ब्रदर्स ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड

(३) सयुक्त राज्य अमेरिका—

सयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण

अमेरिका नियत-आयात बैंक

पी० एल० ४८० रुपया ऋण

पी० एल० ४८०—स्थानीय परिवर्तनीय

मुद्रा ऋण

३५८०२	५६५२५	११०६२६	१६११८२	२०८६८५	२४०४५५
२१२६०	२१२६०	२७४.१८	३४०७०	६६०२८	६६१.७७
६७३	०६				
५७७३५	८०७६१	१३८०४७	१६५२५२	२७७६८३	३०६६३२
२०२२३०	२३२६७२	३६७८००	५४१८६५	६५५६०६	६६३१८५

०६

१४

(1) रक्षा पत्र

(11) इस्लैण्ड[†]

इण्डिया स्टॉक, रेलवे ऋण-पत्र और रेलवे वार्षिकिया

ब्रिटेन सरकार से ऋण

लेजर्ड ब्रदर्स ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड

(३) सयुक्त राज्य अमेरिका—

सयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण

अमेरिका नियत-आयात बैंक

पी० एल० ४८० रुपया ऋण

पी० एल० ४८०—स्थानीय परिवर्तनीय

मुद्रा ऋण

०४

०५

२६३४१

५७२७३

६३३४८

७४६५५

१५०७७६

१६३८४८

१०१३०

१३२६१

११३५६

५२८३६

१२२६.६३

१४००१३

४५.००

११४००

(४) मोक्षित समाजवादी जनतांत्र सभ	५७ ५८	२४३ ४७	३४३ ६६	३६६ ००
(५) वनाइ	१४ ०७	१७ ६४	५० १५	७२ ६८
(६) जगत मपीय मणरालय	१०३ १६	२०६ २५	३६८ ०७	४३ ६०
(७) गणान	६ ६३	६२ २६	१७१ २५	२२४ ६६
(८) रिक्टजरण्ड		५ ७०	१६ ३२	२० ६८
(९) चरुोस्त्रोवाकिया		६ ६६	२७ ६०	३७ ६६
(१०) यूगारुताकिया		७ ६२	१६ ८४	१७ ४६
(११) पोण्ड		४ ४६	१० ५७	१२ ७
(१२) आस्ट्रिया		२ ६८	३ ११	६ ६३
(१३) गीदरण्ड		७ ५६	२१ १४	२४ ४६
(१४) डेमाक		५०	५ ६८	५ ७७
(१५) उत्तरी रोडेगिया		५३	०६	०६
(१६) यूजीण्ड		२७	२०	११
(१७) स्वीचन			२ ५७	५ ५०
(१८) डुवत		१६ २८	२१ ५१	१७ १७
(१९) इटली			१ ५०	१ ५०
(२०) बहरीन		७ ८६	८ २२	७ ५१
(२१) फ्रान्स			६ ५०	१२ १५
(२२) वेल्जियम			६०	६६

- (२३) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक
 (२४) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ
 (२५) विविध

१६६६	१६,३०	१४०१६	१७६७७	२६१६४	२६८८६
			१७१०६	२६५७४	५८६१०
					२२२४०

जोड (ब) भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण

जोड—सरकारी ऋण*

३२.०३	११३६३	७६०६६	२५६०.६२	५४००७८	६२२५३१
२०५४.३३	२४४३३५	४७३८६६	८००६२७	११६५६८४	१३१५७१६

* इसमें ब्रिटेन की सरकार के ५ प्रतिशत व्याज वाले ऋण, १६२६-४७ की देय देनदारी की २०६२ करोड रुपये (१५,४६६,६२८ पौड) की वह रकम शामिल नहीं है जिसकी देनदारी स्थगित है।

टिप्पणी—रुपये में सम-मूल्य में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरूप ६ जून, १९६६ को पी० एल० ४८० ऋणों को छोड़कर, बकाया विदेशी ऋणों की रकम ५७५ प्रतिशत बढ़ा कर आँकी गई है।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय के मूल तत्व—भारत की राष्ट्रीय आय के मूलतत्व निम्न हैं

(१) अविकसित आर्थिक व्यवस्था का कुछ भी उपभोग में न आ रही या पूरा उपयोग में न आ रही जन शक्ति और सुप्त विभव एवं खनिज सम्पत्ति के साथ सह-अस्तित्व ।

(२) प्रधानतः कृषि प्रधान देश । राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग इससे प्राप्त होता है और इसका तीन चौथाई भाग आत्मसात् कर लिया जाता है ।

राष्ट्रीय आय समिति—भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान पहले व्यक्तिगत रूप से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने लगाया था जिनमें दादा भाई नौरोजी द्विवेदी और डा. वज्रन के नाम मुख्य रूप से लिये जा सकते हैं । दादा भाई नौरोजी ने १८६८ में प्रति भारतीय की आय २ रु. कूनी थी । फिडने गिराज ने १९११ में प्रति व्यक्ति आय ४९ रु. बताई । डा० बी० के. आर. वी. राव ने (अब योजना आयोग के सदस्य) १९३१-३२ में प्रति भारतीय की आय ६५ रु. बताई । १९४२-४३ में यह ११४ रु. ठहराई गई । वाणिज्य मंत्रालय ने १९४७-४८ में प्रति व्यक्ति आय २७२ रु. ठहराई । राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति नामक संस्था है ।

समिति ने १९४८-४९ की कीमतों को स्थिर और आधार माना है क्योंकि—

(१) राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ऐसी सामग्री का संग्रह इस वर्ष किया गया जो पट्टन पर भी उपलब्ध नहीं थी । राजनीतिक दृष्टि से भी यह वर्ष युग-परिवर्तनकारी था ।

(२) १९४८-४९ में साधारणतः कीमतें स्थिर रही थीं ।

१९५०-५१ और १९५१-५२ के साल सामान्य नहीं थे । सांख्यिकी विभाग ने एक बारंबारी दल अक्टूबर १९५२ में नियुक्त किया । एक सामान्य आधार खोजने के लिए और निर्णायक का आधार-वर्ष चुनने के लिये परीक्षा की गई । १९५२-५३ को निर्णायक आधार माना गया क्योंकि यह वर्ष सब दृष्टियों से स्थिर पाया गया । इसके बाद केन्द्रीय सांख्यिकीय मण्डल (सेन्ट्रल स्टैटिक्लन आगनाइज्मन्) ने १९५२-५३ की कीमतों के आधार पर १९४८-४९ में १९५८-५९ तक का राष्ट्रीय आय के आँकड़े जुलाई १९६० में प्रकाशित किए । दूसरी यात्रनात्रयि की राष्ट्रीय आय का गणना १९५२-५३ की कीमतों के आधार पर करवा गई ।

राष्ट्रीय आय में प्रतिगत वृद्धि और १९५१-५२ में १९६१-६४ तक की चोख कीमतों का यह दावा है । इन वर्षों का पुनः कीमतों उपलब्ध नहीं है ।

वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन (अर्थात् राष्ट्रीय आय) के परस्परगत अनुमान

वर्ष	वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन (कराब रूपयो मे)		प्रति व्यक्ति वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन (रुपये)		वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन के सूचक अंक (१९४८-४९=१००)		प्रति व्यक्ति वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय उत्पादन के सूचक अंक (१९४८-४९=१००)	
	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार	तत्कालीन मूल्यो के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यो के अनुसार
१९४८-४९	८६५०	८६५०	२४९६	२४९६	१०००	१०००	१०००	१०००
१९४९-५०	८०१०	८२२०	२५६०	२५०६	१०४२	१०२०	१०२६	१००४
१९५०-५१	८५३०	८५३०	२६६५	२४७५	११०२	१०२३	१०६८	९९२
१९५१-५२	९९७०	९१००	२७४२	२५०३	११५३	१०५२	१०९९	१००३
१९५२-५३	९८२०	९४६०	२६५४	२५५७	११३५	१०९४	१०६३	१०२४
१९५३-५४	१०४८०	१००३०	२७८१	२६६२	१२१२	११६०	१११४	१०६७
१९५४-५५	९६१०	१०२८०	२५०३	२६७८	११११	११८८	१००३	१०७३
१९५५-५६	९९८०	१०४८०	२५५०	२६७८	११५४	१२१२	१०२२	१०७३
१९५६-५७	११३१०	११०००	२८३३	२७५६	१३०८	१२७२	११३५	११०४
१९५७-५८	११३९०	१०८९०	२७९६	२६७३	१३१७	१२५९	११२०	१०७१
१९५८-५९	१२६००	११६५०	३०३०	२८०१	१४५७	१३४७	१२१४	११२२

सं
सं
सं

	१	२	३	४	५	६	७	८
१२४८ ९०	१०९४०	११८९०	०४८	२७९२	१४९७	१३७१	१२२१	१११९
१२९० ९१	१११४	१२७३०	३२४८	२९३३	१६३४	१४७२	१३०४	११७४
१२९१ ९२	१४८००	१३०९०	३३३२	२९४०	१७११	१४१०	१३३४	११७८
१२९२ ९३	१४४००	१३३१०	३७७	२९१९	१७८०	१४३९	१३४३	११६९
१२९३ ९४	१७२१०	१३९७०	३६८४	२९९२	१९९०	१६१४	१४७६	११९९
१२९४ ९५	२०११०	१५०००	४२७२	३१३७	२३६२	१७३४	१७१२	१२४७
१२९५ ९६	२०३४	१४६९०	४१४३	२९९४	२३४१	१६९४	१६६४	१२०
१२९६ ९७	२३१४०	१४९४०	४६०८	२९८०	२६७३	१७२८	१८४६	११९४

पंचवर्षीय आयोजनाओं के दौरान वार्षिक वृद्धि का अनुपात

ग्रामी आयोजना	०९	३४	—०९	१६
शहरी आयोजना	७३	४०@	४१	१८@
शोषणी आयोजना	७४	२९	४	०४

१९६४ ६५ में प्रति व्यक्ति आय ३१७०० रु (१९४८ ४९ की कीमता के अनुसार) बूती गई। जबकि चालू मूल्यों के अनुसार यह आय ४२१४ रु ९० अनुमानित की गई। १९६५ ६६ म (आधारवर्ष १९४८ ४९) राष्ट्रीय आय का सूचकांक १६७४ था। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय का यह सूचकांक ११९४ था।

शहरी और देहाती क्षेत्र की आय .

शहरी व्यक्ति व परिवार और ग्रामवासी व्यक्ति या परिवार की आय मे काफी अन्तर है । राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थतन्त्रीय अनुसन्धान परिपद् (नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च) की जाच भी इस बात की पुष्टि करती है ।

शहरी लोगो की आय के स्रोत और आय मे इनका अंश यो है —

वेतन ४४ प्रतिशत, स्वतन्त्र आजीविका, धन्धा व पेशा तथा रोजगार ३६ प्रतिशत, मजदूरी ७ प्रतिशत, कृषि ५ प्रतिशत । शेष ८ प्रतिशत—सूद, मकान का किराया आदि । शहरो की विशुद्ध आय ३६०० करोड थी । यह प्रति व्यक्ति २८५३ रु० आती है ।

इसके विपरीत देहाती क्षेत्र मे कृषि से ६० प्रतिशत, मजदूरी से ४७ प्रतिशत, रोजगार से १६ प्रतिशत तथा १७ प्रतिशत की आय किसी किस्म के वेतन से है । नगरो मे इसके विपरीत ५८ प्रतिशत परिवारो की आय का स्रोत नौकरी है, २६ प्रतिशत की आय का स्रोत स्वतन्त्र आजीविका है, धन्धा-रोजगार व वाणिज्य-व्यवसाय है । २५ प्रतिशत की आय मजदूरी से है और केवल १५ प्रतिशत कृषि पर निर्भर है ।

१९६४ मे हुए सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर और देहाती दोनो परिवारो की कुल आय १२२०० करोड रु० थी । देहाती परिवार की आय १६६० के सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रकार थी .

६२ प्रतिशत देहाती परिवार की आय १००० रु० वार्षिक थी । अन्य २५ प्रतिशत की आय १००० से १६६६ रु० थी । देहाती परिवारो मे ७-८ प्रतिशत की आय २००० रु० से २६६६ के मध्य थी । इसी प्रकार देहाती परिवारो मे कुल ५-६ प्रतिशत की वार्षिक आय ३००० रु० थी ।

१९६२ की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि देहाती परिवारो मे से ५२ प्रतिशत की आय १००० रु० से कम थी तथा ३२ प्रतिशत की आय १००० रु० से १६६६ रु० वार्षिक के मध्य थी । लगभग ८ प्रतिशत २००० रु० से २६६६ रु० के मध्य वार्षिक कमाते थे । १०,००० रु० से अधिक आय के परिवार गिनती के थे । १९६२ मे ग्रामीण परिवारो की औसत वार्षिक आय १३२६ रु० थी ।

१९६४ के सर्वेक्षण से पता चला कि देहाती परिवार की औसतन वार्षिक आय इस साल मे लगभग १२८० रु० थी । देहाती परिवारो मे से ४८ प्रतिशत की आय १००० रु० थी । अन्य ४० प्रतिशत १००० रु० से १६६६ रु० के मध्य वार्षिक उपार्जन करते थे ।

शहरी पारिवारिक अचल—राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिपद् ने १९६० से १९६१ तक शहरी परिवारो की आय और वचत की खोज की है । खोज का परिणाम इस प्रकार है

आय वर्ग	१९६० मे आय	सितम्बर १९६४ मे आय
१००० रु० से कम	४२ प्रतिशत	२० प्रतिशत
१००० रु० से १६६६ तक	३३ प्रतिशत	३८ प्रतिशत
२००० रु० से २६६६ तक	११ प्रतिशत	२० प्रतिशत
१०,००० रु० से अधिक	१५ प्रतिशत	५ प्रतिशत

शहरी परिवार औसतन वार्षिक २८५० रु० खर्च करता है । यह मोटे रूप मे ३००० रु० माना जा सकता है । यह २५० रु० मासिक आता है । इससे औसतन नागरिक जीवन के प्रतिमान की कल्पना की जा सकती है ।

भारत को विदेशी सहायता

विदेशो से ऋण
(प्राप्तियों का विवरण)
(लाख रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
देना का नाम	अधिष्ठित ऋणराशि	1954-55 तक प्राप्त	1955-56 से 1956-57 तक प्राप्त	1956-57 से 1957-58 तक प्राप्त	1958-59 (वार्षिक अनुमान)	1959-60 (बजट अनुमान)	1960-61 (संगोषित अनुमान)	1961-62 (को अनुमानित वक्तव्य)	1962-63 (बजट अनुमान)
1 समुक्त राज्य अमेरिका	251.77	21.04	19.11	19.35	19.50	19.65	19.80	20.3	20.07
2 अमेरिका									
नियत बक	14.25	2.14	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
3 सोवियत रूस	73.53	7.4	7.01	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
4 फ्रिटेन	42.13	12.54	17.02	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
5 कनाडा	12.4	1.77	1.55	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
6 प० जर्मनी	43.14	10.57	2.75	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31
7 जापान	22.77	1.45	1.44	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
8 स्वीटजरलण्ड	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—
9 बेल्जियम	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—
10 यूगोस्लाविया	2.13	—	—	—	—	—	—	—	—
11 फ्रान्स	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—

100

१२ आस्ट्रेलिया	१,०२६	—	—	४७२	३५५	२१०	२६१	२१०	१४८
१३. कुवैत	३,४१६	—	—	३,४१६	—	—	—	—	—
१४. न्यूजीलैण्ड	३३	—	—	३३	—	—	—	—	—
१५. स्वीडन	६६६	—	—	—	१४३	३३५	१७५	३७८	२६३
१६. नीदरलैण्ड	२,१३६	—	—	६५३	६२०	१६२	३६०	८१६	३३५
१७ डेन्मार्क	४४८	—	—	८२	२३५	१५६	२८६	३७	२४
१८ व्हेरीन	७८६	—	—	७८६	—	—	—	—	—
१९ इटली	१५०	—	—	—	—	१०२	१५०	—	—
२०. बेल्जियम	६०	—	—	—	—	—	६०	३०	३०
२१ फ्रान्स	१,२७५	—	—	—	—	—	६५०	६२५	६२५

२२ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण

विकास बैंक	२६,६३६	२,८६७	१३,००६	७,२८७	६३६	१,८६३	१,१२६	४,१३४	२,६०५
------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

२३ अन्तर्राष्ट्रीय विकास

अभिकरण	५०,७७६	—	—	२०,०६१	१२,८४४	१२,१२६	१८,६२५	३,११२	२,३३६
२४ नये ऋण	—	—	—	—	—	३१,६४०	—	—	२२,२५०

कुल योग

कुल योग	५,६८,८६०	१२,१५७	७०,५००	२,२०,४५६	८८,१४४	१,०१,५००	१,०१,५०२	१,२५,७२१	१,०१,६००
---------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

विदेशी से ऋण

अदायगिया वा विवरण (नाल रुपया म)

देश वा नाम	१९५५ ५६ तक	१९५६ ५७ से १९६१ ६२ तक	१९६१ ६२ से १९६५ ६७ तक	१९६५ ६६ तक	१९६७ ६८ (बजट अनुमान)	१९६७ ६८ (संगी० अनु०)	१९६८ ६९ (बजट अनु०)
१ अमेरिका	—	—	४४०१	१९१८	२४ ९	२४०६	२७८४
२ अमेरिका आयात	—	२२५९	२२५९	१८६०	२ ८६	२०८६	२२ ५
निर्मान बंध	—	३७१८	३७१८	१७७९	३६०३	४४९३	४१७३
३ मोबिया बंध	—	—	—	२३२५	२३०२	२३१४	२३१४
४ ब्रिटेन	—	—	—	—	—	—	—
५ कानडा	—	१६४	६५३	५३	५४	५४	२०२
६ प० अमनी	—	५५८	१०३३८	३०४४	१६७५	१२३१	२०७३
७ जपान	—	—	८२१	६२७	११६९	७१८	११८२
८ स्वीटजरलंड	—	—	—	१२	४०	४०	७४
९ फारोसोवाकिया	—	—	—	—	१७७	१५१	४७४
१० युगोस्लाविया	—	—	१८	११८	१७५	१९९	२५०
११ पोलंड	—	—	११	७९	२०३	२०३	२२१
१२ आस्ट्रिया	—	—	३६	५२	६६	६६	६६
१३ कुवत	—	—	१४९१	३८०	५०६	५०६	५३४
१४ डनमाक	—	—	१०	१३	१६	१६	१५
१५ यूजीनड	—	—	७	११	११	११	९
१६ बहरीन	—	—	—	३४४	८२	७१	७१
१७ फ्रांस	—	—	—	—	—	—	६०
१८ विधिय	—	—	—	—	—	—	८३१
१९ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	८६८	६०३	३९२	१८३	१८८७	१८८३	१९८०
कुल योग	८ ८	३०९२	३०९ ८	१४४८३	१८५४	१८४९३	१९४४७

कोलम्बो योजना—राष्ट्रकुल या कामनवेल्थ के परराष्ट्र मंत्रियों की १४ जनवरी, १९५० को एक बैठक कोलम्बो में हुई थी। वहाँ ही कोलम्बो योजना का निर्माण हुआ। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास की यह एक योजना है। इसका आधार सदस्य देशों की पारस्परिक सहायता है। मदद मागने पर केवल सदस्य देशों को दी जाती है। इसके साथ कोई शर्त नहीं लगी होती। मदद अनुदानों व कर्जों के रूप में दी जाती है। अनाज, उर्वरक, उपभोक्ता माल, मशीन, खेती का साज-सामान, परिवहन गाड़िया, प्रयोग-शाला के साज-सामान सहस्र वस्तुएँ भी दी जाती हैं। शिल्पिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ, और छात्र-वृत्तियाँ भी दी जाती हैं। इसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के निवासियों का जीवन मान ऊँचा करना है। उस कार्य में मदद करना इसका कार्य है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से मिलकर यह कार्य करता है।

कोलम्बो-योजना के २१ सदस्य हैं। इनमें से १५ तो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हैं। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका : ये बाहरी सदस्य हैं। ये ६ देश दानदाता देश के नाम से कहे जाते हैं। २१ नवम्बर, १९६४ को लन्दन में इनकी एक बैठक हुई थी। उसमें निश्चय किया गया कि कोलम्बो-योजना को अभी जारी रखा जाय। मंत्रियों की परामर्शदात्री समिति ने इसका मसौदा किया। अब यह योजना १९७१ तक जारी रहेगी।

कोलम्बो-योजना प्रारम्भ होने के बाद भारत ने ३१ दिसम्बर १९६६ तक विभिन्न देशों के ३४०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी। योजना के अन्य देशों में भारत के ४३६४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधायें मिली। इस अवधि तक भारत को ४०३ विदेशी विशेषज्ञों की भी सेवायें प्राप्त हुईं।

इस योजना के अन्तर्गत भारत को कनाडा से १५३०५ करोड़ रुपये, आस्ट्रेलिया से १५५४ करोड़ रुपये, न्यूजीलैंड से ४२८ करोड़ रुपये तथा ब्रिटेन से १४५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

भारत सहायता संधि—२६ मई, १९६४ को इसकी एक बैठक वाशिंगटन में हुई थी। उसमें आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, प० जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारें सम्मिलित हुईं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संधि के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे। यही भारत सहायता क्लव के नाम से प्रसिद्ध है। इसने १९६४-६५ के लिए १,०२८,०००,००० डालर ऋण भारत को देना स्वीकार किया। इसको मिलाने से तीसरी योजना के चार वर्षों के लिए भारत को ४,४४,५०,००,००० डालर मिले। कुल विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी ५,४६,००,००,००० डालर। १९६१ में भारत सरकार का कुल ऋण ४,९६८ करोड़ रु० था। ३१ मार्च, १९६३ को यह ५,९४७ करोड़ रुपये तथा मार्च १९६४ को ६,५६० करोड़ रुपये हो गया। भारत में सरकार ने जो कर्ज लिया और चुकाया, उसका विवरण इस प्रकार है

भारत सहायता सघ में प्राप्त सहायता का उपयोग

(एक लाख डॉलर में)

१९६१	१९६२	१९६४	१९६५	१९६६	१९६७	जाने
६२	६४	६५	६६	६७	६८	
और					(अप्रैल में)	
१९६२					सितम्बर तक)	
६३						

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण

और विकास षट्क	५२५	२२१	१८१	३६२	३३३	१५७	१८०६
अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ	२१०	८८२	१२३५	१८८८	१४६०	३०६	६०१४
आस्ट्रिया	—	२५	२८	४५	४६	१३	१५७
बेल्जियम	—	—	२५	७८	२७	—	१०३
कनाडा	६५	१४५	३४०	२५६	१३०	०८	६४७
फ्रांस	—	—	२७३	१६५	२७	१६०	६५५
पश्चिमी जर्मनी	१७१२	५४७	१०८२	६५६	८४६	१८४	५३३०
इटली	०४	४७	१४	५४	०२	—	२४७
जापान	१२५	३७७	५१४	६४७	४०२	११७	२१८२
नीदरलैंड	—	—	५८	१४१	८८	१३३	४२
ब्रिटेन	१०६१	७२३	८४३	६०३	५५८	२३८	४३५६
सयुक्तराज्य अमेरिका	१६८४	३३७२	३४१५	३६८६	२४०	१०७७	१५६३७

जोड़

 ५७१६ ६३३६ ८१३४ ६२१७ ६३२५ २४२६ ३८१५७

टिप्पणी यह सारणी उस सहायता के उपयोग के बारे में है जो भारत सहायता सघ के वचनों के अन्तर्गत तीसरी आयोजना के लिए प्राप्त हुई थी।

राज्यों की समेकित बजट स्थिति

(करोड़ रुपये में)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६५-६६	१९६५-६७
राजस्व आय	३९६४	५५४३	१०११८	१७५७५	१८३१०	२०९७१
व्यय	३९२६	६०४१	९८७४	१८५१२	१९१३२	२१११७
बचत (+) घाटा (—)	+३८	—४९८	+२४४	—८३७	—८२२	+११४
पूँजी खाता						
प्राप्ति	१३५०	३८२०	५८००	११३३६	१२४७८	१००९२
व्यय	१८८७	३३५९	६३२९	११२४१	१३३६५	१०७५०
बचत (+) घाटा (—)	+१६	+४१	—१९९	+९५	—१०८७	—६५८
कुल बचत (+) घाटा (—)	—४८.३	+०.४	—४८४	—७९.१	—१८८	—४९.२
नगदी रोकड में वृद्धि या कमी	—१०८	+१००	३.७	—६८९	—९६२	—४५.६
प्रतिभूतियों की खरीद (+) या बिक्री (—)	—३७.६	—९.६	—५२१	—१०.२	—९२.७	+१.०

भारत की कर-व्यवस्था

आय कर की दर—भारत में जायवर की दर दुनिया भर में सबसे अधिक है। एक व्यक्ति की आय यदि अनुपाजित हो और ७५ ० या इससे अधिक हो तो उसका ८८ १२ प्रतिशत ले लिया जाता है। यदि आय उपाजित हो और १ लाख हो या इससे अधिक हो तो ८२ ५ प्रतिशत ले लिया जाता है।

उपाजित आय का बितना भाग इस देश में लिया जाता है और अन्य देशों में लिया जाता है यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है

उन्नत देशों में कर

(प्रति विवाहित व्यक्ति दो बच्चों के साथ)

(प्रतिशत)

	भारत	ब्रिटेन	अमेरिका	कनाडा	जापान
आय रुपये में	(१९६४ ६५)	(१९६३ ६४)	(१९६२)	(१९६२)	(१९६२)
१०	६९	०४	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१२ ९
२००००	१६ ८	१२ ३	८ ६	५ ५	२
३०० ०	२६ १	१८ २	१२ ४	९ ६	२४ ६
४ ० ०	३५ ३	२१ २	१४ ८	१२ ९	२७ ७
५०० ०	३९ ३	२३ ५	१६ ३	१५ ८	३ ३
७५० ०	५० ४	२७	१९ ८	२२ ६	५ ७
१०००००	५७ १	३२ १	२२ ८	५७ १	८ २
१०५	६१ ९	३६ ८	२५ ७	३१ ६	४० ६
१५००	६५ ७	४२ ४	२८ ७	३४ ६	४२ ६
२ ००	७ ४	५० ७	४ १	७ ६	४५ ७
३ ००००	७५ २	६२ १	४ ०	४४ ६	४९ ४

१९६५ में जापान और अमेरिका में आय-कर की दर और घटा दी है।

विकासशील देशों में कर-दर

(प्रति विवाहित व्यक्ति, दो बच्चों सहित)

(प्रतिशत में)

आय रु० में	भारत	पाकिस्तान	बर्मा	सीलोन	मलाया	ब्राजिल
१००००	६६	५.५	५.८	३३	१२	कुछ नहीं
२००००	१६.८	११.६	१३३	६.६	३८	" "
७५.०००	५०.४	४२.८	४३५	४१.३	१५३	८२
१०००००	५७१	५०६	५०२	७४५	१६६	१०८
१५००००	६५७	५८६	५६३	७८.३	२६४	१५४
२०००००	७०.४	६२६	६५०	८०.२	२६८	१६६
३०००००	७५.२	६६६	७२७	८२.२	३३२	२६.६

ऊपर की दोनों तालिकाओं में आय-कर में वार्षिकी जमा सम्मिलित है।

कम्पनी को आय-कर और सुपर टैक्स देना पड़ता है। यह ५० प्रतिशत होता है। यदि किसी कम्पनी में जनता का भाग ज्यादा है, तो कर ६० प्रतिशत हो जाता है। परन्तु यदि कोई कम्पनी किसी विशिष्ट उद्योग में प्रवृत्त है, तो कर १० प्रतिशत घट जाता है। इस दशा में कर ४५ प्रतिशत ही रह जाता है।

विभिन्न देशों में करों के अधिकतम दर

नाम देश	अधिकतम दर (प्रतिशत)
ऑस्ट्रेलिया	४२.५
ऑस्ट्रिया	५१.६२
बेल्जियम	३०

(दस लाख फ्राक से कम आय पर और अवितरित मुनाफे पर प्रतिशत)

कनाडा	५०
-------	----

(वृद्धावस्था सुरक्षा कर भी इसमें सम्मिलित है। प्रथम ३५००० डालर पर २१ प्रतिशत कर है। अवितरित लाभ पर १५ प्रतिशत कर है।)

मिश्र	१८७
फ्रांस	५०
प० जर्मनी	५१

(वितरित मुनाफे पर केवल १५ प्रतिशत)

अधिकतम प्रतिशत कर

(अनिवासी कम्पनियों पर ४६ प्रतिशत)

आयरलैंड	(२५०० पौ० से अधिक आय पर १५ प्रतिशत मुनाफा कर ३१ ६७ इजराइल ३६ २२)
इटली	(६ प्रतिशत से अधिक विशुद्ध लाभ होने की दशा में कम्पनी पर १५ प्रतिशत मुनाफा कर भी है।)
जापान	(३० लाख येन से कम आय पर ३३ और ३८ वितरित आय पर २६ प्रतिशत।)
केनिया	३७ ५
मलाया	४
यूजीलंड	५०
नीदरलैंड	४६
पाकिस्तान	५०
	(अनिवासी कम्पनियों पर ६ प्रतिशत)
राउनी अरबिया	४
सिंगापुर	४
द जर्मीनी	३
स्पेन	३०
	(१० प्रतिशत तक अतिरिक्त म्युनिस्पल प्रभार लाभ से घटाकर ४ प्रतिशत अतिरिक्त कर)
सूडान	५०
स्वीडन	४६
टॉगानिका	३७ ५
ब्रिटेन	५३ ७५
	(कम्पनी नामांग से घटाया कर कम्पनी चाहे तो अपने पास रख सकती है।)
अमेरिका	४८

भारत में व्यक्तिगत आयकर

आय का धुन हुए स्तर पर (पूणत उपाजित/सयुक्त आय जिनम उपाजित और अनुपाजित आय ८० २ का अनुमान म समाविष्ट हैं) किमी एसे निवासी विवाहित व्यष्टि की दगा म त्रिमती एन म अधिग आश्रित सन्तानें हैं वित्तीय वष १९६८ ६९ के दौरान की जाने का निग आश्रित वाशिरा जमाण और चारू दरा पर सट्ट कर और सम्बनमा मे छोट पर कर का कटौता और अधिम कर की सगणना का निग विधयक म विनिन्ष्टि दरा पर सये कर दग्गि है।

चाहू दरों पर की जाने के लिए अपेक्षित वार्षिकी जमाएँ और वार्षिक जमाओं द्वारा यथा कम की गई आय पर संदेय कर

वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के दौरान, 'सब-लमों' से तोत पर कर की कटौती और "अग्रिम कर" की सगणना के लिए विधेयक में की दरों पर कर

आय	वार्षिकी जमा		पूर्णतः उपाजित आय		संयुक्त आय :	
	रु०	रु०	रु०	रु०	उपाजित आय ८०%	अनुपाजित आय २०%
					कर धन	कर धन
					वार्षिकी जमा	वार्षिकी जमा
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	२	३	४	५	६	७
५,०००	—	११	११	११	११	११
७,५००	—	२८६	२८६	२८६	२८६	२८६
१०,०००	—	५६१	५६१	५६१	५६१	५६१
१२,५००	—	८७४	८७४	८७४	८७४	८७४
१५,०००	—	१,३८६	१,३८६	१,३८६	१,३८६	१,३८६
२०,०००	२००	२,४४२	२,४४२	२,४४२	२,४४२	२,४८६
२५,०००	३८०	४,०११	४,३६१	४,०११	४,३६१	४,१३६
४०,०००	३,६००	८,८५६	१३,४५६	८,८५६	१३,४५६	११,८३६
७०,०००	८,४००	२४,६६२	३३,३६२	२४,६६२	३३,३६२	३०,५३६
१,००,०००	१५,०००	४१,२६१	५६,२६१	४१,२६१	५६,२६१	५१,६८६
२,००,०००	३०,०००	१,०४,५३६	१,३४,५३६	१,०४,५३६	१,३४,५३६	१,२८,६८६
३,००,०००	४५,०००	१,७०,३१६	२,१५,३१६	१,७०,०५७	२,१५,०५७	२,०८,७३६
४,००,०००	६०,०००	२,३८,६०१	२,९८,६०१	२,३८,७३६	२,९८,७३६	२,९१,२३६
५,००,०००	७५,०००	३,०८,४६२	३,८३,४६२	३,०८,६३०	३,८३,६३०	३,७३,७३६

सम्पत्ति कर

सम्पत्ति कर इस हिसाब से लिया जाता है

यक्ति	प्रतिशत कर	अविभक्त परिवार
१ वास्तविक सम्पत्ति के पहले एक लाख पर	शून्य	शून्य
२ अगले चार लाख पर	०.५ प्रतिशत	०.५ प्रतिशत
३ पाच लाख पर	१०	१
४ दस लाख पर	२०	२०
५ शेष वास्तविक सम्पत्ति पर	२५	२५

अतिरिक्त सम्पत्ति कर

(१) अधिक रकम के पहले दो लाख रुपये पर	शून्य
(२) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपये पर	१ प्रतिशत
(३) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपये पर	२ प्रतिशत
(४) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपये पर	३ प्रतिशत
(५) अधिक रकम की बाकी रकम पर	४ प्रतिशत

दान-कर

कर-योग्य दाना के मूल्य पर दान कर की दरें इस प्रकार हैं

(१) पहले पाच हजार पर	४ प्रतिशत
(२) अगले १५ हजार रुपये पर	८
(३) अगले २५ हजार रुपये पर	१५
(४) अगले १ लाख रुपये पर	२५
(५) अगले दो लाख रुपये पर	४
(६) सभी कर योग्य दाना के शेष मूल्य पर	५

बक व्ययस्या

१९६७ वष में अनुसूचित बका की कुल जमा राशि में ४ अरब ८६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह राशि बङ्गलूर ३ अरब ७६ करोड़ रुपये की हो गई। बक से मिलने वाली उपार राशि में ३ अरब २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई किंतु १९६६ में ऋण विस्तार की दर लगभग निरूपित बका जमा ही रहा तदनुसार १९६६ के अन्त में ऋण तथा जमा राशि के बीच का अनुपात ७२ प्रतिशत रहा। अनुसूचित व्यापारिक बका की सावधि तथा मांग जमा राशि में जोर वृद्धि हुई। सावधि जमा राशि में २ अरब ७७ करोड़ रुपये की तथा मांग जमा राशि में २ अरब १३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

बक बका समन से अनुसूचित बका का अध्ययन बनाना है कि कारोबार चलाने का व्यय क्या है। इस पर भी बका का मुतापना बनना रहा।

घा का कुल मांग और मांग का आभूति में अंतर कायम रहा क्योंकि मुतानानि पुगता रही कि बक-व्ययस्या के विस्तार का नियमन और नियंत्रण किया जाय। फरवरी १९५५ में बका जमा और बका के विनिमय का शिवाय करत बकार मुतानानि ग्रहण की गई। १७ फरवरी १९६५ का बक रत बङ्गलूर ६ प्रतिशत कर ला गई। बक रत माघ ६८ में पुन बङ्गलूर १३ प्रतिशत की गई।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धनराशि की मौसमी प्राप्ति (करोड़ रुपये में)

१९६५-६६ का अधिक कामकाज का मौसम	१९६६ का कम कामकाज का मौसम	१९६६-६७ का अधिक कामकाज का मौसम	१९६७ का कम कामकाज का मौसम	१९६६-६७ का अधिक कामकाज का मौसम	१९६७-६८ का अधिक कामकाज का मौसम
१२१	८५	११०	६४	३	३९
११४	१८०	५९	१३१	१९	५१
२३५	२६५	१६९	१९५	२२	९०
<hr/>					
—३१०	८६	—४२६	१०२	—२३७	—१७२
— ७५	३५१	—२५७	२९७	—२१५	— ८२
— २८	३०	— ४१	३६	— २९	३
— ६	२९८	—१९८	२१८	—१९४	— ९१
— ४१	२३	— १८	४३	— ६	५६

१. जमा का विस्तार
माँग जमा
मीयादी जमा
जोड

२. ऋण (वृद्धिया—)
३. निधियों की शुद्ध (नेट) प्राप्ति (१ + २)
४. भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण (वृद्धिया—)
५. सरकारी प्रतिभूतियों से निवेश
६. अन्य साधन/जरिये

७. पहले के अधिक कामकाज के मौसम में हुई घट-वढ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त, कम कामकाज के मौसम में हुई घट-वढ ऋणों की वापसी से जमा
८. भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों का समापन

१७३९
२००९
३७४८
—
२७४०
१००८
१०५८
४६

१९६७
२४
८८

टिप्पणी :—मीयादी जमा की रकमों और सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई रकमों के ऑकड़ों (१९६५-६६ के अधिक कामकाज के मौसम में २१ करोड़ रुपये में, राज्य बैंक के पास जमा सयुक्त राज्य अमेरिका की रकमों में होने वाले परिवर्तन शामिल नहीं है।

भारतीय बक—भारत में गत वर्ष अनुसूचित व्यापारिक बकों की संख्या ७६ थी। बकों की संख्या नहीं बढ़ी किंतु कार्यालयों की संख्या बढ़ती रही। नवम्बर १९६६ के अन्त में अनुसूचित व्यापारी बकों की कुल संख्या ६ ४१४ थी।

भारत में विदेशी बक—इनकी संख्या १५ है। इनमें ६ ब्रिटिश ३ अमेरिकी २ जापानी १ डच १ फ्रेंच और २ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बक इस समय काम नहीं कर रहे हैं।

बीमा व्यवसाय

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारतीय जीवन-बीमा निगम की स्थापना १ सितम्बर १९५६ से हुई तबसे जीवन-बीमा व्यवसाय वसी के हाथ में है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

जीवन-बीमा को छाड़कर अन्य सामान्य बीमा (आग दुर्घटना सभुनी आदि) व्यवसाय भारतीय कम्पनियों तथा भारत स्थित विदेशी कम्पनियों के हाथ में हैं। कुछ राज्य सरकारों भी इस व्यवसाय में प्रवेश कर रही हैं।

आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश केरल जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश मसूर तथा राजस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जीवन बीमा योजनाएं प्रारम्भ की हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम

सितम्बर १९५६ में इसने २४५ बीमा कम्पनियों की समस्त परिसम्पत्ति तथा देनदारियों का दायित्व ग्रहण कर लिया।

जीवन बीमा निगम व्यवसाय


वर्ष	प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावित राशि (करोड़ रु.)	जारी बीमा पत्र	बीमा पत्रों की राशि (करोड़ रु०)
१९६५-६६	१६ २९ ७८४	८३६ ३४	१५ ६१ २०३	७९७ ७९
१९६४-६५	१५ ३१ ६७२	७४६ ८२	१४ ४४ ३५२	७०१ ०८

मार्च १९६६ तक देश में ४३ अरब ४९ करोड़ रुपये का कुल बीमा व्यवसाय हो चुका था। इसमें से भारत में ४ २८२ करोड़ के १ १४ १० ००० तथा भारत के बाहर १ १२ करोड़ रुपये के १ ७९ ००० बीमा-पत्र जारी हो चुके थे।

१ जनवरी १९६३ से भारत में आयात हानि-लाभ (माल कारखाना) बीमा योजना तथा १९६५ में मुद्रा हानि-लाभ (समुद्री) बीमा योजना प्रारम्भ की गई।

VACUUM PLANT AND INSTRUMENT

Manufacturing Company Pvt. Ltd.
Mundhawa, Poona (India)



RECLAIM PRESSURE CASTINGS

Vacuum Impregnation of Ferrous and Non ferrous Castings

We undertake to impregnate (by vacuum process) castings and thus seal micropores in the castings

The process is suitable for those castings which show minute leakage (not coarse flaws like blow-holes or cracks) and have to be scrapped. Our process salvages such castings at a fraction of the cost of the casting.

We invite you to boost up your production by reclaiming your castings & also save considerable loss of money & time.


The process is being used on cylinder heads, Crank Cases, Oil pumps, water pump bodies, Hydraulic Jack, Cylinders, Pressure fittings, Valve bodies, water meter bodies etc.

PREVENT NATIONAL WASTE

With the Compliments of

BERAR OIL INDUSTRIES LTD,

AKOLA



MACO

GUDGEON PINS

Manufactured to the rigid specifications
and exact standards as laid down by
vehicle and engine manufacturers.
That's why Maco Gudgeon Piston Pins
are the first choice.



MACO
is the Ideal
GUDGEON PINS
for every
Piston



MACO PRIVATE LIMITED

INCORPORATED IN INDIA

10, Jawahar Road, Akola

BANSAL TRADING COMPANY 222, Park Road, Delhi-8

STAPLE FIBRE DULL & BRIGHT YARN OF ALL COUNTS AS ALSO 2/60s & 2/80s GASSED YARN, ACETATE YARN, COTTON YARN, FANCY YARN AND SYNTHETIC YARNS IN VARIOUS BLENDS.

*For Best Quality
Please write to*

- 1) Bharat Commerce and Industries Ltd ,
9, Parsee Church Street,
Calcutta-1 34-2237 BHARCOMIND
- 2) Bharat Commerce and Industries Ltd , Ratlam 88 BHARAT
Birlagram, Nagda (M P) Nagda 27
- 3) Bharat Commerce and Industries Ltd ,
Industrial Area, Rajpura
(Punjab) 64 SPINMILLS
- 4) Kiran Spinning Mills,
(Prop Bharat Commerce
& Industries Ltd) 59-1685 KIRAN
Thana (Maharashtra)
- 5) Sujata Textile Mills,
(Prop Bharat Commerce
& Industries Ltd)
Nanjangud (Mysore) 51 & 55 BHARAT

With Best Compliments From

KHARE & TARKUNDE
Engineers & Contractors
Kanoria House
Palam Road
NAGPUR-1

A TRUSTED NAME IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Cooking Luxry?
Cooking Necessity

Nay

KAMAL PRESSURE COOKER

Moderate & competitive price

Maximum service

Attractive Shap

Guarantee for a year

Dishes without spoiling the natural taste and usefull natural ingredients of Vegetables & Food

For details —

Please contact **SHIBU METAL WORKS**
Jagadhri (Ambala) Haryana
Phone 211 & 311
Gram SHIBUMETAL

THE WORLD IS YOURS-SHIP BY



ide, profitable export markets lie before you They are waiting to buy Indian handicrafts, spices fruits and the many ner specialities that give the unique flavour that is India Ship your cargo east or west north or south Ship it quickly liely efficiently by Scindia Steam Navigation Scindia serves you while you serve the country earning valuable foreign change Scindia is the leading name in Indian mercantile marine Scindia not only carries precious cargo but Scindia e ambassadors of goodwill taking India s message of peace to distant lands

INDIA-PAKISTAN-U K.-CONTINENT:

alling at Aden Port Sudan Port Said
ondon Hull, Middlesborough Dundee
the East Coast U.K. Avonmouth
ardiff Liverpool Manchester Glasgow
the West-Coast U.K. Dublin Belfast
Ireland Marseilles La Havre
oulogne Dunkirk in France Antwerp
otterdam Bremen Hamburg in the
orth Continent Oslo Gothenburg
openhagen Stockholm in Scandinavia
elsinki in Finland Genoa in West Italy
enice Trieste Rijeka Ploce in Adriatic.

INDIA-POLAND:

elling at S'ctin Gdansk Gdynia In Poland
nd Wismar Rostock in East Germany

INDIA-U.S.A

(ATLANTIC & GULF PORTS)

Ports of Call Calcutta Trincomalee
Colombo Alleppey Cochin Aden
Port Said Boston New York, Baltimore
Philadelphia Norfolk Savannah Mobile
New Orleans Galveston Houston and
other ports according to demands.

INDIA/EASTERN CANADA- GREAT LAKES

Ports of Call Aden Port Said Montreal
Rochester Toronto Buffalo Erie
Cleveland, Toledo Detroit Sarnia Bay City
Green Bay Milwaukee and Chicago

INDIA-U.S.A -CANADA -PACIFIC COAST

Ports of Call Br Columbia Puget Sound
San Francisco Los Angeles and other
Ports according to demand

INDIA-U.S.S.R.

Calling at Black Sea Ports Latakia
Beirut Istanbul and other Eastern
Mediterranean Ports

INDIA-RUMANIA-BULGARIA

Calling at Bourgas Varna & Constanza

INDIA-U.A.R.

Calling at
Port Suez Port Said and Alexandria

COASTAL SERVICES

Cargo India Pakistan Burma Ceylon
Cargo cum Passenger Bombay
Kutch Karachi, Bombay Saurashtra
Bombay Mormagoa Mangalore Ports
Cochin

THE SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED:

Scindia House, Ballard Estate Bombay 1 Phone 259161 (12 Lines) Grams JALANATH (Cost.) SAMUDRAPAR (Overseas)

OVALTINE is rich in proteins, vitamins, phosphatides, fresh creamy milk and ripe barley malt

that's what you really need to build up
health, strength and energy

Ovaltine contains all the ingredients
necessary to build up health, strength
and energy. When you add Ovaltine
to your milk—you add more than
good taste. You add health, strength
and energy.

drink
delicious **OVALTINE**
each day each day each day



वाणिज्य-व्यापार

व्यापारिक प्रवृत्ति—भारत का विदेशी व्यापार कुछ वर्षों से देश के आंतरिक आर्थिक विकास से प्रभावित रहता है। औद्योगिक विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिए औद्योगिक कच्चा माल और अन्य चीजों को बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। पर आयात की गति से निर्यात न बढ़ने के कारण देश का व्यापारिक सतुलन पिछले २० वर्षों से बराबर विगड़ता जा रहा है। इसलिये विगत १७ वर्षों में इसे दो बार अवमूल्यन करना पड़ा।

आर्थिक प्रगति का निर्णायक तत्व निर्यात-व्यापार है। पिछड़े देश में प्रारम्भ में बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इसकी वित्तीय आवश्यकता निर्यात-व्यापार को बढ़ा कर और प्राप्त विदेशी आय से पूरी की जाती है। निर्यात-व्यापार देशों को विदेश विनिमय प्रदान करता है।

आर्थिक विकास आयात का पर्याप्त माल उत्पादन करने की प्रेरणा देता है। भारत के उद्योगों में आयात माल का भाग घटता जाता है। इसका प्रतिशत प्रथम योजना में २१.५, दूसरी योजना में १४.२ तथा तीसरी योजना के चार वर्षों में ११.३ था। परन्तु इसके कारण आयात व्यापार में अनुपातिक कमी नहीं हुई। आयात पहली योजना से ३६७ करोड़ रु० का, दूसरी योजना में ४८८२ करोड़ रु० और तीसरी योजना में ६१६६ करोड़ रु० का हुआ। चौथी योजना में ७७५० करोड़ रु० का आयात होने की सम्भावना है।

मूल्य की दृष्टि से निर्यात पहली दो योजनाओं में बहुत कुछ अवरुद्ध रहा। तीसरी योजना में वह तेजी से बढ़ा। प्रथम योजना में निर्यात व्यापार का औसत ६११ करोड़ रु० था। दूसरी योजना में वह औसत ६०७ करोड़ रु० और तीसरी योजना में यह औसत ७६० करोड़ रु० रहा। १९६६-६७ से भारत के निर्यात व्यापार में भारी कमी आयी है।

भारत का विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात	विदेशी व्यापार (कुल मूल्य)	व्यापार सन्तुलन
१९५०-५१	६५० ४४	६०० ६७	१२५१ ११	—४९ ७७
१९५५-५६	७७४ ३५	५०८६ ६१	१३८३ २६	—१६५ ४४
१९६०-६१	११२२ ४८	६४२ ०७	१७६४ ५५	—४८० ४१
१९६१-६२	१०६३ ०८	६६० ५८	१७५३ ६६	—४३२ ५८
१९६२-६३	११३७ २४	७०१ ६१	१८३८ ८५	—४३५ ६३
१९६३-६४	१२२३ ७५	७६३ २४	२०१६ ९९	—४३० ५१

१९६४ ६५	१३४९ ७२	८१६ १०	२१६६ ०२	— १३५ ४२
१९६५ ६६	१३९२ १४	८०९ ५५	२२०१ ८९	— ५८२ ७९

भारत का निर्यात व्यापार

परिवर्तन

भारत के निर्यात व्यापार में अनेक परिवर्तन हुए हैं। पुराना ढर्रा बदला है। कई पुरानी चीजाँ का निर्यात घटा है और अनेक नई चीजाँ का निर्यात बढ़ा है। नीचे की तालिका से १९५०-५१, १९६५-६६ व १९६६-६७ की स्थिति स्पष्ट है।

निर्यातित

वस्तु का नाम	१९५०-५१ (करोड़ ₹ म)	१९६५-६६ (करोड़ ₹ म)	१९६६-६७ (करोड़ ₹ म)
चाय	८० ४	११४ ८	१५६ २
काफी	१ ३	१२ ९	१४ ५
काली मिर्च	८ ५	११ १	११ ८
वनस्पति तेल	२५ ३	६ ४	६ १
चीनी	नगण्य	११ ३	१३ ८
मछली	२ ५	६ ८	१६ ७
चमड़ा वच्चा और			
तयार मान	२३ ४	२८ ५	५८ ४
तम्बाकू	१३	१९ ६	१८ ६
खनिज लौह	नगण्य	४८ १	१५ ४
खनिज मन्नीज	८	१० ८	१३ २
जूट का तयार मान	५ ६	१८२ ८	२३५ ५
सूती वस्त्र	११८ १	५५ २	५९ ९
कृत्रिम रेशमी वस्त्र	१०	४ ९	२ ९
पेट्रोनियम उत्पादन	२ ३	६ ४६	७ ६६
इंजिनियरिंग का सामान	३ ४	१६ ९	२२ ०

यस प्रकार १९६६-६७ वर्ष में चाय एवं चीनी के कुल निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई किन्तु खाना और वच्ची मन्नीज के एवज मूल्य में काफी कमी हुई। १९६६-६७ में सूती वस्त्र के निर्यात में भी कमी हुई।

गत वर्ष से परम्परागत वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं में निर्यात को बढ़ावा देने के काम में काफी प्रगति हुई। १९६७-६८ की पहली छमाही में २ करोड़ डॉलर के लार्जे और स्पान का निर्यात किया गया जबकि १९६६-६७ की पहली छमाही में १ करोड़ डॉलर के लार्जे और स्पान का निर्यात किया गया था। इंजिनियरिंग वस्तुओं में इस समय प्रथम बार कृत्रिम रेशमी वस्त्र का निर्यात किया जा रहा है। हान में रेल के डिब्बा तथा अन्य इंजिनियरिंग सामानों के निर्यात में अल्पेण काफी माना में प्राप्त हुए हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। १९६७-६८ में प्राप्त सामानों का मूल्य ४२० लाख डॉलर है।

१९६८-६९ में निर्यात व्यापार बढ़ने के अच्छे लक्षण दिखाई दिए हैं जबकि १९६६-६७ में निर्यात व्यापार को एकदम धक्का पहुँचा था। १९६५-६६ से अभी तक के निर्यात व्यापार के आंकड़े इस प्रकार हैं —

वर्ष	१९५५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९
				(अप्रैल से जुलाई)

निर्यात वस्तुओं का

कुल मूल्य

(करोड़ रुपयों में)	१२६८ ८९	११५६ ५३	११९८.६७	४२१२९
--------------------	---------	---------	---------	-------

सोवियत रूस के साथ १३ वर्षों में भारत का व्यापार ३९ गुना बढ़ा है। जापान के साथ भी व्यापार ४५ गुना बढ़ा है। सिख के साथ दुगना हो गया। ५० जर्मनी के साथ भी लगभग दुगना हो गया। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ निर्यात व्यापार बढ़ा। परन्तु कुल निर्यात में ब्रिटेन का भाग २३ २ प्रतिशत से घटकर २० ६ प्रतिशत हो गया। अमेरिका का भाग घटकर १९ २ प्रतिशत से १६ ४ प्रतिशत रह गया। पाकिस्तान, बर्मा और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घटा। भारतीय व्यापार की दिशा पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर अधिक है और ५० यूरोप और उत्तरी अमरीका या अफ्रीका की ओर कम है।

यह प्रवृत्ति तीसरी योजनावधि में भी कायम रही। १९६६-६७ में निर्यात व्यापार ११५६ ५३ करोड़ रु० से बढ़कर १९६७-८८ में ११९८ ६७ करोड़ रु० का हो गया अर्थात् वृद्धि ५ प्रतिशत हुई। राष्ट्रीय आय इस वर्ष ८ प्रतिशत बढ़ी। इस कारण से निर्यात राष्ट्रीय आय के प्रभाव से अनुपात घट गया।

प्रमुख वस्तुओं के विगत ३ वर्षों के निर्यात आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

वस्तु	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
काजू	४३ १३	४५ ५२	४३ ०८
कच्ची तम्बाकू	३० ८२	२१ ५२	३४ ८४
काली मिर्च	१७ ४८	१२ ६६	९३ ०८
लाख	६ ७३	५ ६४	५ १५
चाय	१८० ८७	१५८.४१	१८० २०
काफी	१२ ९४	१४ ४४	१८ ५
कार्बोमन	४ ३९	८ १३	७ १८
कच्चा लोहा	६६ ३०	७० १९	७४ ९८
वनस्पति तेल	३४ ६४	४६ ८९	४५ ४७
अवरख	१७ ७५	१४ १९	१५ ०५
मैंगनीज	१८.७१	११.९१	१२ ४१
लौह मैंगनीज	३ ८०	८४	२ ८८
हथकरघा कपड़ा	१५.२७	११ २४	११ २३
रेशमी वस्तुएं	२ ८२	३ ३१	४ ०८
नकली रेशम	४.२७	४ ०८	९९

वेदक

जूट उत्पादन २८७ ६६ २४६ ४१ २५४ ०७
 योजना आयाग न चौथी योजना म निर्माण यणार वा लक्ष्य ८४१ कराड
 (१६६५ ६६) से बनावर १११० करोड रु० (१६७० ७१) वा रत्ता जो निम्ननिमित्त
 तालिका से स्पष्ट है

(करोड रुपयों म)

वस्तु का नाम	१९६५ ६६	१९७० ७१ (अयमूल्यन न होने की स्थिति मे)	प्रतिगत वृद्धि (+) १९७० ७१ मे १९६५ ६६ से कमी (-)
(क) कृषि व सम्बन्धित पदार्थ	१८१ १	२३६ ४	+३२ २
(१) बनस्पति तेल (अनावश्यक)	५ ६	१६ ५	+२४ ८ २
२ खली	४१ ०	४५	+६ ७
३ तम्बाकू अतयार	२४ १	२५ ०	+३ ७
४ मसाले	१७ ५	२२	+३ १ ४
(क) काली मिच	७	७ ५	+१७ १
(ख) अय	१० ५	१५ ५	+६७ ६
५ चीनी	१० ५	२० ०	+६ ५
६ फल और सब्जी	३८ ०	४५	+१८ ४
(क) काजू	३६ ०	२७ ०	+१
(ख) अय	८ ०	१८ ०	+१२ ५ ०
७ मछली	८ ०	२	+१ ५ ०
(ख) बादाम	१३७ ४	१७५ ०	+३७ ४
८ चाय	१२६ ५	१६ ०	+२६ ५
९ काफी	१० ६	१५ ०	+३७ ६
(ग) खनिज पदार्थ और छीनन	७२ ७	११२ ०	+५४ १
१० खनिज स्रोह	४२	८५ ०	+१ २ ४
(घ) सूती वस्त्र व तयार वपड (नारियल व जूट वस्त्र को छोडकर)	६६ २	१२७ ०	+३२ ०
११ सूती वस्त्र	६२ ०	६७	+५ ३
(क) मिल के	५० ०	५५	+१०
(ग) हाथ सडडा	१२ ०	१२	—
१२ नरनी रोगमी वस्त्र	६ ६	१५	+१२७ ३
१३ मित्र सिनाथ वपड	५ ०	१२ ०	+१४ ० ०
(ङ) तयार नारियन की जटा व जूट व वस्त्र	१८१ ४	१६६ ०	+६ ६

१४ नारियल की जटा की सूत और तैयार माल	११५	१४०	+२१७
१५ जूट का तैयार माल	१७००	१८५०	+८८
(च) चमडा और चमडे का तैयार सामान	४१०	५००	+२२०
१६ जूते	५०	६०	+६००
१७ चमडा और चमडे का तैयार माल (जूते छोड़कर)	२८०	३२०	+१४३
(छ) इजीनियरिंग माल	१८०	४५०	+१५००
(ज) दस्तकारी	२७०	४१०	+५१६
(झ) अन्य तैयार माल	५३५	७२३	+३५१
१८ लोहा व इस्पात	१२०	१५०	+२५०
१९ रासायनिक व सम्बन्धित उत्पन्न माल	६५	१५०	+५७६
(ञ) पुननियात समेत विविध	३६६	५००	+३६७
योग (क से ज तक)	८४५०	१११०७	+३१४

अवमूल्यन न होने की स्थिति में चौथी योजना में निर्यात व्यापार में १३०० करोड़ या १७ गुना वृद्धि की आशा थी। यह दूसरी योजना की तुलना में ७६ गुना अधिक है। निर्यात-व्यापार में वृद्धि की आशा का आधार कृषि उत्पादन में वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित गति सदिग्ध है।

अवमूल्यन के बाद पूर्वीय देशों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इजीनियरिंग का माल अधिक मात्रा में ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा में देगा।

चौथी योजना के प्रारंभ में ही अवमूल्यन किया गया। इसके कारण व्यापार की स्थिति में कहा अन्तर आयगा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अवधि में हुए निर्यात-व्यापार को ध्यान से देखना होगा।

गत तीन योजनाओं में निर्यात

वर्ष	निर्यात करोड़ रु० में	राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर करोड़ रु० में	निर्यात (राष्ट्रीय आय के प्रतिशत)
प्रथम योजना में			
१९५१-५२	७४३	७६७०	७.५
५२-५३	५७२	७८२०	५.६
५३-५४	५३१	१०४८०	५.१
५४-५५	५०३	६६१०	६.२
५५-५६	६०६	६६२०	६.०

जूट उत्पादन २८७ ६६ २४६ ४१ २३४ ०७
 योजना आयोग न चौथी योजना म नियान व्यापार वा लम्प ८४१ कराड
 (१६६५ ६६) स बढाकर १११० करोड रु० (१६७० ७१) वा रखा जो निम्नलिखित
 तालिका से स्पष्ट है

(करोड रुपयों मे)

वस्तु का नाम	१९६५ ६६	१९७० ७१ (अयमूल्यन म हाने की स्थिति मे)	प्रतिगत वृद्धि (+) १९७० ७१ मे १९६५ ६६ से कमी (-)
(क) कृषि व सम्बन्धित पदार्थ	१८१ १	२३६ ४	+३२ २
(१) बनस्पति तेल (अनावश्यक)	५ ६	१६ ५	+२४८ २
२ खली	४१ ०	४५ ०	+६ ७
३ तम्बाकू अतयार	२४ १	२५ ०	+३ ७
४ मसाले	१७ ५	२२ ०	+३१ ४
(क) काली मिर्च	७ ०	७ ५	+१७ १
(ख) अय	१० ५	१५ ५	+६७ ६
५ चीनी	१ २	२० ०	+६० ८
६ फल और सब्जी	३८ ०	४५ ०	+१८ ४
(क) काजू	३६ ०	२७ ०	+१०
(ख) अय	८ ०	१८	+१२५ ०
७ मछली	८ ०	२ ०	+१५
(ख) बादाम	१३७ ५	१७५ ०	+२७ ४
८ चाय	१२६ ५	१६० ०	+२६ ५
९ काफी	१० ६	१५ ०	+३७ ६
(ग) खनिज पत्थर और छीलन	७२ ७	११२ ०	+५५ १
१० खनिज लोह	४२ ०	८५	+१०२ ४
(घ) सूती वस्त्र व तयार कपड (नारियन व जूट वस्त्र की छोकर)	६६ २	१२७ ०	+३२
११ सूती वस्त्र	६२ ०	६७ ०	+५ ३
(क) मिल के	५० ०	५५	+१० ०
(ख) हाथ सडडी	१२ ०	१२ ०	—
१२ नरली रोगमी वस्त्र	६ ६	१५	+१२७ ३
१३ गिन सिनाय कपड	५	१२ ०	+१४
(ङ) तयार नारियन की जटा व जूट व वस्त्र	१८१ ४	१६६ ०	+६६

१४ नारियल की जटा की सूत और तैयार माल	११५	१४०	+२१७
१५ जूट का तैयार माल	१७००	१८५०	+८८
(च) चमडा और चमडे का तैयार सामान	४१०	५००	+२२०
१६ जूते	५०	६०	+६००
१७ चमडा और चमडे का तैयार माल (जूते छोड़कर)	२८०	३२०	+१४३
(छ) इजीनियरिंग माल	१८०	४५०	+१५००
(ज) दस्तकारी	२७०	४१०	+५१६
(झ) अन्य तैयार माल	५३५	७२३	+३५१
१८ लोहा व इस्पात	१२०	१५०	+२५०
१९ रासायनिक व सम्बन्धित उत्पन्न माल	६५	१५०	+५७६
(ञ) पुनर्नियमित समेत विविध	३६६	५००	+३६७
योग (क से ज तक)	८४५०	१११०७	+३१४

अवमूल्यन न होने की स्थिति में चौथी योजना में निर्यात व्यापार में १३०० करोड़ या १७ गुना वृद्धि की आशा थी। यह दूसरी योजना की तुलना में ७६ गुना अधिक है। निर्यात-व्यापार में वृद्धि की आशा का आधार कृषि उत्पादन में वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित गति सदिग्ध है।

अवमूल्यन के बाद पूर्वीय देशों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इजीनियरिंग का माल अधिक मात्रा में ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा में देगा।

चौथी योजना के प्रारंभ में ही अवमूल्यन किया गया। इसके कारण व्यापार की स्थिति में कड़ा अन्तर आयागा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अवधि में हुए निर्यात-व्यापार को ध्यान से देखना होगा।

गत तीन योजनाओं में निर्यात

वर्ष	निर्यात करोड़ रु० में	राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर करोड़ रु० में	निर्यात (राष्ट्रीय आय के प्रतिशत)
१९५१-५२	७४३	७६७०	७.५
५२-५३	५७२	७८२०	५.६
५३-५४	५३१	१०४८०	५.१
५४-५५	५०३	६६१०	६.२
५५-५६	६०६	६६२०	६.०

दूसरी योजना म

१९५६ ५७	६२०	११३१०	५५
५७ ५८	५६१	११३६०	५८
५८ ५९	५७३	१२६००	५६
५९ ६०	६४०	१२६५०	५९
६० ६१	६४३	१४१४०	५५

तीसरी योजना म

१९६१ ६२	६६१	१४८००	५५
६२ ६३	७१४	१५४००	५६
६३ ६४	७९४	१७२००	५६
६४ ६५	८१५	१८११०	५५
६५ ६६	८४५	१९१०	५३

चौथी योजना मे (सभावित)

१९७० ७१	१११०	२५०००	५४
---------	------	-------	----

इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय के प्रतिगत की दृष्टि से भारत का निर्यात दूसरी योजना के समय से कमी ५५ प्रतिगत से अधिक बना ही नहीं है बल्कि घट कर ४३ प्रतिगत पर पहुच गया है।

निर्यात व्यापार को बढाने के लिए १७ निर्यात प्रोत्साहन परिपत्रों स्थापित की गई हैं। सरकार ने निर्यात में अनेक रियायतें भी दी है। अवमूल्यन क बाद बहुत-सी रियायतें बंद कर दी गई हैं।

निर्यात

१९६६ म भारत का निर्यात (पुनर्निर्यात को शामिल करने) ६ अरब ६४ करोड़ ३० लाख रुपय का रहा जबकि १९६५ म ८ अरब ३ करोड़ रुपय का निर्यात हुआ था। इस प्रकार निर्यात म १ अरब ६१ करोड़ ३० लाख रुपय की वृद्धि हुई। डानरो मे १९६६ का निर्यात १ अरब ५८ करोड़ १८ लाख डालर का तथा १९६५ का १ अरब ६८ करोड़ ७० लाख डालर का बना और इस प्रकार करीब १ करोड़ डानर की कमी आई। निर्यात म कमी मुख्यत मूल्य के कारण आई जिससे फसलें खराब हुई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म चीनी चाय के दाम गिरने और विदेशों म हमारे मूल्य कपड के आयात पर पाबंदी लगने तथा जून १९६६ म रुपय का अवमूल्यन होने से निर्यात-व्यापार म कमी आई। सान के अन्त म यह कमी घटन गयी थी।

ब्रिटेन अमरिका रूस और समुक्त अरब गणराज्य वेल्जियम पश्चिम जर्मनी तथा नीदरलण्डस आदि देशों को हाने वान निर्यात म गिरावट आई। लेकिन उत्तरी अमरिका और पूर्वो यूरोप क देशों का हमारा निर्यात बना। जट का निर्यात एक तो अवमूल्यन क प्रभाव और दूसरे पाकिस्तान से मुकाबल क कारण कम रहा। चाय म हम श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका से मुकाबला करना पड रहा है।

भारतीय भात क प्रमुख आहूत अमरिका ब्रिटेन और पूर्वो यूरोप के देश रहे। जापान को हमारा निर्यात अवमूल्यन म पट्टन और बाण म भी बना लेकिन आस्ट्रेलिया बर्मा और

अफगानिस्तान को निर्यात गिरा । अफ्रीका के वारे मे भी यही स्थिति रही ।

आयात-व्यापार

१९६६-६७ मे १९०१७ करोड रु० का आयात हुआ । यह १९६५-६६ की तुलना मे ५०० करोड रु० अधिक था । कपास, इस्पात और लोहे का आयात ६७ करोड रु० का अधिक हुआ । मशीनी कल-पुर्जों का आयात ४७२.४ करोड रु० का हुआ । पूर्व वर्ष की तुलना मे यह ५१ करोड रु० अधिक है ।

दूसरे महायुद्ध के पहले विश्व के दस औद्योगिक देशों मे भारत का स्थान आठवा था । किन्तु आज भारत पीछे पड गया है । पिछले वर्षों की औद्योगिक प्रगति हमारे लिए भले ही प्रगसनीय हो, परन्तु उसके कारण विदेशों मे भारत का स्थान ऊचा नहीं हुआ है ।

यदि समुद्र तट के साथ समुद्र के अन्दर पेट्रोल मिल गया, जिसकी अभी खोज की जा रही है, तो भारत आयात को और कम करने मे समर्थ होगा । अभी संचार व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम का आयात करना पडता है । लेकिन सरकार इस दिशा मे आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । आयात बढ़ाने वाली दूसरी चीज है खाद्यान्न । अमेरिका से बडी मात्रा मे अनाज का आयात किया गया । अनाज का आयात अन्य दूसरे देश—रूस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया से भी किया गया है।

भारतीय विनिमय का नियन्त्रण

१९३९ से भारतीय विदेशी विनिमय का नियन्त्रण है । विनिमय के नियन्त्रण के कारण सरकार को विदेशी लेन-देन, सौदा खरीदने और बेचने के वारे मे असाधारण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ।

भारत का अन्य देशों के साथ लेन-देन नियन्त्रित रहता है । इस दृष्टि से भारत अपवाद देश नहीं है । सब देशों मे भी विदेशी विनिमय का नियन्त्रण है । केवल नियमन और नियन्त्रण की मात्रा मे अन्तर है । विदेशी विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के हिमात्र मे मतुलन प्राप्त करना । विदेशी विनिमय पर प्रतिवध है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण बंद है । यह अनुमति मिलने पर किया जा सकता है । यात्रा के वास्ते भी विनिमय का कोटा है । डालर क्षेत्र की यात्रा के लिए विशेष रूप से अनुमति लेना आवश्यक है । विदेशों मे भारतीय पूजी का विनियोग करना साधारणतः निषिद्ध है । इसका एक अपवाद भी है । यदि बैंकों में, बीमा कपनियों, बैंक और व्यापार के वास्ते हिमाव खोलना हो तो यह प्रतिवध लागू नहीं होता ।

प्रमुख आयात

वस्तु	१९६०-६१		१९६५-६६		१९६६-६७	
	(करोड रुपयो मे)	डालरो मे)	(करोड रुपयो मे)	डालरो मे)	(करोड रुपयो मे)	डालरो मे)
१	२	३	४	५	६	७
१ उपभोक्ता वस्तुएं	१८१४	३८०९	३२२०	६७६५	५७२४	८१२६

दानों से भिन्न धनाज और उनसे बनी वस्तुएँ	१८१४	५८०	६	३२२०	६७६५	५७२४	८१२६
२ मध्यवर्ती वस्तुएँ	३०१५	६३३३	२६६६	५६६३	५७७३	५३११	
(क) रासायनिक खाद	१२१	२५४	४४६	६४३	६६७	१३६०	
(ख) खनिज इंधन	६६५	१४६०	६८४	१४३७	६१७	८७५	
(ग) औद्योगिक उत्पादन के काम आने वाली वस्तुएँ	२१६६	४६१६	१५६३	५२८३	२१८६	५०७६	
(१) कपास	८१७	१७१६	४६२	६७०	५६४	७६८	
(२) कच्चा जूट	७५	१५८	६१	१६२	२०५	२७४	
(३) ऊन की पूनिया	८२	१७२	०३	०६	नगण्य	नगण्य	
(४) नकली रेशम का रेशा और घागा	१११	२८३	०८	१७	नगण्य	नगण्य	
(५) रासायनिक पदार्थ	५२७	११७	५६	१६३	७६६	१७८	
(६) रंगने और चमड़ा कमान की वस्तुएँ	१३४	२८१	६६	१३८	८४	११६	
(७) औषध तथा भोज्य	१५	५२१	८७	१८४	१६५	२३२	
(८) कागज और गत्ता	१२१	२५४	१३५	२८३	२०३	२८७	
(९) वनानिक उपकरण	१०६	२२६	१४	२६४	१५८	२२८	
(१०) नारियन की गिरी	११६	२४४	६३	१३२	३८	५६	
(११) तम्बाकू	०२	४	२	०४	०३	०४	
३ पूजोगत सामान और सम्बद्ध वस्तुएँ	५३२०	१११७२	६८३४	१४३५३	७३०	१४४७	
(क) लोहा और इस्पात	१२२५	२५७३	६८	२०५८	६०६	१२६७	
(ख) अलौह धातुएँ	४७३	६६३	६८८	१४४४	८२०	११४४	
(ग) धातुओं से बनी वस्तुएँ	२२६	४८१	१८२	३८२	१५६	२२८	
(घ) मशीनें	२६६	५४७३	४२१६	८८५४	४७२४	६८०६	
(ङ) परिवहन सनघी उपकरण	७२४	१५२०	७०५	१४८२	५६४	७६७	
(च) धातुओं से भिन्न खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ	६३	१३२	६३	१३३	१२७	१७७	
४ अन्य अवगोहित	१२४८	२६२	१३५	२७६८	२२२०	३५१६	
५ जोड़	११६७२	६३४	१४०८५	२६५७६	१६०१७	२७१००	

नवोदित अफ्रीका और भारत

अफ्रीका एक महादेश है। विश्व का भूभाग का २० प्रतिशत पर यह बसा हुआ है।

है। दुनिया की कुल आवादी के ८५ प्रतिशत लोग यहाँ निवास करते हैं। किन्तु यहाँ के लोग ससार के कुल उत्पादन का २ प्रतिशत ही उत्पादन कर पाते हैं। इस महादेश में ६० छोटे-बड़े देश व प्रदेश हैं। इसका स्वदेशीय उत्पादन ३१०००० लाख डालर है जो इटली के बराबर है और ब्रिटेन का आधा।

अफ्रीका का विश्व व्यापार में बड़ा हाथ है। यह वनस्पति तेल, तेल-बीज, रुई, मूंगफली, विनीला का बड़ी मात्रा में आयात करता है। यद्यपि अफ्रीका विश्व में उत्पन्न कुल रुई का ८ प्रतिशत उत्पन्न कर लेता है फिर भी विश्व व्यापार में इसका २२ प्रतिशत भाग है। बरार और तम्बाकू भी यह कुल उत्पादन का क्रमशः ९ और ५ प्रतिशत उत्पन्न करता है।

अफ्रीकी खनिज सम्पदा कुल खनिज सम्पत्ति का सातवा भाग है। यह विश्व के कुल हीरे का ९० प्रतिशत, कोलम्बियम और कोबाल्ट का ७० प्रतिशत, कीएनाइट और स्वर्ण का ६० प्रतिशत अपने यहाँ उत्पन्न कर लेता है। यहाँ अन्य खनिज पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं।

ऊपर के तथ्यों से ऐसा लगता है कि भारत को अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहिए। पिछले तीस वर्षों से इस महादेश का विकास हो रहा है। विश्व व्यापार में अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है। यह हीरा, सोना, कोलम्बोइट, प्लैटिनम और कोबाल्ट, क्रोमाइट, ताम्बा, मैंगनीज, गिला फास्फेट, रुई, काफी, कोको और लिज्जिन का निर्यात करता है। तैयार माल और अर्ध तैयार माल का यह उपभोक्ता है।

भारत अफ्रीका की इन वस्तुओं का ग्राहक है—कपास, तावा, शिला, फास्फेट, काजू, वनस्पति, रग।

निर्यात संवर्धन नीतियाँ

१९६६ में रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने की नीतियों में बड़े-बड़े परिवर्तन किये गये। तभी से सरकार का उद्देश्य यह रहा है कि उस समय दिये गये प्रोत्साहनों के ढाँचे को बनाये रखा जाय और उसमें कम से कम और आवश्यक परिवर्तन किये जाएँ।

इस वर्ष निर्यात-संवर्धन नीतियों में जो परिवर्तन किये गये उनमें से कुछ ये हैं नकद सहायता में वृद्धि, निर्यात के लिए ऋण-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, कुछ चुनी हुई निर्यातयोग्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर देगी कच्चे माल की व्यवस्था करना और शुल्कों में घट वृद्ध करना।

लोहे और इस्पात, इजीनियरी की वस्तुओं और रासायनिक पदार्थों तथा कुछ अन्य वस्तुओं के संवर्धन में, जिनमें प्लास्टिक का सामान, कागज से बनी चीजें और खेलों का सामान शामिल है, उनके निर्यात के "जहाज तक निःशुल्क" मूल्य के १० से २० प्रतिशत तक की दर से नकद सहायता दी जाती थी। चीनी के निर्यात के लिए भी नकद सहायता दी जाती थी। इस वर्ष कई वस्तुओं के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता की दरें भी बढ़ा दी गयीं। उन वस्तुओं की एक अलग श्रेणी बनायी गई, जिन्हें २५ प्रतिशत तक सहायता दी जा सकती थी, इस श्रेणी में विजली से चलने वाले पम्प, वाइसिकले और उनके हिस्से और इस्पात की बनी विभिन्न चीजें शामिल की गयीं। बहुत-सी वे वस्तुओं, जैसे डीजल से चलने वाले पम्पों, विजली के केबुली, विभिन्न रासायनिक पदार्थों, परिरक्षित गन्ध पदार्थों

घादि को पहली बार मंगलदा ना मांग वस्तुधा म सामित किया गया। यह मंगल वृत्त निर्यात के ११ प्रतिगत भाग के सम्बन्ध म ११ महापना ली जाता है जबकि दूसरी गुणा म १६६६ ६७ म यह प्रतिगत = ३ था। १६६६ ६७ म निर्यात के सम्बन्ध म २६७ मांग हाथ की नए महापना ली गयी जबकि उमर बा के राजमय पर म मन्वर १६७७ म ६५० मांग हाथ की राजमहापना दी गयी।

हाथ के धनमूल्या के बा निर्यात की उा के परम्परागत वस्तुधा पर जिनकी मांग विदना म गर लचीनी थी या जिन्की मागार्द की स्थिति लभीना गही थी या जिन पर य दाना बाते लागू हानी थी निर्यात तुल्क मगाय मय। निर्यात तुल्क मगाय का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक शर्तों की रक्षा करना और विदेशी बीमा की एगो गिरावट के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हाति से बचना था या निर्यात की वृद्धि के बराबर न हो। तबिन जसा कि नए महापना के मामल म किया जाता है मडिया का स्थिति पर निगाह रखी गयी और वर्ष के दौरान नियाय तुल्का म कुछ कमी करता जरूरी हा गया। १६६७ ६८ के बजट म हसियन बारिया (मरिग) और जूट म बती धन्य पीसा के नियाय तुल्क म कमी की गयी। धन्य के उत्पादन तुल्क म वृद्धि करने के माय-माय निर्यात माह म २४ पर प्रति किलो की कमी की गयी और निर्यात मन्का के डार का मुक्तिमगत बापा गया। वष के दौरान धन्य वस्तुधा के निर्यात मल्ल म विपयत का साट और मंगनीज पर लग तुल्को म भी कमी की गयी। इस समय जिन वस्तुधा के निर्यात पर मन्क मगा है वे निर्यात की जाने वाली कुल वस्तुधा का ६० प्रतिगत है।

इस वष निर्यात के लिए ऋण देने की व्यवस्था की मुद्द करने के महत्वपूर्ण उपाय किय गये। रिजर्व बक ने बको की हिंसायन दी कि वे ऋण म कमी करते समय निर्यातका को स्थि जाने बा न ऋण म कमी न करें। मगस्त १६६७ म रिजर्व बक ने दूजीनियरी और घातुबमक वस्तुधो के निर्यातको को वाणिज्यिक बका द्वारा जहाज पर लदान म पहन स्थि जाने वाले ऋण की पुनर्वित्तव्यवस्था के लिए ४॥ प्रतिगत बटटे की तरजीही दर निर्यात की। इसके साथ ही बका के लिए यह जरूरी था कि व इस प्रकार के ऋण के लिए ६ प्रतिगत से अधिक व्याज न लें। यह व्यवस्था की गयी कि पुनर्वित्तव्यवस्था का लाभ चाहे किसी बक द्वारा ही क्यों न उठाया जाय ६ प्रतिगत की अधिकतम दर तर भी लागू होगी। जहा तक धन्य वस्तुधा के निर्यातका को जहाज पर मान के लदान से पहन दिय जान बा न ऋण और जहाज पर मान के लदान के बाद की मुद्ती हुनिया का सम्बन्ध है विदेशी मुद्रा की वृद्धि सहित पुनर्वित्त की सुविधा की व्यवस्था ६ प्रतिगत की दर से की गयी और बका से कहा गया कि वे इस प्रकार के ऋणो के लिए ८ प्रतिगत से अधिक व्याज न लें। इन परिवर्तनो के परिणामस्वरूप निर्यातका के लिए ऋण के लान म कमी हो गयी। चूकि रिजर्व बक द्वारा पुनर्वित्त इस सुविधा की मांग करने वाले बक को उसकी नकदी और नकदी जसी धन्य परिसम्पत्तियो की वास्तविक स्थिति का ध्यान रख बिना ही दिया जाता है इसलिए इसके साथ साथ ऋणा की उपलब्धि उगारता से होने लगी। इसके मलावा चूकि पहले की किसी निर्दिष्ट आधार अवधि की तुलना मे इस प्रकार के पुनर्वित्त की वद्धि को नकदी और नकदी जसी वास्तविक परिसम्पत्ति की सीमा म कमी करने के लिए हिसाब म नहीं लिया जाना था इसलिए धन्य व्यवस्था के धन्य क्षमा को मितने वाले ऋणा की उपेक्षा करने निर्यात के लिए दिय जाने वाले ऋणा मे वद्धि नहा की जायगी।

निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋणों की सुविधा को व्यवस्था करने के काम को और भी आगे बढ़ाया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उत्पादक वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋण इस शर्त पर दिया करता था कि ऋणों की अवधि ५ वर्ष से अधिक न हो। अगस्त १९६७ में इस सुविधा को और भी उदार बनाया गया। पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में उपयुक्त मामलों में अधिकतम अवधि को बढ़ाकर ७ वर्ष और असामान्य रूप से उपयुक्त मामलों में अधिकतम अवधि को बढ़ाकर १० वर्ष कर दिया गया। उत्पादक वस्तुओं के लिए दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम अवधि ५ वर्ष ही रही, हालांकि इस बात की व्यवस्था की गयी कि ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि उन मामलों में, जहाँ उपकरणों की पूर्ति किसी बड़ी प्रायोजना को क्रियान्वित करने के पूरे ठेके का एक भाग हो, अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस सुविधा की सीमा और भी बढ़ा दी गयी ताकि विदेशों में भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा भारतीय उपकरणों, माल और सेवाओं आदि की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली प्रायोजनाओं के कुल निर्माण-व्यय की वित्त-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी यह सुविधा दी जा सके। दरमियानी अवधि के ऋणों के व्याज की दरों के ढाँचे को युक्तिसंगत बना कर ४% प्रतिशत की समान दर की व्यवस्था की गयी लेकिन यह दर औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त मागने वाली वित्त-व्यवस्था करने वाली उन संस्थाओं के लिए थी, जो निर्यातकों से स्वयं ६ प्रतिशत से अधिक व्याज न लें।

राजकीय व्यापार

राज्य व्यापार-निगम

मई १९५६ में पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। निगम का प्रमुख कार्य देश की सुरक्षित विदेशी राशियों पर भार डाले बिना नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करके भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि करना है। निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने और भारत की परम्परागत तथा परम्परागत-भिन्न निर्यात-वस्तुओं के लिए नई मंडियाँ ढूँढने का भी यत्न कर रहा है। इसने भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बदले में आवश्यक पूंजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मगाने के सम्बन्ध में कुछ देशों के साथ व्यवस्था की है। निगम ने मुख्य कच्ची सामग्री के उचित वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर पर रखे जा सकें। इन वस्तुओं में कास्टिक सोडा, सोडा ऐश पारा, समाचारपत्र-कागज, कपूर, रंग-सामग्री आदि सम्मिलित हैं। आयात की मात्रा तथा समय इस प्रकार निश्चित किए गए हैं कि उपलब्धि में वार-वार बाधा न आए। लघु तथा मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए १९६२ में एक आदर्श 'लघु उद्योग-निर्यात-सहायता-योजना' आरम्भ की गई।

१९६६ के पहले १० महीनों में सरकारी व्यापार-निगम ने ६५ करोड़ ४३ लाख रुपये के कुल मूल्य का व्यापार किया। इसमें २० करोड़ ८९ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात-व्यापार भी शामिल है। इसके अलावा रूस को थ्रमोस वोल्टो तथा पेण्ट करने के ब्रुशों को, गयाना को विजली के सामान, इस्पात के बने फर्नीचर, रेजर-ब्लेडों तथा फिल्म-प्रोजेक्टरों का, सीरिया को साइकिलों तथा सिलार्ड-मशीनों का, अमेरिका को चमटे के जूते, चप्पलों का, ईराक

PURE WHITE SUGAR*Today*

RAMNUGGER is contributing largely to the Nation's needs for SUGAR

RAMNUGGER Cane plantations are situated near the historic battlefields of PLASSEY West Bengal where intensive research ceaselessly continues for cultivation of thick luxuriant cane for manufacturing SUGAR. RAMNUGGER has skilled and experienced technicians and the most up to date machinery to keep the flow continuous from cane to the finest quality SUGAR.

Ramnugger Cane & Sugar Company Limited

Managing Agents

ANDERSON WRIGHT LIMITED
7 WELLESLEY PLACE CALCUTTA 1

Telegram RUBBER

Telephone Nos

Office 406

Factory Office 360

Residence

{ Managing Director 219

{ Technical Director 218

THE NATIONAL INDIA RUBBER WORKS LIMITED

Registered Office KATNI (M P) (INDIA)

Customer's Specification and Drawing

LOBBIE RUBBER PRODUCTS Made

Telephone 630

Telegram FILTER

With Best Compliments from

CENTRAL INDIA FLOUR MILLS

(Proprietors The Wallace Flour Mills Co Ltd)

BHOPAL

Manufacturers of

SOOJI, RAWA, Maida, Atta, Bran

UNDER CAMEL BRAND

The Brand that shows Purity

With best compliments of

22 7131

Phone 22 7132

22 0809

ASHOKA GLASS WORKS

9 Ezra Street,
CALCUTTA 1

Show Room 5, Lucas Lane, Calcutta 1

Phone 33 5069

Factory 189 Girish Ghose Road, Belur Howrah

Phone 66 3255

Madhya Pradesh Electricity Board

O F F E R S

POWER ≡ in ample measure

FOR YOUR INDUSTRIES

OVER ITS EXTENSIVE 220/132 k.v.
GRID, ONE OF THE LARGEST IN
THE COUNTRY, CAPABLE OF
DELIVERING POWER IN ANY
PART OF THE STATE

INSTALLED CAPACITY

Thermal 540 m w.

Hydel 143 m w.

Centrally Situated MADHYA PRADESH
is Ideal for Location of industries.

IT HAS A VARIETY OF MINERALS
RICH FORESTS, AND

FERTILE LANDS, providing
Raw MATERIALS in abundance

Again MADHYA PRADESH

is one of the few States in
India which has no CONTROLS
or RESTRICTIONS on Supply
and consumption of POWER.

*Locate Your Industries in
Madhya Pradesh*

POST BOX 34

H.O. JABALPUR { Tele Gram ELECBOARD
Phone PBX 10 lines

With the best compliments from

SATNA CEMENT WORKS

SATNA (M P)

AND

BIRLA CEMENT WORKS,

CHITTORGARH (Raj)

(Pro BIRLA JUTE MANUFACTURING CO LTD ,

15, India Exchange Place,

Calcutta 1)

Gram Chromate

Phone 24 5151 24 6255

SALES & INDUSTRIES (P) LTD

P 37 C I T Toad Scheme 52

CALCUTTA 14

Manufacturers Representatives

for

Raw Materials

for

Leather Paints Rubber Plastics

SOAP PRINTING INK WOOD

Preservative etc industries

For your requirements of

**HEAVY CHEMICALS OF PAPER FANNING GLASS
AND TEXTILE INDUSTRIES**

Please contact

RAVI CHEMICALS PRIVATE LIMITED

Branch Office

104A/229 Rim Bagh

KANPUR U P

Phone 38443

Registered Office

139/1 Anand Palit Road

Calcutta 14

Post Box No 11221

Phone 24 2409

Gram SULPHIDE

For Supply and Erection
Of
Pumping Plants of All Types
CONTACT
TRADING ENGINEERS

3/4, ASAF ALI ROAD,
 NEW DELHI-1.

PHONES .

Office : 272251, 272252, 272750

Show Room : 264275

Service Deptt : 264575

ITEMS AND AGENCIES HANDLED

1. Jyoti Calor-Emag Limited, Baroda
2. Jyoti Limited, Baroda
3. Indian National diesel Engine Co. Ltd., Calcutta
4. New Precision (India) Pvt. Ltd., Dewas, M.P.
5. Cummins Diesel Sales & Service (India) Pvt Ltd , Poona
6. Garware Plastic Pvt. Ltd , Bombay
7. British Electrical & Pumps Pvt. Ltd , Calcutta
8. National Hydraulics, Saharanpur
9. J. Stone & Co. India Pvt Ltd., Calcutta
10. The Omega Insulated Cable (India) Ltd , Madras
11. Sayaji Iron & Engineering Co. Pvt Ltd , Baroda.

Bihar State Electricity Board At Your Service

	Upto 1960-61 (end of Second Plan)	Upto 1965 66 (end of Third Plan)	Upto 1967 68
Generation	19 MW	59 MW	153 MW
Transmission 132 kV & above	Nil	964 KM	1 187 KM
Distribution			
33 & 11 kV	11 742 KM	18 855 KM	24 800 KM*
400 volts & below	5 930 KM	11 545 KM	20 878 KM*
Pumps energised	3 135	10 556	40 375
Towns & Villages electrified	2 475	3 990	6 626*

(*PROVISIONAL)

EFFICIENCY IN POWER SUPPLY IS OUR WATCHWORD

Issued by Bihar State Electricity Board Patna

UNIVERSAL CABLES LTD ,

SATNA (M P)

Manufacturers of

Paper insulated mass impregnating non draining cables
Thermoplastic cables Control cables Railway signalling
cables Mining cables and cables for every industry

High tension power capacitors Low tension power capacitors for
fans lights and motors

Gramsci Cable Satna

सिंचाई और बिजली

भारत में सर्वत्र एक समान वर्षा नहीं होती। असम में ४६० इंच वर्षा होती है तो राजस्थान की मरुभूमि में केवल तीन इंच। देश भर में औसत वर्षा ४६ इंच होती है। भारतीय खेती यदि आज देश की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है तो इसका कारण खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी का नहीं मिलना है।

जल स्रोत—भारत का जलस्रोत पूर्वानुमान के अनुसार १६७५ अरब घनमीटर है। इनमें से ५५ अरब घ० मी० पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। १९५१ तक सिंचाई के लिए लगभग ९३ अरब घ० मी० पानी का उपयोग किया गया। भारत में कुल खेती का १६ प्रतिशत सिंचित है। सिंचित क्षेत्र के ८० प्रतिशत में अन्न बोया जाता है। योजनाओं के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, उसका लाभ नकदी फसलों को मिला है। औसत ५ एकड़ में से दो एकड़ जमीन को नहर से, एक एकड़ को ताल-तलैया से तथा बाकी को कुआ या अन्य स्रोतों से पानी मिलता है।

१९६०-६१ के अंत में स्थिति यह थी कि १४७९ करोड़ क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग किया जाने वाला था। यह व्यवहार्य प्रवाह का २७ प्रतिशत और वार्षिक प्रवाह का ८६ प्रतिशत था। तीसरी योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में ४९३ करोड़ क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई। इस तरह उपयोग्य जल प्रवाह के ३६ प्रतिशत का १९६५-६६ के बाद उपयोग होने लगेगा। मार्च ६८ तक २१० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि जल मिलने लगेगा।

नया काम, नई नीति—साधारण नदी प्रवाह को नहर में बदलने का काम लगभग समाप्त हो गया है। अतः सिंचाई की नई योजनाओं का लक्ष्य नदी पर बाध बाधने और वर्षाकालीन अतिरिक्त पानी को संचित करके सूखे मासों में उपयोग करना है। उन क्षेत्रों में जहाँ प्रवाह सिंचाई के उपयुक्त नहीं है, छोटी सिंचाई के काम प्रारम्भ किये गये हैं। देश में कुल ७०० लाख एकड़ जमीन सिंचित है। देश में प्रथम योजना से अब तक ५०० बड़ी मध्यम सिंचाई-योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं, जिनके पूरा होने पर कुल ४४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। तीसरी योजना के अन्त तक इनमें से २५० योजनाएँ पूरी हो चुकी थीं।

मंत्रालय—सिंचाई और बिजली मंत्रालय की स्थापना १९५२ में हुई। जल और बिजली की राष्ट्रीय नीति का निर्माण करने के अतिरिक्त सिंचाई और बिजली मंत्रालय निम्न काम करता है

- १ राज्य सरकारों को वित्तीय व प्राविधिक सहायता देना।
- २ अन्तरराज्यीय नदियों और नदी-घाटियों का नियमन और विकास।
- ३ नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़-नियंत्रण के कामों में अनुसंधान।

- ४ विजली में व्यापारिक राज ।
- ५ सिंचाई परिकल्पना और विजला विभाग का निराकरण व परीक्षण ।
- ६ राज्य सरकारों की योजनाओं का परीक्षा करना ।
- ७ जन सहायता व सरक्षण नियमन और अव्ययण मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को हल करना ।
- ८ विदेशी विनियम और विदेशी सामग्रियों का आयात ।
- ९ सिंधु जल संधि का क्रियावयन ।

सिंधु जल-संधि १९६०—सिंधु नदी का किनासा पानी भारत और पाकिस्तान में इसका निर्यात इस संधि के द्वारा किया गया है । १९ मितम्बर का इस संधि पर पर हस्ताक्षर किया गया । इस काय की देख रेख के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई । संधि के अनुच्छेद के अनुसार भारत पाकिस्तान को दस बिस्तर देगा । कम से कम बिस्तर भारत ने बिस्तर बक के द्वारा पाकिस्तान को दे दी है । इसकी आवा किन्त नवम्बर १९६७ में दी गई । यह किन्त ६२ लाख पीपल की थी ।

केन्द्रीय सिंचाई व विद्युत परिषद—यह अनुसंधान और अव्ययण सस्था है । इसकी स्थापना १९२७ में हुई ।

यह २१ अनुसंधान केन्द्रों के मध्य एकीकरण और एकसूत्रता स्थापित करता है ।

केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग—यह आयोग बहुमुखी नदी विकास योजनाओं को गुरु करने के लिए उत्तरदायी है । साथ ही विद्युत व विकास प्रपण और उपयोग की व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है । विजली के प्रयोग और नौकायन की भी यह व्यवस्था करता है । आयोग का एक अध्यक्ष और ६ सदस्य हैं । तीन जल विभाग और तीन विजली विभाग के सदस्य हैं ।

जन विभाग—इसका काय इस प्रकार है प्रशासन व एकीकरण जनमाग सिंचाई और नौकायन तकनीकी परीक्षा प्लांट व मशीनरी बाध नहर तट नियंत्रण सघीय प्रवेश अनुसंधान व परीक्षा बाण नियंत्रण आकल्पना जल शास्त्र और साहित्यिकी सिल्ट पानी के प्रवाह के साथ आई मिट्टी और निमाण सामग्रियों भूमि-सरक्षण तकनीक जन शक्ति और भन्नार ।

विजली विभाग—इसके काय ये हैं जन विद्युत आकल्पना ताप विद्युत प्रपण ग्राम विद्युतीकरण सघीय प्रदेश भार सर्वेक्षण और भार विकास तकनीकी परीक्षा और एकीकरण व्यावसायिक व नियोजन प्रकृति विदेशी विनियम जन विद्युत नियोजन सुपर ग्रीडसल ताप विद्युत नियोजन प्रगति मापक सेन ।

तकनीकी समिति—तकनीकी समिति का गठन योजना आयोग ने किया है । इसमें केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के भी प्रतिनिधि हैं । बाण नियंत्रण स सम्बद्ध दो इंजीनियर समिति के सलाहकार हैं । इसका कायानय दिल्ली में है । केन्द्र में यह सिंचाई और विजली के विभापना की सर्वोच्च सस्था है ।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम—इसका निर्माण इण्डियन कम्पनी एक्ट १९५७ के अधीन किया गया है । इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की सम्मिलित दो कराण का पूजा लगा हुई है । इस समय निगम का हाया म २९ कराड रु से भी अधिक की तागत के निमाण काय हैं ।

बाढ़ नियंत्रण और भूसरक्षण—कपा ऋतु में प्राय दान में जहा-तहा बाण आ जाती

है। इसके नियन्त्रण के लिए सरकार ने केन्द्रीय बाढ-नियन्त्रण सस्था की स्थापना की है। राज्यों में भी बाढ-नियन्त्रण सस्थाये हैं। १६ राज्यों में बाढ-नियन्त्रण बोर्ड है और अन्तर-राज्य स्तर पर चार नदी आयोग हैं। इनके अन्तर्गत ये नदिया हैं—ब्रह्मपुत्र, गंगा मध्य भारत की नदिया और उत्तर-पश्चिम की नदिया। जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर बाढ-नियन्त्रण परिषद् है।

सिंचाई के कुछ प्रकार

नहरो से सिंचाई—नहरे नदियों से कृत्रिम रूप से बनाये गये जलाशयों से पानी लेती है। नहरे तीन प्रकार की हैं—बाढ-जल-नहर, वारहमासी नहर और जल भण्डार नहर।

नहरो के अतिरिक्त साधनों से की गई सिंचाई को छोटी सिंचाई कहते हैं। यह तालाबों, जलाशयों, कूपों और नल कूपों आदि से की जाती है। देशी ढंग के कुएँ देश भर में हैं। उसका नाम है—सरफेस परकोलेसन वेल।

तालाब और जलाशय—नदी की धारा पर बाध बनाकर उभला वेसिन जल-संचय के वास्ते बनाया जाता है।

बाढ-सिंचाई—यह छोटी सिंचाई का एक स्रोत है। वरमात के मौसम में नदी का जल खेत में दूर तक फैल जाता है। पानी नदी की साधारण सतह से कई इंच ऊपर पहुँच जाता है। बाढ का पानी जमीन लेती है जिससे आर्द्रता बनी रहती है। यह आर्द्रता खेती में मदद देती है। रबी की फसल में इससे सहारा मिलता है।

नलकूप—यांत्रिक पंपों की सहायता से भूगर्भगत पानी को ऊपर लाया जाता है।

उत्पादक—इस प्रकार सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता ऋण के रूप में अकाल कोष अनुदान में से दी जाती है। यह उन योजनाओं के लिए दी जाती है जिनसे आशा होती है कि दिया गया धन (काम पर किया गया व्यय) १० वर्ष बाद व्याज सहित आ जाय।

बाध और बाजार—जल-संग्रह के लिए नदी के धारा प्रवाह के आरंभ पर बाध बनाया जाता है। बराज भी एक प्रकार का बाध है किन्तु यह उपयोग और आकार की दृष्टि से बाध में छोटा होता है। इसे फाटक बाध कहते हैं।

अनुसंधान—सिंचाई और विजली की परिकल्पनाओं पर पर्याप्त अन्वेषण-कार्य हुआ है।

प्लावन-मूलिका व निर्माण सामग्री निदेशालय (सिल्ट एण्ड कन्ट्रक्शन मेटेरियल डायरेक्टोरेट)—यह सर्वेक्षण, अनुसंधान और सिल्ट तथा निर्माण विषयक सामग्रियों का संग्रह करता है। इस निदेशालय के चार स्कंध हैं

१. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना—केन्द्र ने जनवरी, १९६६ में (२२ से २६ तक) अपनी स्वर्ण-जयन्ती मनाई। यह बाढ-नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण, सिंचाई व विजली परिकल्पनाये, पुलों, बन्दरगाहों, जहाज-निर्माण आदि की आकल्पनाओं को तैयार करने का काम करता है।

२. विद्युत अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर—यह १९६०-६१ में काम कर रहा है। यहाँ विद्युत अभियन्त्रणा में व्यावहारिक अनुसंधान की सुविधाये हैं। भोपाल में भी इसकी शाखा है।

मसूर

तुगभद्रा योजना—यह बाध और मसूर राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस पर अनुमानित व्यय ६६ ७३ करोड़ रुपये होगा। तुगभद्रा नदी पर एक बाध सिंचाई के वास्ते बन गया है। इसके बाये तट स नहर की लम्बाई २०३ किलोमीटर होगी। इस पर बिजली घर भी होगा। इसके दाहिने ३४७ किलोमीटर लम्बी निम्न सतही पर नहर होगी। यहां दो बिजली घर होंगे। साथ ही यही पर उच्च सतही नहर भी होगी जो १६५ किलोमीटर लम्बी होगी। इससे ४ लाख ८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १०८ किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

अब तक निम्नलिखित काम पूरे हो चुके हैं

मुख्य बाध हाम्दी में तथा बाध के मध्य दो बिजली घर (प्रत्येक में ६६ हजार किलोवाट की क्षमता की चार यूनिटें हैं)। बायीं ओर का बिजली घर (जिसमें ६६ हजार किलोवाट की तीन यूनिटें हैं)।

तुगभद्रा उच्च सतही नहर योजना के प्रथम चरण के व्यय का अनुमान १६ ५ करोड़ रुपये है।

तुगभद्रा पन बिजली प्रणाली की प्रतिष्ठित क्षमता ६६ मेगावाट होगी जिसमें से ७२ मेगावाट तुगभद्रा योजना बोर्ड के अधीन और २७ मेगावाट मसूर सरकार के अधीन होगी।

उडीसा

हीराकुंड बाध परियोजना—६७ ८२ करोड़ रुपये की हीराकुंड बाध परियोजना पूरी हो गई है। १ अप्रैल १९६० से इस पर उडीसा सरकार का नियंत्रण है। इस योजना से ६३ लाख एकड़ जमीन को पानी दिया गया है।

महानदी डल्टा सिंचाई योजना—यह योजना हीराकुंड बाध परियोजना के प्रथम चरण का भाग मानी जाती है। यह योजना ३४ ३४ करोड़ की है। हीराकुंड बाध से छोड़ पानी को संचित करने के लिए महानदी की धारा को भिन्न भिन्न दिशा में माड़कर बीयर बनाया जायगा। इससे कटक और पुरी जिनमें १६ १ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। परियोजना १९६६ ७० तक पूरी होगी।

पंजाब

व्यास परियोजना—सिंधु जन करार के कारण इस नई योजना की आवश्यकता हुई है। पाकिस्तान की चार नदियां—रावी से नहर सिंधु तक के सम्पूर्ण प्रवाह पर अविचार इनके बाद राजस्थान को पानी देने के लिए यह योजना बनाई गई। योजना के दो भाग हैं—'यास सतलज लिंक' और व्यास नदी पर पाण्डे बाध बाधना। परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान की सरकारों का संयुक्त प्रयास है। परियोजना पनबिजली और सिंचाई दोनों की है। इसमें पंजाब व हरियाणा क्षेत्र को पानी मिलेगा। पन्नेह में ६४ मीटर ऊंचा बाध बनाया जायगा। दहर में बिजली का प्लांट लगाया जायगा। इसमें चार यूनिटें होंगी। प्रत्येक १६५ मेगावाट की होगी। व्यास परियोजना नहुला की कुल स्थापित क्षमता

१०१६ मेगावाट होगी। उसका विवरण यो है	देहर विजली प्लाट प्रत्येक १६५ यूनिट की
कुल ६६० मेगावाट पांच बाघ विजली प्लाट प्रत्येक ६० यूनिट की—	कुल २४० " "
भाखड़ा दक्षिण तट पर विजली घर—	११६ " "
	कुल=१०१६ " "

इस विशाल परिमाण में उत्पन्न विजली का लाभ दिल्ली को भी मिलेगा तथा हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा।

देहर और पोंग पर के विजली प्लाटों की क्षमता और बढ़ाने की भी योजना है। १९६२ से इस योजना का कार्य चालू है। यह योजना ६६६७ करोड़ रु० की है। यह परियोजना १९७१-७२ तक पूरी हो जायगी।

पोंग बाघ—मुकेरिया से २४ मील दूर पोंग गाव के निकट व्यास नदी पर यह बाघ बनाया जायगा। पोंग गाव के पास ११६ मीटर ऊँचाई पर मिट्टी पत्थर का बाघ बनाया जायगा। राजस्थान नहर को पूरे वर्ष भर पानी मिलता रहे, इस दृष्टि से यहाँ एक जलाशय निर्मित किया जायगा। यहाँ २४० मेगावाट की स्थानीय क्षमता का विजली प्लाट बनाया जायगा। दो सौ प्रतिशत भार पर इसकी स्थाई क्षमता ७५ मेगावाट की होगी। इस परियोजना पर अनुमानत २११ करोड़ रु० व्यय होंगे। व्यास बाघ का निर्माण तेजी से चल रहा है। पाच व्यवर्तन मुरगो में से दो का काम पूरा हो गया है। इनको पक्का किया जा रहा है। स्टिलिंग बेसिन को भी पक्का किया जा रहा है। मलवाड़ा और बाघ स्थान के मध्य रेल लाइन तैयार हो रही है। पोंग बाघ के १९७०-७१ तक पूरा होने की आशा नहीं है।

इस योजना के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था से ३२० लाख डालर तथा विश्व बैंक में २३० लाख डालर लेने की बातचीत चल रही है। विदेशी विनिमय का सकट इससे दूर हो जाने की आशा है।

भाखड़ा-नगल परियोजना—इस परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। ७४० फुट ऊँचा भाखड़ा बाघ २२ अक्टूबर, १९६३ को स्थापित किया गया था। बाघ के वाम तट पर विजली घर से मजदूर सब काम १९६४-६५ में पूरे हो गये।

इस परियोजना का विजली का प्लाट ६०४ मेगावाट क्षमता का है। नगल खाद कारखाना और दिल्ली को यहाँ से विजली मिलती है। हिमाचल प्रदेश को भी विजली मिलेगी। राजस्थान एव हरियाणा-पंजाब के मध्य २२१५ के अनुपात से विजली मिलेगी। इसमें अब परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। पंजाब के विभाजन ने व्यास परियोजना के स्वत्वाधिकारियों में भी परिवर्तन अनिवार्य कर दिया है।

भाखड़ा दक्षिण तट परिकल्पना—भाखड़ा-नगल योजना का एक भाग होने पर भी यह परिकल्पना इस समय उसमें अलग है। इसके अंतर्गत ये काम हो रहे हैं

१ वोल्टा वर्धक केन्द्रों और विजली घर का निर्माण हो रहा है। विजली घर में पाच उत्पादन यूनिटें होगी जो प्रत्येक १२० मेगावाट की होगी।

२ वाम तट और दक्षिण तट के विजली घरों को मिलाने के वास्ते २२० किलोवाट का ६१५ मीटर लम्बा दुहरा परिवृत वाला पारेपण पथ।

३ सगसर की राह भाखड़ा से दिल्ली तक २२० किलोवाट की ४५६ किलोमीटर वाला एकाकी परिवृत का पारेपण पथ और आवश्यक उपकेन्द्र।

ताप विजनी घर स ६.५ म वा० विजली पदा होगी । कोनार को छोडकर प्रत्येक बाघ क साय १ ४ मेगावाट की क्षमता वाल विजली घर बनाने की योजना है ।

तिरया बाघ—हजारीबाग जिल म यह बाघ कोडरमा रेलवे स्टेगन से १२ मील दूर है । यह क्वरीट बाघ है । इसक दोना और मिटटी का काम है । यह १२०० फुट नम्या और ६० फुट ऊचा है । इसके जलाशय से ५२०००० एक्ड फुट पानी सचित हो सकता है ।

कोनार बाघ—हजारीबाग जिने म स्थित इस बाघ से २७५००० एक्ड फुट पानी जमा हा सकता है । इसका जल विस्तार १०२ बग मील तक है । इसके दोना बागुआ म मिट्टी का तटबंध है । इसकी लम्बाई ११६३६ फुट है । यह १६६४ म बनकर तयार हुआ है ।

मयन बाघ—घासनसोल रेलवे स्टेगन से यह १६ मील दूरी पर स्थित है । यह बाघ बना कर क नदी पर बनाया गया है । इसका उपप्लव भाग (स्पिन व) क्वरीट का है तथा ६१२ फुट लम्बा है किन्तु बाघ मिटटी का है । यहा एक विजली घर है जिसकी क्षमता ६ ० किनावाट की है । इसक दोना और १४४ २ फुट लम्बा मिटटी का डाइक है ।

पचेटहिल बाघ—यह घनबाट जिने म है तथा दामाटर नदी पर बनाया गया है । दामाटर घाटा म यह सभस बना बाघ है । मिटटी का बना यह बाघ ७१३५ फुट नम्या और १ ४ फुट उचा है । यह बाघ मुख्यत बाट को रोकने और विजनी पदा करने के लिए बनाया गया है । इसका उपप्लव भाग (स्पिन व) क्वरीट का बना हुआ है और १०१५ फुट लम्बा है । इसकी डाइक १३८ ५ फुट है । यहा १२२४००० एक्ड फुट पानी जमा हा सकता है । विजनी घर स ४ हजार किनावाट विजली पदा होगी । इस बाघ का उत्पादन निम्न्यर १६५६ म किया गया ।

दुर्गापुर बराज—यह दुर्गापुर रेलवे स्टेगन से एक मान तथा घासनसोल स २५ मील दूर दामाटर नदी पर बना हुआ है । यह २८७१ फुट नम्या और ५८ फुट ऊचा है । इसका उत्पादन क्षमता १६५५ म तथा इसकी बामतत की दूर ८५ मील तक नीला नयन क बाघ है । यह कवरत्ता और रानीगज क कायता धर क मध्य क्वलिक भाग बनानी है ।

बासारी ताप विजली घर—कानार् बाघ क नाच १२ मील दूर हजारीबाग जिने म स्थित है । यहा म फरवरा १६५५ स विजनी का जान गया । यह १६५००० किनावाट विजली पदा करता है । यहा स उत्पन्न विजली जमशपुर का इस्पात कारखाना हांगपुर का ताप का गाने और घाटातिया का कायता की गाने नती है । घामनमोन जिने म धार कवरत्ता क भाग-भाग क उद्यागा का भा यहा म विजनी मिलती है । जमशपुर का ताप का गाने कारखाना का यहा म प्रतिष्ठित विजली मिलता है । सीमा और यहा ताप कारखाने का यहा स विजली पदा है ।

दुर्गापुर ताप विजली घर—यह मयन तथा दामता १५० ०० किनावाट है तथा यह १५ क्वरीट ताप कायता कायता है ।

घांगपुर ताप विजली स्टेगन—यह घांगपुर का ७५ प्रतिशत काम पूरा हो गया है ।

घांगपुर ताप विजली स्टेगन का काम सम्पन्न पूरा हा गया है । यह प्रथम का भार विजली १६ मयन कारखाने का किया गया है ।

फरक्का बराज परियोजना—उम परियोजना का उद्देश्य कलकत्ता के बन्दरगाहों को सुरक्षित बनाना और हुगली नदी में नौका नयन की सुविधा को बढ़ाना तथा कायम रखना है। फरक्का में भागीरथी पर बराज बनाया जायेगा। उस पर रेल मार्ग और मडक़ दोनो रहेंगे। पाकिस्तान अब तक इसका विरोध करता रहा है जिसके कारण इसके पूरे होने में अधिक विलम्ब हुआ है। बराज बनाने के साथ-साथ पूरक नहरें भी बनाई जायेगी। फरक्का बराज कंट्रोल बोर्ड की स्थापना अप्रैल, १९६१ में की गई।

मयूराक्षी परियोजना—यह लघु सिंचाई परियोजना है। इस पर २० ४६ लाख रुपये व्यय होंगे। इसके साथ ४००० किलोवाट क्षमता का विजली घर भी है। सूरी से २० मील उत्तर-पश्चिम मोसनजूरी में यह योजना निर्मित है। सूरी के समीप तिलपुरा में बराज बनाने के साथ १९५० में पहला चरण समाप्त हो गया। यह १५५ फुट ऊंचा है और २१०० फुट लम्बा है। यह १९५५ में पूरा हुआ। नहर से ६१ लाख एकड़ की सिंचाई की जाती है।
आन्ध्र प्रदेश

नागार्जुन सागर—नदी कोडा (नलगाव जिला) गाव के पास कृष्ण नदी पर ३६० फुट ऊंचा चूने-पत्थर का बांध बनाया गया है। बांध के दोनों ओर नहरें हैं। इसका जल विस्तार ७३ ६६ वर्गमील होगा।

परियोजना पर अनुमानित लागत १६० करोड़ रु० की है। बांध और नहर का निर्माण कार्य १९७०-७१ में पूरा होने की आशा है। पूर्ण होने पर इससे २२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मार्च ६८ तक इस योजना पर १३२७ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

कलकत्ता बन्दरगाह परियोजना—हुगली नदी में बड़ी मात्रा में रेल आने से कलकत्ता बन्दरगाह को खतरा उपस्थित हो गया है। अतः गंगा बराज बनाने की योजना हुई जिसके अंतर्गत ये निर्माण कार्य हैं (१) फरक्का में गंगा के आरपार बराज (२) जगीपुर (मुर्शिदाबाद) में भागीरथी पर एक बराज (३) गंगा बराज के दक्षिणी तट से पानी लेने वाली नहर का निर्माण जो जगीपुर बराज में जाकर भागीरथी में मिल जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता बन्दरगाह और हुगली-भागीरथी की रक्षा करना है। किंतु इसके साथ अनेक आनु-सांगिक लाभ भी होंगे। कलकत्ता की जल पूर्ति और मोरी प्रणाली में सुधार होगा।

यह परियोजना कोलम्बो योजना के अंतर्गत कनाडियन सरकार की सहायता से बनाई जा रही है।

मद्रास

कूडा जल विद्युत योजना—मद्रास राज्य की अब तक की योजनाओं में यह सबसे बड़ी योजना है। दो चरण पूरे हो चुके हैं। दो विजली घर बनकर तैयार हो गये हैं। शेष दो चरणों में और दो विजली घर बनाये जायेंगे। यह परियोजना भी कोलम्बो योजना के अंतर्गत कनाडियन सरकार की सहायता से बनाई जा रही है।

मैसूर

अपर कृष्णा परियोजना—गुलबर्ग जिले में नरवान पुर के पास कृष्णा नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है। उसका उपप्लव मार्ग पत्थर का होगा। बांध १२७.५ फुट ऊंचा है और २४२०० फुट लम्बा है। यहाँ से दो नहरें भी निकाली जायेंगी। इस पर

५६ करोड़ १० लक्ष होगा। मात्र ६८ तक २१ करोड़ १० लक्ष हा चुका है।

वरल

पेरियार घाटी योजना—इस योजना में जिस पर ६ करोड़ ४० लाख रुपये व्यय हान का अनुमान है अन्वय के समाप परियार नदा पर २१० ६२ मीटर लम्बा बाँध बनाया जायगा। इस बाध से निकलने वाली २६ किलोमीटर लम्बी नहर से ४१ ०० हेक्टेर भूमि की सिंचाई होगी। बिजनी घर मुख्य नहर और उसकी शाखाओं के निर्माण का कार्य पूरा हा चुका है। योजना आगिक रूप में चालू हो चुकी है।

बड़ी एवं मध्यम सिंचाई-योजनाएँ

	व्यय सिंचाई	व्यय वाट नियंत्रण	सिंचाई निर्मित	क्षमता उपयोग
	(करोड़ रुपये)			(लाख एकड़)
प्रथम योजना		१४	६५	३१
द्वितीय योजना	३८०	४६	११७	८३
तृतीय योजना	५८०	८७	१७५	१३५
१९६६-६७	१३०	१५	१८६	१५२
१९६७-६८	१३३ ८७	१३ ६६	२० ८६	१७ ४८
१९६८-६९	१४० २६	१२ ०४	२३ १३	१९ २८
(प्रावधान)				

चतुर्थ नियोजन में सम्मिलित सिंचाई की मुख्य परियोजनाय

चालू योजनाय	कुल व्यय (करोड़ रु म)	वर्षाय लाभ पूरा हान पर (लाख एकड़)	अनुमानित व्यय (मात्र ६८ तक)
भारतडा नामन (पञ्जाब व राजस्थान)	१०३ १८	२६००	पूरा
समाप्ति घाटी (प बंगाल व बिहार)	२६ ५३	८	२६ ४
हारार (चरण १ उभोगा)	६७ ८०	६३	पूरा
सम्बन्ध (चरण १ राजस्थान व मध्य प्रदेश)	७६ १	१६००	६६ १
नर्मदा (घाट मगूर)	११ ७६	१२१	८२ २
मन्दाकिनी (प बंगाल)	० ६६	६१	१६६
भण (मगूर)	४ ०७	० ६	२८०
बागा (विहार)	६६	१८	६१ १
नर्मदा नदी (घाट)	१ ० ०	० ०	१ ० ७
कच्छरा नदी नदी (गुजरात)	१८ ५७	५६	१७ २
नर्मदा (गुजरात)	७२ ५६	८	२८ १
गुणा (मध्य प्रदेश)	१६ ६०	१ १	१६ ०
नर्मदा (मध्य प्रदेश)	६ १६	७ ५	१ ८

नर्मदा (मध्य प्रदेश-गुजरात)	४१४१	१००	५.८
वनाम (गुजरात-राजस्थान)	१०८८	११	१२२
मूला (महाराष्ट्र)	१६११	१६	१०१
गिरना (महाराष्ट्र)	१२७५	१६	१३०
खडकवासला (महाराष्ट्र)	१६०७	०६	१४८
सलादी (उड़ीसा)	१३०८	१.५	११.२
गुडगाव नहर (हरियाणा)	५२७	२.५	४६
कसबती (पंजाब)	३६००	६.५	२०४
पेरियार घाटी (केरल)	६४०	१०	४८
वर्ना (मध्य प्रदेश)	७००	१.६	०.१
रामगंगा (उत्तर प्रदेश)	६८.००	१७१	३८४
राजस्थान नहर (राजस्थान)			
(प्रथम चरण)	७४७३	१३०	५०.५
नई योजनाये			
पोचमपाद (आंध्र प्रदेश)	४०१०	५.७	८०
कृष्णा सिंचाई योजना (महाराष्ट्र)	२७६६	२.६	०.६
भीमा सिंचाई योजना (महाराष्ट्र)	४२५८	४.७	२.६
मालप्रभा परियोजना (मैसूर)	२०००	३०	४४
तिस्ता बहुमुखी वराज परियोजना (पंजाब)	१२००८	—	—
हसदेव परियोजना वराज चरण १ (मध्य प्रदेश)	६००	कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं	६२
व्यास परियोजना (पंजाब व राजस्थान)	१०६०८	२३.५	४०.६
गण्डक नहर (उत्तर प्रदेश-बिहार)	१४१६२	३५.६	४६.८
कालडा (केरल)	१३२८	२.६	०.६

विजली

निर्मित उत्पादन क्षमता

वर्षान्त—१९५०	१९५५	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९
किलोवाट						(लक्ष्य)
(लाघ मे)	२३	३४२	५६५	१०१७	११४४	१३७७
						१५६.१०

देश की विद्युत स्थिति १९६८-६९ में मनोपजनक हो जाने की आशा है। १९६६-६७ एच ६७-६८ में देश में विद्युत का उत्पादन लक्ष्य में कम रहा। इसका कारण विदेशी सहायता मिलने में देरी, मशीनों एवं उपकरणों में कठिनाई आदि है।

तृतीय योजना के अन्त तक विद्युत विकास योजनाओं पर कुल २४०० करोड़ रुपये व्यय हुआ। प्रथम योजना में २६२ करोड़, द्वितीय योजना में ५२५ करोड़ तथा तृतीय योजना में १२६२ करोड़ रुपये व्यय किया गया। १९६६-६७ का व्यय ८६० करोड़ रुपये

तथा १९६७ ६८ का ४० ५६ करोड़ रुपया रहा। १९६८ ६९ में ३३८ करोड़ रुपया का प्रावधान है। चौथी योजना में २००० करोड़ रुपया पय होगा।

विद्युत शक्ति सर्वेक्षण—भारत सरकार ने दिसम्बर १९६२ में विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति का गठन किया इसका प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन १९६३ में प्रस्तुत हुआ। द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः मई १९६४ ६५ तथा १९६७ में प्रकाशित हुए। चतुर्थ प्रतिवेदन में देश की १९७० ७१ तक की विद्युत आवश्यकताओं का आकलन किया गया। ५वीं वार्षिक समिति अगस्त १९६७ में गठित हुई तथा यह समिति १९७२ ७४ तक की विद्युत आवश्यकताओं की अनुमान लगायेगी।

विजली उत्पादन की सम्भावना—भारत की नदियाँ के बेसिन का विजली उत्पादन की दृष्टि से अत्यन्त प्रयत्न किया गया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ६० प्रतिशत भारत पर ४१ करोड़ किलोवाट विजली उत्पादन की क्षमता है। इसका विवरण इस प्रकार है—पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिशा प्रवाही नदियाँ—४३ लाख किलोवाट दक्षिण भारत की पूर्वामुखी नदियाँ ८६ किलोवाट मध्य भारत की नदियाँ—४३ लाख किलोवाट गंगा बेसिन—४८ लाख किलोवाट ब्रह्मपुत्र गंगिपुर तिमो—१२५ लाख किलोवाट सिंध ६६ लाख किलोवाट।

भारत में विजली विकास का क्षेत्र दस प्रकार है—१ मसूर केरल पंजाब उड़ीसा जम्मू-कश्मीर मुख्यतः पनविजली २ महाराष्ट्र मद्रास आंध्रप्रदेश उत्तर प्रदेश असम मध्य प्रदेश गुजरात अशत पनविजली और अशत ताप विजली ३ बिहार पंजाब बंगाल गुजरात राजस्थान मुख्यतः ताप विजली।

संगठन—भारतीय विद्युत अधिनियम १९१६ को स्वीकार करने के बाद भारत में विजली का विकास आरम्भ हुआ। १९४८ में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य विजली के उत्पादन को व्यवस्थित रूप से तर्जो से बनाना था। इसके अन्तर्गत १९५० में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार और राज्यों में राज्य विद्युत परिषदों की स्थापना की गई। सब राज्यों में प्रादेशिक प्राधिकारों की स्थापना हो गई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के कार्य इस प्रकार हैं—

- १ एनर्जि विद्युत नीति का निर्धारण करना।
- २ राज्यों के मध्य विवाद होने पर पचास का काम करना।
- ३ विद्युत सम्बन्धी जांच करना और आवश्यक तथ्यों का संग्रह करना तथा उत्पादन का सम्भावना का पता लगाना।

४ कानून के अधीन प्राप्त जानकारी का प्रकाशन और रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिये आवश्यक सामग्री देना।

राज्य विद्युत परिषद—राज्यों का यह स्थानाय संगठन है। इनका कार्य अपने अपने क्षेत्र में विजली के उत्पादन और वितरण में एकाकरण करना विद्यमान विद्युत आपूर्ति से अतिरिक्त विद्युत प्राप्त करना मिनियमिना के साथ काम करना और उद्योगों का कार्य क्षमता बनाना है।

केन्द्रीय विद्युत परिषद—पनविजली और पनविजली अभियांत्रिकी के अनुसंधान में एकाकरण करना दस बात का काम है। यह स्वायत्तगामा मस्थान है। अनुसंधान के लिये समस्त निम्नलिखित काम करते हैं। परिषद की अपनी एक अनुसंधान समिति है। यह

पनविजली, मिंचार्ड तथा अन्य सम्बद्ध विषयो मे गवेषणा करनी है ।

क्षेत्रीय विद्युत मण्डल—पनविजली के साधनो से अधिकतम लाभ उठाने के लिये देग को पात्र क्षेत्रो मे विभक्त किया गया है । फरवरी-मार्च १९६४ मे क्षेत्रीय विद्युत मण्डल की स्थापना की गई । इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विजली का उत्पादन बढाना है । विभागी-करण इस प्रकार किया गया है—

क्षेत्रीय विद्युत मण्डल	क्षेत्र-व्याप्ति
उत्तरीय	जम्मू-कम्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर व केरल
पूर्वीय	प० बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम प्रणाली
पश्चिमी	गुजरात-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
पूर्वोत्तर	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैड

ये मण्डल मुख्यत परामर्श देने का काम करते है । इनको निम्न काम सौंपे गये है—

- १ क्षेत्र के विद्युत विकास की योजनाओं की समीक्षा करना ।
- २ क्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य-प्रणाली और नियोजन मे समग्रता और एकता कायम करना ।
- ३ क्षेत्र के विजली उत्पादक सयत्रो के अनुरक्षण कार्यक्रमो मे एकीकरण करना ।
- ४ क्षेत्र की उत्पादक एकाओ के लिए कार्य का विवरण तैयार करना ।
- ५ राज्यों के मध्य विजली के वितरण के लिए विजली की मात्रा का निश्चय करना और प्रत्येक राज्य की आवश्यकता का पता लगाना ।
- ६ क्षेत्र के भीतर विजली के विनिमय मे कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से विजली शुल्क निर्धारित करना ।

स्वामित्व—१९२५ तक विजली का उत्पादन मुख्यत निजी क्षेत्र मे था । भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० के अधीन विजली-उत्पादन के लिए लाइसेन्स लेना पडता था । १९२५ के बाद कुछ राज्यों ने विजली के उत्पादन मे हाथ बढाया । मार्च १९६६ मे निजी कंपनियो के अधिकार मे १९९ प्रतिशत प्रस्तावित क्षमता थी ।

सार्वजनिक उपयोग सस्थान (मार्च १९६४)

स्वामित्व	विजली उद्योगो की स्वामित्व के आधार पर सख्या	विजली पैदा करने की मस्थापित क्षमता (किलोवाट मे)
राज्य सरकार व राज्य		
विजली मण्डल	२३	४०६५३८८
विजली कारपोरेशन	१	५२४०००
नगरपालिकाये	५९	१३६९५८
प्राइवेट कम्पनिया	२१९	१४९४९७२
योग	३०२	६२२०४१८

देग मे विजली की माग बढ रही है । विजली के उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग है । विभिन्न वर्गों की विजली की आवश्यकता का पता निम्न तालिका मे चलता है—

शहर और गावा का विद्युतीकरण

जिनमे ३ माघ तक बिजली लगी

जनसंख्या	कुल संख्या	१९५१	१९५६	१९६१	१९६६	१९६७
१०० ००० से ऊपर	७३	४९	७३	७३	७३	७३
५० ००० से						
१०० ००० तक	१११	८८	१११	१११	१११	१११
१ ०० से ५० ०००	१२५७	५०	७१६	१०९९	१२५७	१२५७
१ ००० से नीचे	५७२७५०	३६७७	१०२४५	२६८७८	५३३८५	६१०८५
योग	५७४१९१	४३१४	१११४५	२८१६१	५४८२६	६२५२६

चौथा योजना के अंत तक ११० ००० नगरा एव गावा तक बिजली पहुंचाया जान का लक्ष्य है। कृषि कार्य के लिए दूसरी योजना के अंत तक १६ लाख पम्पा का तथा तीसरी योजना के अंत तक ५१ लाख पम्पो का बिजली दी गई। चौथी योजना के अंत तक ११८ लाख पम्पो को बिजली देने का लक्ष्य है जबकि माघ १९६८ तक ६५६ लाख पम्पा का बिजली दे दा गई।

विद्युत स्वामित्व एवं संस्थापित क्षमता

(लाख कि.वाट)

	१९५०	१९५५	१९६०-६१	१९६५-६६	१९७०-७१
					अनुमानित
सावजनिक संस्थान	६३	१५२	३३५	७३०	१७९७
कम्पनी	१०८	११८	१३६	१६५	१७९
स्वतः उत्पादक					
औद्योगिक संस्थान	५९	७२	९४	१२२	१२४
कुल	२३०	३४२	५६५	१०१७	२००
सक्षम क्षमता	१९५०	१९५५	१९६६	१९६५-६६	१९७०-७१
जन	५६	९४	१९२	४१४	७६८
ताप	१५९	२२७	३४५	५६१	११४७
सह	१५	२१	२०	१२	२७
परमाणु	—	—	—	—	१८
कुल योग	२३०	४२	५६५	१०१७	२००

पनबिजली व ताप परियोजनाएँ

घाघ्र

कोटागुदम ताप बिजली घर—घाघ्र का नम बिजली परियोजना के प्रथम चरण में ६ ६० मगावाट का नम उत्पादक मयन जापान की सहायता में तैयार किया गया है। बिजली गाना बांध समन नम पर २२९ करोड़ रुपये खर्च हुआ। कोटागुदम का दूसरे चरण में घोर नो तक ६० ६० मगावाट का तैयार जायेगा तथा पन्व का नम एकना का विस्तार किया जाएगा। पन्व चरण में अन्तराष्ट्रीय अभियोग्य तथा दूसरे चरण में विश्व बर नम सहायता मिलना है।

राममुन्दम ताप विजली केन्द्र—यह विजली परियोजना तेलगाना क्षेत्र की है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता ३७ ५ मेगावाट है। इसका विस्तार किया जा रहा है। इसमें ६२ ५ मेगावाट की उत्पादक इकाई लगाई जायगी। परियोजना का व्यय ६५ करोड़ होने की सम्भावना है। १९६६ के अन्त तक ३३ करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके लिए मशीन और साज-समान अमेरिका से आ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के दिये धन से यह परियोजना पूरी की जा रही है।

मुचकुण्ड परियोजना—यह आन्ध्र और उडीसा की संयुक्त परियोजना है। नदी मुचकुण्ड दोनों की सीमा बनाती है। इस नदी पर जलपुर में ५३ ५ मीटर ऊंचा और ४२० मीटर लम्बा बाघ तैयार किया गया है। ६ विद्युत उत्पादन एकको पर काम चालू हो गया है। प्रत्येक १७००० किलोवाट की होगी। इसके अतिरिक्त तीन एकको २१२५० किलोवाट की हैं जो काम कर रही हैं। कुल अधिष्ठापित क्षमता ११४७५० किलोवाट है।

श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना—श्रीशैलम परियोजना का अनुमानित व्यय ३८ ४८ करोड़ रु० है। नागार्जुन सागर बाघ के बीच कृष्णा नदी के ऊपरी प्रवाह पर १०५ ४ किलोमीटर की दूरी पर ११७ ५ मीटर ऊंचा और ५१४ मीटर लम्बा पत्थर का बाघ बनाया गया है। यहाँ बनाये जाने वाले विजलीघर में प्रारंभ में चार एकक (प्रत्येक ११० मेगावाट) के होंगे। यह कार्य १९७०-७१ तक पूरा होने की आशा है। पाचवी योजना में ३ और एकक चालू जायेंगे।

असम

नामरूप तापपरियोजना—लखीमपुर जिले के नामरूप में २३-२३ मेगावाट के तीन गैस-टरबाइन स्थापित किये गये हैं। इनके लिए गैस, नहरकटिया के गैस-तेल क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है। उत्तरी असम और नामरूप खाद कारखाने की जरूरतें इससे पूरी की जा रही हैं। इस पर ८ ८६ करोड़ रु० खर्च हुआ है।

बिहार

बरोनी ताप विजली परियोजना—उत्तर बिहारकी विजली की जरूरत पूरा करने के लिए बरोनी में ३० मे० वा० का ताप विजली घर १९६३-६४ में बनकर पूरा हो गया है। तेल शोधक कारखाना लगाने से इसका विस्तार करना आवश्यक हो गया। अतः और तीन एकको स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमें से १९६५-६६ में १५ मेगावाट की एक एकक चालू हो गई। शेष ५०-५० मेगावाट की दो एकक पर काम जारी है। इस योजना पर अनुमानत ६५ करोड़ ६७ लाख रुपये की लागत आयेगी।

पतरातू ताप विजली घर—पतरातू में रामगढ रेलवे स्टेशन से ४० किलोमीटर दूर विजली घर की स्थापना की गई है। यह विजली घर भारी अभियंत्रण निगम, हटिया प्रयोजना की विजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसकी अधिष्ठापित क्षमता ५०० मेगावाट की होगी इनमें से ६ यूनिट ५०-५० मेगावाट के होंगे। इनमें से २ यूनिट १९६७-६८ तक स्थापित हो चुके हैं शेष का स्थापन कार्य १९६९-७० तक पूरा हो जायेगा। ४थी योजना में विस्तार कार्यक्रम में चार और यूनिट लगाये जायेंगे। इस परियोजना की कुल लागत ५२ करोड़ ७१ लाख रुपये होगी। इसके लिए साज सामान रुस से प्राप्त हो रहा है।

मैदूर परियोजना—यह ११.८२ करोड़ की परियोजना है। योजना के अनुसार मैदूर जलाशय से सिंचाई के लिए जो २० हजार क्यूमेक जल छोड़ा जाता है, उससे पहले विजली बना कर वाद में सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा है। विजली उत्पादक चारो यूनिटे काम प्रारम्भ कर चुकी है। इनमें से प्रत्येक ५० मेगावाट की है।

एन्नुरतापीय विद्युत केन्द्र—इस योजना के अधीन मद्रास में एन्नूर के निकट ३४० मेगावाट कुल प्रस्तावित क्षमता वाले चार विद्युत उत्पादन एकाओं का निर्माण किया जायेगा। इनमें से २ आयातित और २ देशी होंगे। इस योजना पर अनुमानत ५६ करोड़ रु० व्यय होगा तथा यह योजना १९७०-७१ तक बनकर पूरी हो जायेगी।

महाराष्ट्र

कोयना विजली परियोजना—इस परियोजना का उद्घाटन १९५४ में किया गया था। इसमें भूमिगत विजली घर में चार यूनिटें हैं। प्रत्येक यूनिट ३० मेगावाट की है। ये चारो यूनिटें काम कर रही हैं और बम्बई तथा पूना को विजली दे रही हैं।

दूसरे चरण में जलाशय का विस्तार करने का विचार है। ७५-७५ मेगावाट की चार विजली उत्पादक यूनिटें लगाई जानी हैं जिनमें से तीन लगाई जा चुकी हैं। बाध के अगले भाग में २ × २० मेगावाट की क्षमता का एक और विजली घर बनाया जायेगा। दूसरे चरण पर व्यय अनुमानत १४ ६१ करोड़ रु० होगा। दोनो चरणों की कुल लागत अनुमानत ५६ ४४ करोड़ रु० होगी।

मैसूर

शरावती पनविजली परियोजना—मैसूर की यह परियोजना तीन चरणों में समाप्त होगी। प्रथम चरण में दो उत्पादन एकक स्थापित किए गए। द्वितीय चरण में ८९.९ मेगावाट के दो उत्पादन एकक १९६७-६८ में प्रारम्भ हो गए। इस चरण में कुल ६ एकक लगाया जाना है।

शरावती पनविजली का तीसरा चरण चौथी योजना में पूरा होगा। इसके लिए टरवाइन फ्रांस से मंगाया गया है और वित्तीय सहायता अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने दी है। तीनों चरणों पर कुल १०२.५५ करोड़ लागत का अनुमान है।

उड़ीसा

तलचर ताप विजली परियोजना—परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत २९.६७ करोड़ की है। इस विजली घर को हीराकुड से जोड़ने का विचार है। विजली घर २५० मेगावाट की क्षमता का होगा। प्रत्येक ६२.५ मेगावाट की ४ यूनिटें होंगी। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था ने इसके लिए ऋण दिया है। २ एकक १९६७-६८ में प्रारम्भ हो चुके हैं तथा शेष दो १९६८-६९ में कार्य प्रारम्भ करेंगे।

पंजाब

भाखड़ा बाध दक्षिण तट विजलीपरियोजना—दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, प्रदेश, राजस्थान के बाकी विजली क्षेत्र को पूरा करने के लिए भाखड़ा बाध के चरणों में मतलज नदी के किनारे विजली घर बनाया जायेगा। इसस भाखड़ा के गोविन्द सागर के पानी का भी समुचित उपयोग हो सकेगा। विजली घर में चार यूनिटें होंगी। प्रत्येक १२० मेगावाट की होगी।

१९६७ ६८ तक तीन एकक उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं। इसकी अनुमानित लागत ५९ ३२ करोड़ है।

उत्तर प्रदेश

यमुना पनबिजली योजना—यमुना और इसकी गाला नदी के पानी को नियंत्रित करके बिजली पैदा करने की दो चरणों की यह परियोजना ७१ ५ करोड़ ४० की है। पहले चरण में धीकरनी और दिशलीपुर में बिजली घर बनाये जायेंगे।

रिहद बाध परियोजना—यह परियोजना ३७ ५ करोड़ ४ की है। मिर्जापुर जिले के रिपरी गांव के पास रिहद नदी पर ८१ ५ मीटर ऊंचा और ९३५ मीटर लम्बा बाध बनाया गया है। इसकी कुल स्थापित क्षमता ३० लाख किलोवाट होगी। पारेपण खानों और स्विच गियर उपस्टेशनों के द्वारा सम्पूर्ण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश को यह परियोजना बिजली देगी।

ओब्रा ताप बिजली घर—मिर्जापुर जिले में ओब्रा पर ५ ५० मेगावाट की पाच यूनिट का एक बिजली घर होगा। इसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता २५० मेगावाट होगी। इसके लिए प्लाट और साज सामान रूस से मिला है। यह परियोजना १९६८ ६९ तक पूरी हो जायगी। अनुमानित व्यय ३८ ७ करोड़ ४० है। उसके दूसरे चरण में तीन और यूनिट लगाये जायेंगे जिन पर अनुमानित ४० करोड़ ४० की लागत आयेगी।

प० बंगाल

बडिल ताप बिजली केन्द्र—यह ३३ ६३ करोड़ की परियोजना है। ८२ ५ मेगावाट के चारों यूनिट का कार्य चालू हो गया है।

दिल्ली

दिल्ली बिजली सभरण उपकरण—इसकी स्थापित क्षमता १११ ६ मेगावाट है। उसके अतिरिक्त भांगना-नागन से भी ६० मेगावाट बिजली मिलती है। पंजाब भी दिल्ली को नियमित रूप में २० मेगावाट बिजली देगा।

दूधरस्य बिजलीघर का विस्तार की योजना चालू है। इसमें प्रत्येक ५०/६२ ५ मेगावाट की तीन यूनिटें लगाई जायगी। इसका शीघ्र पूरा करने के लिए दिल्ली ताप परियोजना के लिए नियंत्रण परिपथ की स्थापना की गई है। पहली यूनिट के १९६६ ६७ के मध्य तक शानु हो जान का सम्भावना है।

दिल्ली में लगभग १२ लाख टन बरफपुर में एक और ताप बिजली केन्द्र का निर्माण का योजना है जिसका क्षमता ०० मेगावाट का होगा।

परमाणु विद्युत

भारत में नाभिकीय शक्ति केन्द्रों का निर्माण छत्रा विभाग प्राय किया जा रहा है। इन नाभिकीय शक्ति केन्द्रों में भारत का कुल ११८० मेगावाट विद्युत प्राप्त हो सकेगा।

तापपुर परमाणु विद्युत केन्द्र—यह प्रथम १८ मेगावाट का दो भागिक मट्टिया का निर्माण किया गया है। इस केन्द्र में मन्सरोवर तब कुनराव का ८० मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी। यह परमाणु ८५ करोड़ ४० लाख डॉलर है तथा अक्टूबर १९६८ में हो

यह केन्द्र विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर रहा है। यह विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र में बम्बई से ४० मील दूर स्थापित किया गया है।

राजस्थान अणु विद्युत केन्द्र—इसका कार्य राजस्थान के कोटानगर से २५ मील दक्खिन में चल रहा है। यह निर्माण कनाडा के सहयोग से चल रहा है जहाँ से २०० मेगावाट की एक आणविक भट्टी प्राप्त हो चुकी है। यह भट्टी १९७१ में कार्य प्रारम्भ करेगी। प्रथम भट्टी पर अनुमानित व्यय ५२५० करोड़ होगा। २०० मेगावाट की दूसरी भट्टी स्थापित करने की स्वीकृति हो गई है। इस पर ५० करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।

मद्रास अणु विद्युत केन्द्र—मद्रास के कलप्पकन स्थान पर प्रत्येक २०० मेगावाट शक्ति को दो आणविक भट्टियाँ स्थापित की जायेंगी। प्रथम भट्टी १९७२ में तथा द्वितीय भट्टी १९७४ में उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगी। इस केन्द्र पर कुल १०४ करोड़ रु० व्यय होगा।

वाढ नियंत्रण—भारत सरकार ने वाढों को रोकने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। यह योजना तीन चरणों की है। यह योजना १९५४ में बनाई गई थी क्योंकि उस वर्ष सारे देश की सभी नदियों में काफी वाढ आई थी और उसके फलस्वरूप भारी क्षति हुई थी।

वाढ नियंत्रण का दूसरा चरण दूसरी योजना के साथ पूरा हुआ। इस चरण में तटबन्ध बनाये गये। तीसरे चरण में दीर्घकालिक उपाय काम में लाये जायेंगे। प्रत्येक नदी के वेसिन पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

केन्द्रीय वाढ नियंत्रण मडल के अतिरिक्त १६ राज्यों में वाढ नियंत्रण मडल है। ४ नदी आयोग (वाढ) भी केन्द्रीय मडल की सहायता करते हैं। १९५४-५५ से अब तक विभिन्न राज्यों की १-१ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक लागत की ८ वृहद् योजनाएँ तथा एक करोड़ रुपये से कम लागत वाली १३६६ लघु योजनाएँ केन्द्र द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन पर क्रमशः २४ करोड़ ७७ लाख रुपये तथा ७७२८ व्यय होगा। इसके राज्य सरकारों ने ८८७ करोड़ रुपये की २८६ योजनाओं को स्वीकृति दी है। मार्च १९६७ तक वाढ नियंत्रण उपायों द्वारा १२५ लाख एकड़ भूमि, १२५ नगर, तथा ४५०० गावों को लाभान्वित किया जा चुका है।

वैद्यरत्नम पी० एस० वारियर का आर्य वैद्यशाला कोट्टक्कल (केरल प्रान्त)

स्थापित — १९०२, मुख्य कार्यालय — कोट्टक्कल
दूरभाष (कोट्टक्कल एक्सचेंज)

मुख्य कार्यालय-३१ शाखाएँ नर्सिंग होम-४४
कोभीकोड, पालघाट, एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम, एरोड और आलवे,
मद्रास कार्यालय कोट्टक्कल से अथवा हमारी शाखाओं से उपलब्ध है।

डाक से चिकित्सा सवधी सलाह हमारे मुख्य चिकित्सक द्वारा कोट्टक्कल से दी जाती है। पिकशिल और नवराकिभी जैसे रोगों का इलाज भी हमारे मुख्य चिकित्सक की देखभाल में गोतडन जुवली नर्सिंग होम में होता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी

IN ASSAM

*Plans Have Brought Faster Development
*Significant Progress in Education Public Health and
Road Communications

INVESTMENT IN PLAN PROGRAMMES

*First Five Year Plan	Rs 2050 79 Lakhs
*Second Five Year Plan	Rs 5448 21 Lakhs
*Third Five Year Plan	Rs 12969 74 Lakhs
*Fourth Five Year Plan	Rs 19000 00 Lakhs

Assam Is Also Famous For Her Silk

Fabrics

(ENDI MUGA & PAT)

These Fabrics are Excellent for their
QUALITY—TEXTURE—DESIGN
& DURABILITY

Available at

Sales Emporium Located in the State and in
Calcutta New Delhi & Kalimpong

Issued by Directorate of Information &
Public Relations Assam Shillong



मध्यप्रदेश की यात्रा कीजिये

तीर्थ यात्राओं की पावन भूमि

सांची—जहाँ भगवान बुद्ध के प्रमुख निपट सारिपुत्त और महासांग्राम्य के अवशेष हैं।

उज्जैन—भगवान महाकालेश्वर की नगरी पृथ्वी के वेद वारह ज्योतिर्लिंगों में से एक।

अमरकंटक—पवित्र पावनी नमदा का उदगम स्थान।

चित्रकूट—जहाँ भगवान राम ने वनवास अवधि का कुछ वान प्रयत्न किया और गोस्वामी तुलसीदास को दान किया।

झोंकार माघाता—पुणे यतीयानमठ के बीच ग्राम गिरिक पर अवस्थित वारह ज्योतिर्लिंगों में से एक।

महेश्वर—ग्राम्य गवराचाय की चरण धूमिल पत्नीता महिष्मती की परातन नगरी।

मध्यप्रदेश में तीर्थ यात्रा एवं दृश्यावलोकन के और भी अनेक दृश्यात्मक स्थान सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित

द ५० स ६२८/६८

The Bhor Industries Private Ltd.

Regd Office
16, Apollo Street,
Bombay-1

Manufacturers of

RAJA brand PVC Leather Cloth

NATARAJ brand PVC Unsupported film & sheeting

VYNATILE PVC flooring Tiles

STEELGRIP PVC Electrical insulation Tape

Book Binding Cloth, Waterproof Cloth etc.

*for trade enquiries
please contact*

The Bhor Industries Private Limited

Sales DIVISION

392, Cadell Road, Bombay-28

Telegram COVERCLOTH

Telephone 451418

पश्चिम बंगाल हाथकरधा कपडो का ही व्यवहार कीजिये क्योंकि ये कम कीमत के, रंग और डिजाइन में शानदार और टिकाऊ होते हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार के सेलस इम्पोरियम में अपने
मनपसन्द कपडे खरीदिये

पता

बंगाल इम्पोरियम

७०, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग्स
जनपथ, नई दिल्ली

पंजाबी हमारी मातृभाषा

पंजाब का विकास ५

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा

मातृभाषा का सरकारी काम काज के लिए प्रयोग स्वस्थ लोकतंत्र का चिह्न

लोक निर्माण के कार्यों में मातृभाषा द्वारा

लोक अधिकाधिक भाग डाल सकते हैं

मातृभाषा लोक भावना उजागर करती है

प्रथम जनवरी १९६८ से जिला स्तर तथा

हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर

१३ अप्रैल १९६८ से सचिवालय-स्तर पर

और भारत के हिंदी भाषी राज्यों से

पंजाबी लागू कर दी गयी है।

पत्र व्यवहार करने के लिए प्रयोग में

लाया जा रहा है।

लोक सम्पर्क विभाग पंजाब

व्यवहार कर

मेटन की हवाई बूटों (भारत निर्मित)

आग्नेयास्त्रों की मरम्मत—हमारी विशेषता, साल्टम निर्मित

वजन के सामानों के अधिकृत विक्रेता

मे इन एण्ड क लिमिटेड, १३, ओरट कोट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ७

गंगा सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-१

उद्योग

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय

यह औद्योगिक विकास विभाग और समवाय कार्य विभाग से मिलकर बना है ।
कार्य .

औद्योगिक विकास मंत्रालय का कार्य लघु और बड़े उद्योगों का निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास करके देश का औद्योगीकरण करना है । यह सामान्य औद्योगिक नीति निर्धारित करता है, उत्पादन बढ़ाने के आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है और औद्योगिक सहकारिता के विकास में सहायता करता है ।

उद्योग मंत्री इस मंत्रालय का कार्य देखता है । इनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री तथा एक उद्योग मंत्री है । मंत्रालय सचिवालय एक सचिव के अधीन है । भारी इजी-नियरी उद्योगों के लिये विशेष सचिव है ।

औद्योगिक विकास विभाग के अधीन संगठन

क—सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय

- १—तकनीकी विकास का मिहानिदेशालय, नई-दिल्ली ।
- २—लघु उद्योग विकास आयुक्त, कार्यालय, नई-दिल्ली ।
- ३—आर्थिक परामर्शदाता का कार्यालय, नई-दिल्ली ।
- ४—नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर ।
- ५—पेटेंट डिजाइन व व्यापार-चिन्ह के महानियंत्रक का कार्यालय, बम्बई ।
- ६—विद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास संगठन, भोपाल ।
- ७—विस्तार अधिकारी (उद्योग) के लिए हैदराबाद और नीलोखेड़ी में एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र ।
- ८—विस्फोटक सामग्री विभाग, नागपुर ।

ख—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

ये कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अधीन पञ्जीकृत (रजिस्टर्ड) कम्पनियां हैं । इनके दो स्वरूप हैं

(अ) १—राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, नई-दिल्ली । २—राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० नई दिल्ली ।

जय—मशीन दून चौह मिश्रण और दून स्टीन रगायन उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी और अन्तर मध्यवर्ती उद्योग औपघ निर्माण रग और प्लास्टिक एण्डीवायाटिक और अय आवश्यक औपघिया उटक परिवहन और सागर परिवहन ।

उद्योगों का नियमन—१९४८ और १९५६ की घोषित नीति का कानूनी जामा पहनाया गया । सबप्रथम सविधान म संगोधन किया गया । तब उद्योग (विकास नियमन) अधिनियम १९५१ के जधीन सब नये और पुराने उद्योगा के वास्त नाइसेंस लेना जरूरी हो गया । औद्योगिक लाइसेंस नीति को १९६६ म उदार बनाया गया । सरकार का लक्ष्य है कि बड़े और छोटे उद्योगो का समतुलित विकास हो तथा देश के साधना का समुचित उपयोग हो । इस कानून ने सरकार को किसी भी औद्योगिक उपग्रम की काय पद्धति का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है । यदि किसी उद्योग म बुग्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रयथ म स समती है ।

के द्रीय उद्योग परामशदात परिपद्—सरकार का औद्योगिक विपया म सनाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई । इसम उद्योग यवसाय ध्रम और प्राथमिक उत्पादका के प्रतिनिधि है ।

इस परिपद् के अतिरिक्त विकास परिपदो की भी स्थापना की गई है । ये औद्योगिक केन्द्रो म स्थापित हैं । विभिन्न उद्योगा का अध्ययन करने के लिए पनल और विशयज्ञा की समितिया नियुक्त की गइ ।

उद्योगों को वित्तीय सहायता—नीत्र औद्योगिक विकास हेतु सरकार ने उद्योगा को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सस्थायें स्थापित की हैं । ये औद्योगिक साहसा व उग्र प्रमा को मध्यवर्तिक और दीघकालिक बज देती हैं । ऋण खास शर्तों पर दिया जाता है । सरकार स्वत उद्योग विगेष के हिस्से नेकर उसकी सहायता करती है ।

समरण व आवटन—गहानिदेशानय उद्योगा को प्रोत्साहन देता है । भारत सरकार व लिए आवश्यक मान सामग्री व वस्तुओ की सरौद करने वाली यह केन्द्रीय सस्था है ।

एगके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम की भी सरकार ने स्थापना की है । यह पूजा निवेग और पूजी निगेष का काय करता है । औद्योगिक विकास निगम भी यह काय करता है ।

इसकी स्थापना म सरकार प्रत्यग या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रीज डेवलपमे ट कापोरेशन)—१९५४ म मूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए विगष शर्तों पर उमको अनुदान देने के लिए इसकी स्थापना की गयी । यान म इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया । यह औद्योगिक कम्पनिया को अनुदान देता है । मशीन दून उद्योगके विस्तार व लिए भी एगन अनुदान दिया है । निगम ने एग काम व लिए ३० नवम्बर १९६७ तक २८ करोड रुपय से अधिक धनराशि के ऋण की स्वीकृति दी तथा १९५ करोड रुपये ऋण देने का वचन दिया ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनान्स कापोरेशन आक इण्डिया)—एगकी स्थापना जुलाई १९४८ म औद्योगिक कम्पनिया को अग्रघन और दीघकालिक आधार

पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १९६० में इसमें सम्बन्धित कानून में संशोधन कर इसे किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। स्थापना से मार्च '६५ के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा १७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके थे।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया—यह फरवरी, १९६४ से अमल में आई है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एक्ट, १९६३ के अधीन है। इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी ५ करोड़ रु० है। ट्रस्ट का उद्देश्य वचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके शेयर १० और १०० रु० के हैं। ट्रस्ट की कुल आय का ६० प्रतिशत इसके भागीदारों में वितरित किया जायगा। यह भी उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया। ५ अप्रैल १९६६ को ट्रस्ट का कुल विनियोग २५ २५ करोड़ रुपये का था। १९६६-६७ में १ ९९ करोड़ रुपये की यूनिट फिर से खरीदे गये। मई १९६७ में ट्रस्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड़ रुपये थी।

राज्य वित्त प्रबन्ध निगम—ये राज्यों में राज्य वित्त प्रबन्ध निगम अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित किये गए। लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। ये उन उद्योगों की सहायता करते हैं, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से परे हैं।

उद्योगों के लिए पुनर्वित्त निगम—इसकी स्थापना १९५८ में की गई। इसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों को वरीयता दी जाती है।

फिल्म वित्त निगम—(इस पर सूचना एवं प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है)।

भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम—यह एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना अप्रैल, १९५८ में की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकसूत्रित रूप से बढ़ाना है। यह सारे देश में काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना भी है। इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान या कर्ज के रूप में पूरी करती है।

स्टेच्युटरी टैरिफ कमीशन—इसकी स्थापना जनवरी, १९५२ में की गई। यह नन-स्टेच्युटरी टैरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है। यह सरक्षित उद्योगों की स्थिति का बराबर अध्ययन करता रहता है और सरक्षण की नई योजनाओं पर विचार करता है।

पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता—पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रोजगार देने के लक्ष्य से इसकी स्थापना १९१९ में हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्त्रालय करता है। निगम ने अब तक दो औद्योगिक प्राणण स्थापित किये हैं। इनमें से एक वाचला में और दूसरा वान-दुगली में है। दण्डकारण्य में परिवहन सरकारी समिति की स्थापना की गई है।

भारत का औद्योगिक विकास अधिकोष (बैंक)—३ जुलाई, १९६४ से यह कार्य कर रहा है। बैंक का कार्य औद्योगिक वित्तीय अभिकरणों के कार्यों का समन्वय करना है। यह राज्य वित्त प्रबन्ध निगम के कार्यों में भी समन्वय करता है। १९६६-६७ में इस बैंक द्वारा

जय—मंगीन टून लोड मिश्रण और टून स्टीन रगायन उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी और अन्तर मध्यवर्ती उद्योग औपघ निर्माण रग जोर प्लास्टिक एण्डीवायाटिक जोर अय आवश्यक औपधिया उटक परिवहन और सागर परिवहन ।

उद्योगो का नियमन—१९४८ जोर १९५६ की घोषित नीति को कानूनी जामा पहनाया गया । सवप्रथम सविधान म सगोधन किया गया । तत्र उद्योग (विकास नियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन सब नय और पुराने उद्योगो के वास्तु तान्सैस बना जरूरी हो गया । औद्योगिक तान्सैस नीति को १९६६ म उदार बनाया गया । सरकार का लक्ष्य है कि बडे और छाटे उद्योगो का सतुलित विकास हो तथा देश के साधना का समुचित उपयोग हो । इस कानून ने सरकार को किसी भी औद्योगिक उपक्रम की धाय पद्धति का निरीक्षण करने का अधिकार दिया है । यदि किसी उद्योग मे कुब्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रबध म न सकती है ।

केन्द्रीय उद्योग परामशदात परिषद्—सरकार को औद्योगिक विषया म सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई । इसम उद्योग यवसाय श्रम जोर प्राथमिक उत्पादका के प्रतिनिधि हैं ।

इस परिषद् के अतिरिक्त विकास परिषदो की भी स्थापना की गई है । ये औद्योगिक कान्ठो मे स्थापित हैं । विभिन्न उद्योगो का अध्ययन करने के लिए पनल और विभाजना की समिनिया नियुक्त की गई ।

उद्योगों को वित्तीय सहायता—नीच औद्योगिक विकास हेतु सरकार ने उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सस्थायें स्थापित की हैं । ये औद्योगिक साहसा व उप क्रमा को मध्यकालिक और दीघकालिक कज दती हैं । ऋण खास गतों पर दिया जाता है । सरकार स्वत उद्योग विभाष के टिस्स नेकर उसकी सहायता करती है ।

संरक्षण व आवटन—महानिदेशालय उद्योगो को प्रोत्साहन देता है । भारत सरकार क लिए आवश्यक माल मामग्री व वस्तुओ की खरीद करने वाली यह केन्द्रीय सस्था है ।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम की भी सरकार ने स्थापना की है । यह पूजो निवेग जोर पूजो निधेव का काय करता है । औद्योगिक विकास निगम भी यह काय करता है ।

कम्पनी स्थापना म सरकार प्रत्यग या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन)— १९५४ म मूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिककरण के लिए विभाष गतों पर उसको अनुगन देने के लिए कम्पनी स्थापना की गयी थी । बाद म इसने क्षेत्र का विस्तार किया गया । यह औद्योगिक कम्पनिया को अनुगन दता है । मंगीन टून उद्योग के विस्तार के लिए भी कम्पने अनुगन दिया है । निगम ने इस काम के लिए ३० नवम्बर १९६७ तक २८ करोड रुपय से अधिक धनराशि के ऋण की स्वीकृति पानया १९५५ करोड रुपय ऋण देने का वचन दिया ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनान्स कॉर्पोरेशन आक इण्डिया)— कम्पनी स्थापना जुलाई १९४८ म औद्योगिक कम्पनिया को अप्रधन और दीघकालिक आधार

पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १९६० में इसमें सम्बन्धित कानून में संशोधन कर इसे किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। स्थापना से मार्च '६५ के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा १७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके थे।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया—यह फरवरी, १९६४ से अमल में आई है। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एक्ट, १९६३ के अधीन है। इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी ५ करोड़ २० है। ट्रस्ट का उद्देश्य वचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके शेयर १० और १०० ०० के हैं। ट्रस्ट की कुल आय का ६० प्रतिशत इसके भागीदारों में वितरित किया जायगा। यह भी उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया। ५ अप्रैल १९६६ को ट्रस्ट का कुल विनियोग २५ २५ करोड़ रुपये का था। १९६६-६७ में १ ९९ करोड़ रुपये की यूनिट फिर से खरीदी गयी। मई १९६७ में ट्रस्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड़ रुपये थी।

राज्य वित्त प्रबन्ध निगम—ये राज्यों में राज्य वित्त प्रबन्ध निगम अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित किये गए। लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। ये उन उद्योगों की सहायता करते हैं, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से परे हैं।

उद्योगों के लिए पुनर्वित्त निगम—इसकी स्थापना १९५८ में की गई। इसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों को वरीयता दी जाती है।

फिल्म वित्त निगम—(इस पर सूचना एवं प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है)।

भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम—यह एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना अप्रैल, १९५८ में की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकनूत्रित रूप से बढ़ाना है। यह सारे देश में काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना भी है। इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान या कर्ज के रूप में पूरी करती है।

स्टेच्युटरी टैरिफ कमीशन—इसकी स्थापना जनवरी, १९५२ में की गई। यह नन-स्टेच्युटरी टैरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है। यह संरक्षित उद्योगों की स्थिति का बराबर अध्ययन करता रहता है और संरक्षण की नई योजनाओं पर विचार करता है।

पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता—पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रोजगार देने के लक्ष्य से इसकी स्थापना १९१९ में हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्त्रालय करता है। निगम ने अब तक दो औद्योगिक प्राणण स्थापित किये हैं। इनमें से एक वाचला में और दूसरा चान-दुगली में है। दण्डकारण्य में परिवहन सरकारी समिति की स्थापना भी हुई है।

भारत का औद्योगिक विकास अधिकोष (बैंक)—३ जुलाई, १९६४ से यह कार्य कर रहा है। बैंक का कार्य औद्योगिक वित्तीय अभिकरणों के कार्यों का समन्वय करना है। यह राज्य वित्त प्रबन्ध निगम के कार्यों में भी समन्वय करता है। १९६६-६७ में इस बैंक द्वारा

मङ्गर की गई कुत्र सहायता ही राशि ६३ ७६ करोड़ रुपय (गारणिया को छोड़कर) की थी जबकि १९६१/६६ में यह राशि ६७ ६३ करोड़ रुपय का थी।

विदेशी पूजा—विदेशी पूजा का सम्बन्ध में सरकारी नीति जीद्यागिन नीति प्रस्ताव अप्रैल १९४८ में जोर विधायिका सभा (कास्नीचूयट एसेम्बली) में १९४९ में दिया गए प्रधान मंत्री के भाषण में विहित है। इसके अनुसार

(१) विदेशी पूजा और विदेशी सात्स की भागीदारी राष्ट्रीय हित में सावधानी पूर्वक नियमित और नियंत्रित होनी चाहिए। अर्थात् इस बात का पक्का विद्वान हो कि कुछ अपवादा को छोड़कर स्वामित्व में हित और प्रभावगामी नियंत्रण भारतीय हाथ में रहे। विदेशी विपणन का स्थान लेने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षण पाने की सुविधा अवश्य दी जाय।

(२) सामान्य औद्योगिक नीति दरतन में विदेशी और भारतीय उपग्रह में कोई विभेदन किया जायगा।

(३) मुनाफा स्वदेश भेजने के लिए उचित सुविधा दी जायेगी। देश की विदेशी विनियम की स्थिति का ध्यान जोर विचार करते हुए उद्योगों में लगी विदेशी पूजा के प्रत्यावतन की सुविधा दी जायेगी।

(४) राष्ट्रीयकरण करने पर उचित और समान मात्रा में मुआवजा दिया जायगा।

योजना आयोग ने भी सिफारिश की है कि विदेशी पूजा के प्रवाह के आगमन को उत्साहित किया जाय। इन्ने इस बात का भी समर्थन किया कि नये उद्योगों में विदेशी और भारतीय पूजा की सरकार हो। पहले यह वाछनीय नहीं माना जाता था लेकिन अब यह बात नहीं है।

योजना मंत्री श्री अशोक महता ने १९६६ में अ० भा० काप्रस महासमिति के बम्बई अधिवेशन के लिए आधिकारी नीति पर एक पत्र तयार किया था। इस पर वहाँ विचार नहीं हुआ। लेकिन उसमें निहित सिद्धान्त सरकार की विदेशी पूजा सम्बन्धी नीति को सूचित करते हैं। इसके अनुसार

(१) जिस उद्योग के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान बुद्धि और पूजा देश में उपलब्ध है उसके लिए विदेशी पूजा नहीं दी जायेगी।

(२) विदेशी पूजा की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम सरकारी आधार पर सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्तर पर विदेशी पूजा प्राप्त की जाय।

(३) सरकारी क्षेत्र से विदेशी पूजा न मिलने की हालत में इसे प्राप्त किया जाय।

मार्च १९६५ के अंत में देश के उद्योग धंधों में ९ अरब ३५ करोड़ ८० लाख रुपये की विदेशी पूजा लगी हुई थी। १९६२ के अंत में ७३४५ करोड़ रुपये की विदेशी पूजा लगी हुई थी।

राष्ट्रीय अचल की कम्पनिया

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के प्रवचन अधीन कम्पनिया का रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक साहज का प्रारम्भ हुआ है। इनका इतजाम बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स करता है। इनमें सरकारी और गवरनरकारी दोनों होने हैं। राष्ट्रीय कम्पनियाँ मुख्यतः चार विस्म की है —

(क) प्रथम वर्ग में वे कम्पनियाँ आती हैं जिनका कार्य औद्योगिक विकास की प्रगति को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना है। ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। ये निगम के ढंग की सस्थाएँ हैं।

(ख) इस श्रेणी में वे कम्पनियाँ हैं जिनकी परियोजना निर्माण की अवस्था में है।

(ग) इस वर्ग में वे कम्पनियाँ हैं, जिनकी परियोजना पूरी हो चुकी है और उत्पादन करती हैं।

(घ) इस चौथी श्रेणी में व्यापारिक कम्पनियाँ आती हैं।

१. भारतीय उर्वरक निगम (फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया)—हिन्दुस्तान केमिकल व फर्टीलाइजर लि० और सिंदरी फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० को मिलाकर १ जनवरी, १९६१ को निगम की स्थापना की गयी। सिंदरी कारखाना १९५१ से उत्पादन कर रहा है। यह अमोनिया सल्फेट तथा यूरिया तैयार करता है। नागल में १९६१ में एक और फैक्ट्री लगाई गई है। यहाँ पानी और नाइट्रो-लाइम स्टोन तैयार किया जाता है। ट्राम्बे का कारखाना नवम्बर १९६५ में प्रारम्भ हुआ तथा यह नाइट्रोफासफेट तथा यूरिया तैयार कर रहा है। गोरखपुर कारखाने ने अप्रैल १९६८ में उत्पादन प्रारम्भ किया जहाँ कि यूरिया तैयार किया जाता है। सिंदरी, नागल, ट्राम्बे तथा गोरखपुर की उत्पादन क्षमता क्रमशः १ लाख १७ हजार, ८० हजार, ८१ हजार तथा ८० हजार टन नत्रजन है।

नामरूप (४५००० टन नत्रजन), दुर्गापुर (१,४०,००० टन नत्रजन) तथा वरीनी (१,५२,८०० टन नत्रजन) के कारखाने क्रमशः १९६८-१९६९, तथा १९७०-७१ में उत्पादन प्रारम्भ करेंगे।

२. नेशनल इस्ट्रूमेन्ट्स लि० कलकत्ता—१८३० में मैथेमेटिक इस्ट्रूमेन्ट आफिस में इसका आरम्भ हुआ था। प्रारम्भ में यह सर्वे के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए खोली गई थी। १९५७ में यह लिमिटेड कम्पनी में बदली गई और वर्तमान नाम दिया गया। जनवरी से अक्टूबर १९६७ में इसमें ५६ ४८ लाख रु० मूल्य का माल तैयार किया गया। इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी ५०० लाख रु० है। यह कारखाना सर्वेक्षण करने, अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी उपकरण, औद्योगिक थर्मामीटर, अणुवीक्षण यंत्र (डाक्टर), प्रेशर वैकुम गाउज बनाता है और उनकी मरम्मत करता है।

एक रूसी कम्पनी के सहयोग से यह कम्पनी दुर्गापुर में चश्मे के शीशे व लेस लगाने का कारखाना स्थापित कर रही है। इस पर ४ करोड़ रु० व्यय होगा। कारखाने में परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और दो वर्षों में इसका पूरा उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

३. इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर—यह सरकारी कारखाना है। यह मद्रास शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यहाँ सवारी गाडी के डब्बे हल्के इस्पात के बनाये जाते हैं। यहाँ उत्पादन १९५५ में आरम्भ हुआ।

४. डिजल लोकोमोटिव वर्क्स, चाराणसी—यहाँ रेल के डीजल इंजिन तैयार होते हैं। यहाँ उत्पादन जनवरी १९६४ में प्रारम्भ हुआ।

५. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि०—१२ दिसम्बर, १९६० को इस कम्पनी

की स्थापना हुई। इसका कारखाना पंचमी जमना के सहयोग से खापड़ी (महाराष्ट्र) में लगाया जायगा। कम्पनी बुनियादी टमलन तयार करने के लिए है।

६ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि०—पेंसिलिन की बहती मांग को पूरा करने के लिए पिम्परी (महाराष्ट्र) में यूनीसेफ और यूनटाप की सहायता से सरकार ने एक फक्टरी माच १९५४ में लगाई। इनकी अधिकृत पूंजी ४ करोड़ रु० है। अगस्त १९५५ से उत्पादन बराबर हो रहा है। स्ट्रपटोमाईसिन का ४० ४५ टन वार्षिक क्षमता का एक प्लांट भी पिम्परी में लगाया गया। यह १९६३ से उत्पादन कर रहा है।

७ हिन्दुस्तान हाऊसिंग फक्टरी प्रा० लि०—२७ जनवरी १९५३ को इस प्राइवेट लि० की स्थापना हुई। भारत सरकार और बसावा सिंह वालेनबाग लि० इसमें सहभागी थे। अगस्त १९५५ में भारत सरकार ने यह फक्टरी अपने हाथों में ले ली। अब यह फक्टरी स्थायी हल्के दण्डे औद्योगिक भारी गहतीर पूर्व निर्मित छत दरवाज व सिडकी के करीट और सज्जित नाक बनाती है।

८ नाहन फाउंड्री सिरमौर (हि० प्रदेग)—मूलतः इसकी स्थापना १८७२ में हुई थी। तब यह एक निजी संस्था थी। १९५२ में यह भारत सरकार के स्वाभित्व में आयी। इसका कारखाना मुख्यतः कृषि के उपकरण तयार करता है। इसके बने हुए ट्रक्टर पहाड़ों पर हल चराने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं।

९ निर्माण कार्पोरेशन आफ इण्डिया—१९६१ में ईस्टन निर्माण कार्पोरेशन और वेस्टन निर्माण कार्पोरेशन मिला लिये गये। इन दोनों को मिलाकर निर्माण कार्पोरेशन आफ इण्डिया बनाया गया। इसकी स्थापना समुद्रपार के बन्दे यापार के कारण की गई है।

१० प्राय डूल्स कार्पोरेशन लि० हैदराबाद—इसकी स्थापना १९४३ में हुई थी। केन्द्रीय सरकार मुख्य भागीदार है। जाधर सरकार के भी इसमें शेयर हैं। कम्पनी मशीनडूल्स बनाती है।

११ हिन्दुस्तान मशीन डूल्स लि० जयहनु बगलोर—हिन्दुस्तान मशीन डूल्स लि० का मूल्य ५ एक्क है जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता एक हजार मशीनी जोजार है। जिनका मूल्य ५ कराड रु० होता है। इनमें से दो एक्क बगलोर में तथा एक एक पिजोर (रियागा) कानामारी (करन) तथा हैदराबाद (जाधर) में है। इन मशीनी जोजारों के अनिर्दिष्ट कम्पनी का बगलोर में पडिया बनाने का भी कारखाना है।

१२ हिन्दुस्तान केबल्स लि०, सरनारायणपुर प० बंगाल—१९५४ में यह फक्टरी लगाई गयी। यह डाक-तार विभाग की जरूरतें पूरी करती है। यह टेलिफोन के तार बनाती है।

१३ हिन्दुस्तान निषयाड—(विनाश्यापनम्) २१ जून १९४१ को इसकी नींव रखी गयी। भारत सरकार ने यह निषयाड स्टीम नवीगेशन में माच १९५२ में प्राप्त किया है। इसका नाम चार निषयाड बंगाल और जने है। यह मान में डिजल में चलने वाला चार जहाज बना सकता है। इस मशीन (माड) में बनाया पहला जहाज माच १९५८ में तयार हुआ। बाबत में दूसरा निषयाड बनाया जायगा।

१४. मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, अम्बरनाथ (बम्बई)—यह अप्रैल, १९५१ से चल रही है। यह आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिये आवश्यक खाम किस्म की मशीनें और टूल (कल-पुरजे) और उनके डिजाइन (आकल्पना) बनाती है। फैक्ट्री के साथ एक प्रशिक्षण स्कूल भी है। यह हर साल १०० दक्ष शिल्पियों को प्रशिक्षण देता है।

१५. इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर—इस कारखाने में टेलिफोन बनते हैं। ६० प्रतिशत शेयर भारत सरकार के और १० प्रतिशत मैसूर सरकार के हैं। इंग्लैंड की ऑटोमेटिक टेलिफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० भी साभेदार है। यह सब किस्म के टेलिफोन तैयार करती है। सचारी साज-सामान भी यह तैयार करती है।

१६. हिन्दुस्तान इनसेक्टोसाइड लि०—यह दो सरकारी डी० डी० टी० फैक्ट्रियों का संचालन करती हैं। दिल्ली फैक्टरी हर साल १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० पैदा करती है। यह 'यूनीसेफ' और डब्ल्यू एच ओ की वित्तीय सहायता से स्थापित की गई। अलवाये फैक्टरी की क्षमता भी १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० है। यह सरकार ने ६७ ६३ लाख रु० की लागत से लगाई है। १९५४ में डमकी स्थापना की गई और १९५८ से यह उत्पादन कर रही है।

१७. इंडियन ड्रग्स एवं फार्मासीटिकल लि०, (दिल्ली)—अप्रैल १९६१ में इसकी स्थापना की गई है। सोवियत रूस की सहायता से चार कारखाने खोले जायेंगे। (१) एण्टी-बायोटिक, ऋषिकेश, (२) सिंथेटिक ड्रग्स, हैदराबाद, (३) सर्जिकल इस्ट्रूमेन्ट, मद्रास और (४) फोटो केमिकल्स, केरल।

१८. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०—इसकी स्थापना मई, १९६० में की गई थी। इसका मुख्य कार्य देश के विदेशी-व्यापार को बढ़ाना है।

१९. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०—इस कम्पनी की मद्रास में ३० नवम्बर, १९६० में रजिस्ट्री हुई। इसकी अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रु० है। ऊटकमण्ड में कच्ची फिल्म तैयार करने का सयत्र लगाया गया है। सिनेमा के लिए फिल्म कागज के अतिरिक्त यह फोटोग्राफी का कागज भी तैयार करेगा। यहाँ एक्स-रे फिल्म भी तैयार होगी। यह कारखाना एक फ्रेंच कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया है।

२०. एक्सपोर्ट रिस्क इन्श्योरेंस कार्पोरेशन लि०—१९५६ में इसकी रजिस्ट्री हुई। १४ अक्टूबर, १९५७ को अपना काम आरंभ करने के लिए ५ लाख रु० दिये गये। निर्यात व्यापारियों को अपने माल का वीमा कराने का मौका दिया गया है। व्यवसायिक वीमा कम्पनिया साधारण यह कार्य नहीं करती हैं।

२१. पीरिटेज एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०—इसकी स्थापना सिंदरी में मार्च, १९६० में की गई। यह नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की सहायक और पूरक है। १६ सितम्बर, १९६३ से यह पूर्ण स्वतन्त्र कम्पनी हो गई। इसके पास गन्धकाम्ल बनाने का प्लांट है। गन्धकाम्ल यह पीरिटेज से तैयार करता है।

२२. हैन्डक्राफ्ट्स एण्ड हैन्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०—यह स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० की सहायक और पूरक है। इसका कार्य विदेशों में दस्तकारी की चीजों की खपत बढ़ाना, उनके लिए बाजार ढूंढना और प्राप्त का संरक्षण करना है।

२३ इण्डियन एक्सप्लोजिव फक्टरी—इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज क साथ भारत सरकार ने एक करार किया है। इसमें भारत सरकार क २० प्रतिशत और ८० प्रतिशत गेयर इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज के हैं। गोमिया हजारीबाग (बिहार) में यह फक्टरी ५ नवम्बर १९५८ को खोली गई। चट्टानों को उठाने और सुरंग बनाने के लिए विस्फोटक यहां बनते हैं।

२४ भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० जलहली, बगलौर—इसकी स्थापना १० अप्रैल १९५४ को हुई। यह बड़े परिमाण में बेतार के तार के लिए बायरनेस और इलेक्ट्रोनिक्स तयार करता है। यह मुख्यतः सेना और सरकारी विभागों के लिए माल तयार करता है।

२५ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड—भारत सरकार की लोहा व इस्पात परियोजना हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन है। यह लोहा व इस्पात मंत्रालय के प्रशासन में है।

जनवरी १९६६ में लोहा व इस्पात का स्वतंत्र मंत्रालय हो गया है। यह मंत्रालय लोहा व इस्पात के आयात निजी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाना इस्पात पुनर्वहन मिलों और अलोहि मिश्रण धातु उद्योग सम्बन्धी कार्य देखता है। हिन्दुस्तान स्टील लि बोकारो स्टील लिमिटेड व हिन्दुस्तान स्टील रक्स कस्ट्रक्शन लि मंत्रालय के प्रशासन में है। इससे सम्बद्ध लोहा व इस्पात के नियंत्रण कार्यालय हैं। इसका कार्यालय कलकत्ता में है। यह मंत्रालय लोहा व इस्पात के उत्पादन और आयात निर्यात का भी नियंत्रण करता है।

हिन्दुस्तान स्टील लि० का बोकारो यूनिट स्वतंत्र कर दिया गया है। कम्पनी के कार्यों में इस्पात कारखाना कोयला-शोधनालाओ एव राउरकेला (१८ लाख टन) भिलाई (२५ लाख टन) और दुर्गापुर (१६ लाख टन) का विस्तार करना तथा दुर्गापुर में निजी इस्पात का कारखाना लगाना है।

राउरकेला इस्पात कारखाना—हिन्दुस्तान स्टील लि का एक कारखाना राउरकेला (उड़ीसा) में है। इसके लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए जर्मनी की एक कम्पनी से १९५३ में करार किया गया। कारखाना ७२००० टन क्षमता का है तथा १७० करोड़ ₹० की लागत से प्लांट लगाया गया है। राउरकेला कारखाने का विस्तार काम १९६८ में पूरा हो रहा है।

उत्पादन (हजार टन में)

उत्पाद	१९६६-६७	१९६७-६८ (अप्रैल से दिसम्बर)
कोक (मूला)	१२७२	६१०
लोहा (गम धातु)	६३४	६५६
इस्पात पिण्ड	६४३	६३३
विशेष इस्पात	६८३	४४६
नाइने क्लियरिंग	१८८	१२२

भिलाई इस्पात कारखाना—फरवरी १९५५ में सोवियत रूस के साथ हुए एक करार के अन्तर्गत इसकी स्थापना भिलाई (मध्य प्रदेश) में हुई। इसकी प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता ७७००० टन का थी। पाउण्डरी गड का पिंग लोहा भी यह ३००००० टन तयार करता है। इसका प्रगति जा रही

उत्पादन (हजार टन में)

उत्पाद	१९६६-६७	१९६७-६८ (नौ मास)
कोक (सूखा)	१,६८२	१,५६१
लोहा (गर्म धातु)	२,०५२	१,५८०
इस्पात पिण्ड	१,८५२	१,३६६
विक्रय इस्पात	१,३२८	८५७

इस कारखाने की क्षमता बढ़ाकर २५ लाख करने का प्राय सभी कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने कारखाने की क्षमता २५ लाख टन से बढ़ाकर ३५ लाख टन करने के लिए कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना—यह १० लाख टन इस्पात की क्षमता का कारखाना ब्रिटिश स्टील कंसोर्टियम की सहायता से लगाया गया है। पहले इसे निजी क्षेत्र में लगाने का विचार था, किन्तु बाद में यह सरकारी क्षेत्र में लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की प्रगति इस प्रकार रही

उत्पादन (हजार टन में)

उत्पाद	१९६६-६७	१९६७-६८ (नौ महीने)
कोक (सूखा)	६००	७३३
लोहा (गर्म धातु)	८६७	६६१
इस्पात पिण्ड	७५४	५२८
विक्रय इस्पात	५५०	३६७

हिन्दुस्तान स्टील लि० का एक कार्यालय कलकत्ता में भी है। यह परिवहन और नौ कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्यालय के द्वारा १९६४ में ८८,००० टन आयात और लगभग ४०,००० टन निर्यात का काम किया गया।

बोकारो—१७ लाख टन इस्पात पिण्ड और ८.८० लाख टन फाउंड्री लोहे की क्षमता के बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण सरकार द्वारा मार्च १९६६ में स्वीकृत हुआ। अक्टूबर १९६७ में कारखाने के निर्माण के लिए सिविल इंजिनियरिंग कार्य प्रारम्भ हुआ। इस कारखाने का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। रूसी सस्था ने तकनीकी सहयोग के लिए ६५ रूसी विशेष बोकारो भेजे हैं।

२५ जनवरी, १९६५ को भारत-सोवियत करार, बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में हुआ। ६ फरवरी, १९६५ को रूस से समझौता हुआ। यह कारखाने के स्वरूप के बारे में था। दिसम्बर, १९६५ में रूस ने इस विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट दी, बोकारो स्टील लि० ने कुछ सशोचनों के साथ रूसी योजना को स्वीकार कर लिया।

बोकारो प्लाट की कुल उत्पादन क्षमता ४० लाख टन होगी। बोकारो का निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में १७००० टन क्षमता का प्लाट लगाया जायगा।

कारखाना ३६८३० एकड़ भूमि में होगा। पर अभी १३,३०० एकड़ भूमि ही प्राप्त की गई है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कस्ट्रक्शन लि० इसके लिए स्थल का निर्माण कर रहा है।

बोकारो के प्रथम चरण पर ६२६ करोड़ २० और सम्पूर्ण पर ६०० करोड़ २० व्यय होने का अनुमान है ।

२६ हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कस्टमर लि०—यह इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पनी है । इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ २० है । भविष्य में उगाये जाने वाले इस्पात के कारखानों तथा उससे सम्बन्धित सुविधाओं का निर्माण यह करेगा । बोकारो कारखाने के लिए यह जमीन को समतल कर रही है । स्ट्रकचरन फ़ैक्ट्रीकेशन शाप के लिए यह याद तयार करेगा रेल सुविधायें प्रदान करना भी इसका काम है । बोकारो में इस पर ४७ लाख २० खर्च होगा ।

२७ मसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स—इसकी विस्तार योजना पूरी होने वाली है । इसकी इस्पात उत्पादन की क्षमता ८ हजार टन से २ लाख टन करने की विस्तार योजना पर काम हो रहा है । यहाँ मिश्र और विंगिष्ट इस्पात तयार करने का विचार है ।

२८ लिगनाइट फ़व्वरी—यह नेविली परियोजना के अंतर्गत है जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार की है । इस पर व्यय लगभग १११ ६६ करोड़ २ हुआ है । इसके पांच जगह हैं खान उत्खनन ताप विद्युत योजना रासायनिक उर्वरक प्लांट क्रिकेट निर्माण रायन तथा मिट्टी प्रशोधन-सयन ।

२९ आयल इण्डिया लि०—फ़रवरी १९५६ में इसकी स्थापना असम में हुई । इसमें भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी समान साझेदार हैं । इस कम्पनी की स्थापना तेल पेट्रोलियम और गैस के उत्पादन के लिए हुई है । तेल को परिष्कृत करने के लिए दो तेल गोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं जो बरोनी हृदिया में हैं । पाइप लाइन द्वारा तेल हृदिया और बरोनी पहुंचाया जाता है । इसके अतिरिक्त आसाम आयल कम्पनी के डिगबोई तेल गोधक कारखाने को भी तेल पहुंचाया जाता है ।

३० इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि०—इसके अंतर्गत दो सरकारी कम्पनियाँ हैं । १ इण्डिया आयल कम्पनी—यह सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न पेट्रोल व किरासीन तेल को बेचने वाला सरकारी संगठन है २ इण्डिया रिफ़ाइनरी लि०—यह तेल गोधक कम्पनी है । इसमें निजी क्षेत्र भी है ।

इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि० की स्थापना ७५ करोड़ २० की पूँजी से की गई है । एन व मदन मुक्ताम प्रमोद बम्बई और नई दिल्ली हैं ।

३१ अगोवा होटल लि० नई दिल्ली—एक निजी कम्पनी यूनेस्को कॉर्पोरेशन के मोर्चे पर एक बड़ा होटल बनाना चाहता था । पर वह आवश्यक पूँजी एकत्र न कर सकी । अंत में १९५६ में भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया । यह होटल अक्टूबर १९५६ में काम कर रहा है ।

३२ हैवी इन्डस्ट्रियल (इण्डिया) लि०—भारत में अपने ढंग की यह एक ही संस्था है । भारत सरकार ने इसकी स्थापना की । यह स्विच गीयर बट्टों व पवन ट्रान्स्फ़ॉर्मर काम आउट ट्रान्स्फ़ॉर्मर आदि विद्युत व साज-सामान तयार करता है । उत्पादन १९६० ६१ में आरम्भ हुआ ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० एमोसियेटेड इलेक्ट्रिकल्स इण्टस्टीज लन्दन के तकनीकी सहयोग से कार्य कर रहा है। वह कम्पनी रेल पटरियों के उपकरण व हाइड्रो-टर्बाइन भी बनाती है। १९६७-६८ में इसमें १,८३६ लाख रु० के माल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। अप्रैल से नवम्बर, १९६७ तक ८२८ ५९ लाख रु० मूल्य का माल तैयार हुआ था।

विजली के भारी उपकरणों की बढ़ती माग को पूरा करने के लिये इसके उत्पादन की विस्तार-योजनाएँ हैं।

प्रति वर्ष ८,००० अतिरिक्त ट्रैक्शन मोटरो तथा सम्बन्धित उपकरणों के उत्पादन की एक योजना विचाराधीन है।

३३. इण्डिया हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०—इस कम्पनी के चार प्लाट विभिन्न जगहों में लग रहे हैं—(१) हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेण्ट प्लाट, रानीपुर, हरिद्वार, (२) हैवी प्रेशर वायलर प्लाट, तिरुवेराम्बूर, (३) हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लाट, रामचन्द्रपुरम् और (४) स्विच गियर प्लाट रामचन्द्रपुरम्।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेण्ट प्लाट, रानीपुर—का निर्माण हरिद्वार के पास सोवियत रूस की सहायता से किया जा रहा है। यहाँ १५ लाख किलोवाट के स्टीम टरबाइन, १२ लाख किलोवाट के हाइड्रो टरबाइन व जेनरेटर तथा ५१५ लाख किलोवाट की विजली की बड़ी मोटरो का निर्माण किया जायगा। सयत्र का औपचारिक उद्घाटन जनवरी, १९६७ में हुआ।

परियोजना पर ६,८०० लाख रु० व्यय का अनुमान है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ४,००० लाख रु० के लगभग की होगी।

हैवी प्रेशर वायलर प्लांट, तिरुवेराम्बूर—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया जा रहा है। यह परियोजना २,३०० लाख रु० की है। यहाँ प्रति वर्ष ७५० मेगावाट के १२ फिटिंग और पैकेज वायलरो का निर्माण होगा। कारखाने के प्रथम चरण का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है तथा उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है।

हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लांट, रामचन्द्रपुरम् (आन्ध्र प्रदेश)—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया जा रहा है। इस कारखाने में ८०० मेगावाट के स्टीम टरबाइन और विभिन्न नापो के १०० मेगावाट के टरबोआल्टरनेटर प्रति वर्ष तैयार होंगे। चेकोस्लोवाकिया ४९२ लाख रु० की मशीनें देगा। इसके अतिरिक्त ६२६ लाख रु० के कल-पुर्जों भी देगा। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सितम्बर, १९६५ से इसके फैब्रिकेशन शाप में उत्पादन प्रारम्भ हुआ। गत वर्ष कुल उत्पादन १ ५९ करोड़ रुपया हुआ।

स्विच गियर प्लांट—के लिए स्वीडिस फर्म अलयन्ता स्वेस्का इलेक्ट्रिक्सा एकीवोला जेट के साथ २-४-६५ को समझौता किया गया है। यह कम्पनी २९० लाख क्रोन कर्ज देगी जिसमें आवश्यक उपकरण स्वीडन से खरीदे जायेंगे। कारखाने का निर्माण-कार्य १९६६ में पूरा हो गया। उत्पादन अक्टूबर १९६६ से प्रारम्भ हुआ। यह परियोजना २७५ करोड़ रु० की है।

सेण्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज, हरिद्वार—की परियोजना को इसलिए बनाया जा रहा है कि

वह इस्पात की ढली और गद्दी वस्तुओं और बिगैपकर इस तरह की गद्दी व ढली वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करेगी जिनकी आवश्यकता हरिद्वार भोपाल हैदराबाद तथा तिरुचिरा पल्ली के कारखानों में बिजली व भारी उपकरण और वायलर बनाने के लिए होती है। इस परियोजना पर लगभग २६ करोड़ रु व्यय होने का अनुमान है। स्थापना स्थल पर सयत्र लगाने का प्रारम्भिक काय शुरू कर दिया गया है।

३४ यूरेनियम थोरियम फक्टरी बम्बई—इस फक्टरी की नींव जनवरी १९५५ में रखी गई। इस पर ४५ लाख रु व्यय होगा। यह २०५ से २८८ टन थोरियम नाइट्रेट प्रति वष तयार करेगी। यहाँ देश में उत्पन्न यूरेनियम का परिष्कार किया जायगा।

३५ हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन रांची—इसकी स्थापना १९५८ में भारी मशीनों के बनाने के लिए की गई। इसके तीन भाग हैं (१) हैवी मशीन विल्डिंग प्लाट (२) फाउण्ड्री फोज प्लाट (३) हैवी मशीन टूलस प्लाट।

भारी मशीनों बनाने का सयत्र—इसकी क्षमता ८० हजार मीट्रिक टन भारी मशीनों प्रति वष है। इसका एक इस्पाती ढांचे बनाने का ववशाप है जिसकी वार्षिक क्षमता २५ हजार मीट्रिक टन है। यह रुस की सहायता से लगाया गया है।

फाउण्ड्री फोज सयत्र—चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह प्लाट लगाया गया है। इसकी वार्षिक क्षमता १ लाख ४७ हजार मीट्रिक टन है।

हैवी मशीन टूल प्लाट—इसका निर्माण भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुआ है। इसकी वार्षिक क्षमता १० हजार मीट्रिक टन है। इसकी मुख्य इमारत का निर्माण-काय पूरा हो चुका है।

३६ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—इसकी स्थापना अक्टूबर १९५८ में की गई। सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का विकास करना इसका काय है। सिगदेनी कोयला क्षेत्र (आंध्र) को छोड़कर ११ कोयला क्षेत्र हैं। इस्पात के प्लांटों की कोयला की आपूर्ति के लिए कोयला शोधन सयत्र का प्लाट कारगली (बिहार) में नवम्बर १९५८ में स्थापित हुआ था।

३७ इंडियन रेयर अलुमिना लि०—अगस्त १९५५ में इसकी स्थापना की गई थी। यह केरल सरकार और भारत सरकार की संयुक्त योजना है। यह फक्टरी हर साल १५० टन मानो जांट म १५० टन रेयर अलु तयार करती है। यह कारबोनेट और सोडियम फास फेस भी तयार करती है।

८ हिंदुस्तान स्लाट्स लि०—मामर भीन में नमक बनाने का काम सरकार ने आया हाय में किया है। इस लिए एम कम्पनी का स्थापना जयपुर में की गई है। सर गोधा (गुजरात) में नमक बनाने का काय भी एमो कम्पनी व अधीन है। एम कम्पनी की पत्नी दो करोड़ रु है। यह नमक उद्योग सम्बंधी सब कायों व लिए जिम्मेदार है। इसकी पुनता पूंजी १७८८१ लाख रु है।

कम्पनी व सरगोधा और मडी म्पिन दाना कारखाना में १९६७ में मिनम्बर तक ८७५१७ मीट्रिक टन नमक पत्ता हुआ। एमो अवधि में १९६६ में १८७८४५ मीट्रिक टन पत्ता हुआ था।

साभर साल्ट्स लि०—की अधिकृत पूजा एक करोड रुपया है अग पूजा मे से ६ हजार हिस्से हिन्दुस्तान साल्ट लि० के तथा ४००० राजस्थान सरकार के है। प्रत्येक हिस्सा एक हजार ८० के है।

साभर ने सितम्बर, १९६७ तक १८७००० मीट्रिक टन नमक का उत्पादन किया। इस अवधि मे १९६६ मे इसने १,९३,००० मीट्रिक टन नमक उत्पादित था।

३९. उडीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि०—यह उडीसा और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसका काम उडीसा की खानो से लोहा और अन्य खनिज द्रव्य डूडना, इकट्टा करना और निर्यात की व्यवस्था करना है।

४०. टेलीप्रिंटर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०—भारत सरकार और इटालियन कम्पनी ऑलिवेती के बीच इसके लिए अमर्झता हुआ है। इसकी स्थापना १९६० मे की गई थी। दोनो के बीच सहयोग १० साल रहेगा। इटालियन कम्पनी को रायल्टी मिलेगी।

४१. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०—नेपा नगर (मध्य प्रदेश) मे इसकी स्थापना की गई है। यह नेपा मिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना १९४७ मे एक निजी कम्पनी के अधीन हुई थी, पर वह इसे चला नहीं सकी। अत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को जनवरी १९५५ मे सौंप दी गई।

इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३०,००० मी० टन है। १९६७ मे इस एकक मे ९०० मी० टन की थोडी वृद्धि की गई। इसकी क्षमता ४५००० मी० टन प्रति वर्ष करने की विस्तार योजना लागू की जा रही है। पूरा उत्पादन १९७० से होने लगेगा।

४२. इण्डियन इजीनियरिंग लि०—औद्योगिक परियोजना के लिए डिजाइन बनाने, उसका निर्माण करने और तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए यह कम्पनी अमेरिका की वेशटल इण्टरनेशनल कार्पोरेशन के सहयोग से स्थापित की गई है।

४३. इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि०, कोटा—इसका पजीकरण मार्च १९६४ मे किया गया। यह कोटा मे सूक्ष्म यन्त्र बनाने के कारखाने की स्थापना और पालघाट, केरल मे मशीनी औजार बनाने के कारखाने की स्थापना करेगा। इनके लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता सोवियत रूस द्वारा दी जा रही। इसकी अधिकृत पूजा ७०० लाख ८० है।

कोटा के सूक्ष्म यन्त्र कारखाने के स्थापना स्थल पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आयातित मशीनो का एक बडा हिस्सा वहाँ पहुच गया है। पालघाट कारखाने की स्थापना का कार्य फिलहाल स्थगित है।

४४. भारत हेवी प्लेट एण्ड हेवी वेसल्स लि०, नई दिल्ली—कम्पनी की स्थापना जून '६६ मे की गई। कारखाना उर्वरक, पेट्रोल-रसायन तथा अन्य रसायन उद्योगो के उपकरणों का निर्माण करेगा। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २३ हजार मी० टन होगी और उसका मूल्य लगभग १० करोड ८० होगा। यह चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया जा रहा है तथा सम्पूर्ण परियोजना १९६९ तक पूरी होगी।

४५. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, प्रयाग—इसका पजीकरण भारी ढाचे बनाने वाली परियोजना के लिए जुलाई, १९६५ मे किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत

(लाख रुपये में)

	१९६६		१९६७	
	क्षमता	वास्तविक उत्पादन	क्षमता	अनुमानित उत्पादन
चीनी मिल	१ ४६०	८७२	१ ४६०	९७०
द्रुमारतों व सड़कें बनाने की मशीनें	४६८	२१०	४७५	१४०
खनन मशीनें	२८३	४९	९६३	३३९
सीमेट	२ ३००	६११ ०७	२ ३००	६५०
रसायन व फार्मोसी	१ १६४	८९७	११ ८९५	९००
वातानुकूल व प्रशीतन उपकरण	१ ३००	६३२	१ ५००	७००
औद्योगिक वायलर	१ ४६०	८७२ ०५	१ ४६०	९७०
कागज व गुग्गदी मशीन	६४५	२३	६४५	२५०
कनवेयर	८००	४६४ ६३	८००	४००
इस्पात संयंत्र उपकरण	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	१ २८०	५१५



१९६६ में देश में वस्त्र उद्योग की १८०० करोड़ रुपये तथा पटसन उद्योग की ३२१ करोड़ रुपये की मूल्य की मशीनों का निर्माण हुआ।

छपाई की मशीनें बनाने में भी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त इस्पाती साचे ट्यूब पाइप बाल बीयरिंग मशीनी औजार टिचस्ट ड्रिल ग्रिडिंग चक्की हैक्शा लेड, जीप और कार उद्योगों में भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग के लिए कलेंरिंग मशीन भी बनने लगी हैं। इस प्रकार विजनी के सम्प एयर कण्डीशनर घरेलू मीटर टाइप राइटर देश में तैयार होने लगे हैं।

चीनी

विश्व भर में भारत सबसे बड़ा चीनी-उत्पादक देश है यद्यपि गन्ने की उपज १४ १५ टन प्रति एकड़ ही है। गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब महाराष्ट्र आंध्र और मणाल। उत्तर प्रदेश और बिहार देश भर में उत्पन्न कुल चीनी का ७० प्रतिशत पका करते हैं। भारत में उत्पन्न गन्ने का ५५ प्रतिशत गुड़ और शाण्डमारी बनाने में सपना है। चीनी बनाने में उत्पन्न गन्ने का केवल २५ प्रतिशत मिला जा जाता है।

वस्त्र के बावें भारत का यह सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी का उत्पादन १९६५ ६६ में ४ लाख टन से अधिक हुआ। चीनी का निर्यात ४४१ लाख टन किया गया।

चीनी उद्योग की प्रगति को देखने से ज्ञात होगा कि उत्पादन सभ्य एक-सा नहीं रहता।

१९६० २१ में १७५ मिनें थी और उत्पादन ३० २९ लाख टन हुआ था लेकिन इसके बाद उत्पादन घट गया। यथा

चीनी का उत्पादन

१९६०-६१	३० २९ लाख	टन
१९६२-६३	२१.५२ लाख	टन
१९६३-६४	२५ ६७ लाख	टन
१९६४-६५	३२ ५८ लाख	टन
१९६५-६६	३४ ५८ लाख	टन
१९६६-६७	२२ ०० लाख मी० टन	

प्लाईवुड

यह उद्योग देश के इन क्षेत्रों की मांग पूरी करता है (१) फलस दरवाजा (२) कृष्ण-पट्ट (ब्लैक बोर्ड) (३) व्यावसायिक प्लाई वुड (४) पैकिंग प्लाई वुड (५) चायपेटी प्लाईवुड (६) मैरीन प्लाईवुड, (७) ककरोट राटरिंग प्लाईवुड ।

साइकिल

भारत में साइकिल सबसे पहले १८९० में दिखाई दी थी । साइकिल उद्योग सबसे पहले १९२५ में मद्रास में जर्मनी की सहायता से प्रारम्भ हुआ था । १९६७ में १७ लाख ६६ हजार साइकिलों का निर्माण हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष में १६ लाख ३१ हजार ४०० साइकिलें बनीं । देश में साइकिल बनाने वाली एकक हैं । साइकिलों के पुर्जे बनाने वाले ५५ एकक हैं ।

कागज और गत्ता .

आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रारम्भ १८३० में हुआ । इस वर्ष डा० केरी ने कलकत्ते में कागज बनाने की पहली मिल स्थापित की । यह प्रयत्न विफल रहा । इसकी मशीनें १८७० में रायल पेपर मिल्स, बालूनी भेज दी गईं । इस कम्पनी की स्थापना १८६७ में हुई थी । अपर इण्डिया पेपर मिन्स, लखनऊ की १८८२ में और टीटागढ़ पेपर मिल्स, कलकत्ता की स्थापना १८८६ में हुई । १८९१ में बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज में स्थापित हुई । १९२५ में कागज उद्योग को राजकीय मरक्षण दिया गया । १९४७ तक यह उद्योग सरक्षित रहा । दूसरे महायुद्ध के समय कागज मिनो की मर्यादा बढ़कर १५ हो गई तथा आज ५६ है । अन्धगर्गी कागज का बनाना १९५९ में नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपा नगर ने प्रारम्भ किया । इसकी उत्पादन-क्षमता ३०,००० टन प्रतिवर्ष है । १९६७ में कागज का उत्पादन ६०० हजार मी० टन हुआ जबकि इसके पूर्व इसका उत्पादन ५८५ हजार मी० टन था । एक मील ग्रेन ग्रेड लुगदी तैयार करती है ।

चमड़ा और खाल

विदेशी विनिमय-उपायों की दृष्टि में चमड़ा-उद्योग का स्थान चौथा है । १९६६ में ४२ २५ लाख चर्मगण्ड पैदा हुए थे । जबकि १९६७ में ४१ ४७ लाख कमाई गई । कछुआ, मगरमच्छ, साप, छिपकली, पशुपान आदि में उत्पन्न खाल बतिरिक्त है । १९६६ में देश में पाश्चात्य एव टैगो क्रिम्म में क्रमशः १.१४ लाख तथा ६७ ४३ लाख जोड़े जूते बनाए गए । १९६७ में जूता जोड़ों की यह मर्यादा १.०१ ६५ लाख तथा ७५ ५८ लाख थी ।

जूता उद्योग का मगठन लघु परिमाण के आधार पर ही हुआ है, यद्यपि मद्रास, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में बड़े-बड़े चर्मालय हैं । देश भर में लगभग ७२५ चर्मशालाएँ या टैनरिया हैं । इनमें से २४ बड़ी इकाइयाँ हैं ।

वनानिक व डाक्टरी उपकरण

दश म इस समय वनानिक आलेख्य (डाइग) सबे गणित एवम रे औद्योगिक मापक यत्र जाति बनाने के ४६ एकर हैं। पाच यूनिटें इनेको डाक्टरी उपकरण तयार करती हैं।

रेयन

भारत म यह उद्योग १६ साल पुराना है। दूसरे महायुद्ध के बाद १९५० मे एसका आरम्भ इस देश म हुआ। विसकोज रेयन इस समय यूनतम मूल्य का रासायनिक माल है। उद्योग के सब क्षेत्रो म इसको स्वीकार कर लिया गया है। इसको पदा करने वान मुख्य द्रव्य हैं गंधन का अम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड) और रेयन ग्रड कास्टिक सोडा। य अब भारत म ही तयार होने गे हैं।

रेशम

यह एक अत्यन्त प्राचीन उद्योग है परन्तु यह विनाशो मुख था। दूसरा महायुद्ध इसको पुन जीवन देने वाना सिद्ध हुआ। रेशम के कीड़े पालने का उद्योग ग्राम व कुटीर उद्योग है। लघु उद्योगो म एसका महत्वपूर्ण स्थान है। कुल उत्पन्न कच्चे रेशम का आधा भाग मसूर म पन्ना होता है। एसके बाद असम बंगाल मद्रास व जम्मू कश्मीर के स्थान हैं।

गत्तूत के पत्तो से भिन्न पत्ता पर पाले गय रेशम के कीड़ो से तयार हुआ रेशम नागरिको के वस्त्र बनाने के काम आता है। शहतूत के पत्तो पर पाले गय रेशम के कीड़ो का तयार किया गया रेशम सेना म काम आता है। भारत पाक युद्ध के बाद से देश मे दाह तूनी रेशम की आवश्यकता बहुत बढ गई है। रेशम उद्योग को भारत सरकार १९५५ से सारक्षण दे रही है। इससे पहल १९४६ म केन्द्रीय रेशम परिषद की स्थापना की गई।

आयात की आवश्यकता पूरी करने के विचार से १९५८ म सेंट्रल सिल्क वम स्टेगन थीनगर म स्थापित किया गया। बरहामपुर (५० बगान) मे सेंट्रल सेरीकल्चरल रिगव स्टेगन की स्थापना की गई। इसकी एक गात्ता कनिम्पोग म स्थापित की गई। मसूर म अखिल भारतीय मरीकल्चरल ट्रनिंग इस्टीच्यूट है। मसूर म उत्पन्न जाजट रेशम दंग भर म सर्वोत्तम माना जाता है।

मिलाई मशीनें

मिलाई मशीन बनाने का पहला कारखाना १९३७ म गगाया गया। दूसर महायुद्ध क वान स एन उद्योग म तेजी म वृद्धि हुई। मशीन का प्रत्येक कल पुत्रा एम दंग म ही तयार होना है।

ऊन उद्योग

भारत हर मान लगभग दम लाम पीठ ऊन पन्ना करता है। प्रति भट साल म तीन बोपाई पीठ म नकर चार पीठ तक ऊन हाना है।

ऊन वस्त्र उद्योग बहुत कुछ आपातिन ऊन पर निर्भर है। अच्छे कम्बना के नायक ऊन भा यहा कम होती है।

गलीचा

ऊनी दरिया, गलीचे और फर्शी भारत मे तैयार ऊनी मालो सर्वोत्तम है। गलीचा वुनाई एक सगठित उद्योग है। इसके मुख्य केन्द्र है अमृतसर, आगरा, ग्वालियर और जयपुर। यहा अच्छी किस्म की दरिया व फर्शी तैयार होते है। कश्मीर के गलीचे ऊची किस्म के होते है। कश्मीर मे साधारण किस्म का भी माल तैयार होता हे। मैसूर, वेल्लारी, वगलौर और दक्षिण के अन्य स्थानो मे ड्रगेट तैयार होते है।

सीमेट

पोर्टलैंड सीमेट का बनाना सर्वप्रथम १६०४ मे मद्रास मे प्रारम्भ हुआ। परन्तु यह परियोजना विफल रही। इसके नौ साल बाद पोरबन्दर मे फ़ैक्टरी बनाई गई। इसके बाद लखेरी और कटनी मे फ़ैक्टरी लगाई गई। १६२६ मे भारतीय सीमेट निर्माता सघ की स्थापना हुई। सीमेट का व्यवहार लोकप्रिय बनाने के लिए १६२७ मे ककरीट एसोसियेशन ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। १६३० मे सीमेट मार्केटिंग कम्पनी आफ इण्डिया की स्थापना की गई, जो सदस्य कम्पनियो द्वारा उत्पादित सीमेट के बेचने की व्यवस्था करती है।

इस समय देश मे सीमेट तैयार करने वाली ४० एकक है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता १२८ लाख मीट्रिक टन है। इसमे ३ वर्ष मे ६ लाख मीट्रिक टन की और वृद्धि हुई। सीमेट (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, १६६२ मे जारी किया गया। यह सीमेट मे मिलावट को रोकने के लिए था। १६६६ तथा १६६७ मे सीमेट का उत्पादन १११ लाख तथा ११७ लाख मीट्रिक टन हुआ। एसवेट्स सीमेट उत्पाद की पाच एकक है जिनकी क्षमता ३४२८ मीट्रीक टन प्रतिवर्ष है।

चीनी मिट्टी के बर्तन (कुम्हारी उद्योग)

दुनिया का यह सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। मिट्टी के बर्तनो का उपयोग शहरो और गावो मे एक समान किया जाता हे। मामूली चिकनी मिट्टी के बर्तनो की जगह चीनी मिट्टी के बर्तनो ने ले ली है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की इस समय भारत मे ६८ फ़ैक्टरिया है। सफेद बर्तनो, आरोग्य व सफाई के बर्तनो, ग्लेज्ड टाइल बनाने और उच्च तनाव के ताप अवरोधको (इसुलेटरो) के निर्माण मे बडी प्रगति हुई है। इस उद्योग के केन्द्र है मध्यप्रदेश, प० वगाल, महाराष्ट्र, मद्रास और मैसूर। केरल सरकार भी इस उद्योग को चलाती है।

रवड का बना माल

रवड से बनने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओ मे भारत प्राय आत्मनिर्भर है। रवड का माल तैयार करने वाली ४०० एकक है। इसके अतिरिक्त ७३ सगठित एकक है। ये मोटर टायर से लेकर रवड के खिलौने तक बनाते है।

देश मे रवड से १३० किस्म की चीजे बनाई जाती हे। कच्चे रवड का ८५ प्रतिशत तो मोटरो व वाइसिकलो के टायर-ट्यूव और रवड के जूते बनाने मे लगता हे। मोटर के टायर बनाने वाली ८ कम्पनिया है। इनके अतिरिक्त और बडे-बडे ५० यूनिटे देश भर मे फैली हुई है।

रबड उद्योग का सूत्रपात भारत में १९२० में हुआ। इसी गान कानवास में गारगागा लगाया गया। शाहगज (५० बगान) में दूसरी फक्ट्री १९३६ में स्थापित हुई।
दियासलाई

पहले महायुद्ध से पहले भारत में दियासलाई उद्योग का कोई अस्तित्व नहीं था। १९२२ में इस पर आयात कर लगान के बाद इस देश में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। १९२८ में इस उद्योग को सरक्षण मिला। फलतः विदेशों से दियासलाई का आना ही बन्द हो गया।

पेंट व तल कोटिंग पदाथ

प्रतिमानित विस्म के पेंट एनामेन, वार्निंग और मुख्य मुख्य बच्च मान का उत्पादन बढ़ा है और यह उद्योग बराबर प्रगति कर रहा है।

काच या शीशा

यह भी भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। १९५६ में पजीरुत काच की फक्ट्रिया १२३ थी और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३६२२८४ टन थी।

काच की अधिकांश फक्ट्रिया ५० बगाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं। इन १२५ एकको में १२ करोड़ २० की पूंजी लगी हुई है। ये १८ करोड़ २० का सामान तयार करते हैं।

साबुन

साबुन बनाने का उद्योग कुटीर उद्योग के साथ साथ बढ़ा उद्योग भी है। साबुन बनाने वाली बड़ी यूनिटा की संख्या ६१ है। इनमें से लगभग एक तिहाई महाराष्ट्र और ५० बगान में हैं।

मोटर गाडी उद्योग

इस उद्योग की दृष्टि से १९५४ का साल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस वर्ष भारत सरकार ने एक सांख्यिक कदम उठाया और मोटर गाडी बनाने या बाहर से आये पुर्जों को जोड़ने का काम तीन कम्पनिया तक सीमित कर लिया। इनको निश्चित कार्यक्रम-संक्षेप पूरा करने के लिए कहा गया। तब यह रखा गया कि अन्ततोगत्वा भारत में बनी मोटर गाडी के सब अवयव और भाग व कल-पुर्जों भारत के बने हों।

इसके लिए हिन्दुस्तान मोटर्स कानकता प्रीमीयर आटोमोबाइल बम्बई महिद्रा एण्ड महिद्रा बम्बई अगोक ले सड मद्रास स्टण्डड मोटर प्रोडक्टस मद्रास और टाटा टोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी बम्बई को चुना गया। इनके अतिरिक्त डिजन इनजिन बनाने वाली और दो कम्पनिया भी हैं—सिम्पसन एण्ड को और आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इण्डिया। इनको १९५५ में मान्यता प्राप्त हुई।

इस उद्योग को दस साल के लिए सरक्षण दिया गया है। इसके उत्पादन के आंकड़े यह हैं

	उत्पादक इकाइया	१९६६	१९६७
वार्षिक मोटर गाडिया	६	३३१६२	३०६५०
कारें	३	२७५६७	३२६७०

जीप	१	१०८६६	५७७०
स्कूटर	३	२०६७१	३०७००
मोटर साइकिल	३	२५०४२	२३७००

प्लास्टिक

भारत में प्लास्टिक उद्योग अभी नया है। पर वह प्लास्टिक का बना माल निर्यात करने की स्थिति में है। इसके लिए स्थापित सस्था का नाम है प्लास्टिक एण्ड लिनोलियम एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल। भारत में प्लास्टिक उद्योग कच्चा माल और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) माल तैयार कर रहा है। भारतीय प्लास्टिक उद्योग द्वारा उत्पादित चीजों में से कुछ है फेनोल फारमल डी हाईड, ग्रियारा-फारमल डी हाईड, पोलिथेन, पोलि स्टीरेन। उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी प्लास्टिक की चीजें बड़ी संख्या में बनाई जा रही हैं।

तम्बाकू

भारत का दुनिया में तम्बाकू पैदा करने में तीसरा स्थान है। यह एक नकदी फसल है। इससे सरकार को हर साल ५० करोड़ ६० की आय होती है तथा एक करोड़ ६० की विदेशी मुद्रा मिलती है। तम्बाकू पर सेस भी लिया जाता है। तम्बाकू उद्योग में आंध्र और महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। आंध्र का भाग ३५ प्रतिशत और महाराष्ट्र का लगभग २५ प्रतिशत है। लगभग ६० प्रतिशत तम्बाकू से सिगरेट-तम्बाकू बनाया जाता है। भारत सरकार ने १९४५ में 'इण्डियन सेंट्रल तम्बाकू कमेटी' की स्थापना की है।

जटा-जूट (कोयर)

नारियल के उपरले खोल के जटा जूट से निकाले गये सूत व रेशे को कोयर कहते हैं। भारत विश्व में कोयर का एक मात्र उत्पादक है। कोयर उद्योग केरल में केन्द्रित है। इसमें ६ लाख व्यक्ति काम करते हैं। मुख्य रेशा या सूत है चटाई-रेशा और कुरीड रेशा। इसमें अधिक मात्रा चटाई रेशे की होती है। अलेप्पी के पार कालावूर में अनुसंधान सस्था है। उलवेरिया (हावडा) में एक नमूने की फैक्टरी खोली गई है। कुल उत्पन्न माल का आधा भाग निर्यात किया जाता है। पायदान, फर्शों, रस्से आदि तैयार किये जाते हैं।

१९५३ में कोयर बोर्ड की स्थापना कोयर इंडस्ट्रीज एक्ट, १९५३ के अधीन की गई है। कोयर उद्योग के विकास के लिए कोयर बोर्ड स्थापित किये गये हैं। समस्त कोयर रेशे पर १ प्रतिशत से अधिक लेवी नहीं ली जाती।

खेल का सामान

खेल का सामान बनाने का उद्योग उत्तरी भारत तक सीमित है। जालन्धर और मेरठ शहर इसके केन्द्र हैं। अन्य स्थान दिल्ली, वटाला, पटियाला, आगरा, लखनऊ और इलाहबाद व जम्मू-कश्मीर हैं। इनके लिए आवश्यक कच्चा माल विलो और शहतूत की लकड़ी है जो कश्मीर और देश के अन्य भागों में पैदा होती है। यह कुटीर उद्योग है।

खाद्य-पदार्थ

द्रव ग्लूकोज, डेक्सटरोज चूर्ण, विस्कुट, मिठाइयाँ, चाकलेट, दुग्ध चूर्ण आदि का निर्माण बराबर बढ़ रहा है। शिशु-आहार बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा है। डबल रोटी

बनाने का उद्योग भी बढ रहा है। अपनी आवकता का विस्तृत भारत पत्र बर सता है। यही बात मिठाइयो या मीठी गोलिया के बारे में है। संगठित उद्योग क्षेत्र की ३१ फ़ैक्ट्रिया प्रति वर्ष ५२ ००० टन विस्कुट तयार करती हैं। मिठाई बनाने की ३० फ़ैक्ट्रिया हैं। इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ४० ००० टन है।

लाख

इसके कीड़े पलाश वेर और कुमुम के पड़ पर पाने जाते हैं। बिहार उड़ीसा अमम मध्य प्रदेश और प० बंगाल लाख के मुख्य उत्पादक हैं। लाख का मुख्य बाजार कलकत्ता है।

वनस्पति उद्योग

भारत में प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप से इसका आगमन हुआ। पहली वनस्पति फ़ैक्टरी १९३० में स्थापित हुई।

भारत सरकार ने १९४४ में इस उद्योग के नियंत्रण के लिए कानून बनाया और इसके लिए एक अपसर नियुक्त किया। इसकी अनुमति लिये बिना नई फ़ैक्टरी का खोला जाना रोक दिया गया। पर आयन प्रोडक्ट्स कण्ट्रोल आडर के बावजूद वनस्पति तयार करने वाली फ़ैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती ही गई।

बागान उद्योग

भारत में बागान—काफी चाय और रबड़ के बागान कुल फ़सल के क्षेत्र के ६४ प्रतिशत में हैं। ये भारत के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में केंद्रित हैं। ये १२ लाख लोगो को रोजगार देते हैं।

चाय—भारत के निर्यात व्यापार में जूट के बाद चाय का दूसरा स्थान है। १८६५ से पहल चाय सरकारी बागानों में उगाई जाती थी। १८६५ के बाद से यूरोपियन फर्मों ने इसका प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और इस उद्योग में घन भी नयाया। १९६० में चाय ५८१ ० हैक्टर (एक हैक्टर २ $\frac{1}{2}$ एकड़) में बोई जाती थी। कुल उत्पन्न चाय का ८० प्रतिशत उत्तरी भारत में उत्पन्न होता है। दक्षिण में मद्रास मसूर केरल जीर कुंग में चाय के बाग हैं। टी एक्ट १९५३ का प्रशासन टी बोर्ड करता है। चाय की विक्री नीलाम से होती है। उसका भी नियंत्रण यही प्राधिकार करता है। टी सेस द्वारा रमकी विस्तीय आवकताए पूरी की जाती हैं। १९६६ में २७ करोड़ ५४ लाख कि ग्रा चाय का उत्पादन तथा १७ करोड़ १७ लाख कि ग्रा० चाय का निर्यात किया गया। निर्यात से १३२ करोड़ ५० लाख रुपय की आय हुई।

काफी—१९६३ ६४ में काफी की पदावार विश्व में कुल ६८२ १५ ००० थले (या ४०६ २६ ००० टन) हुई थी।

प्राय सम्पूर्ण काफी मसूर केरल और मण्डल में उत्पन्न होती है। अरेबिका काफी स्वाद की दृष्टि से उम्दा है। राब्टा काफी की प्रतिरोध शक्ति अद्भुत है। कीट रोग आदि का यह प्रतिरोध कर सकती है। इसकी उपज भी अधिक है रसका बोना भी सस्ता है। १९६६ ६७ में ७० हजार मी० टन काफी का उत्पादन हुआ जिसमें से ३१ ००० मी० टन काफी निर्यात की गई।

रवड •

रवड का सामान और विभिन्न वस्तुएँ बनाने का मुख्य कच्चा माल नैसर्गिक रवड है। नैसर्गिक रवड की कुल आवश्यकता का ५० प्रतिशत भारत में उत्पन्न रवड से पूरा होता है। शेष का आयात करना पड़ता है।

रवड का क्षेत्र पिछले दशक में ६० प्रतिशत बढ़ाया गया है। १९५४-५५ में रवड केवल १,७६,६४७ एकड़ में ही होता था। अब ४,००,००० एकड़ में होता है। मालाबार (केरल) में इसके विस्तार की सम्भावना बहुत है। वहाँ जंगल में भी रवड बोया जा सकता है।

भारतीय खनिज सम्पत्ति

आचार्य चाणक्य का कहना है कि खाने समृद्धि की मूल है। भारत के पास असीम खनिज सम्पत्ति नहीं है, लेकिन, फिर भी इस मात्रा में है, कि वह उसका समुचित उपयोग कर विश्व की एक महान शक्ति हो सकता है। सुरक्षा और सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध है। परन्तु टंगस्टन, टीन, पारा गन्धक व पेट्रोलियम-जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। बुनियादी खनिज पदार्थों-लोहा, मैंगनीज, एलमोनियम, मैगनेशियम, क्रोमियम और कोयला, ईंधन से देश भरपूर है। यूरेनियम, थोरियम, बीरेलियम, जिरकोरियम, टिटानियम और लीडियम सहित सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और आधुनिक युद्ध-कला और रण-कौशल में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले खनिज पदार्थ पर्याप्त है। थोरियम तो विपुल मात्रा में प्राप्त है। औद्योगिक विद्युत् उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के योग्य मात्रा में यूरेनियम है। सब प्रकार का कोयला अनुमानत ६,००,००० लाख टन है। १,००० फुट नीचे या इससे अधिक मोटी सतह में यह प्राप्त है। भारत का सभावित तेल क्षेत्र दुनिया भर का एक चौथाई है। यह ४०० हजार वर्गमील में फैला हुआ है। विश्व का तेल का सुरक्षित भण्डार २,१०० करोड़ टन बताया जाता है।

क्रोमाइट मुख्यतः विहार, उड़ीसा, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र में पाया जाता है। भण्डार का अनुमान ४८ लाख टन है।

लिंगनाइट, कच्चा कोयला मद्रास, राजस्थान, गुजरात व कश्मीर में पाया जाता है। यह २१३ करोड़ टन होगा।

वाक्साइट का भण्डार भारत में २५,००० लाख टन सुरक्षित है। यह लगभग भारत भर में पाया जाता है।

अन्नक की तीन मुख्य पट्टियाँ हैं १,५०० वर्गमील विहार में, १,२०० वर्गमील राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में।

ताम्बा सिंहभूमि (विहार) और खेतडी व डारीबो (राजस्थान) में पाया जाता है। भारत ताम्बे में आत्मनिर्भर नहीं है।

भारत की अन्य खनिज सम्पत्ति है—क्रोम-४८ लाख टन, सोना व इल्मेनाइट, ३,५०० लाख टन तथा जिप्सम ६८ करोड़ टन। कोलार स्वर्ण-क्षेत्र (मैसूर) में ३७ लाख टन स्वर्ण अभी शेष है। हूटी स्वर्ण खान (रायपुर) में ५ लाख टन है। रामगिरि (आन्ध्र) में भी सोना पाया जाता है।

कोणार्डट व सचित भण्डार विहार आ ध्र राजस्थान उडीगा मगराष्ट्र गीर मसूर म हैं । असम केरल मध्यप्रदेग और मसूर म सिलीमेनाट पाया गया है । कोगडुम असम मध्यप्रदेग और राजस्थान म पाया जाता है । अवेस मध्यप्रदेग म ४ तारा टन कोसटुम का सचित भण्डार है ।

खनिज सम्पत्ति के धार वग—भारत की खनिज सम्पत्ति ४ वर्गों की है —

(१) इतनी मात्रा म उपलब्ध है कि भारत प्नका निर्यात कर सकता है और इनके विश्व बाजार का नियन्त्रण करन की क्षमता रखता है । (२) इतनी मात्रा म है जिनका निर्यात करना सम्भव है । (३) वह खनिज-सम्पत्ति जिसम भारत आज आत्मनिभर है । (४) ऐसी खनिज-सम्पत्ति जिसके निचे भारत पूणत आमात पर निभर है ।

प्रथम वग म खनिज लाहा टीटेनियम और अभ्रक है । दूसरे वग की खनिज-सम्पत्ति है मग्नीज वाक्साइट मग्नेजाइट रिफक्टरी खनिज पत्थक नमगिक् अत्रसिव स्टीटाइट, सिनिक् जिप्सम ग्रनाइट मोना जाइट कोसेडुम सीमण्ट बनाने की सामग्री आदि । तीसरे वग मे आने वाली खनिज सम्पत्ति है कोयला-खनिज एलुमीनियम खनिज पिग्मेण्ट सोडियम नमक पदाथ और अलकली रेयर अथ वरीलियम काच बालू नाइट्रट जिक्वन और फासफेट । इसी म भारत आत्मनिभर माना जाता है । चतुथ वग म ताम्बा चाँनी निकल पटोलियम गंधक क्षीशा जस्त टीन कबोराइड पाग टगस्टन मोलीडेनम प्नाटिनियम ग्रफाइट अस्फाल्ट और पोटाश हैं ।

खानों व खनिज सम्पत्ति का सरक्षण—भारत के स्वाधीन होने पर भारत सरकार ने खाना जीर खनिज सम्पत्ति की सुरक्षा के निए खान व खनिज नियमन व विकास अधि नियम (माइंस एण्ड माइनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेण्ट एक्ट) बनाया । यह कानून भारत सरकार को खान खोदन के विषय म नियम बनाने लाइसेंस देने जीर अनुदान देन का अधिकार देता है । वतमान सटटे और ताइसेंस म संशोधन जीर परिवर्तन करने का भी अधिकार देता है ।

सरकारी विभाग—२१ नवम्बर १९६३ से खान व धातु नाम से एक पृथक् मन्त्रालय स्थापित कर दिया गया है । यह इस्पात मन्त्री के अधीन है । कोयला विभाग भी इसके अन्तगत आ गया है । यह मन्त्रालय निम्न कार्यालयों का नियन्त्रण करता है ।

भारत का भू गभ सर्वेक्षण—(जोओलाजिक्वन सर्वे आफ इण्डिया) इसकी स्थापना १९५१ म की गई । यह भारत का भू गभीय मानचित्र तयार करता है ।

राष्ट्रीय खनिज विभास नियम लि० (नेशनल मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि०) —१५ नवम्बर १९५८ को इसकी स्थापना की ग् । यह सरकारी क्षेत्र की खाना—कोयला तेल और गस को छोडकर के उत्खनन का वाय करता है ।

भारतीय खान केन्द्र (इंडियन ब्यूरो आफ माइंस)—१९४८ म इसकी स्थापना नई दिल्ली म की गई । यह भारत सरकार को परामन्ग देने वाली विणपना की सस्था है ।

खनिज परामन्गदाता परिषद् तथा क्षेत्रीय खनिज परामन्गदाता परिषद् (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड एण्ड रीजनल मिनरल एडवाइजरी कौंसिल)—खनिज उद्योग के विषय म

सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना १९५३ में की गई। यह आयात-निर्यात के बारे में भी सरकार को परामर्श देती है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम—यह सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के उत्पादन का कार्य करता है।

भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि०—इसकी स्थापना नवम्बर, १९६५ में की गई तथा इसे कोयना (महाराष्ट्र) तथा कोरवा (मध्यप्रदेश) में एल्युमिनियम परियोजनाओं की क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया है।

हिन्दुस्तान जिन्क लि०—इसका गठन जनवरी, १९६६ में किया गया। इसे जावर माइन्स (राजस्थान), जिन्क स्मेल्टर, उदयपुर (राजस्थान) तथा जस्ता स्मेल्टर, दुण्ड का कार्य सौंपा गया है।

मैंगनीज ओर इंडिया लि०—इसकी स्थापना १९६५ में हुई। यह देश में मैंगनीज के उत्खनन का कार्य देखती है।

हिन्दुस्तान कॉपर लि०—इसकी स्थापना १९६७ में की गई तथा इसे देश में ताँबे के उत्खनन एवं विकास का कार्य सौंपा गया।

नेविली लिगनाइट निगम लि०—इसकी स्थापना प्रतिवर्ष ३५ लाख टन लिगनाइट निकालने के लिए की गई है। इसमें से १५ लाख टन नेविली ताप विजलीघर में लगेगा।

भारतीय कोयला परिषद (कोल काँसिल आफ इंडिया)—यह कोयले के परिवहन, कोयला क्षेत्र की विजली, तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि कार्यों में एकसूत्रता स्थापित करती है।

कोयला खान सुरक्षण और सुरक्षा मंडल (कोल माइन्स कंजरवेशन एण्ड सेफ्टी बोर्ड)—एक्ट १९६२ के अधीन इसकी स्थापना की गई। खान-मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखना इसका काम है। कोयले की खानों में आग लगने से रोकने का उपाय भी यह करता है।

केन्द्रीय प्रयोगशालाएं—तीन केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ हैं—(१) पेट्रोलियम लेबोरेटरी जो खनिज पदार्थों और चट्टानों का विनिश्चय करती है, (२) पैलाकोटोलाजिकल लेबोरेटरी अश्मीभूत-फासिल का कम्पन और निस्कम्प देखती है, (३) कैमीकल लेबोरेटरी विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए है।

खान शिक्षा—‘इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जीओलाजी’ की स्थापना १९२६ में धनवाद में की गई थी। खान इंजीनियरिंग की यहाँ उच्च शिक्षा दी जाती है। खानों के विषय में शिक्षा देने वाला एक स्कूल हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में है—इण्डिया स्कूल ऑफ माइन्स। बगाल इंजीनियरिंग कालेज, शिवपुर (बगाल), इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनालाजी, खडगपुर और उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में भी खान शिक्षा की व्यवस्था है।

खनिज पदार्थों का विवरण :

कोयला—कोयले की खानें बगाल, विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में फैली हुई हैं। बगाल और विहार में उपलब्ध कोयला सर्वोच्च कोटि का है। कोयले का ६०

भाग बंगाल बिहार की खानों से मिलता है। भरिया और रानीगज मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। कुल उत्पन्न कोयले का ७५ प्रतिशत यहाँ पदा होता है।

कोयला २००० फुट गहराई तक पाया जाता है। सचित कोयले का अनुमान ११ ६७७ करोड़ टन है।

विकास—खनिज उद्योगों में कोयले का उद्योग सबसे बड़ा है। इसका प्रारम्भ रानीगज में १८१४ में हुआ था। रेलवे ने इसको प्रोत्साहन दिया। १८६८ में कोयले का उत्पादन ५ लाख टन था। बारह साल बाद एक युग बीतने पर १८८० में १० लाख टन हुआ। १८९० में २२ लाख टन हुआ और उन्नीसवीं सदी के समाप्त होने के साथ १९०० में यह ६१ लाख टन पर पहुँच गया। इसके बाद की प्रगति इस प्रकार रही।

१९३०	२३८ लाख टन
१९४०	२५१
१९५०	३२०
१९५५	३८२
१९६०	६००
१९६३	६५९
१९६४	६२७
१९६५ ६६	७ ३
१९६६ ६७	६८६
१९६७ ६८ (संक्षेप)	६७०

कारखानों (हजारीबाग) में कोयला धोने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता १६ २५ लाख टन है।

लिग्नाइट (भूरा कोयला)—नेविली लिग्नाइट परियोजना का एक काय लिग्नाइट कोयला ३५ ६ लाख टन निकालना है।

अगस्त १९६१ से दिसम्बर १९६७ तक १०४ लाख टन लिग्नाइट तयार किया गया है जिसमें से ८७ ६ लाख टन ताप विद्युत घरों को ८८ लाख टन उबरक कारखाना को तथा ७ ६ लाख टन घरेलू और औद्योगिक इंधन के रूप में उपयोग में लाया गया।

खनन उद्योग

१९६५ में खान एवं मजदूरों की संख्या

	खानें	मजदूर
कोयला	८१९ ८४३	४ ०६ ७१३
अन्य खनिज	१९४८	२ ६६ ६६५

अन्य खानों की संख्या इस प्रकार थी—

अवरस—६१६ खनिज मैंगनीज—३२०, चूना—२६७ चीनी मिट्टी—११३
खनिज तेल—३३३ सन खड़ी—८८ अग्निजित मिट्टी—७५ वेरास्ट—६९ खडिया
मिट्टी—६७।

१९६६ में निकाले गए खनिज पदार्थों का मूल्य २४७.०५ करोड़ रुपया था जबकि १९३१ में केवल २३.९० करोड़ रुपये के ही खनिज पदार्थ निकाले जा सके थे ।

भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन

खनिज	इकाई	१९६०	१९६५	१९६६	१९६७ (अनुमानित)
वाँकसाइट	हजार टन	३८७	७०७	७५०	७५५
ताँबा	हजार टन	४४८	४६८	४८१	४४८
क्रॉमाइट	टन	१,०६,८९६	५९,६८५	७७,७७०	९६,३९४
डोलोमाइट	हजार टन	६५०	९७७	१,०५४	१,०८१
सोना	कि० ग्रा०	४,९९५	४,०६३	३,७३६	३,०७२
जिप्सम	हजार टन	९९७	१,१६०	१,२९५	१,०८२
कच्चा लोहा	हजार टन	१६,६०९	२३,७३८	२६,७८३	२५,५४९
इत्मेनाइट	टन	२,४९,७५१	३०,०६२	३०,१६७	३८,३८८
कियानाइट	टन	२०,१५६	३७,४८१	६३,८२०	५०,७२३
शीशा (लेड)	टन	६,२४५	५,४९६	५,१५१	४,०४०
चूने का पत्थर	हजार टन	१२,९३५	१९,९७५	१९,८१०	१९,२१०
मैंगनीज	हजार टन	१,४५२	१,६४७	१,७०७	१,५४४
अवरख	हजार टन	२९२	२३८	२२८	१७६
जस्ता	हजार टन	९८	९६	८९	९५
*कुल मूल्य (करोड़ रु०)		५२८	६६३	६९.०	७०.७

*इसमें प्राकृतिक तेल, आणविक धातु, कोयला तथा वे छोटी धातु सम्मिलित नहीं है जो खान सरक्षण एवं विकास नियम १९५८ की परिधि से बाहर हैं । कुल मूल्य में नमक का मूल्य भी सम्मिलित है ।

भारत में खनिज तेल

प्रशासन •

पेट्रोलियम व रसायन मन्त्रालय नाम से एक पृथक मन्त्रालय है । यह २१ नवम्बर, १९६३ को अस्तित्व में आया । इसके अन्तर्गत निम्न विभाग हैं पेट्रोलियम उत्पादन, आपूर्ति वितरण पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पन्नो का मूल्य निर्धारण, अनुसन्धान, तेल-स्रोतो का विदोहन, रिफाइनरी की स्थापना, लुब्रीकेटिंग प्लांट की स्थापना के स्थान का निश्चय, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम अनुत्पादनो की विक्री की व्यवस्था । (२) रसायन विभाग, रसायनिक उर्वरक, पेट्रो-कैमिकल्स, सिन्थेटिक रबड, इन्स, अन्य सूक्ष्म रसायन, प्लास्टिक, रग-द्रव्य, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, गन्धकाम्ल, साबुन व डीटरजेंट, कीट विनाशक एण्टीबायोटिक, अर्कि अलकोहल । (३) अन्य विषय • वक्फ एक्ट १९५४ (२९) परगाह खाजा माहव एक्ट १९५५ व निष्क्रान्त वक्फ सम्पत्तियो और केन्द्रीय वक्फ परिपद् का प्रशासन ।

भारत में भू-तेल का विद्रोह—१८२८ में असम में सेना का एक प्रवृत्ति-गास्त्री कोयले की खोज करता फिर रहा था। उसको तेल दिखाई दिया। परन्तु उसने इसकी उपेक्षा कर दी। कुछ साल बाद असम में रेनवे लाइन ने जाई जा रही थी तब लटठ डोन वाला एक हाथी जब जंगल से लौटा तो उसका एक पाव तेल से मना हुआ था।

इसके सात साल बाद १८६६ में अमेरिका में तेल निकला। तब भारत में डिग्गोई में पहला तेल-बूप १८८६ में खोदा गया। यहाँ तेल ६६२ फुट नीचे मिला था। तबसे डिग्गोई से ५ ०० ० टन तेल निकाला जा चुका है।

१८९० में तेल साफ करने का कारखाना डिग्गोई में स्थापित हुआ। तेल क्षेत्र और तेल शोधक कारखाने पर स्वयं असम आयल कम्पनी का था। इसे बाद में बर्मा आयल कम्पनी ने खरीद लिया। यह विश्व व्यापी तेल उपग्रह बर्मा शेल आयल का एक भाग है।

१८८६ १९४७ के मध्य देश में तेल दूढ़न की कोशिश की गई तथा पंजाब कोचीन व कच्छ में छान बोन की गई।

भारत के स्वाधीन होने के बाद सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। कश्मीर युद्ध के समय उसकी पेट्रोल की परनिभरता का बहुत अनुभव हुआ। फलतः कई स्थानों में तेल की खोज शुरू हुई।

तेल सम्बन्धी कुछ तथ्य

(१) गुजरात—यहाँ ८७ लाख टन से अधिक तेल भण्डार का पता लगा है (२) १९४७ में अपरिष्कृत तेल केवल ५ लाख टन उत्पन्न होता था इस समय प्रतिवर्ष ५७ लाख मी० टन तेल निकाला जा रहा है। (३) आज १ तेल शोधक कारखाने काम कर रहे हैं। चार अन्य में निजी अचल में हैं। नौ राष्ट्रीय हैं। इनकी तेल शोधन क्षमता १७० लाख टन से अधिक है। (४) तेल-उद्योग से सम्बन्धित बाता के लिए सरकार ने प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय तेल-शोध लि० और भारतीय तेल कम्पनी की स्थापना की है। इनकी स्थापना से विदेशी पेट्रोल कम्पनियों पर अकुश लग गया है। आयल इण्डिया लि० में भारत सरकार का भाग ५० प्रतिशत है। यह कम्पनी कुल उत्पन्न का आधा भाग नियंत्रित करती है।

१९४८ में भारत में तेल की मांग २३ लाख टन थी। १९६० में यह बढ़कर ७६ ५ लाख टन हो गई। तेल परामन्त्रालय समिति के अनुसार १९६६ में तेल की मांग १६६ लाख थी। तेल की मांग हर साल २० से ३ लाख टन बढ़ जाती है। इस हिसाब से १९७ में तेल की मांग बढ़कर २८० लाख से ३० लाख टन हो जायगी।

खोज—४ ०० ० वर्गमील (१२ ६२ लाख वर्गमील में से) सेडीमटरी क्षेत्र है। यहाँ तेल मिलने की संभावना है।

१९५५ में भूतत्त्विक सर्वेक्षण में पेट्रोलियम विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद से तेल की पद्धतिबद्ध खोज की जान लगी। १९५५ में यह भूतत्त्विक गैस निदेशक नयम परिष्कृत हो गया। तब यह प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के अधीन था। अगस्त १९५६ में तेलमन्त्रालय नूतन प्राकृतिक गैस आयोग में बल गया।

भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने तेल उद्योग का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की। अमेरिका अमेरिका मोबिलियन एंड और प० जमनी व विशेष भारत

बुलाये गये। तेल विकास की एक योजना रूसी विशेषज्ञों ने पेश की। यह योजना ३० करोड़ रु० की थी।

वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का दल बनाया गया। गहरी खुदाई (डीप ड्रिलिंग) के लिये रुमानिया से 'रिंग' मगाया गया। सोवियत रूस के साथ साज-सामान के लिए करार किया गया। कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा ने गंगा घाटी के सर्वेक्षण के लिए अपनी सेवा दी। इटालियन सरकार की 'इएन-आई' के साथ भी करार किया गया। फ्रेंच पेट्रोलियम इस्टीब्लिशमेंट से भी सहायता ली गई।

मार्च १९६७ तक ३३८०० वर्ग किलो मीटर का विस्तृत तथा १,१४,९६० वर्ग किलो मीटर का अर्द्धविस्तृत नक्शा तैयार किया गया।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—आयोग के अन्तर्गत अप्रैल १९५७ से मार्च १९६७ तक ४८० कुए खोदे गए। इनमें से २८३ में तेल एव गैस निकली। ९९ सूखे थे। १८ से पानी निकला। तथा ८० का परीक्षण जारी था।

भू-तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य तेल-कूपों से तेल निकालना और माग की जगह उसे पहचानना भी है। आयोग ने तीसरी योजना में उत्पादन शुरू किया। ३१ मार्च १९६७ तक तेल की उत्पादन एव सबद्ध तथा असबद्ध गैसों की सप्लाई क्रमशः ५९८ लाख टन एव २९११९ लाख क्यूबिक मीटर थी। आयोग ने इस समय तक कुल १८२३० करोड़ रुपया व्यय किया तथा तेल एव गैस से उसकी आमदनी ४८८ करोड़ रुपया हुई।

ऑयल इण्डिया लि०—इसकी अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रु० है। इसकी स्थापना १८ फरवरी, १९५९ को की गई। कम्पनी के चुकता शेयरों में ३३ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत शेयर भारत सरकार के हैं। ५१० वर्गमील भूमि का पट्टा कम्पनी को दिया गया है। यहा वह उत्खनन कार्य कर सकती है जिससे (१) अपरिष्कृत तेल का उत्पादन और बढ़े, प्राकृतिक गैस का पता चले और उत्पादन हो, (२) सरकारी शोधक नूनमाटी (असम) तक तेल पहचानने के लिए पाइप लाइन बनाई जाय, (३) एक पाइप लाइन दरौनी तेल भेजने के लिए बनाई जाय। इनकी वार्षिक क्षमता क्रमश ७५ से २० लाख टन वार्षिक हो।

२७ जुलाई, १९६१ को भारत सरकार और ब्रिटिश आयल कम्पनी के बीच पूरक करार हुआ। इसके अनुसार कम्पनी में दोनों समान भागीदार हैं। आयल इण्डिया ने १५० तेल-कूप असम में तैयार कर दिये हैं। इनमें से १०० से तेल निकलता है, ८ से गैस निकलती है, १८ शुष्क हैं और २० की परीक्षा अभी की जा रही है। १९६६ में आयल इण्डिया ने कर देने के बाद ९५७५ प्रतिशत लाभार्जित किया।

तेल शोधन—भूगर्भ से निकला तेल 'क्रूड' या अपरिष्कृत होता है। उपयोग के योग्य बनाने के लिए इसको परिष्कृत किया जाता है, नितारा जाता है। इसमें बहुत सी चीजें निकाली जाती हैं। जैसे ईथन गैस (यह रोशनी करने व जलावन आदि कार्यों में काम आती है), प्रोपेन, नूटाने, लाइट नयक्ष (मोटर गाडिया इसको बरतती है) हैवीनमक्ष किरानिन स्टोव आयल, लाइट गैस आयल (फरनेस आयल-रिजल आयल) हैवी गैस आयल, चैकम आयल, पिन (इसमें अस्फाट पदार्थ होता है) आदि।

तेलशोधक कारखाने—१९५१ में दो कारखाने किए गये। एक स्टैण्डर्ड चैकम आयल

कम्पनी से और दूसरा वर्मा गैल के साथ । बम्बई में इन्होंने रिफाइनरी की स्थापना करना स्वीकार किया । बाद में कनटक्स के साथ भी वही प्रकार का एक करार किया गया । इसने विशाखापत्तनम में रिफाइनरी लगाना स्वीकार किया ।

फरवरी १९५६ में सरकारी इण्डियन रिफाइनरी लि० की स्थापना हुई । अक्टूबर १९५६ में रुमानिया के साथ करार हुआ और नूनमाटी गोहाटी (असम) में उसकी सहायता से रिफाइनरी लगाई गई । वही प्रकार सोवियत रूस के सहकाय से बरौनी (बिहार) में रिफाइनरी लगाई गई । सोवियत रूस की ही मन्त्र से कोयानी (बड़ौदा) में रिफाइनरी का लगाना सम्भव हुआ । कोचीन में अमेरिकी कम्पनी फिलिप पेट्रोलियम कम्पनी की सहायता से रिफाइनरी लगाई जा रही है ।

इस समय आठ रिफाइनरियां में से चार निजी अचल में हैं

डिम्बोई—यह असम में है । यह १९०० से चालू है । असम आयल कम्पनी इसकी प्रबन्धक है । इसकी उत्पादन क्षमता ०.५ लाख टन है ।

एस्सो—यह ट्राम्बे बम्बई में है । जुलाई १९५४ से यह उत्पादन कर रही है । वर्तमान समय में इसकी क्षमता २५.० लाख टन है

वर्मा गैल—यह भी ट्राम्बे (बम्बई) में है । दिसम्बर १९५५ से उत्पादन कर रही है । वर्तमान क्षमता इसकी ३७.५ लाख टन है ।

कलटेक्स—विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में है । अप्रैल १९५७ से उत्पादन कर रही है । वर्तमान क्षमता १०.५ लाख टन है ।

नूनमाटी (गोहाटी, असम)—यह जनवरी १९६२ से उत्पादन कर रही है । पहले चरण में ७.५ लाख टन इसकी क्षमता थी । दूसरे चरण में इसकी क्षमता १० लाख टन होगी ।

बरौनी—जुलाई १९६४ से यह उत्पादन कर रहा है । प्रथम चरण में इसकी क्षमता १० लाख टन थी दूसरे चरण में २० लाख टन होगी और तीसरे चरण में ३० लाख टन वापिक होगी ।

कोयानी—गुजरात (बड़ौदा) के समीप स्थापित इस रिफाइनरी में १९६५ से कार्य आरम्भ कर दिया है । इसकी प्रथम चरण में क्षमता १० लाख टन थी दूसरे चरण में २० लाख टन और अन्तिम चरण में ३० लाख टन होगी ।

कोचीन—इसकी उत्पादन क्षमता २५ लाख टन है । अगस्त १९६६ में काम प्रारम्भ किया ।

एक प्रकार निजी अचल की तेल-उत्पादन की क्षमता ७७.५ लाख टन है । सरकारी अचल की क्षमता (वाचान रिफाइनरी समेत) १.५ लाख टन होगा ।

निर्दिष्ट रिफाइनरी में का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है । इसकी अधिकृत पूंजी ५० करोड़ ₹ है । इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लि० इसमें विनय हो गया है ।

इण्डियन—१.५ लाख टन उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए अक्टूबर १९६७ में भारत ने फ्रांस और रुमानिया का समझौता किया ।

मद्रास—इसका निर्माण कार्य जारी है तथा १९६६ के प्रारम्भ में पूरा होने की आशा है।

वितरण

१९५६ तक तेल का बाजार में बेचना सर्वथा निजी क्षेत्र था। जून १९५६ में राज्य ने भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश किया। इण्डियन आयल कम्पनी को सरकार ने इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० में विलय कर दिया। इसका दफ्तर बम्बई रखा गया। इसकी हिस्से की पूंजी ७५ करोड़ रु० है। इस नवीन कार्पोरेशन के दो भाग हैं (१) तेल-शोधन (रिफाइनिंग) और (२) तेल-विक्रय। इन दोनों विभागों के दफ्तर क्रमशः दिल्ली और बम्बई में हैं।

पेट्रोकेमिकल उद्योग (भूतेल रसायनिक उद्योग)—गुजरात और असम में गैस के निकलने और सरकारी तेल-शोधकों से गैस के उत्पन्न होने के कारण पेट्रो-केमिकल उद्योग की इस देश में नींव पड़ी। सरकारी अचल में फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना की गई।

पाइप लाइन परियोजना—नहरकटिया-गोहाटी और गोहाटी वरौनी पाइप लाइन लगभग ७२० मील लम्बी है। इस पाइप लाइन का निर्माण आयल इण्डिया लि० ने किया है। यह एशिया में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पाइप लाइन है। इसका पहला भाग नहरकटिया से गोहाटी तक का भाग मार्च १९६२ में पूरा हुआ। इसका दूसरा भाग जून, १९६३ में पूरा हुआ। इस पाइप लाइन के निर्माण पर ४६-४७ करोड़ रु० व्यय का पूर्वानुमान था, परन्तु व्यय ४५ करोड़ ही हुआ। विदेशी विनिमय की आवश्यकता ब्रिटेन सरकार से कर्ज लेकर और बैंक आफ स्काटलैंड से मदद लेकर पूरी की गई। इसके अतिरिक्त कोइली-बहमदावाद पाइप लाइन तथा वरौनी-कानपुर पाइप लाइन भी चालू हो गई है।

अनुसन्धान—वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने फ्रेंच पेट्रोलियम इस्टीच्यूट के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में अनुसन्धान के लिए समझौता किया है।

निर्यात—भारत से १९६७ में पेट्रोलियम से बनी हुई १४ करोड़ ४० लाख मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ जबकि १९६६ में यह निर्यात ८ करोड़ ७६ लाख रु० का था।

रसायनिक उर्वरक

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायनिक उर्वरक की आवश्यकता पर सरकार ने जोर दिया है। इन नमय देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ८४६ लाख टन (नाइट्रोजन) उर्वरक क्षमता उपलब्ध है।

चीनी योजना के अन्तर्गत देश में नम्रजनवाद की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः २४ लाख तथा २० लाख टन रखा गया है। ३१ जनवरी, '६८ तक ८.४६ लाख टन क्षमता के कारखाने प्रारम्भ हो गए तथा १६४४ लाख टन क्षमता के कारखाने या तो निर्माणाधीन हैं या म्बोहन हो चुके हैं।

३ सिंधिया स्टीम नवीगंगा क०	४६	३३६
४ जयती शिपिंग कम्पनी	१८	३०७
५ ग्रेट ईस्टन शिपिंग कम्पनी	१६	१७६
६ इंडिया स्टीम शिप कम्पनी	१७	१४१
७ अय	८७	५६२

जहाजरानी नीति कमेटी (१९४७)—यह जहाजरानी सम्बन्धी नीति व लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्तमान लक्ष्य ये हैं—
 १—निवट भविष्य में भारतीय जहाजरानी १० लाख जी० आर० टी० की हो।
 २—शत प्रतिशत तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा हो।
 ३—बर्मा सीलोन और अरब पडोसी देशों के साथ का ७५ प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा हो।
 (४) समुद्री व्यापार का ५० प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजरानी द्वारा किया जाय।
 (५) पूर्वीय व्यापार के उस भाग का जो जापानी जर्मन इटालियन आदि जहाजों के अधिकार में है ३ प्रतिशत भारतीय जहाजों से हो।

तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों के लिए विनोद रूप से सुरक्षित रखा गया। इसके लिए गार्डसेंस प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इसका प्रशासन कप्तान शिपिंग एक्ट १९४७ के अधीन है।

जहाजरानी नियंत्रण विभाग—जहाजरानी का सम्बन्ध अनेक मन्त्रालयों से है—परिवहन वाणिज्य व उद्योग रक्षा निर्माण और विद्युत। १९४६ में जहाजरानी महानिदेशालय की स्थापना बम्बई में की गई। इसका कार्यक्षेत्र यह है—जहाजरानी की सम्पूर्ण समस्या अर्द्ध-सरकारी जहाजरानी निगम समुद्री कर्नलिंग खलासियों का कल्याण समुद्री सर्वेक्षण द्वार व गहरे समुद्र में जहाजों के जाने का लाइसेंस देना प्रकाश स्तम्भ की स्थापना आदि। मर्कैटाइल मरीन डिपार्टमेंट के तीन मुख्य अधिकारी बम्बई कनकत्ता और मद्रास में नियुक्त किये गये हैं। जहाजरानी महानिदेशक के कार्यों में जहाजरानी सरकारी नीति को क्रियान्वित करना भी है। व्यापारिक नौ बंधों की उत्पत्ति और उसका विकास और विभिन्न वास्तवगाहों के कार्यों में एकीकरण करना भी इसके अंतर्गत है।

व्यावसायिक जहाज विकास—मच्छण्ट शिपिंग लाज एण्ड रूल्स पर भलीभांति अमल करने के स्थान से भारत के समुद्र तट को तीन मच्छण्टाइन जिलों में बाटा गया है (१) बम्बई डिस्ट्रिक्ट (२) मद्रास डिस्ट्रिक्ट और (३) कनकत्ता डिस्ट्रिक्ट। विभाग का मुख्य काम है (१) जहाजों की रजिस्ट्री करना (२) समुद्र की उपयुक्तता का सर्वेक्षण और (३) सटिफिकेट पावों के इच्छुक लोगों की परीक्षा देना।

जहाजरानी विकास निधि—भारतीय जहाजी कम्पनियों को वज्र देने की नीति सरकार में स्वीकार की है। वज्र देने का उद्देश्य यह है कि जहाजी कम्पनियाँ अपने जहाजों की संख्या बढ़ायें। १९६७-६८ में ५०-७७ करोड़ रुपये के १६ ऋण स्वीकार किए गए।

व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम—यह १९५८ में बनाया गया। भारतीय जहाजों के लिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय पंजी खोली गयी। राष्ट्रीय जहाजरानी परिषद् और राष्ट्रीय जहाजरानी विकास निधि की स्थापना भी इसी में विहित की है। भारत में जहाजों के बनाने के लिए वज्र देने की व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत है। अधिनियम

द्वारा माना गया कि वह जहाज भारतीय माना जायगा, जिसकी ७५ प्रतिशत पूंजी के मालिक भारतीय होंगे। यह भारतीय रजिस्टर के अधीन लाया जा सकता है।

ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन को मिलाकर शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना २ अक्टूबर १९६१ को की गई। इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी ३५ करोड़ रु० है।

निगम की १९६६-६७ की कुल आमदनी २९ २८ करोड़ रु० थी (१९६५-६६ में १७ १८ करोड़ रु०)।

१९६६-६७ में शुद्ध लाभ ४ ७ करोड़ रु० हुआ। गत वर्ष लाभ १ ८७ करोड़ था। शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया का काम आठ खण्डों में विभक्त है। जैसे, भारतीय पूर्वी तट सुदूर पूर्व, भारतीय पश्चिमी तट सुदूर पूर्व, भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-सिंगापुर, ब्रम्बई-पूर्वी अफ्रीका, भारत-ब्रिटेन-यूरोप, भारत पोलैंड और भारत काला सागर।

व्यापारिक नौ प्रशिक्षण (मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग)—भारतीय जहाज रानी की टन-वृद्धि के साथ-साथ इसके लिए आवश्यक व्यक्तियों के प्रशिक्षण का इन्तजाम किया गया है। इस समय प्राक् सागर व सागरोत्तर और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है। इस समय ६ प्रशिक्षण सस्थान हैं।

डफरिन की स्थापना भारत के स्वाधीन होने के बाद की गई है। प्रशिक्षण केन्द्र इस प्रकार हैं (१) टी० एस० डफरिन (डेक-अफसरों के लिए प्राक् सागर प्रशिक्षण सस्थान है)। (२) नौ—अभियान्त्रिक प्रशिक्षण निदेशालय व नौ अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, प्रथम में नौ-अभियताओं के प्राक्-सागर तथा दूसरे में डेक और अभियताओं के सागरोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

रेटिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (रेटिंग ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेन्ट)—प्रशिक्षण जलयान भद्रा, मेखला व विशाखापतनम और नौलक्ष डाक और इजन-कक्ष के व्यक्तियों और भडारी रसोइयों को प्रशिक्षण देते हैं।

खलासियों और नाविकों की भरती—ब्रम्बई और कलकत्ता में क्रमशः जून, १९५४ और मार्च, १९५५ को नाविक रोजगार कार्यालय खोले गए।

राष्ट्रीय नाविक कल्याण परिषद (नेशनल वेलफेयर बोर्ड फार सी फेरियर)—१९५५ में इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। नाविकों के कल्याण-विषयक बातों पर यह सरकार को सलाह देती है।

जहाज निर्माण

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०—जहाज निर्माण का कार्य पहले सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने प्रारम्भ किया था। १९१९ में कम्पनी ने काम शुरू किया लेकिन जहाज गोदी की नींव जून १९४१ में रखी गई। नींव विशाखापतनम में रखी गई। ५००० टन के जल-उपा जहाज के बनाने का काम जून १९४६ में शुरू हुआ। मार्च, १९६२ में भारत सरकार ने यह जहाज-गोदी खरीद ली और इस प्रकार हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० का जन्म हुआ। यह शिप-यार्ड हर साल आधुनिक ढंग के ४ जहाज बना सकता है। ३१ मार्च १९६८ तक यहाँ ४६

रांची में बनीय तगर अनुगपाय व - और मण (म०प्र०) में राम की प्रजनन के रूप में स्थापित किया गया है। रोगों की सभी निरम व कीड पंग करने का मान के रूप में रोगों की प्रजनन के रूप में तगर कुनूर और सागा में किया जा रहा है।

मगूर में आन इण्डिया सरीस-परम ट्रांगि एस्टीशूट है। जापानी रोग-कीड और भारतीय रोगों व कीड के संयोग में गया रोगों का कीडा मगूर पंग किया गया है। यहां रोगों व कीडों के पालन की व्यावहारिक और सहायक विधा भी दी जाती है। बरहामपुर और बलिया में भी दो मगूर सरीस-परम रोगों के रोगों स्थापित किया गया है।

सादी और ग्रामोद्योग—सादी और ग्रामोद्योग भाषाओं की सादी विभाग करने के अनिच्छित दृष्टांतों से बचारी दूर करने का भी काम सौंपा गया है। सादी का सावार को प्रोत्साहन देने के लिए रिज प्रणाली शुरू की गई थी। पर अब यह पंग करने में है। सादी उत्पादन का काम महकरी समितियों द्वारा किया जाता है। नई योजना में गांव के मूल बातों को और बचाव उगाने को बगदा दन की व्यवस्था की गई है। उमकी बगदा लगभग निगुल किया जाता है। केवल मूल बातों को ३७ प्रतिशत मात्र के हिसाब से बगदा दिया जाता है।

१९५६ में अम्बर करने का आविष्कार किया गया। इसमें पार लक्षण हैं। १९५६ ५७ में अम्बर चर्चा बनाने और इसका वितरण करने और इसमें चलान की विधा दन का अभियान चलाया गया। अप्रैल १९६७ तक १३ करोड़ ६० की सादी तयार हुई। १९६६ ६७ में २७ ८४ करोड़ ६० की सादी तयार हुई थी।

ग्रामोद्योग में घानी का तेज किया गया है हाथ व बने कामों कुम्हारी व यतन और रेशा उद्योग को इसने प्रोत्साहन दिया है। १९६६ ६७ में ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन एवं अनुदान मिलाकर ७ १३ करोड़ ६० की वित्तीय सहायता दी गई। १९६६ ६७ में ग्रामोद्योग का उत्पादन ६१ २६ करोड़ का था अप्रैल से दिसम्बर १९६७ में यह उत्पादन लगभग १७० करोड़ ६० का हुआ।

कुटीर उद्योग की विशेष वस्तुएं

बीदरीका—बीदरीका धातु का नाम प्रसिद्ध है। जस्त और तांबा धातु के मेल से बन धातु पर यह काम किया जाता है। चांदी-सोने या इनके तारों से काम किया जाता है। इससे शृंगार सिगरेट रखने की डिब्बियां एशट्र गुनदस्ते चूण रखने की डिब्बियां फल प्याले आदि बनाए जाते हैं।

फुलकारी—पजाबी गान का यह नाम प्रसिद्ध है। कसीदे का काम मलवरी रोगों में मोटे खदर के कपड़े पर किया जाता है।

फिलिपी—उड़ीसा की दस्तकारी का नाम फिलिपी है। यह उद्योग उड़ीसा, हैदराबाद कश्मीर और पंजाब में भी प्रचलित है। चांदी के तारों से फिलिपी का काम किया जाता है। इसकी नई चीजां में एशट्र बुदे चूडियां पनडोना बटन और सिगरेट की डिब्बियां फूलदान हार नस की डिब्बियां सहज चीजें बनाई जाती हैं।

हाथी दांत के काम—केरल हैदराबाद मगूर मंगल ५० बंगाल, दिल्ली और राज

स्थान में हाथी दात का काम होता है। यह दस्तकारी बहुत महत्व की है। हाथी दात की बनी देव मूर्तियाँ, खिलौने, कचियाँ, नावें आकर्षक होती हैं।

सींग का काम—उड़ीसा का सींग का काम प्रसिद्ध है। यह उद्योग अब केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र और बंगाल में भी फैल गया है। पर इस उद्योग का मूल स्थान उड़ीसा है। मुख्य कच्चा माल भैंस की सींग है। हिरन और बारहसीगा की सींगों से भी चीजे बनाई जाती हैं।

निमल का काम—अदीलाबाद जिले के खिलौने निमल काम से प्रसिद्ध हैं। ये 'बुर्गु' और 'सकी' लकड़ी से बनाये जाते हैं। यह लकड़ी बहुत हल्की होती है। इस पर सरलता से काम हो सकता है। फल व सब्जी की ट्रे, चूड़ी, लैम्प, स्टैंड, सिगरेट की डिब्बी, महिलाओं के जूते की हील आदि तैयार किये जाते हैं।

घास्वीय कला का सामान—पालिश किये पीतल पर खुदाई और एनेमल का काम होता है। यह काम जयपुर, कश्मीर, मुरादाबाद, बनारस में होता है। पीतल और ताँबे की मूर्तियाँ ढालकर बनाने का काम मदुराई और तजौर में होता है। देवमूर्तियों का निर्माण इस कला की विशेषता है। फूलदान, मोमबत्ती-स्टैंड, बोटल मूर्तिवती प्याले, चौड़ी पेदी का गिलास, फल-तश्तरी आदि कलापूर्ण चीजे बनाई जाती हैं।

पच्चीकारी का काम—भारत का एक मजहूर कुटीर उद्योग पच्ची का काम है। आगरा, दिल्ली, फतहपुर सीकरी, मँसूर और केरल में विकसित है। मँसूर में टीक, पीतल, चाँदी और रंगीन पत्थर आदि पर यह काम किया जाता है।

राज्यों के मुख्य कुटीर उद्योग

असम—असम का सबसे बड़ा और व्यापक कुटीर उद्योग हाथ की बुनाई है। शहलूत रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इनके नाम हैं, एरी और मूगा। मूगा हल्का और भूरा रेशम है। यह गर्मियों में पहना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरीय तट पर स्थित सुलकुची गाँव में केंटरपिलर (फ़िक्का) पाला जाता है। इसको सोम और सुआलू वृक्षों के पत्तों खिलाकर पाला जाता है। एरी मलाई-रंग का रेशम है। यह रेशम सर्तों में पहना जाता है। यह रेशम गरम होता है। इसका कीड़ा एरण्ड के पत्तों पर पाला जाता है। पर्वतीय जिलों में वन जातियों द्वारा तैयार किया गया रेशम सबसे बढ़िया होता है। असम की चीजों में से बाहर प्रसिद्ध हैं—चादर, मेजपोश, साडियाँ, मेखला और अलंकार मामग्री।

बिहार—खादी इसका कुटीर उद्योग है। बिहार एक मात्र राज्य है, जहाँ मोती की सीपी से बटन बनाये जाते हैं।

गुजरात—चमड़े की वस्तुएँ बनाने के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन, इस्पात और लोहे की वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त टर्न और जून की कताई-बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग हैं।

दिल्ली—दिल्ली का प्रसिद्ध उद्योग जरी और जरदोजी है। चमड़ा उद्योग, हाथी-दान का काम, बेंत और बाम की टोकरी, लकड़ी का काम, नकली अंग बनाना, खोला हैट, सोना-चाँदी के जेवर, ताले बनाने, टीन के बर्तन, बटन बनाने, भावुन बनाना, मूत का गोला, गैस, लकड़ी के तराजू, डाक्टरी औजार, धातु का काम आदि कुटीर उद्योग हैं।

हिमाचल प्रदेश—हाथ के बने जीर बुने ऊनी व सूती कपड़े प्रसिद्ध हैं। कीड़े सारे राज्य में पाए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश—आन्ध्र प्रदेश के मुख्य कुटीर उद्योग इस प्रकार हैं तोर्न दरी छपाई कलापूष चटाई बुनने की कला बीदरी बनाने रजत फिनीशी हिमरू नस उद्योग काच की चूड़िया और मनके बनाने का उद्योग तथा हाथी दात के काम का उद्योग आदि।

जम्मू कश्मीर—लकड़ी व रेशम का काम और सूती वस्त्र का काम इस प्रदेश का मुख्य कुटीर उद्योग है। यहां का टबीड गांधा पट्टा पाइल दरी नमदा और गाल (नमदा और तूंग) प्रसिद्ध है। जखरोट की लकड़ी बेल और बिलो लकड़ी का फरनीचर लकड़ी पर कढ़ाई जवर और पत्थर पालिश इसके कुछ और उद्योग हैं।

मध्य प्रदेश—हाथकरघा इस प्रदेश का यापक उद्योग है। चदरी और माहेश्वरी साठिया देग भर में प्रसिद्ध हैं। इसके अन्य उद्योग हैं चमड़े का काम मिठाई का संरक्षण पीतल-तांबे के बतन तेन और साबुन।

मद्रास—हाथ बुनाई के लिए यह राज्य प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध चीजें हैं साडी घोती सौलिया चदर और कोट का कपड़ा। अन्य महत्व के उद्योग हैं होजरी कम्बल दरी छपाई चमड़ा अलोह धातुआ के बतन खिनीना और धातु का सामान।

महाराष्ट्र—इस प्रदेश का मुख्य कुटीर उद्योग कपड़ा बुनना है। अन्य उद्योग हैं लकड़ी का काम चमड़े की वस्तुएं बेंत का काम हाथी दात और सींग के काम जेवर बनाना आदि।

मणिपुर—इस प्रांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग हाथ से कपड़ा बुनना है।

मसूर—रेगमी साठियों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहां के कम्बल दरी आदि प्रसिद्ध हैं। हाथी दात चंदन की लकड़ी रोजबुद्ध धातु पर पच्चीकारी का काम आदि भी हैं। अगरबत्ती व सुगंधित द्रव्यों के कुटीर उद्योग भी प्रसिद्ध हैं।

उड़ीसा—वस्त्र-व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। फिलिनी उद्योग भी इसका प्रसिद्ध है। सींग पर कढ़ाई उड़ीसा की पुरानी कला है। इनके अतिरिक्त पत्थर कपड़े और लकड़ी के घने मान के लिए भी प्रसिद्ध है।

पंजाब—यह प्रान्त अपने कम्बल और होजरी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रान्त के अन्य उद्योग हैं खीनियरिंग का काम फरनीचर घन के सामान सस दरी धातु उद्योग।

राजस्थान—भारत भर में सर्वाधिक मात्रा में ऊन इस प्रांत में पाया होती है। हाथ बुनाई यहां का व्यापक उद्योग है। जयपुर का पीतल का काम देग भर में विख्यात है। राजस्थान बघनी के लिए भी प्रसिद्ध है। सगमरमर के पत्थर का काम हाथी दात का काम चमड़े का काम खिनीन व कागज का तुगनी व खिनीन आदि अन्य कुटीर उद्योग हैं।

केरल—हाथ करघे का वस्त्र बुनाई का उद्योग में केरल में बहुत प्रगति की है। मारियन की जटाआ से अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। घाग की बुनी चटाइया भी अच्छी होना है।

त्रिपुरा—हाथ-करघा उद्योग के अतिरिक्त बेंत और काम का उद्योग प्रसिद्ध है। बड़गिरी गुनारा और बुम्हारी उद्योग भी हैं। बीड़ी बनाने का उद्योग भी यहां चलता है।

उत्तर प्रदेश—बनारसी साडी सर्वत्र विख्यात है। यह रेशमी कपडे की होती है जिसमे सोने चादी के तारो से बुनाई होती है। मिर्जापुरी दरी भी प्रसिद्ध है। लखनऊ और फर्रुखाबाद मे कपडे की छपाई का उद्योग है। मुरादाबाद अपने वर्तनो के लिए मशहूर है। इसके अलकरण के वर्तन दूर-दूर तक जाते है। काँच की चूडिया बनाना इस प्रान्त का एक कुटीर उद्योग है। फिरोजाबाद इस उद्योग का घर है। खुरजा के चीनी मिट्टी के वर्तन प्रसिद्ध है। देशी घी का केन्द्र है। टोकरी, चिक और वेत के फरनीचर बनाने के भी उद्योग है। आगरा मे जरी और नक्काशी का काम होता है। मुरादाबाद पक्की कलाई, नजीमाबाद और अल्मोडा अपने कम्बलो, मेरठ खेल के सामान, वाराणसी सोने के तारो के काम तथा कानपुर चप्पलो के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ तालो और हाथरस कैंची-चाकू के लिए प्रसिद्ध है।

पश्चिमी बंगाल—बंगाल का प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है, रेशमी व सूती साडी और धोती। जूट और ऊन की बुनाई के अन्य उद्योग है —चाकू-कैंची, फरनीचर, सीग, लकडी और हाथी दात का काम, हाथ का कागज, शहद, चटाई बनाने, ताड-गुड बनाने के भी उद्योग है।



आपने लेख को
सधा हुआ बनाइये

Ambitious NIBS

एम्बीशस निर्वे श्रेष्ठ सामान से तयार की जाती है और कठोर नियंत्रण में बड़ी कारीगरी से बनाई जाती है। वे टिकाऊ हैं तथा आपको सुगम सेवा की गारण्टी देती हैं। एम्बीशस निर्वे प्रत्येक दृष्टि से उत्तम हैं। सदा एम्बीशस निर्वों का प्रयोग करें।

भारत में निर्वों के प्रथम निर्यातकर्ता :

एम्बीशस गोल्ड निव मनु. कं. (प्रा.) लि.

एकमात्र अभिकर्ता • एम्बीशस सेल्स कार्पोरेशन, २७/७ शक्तिनगर, दिल्ली-७

मनेजर

एल० एच० शुगर फैक्टरीज एण्ड आयल मिल प्रा० लि०
काशीपुर (ननीताल)

एल० एल० शुगर फैक्टरीज एण्ड आयल मिल प्रा० लि०
काशीपुर व पीलीभीत

स्वतंत्रता दिवस के पुण्य पर्व पर शुभ कामनाएं अर्पित करते हैं।

तार—क्रिस्टल फोन—६ १२ व ४५	} काशीपुर	पीलीभीत	{ तार—क्रिस्टल फोन—३२ व १३३
		स्थापित १९०६ ई०	

मेसर्स राठी इंडस्ट्रीज

दौलतागंज, उज्जैन (म० प्र०)
दूरभाष ८६६२०२

सभी प्रकार के खाद्य अखाद्य
तेल और खली
के निर्माता तथा विक्रेता

हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश के

उपयोगी एवं जानवर्द्धक प्रकाशन

१ भारतीय नीति शास्त्र	डा० भीखनलाल आश्रय	२ ००
२ बंग में भारतीय संस्कृति इतिहास दंगन	आचार्य डाबुर	१० ००
४ विन्धु इतिहास	डा० बुद्धप्रकाश	१२ ००
५ भारतीय स्थापत्य	डा० रामप्रसाद त्रिपाठी	१४ ००
६ हलायुध बौध्	डा० डी एन० गुवल	१५ ००
७ भारतीय दंगन	हलायुध भट्ट	२५ ००
८ गणबान और सपातमव शासन	डा० उमेश मिश्र	८ ००
९ मनोविज्ञान व क्षेत्र	डा० वी० एम० गर्मा	८ ५०
१० प्रमुख दंगा की शासन पद्धतिया	श्री राममूर्ति गुम्बा	७ ५०
	श्री गोरखनाथ चौध	६ ००

। समिति ने विभिन्न विषयों पर अब तक १६० उत्तमस्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

व्यापारिक मुद्रिणा तथा अन्य विवरण व निष्पत्तियां पत्र-व्यवहार करें

सचिव,

हिंदी समिति, सूचना विभाग,

उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ

भारतीय कृषि

महत्त्व

भारत के राष्ट्रीय जीवन में खेती का अत्यधिक महत्त्व है। कृषि प्रधान देशों में भारत का स्थान अन्यतम है। भारत की राष्ट्रीय आय में खेती का भाग सबसे बड़ा है। यह ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय देती है। ७० प्रतिशत भारतीय आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर है। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है।

मूंगफली और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। लाख के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है। चावल, जूट, गन्ना, राई-तिल और रेडी-बीज के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है।

प्रशासन का ढांचा

अप्रैल, १९५७ में खाद्य व कृषि मंत्रालय की स्थापना हुई। खाद्य मंत्रालय में निम्न विभाग है (१) नागरिकों और फौजियों के लिए अनाज का सम्भरण, (२) आयातित अनाज का राज्यों में वितरण, (३) अखिल भारतीय दृष्टि से नीतियों में एकसूत्रता लाना, नियोजन करना और पथ-प्रदर्शन करना, (४) अन्न-धान्य के आयात-निर्यात का नियमन करना।

कृषि विभाग निम्न काम करता है

(क) कृषि की पैदावार, (ख) कृषि-अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार (ग) पशु-पालन, मछली-पालन व वन विकास, (घ) फल-सब्जी की पैदावार और उद्योग, (ङ) कृषि-अर्थ और सांख्यिकी, (च) कृषि-विकास, (छ) सयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि सस्था और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं के साथ सम्पर्क रखना, (ज) रसायनिक उर्वरक का समाहरण और वितरण (झ) कृषि विपणन (ञ) सहकारिता, (ट) भूमि को कृषि योग्य बनाना, (ठ) छोटी सिंचाई, (ड) भूसुरक्षण।

खाद्य व कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत ही 'सामुदायिक विकास' भी आ गया है।

भूमि का उपयोग

भारत की कुल भूमि ३२ ६८ करोड़ हेक्टर है। इसमें से ३२ ५६ करोड़ हेक्टर अर्थात् ९३ ५ प्रतिशत भूमि ही उपयोग में आती है। इसमें से कृषिभूमि १५ ८० करोड़ हेक्टर है।

कृषि योग्य भूमि में से कुल ३ ६५ करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई होती है। ३ योजनाओं में हाथ में ली गई मध्यम एवं बृहद् सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचित भूमि में ८५ करोड़ हेक्टर क्षमता की वृद्धि मार्च ६८ तक हुई।

भारत में किसान को सर्वाधिक आयदायता गिनाई व लिए पाती की है। तीसरी योजना में सिंचाई को प्राथमिकता में लिया गया है।

मिट्टी

वृषि योग्य भूमि की मिट्टी चार विस्म की है (१) बछारी व बसूरा व जत्रोट (२) लाल (३) काली और (४) ककरीनी या मगधारी (उडीसा)।

ककरीनी या मगधारी जमीन में ह्यूमस की मात्रा तो बहुत अधिक होती है किन्तु इसमें अत्यधिक रसायनिक तत्वों का अभाव होता है। ककरीनी या पयरीनी जमीन मध्य भारत अस्म और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के साथ-साथ पाई जाती है। बछारी या बसूरी भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। गंगा के संपूर्ण मैदान में इसी विस्म की मिट्टी पाई जाती है। यह प्रायद्वीप के किनारे की पट्टी पर भी पाई जाती है। दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी और इसके पूर्वी भाग में लाल मिट्टी है। सूती वस्त्र उद्योग के बड़े-बड़े अहमदाबाद, नडियाद, गोनपुर, नागपुर और बम्बई काली मिट्टी के क्षेत्र में हैं।

मौसमी फसल

भारत में फसल की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की। खरीफ की फसल साधारणतः द्वाहरे के बाद दिवानी तक चले कर घर में आ जाती है। रबी का फसल बसाख के एक पगवारे के बाद बटकर बाजार में पहुंच जाती है। खरीफ का फसल में ये फसलें होती हैं धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल और मूंगफली। दानों में इसी समय होती है। रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, राई और सरस।

उपज

भारत में प्रति एकड़ उपज कम है। साधारणतः चावल प्रति एकड़ ४० किलोग्राम पदा होता है। गेहूँ की उपज ३२ कि० ग्रा० है। समस्त अन्नधान्यों की उपज को लिया जाय तो औसत २५० कि० ग्रा ही आता है। अनाज की मुख्य फसलें ये हैं (१) धान या चावल, गेहूँ जो ज्वार-बाजरा, दानें, चना, गन्ना और मसाले। जौत की कुल जमीन में सतीन चौथाई में अनाज की खेती होती है। (२) तिनहन या तेल बीज में निम्न फसलें हैं तीसरी राई, सरस और तिल, रेडी के बीज, मूंगफली और नारियल (३) रेंगे में कपास, जूट, सन और पल वस है। (४) औषध व पेय—जैसे पोस्त, सिनकोना, तम्बाकू, चाय और काफी।

वृषि सांख्यिकी—वृषि मंत्रालय में एक सांख्यिकी विभाग है। राया और केन्द्र के परस्पर सम्बन्ध को भी यह सूचित करता है।

वृषि उत्पादन—गत दशकों के अभूतपूर्व सूखे के पश्चात् सन् १९६७-६८ की अवधि में ६५० लाख मीट्रिक टन अन्न व उत्पादन होने से एक नया रिकार्ड स्थापित होने की सम्भावना है जो कि गत दशक के उत्पादन से २ लाख मीट्रिक टन अधिक होगा और यह उत्पादन १९६४-६५ के ८९ लाख मीट्रिक टन के पिछले रिकार्ड स्तर से भी ६० लाख मीट्रिक टन अधिक होगा। सन् १९६७-६८ की अवधि में व्यापारिक फसल का उत्पादन भी गत दशक से काफी अधिक होने की सम्भावना है। ५ मुख्य तिनहन का उत्पादन सन् १९६४

६५ के स्तर के आस-पास हो सकेगा। जूट का उत्पादन सन् १९६१-६२ में हुई ६४ लाख गाठों के रिकार्ड स्तर तक होने की सम्भावना है और कपास का उत्पादन गत वर्ष से अधिक होने की आशा है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में काफी गिरावट आने पर भी गन्ने का उत्पादन लगभग गत वर्ष के ६५ लाख मीट्रिक टन के स्तर तक (गुड के रूप में) रहने की सम्भावना है।

कृषि उत्पादन, क्षेत्रफल और उपज के सूचक अंक
(आधार १९५०-५१ = १००)

उपज वर्ष	क्षेत्रफल	सूचक अंक	
		प्रति एकड़ उपज	उत्पादन
१९५०-५१	१००	६००	१००
१९५५-५६	११३८	१०७३	१२२२
१९६०-६१	१२१२	११७५	१४२४
१९६१-६२	१२२४	११९	१४५५
१९६२-६३	१२३४	११८२	१४५६
१९६३-६४	१२३७	१२१७	१५०६
१९६४-६५	१२२.४	१२१.०	१४८२
१९६५-६६	१२२.०	११८.३	१४४५

अनुसंधान और शिक्षा

भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान और जीवनोपयोगी वस्तु समितियाँ कृषि, पशु-पालन और वन विषयक-अनुसंधान कार्य करती हैं। प्रथम की स्थापना १९२९ में देश भर में हो रहे कृषि अनुसंधान-कार्य का पथ-प्रदर्शन और उसमें एकसूत्रता लाने के उद्देश्य से की गई थी। परिषद् की अपनी कोई अनुसंधानशाला नहीं है, लेकिन यह केन्द्रीय और राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों में अनुसंधान का कार्य करवाती है। निर्यात होने वाली कुछ कृषि पैदावारों पर आधा प्रतिशत सेस लगाने से प्राप्त आमदनी इस संस्था की होती है। सरकार इसको अनुदान भी देती है।

भारतीय कृषि-अनुसंधान संस्थान—यह भारत की सबसे बड़ी कृषि-अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना १ अप्रैल, १९०५ को पूसा में हुई थी। अब यह विहार में भूकम्प आने के बाद से नई दिल्ली में है। इसी का दूसरा नाम 'पूसा इस्टीट्यूट' है। संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। यह मौलिक और व्यावहारिक, दोनों प्रकार का अनुसंधान कार्य करता है। यहां कृषि की स्नातकोत्तर शिक्षा भी दी जाती है।

केन्द्रीय धान अनुसंधान-संस्थान, कटक—यह स्नातकोत्तर शिक्षा देने के अतिरिक्त धान-विषयक अनुसंधान भी करता है।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला—यह आलू की किस्मों का विकास कर रहा है, और इस बात की खोज कर रहा है कि यूरोप में होने वाली शाक-सब्जी में से कौन सी भारत में हो सकती है।

केन्द्रीय शाक-भाजी रोपण केन्द्र, कुल्लू—यहां नई-नई मट्टियाँ उगाने की खोज हो रही है।

रात और रमायति उत्तरा तयार करन का काम तो गवत्र किया जाता है। महत्वपूर्ण शहरा म बारिया और तानिया व म न और रात्रिमन का गा। के वास्तु उपयोग किया जाता है। कम्पास्ट रात का उत्पादन बढ़ाया गया है। रात्रिमल का कम्पास्ट बनाया जाने लगा है। हरी रात व विवरण की योजना भी चल रहा है। हरी मिना म हड्डा म रात बनाई जाती है।

पौधा सरक्षण और टिट्टो दन का नियंत्रण—इसका लिए एन सस्था है मरणय व भडार निदगात्रय। यह प्रयोग को तरनीती सलाह दता है। फगन विनायन की-यतगा के विनाय के लिए उपकरण और यकिन भी प्रदान करता है। फसला का रोग म भी बचाना है। १४ केन्द्रीय पौधा सरक्षण काल है।

गहन खती जिला कायत्रम (इंटरतिव एथीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम)—इसका प्रारम्भ १९६१ ६२ म हुआ। इसका उद्देश्य सिचाई की सुविधायें प्रदान करने सेती का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाना है। फाड प्रतिष्ठान ने इससे लिए वित्तीय सहायता दी है।

सूरतगढ़ (राजस्थान) म १९५६ म रस की सहायता से केन्द्रीय यात्रिक कृषि काय क्रम गुरु किया गया। सती की मनीन साक्षियत रस ने दी है।

बुडनी म ट्रक्टर ट्रेनिंग एड टेस्टिंग स्टेशन है। यहां ट्रक्टर चनान की गिगा दी जाती है। ऐसा दूसरा केन्द्र हिसार (हरियाणा) म है।

कृषि पुनर्वित्त प्रबन्ध निगम—इसकी स्थापना १ जुलाई १९६३ को की गई। किसानों को दीघकालीन ऋण दन की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। यह किसानों के लिए रिजर्व बैंक का काम करेगा। किसानों को बच देकर कृषि-साधना को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।

धान की गहन खेती करने के उद्देश्य से ४० जिने चुन गए हैं। यह पकेज प्रोग्राम कहनाता है। कपास तिलहन और अ य यावसायिक फसलों के बारे म भी पकेज प्रोग्राम चलाने का विचार है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध और तकनीकी सहायता—संयुक्त राष्ट्र साथ व कृषि सस्था व इसकी समितिया और एजेंसिया के साथ भारत सरकार का सम्बंध है। अ य अंतर्राष्ट्रीय सस्थाओं के साथ सक्रिय सहयोग करता जाता है। साथ व कृषि संगठन एफ० ए० ग्रो० (फूड एण्ड एथीकल्चरल आगनाइजेशन) ने भारत को ३० विगपन दिये हैं। ये दूध वन मछली बागवानी पशुपानन और पौष्टिक आहार क्षेत्र के हैं। तकनीकी सहायता काय नम के अधीन भारत ने अमेरिका स तकनीकी सहायता प्राप्त की है। कोनम्बो योजना के अ तगत भी तकनीकी सहायता मिली है। भारत द्वारा भी तकनीकी सहायता अ य देशों को दी गई है।

भूख से मर्शित अभियान—इसका यह काय क्रम है चारे को मिलाने के लिए सवत्र नगाना नौटा बनाने की गोी बनाना रमायतिक उत्तररफ सेतो तक पहुँचाने के लिए चलनी फिरती यान योजनाओं म सुधार पौध सरक्षण सेवा प्रदान करना। एफ ए० ग्रो० के जरिये आवसफोड अकान सहायक समिति ने विभिन्न योजनाओं के लिए ३०२५०० डानर की सहायता दी है।

कृषि विपणन

विपणन व निरीक्षण निदेशालय भारत में कृषि विपणन-कार्य को देखता है। इसके कार्य हैं (१) खेती की वस्तुओं का श्रेणीकरण और मानिकीकरण करना। (२) बाजार और बाजार के व्यवहार का नियम। (३) हाटीकरण का सर्वेक्षण और जांच करना। (४) कृषि विपणन सेवा के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना और (५) फलोत्पादन और फल-संरक्षण और विपणन का कार्य।

श्रेणीकरण और प्रतिमानिकीकरण—यह कार्य कृषि-उत्पादन (श्रेणीकरण व विपणन) अधिनियम १९५७ के अनुसार किया जा रहा है। तम्बाकू, चन्दन का तेल, खसखस का तेल, आवला और अखरोट का श्रेणीकरण (आग मार्का) कराना अनिवार्य है। अन्तरीय व व्यापार की वस्तुओं की श्रेणीकरण करवाना स्वेच्छाधीन है। घी, तेल, मक्खन, रुई, अण्डा, आटा, चावल, गुड़, फल, गहद आदि का श्रेणीकरण होता है। नागपुर और अन्य आठ स्थानों—गन्तूर, मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता और बम्बई में श्रेणीकरण और प्रतिमानिकीकरण के लिए केन्द्रीय नियंत्रण परीक्षण शाला है।

मण्डियों का नियमन—नियन्त्रित और कानून-नियमित बाजारों की संख्या बढ़ाने का सतत प्रयत्न जारी है। इस समय तक कुल संख्या १८१० मण्डियों का नियमन किया जा चुका है। असम केरल, और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में मण्डियों का नियमन लागू है।

फल उत्पादन और फल संरक्षण—विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय फल उत्पादन आदेश १९५५ के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह आदेश फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग के विकास के लिए अनिवार्य पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त देसी तथा विदेशी मण्डियों के लिए फल व सब्जियों के विपणन के विषय में मार्गदर्शन दिया गया। आलोच्य वर्ष की अवधि में १०५२ फर्मों ने फल तथा सब्जियों के उत्पादों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस किये।

कोल्ड स्टोरेज आदेश १९६४ के अन्तर्गत, जोकि जनवरी १९६५ से लागू किया गया था, ८५ घन मीटर या इससे अधिक की क्षमता वाले उन समस्त कोल्ड भण्डारों के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है जो फल, दूध, डेरी, उत्पाद, अण्डे, मछली, सब्जी व आलू आदि खाद्य पदार्थों का भण्डारण करते हैं। विचाराधीन वर्ष के दौरान, ७८३ कोल्ड स्टोरो के लिए लायसेंस जारी किये गये और ६६ मौजूदा कोल्ड स्टोरो के विस्तार की अनुमति दी गई। इस अवधि में २२३ नये कोल्ड स्टोरो के निर्माण के लिए भी लायसेंस जारी किये गये।

वन उद्योग—भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल ६६२ लाख वर्ग किलोमीटर है जो कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत है। १९५२ की राष्ट्रीय वन नीति सकल्प के अनुसार वनों का विस्तार कुल ३३३ प्रतिशत भाग में किया जाना है। १९६२-६३ में वनों से ५०४३ करोड़ रुपये मूल्य की, १८६ करोड़ घन मीटर इमारती व दूसरी लकड़ी निकाली गई।

पशुपालन व दुग्धालय उद्योग

डेरी सयंत्रों की दूध सीमा में पशुओं के नियंत्रित प्रजनन, पर्याप्त पोषण, प्रभावात्मक रोग नियन्त्रण, दाना-चारा, विकास आदि के द्वारा पशु विकास के सब मामलों की देख-भाल

१९६४-६५	३६०	१२३	२५३	१२४	८६०
१९६५-६६	३०७	१०४	२११	६८	७२०
१९६६-६७	३०४	११५	२४२	६६	७५०

(अन्तिम अनुमान)

१९६७-६८ में १५० लाख मीट्रिक टन अनाज होने का अनुमान है। यह १९६४-६५ के रेकार्ड उत्पादन से ६० लाख मीट्रिक टन तथा ६६-६७ के उत्पादन से २०० लाख मीट्रिक टन अधिक होगा।

खाद्यान्न थोक भावों के सूचकांक

(आधार १९५२-५३=१००)

वर्ष	सब अनाज	चावल	गेहूँ
१९६४	१३४	१३३	१२३
१९६५	१४५	१३५	१६०
१९६६	१६५	१६६	१४६
१९६७	२०७	२०१	१६८

खाद्यान्नों का आयात

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	गेहूँ या आटा	चावल	माइलो	योग
१९६५	६५ ८३	७ ६३	६५	७४ ६२
१९६६	७८ ३३	७ ८७	१७ ३६	१०३ ५६
१९६७	६४ ००	४ ५३	१८ १६	४६ ७२

सर्वाधिक आयात मयुक्त राज्य अमेरिका में पी० एन० ४८० के अन्तर्गत किया गया।

भारतीय खाद्य निगम—१ जनवरी १९६८ को इसकी स्थापना की गई। इसकी गतिविधियाँ अभी तक दिल्ली और पाटीचेरी सहित १८ राज्यों में फैल गई हैं। खाद्यान्न, मूगफली और मूगफली के तेल की खरीद, संचयन और विप्रेषण, निगम के विविध कार्यों में सम्मिलित है। खाद्य विप्रेषण के क्षेत्र में निगम ने बच्चों के लिए प्रोटीन में भरपूर पोषिक वान आहार का उत्पादन शुरू किया।

भारत सरकार की भण्डारण क्षमता जनवरी ६८ तक २० २५ लाख मीट्रिक टन थी जिनमें से ११ ६० लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोशाम उस समय तक निगम के अधिकांश में जा चुके थे। निगम ने अपनी निधि में अभी तक कुल ८६ हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोशाम तैयार कर लिए हैं।

१९६७-६८ के खाद्यान्नों की पर्याप्तता की सन्तोषजनक सम्भावनाओं को देखते हुए देश में परम्परा १९६८ के अन्त तक ३० लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का परम्परा स्टॉक तैयार किया जा रहा है।

खाद्यान्नों पर दिए जाने वाले बेशुद्ध उधारण नियंत्रण—१९६८-६९ में खाद्यान्न दुर्गम और कमजोर वर्गों के लिए बेशुद्ध उधारण के अन्तर्गत खाद्यान्नों की प्रतिपूर्ति पर किए जाने वाले बेशुद्ध उधारण की सीमा में २५ से ८० प्रतिशत की सीमा रखी गई।

मूल्य नीति—अक्टूबर १९६४ म सरकार ने धान चावल गेहूँ चना ज्वार बाजरा और मकई के दाम १९६४ ६५ के लिए घोषित किये । धान की कुछ किस्म व दाम टट्टरान का काय राशो पर छोटा दिया गया । ऊँची किस्म के धान की कीमतों के टट्टर न तय की ।

१९६६ ६७ व १९६७ ६८ के लिए सरकारा ने विभिन्न फनाजा के मूल्यनम सहाय्य मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए—

(६० प्रति क्विंटल)


फनाजा	१९६६ ६७	१९६७ ६८	
धान	३५ ०० से ४० ००	४२ ०० से ४४ ००	
ज्वार	३८ ००	४२ ००	
बाजरा	४० ००	४२ ००	
मकई	३६	४२ ००	
गेहूँ (नाल)	४९ ५०	५२ ००	(गेहूँ उत्पादनक प्रयोग म)
गेहूँ (सफा)	४३ ५०	५६ ००	
गहूँ (बडिया फार्मी)	५७ ५	६० ००	
गहूँ (लाल)	५२ ७५	५५ ००	अन्य राशो म
गहूँ (सफा)	५६ ७५	५९ ००	
गहूँ (फार्मी)	६० ७५	६३ ००	
चना	४३ ०	४६ ००	

कृषि मूल्य आयोग—कृषि की पदावार की कीमतो म स्थिरता लाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना का गई । इसका काय मूल्य नीति निर्धारित करना और खेती की पदावार की वस्तुआ का मूल्य-ढाँचा तयार करना है ।

भारतीय किसान का सच्चा मित्र

सरस्वती कोल्ड स्टार्ट इंजन एव पम्पिंग सेट

उच्चतम काय कुशलता हेतु प्रांतीय सरकार द्वारा माय तथा विदेशा म भारी माग । ६ से ४४ पावर तक उपलब्ध ।



सरस्वती इंजीनियरिंग क०

जी० टी० रोड, गाजियाबाद (उ० प्र०)

With The Compliments Of

Dalmia Cement (Bharat) Limited

Dalmiapuram, Tiruchirapalli Distt
(Madras State)

Manufacturers of

'ROCKFORT' Brand DALMIA Portland and
Pozzolane Cement, DALMIA Refractories

Also

Mine-Owners & Suppliers of
High Grade Iron Ore for Export



H O. : 4, Scindia House,
New Delhi-1

For the Best

MIRZAPUR CARPETS

Sofa-cum-beds

"Dunlopillo" & Rubberised Coir Mattresses

Folding Aluminium Steel Furniture,

Uniform for home & office.

HALL & ANDERSON

Proprietors · Shri Madhusudan Mills Ltd ,

Park Street, (23-5661-2-3)

CALCUTTA-16

WHILE BUYING MUSK, SAFFRON, ASAFOETIDA AND
SHUDH SHALLAJIT, ALWAYS DEPEND UPON OUR
PRODUCTS

BHALLA BROTHERS

LUDHIANA (Punjab)

Phone 307

Quality Does Not Age

Wide range of colours and designs in SANFORIZED Cotton and Terene — Cotton Saris Shirtings Voiles Lophins and Dress Materials

TEBILIZED Cotton suitings for crease resistance and TEBILIZED

Double Tested for crease resistance and minimum ironing

Shri Ambica fashion fabrics for two generations

Ambica Group Shri Ambica Mills Ltd Ahmedabad

Shri Arbuda Mills Ltd Ahmedabad

Shri Ambica Tubes Ahmedabad

Shri Ambica Machinery Manufacturers Ahmedabad

Gram—Calcite

Phone—Office 39

Res 64

SHREE

MODI MINERAL GRINDING MILLS Pvt Ltd

NIM KA THANA (RAJASTHAN)

Manufacturers of

Fine mesh Powders of Pure Snow White Calcium Carbonate Barytes Calcite Felspar Quartz free of Iron Dolomite Limestone Bentonite Redoxide Soapstone Hydrated Lime of highest purity Levigated China Clay of the best quality and powders of all sort of minerals Marble Slabs of various shades Silica Grain of all sizes

प्रसार एवं सूचना

समाचारपत्र

प्रारम्भ

आधुनिक काल के सामूहिक वृत्तपत्र जगत में भारत ने २६ जनवरी, १७८० को प्रवेश किया। इस दिन 'वगाल गजट' प्रकाशित हुआ था। 'वगाल गजट' और 'कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर' की मूल प्रतियां भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में सुरक्षित हैं। वगाल गजट का वाद में श्रीरो ने अनुसरण किया।

भारतीय भाषाओं के पत्रों का जन्म राजनीतिक आवश्यकता को लेकर हुआ। अंग्रेज इनके विरुद्ध थे। अतः भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जीवित रहने के लिए भयकर मघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपमान सहना पड़ा, दण्ड भी भोगना पड़ा और भारी बलिदान देना पड़ा। पत्रों पर नियन्त्रण करने के लिए १८७८ में भापाई समाचारपत्र अधिनियम (वरनावयूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया। इंडियन स्टेट्स एक्ट १९२२, आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट १९२३, इण्डियन प्रेम (इमर्जेंसी पावर्स) एक्ट १९३१, फारेन रेगुलेशन एक्ट १९३२ और इण्डियन प्रोटेक्स एक्ट १९३४ बनाये गए।

दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र में समाचारपत्र परामर्शदातृ समिति (प्रेस एडवाइजरी कमिटी) स्थापित की। पत्रों को इससे सलाहकार की स्थिति प्राप्त हो गई। सरकार ने इनकी शक्ति को माना।

मार्च, १९४७ में समाचारपत्र कानून जाच समिति (प्रेस लॉज इन्क्वायरी कमिटी) की स्थापना की गई। प्रेस सबधी समस्त कानूनों की छानबीन करने का कार्य इसको सौंपा गया। इसको उचित मिफारिशे करने के लिए भी कहा गया। मई, १९४८ में अनेक घृणित और अवाञ्छनीय कानून रद्द हो गए।

भारतीय पत्रों की आयु—इस समय देग में १२ समाचारपत्र ऐसे हैं जो अपनी आयु के १०० वर्ष पूरे कर चुके हैं। इनमें से चार दैनिक हैं। इस समय चालू पत्रों में सबसे पुराना समाचारपत्र गुजराती का 'मुंबई समाचार' है जिसका प्रकाशन १८२२ में प्रारम्भ हुआ तथा १८५५ में यह दैनिक हो गया। अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन १८३८ में प्रारम्भ हुआ जो कि १८५० में दैनिक बन गया।

अन्य दो प्रमुख दैनिक "जाम-ए-जमशेद (गुजराती)", वम्बई (१८५३) "पायनियर (अंग्रेजी)" लखनऊ (१८६५) हैं।

समाचारपत्रों की सत्या (१९६२ ६७)

वर्ष	*दैनिक	साप्ताहिक	अग्र	कुल
१९६२	५०६	२०७६	४८१२	७३६७
१९६३	५५२	२१६३	५ ७५	७७६०
१९६४	५६	२३११	५०२६०	८१६१
१९६५	५७४	२१४१	५१६१	७६०६
१९६६	६०१	२४ ३	५६५६	८६४०
१९६७	६४६	२६६६	५६७२	६३१५

*दैनिक पत्रों में त्रिविधता एवं त्रिविधता भी सम्मिलित है ।

समाचारपत्र और भाषा

देश में १५ प्रमुख भाषाओं के अनिश्चित अग्र २२ भाषाओं में समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे हैं । १९६७ में कुल ४७ भाषाओं में समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे । १९६२ में यह सत्या ४२ थी ।

दैनिक समाचारपत्र १६ भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं ।

भाषा और अवधि के अनुसार समाचारपत्रों की सत्या (३१ १२ १९६७)

भाषा	*दैनिक	साप्ताहिक	अग्र	कुल १९६७	कुल १९६६
असम	६८	२४७	१६४३	१६५८	१८४५
हिन्दी	१६३	६५६	१ ६४	२२ ७	१ ६३१
असामी	३	६	१४	२५	३
बंगला	१७	१३७	४३१	५८५	५५०
गुजराती	४२	१३२	३७२	५४६	५१४
कन्नड़	३४	७८	११७	२०६	२४४
मलयालम	४४	४७	२१६	५१०	२७६
मराठी	५२	१६२	४ ६	५५०	४६०
उडिया	६	२०	५४	८	७०
पंजाबी	१५	८	६३	१८८	१८४
संस्कृत	—	२	२६	३१	२६
मिथी	५	२०	३६	६५	६३
तामिल	२८	७३	५०२	६०५	४१४
तेलुगू	१५	७५	२२४	१४	५०२
उर्दू	६	५७७	८७	८६४	७८५
निभाषी	२३	१६४	४७४	६६१	६३६

बहुभाषी	२	३८	१२८	१६८	१६२
अन्य	६	१८	७२	६६	१०२
कुल १९६७	६४७	२,६६७	५,६७१	६३१५	—
कुल १९६६	६०१	२,४०३	५,६३६	—	८६४०

*दैनिको मे द्विदिवसीय एव त्रिदिवसीय शामिल है ।

समाचारपत्रो की उक्त सख्या के अतिरिक्त ऐसे भी नियतकालिक प्रकाशन हैं जो कठोर अर्थ मे समाचारपत्र नही माने जा सकते, ऐसे प्रकाशनो की सख्या १९१७ मे २३६३ थी ।

समाचारपत्र प्रसार सख्या

(सख्या लाखो मे) (१९६२ से ६७)

वर्ष	दैनिक	साप्ताहिक	अन्य	कुल
१९६२	५६ ३१	६८ ४७	१०४ ४२	२३२ २०
१९६३	५८ ३०	६६ ६२	१०६ ७४	२३४ ६६
१९६४	६१ ७०	७२ २७	१०८ १६	२४२ १३
१९६५	६८ ३१	७१ ६६	१०६ ५७	२४६ ६६
१९६६	६७ ५२	६६ ५८	११५ ३६	२५२ ३६
१९६७	६६ ८७	५६ ७३	६२ २७	२१८ ८७

(प्रारम्भिक)

इस प्रकार १९६२ की अपेक्षा १९६६ मे पत्र प्रसार सख्या मे ८६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । दैनिक पत्रो की प्रसार सख्या मे ११६ की वृद्धि हुई जबकि साप्ताहिको की सख्या १५ प्रतिशत बढ़ी ।

(१९६७), मे पत्रो की सख्या सर्वाधिक १४५२ (महाराष्ट्र मे) थी । दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश (१४५६), तीसरे नम्बर पर प० वगाल (१०५०) तथा चौथे नम्बर पर दिल्ली (१०१६) रहा । दैनिक पत्रो मे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है । उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा केरल से क्रमश ११४, ६२, ६२, व ५० दैनिक निकलने है ।

सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचारपत्र (१९६७)

दैनिक—आनन्द वाजार पत्रिका (वगाल)	१,६५,१२३
साप्ताहिक—कुमुदम (तमिल) मद्रास	३,२०,६५८
मासिक—कल्याण (हिन्दी) गोरखपुर	१,४६,३१४

१९६७ मे एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले दैनिक—१६, साप्ताहिक—६ तथा अन्य नियतकालिक ३ थे ।

देश के चार महानगरो से निकलनेवाले समाचारपत्रो की प्रसार सख्या कुल पत्रो की प्रसार सख्या के ५१८ प्रतिशत है ।

भाषानुसार प्रसार सख्या (हजार म)

भाषा	१९६५			१९६६			१९६७ (परिमित)		
	दैनिक साप्ताहिक	अप्य	कुल	दैनिक साप्ताहिक	अप्य	कुल	दैनिक साप्ताहिक	अप्य	कुल
अप्रजी	१६६४	३ ६१	६१६२	१६७७	३ ५८	६११८	१७६६	७८०	५५४६
हिन्दी	६६०	२३२०	४६८६	६७१	२६६३	६६४४	६६०	३०	६६०
असमी	०८	४४	१३६	२३	६०	१०२	०४	४२	८६
बंगाल	४३	४७४	१२८६	५००	६१४	१४६६	६६४	२६४	१२०८
गुजराती	५२४	६१२	१५८६	५३४	६७६	१५७३	६८२	६५१	१५०८
कन्नड	२४०	२१६	६८८	२४७	२०३	७१२	२०६	१६०	५६०
मराठा	७७१	४७४	१८४७	७४६	५५२	१८४८	६८८	५०८	१५१७
मराठी	६५८	५८४	१५७७	६२३	५८१	१५६८	६११	०७	६१८
उडिया	६५	११	१६१	७४	३१	१०५	७७	०३	१०८
पंजाबी	५६	१५७	३१	६	११३	०८३	३१	१२८	१५७
मसूत	—	११	११	—	१८	१८	—	१	५
सिंधी	१७	४३	११५	२०	५८	१२१	०१	६४	१०
तमिल	७२६	६५२	२७६७	७०३	११६५	६६	७५६	१०६८	०६८८
तगु	२१५	३८०	६१६	२०६	३१८	१०५६	१८५	०४८	७३५
उर्दू	३६०	४३५	१२४०	३५८	६०१	१२६५	३५०	३८	११६८
डिभाषी	४८	५५१	७६८	२६	१८४	७०१	२६	११३	६३८
बहुभाषी	१	१८	१६६	०	२८	१५५	१	१	६८
अप्य	७	५६	८४	१०	३३	६१	८	३०	५५
कुल	६८३	७१६६	२४६६६	१७५२	६८४८	११५५६	६६७७	५६७१	२१८८७

दैनिक पत्रों में निःशुल्कीय एवं अल्प-साप्ताहिक भी शामिल हैं

एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले पत्र

(अंग्रेजी) इटियन एक्स्प्रेस, (बम्बई, दिल्ली, मदुराई, विजयवाडा, बंगलौर और मद्रास)	—३,६४,४८६
(मलायलम) मातृभूमि (कोजी कोडे और एर्नाकुलम)	—२,१२,६४२
(तमिल) थान्थी (मद्रास, मदुराई, तिरुचुरापत्ती, कोयम्बटूर)	—२,६८,५०१
(अंग्रेजी) टाइम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली, बम्बई)	—१,६७,३४१
(मलायलम) मलियला मनोरमा (कालीकट, कोट्टायम)	—१,६५,१४३
(बंगला) आनन्द बाजार पत्रिका	—१,६५,१२३
(अंग्रेजी) स्टेट्समैन (कलकत्ता, दिल्ली)	—१,६६,१०५
(हिन्दी) नवभारत टाइम्स (दिल्ली, बम्बई)	—१,६१,१७६
(तमिल) मलईमुरासु (तिरुनेलवेली व ६ अन्य स्थान)	—१,५७,८३४
(बंगला) युगान्तर (कलकत्ता)	—१,४३,२७६
(अंग्रेजी) हिन्दू (मद्रास)	—१,४२,१००
(तमिल) दिनमणि (मदुराई, मद्रास)	—१,३४,७३५
(अंग्रेजी) हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली)	—१,२०,५०५
(अंग्रेजी) अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता)	—१,१२,१४०
(हिन्दी) हिन्दुस्तान (दिल्ली)	—१,०५,७३५
(बंगला) वमुमति (कलकत्ता)	—१,२०,५०२

समाचार समितियां :

इस समय भारत में तीन प्रमुख समाचार समितियां दैनिक समाचार पत्रों को समाचार उपलब्ध करा रही हैं। ये हैं—पी० टी० आई०, हिन्दुस्थान समाचार और यू० एन० आई०। १९६७ में समाचार भारती ने भी कार्य प्रारम्भ किया। इनके अतिरिक्त देश में कुल २४ भारतीय एवं १६ विदेशी समाचार समितियों की सेवाएँ भी पत्रों को उपलब्ध थीं।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया (पी० टी० आई०) यह अंग्रेजी में सवाद देने वाली सबसे पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेंसी है। स्वामी के० सी० राय द्वारा स्थापित एसोसि-येटेड प्रेस के स्थान पर इसकी १९४७ में स्थापना हुई। १९४८ में इसमें कुछ सुधार किये गये। ब्रिटिश नियंत्रित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रायटर से यह सम्बद्ध है और भारत में उसकी सहायक के रूप में काम करती है।

पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र मालिकों तक सीमित है। इसके स्वामियों के लिए यह जरूरी है कि वे पी० टी० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करें। एशिया में इस समय इसके मुकाबले की दूसरी समाचार एजेंसी नहीं है। १९६६ समाचारपत्रों के अतिरिक्त रेडियो भी इसमें समाचार लेता है।

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (यू० एन० आई०)—इसकी स्थापना १९५६ में हुई। इसका स्वामित्व भी पत्र मालिकों तक सीमित है। इसके मालिकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे यू० एन० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करें। आकाशवाणी भी इसकी सेवा लेती है।

हिन्दुस्थान समाचार—कायकर्ताओं के सहयोग स्वामित्व की यह बहुभाषी समाचार समिति है। यह हिन्दी उर्दू अंग्रेजी उडिया मलयालम मराठी गुजराती वगला कन्नड पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं में सवाद भेजने का कार्य करती है। १९४८ में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। हिन्दी भाषा और दक्कनगरी लिपि को टेलीप्रिन्टर सयंत्र पर स्थान दिलाने का इसी का ध्य प्राप्त है। १९५७ में यह सहयोग समिति में परिणत कर दी गई। यह समाचार की आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। सारे देश में आज विभिन्न भाषाओं के लगभग एक सौ पाच समाचार पत्र इसके ग्राहक हैं और देश में इसके एक हजार से भी अधिक सवा ददाताओं का जाल बिछा हुआ है। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रसारणों के लिए आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को इसकी सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसने हान ही में प्रसंग लेखमाला के अन्तर्गत विभिन्न पत्रों को तैयार सेवाएँ देना प्रारम्भ किया है जिसे अतिनीघ्न युगवार्ता द्विदिवसीय बनेटिन का रूप दिया जा रहा है।

समाचार भारती—एक पब्लिक कम्पनी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसमें ६६ प्रतिशत अंश (शेयर) का स्वामित्व राज्य सरकारों का है। इसने १९६७ में कार्य प्रारम्भ किया। यह भी बहुभाषी समाचार समिति है तथा हिन्दी मराठी व गुजराती में सेवाएँ दे रही है। इसकी सेवाएँ आकाशवाणी को उपलब्ध हैं।

अध्य भारतीय समितियाँ हैं—इडिया प्रस एजेंसी एसोसिएटेड यूज सर्विस (हैदराबाद) इन्दिया यूज एण्ड फीचर एनालिसिस (नई दिल्ली)।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ इस प्रकार हैं

१ रायटर २ एसोसियेटेड प्रस आफ अमेरिका ३ एजेंसी फ़ास प्रस ४ तास यूज एजेंसी ५ यूनाइटेड प्रस इंटरनेशनल ६ नियर एण्ड फार ईस्ट यूज (एसिया) लि० ७ डूटा एजगटूर प्रस (वेस्ट जर्मन नेशनल यूज एजेंसी) ८ टेलग्राफ़ा एजेंसिया नोवा (तन्जूर) ९ तुमोस्लाविया इत्यादि। कुछ विदेशी एजेंसियाँ भारत को विश्व समाचार देती हैं और भारत के समाचार अपने देश के ग्राहकों को भेजती हैं।

प्रस परिषद—भारत सरकार ने प्रस परिषद अधिनियम (१९६५) के अन्तर्गत ४ जुलाई १९६६ को प्रस परिषद की स्थापना की। इस परिषद का उद्देश्य भारत में पत्र स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं समाचारपत्रों के स्तर को सुधारना है। यह समाचारपत्रों और पत्रकारों के लिए समाचार संहिता तैयार करने में सहायता देगी।

इस परिषद के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जे आर० मधानकर हैं। इनके प्रतिनिक्त २५ सदस्य हैं जो सभा के अध्यक्ष, पत्र व्यवस्थापकों, मालिकों तथा अनुभवों व्यक्तियों में से हैं।

१७ जनवरी १९६८ को भूमर सरकार ने प्रस परिषद की सलाहकार समिति मूचना और प्रसारण मंत्री श्री क० क० गांधी की अध्यक्षता में नियुक्त की। समिति में राज्य सभा के साथ तथा तत्कालीन क० १२ सदस्य हैं।

समाचारपत्र सलाहकार समिति—इसकी स्थापना जुलाई १९६५ में मूचना एवं प्रसारण मंत्रियों की अध्यक्षता में की गई। समाचारपत्रों के लिए अथवा वारियों कागज तथा मुद्रण यंत्रों की उपलब्धि और आयात सम्बन्धी नीतियों के सम्बन्ध में सरकार का परामर्श देने के लिए इसका गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष गण्ड्योस में ६ अधिकांश ५ प्रतिनिधि—भारतीय

तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज के, दो प्रतिनिधि भारतीय भागा समाचार पत्र सघ के तथा ४ गैर सरकारी प्रतिनिधि है ।

लघु समाचार पत्र जाच समिति—श्री रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने छोटे समाचारपत्रों की कठिनाइयां दूर करने के सबब में १९६५ में अपनी रिपोर्ट दी । सरकार ने समिति के १४५ सिफारिशों में से १११ पर निर्णय लिया है । देश के समाचारपत्र जगत में १९६७ में ६२ सयुक्त स्वामित्व सस्थान थे, जबकि १९६६ में इनकी संख्या २७ थी ।

एक से अधिक स्थानों से निकलने वाला दैनिक २४ सस्थाओं द्वारा संचालित थे तथा इनके कुल अग ६७ थे ।

७६ समाचारपत्र राजनैतिक दलों द्वारा संचालित थे । इसमें से कांग्रेस के ३५, कम्युनिस्ट पार्टी के २१ तथा प्रसोपा के ४ थे ।

१२२ दैनिक समाचार पत्रों के कुल २११५ सवाददाता के जिनमें से ३२ देश के बाहर थे ।

२५६ दैनिकों में २५२० सम्पादक तथा सबधित कर्मचारी थे ।

चलचित्र उद्योग

भारत में सिनेमा की प्रगति—१९०३ में सर्वप्रथम श्री हीरालाल सेन ने एक छोटी फिल्म बनाई थी । इसके साथ भारत में सिनेमा उद्योग का सूत्रपात हुआ । फिल्में प्रारम्भ में मौन होती थी । सवाक् चित्रपट का आरम्भ १९३१ के बाद हुआ । इसके बाद मौन फिल्में बननी बंद हो गयी । पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' का निर्माण इम्पीरियल फिल्म क०, बम्बई ने किया था ।

आज भारत विश्व भर में सर्वाधिक फिल्म बनाता है । अमेरिका भी इसमें पीछे छूट गया है ।

सयुक्त राष्ट्र सघ की वार्षिकी, १९६५ के अनुसार १९६२ में कथा-चित्र बनाने में हालीवुड का स्थान विश्व में पाचवा था ।

भारतीय फिल्म उद्योग (उत्पादन, प्रदर्शन और परिष्कार) में लगभग ८४ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है । लगभग एक लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं—८६६५ में १५०००, सिनेमा में ५०,००० और प्रयोगशालाओं में ५००० । ग्रोप वितरण और शाखाओं में काम कर रहे हैं । पूंजी विनियोग की दृष्टि से सरकारी सर्वे के अनुसार, ८० परिमाण के उद्योगों में फिल्म उद्योग का स्थान दूसरा है । वेतन देने की दृष्टि से यह १- है और लोगों को आजीविका देने के विचार से उद्योगों में इसका छठा स्थान है ।

फिल्म-उत्पादन के मुख्य केन्द्र हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता । ५० प्रतिशत अधिक चित्रों का निर्माण बम्बई में होता है । मद्रास और कलकत्ता में २० से २५ प्रतिशत फिल्में बनाई जाती हैं । परिष्कार करने की प्रयोगशालाओं की संख्या २६ है । इनमें से पश्चिमी क्षेत्र में, ६ दक्षिणी क्षेत्र में और ५ पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं ।

वृत्त लघु फिल्मों का सबसे बड़ा वितरक और आपूरक सूचना व प्रसार मलय का फिल्म डिवीजन है । भारत में विदेशी फिल्में भी दिखाई जाती हैं । इनका वित्त विदेशी फिल्म निर्माता ही करते हैं ।

फ़िल्म साधारणतः हिन्दी उगना तमिऴ, तेलगू, मराठी और गुजराती भाषा में बनाई जाती हैं। असमिया, मलयालम, उर्दूया और पञ्जाबी व भोजपुरी में भी कभी-कभी बनाई जाती हैं।

हिन्दी फिल्मों का प्रचार सारे देश में है। हिन्दी फिल्म बनाने का मुख्य केंद्र बम्बई है। भारत से बाहर भी हिन्दी फिल्म काफी चलती हैं।

भारत सरकार का नियंत्रण—सूचना व प्रसार मन्त्रालय के अधीन एक विभाग फ़िल्म विभाग है। फिल्म विभाग मुख्यतः वृत्त चित्र बनाता है। हर वर्ष यह १५० फ़िल्म बनाता है जो अग्रणी तथा १२ भारतीय भाषाओं में बनायी जाती हैं।

वृत्त चित्र—अप्रैल से दिसम्बर ६७ की अवधि में ५४ फिल्म बनायी गई।

समाचार चित्र—अप्रैल से दिसम्बर ६७ के बीच ३६ समाचार चित्र बनायी गई। दिसम्बर १९६७ तक भारतीय समाचार चित्रों की कुल संख्या १००३ तक पहुँच गई।

बाल चित्र—भारत सरकार ने बालों के मनोरंजन के लिए फ़िल्म बनाना प्रारम्भ किया है। इसके लिए बाल चित्र समिति की स्थापना १९५५ में की गई है। यह समिति बच्चों के लिए उपयुक्त चित्रों का निर्माण करती है व उनका प्रदर्शन करती है। समिति को भारत सरकार से वार्षिक अनुदान मिलता है। कुछ राज्यों ने भी बाल चित्र आन्दोलन प्रारम्भ किया है। समिति के बनाये चित्र जलन्पीप को १९५७ में वेनिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में बच्चा की फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। समिति के दिल्ली की कहानी तथा रूद्र मुबारक चित्रों को १९६० में राजकीय पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र मिला। १९६१ में सावित्री नामक चित्र को भी ऐसा ही पुरस्कार मिला। सावित्री को १९६२ के बनीवर अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में भी योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। १९६३ में पाँच पुनर्तियों को अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र मिला। १९६५ में यह पुरस्कार एन्ड्रयुअर आफ ए गूडर डाल को प्राप्त हुआ। १९६६ में जसे को तसा' रंगीन बालों को प्रधान मंत्री का स्वर्ण पदक तथा डाकघर को द्वितीय बाल फ़िल्म अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गाल्दन रूप का पुरस्कार मिला।

सैंसरशिप आफ़ फिल्म—सेंसर वाड आफ़ फिल्म सेंसर का गठन १९५१ में किया गया। इनके सेंसर करने के बाद ही कोई फिल्म भारत भर में दिखाई जा सकती है।

अप्यथ समन बोड के आठ सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति सरकार करती है। इनका मुख्यालय बम्बई में है व क्षत्रीय कार्यालय बम्बई कनकता और मंगल में हैं। इसकी जाच कमिटी प्रत्येक फिल्म की जाच करती है। बोड के नियम के विरुद्ध फिल्म निमाता सरकार में अपील कर सकते हैं।

प्रमाणिकरण करने के समय यदि बाल क्लिप फिल्म को सूचित किया जाये तो इसका अर्थ है कि यह फिल्म भारत में बिना राफ-टैक के दिखाई जा सकती है। जो फिल्म केवल बयस लोगों के लिए होती है उसको ए चिह्न दिया जाता है। यदि किसी फिल्म का कोई भाग अप्रतिबन्ध माना जाता है तो उस भाग के बाई आर गुणा का चिह्न लगा दिया जाता है।

१९६७ में बाल न २७२८ फिल्मों की परीक्षा का। इनमें में ७८ फिल्म पुनरीक्षण कमिटी को भेजी। बोड ने १२६८ विन्गा फिल्मों का सूचका प्रमाण पत्र दिया और १२७

को 'ए' का । भारतीय फिल्मों की सख्या क्रमश ११४५ और १४ रही । १११० किस्मों को बोर्ड ने मुख्यत शिक्षाप्रद बताया । २६ फिल्मों को प्रमाण पत्र देने से इन्कार किया ।

चलचित्रों को राजकीय पुरस्कार—१९५४ में केन्द्रीय सरकार ने फिल्मों को राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निश्चय किया । अच्छे फिल्म-निर्माता, निर्देशक और अभिनेता को भारतीय और राज्य स्तर पर राज्य पुरस्कार दिये जाते हैं । अच्छी और प्रतिभाषित फिल्मों को प्रथमा प्रमाण पत्र दिये जाते हैं । १९६६ में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में ७६ कथा चित्र शामिल हुए । हिन्दी फिल्म 'तीसरी कसम' को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित किया गया ।

फिल्म वित्त निगम—इसकी स्थापना वम्बई में १९६० में की गई । इसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० है । ५० लाख रु० के शेयर भारत ने लिये हैं । निगम से ऋण प्राप्त कर निर्मित किए गए चित्रों की सख्या १९६७ तक ३८ थी ।

फिल्म इंस्टीच्यूट आफ इण्डिया—इसकी स्थापना पूना में अप्रैल १९६० में हुई । यहां फिल्म में अभिरुचि रखनेवालों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है । फिल्म निर्माण, फिल्म-अनुसन्धान, कथा-लेखन, फिल्म फोटोग्राफी, रिकार्डिंग, ध्वनि इंजीनियरिंग व सम्पादन कला आदि का यहां प्रशिक्षण दिया जाता है । पाठ्यक्रम दो तथा तीन साल का है । इंस्टीच्यूट की अपनी प्रयोगशाला है और अपना स्टुडियो भी । विदेशी विशेषज्ञों की सहायता इसको प्राप्त है । इंस्टीच्यूट ने अपने आपको 'इंटरनेशनल लायन्स सेटर आफ सिनेमा एण्ड टेलीविजन स्कूल' से सम्बद्ध करा लिया है, अतः यहां शिक्षा का प्रतिमान अन्तर्राष्ट्रीय है । इंस्टीच्यूट, संगीत नाटक अकादमी, मद्रास और अनेक राज्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देते हैं ।

२७ अगस्त ६७ को इसका पाचवा दीक्षान्त समारोह हुआ और ५२ छात्रों को डिप्लोमा दिया गया । १ जुलाई ६८ को इसका आठवा शिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ ।

१९६७ में विभिन्न भाषाओं में ३३३ कथाचित्रों (प्रसारण के लिए प्रमाणित) का निर्माण हुआ हिन्दी ८५, तमिल ६५, तेलगू ६१, मलयालम ३६, बंगाली २५, कन्नड २४ मराठी २०, गुजराती ३, पंजाबी ५, असमी २, उडिया २, कोकणी १ तथा सिन्धी १ ।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय—राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना फरवरी, १९६४ में की गई । इसका उद्देश्य कला की दृष्टि से फिल्मों का अध्ययन और अनुसन्धान करना है ।

संग्रहालय इस समय अस्थायी रूप से पूना में है । इसके पास २१६ भारतीय कथाचित्रों और ७६ लघु फिल्मों का संग्रह हो गया है । संग्रहालय में ३३ विदेशी कथाचित्र तथा ६ विदेशी लघु फिल्में भी हैं । यह इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म आर्चीव का सदस्य है । अतः यह अन्य संग्रहालयों से महत्वपूर्ण फिल्मों का विनिमय कर सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह—भारत में दो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह १९५२ और १९६१ में हुए । १९५२ के समारोह में २२ देशों ने और १९६१ के समारोह में ३६ देशों ने भाग लिया । ३६ फीचर फिल्में और ५६ छोटी फिल्में दिखाई गईं । तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतियोगात्मक आधार पर जनवरी, १९६५ में दिल्ली में हुआ । वम्बई कलकत्ता और मद्रास में फिल्म सप्ताह मनाया गया । इसमें तीस देशों ने भाग लिया । प्रतियोगिता शून्य क्षेत्र में १७ देशों ने भाग लिया । भारत की 'हकीकत' फिल्म को भी इसमें आमंत्रित किया गया था ।

सर्वोत्तम फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। तृतीय पुरस्कार रजन मयूर का था। सर्वोत्तम अभिनता या अभिनत्री का वास्य मयूर भट किया गया।

१९६५ में भारत से बाहर हुई फिल्म प्रतियोगिताओं में भी फिल्मों में भाग लिया। इसमें निजम साकेत चारुलता वापुरण व महापुण्य और आरोही (वगाली), हमारा घर (हिन्दी) और नेक्सपीयर बाना (अंग्रेजी) को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत के नव वक्तात्मक चित्रा को भी १९६५ में अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए—एण्ड्रयु माइम टु गा आवर नेशनल गेम हाकी बन ४ माउण्टेन विजिन और फॉक डांसिंग ग्राम गिण्या।

निर्यात - दो इण्डियन मोगल पिक्चर एक्मपोट वापॉरिंग लि० की स्थापना सितम्बर १९६३ में हुई। उसका उद्देश्य फिल्म बनाना खरीदना और निर्यात करना है। विन्ना में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन का व्यवस्था भी यह करता है। इस वापॉरिंग की पूजा १ करोड़ है। फिल्म उद्योग और सरकार दोनों इसके हिस्सेदार हैं। इसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में १५ सदस्य हैं। वापॉरिंग विदेशों में फिल्म के बाजार की स्थिति का अध्ययन करता है तथा व्यापार मिशन भेजता है। भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए आवश्यक सामग्री का संचालन करता है।

१९६६ में पहली ६ माहों में वापॉरिंग ने १ १२ करोड़ रु० की विन्नी मुद्रा कमायी।

१९६६ में ३१०१ लाख रुपये की कच्ची ४६२६ लाख रुपये की तयार फिल्म एवं ४८ १६ लाख रुपये के प्रोजेक्शन उपकरणों का आयात किया गया।

आकाशवाणी

देश में आकाशवाणी पूरा सरकारी विभाग है। इस समय आकाशवाणी की दृष्टि से देश को चार अंचलों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विभक्त किया गया है। देश में कुल ३५ मुख्य तथा १७ सहायक केंद्र हैं।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में लगभग आधा समय संगीत को दिया गया है। गेप समय में समाचार समाचार दशम वार्ता वाद विवाद रूपक नाटक आदि प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी का प्रमुख कार्यक्रम विविध भारतीय है जो प्रतिदिन १२। घंटे प्रसारित किया जाता है एवं ३१ केंद्रों पर मध्य तरंग पर सुना जा सकता है।

समाचार सेवा—प्रतिदिन विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में १७६ समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इनमें से ४४ विदेशों के लिए होते हैं। अंग्रेजी और हिन्दी में ६ बुलेटिन प्रसारित होती हैं जिन्हें प्रादेशिक केंद्रों पर रिले करते हैं। श्रेणीय भाषाओं में कुल ४१ बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित होती हैं। देश के लिए समाचार बुलेटिन १८ और विदेशों के लिए १६ भाषाओं में प्रसारित होते हैं।

आकाशवाणी को अपने सवादाताओं के अतिरिक्त पी०टी०आई० यू०एन०आई० हिन्दुस्थान समाचार व समाचार भारती से समाचार प्राप्त होते हैं।

२४ केंद्रों से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। इन केंद्रों से प्रतिदिन १८ भाषाओं और २४ आदिवासी बोलियों में ७८ समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों के लिए आकाशवाणी को अपने सवादाताओं के अतिरिक्त हिन्दुस्थान समाचार से समाचार प्राप्त होते हैं।


रेडियो न्यूजरील — प्रत्येक प्रादेशिक समाचार युनिट सप्ताह में एक बार प्रादेशिक भाषाओं में और कहीं-कहीं अंग्रेजी में भी न्यूजरील प्रसारित करता है। समाचार समीक्षा तथा इससे सम्बन्धित कार्यक्रम तथा 'स्पॉट लाइट' भी प्रसारित किए जाते हैं।

आकाशवाणी के इतिहास में १९६७ का वर्ष महत्वपूर्ण था। इस वर्ष आकाशवाणी के लिए ६ सूत्री आचार संहिता को भी अन्तिम रूप दिया गया। नवम्बर १९६७ से बम्बई, पूना और नागपुर से आकाशवाणी केन्द्रों में व्यापारिक प्रसारण भी प्रारम्भ की। १९६७ के अन्त तक देश में अनुमानत ७६ लाख रेडियो सेट थे।

दूरदर्शन (टेलीविजन)

भारत में दूरदर्शन कार्यक्रम सितम्बर १९५६ से दिल्ली में प्रारम्भ हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली में २५ मील की परिधि में देखा जा सकता है। दूरदर्शन केन्द्र से स्कूल कार्यक्रम सहित प्रति सप्ताह २१ घंटे के कार्यक्रम होते हैं। इस समय २१७ टेलीक्लब हैं जिसकी सदस्य संख्या १००० तथा दर्शक संख्या २५००० है। ग्रामीण क्षेत्रों में ६७ के अन्त तक २६७ सामुदायिक प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी थी। ५४८ स्कूलों तथा ५,२१२ घरों में टेलीविजन सेट हैं।

**DEPENDABLE
FAST SERVICES BY
SICAR**



REGULAR CARGO Services

INDIA/FAR EAST JAPAN ■ AUSTRALIA ■ U.A.R. ■ U.S.S.R. ■ POLAND ■ U.K. — CONTINENT
U.S.A. (Atlantic and Gulf of Mexico) ■ U.S.A. CANADA (Pacific Coast) ■ WEST ASIA (Red Sea) ■ WEST ASIA (Gulf)

PASSENGER CUM CARGO Services

INDIA/EAST AFRICA ■ MALAYSIA-SINGAPORE ■ CEYLON ■ MAINLAND ANDAMAN/NICOBAR ISLANDS

TANKERS ON THE INDIAN COAST AND ON OVERSEAS TRADES

COLLIERS ON THE INDIAN COAST ■ BULK CARRIERS ON OVERSEAS TRADES

The Shipping Corporation Of India Ltd


(A Government of India Undertaking)

STEELCRETE HOUSE DINSHAW WACHA ROAD BOMBAY-1 Phone 246271 (9 Lines) • Grams SHIPINDIA • Telex 1
Branch Offices at Calcutta and Mombasa Agents at all principal ports of the world

सबश्रेष्ठ रबड की बोतलें
(गम पानी से सेंक के लिए)

हर घर-हर अस्पताल में लोकप्रिय

आकषक डिजाइना और सुंदर रंगों में उपलब्ध



निर्माता

एनके (इण्डिया) रबड कम्पनी
दिल्ली तथा गुडगाव

दूरभाष 228298 229289

बाराबती रैफल उडीसा लाटरी

- 1 यह एकमात्र लाटरी है जो गारटीशुदा टिकट के ऊपर लिखे अनुसार इनाम देती है।
- 2 लाटरी निकलने पर जिन व्यक्तियों के इनाम निकलते हैं उन्हें तार व डाक द्वारा सूचना देती है।
- 3 लाटरी खुलने का ढग भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्र के प्रतिनिधि कटक जाकर अपनी आंखों से देख चुके हैं।

इनामों की राशि ३ लाख रुपये से अधिक।

पहला इनाम एक लाख दस हजार रुपये।

आज ही भाग्य आजमायें। प्रति टिकट एक रुपया। १५ टिकटों का पैड फाम १० रुपये। चार पैड फाम ३६ रुपये मनीमार्डर व पोस्टल आर्डर भेजकर हमसे मगवायें। अपना पता साफ लिखें।

पैड फाम कटक पहुंचने की अंतिम तिथि २ ११ ६८ और खुलने की तिथि २४ ११ ६८

— पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स —

रामलाल मल्होत्रा

तीयराम सूरी

गन्ना टाकीज के पास

निकट गेट १६ फूट मार्केट

१६८४ मंगलरोसा पहाड़गज

सर्जी मंडी दिल्ली ७

नई दिल्ली १ फोन २७५२५७

फोन २२७ ७४

आयोजन

जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हे समृद्ध एवं अधिक विविधतापूर्ण जीवन के लिए नये अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से १९५०-५१ में देश ने एक सुनियोजित आर्थिक विकास की प्रणाली अपनाई। इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इस उद्देश्य से क्रमिक पंचवर्षीय योजना देश में लागू की गई। योजना आयोग का गठन १९५० में हुआ।

प्रथम दो योजनाएं

दो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं १९५१-५२ तथा १९५२-५६ में लागू की गईं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा यातायात पर विशेष जोर देकर देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार करना था। इस योजना में कुछ आधारभूत नीतियों के निर्धारण द्वारा समाज में सुधार लाना भी था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (१९५६-५७ से १९६०-६१) का उद्देश्य इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, विकास गति में तीव्रता लाने और इस प्रकार की नीति का सूत्रपात करना था जो अर्थव्यवस्था में आवश्यक संस्थागत परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो। प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में कुल १०,११० करोड़ रुपये लगे। इनमें से ५,२१० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा ४,९०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में लगे।

यद्यपि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई फिर भी अनुभव किया गया कि सब लोगों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अनिवार्यतः कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को पूजा निर्माण के कार्य में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी योजना में अनुभव किया गया कि विकास पद्धति तथा सामाजिक संघर्षों की संरचना कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो अपितु आय और सम्पत्ति में विषमता घटती चली जाय।

तीसरी योजना

तीसरी योजना में इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए उस अच्छे जीवन की उपलब्धि हो जिसे देश समाजवादी या समाज के रूप में पहले ही स्वीकार कर चुका था। इसके अनुसार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम योजनाओं के उद्देश्य क्रमशः हैं (१) रवावलम्बी आर्थिक-विक्रम की आधारशिला रखना, (२) रोजगार के साधन एवं अवसर प्राप्त करना, (३) आर्थिक तथा सामाजिक विषमताएं घटाते हुए पारिवारिक निम्न-तम जीवनस्तर सुनिश्चित करना।

प्रति यकिन आय दुगुनी करने की जा अवधि प्रारम्भ म १९७७ ७८ रखा गइ थी वह दूसरी योजना के समय १९७३ ७४ कर दी गइ। किन्तु जनसंख्या वृद्धि व कारण उत्पन्न दिक्कत को ध्यान म रखकर यह अवधि पुन १९७६ ७७ तक बना दी गई।

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाए क्रमग २३५६ करोड ४८०० करोड तथा ७५०० करोड रुपये की बनाई गई थी। पहली योजना को काफी सफलता मिली परन्तु दूसरी योजना का काय सतोपप्रप्त नहीं रहा। तीसरी योजना का काम भी प्रत्यक्षत अच्छा नहीं है। इस पर ८६२ करोड रुपये खच हुए जो कि ७५०० करोड रुपये के मूल प्रावधान स काफी ज्यादा है। किन्तु मूल्यो के बढ जान स इसका काफी बढा भाग निष्प्रभावी रहा। तीसरी योजना म गर सरकारी धन म ४१० करोड रुपये लगने का अनुमान है।

तीन योजनाओ मे हुई प्रगति

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओ की १५ वर्षों की अवधि म शुद्ध राष्ट्रीय आय ६८५ करोड रुपये मे बढकर १५ ४४१ करोड रुपया (१९६० ६१ के मूल्यो पर) हो गई। इस प्रकार तीन पंचवर्षीय योजनाओ म राष्ट्रीय आय म ६६ प्रतिगत वृद्धि हुई। यह वृद्धि ३८ प्रतिगत वाषिषिक रही। प्रथम योजना म राष्ट्रीय आय ३४ प्रतिगत द्वितीय म ४ प्रतिगत और तीसरी योजना म २८ प्रतिगत की दर से बढी। तृतीय योजना के चतुथ वर्ष म राष्ट्रीय आय १६ २१६ करोड रु० हो गइ थी।

देखा जाय तो तृतीय योजना का संपूर्ण काल सक्कों से भरा हुआ था। १९६२ म चीनी आक्रमण के साथ ही योजनाओ पर सक्क प्रारम्भ हुआ। १९६४ ६५ का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि स सबश्रष्ट होने के कारण स्थिति समहली थी किन्तु तीसरी योजना क अन्तिम वर्ष म सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमणा के कारण विनाय सक्क आया। तीसरी योजना का सारा समय ही चान तथा पाकिस्तानी आक्रमणा और विदेशी मुद्रा के अभाव का समय रहा।

राष्ट्रीय आय के हिसाब स ता विनाय हुआ साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि भी काफी तीव्र रही तथा इसके फलस्वरूप प्रति यकिन आय म पूव अनुमानो क अनसार वृद्धि नहा हुई। वास्तव म १९६४ ६५ की अपेक्षा प्रति यकिन आय काफी घट गई। तृतीय योजना क प्रारम्भ म प्रति यकिन आय १० थी। १९६४ ६५ म यह ३३६ २ थी किन्तु ६५ ६६ म यह ३१५ ३ रह गई।

प्रथम तीन योजनाओ म कृषि उत्पादन सूचक अंक १९५० ५१ (आधार वर्ष) १ से बढकर १९६५ ६६ म १४४ ५ हा गया। १९६३ ६४ म यह अंक १५० ६ था। औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक भी १९५६ (आधार वर्ष) १ से बढकर १९६५ म १८७ हा गया। १९५० ५१ म उद्योगा द्वारा ३८४ २० करोड रुपये का माल तयार हुआ था वना १९६५ ६६ म १४३६ करोड रुपये का मान तयार हुआ। विद्युत उत्पादन म चार गुना वृद्धि हुई।

चतुथ योजना एव सक्क

यात्रता आधाग ने विनाय की दर म पयाप्त वृद्धि करके आर्थिक स्वावलम्बन की उन्नति म और गमात्रवाना समाज की आर गीप्रता स प्रगति करन म सहायक नीतिया के

आधार पर चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम १९६२ के पूर्वार्ध में प्रारम्भ हो गया था। फरवरी १९६५ में राष्ट्रीय योजना परिषद् की स्थापना हुई। इसके द्वारा किए गए अध्ययनों एवं ज्ञापन के प्रकाश में सारी स्थिति पर विचार करके १९६३-६४ के मूल्यों के अनुसार २१५०० करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था-वाली पुनरीक्षित योजना तैयार की गई। जिस समय इस पर अध्ययन और विचार विमर्श चल रहे थे, ६ जून १९६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया जिससे आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। योजना के साधनों और प्राथमिकताओं की तथा उसकी व्यवस्था की पूरी जांच करना फिर से आवश्यक हो गया।

साधनों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए जून ६६ के मूल्यों के आधार पर कुल २३,७५० करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई। जिसमें से १३ हजार ६०० करोड़ रुपये का निवेश सरकारी क्षेत्र में, ७,७५० करोड़ रुपये का निवेश निजी क्षेत्र में और २४०० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में चालू व्यय व्यवस्था हेतु रखे गये।

इन सब कार्यों में समय लगने और सितम्बर ६५ में युद्ध के बाद कुछ विदेशी ऋणों के निलम्बित होने से चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने में देर हुई।

१९६६-६७ वार्षिक योजना

चौथी योजना के प्रथम वर्ष १९६६-६७ की वार्षिक योजना चौथी योजना की रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई। यह योजना आपतकाल की स्थिति में तैयार करनी पड़ी थी अतः चौथी योजना से इसका सबंध इस प्रकार का नहीं था जैसा सामान्य स्थिति में हो सकता था। १९६५-६६ के प्रबल सूखे की स्थिति पर भी ध्यान आवश्यक था। १९६६-६७ वर्ष की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र में निवेश २,०८२ करोड़ रुपये का था जो बाद में बढ़ कर २,२२१ करोड़ का हो गया।

१९६७-६८ वार्षिक योजना

चौथी योजनाओं को अन्तिम रूप देने में समय लगने की सभावना थी अतः १९६७ की वार्षिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया। यह योजना चौथी योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के समस्त ढाँचे के अन्तर्गत की गई। १९६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रों में २,२४६ करोड़ २० रखी गई।

१९६६-६७ व १९६७-६८ की वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रगति

राष्ट्रीय आय में १९६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१९६०-६१ के मूल्यों पर) ३२ प्रतिशत है। इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय आय में ४८ प्रतिशत की कमी आई थी अतः १९६६-६७ में थोड़ी क्षति-पूर्ति हो जाने पर भी १९६४-६५ की स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत की कमी रही। कृषि उत्पादन १९६४-६५ के स्तर से १२५ कम रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के शेष भाग में उत्पादन इस स्तर से ७२ प्रतिशत अधिक रहा १९६६-६७ में प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६५ प्रतिशत घट गई।

प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की जो अवधि प्रारम्भ में १९७७-७८ रखी गई थी वह दूसरी योजना के समय १९७५-७४ कर दी गई। किन्तु जासूसी वृद्धि व कारण उत्पन्न दिक्कतों को ध्यान में रखकर यह अवधि पुनः १९७६-७७ तक बढ़ा दी गई।

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाएँ क्रमशः २३५६ करोड़ ४८०० करोड़ तथा ७५०० करोड़ रुपये की बनाई गई थी। पहली योजना को काफी सफलता मिली परन्तु दूसरी योजना का बाय सतोपप्रण नहीं रहा। तीसरी योजना का काम भी प्रत्यक्षत अच्छा नहीं है। इस पर ८६० करोड़ रुपये खर्च हुए जो कि ७५०० करोड़ रुपये के मूल प्रावधान से काफी कम है। किन्तु मूल्यों के बढ़ जाने से इसका काफी बड़ा भाग निष्प्रभावी रहा। तीसरी योजना में गर सक्कारी क्षेत्र में ४१० करोड़ रुपये लगन का अनुमान है।

तीन योजनाओं में हुई प्रगति

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की १५ वर्षों की अवधि में गढ़ राष्ट्रीय आय ६८५ करोड़ रुपये से बढ़कर १५४४१ करोड़ रुपये (१९६६-६१ के मूल्यों पर) हो गई। इस प्रकार तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय में ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि ५८ प्रतिशत वास्तविक रही। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय ३४ प्रतिशत द्वितीय में ४ प्रतिशत और तीसरी योजना में २८ प्रतिशत की दर से बढ़ी। तृतीय योजना के चतुर्थ वर्ष में राष्ट्रीय आय १६२१६ करोड़ रु० हो गई थी।

देखा जाय तो तृतीय योजना का संपूर्ण काल संकटों से भरा हुआ था। १९६२ में चीनी आक्रमण के साथ ही योजनाओं पर संकट प्रारम्भ हुआ। १९६४-६५ का वर्ष कृषि उत्पादन की दृष्टि से सवश्रेष्ठ होने के कारण स्थिति समझनी थी किन्तु तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में सूखा तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण विशेष संकट आया। तीसरी योजना का सारा समय ही चीन तथा पाकिस्तानी आक्रमणों और विदेशी मुद्रा के अभाव का समय रहा।

राष्ट्रीय आय के हिसाब से ता विकास हुआ साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि भी काफी तीव्र रही तथा इसका फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में पूर्व अनुमानों के अनुसार वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में १९६४-६५ की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय काफी घट गई। तृतीय योजना का प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आय ३१० थी। १९६४-६५ में यह ३३६२ थी किन्तु ६५-६६ में यह १५५ रह गई।

प्रथम तीन योजनाओं में कृषि उत्पादन सूचक अंक १६५.५१ (आधार वर्ष) १० से बढ़कर १९६५-६६ में १८४.५ हो गया। १९६३-६४ में यह अंक १५०.६ था। औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक भी १९५६ (आधार वर्ष) १० में बढ़कर १९६५ में १८७ हो गया। १९५०-५१ में उद्योगों द्वारा ५८४२० करोड़ रुपये का माल तैयार हुआ था वही १९६५-६६ में १४३४ करोड़ रुपये का मात्र तैयार हुआ। विद्युत उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई।

चतुर्थ योजना एवं संकट

राज्य आयाज न विकास का दर में पर्याप्त वृद्धि करके आर्थिक स्वावलम्बन का उपाय में और गमावना समाज की प्रार गात्रता से प्रगति करने में गहायन नीतियां व

आधार पर चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम १९६२ के पूर्वार्ध में प्रारम्भ हो गया था। फरवरी १९६५ में राष्ट्रीय योजना परिषद् की स्थापना हुई। इसके द्वारा किए गए अध्ययनों एवं ज्ञापन के प्रकाश में सारी स्थिति पर विचार करके १९६३-६४ के मूल्यों के अनुसार २१५०० करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था-वाली पुनरीक्षित योजना तैयार की गई। जिस समय इस पर अध्ययन और विचार विमर्ग चल रहे थे, ६ जून १९६६ को रुपये का प्रवृत्तमूल्यन किया गया जिससे आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। योजना के साधनों और प्राथमिकताओं की तथा उसकी व्यवस्था की पूरी जांच करना फिर से आवश्यक हो गया।

साधनों की अनिश्चतता को ध्यान में रखते हुए जून ६६ के मूल्यों के आधार पर कुल २३,७५० करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई। जिसमें से १३ हजार ६०० करोड़ रुपये का निवेश सरकारी क्षेत्र में, ७,७५० करोड़ रुपये का निवेश निजी क्षेत्र में और २४०० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में चालू व्यय व्यवस्था हेतु रखे गये।

इन सब कार्यों में समय लगने और सितम्बर ६५ में युद्ध के बाद कुछ विदेशी ऋणों के निलम्बित होने से चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने में देर हुई।

१९६६-६७ वार्षिक योजना

चौथी योजना के प्रथम वर्ष १९६६-६७ की वार्षिक योजना चौथी योजना की रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई। यह योजना आपतकाल की स्थिति में तैयार करनी पड़ी थी अतः चौथी योजना से इसका संबंध इस प्रकार का नहीं था जैसा सामान्य स्थिति में हो सकता था। १९६५-६६ के प्रबल सूखे की स्थिति पर भी ध्यान आवश्यक था। १९६६-६७ वर्ष की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र में निवेश २,०८२ करोड़ रुपये का था जो बाद में बढ़कर २,२२१ करोड़ का हो गया।

१९६७-६८ वार्षिक योजना

चौथी योजनाओं को अन्तिम रूप देने में समय लगने की सभावना थी अतः १९६७ की वार्षिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया। यह योजना चौथी योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों के समस्त ढांचे के अन्तर्गत की गई। १९६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रों में २,२४६ करोड़ ६० रखी गई।

१९६६-६७ व १९६७-६८ की वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रगति

राष्ट्रीय आय में १९६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१९६०-६१ के मूल्यों पर) ३२ प्रतिशत है। इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय आय में ४८ प्रतिशत की कमी आई थी अतः १९६६-६७ में थोड़ी क्षति-पूर्ति हो जाने पर भी १९६४-६५ की स्तर की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत की कमी रही। कृषि उत्पादन १९६४-६५ के स्तर से १२५ कम रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के शेष भाग में उत्पादन इम स्तर से ७२ प्रतिशत अधिक रहा १९६६-६७ में प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६५ प्रतिशत घट गई।

चालू मूल्यों के आधार पर १९६५-६६ में राष्ट्रीय आय का मांग अनुमान २० २५० करोड़ रुपये था। १९६६-६७ में राष्ट्रीय आय का मोटा अनुमान लगभग २२ ६० करोड़ रुपये होगा। १९६७-६८ में राष्ट्रीय आय में पूँज वष की अपेक्षा ६ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। १९६७-६८ में खाद्यान्ना का उत्पादन गत वष की अपेक्षा २६७ प्रतिशत अधिक आया गया है। औद्योगिक उत्पादन में भी १९६७-६८ वष के उत्तरार्ध में कुछ सुधार नजर आया। औद्योगिक उत्पादन १९६५-६६ में २८ प्रतिशत ६६-६७ में २८ प्रतिशत तथा ६७-६८ में २ प्रतिशत गिरने का अनुमान है।

वार्षिक योजना १९६८-६९

उसके दो पूँज वर्षों की योजनाएँ १९६६-७१ की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारूप के आधार पर बनी थी। योजना आयोग का पुनर्गठन सितम्बर १९६७ में हुआ। पुनर्गठित आयोग ने अनुभव किया कि काफी समय निफल जाने के कारण १९६६-७१ की पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं आधार बदन गए हैं। अतः एक नयी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तयार की जानी चाहिए जो १९६६-७० में गुरु हो। योजना आयोग के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। अतः योजना आयोग नयी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का तयार करने में लग गया।

इसी विचार से १९६८-६९ वष की योजना तयार की गई ताकि इस राज्य एवं देश के वार्षिक बजटों में समन्वित किया जा सके। १९६८-६९ की योजना २ ३५७ ४३ करोड़ रुपये की तयार की गई। १९६७-६८ की योजना २ २४६ करोड़ रुपये की थी। जबकि इससे व्यय का अनुमान २ २०४ ६६ करोड़ था।

चतुर्थ योजना १९६६-७० से १९७४-७५

चतुर्थ योजना तयार करने का काम तेजी से जारी है। अलग अलग राज्यों से उनके पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप प्राप्त किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने चतुर्थ योजना की क्रियाविधि हेतु राज्यों को दी जान वाली केन्द्रीय सहायता के आधार तय कर लिए हैं।

सार केमिकल्स

फोन-ग्राफिस-34531

निवास-34638

निर्माता

- १ सोडियम वाइफ्रामेट
- २ सोडियम सल्फाइड
- ३ थ्रोमिक एमिड
- ४ ग्राम टन क्रिस्टल्स
- ५ गंधक पाउडर और रिफाइंड
- ६ गंधक का तजाव
- ७ फरिक् एलम

सोलर केमिकल्स (कानपुर) प्राइवेट लि०

97 फक्ट्री एरिया

कानपुर

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार—भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक
अभूतपूर्व क्रान्ति—

- देश की ही नहीं अपितु विश्व की एकमात्र सफल बहुभाषीय समाचार समिति—
- समाचार पत्रों को उनकी अपनी भाषा में समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार समिति—
- देवनागरी लिपि में दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) सेवा प्रारम्भ करने वाली प्रथम समाचार समिति—
- देश की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा हिन्दी को प्रमुख रूप से सवाद प्रेषण का माध्यम बनाने वाली समाचार समिति—
- समाचार सेवाओं को राजनैतिक गतिविधियों तक सीमित न रख कर पूर्ण उत्साह, अभिरुचि एवं प्रामाणिकता के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक समाचारों को प्रमुखता देने वाली समिति—
- क्षेत्रीय एवं ग्रामीण समाचारों को प्रकाश में लाने वाली प्रथम तथा एकमात्र सक्षम समाचार समिति—
- सहकारिता के आधार पर कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित पत्रकार जगत की एकमात्र सफल सहकारी समाचार समिति—

ये हे हिन्दुस्थान समाचार की कतिपय विशेषताएँ, जिनके आधार पर हर प्रकार के आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार के निहित स्वार्थों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहकर भी हिन्दुस्थान समाचार दृढ़तापूर्वक प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय जनभावनाएँ तथा जन-सहयोग इसका सबल हैं तथा कार्यकर्ताओं का परिश्रम इसकी गति।

हिन्दुस्थान समाचार—एक परिचय

१९४८ में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में हिन्दुस्थान समाचार एक नियमित सवाद समिति बनकर समाचार जगत में अवतीर्ण हुआ। उस समय इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में था।

१९५७ के फरवरी मास में हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्ताओं ने एक सहकारी समिति का गठन किया तथा उसी वर्ष जून मास में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से हिन्दुस्थान समाचार का प्रबन्ध इस सहकारी समिति ने अपने हाथों में ले लिया।

पत्रकारिता जगत में प्रवेश करते ही हिन्दुस्थान समाचार ने अनुभव किया कि हिन्दी

तथा अन्य प्राथमिक भाषाया का समाचारपत्रों का अग्रजी समाचार समितियों पर अनियमितता इन समाचारपत्रों के विकास की सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि अग्रजी समाचार समिति समय एवं अर्थ ताना का ही अनुभव है। समाचार समिति के माध्यम से स्थान समाचार ने पत्रों को बहुभाषी तथा प्रसारण गुणवत्ता उपनयन करार जितने परम्पर्याय हिन्दी तथा अन्य प्राथमिक भाषाओं के समाचारपत्र अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हुए।

बहुभाषीय समाचार प्रसारण में अनेक समय एवं अर्थ की ही खचन नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय समाचारों की मौज्जा भी अधुणा रही जाति अग्रजी समाचार समितियों के कारण दोहरे अनुवाद की अनिवायता से बहुत बड़ी सीमा तक नष्ट हो जाती थी।

हिन्दुस्थान समाचार न प्रारम्भ में देग के पांच प्रमुख नगरों अम्बट जिला वस कत्ता नागपुर तथा पटना में अपने कार्यालय स्थापित किए। आज देग में सभी प्रमुख नगरों के अतिरिक्त नवान सिक्किम एवं भूटान में भी हिन्दुस्थान समाचार के शाखा कार्यालय हैं।

हिन्दुस्थान समाचार की प्रारम्भिक सामाज्य अवस्था में देग भर के केवल ६ समाचारपत्रों ने आर्थिक योगदान देकर हमारी सवायें स्वीकार की। हिन्दुस्थान समाचार आज देग में १०० से अधिक समाचारपत्रों का सवायें सवायें द्वारा आभाषित करता हुआ देग की एक प्रमुख सवायें समिति का स्थान प्राप्त कर चुका है। देग के अत्राय समाचारों का मकान करने वाली यही एकमात्र राष्ट्रीय समाचार समिति है। देग भर में इमक २० गाथा कार्यालय तथा १० से अधिक सम्बादाता दिन रात परिश्रम कर समाचार सक्लन एवं प्रपण के काम में जुट हुए हैं यह उसके विस्तृत फलाव का प्रताक है।

आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार प्रसारणा के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सवायें लिया जाना क्षेत्रीय समाचारों के क्षेत्र में इस समिति का प्रमुखता और अदृष्टता का प्रतीक है।

१९५४ में हिन्दुस्थान समाचार न जिला एवं पटना के बीच देग में सवप्रथम देव नागरी दूरमुक्त सेवा का प्रारम्भ कर भारत के समाचार जगत में एक राष्ट्रीय क्रांति का सूत्रपात किया। इस क्रांति को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद का हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त था। तब से अब तक हिन्दुस्थान समाचार के कत्ता पटना लखनऊ दिल्ली जानघर चण्डीगट जयपुर भाषानन्दौर नागपुर बम्बई पूना तथा वाराणसी को देव नागरी दूर मुक्त सेवा द्वारा आपस में सम्बद्ध कर चुका है। इमक अतिरिक्त देग के अन्य प्रमुख नगरों से दिल्ली का सम्बन्ध टनवम सेवा द्वारा स्थापित किया जा चुका है।

गिताग गाहाटी कटक अहमदाबाद इम्फाल मरठ अनीगट व गगरी को दूर मुक्त में जोडा जा रहा है।

प्रसंग लेख सेवा

हिन्दुस्थान समाचार न भाषायी पत्रों के उपयोग के नियम जनवरी ६८ से प्रसंग लेख सेवा प्रारम्भ करके भाषायी पत्रकारिता को एक बड़ी कमा का दूर किया है।

यह लेख सेवा अब युगवार्ता नाम में सभी राष्ट्रीय पत्रों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रहा है तथा उसका प्रचुर उपयोग हो रहा है।

वाषिकी

हिन्दुस्थान समाचार द्वारा गत तीन वर्षों में हिन्दी में हिन्दुस्थान वाषिकी का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है। इस वाषिकी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

योजना

- देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को उनकी ही भाषा में पूर्ण समाचार सेवा उपलब्ध कराना । अभी तक हिन्दी, बंगला, उडिया, मलयालम, कन्नड, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती तथा अंग्रेजी में समाचार देने की सफलता हिन्दुस्थान समाचार प्राप्त कर चुका है ।
- देश के सभी प्रमुख नगरों को दूर-मुद्रक द्वारा एक-दूसरे से जोड़ना तथा ग्राहक पत्रों को शाखा कार्यालयों से दूर-मुद्रक द्वारा सम्बन्ध करना ।
- प्रत्येक प्रान्त के सभी समाचारपत्र केन्द्रों को दूर-मुद्रक द्वारा प्रान्तीय राजधानी से सम्बद्ध करना ।
- देश भर में कम से कम पचास समिति केन्द्रों तक सम्वाददाताओं का फैलाव ।
- जिन विदेशों से अपना राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है वहाँ की राजधानियों में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करना । विशेषकर पड़ोसी देशों बर्मा, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाई-लैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, केन्या, मारिशस आदि में हिन्दुस्थान समाचार के कार्य का विस्तार करना ।

हिन्दुस्थान समाचार एक विशुद्ध राष्ट्रीय समाचार सस्था के रूप में अपनी सेवाओं की आवश्यकता, उपादेयता व महत्ता का प्रमाण दे चुका है । यही कारण है कि देश में शीर्षस्थ राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नेताओं का स्नेहमय आशीर्वाद इसे प्राप्त हो रहा है ।

क्षेत्रीय कार्यालय

		दूरभाष संख्या
मुख्य कार्यालय	मडी हाउस, नई दिल्ली-१	४०६३१
शाखा कार्यालय		
दिल्ली	मडी हाउस, नई दिल्ली-१	४०७३६
उत्तर प्रदेश	न्यू मार्केट फ्लैट, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ भगत सिंह द्वार, आगरा	२४२०१ २८४८
बिहार	फ्रेजर रोड, पटना-१	२२४२१
पं० बंगाल	१२-ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता-१३	२४-२१६०
त्रिपुरा	रामनगर, रोड न० ७, अग्रतरल्ला	
उड़ीसा	श्रीरामचन्द्र भवन, कटक-२	१००४
असम	लासामिया, शिलांग उभान बाजार, गोहाटी	४१३ ६१३३
पंजाब	जी० टी० रोड, जालंधर नगर मकान न० ४०२, २२-ए, चण्डीगढ़	३५१४ ३६५६
राजस्थान	न्यू कालोनी, एम० आर्ड० रोड, जयपुर	७२६६५
जम्मू-कश्मीर	मो० गुजरान, जम्मू रैनावाडी, श्रीनगर	५७६१

मध्यप्रदेश	३ हाथीखाना भोपाल	३५७७
महाराष्ट्र	२६ घोषा स्ट्राट बम्बई १	२५ २०४८
	बस्ट पाक रोड घनतोली नागपुर १	२२६७६
	चित्रकुटी तिलक पथ पूना ६	५६७७४
गोआ	गवनमेट कालोनी बेटोलेम पणजी	
गुजरात	१६ कलाविहार सोसायटी खानपुर अहमदाबाद १	२३१३७
केरल	स्टच्यू रोड त्रिवेन्द्रम	३५७१
मद्रास	चित्ताद्रिपेट मद्रास २	
भूपूर	नेपाद्रिपुरम बगलौर २०	
झारखण्ड	सत्यावाट कालोनी हैराबाद	
तेलंगाना	पुतनी सडक काटमाट	११२७६
सिक्किम	मेनरोड गगटोक	

प्रबन्ध समिति के सदस्यगण

- | | |
|------------|---|
| अध्यक्ष | १ श्री गंगाशरण सिंह ससद सदस्य । |
| उपाध्यक्ष | २ श्री वसंतकृष्ण श्रोक दिल्ली । |
| | ३ श्री जयकिशन हरिवल्लभ दास अहमदाबाद । |
| मंत्री | ४ श्री बालदेवर अग्रवाल दिल्ली (प्रबन्ध संपादक) । |
| कोषाध्यक्ष | ५ श्री हरिदत्त पाठक दिल्ली (समाचार संपादक) । |
| सदस्य | ६ श्री अक्षय कुमार जन नवभारत टाइम्स दिल्ली । |
| | ७ श्री मिद्धेश्वर प्रसाद उपमंत्री भारत सरकार दिल्ली । |
| | ८ श्री रतनलाल जाशी हिन्दुस्तान दिल्ली । |
| | ९ श्री बंदप्रसाद कोहली एडवाकेट दिल्ली । |
| | १० श्री ग्रामप्रकाश कुंदरा हि० स०
भापाल (गान्धा सम्पादक) । |
| | ११ श्री श्यामसुंदर आचार्य हि० म० जयपुर (गान्धा
सम्पादक) । |
| | १२ श्री अमरेन्द्रनाथ सिंहा हि० स० कलकत्ता
(गान्धा-सम्पादक) । |
| | १३ श्री भूपतभाई पारस्य हि० म० अहमदाबाद
(गान्धा-सम्पादक) । |
| | १४ श्री ना० बा० लाल विद्यामवाट्याता हि० म० दिल्ली । |

परिशिष्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल

१ श्रीमती इन्दिरा गांधी	—प्रधानमंत्री तथा अणुशक्ति, योजना एवं वैदेशिक-कार्य मंत्री
२ श्री मोरारजी देसाई	—उपप्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री
३ श्री फखरुद्दीन अली अहमद	—श्रीद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्यमंत्री
४ श्री यशवन्तराव चव्हाण	—गृह-कार्य मंत्री
५ श्री जयसुखलाल हाथी	—श्रम तथा पुनर्वास मंत्री
६ श्री जगजीवनराम,	—खाद्य तथा कृषि मंत्री
७ श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन	—विधि मंत्री
८ श्री चे० मु० पुनाच्चा	—रेलवे मंत्री
९ प्रो० वी० के० आर० वी० राव	—परिवहन तथा नौवहन मंत्री
१० डा० एम० चन्ना रेड्डी	—इस्पात, खान तथा धातु मंत्री
११ डा० त्रिगुण सेन	—शिक्षा मंत्री
१२ श्री दिनेश सिंह	—वाणिज्य मंत्री
१३ श्री के० के० शाह	—सूचना तथा प्रसारण मंत्री
१४ डा० कर्ण सिंह	—पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री
१५ डा० रामसुभग सिंह	—ससद्-कार्य तथा संचार मंत्री
१६ सरदार स्वर्णसिंह	—प्रतिरक्षा मंत्री
१७ श्री सत्यनारायण सिंह	—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री

राज्यमंत्री

१८ श्री भागवत झा आजाद	—शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
१९ श्री बलीराम भगत	—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री
२० डा० एस० चन्द्रशेखर	—स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
२१ श्री परिमल घोष	—रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री
२२ श्रीमती फूलरेणु गृह	—समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री
२३ श्री आई० के० गुजराल	—ससद्-कार्य तथा संचार विभागों में राज्यमंत्री
२४ श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी	—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री
२५ श्री जगन्नाथ राव	—निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री
२६ श्री ललितनारायण मिश्र	—प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री
२७ श्री कृष्णचन्द्र पत	—वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री

२८ श्री काता रघुरमया

२९ डा० कु० न० रा०

डा के वी० रघुनाथ रेडडी

१ श्री प्रकाशचन्द्र वी० सेठी

२ श्री अनामाह्वय पा० गिन्ने

श्री विद्याचरण गुप्त

४ प्रा० गणेशिंह

उपमन्त्री

३५ श्री भक्त दत्त

६ श्री रोहनदास चतुर्वेदी

१७ श्री ए० रा० चह्लाण

८ श्रीमती जगन्मारा जयपारमिह

९ डा एम० मी० जमीर

४० डा म० र० कृष्ण

४१ डा (श्रीमती) सरोजनो महिषी

४२ श्री य० मू० मूनि

४४ श्री मुन्मन् शर्मा सुरेगी

४५ श्री ए० एम० रामास्वामी

४६ डा श्रीधर रामधर

४७ श्री ए० बा० मुष्यान रा०

४८ श्री मन्मन् मूनि मन्त्री

४९ श्रीमती नर्मदा शर्मा

५० डा गिन्नेर प्रकाश

५१ श्री मन्मन् मूनि

५२ श्री मन्मन् मूनि

५३ श्री मन्मन् मूनि

—पट्टोलियम तथा रसायन और समाज
कल्याण मन्त्रालय म रायमन्त्री

—सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री

—श्रीयोगिक विकास तथा कम्पनी काय
मन्त्रालय म रायमन्त्री

—इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय म
राज्यमन्त्री

—स्वाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा
सहकार मन्त्रालय म रायमन्त्री

—गृह-काय मन्त्रालय म रायमन्त्री

—शिक्षा मन्त्रालय म राज्यमन्त्री

—परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय म उपमन्त्री

—रेल्व मन्त्रालय म उपमन्त्री

—श्रम राजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय म
उपमन्त्री

—पयटन तथा असनिक् उड्डयन मन्त्रालय म
उपमन्त्री

—श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय म
उपमन्त्री

—प्रतिरक्षा मन्त्रालय म उपमन्त्री

—उपमन्त्री

—स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय
विभाग मन्त्रालय म उपमन्त्री

—याणिक मन्त्रालय म उपमन्त्री

—गृह-काय मन्त्रालय म उपमन्त्री

—खान तथा धातु मन्त्रालय म उपमन्त्री

—समाज कल्याण विभाग तथा पट्टोलियम
और रसायन मन्त्रालय म उपमन्त्री

—विन मन्त्रालय म उपमन्त्री

—शूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय म उपमन्त्री

—शिक्षा तथा विद्युत् मन्त्रालय म उपमन्त्री

—घोषागिक विकास तथा मन्मन्-काय
मन्त्रालय म उपमन्त्री

—निम्न धारण तथा पुन मन्त्रालय म
उपमन्त्री

—परिवहन मन्त्रालय म उपमन्त्री

संसद सदस्य (लोकसभा)

आन्ध्र

- १ श्री ना० गो० रगा (स्व०)
 २ श्री विश्वासराय नरसिंह राव (स्व०)
 ३ श्री के० नारायण राव (का०)
 ४ श्री तेन्नटि विश्वनाथन् (अस०)
 ५ श्रीमती वी० रावावाई
 आनन्दराव (का०)
 ६ श्री मि० मु० मूर्ति (का०)
 ७. श्री मोसलिकन्टि तिरुमलराव (का०)
 ८ डा० दाटला मत्यनारायण
 राजू (का०)
 ९ श्री व० सू० मूर्ति (का०)
 १० श्री दाटला वलराम राजू (का०)
 ११ श्री कोम्मरेड्डी सूर्यनारायण (का०)
 १२ श्री मगन्ति आकिनिड्डु (का०)
 १३ डा० क० ल० राव (का०)
 १४ श्री वाई० अकीनीडु प्रसाद (का०)
 १५ श्री के० जगैय्या (का०)
 १६ श्री कोत्ता रघुरमैया (का०)
 १७ श्री मददी सुदर्शनम (का०)
 १८ श्री आर० दशरथ राम रेड्डी (का०)
 १९ श्री व० अजन्प्पा (का०)
 २० श्री सी० दास (का०)
 २१ श्री एन० पी० सी० नायडु (का०)
 २२ श्री पी० पार्थसारथी (का०)
 २३. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी (कम्यु०)
 २४ श्री नीलम सजीव रेड्डी (अध्यक्ष)
 २५ श्री पी० एन्यनी रेड्डी (का०)
 २६ श्री वाई० गाडलिंगाना गौड (स्व०)
 २७ श्री पें० वकटासुव्वया (का०)
 २८ श्री ज० व० मुत्यानराव (का०)

२९. श्री जे० रामेश्वरराव (का०)
 ३० डा० गोपाल मेलकोटे (का०)
 ३१ श्री वाकर अली मिर्जा (का०)
 ३२. श्री जी० वैकटास्वामी (का०)
 ३३. श्रीमती सगम लक्ष्मीवाई (का०)
 ३४ श्री एम० नारायण रेड्डी (अस०)
 ३५ श्री पी० गगा रेड्डी (का०)
 ३६ श्री म० र० कृष्ण (का०)
 ३७ श्री जुव्वाड रमापतिराव (का०)
 ३८ श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी (का०)
 ३९. श्रीमती टी० लक्ष्मी-
 कान्तम्मा (का०)
 ४० श्री मु० यूनस सलीम (का०)
 ४१. श्री जी० एस० रेड्डी (का०)

आसाम

४२. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (का०)
 ४३ श्री निहार रजन लास्कर (का०)
 ४४ श्री जी० जी० स्वैल (अस०)
 ४५ श्री जहानुद्दीन अहमद (प्रसोपा)
 ४६. रिक्त
 ४७ श्री फखरुद्दीन
 अली अहमद (का०)
 ४८ श्री वीरेश्वर कलिता (कम्यु०)
 ४९ श्री हेम वरुआ (प्रसोपा)
 ५०. श्री विजयचन्द्र भगवती (का०)
 ५१ श्री लीलाधर कटकी (का०)
 ५२ श्री वेदव्रत वरुआ (का०)
 ५३ श्री राजेन्द्रनाथ वरुआ (का०)
 ५४ श्री विश्वनाराण शाम्ब्री (का०)
 ५५ श्री जोगेन्द्रनाथ हजारिका (का०)

विहार

५६	श्री भाला राऊत	(का०)
५७	श्री विभूति मिश्र	(का०)
५८	श्री व० ना० तिवारी	(का०)
५९	श्री प० द्वारकानाथ तिवारी	(का०)
६०	श्री मु० प्रमुफ	(का०)
६१	श्री रामगोखर प्र० सिंह	(का०)
६२	श्री मृयुजय प्रसाद	(का०)
६३	श्री वमना मिश्र मधुकर	(कम्पु०)
६४	श्री बालमीकि चौधरी	(का०)
६५	श्री दिग्विजय नारायण सिंह	(का०)
६६	श्री नामद प्रसाद यादव	(का०)
६७	श्री गणिरजन	(का०)
६८	श्री भागत भा	(कम्पु०)
६९	श्री निवचन भा	(ससापा)
७०	श्री यमुना प्र० मन्त	(का०)
७१	श्री सयनारायण सिंह	(का०)
७२	श्री बन्धर पामवान	(ससापा)
७३	श्री गुणानन्द ठाकुर	(ससापा)
७४	श्री विन्धर मदन	(धम०)
७५	श्री तुमसादन राम	(का०)
७६	श्री धमनसात बरूत	(प्रसापा)
७७	श्री प० गा० मन	(का०)
७८	श्री मोताराम बमरी	(का०)
७९	श्री रंजित मरहणी	(का०)
८०	श्री प्रमसादन हिमन मिह्रा	(का०)
८१	श्री म० च० बमरा	(का०)
८२	श्री बन्धर गमा	(ज०म०)
८३	श्री भागत भा धार	(का०)
८४	श्री मधु निमन	(ससापा)
८५	श्री नन्दनाथ राम	(का०)
८६	श्री बन्धर सिंह	(ससापा)
८७	श्री धार गमा	(कम्पु०)
८८	श्री मिह्रा प्रसाद	(का०)
८९	श्री धार गमा	(का०)
९०	श्री धार गमा	(कम्पु०)

९१	श्री बलिराम भगत	(का०)
९२	श्री रामसुभग सिंह	(का०)
९३	श्री शिवपूजन शास्त्री	(धस०)
९४	श्री जगजीवन राम	(का०)
९५	श्री मुद्रिका सिहा	(का०)
९६	श्री चन्द्रगोखर सिंह	(कम्पु०)
९७	श्री मयप्रकाश पुरी	(धस०)
९८	श्री रामघनी दास	(का०)
९९	श्रीमती विजयराजे	(धस०)
१००	श्री इम्तियाजुद्दीन अहमद	(का०)
१०१	श्री रानी ललिता राज्य नरमी	(धस०)
१०२	श्री एम एस० धोवराय	(भाशा)
१०३	श्री प्रसादकुमार घोष	(का०)
१०४	श्री निवचण्णिका प्रसाद	(का०)
१०५	श्री बोलाई बहमा	(धस०)
१०६	श्री जयपान सिंह	(का०)
१०७	श्री वातिन उराव	(का०)
१०८	श्री कुमारी वमना कुमारी	(का०)

गुजरात

१०९	श्री टी० एम० सठ	(का०)
११०	श्री महाराज श्रीराज मधराजजी	(स्व०)
१११	श्री मी० र० मसानी	(स्व०)
११२	श्री नारायण पाडकर	(स्व०)
११३	श्री वारेन गाट	(स्व०)
११४	श्रीमता जयानन गाट	(का०)
११५	श्री प्रमप्रसाद मन्ना	(का०)
११६	श्री धार व० धमान	(स्व०)
११७	श्री इन्द्रानाथ मानिक	(धम०)
११८	श्री एम० एम० मानवा	(का०)
११९	श्री रामचन्द्र धमोन	(स्व०)
१२०	श्री धारानाथ पारमर	(स्व०)
१२१	श्री मनुमाध धमरम	(स्व०)
१२२	श्री च० धु० मन्ना	(स्व०)
१२३	श्री मानवा नाथ रावडा मन्ना परमार	(का०)

- १२४ श्री पीलू मोदी (स्व०) १५४ श्री इ० के० नायनार (कम्यु० मा०)
 १२५ श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (स्व०) १५५ श्री जनार्दनन (कम्यु०)
 सोलकी १५६ पनमपिल्लि गोविन्द
 १२६ श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (का०) मेनन (का०)
 १२७ श्री पाशाभाई पटेल (स्व०) १५७ श्री वी० विश्वनाथ मेनन (कम्यु० मा०)
 १२८ श्री मनुभाई पटेल (का०) १५८ श्री पी० पी० एस्थोस (कम्यु० मा०)
 १२९ श्री एम० वी० राणा (का०) १५९ श्री पी० के० वासुदेवन
 १३० श्री मोरारजी देसाई (का०) नायर (कम्यु०)
 १३१ श्री छ० म० केदरिया (का०) १६० श्री के० एम० अब्राहम (कम्यु० मा०)
 १३२ श्री नानूभाई नि० पटेल (का०) १६१ श्रीमती सुशीला

हरियाणा

- १३३ श्री सूरजभान (ज०स०) १६२ श्री जी० पी० मगल-
 १३४ श्री एम० आर० शर्मा (का०) तुमडम (ससोपा)
 १३५ श्री गुलजारीलाल नन्दा (का०) १६३ श्री पी० सी० अदिचन (कम्यु०)
 १३६ श्री चौधरी रणधीर सिंह (का०) १६४ श्री नी० श्रीकान्तन
 १३७ श्री शेरसिंह (का०) नायर (अस०)
 १३८ श्री अब्दुलगनी दार (अस०) १६५ श्री के० अनिरुधन (कम्यु० मा०)
 १३९ श्री गजराजसिंह राव (का०) १६६ श्री पी० विश्वम्भरन (ससोपा)
 १४० श्री रामकृष्ण गुप्त (का०) मध्यप्रदेश
 १४१ श्री चौधरी दलवीर सिंह (का०)

जम्मू तथा कश्मीर

- १४२ श्री सैय्यद अहमद आगा (का०) १६७ श्री आतम दास (अस०)
 १४३ श्री गुलाम मुहम्मद वस्त्री (अस०) १६८ श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (अस०)
 १४४ श्री मु० शफी कुरेयी (का०) १६९ श्री रामअवतार शर्मा (अस०)
 १४५ श्री कुशक वाकुला (का०) १७० श्री जी० भा० कृपलानी (अस०)
 १४६ डा० कर्ण सिंह (का०) १७१ श्री नाथूराम अहिरवार (का०)
 १४७ श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (का०) १७२ श्री देवेन्द्र विजय सिंह (का०)
 १७३ श्री एस० एन० शुक्ल (का०)
 १७४ श्रीमती गिरजा कुमारी (का०)
 १७५ महाराजा भानु प्रकाश सिंह (का०)
 १७६ श्री वादूनाथ सिंह (का०)
 १७७ कुमारी रजनी देवी (का०)
 १७८ श्रीमती मिनीमाता अगम-

केरल

- १४८ श्री अ० कु० गोपालन (कम्यु० मा०) दास गुरु (का०)
 १४९ श्री पट्टियम् गोपालन (कम्यु० मा०) १७९ श्री अ० सि० सहगल (का०)
 १५० श्री अरगिल श्रीधरन (ससोपा) १८० श्री विद्याचरण शुक्ल (का०)
 १५१ श्री अब्राहिम मुलेमान सेट (अस०) १८१ श्री लाखनलाल गुप्ता (का०)
 १५२ श्री एम० मुहम्मद स्माइल (अस०) १८२ श्री त्रिलोकशाह लाल
 १५३ श्री सी० के० चक्रपाणी (कम्यु० मा०) प्रियेन्द्र शाह (ज०स०)

१८३	श्री भाङ्गु सुन्दर नाथ	(प्रस०)	२१४	श्री वी० मायावन	(द्व० मु० व०)
१८४	श्री विवनाथ यात्र तामस्वर	(का०)	२१५	श्री देवीवन	(द्व० मु० व०)
१८५	रानी पद्मावती देवा	(का०)	२१६	श्री एम० कमलनाथन्	(द्व० मु० व०)
१८६	श्री चित्ताभन राव गौतम	(का०)	२१७	श्री के० राजाराम	(द्व० मु० व०)
१८७	श्री म० ग० उ व	(का०)	२१८	श्री कडप्पन	(द्व० मु० व०)
१८८	डा० गाविण दास	(का०)	२१९	श्री अवाजागन	(१० मु० व०)
१८९	श्री मणिभार्त्त जयरभार्त्त पण्डे	(का०)	२२	श्री एम० के० नजा	(स्व)
१९०	श्री रामगिह घायरवान	(ज० म०)	२२१	श्री के० रमानी	(वन्मु० मा०)
१९१	श्री गार्गीगकर रामकृष्ण मित्र	(का)	२२२	श्री वी० नारायण	(द्व० मु० व०)
१९२	श्री नरेन्द्रकुमार गात्र	(का०)	२२३	श्री सी० टी घघापाणी	(द्व० मु० व०)
१९३	श्री चौधरी नातिराजमिह	(का०)	२२४	श्री पी० ए० स्वामीनाथन्	(द्व० मु० व०)
१९४	श्री जगन्नाथराव जागा	(ज० स)	२२५	श्री एच० अजमल खा	(स्व०)
१९५	श्री प० निव गर्मा	(जम०)	२२६	श्री जम्बुसभियान	(द्व० मु० व०)
१९६	डा बाबूराव पण्डे	(ज० स)	२२७	श्री पी० राममूर्ति	(वन्मु० मा०)
१९७	श्री हनुमन्त कछराय	(ज स)	२२८	श्री सी० भुक्तस्वामा	(स्व)
१९८	श्री प्रसादचन्द्र भवरत्न गण	(का०)	२२९	श्री के० आनन्द नम्बियार	(व० मा०)
१९९	श्री भरतमिह रोहान	(ज० स)	२३०	श्री ए० दुरायरामू	(द्व० मु० व०)
२००	श्री गंगाचरण नाति	(का)	२३१	श्री आर० उमानाथ	(वन्मु० मा०)
२०१	श्री गणेशभूषण	(का०)	२३२	श्री रीरा सभियान	(१० मु० व०)
२०२	श्री गुर मि	(का०)	२३	श्री व० सुब्रह्म	(१० मु० व०)
२०	श्री स्वतन्त्रमिह कागा	(ज म०)	२४	श्री वी० सत्यनिधम	(का०)

मन्त्राग

१	श्री कृष्णदेव भाङ्गु (१० मु० व०)		२१६	श्री अडावन किर्तितनम (१० मु० व०)	
२	श्री मुग्गापा भन्त (१० म० व०)		२३	श्री एम० एम० मुग्गा गरीफ	(जम०)
३	श्री निवन्तर (१० मु० व०)		२३८	श्री एम० वा० रामामूर्ति	(स्व०)
४	श्री विन्त यत्र (१० मु० व०)		२९	श्री एम० लक्ष्मणवियर	(स्व०)
५	श्री एम० व० गणेशदेव (१० मु० व०)		३०	श्री आर० एम० अम्मुपम	(का०)
६	श्री कृष्ण (१० मु० व०)		४१	श्री एम० गणापम्	(स्व०)
७	श्री मल गौर (१० मु० व०)		४२	श्री ए० नगमणि	(का०)
८	श्री श्री० विन्तपण्डे (१० म० व०)				
९	श्री टा० डा० भन्त (१० म० व०)				
१०	श्री व० कृष्णमूर्ति (१० म० व०)				

मन्त्राग

१	श्री नाथ पा	(१० मा०)
२	श्री आना गणेश मुग्गा	(का०)

२४५ श्री दत्तात्रेय काशीनाथ कुन्टे (अस०)	२७६ श्री सू० र० दामानी (का०)
२४६ श्री जार्ज फर्नेन्डिस (स० सो०)	२७७ श्री तयप्पा हरि सोनावने (का०)
२४७ श्री श्रीपाद अमृत डागे (कम्यु०)	२७८ श्री अन्नतराव पाटिल (का०)
२४८ श्री रामचन्द्र ढोडिवा भडारे (का०)	२७९ श्री अन्नासाहेब शिंदे (का०)
२४९ श्री शान्तिलाल शाह (का०)	२८० श्री र के खाडिलकर (का०)
२५० श्रीमती तारा सप्रे (का०)	२८१ श्री एस एम जोगी (ससोपा)
२५१ श्री सोनूभाई दागडू वसन्त (का०)	२८२ श्री तुलसीदास जाधव (का०)
२५२ राजा यशवतराव भारतराव मुकाने (का०)	२८३ श्री यशवन्तराव चव्हाण (का०)
२५३ श्री भानुदास रामचन्द्र कावादे (का०)	२८४ श्री दा० रा० चव्हाण (का०)
२५४ श्री ज० म० काहनडोले (का०)	२८५ श्री ए० डी० पाटिल (का०)
२५५ श्री तुकराम हूर्जी गवित (का०)	२८६ महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भोसले (अस०)
२५६ श्री चूडामण आनन्द पाटिल (का०)	२८७ श्री शकरराव माने (का०)
२५७ श्री स० स० सैयद (का०)	
२५८ श्री एस० आर० राने (का०)	मैसूर
२६९ श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरी (का०)	२८८ श्री रामचन्द्र वीरप्पा (का०)
२६० श्री के० एम० अस्फार हुसैन (का०)	२८९ श्री महादेवप्पा रामपुरे (का०)
२६१ श्री कृष्ण गुलाव देशमुख (का०)	२९० श्री राजा वैक्रेटप्पा नायक (स्व०)
२६२ श्री अ० ग० सोनार (का०)	२९१ श्री एस० ए० अग्राडी का०)
२६३ श्री नरेन्द्र रामचन्द्रजी देवघडे (का०)	२९२ डा०वी०के०आर०वी० राव (का०)
२६४ श्री अगोक मेहता (का०)	२९३ श्री जे० एम० अमाय (स्व०)
२६५ श्री रामचन्द्र मार्तण्ड हाजरनवीस (का०)	२९४ श्री के० लकप्पा (प्र० सो०)
२६६ श्री श्रीकृष्णराव माधोराव कौशिक (स्व०)	२९५ श्री मलि मरयाप्पा (का०)
२६७ श्री कमलनयन वजाज (का०)	२९६ श्री जी० वार्डे० कृष्णन (का०)
२६८ श्री देवराव एस० पाटिल (का०)	२९७ श्री एम० वी० कृष्णप्पा (का०)
२६९ श्री वेक्टराव तारोदेकर (का०)	२९८ श्री हनुमन्तैया (का०)
२७० श्री तुलसीराम दशरथ (का०)	२९९ श्री एम० वी० राजशेखरम (का०)
२७१ श्री शिवाजीराव श० देशमुख (का०)	३०० श्री एस० एम० कृष्ण (प्र०सो०)
२७२ श्री वे न जाधव (का०)	३०१ श्री सिद्व्या (का०)
२७३ श्री भा दा देशमुख (का०)	३०२ श्री तुलसीदास दासप्पा (का०)
२७४ श्री नाना रामचन्द्र पाटिल (कम्यु०)	३०३ श्री चे० मु० पुनाचा (का०)
२७५ श्री तुलसीराम आवजी पाटिल (कम्यु०)	३०४ श्री जे० एम० लोवोप्रभु (स्व०)
	३०५ श्री नुगेहली शिवप्पा (स्व०)
	३०६ श्री एम० दुचे० गोडडा (प्र०सो०)
	३०७ श्री जे० एच० पटेल (स०सो०)
	३०८ श्री दिनकर देसाई (प्र० सो०)
	३०९ श्री फखरुद्दीन हुमेन माह्व मोहसिन (का०)

२१० डा० सरोजिनी महिषी	(का०)	३४० श्री दी० च० गर्मा	(का०)
२११ श्री एम० एन० नागनूर	(का०)	३४१ रिक्त	
१२ श्री बी शंकरानन्द	(का०)	३४२ सरदार स्वर्णसिंह	(का०)
१३ श्री एम० बी० पाटिल	(का०)	३४३ चौधरी साधूराम	(का०)
३१४ रिक्त		३४४ श्री देवेन्द्रसिंह	(का०)

नागालड

३१५ श्री एम० सा० जामोर्	(का०)	३४५ सरदार बूटासिंह	(का०)
		३४६ श्रीमती महेन्द्रकौर	(का०)
		३४७ सरदारनी निलोप कौर	(अ०स०)
		३४८ श्री विक्टर सिंह	(अ०स०)

उडोसा

३१६ श्री मन्मथ मजही	(स्व)
३१७ श्री गमरेण कुडु	(प्र० सा०)
१८ श्री घरणापर जना	(स्व०)
१९ श्री मादधर बहुरा	(प्र०सो०)
२० श्री गुरुनाथ शिबनी	(प्र० सो)
२१ श्री श्री निवाम मिश्र	(प्र० सा०)
३०२ श्री रवी राय	(स०मो०)
३०३ श्री विनामणि पाणिप्राही	(का०)
३०४ श्री घ त्रि० गर्मा	(का०)
३०५ श्री जगन्नाथराव	(का०)
०६ श्री रामचन्द्र उमाका	(का०)
०७ श्री गणपति प्रधाना	(का०)
३०८ महाराजा प्रताप कंगरी दत्त	(स्व०)
३०९ श्री धर्मात्मा दास	(स्व)
३१० श्री धार धार० मिश्र	(स्व०)
३११ श्री एम० गुप्तर	(का)
३१२ श्री शंकर धमत	(स्व)
३१३ श्री ए० सी० नाथ	(स्व०)
३१४ श्री गजबामबा प्रसाद सिंह	
देव मन्मथ बहुरा	(स्व)
३१५ श्री ई० एन० एन	(स्व०)

पञ्जाब

३१६ महाराज बहादुरसिंह	(का०)
३१७ श्री गजबामबा दत्त	(स्व)
३१८ श्री श्री एम० मिश्र	(का०)
३१९ श्री देवमन्मथ	(स्व)

राजस्थान

३४९ श्री पन्नालाल बाणपाल	(का०)
३५० डा० कर्णसिंहजी	(अ० स०)
२५१ श्री झार० के० बिरला	(अ०स०)
३५२ श्री एम० जी साब	(ज०म०)
३५३ महाराजी गायत्री देवी	(स्व०)
३५४ श्री नवलकिशोर गर्मा	(का०)
३५५ श्री भोवानाथ भास्कर	(का)
३५६ महाराजा ब्रिजद्रसिंह	(अस०)
३५७ श्री जगन्नाथ पट्टाडिया	(का)
३५८ श्री एम० एन० मीना	(स्व)
३५९ श्री विवेकर नाथ भागव	(का०)
३६० श्री यमना लाल बाबा	(स्व)
३६१ श्री भानुदेव लाल बरवा	(ज०म)
६२ श्री बजरानसिंह	(ज० म०)
६३ श्री हीराना भाई	(का०)
३६४ श्री धनदेव माना	(का०)
३६५ श्री भानुदेव लाल बाबा	(का०)
६६ श्री गजबामबा दत्त	(का०)
३६७ श्री गुरुनाथ कुमार लखुगिया	(स्व०)
६८ श्री दी० एन० कर्णसिंह	(स्व०)
६९ श्री धनदेव लाल	(का०)
३७ श्री नरसिंह लाल	(का०)
३७१ श्री नरसिंह लाल	(स्व०)

मध्य प्रदेश

३७२ महाराज मन्मथ	(का०)
------------------	-------

३७३	श्री भक्तदर्शन	(का०)	४०६	महन्त दिग्विजय नाथ	(अस०)
३७४	श्री ज व सिंह विष्ट	(का०)	४१०.	डा० महादेव प्रसाद	(का०)
३७५	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	(का०)	४११	श्री काशीनाथ पाण्डेय	(का०)
३७६	स्वामी रामानन्द शास्त्री	(का०)	४१२	श्री विश्वनाथ राय	(का०)
३७७	मीलाना इशाक सम्भली	(कम्यु०)	४१३	श्री विश्व नाथ पांडेय	(का०)
३७८	श्री ओमप्रकाश त्यागी	(ज०स०)	४१४	श्री चन्द्रिका प्रसाद	(का०)
३७९	नवावजादासैयद जुल्फिकार अली खा	(स्व०)	४१५	श्री भारखडे राय	(कम्यु०)
३८०	श्री ओकार सिंह	(ज०स०)	४१६	श्री चन्द्र जीत यादव	(का०)
३८१	श्रीमती सावित्री श्याम	(का०)	४१७	श्री रामधन	(का०)
३८२	श्री वृजभूषण लाल	(ज० स०)	४१८	श्री नागेश्वर द्विवेदी	(का०)
३८३	श्री मोहन स्वरूप	(प्र० सो०)	४१९	श्री राजदेव सिंह	(का०)
३८४	श्री प्रेम किशन खन्ना	(का०)	४२०	श्री शम्भू नाथ	(का०)
३८५	श्री बालगोविन्द वर्मा	(का०)	४२१	श्री सरजू पाण्डेय	(कम्यु०)
३८६	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	(ज० स०)	४२२	श्री निहाल सिंह	(स०सो०)
३८७	श्री शारदा नन्द	(ज० स०)	४२३	श्री सत्यनारायण सिंह	(कम्यु०मा०)
३८८	डा० सकटा प्रसाद	(का०)	४२४	श्री राम स्वरूप	(का०)
३८९	श्री किन्दर लाल	(का०)	४२५	श्री वश नारायण सिंह	(ज० स०)
३९०	श्री आनन्द नारायण मुल्ला	(अस०)	४२६	रिक्त	
३९१	श्रीमती गंगा देवी	(का०)	४२७	श्री हरि कृष्ण	(का०)
३९२	श्री कृष्ण देव त्रिपाठी	(का०)	४२८	श्री मसूरिया दीन	(का०)
३९३	श्रीमती इदिरा नेहरू गाधी	(का०)	४२९	श्री सन्त बक्स सिंह	(का०)
३९४	श्री दिनेश सिंह	(का०)	४३०	श्री जगेश्वर यादव	(कम्यु०)
३९५	श्री विद्याधर वाजपेयी	(का०)	४३१	स्वामी ब्रह्मानन्द	(ज०स०)
३९६	श्री गणपत सहाय	(का०)	४३२	डा० सुशीला नायर	(का०)
३९७	श्री रामजी राम	(अस०)	४३३	चौधरी राम सेवक	(का०)
३९८	श्री रामकृष्ण सिन्हा	(का०)	४३४	श्री तुला राम	(का०)
३९९	श्री वैजनाथ कुरीन	(का०)	४३५	श्रीमती सुशीला रोहतगी	(का०)
४००	श्री राम सेवक यादव	(स० सो०)	४३६	श्री स० मो० बनर्जी	(कम्यु०)
४०१	श्रीमती शकुन्तला नायर	(ज० स०)	४३७	श्री अर्जुन सिंह	
४०२	श्री करुण कृष्ण नायर	(ज० स०)		भदोरिया	(म०मो०)
४०३	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(ज० स०)	४३८	रिक्त	
४०४	श्रीमती सुचेता कृपलानी	(का०)	४३९	श्री अरवदेश चन्द्र मिह	(का०)
४०५	श्री शिव नारायण	(का०)	४४०	श्री महाराज मिह	(का०)
४०६	श्री नारायण स्वरूप शर्मा	(ज० म०)	४४१	श्री मुदीर अहमद खा	(का०)
४०७	मेजर रणजीत सिंह	(ज० म०)	४४२	श्री रोहन लाल चतुर्वेदी	(का०)
४०८	श्री मोलाह प्रसाद	(स०सो०)	४४३	श्री शिवचरण लाल	(म० मो०)
			४४४.	सेठ अचल मिह	(का०)

४४५ श्री गिरराज सरण सिंह (स्व०)	४८० श्री विमल वात्त घाय (का०)
४४६ श्री नरदेव स्नातक (का०)	४८१ श्री विजय मोहन (कम्यु० मा०)
४४७ श्री शिव कुमार गार्गी (अग०)	४८२ श्री अमिय नाथ वोग (अस०)
४४८ श्री राम चरण (प्र०सो०)	४८३ श्री परिमल घाय (का०)
४४९ श्री सुरपाल सिंह (का०)	४८४ श्री स० च० सामंत (अग०)
४५० श्री प्रकाशवीर शास्त्री (अस०)	४८५ श्री समर गह (प्र०सो०)
४५१ श्री महाराज सिंह भारती (स०सो०)	४८६ श्री गोपीन्द्र नाथ माइती (अस०)
४५२ श्री रघवीर सिंह गार्गी (अस०)	४८७ श्री अमिय कुमार विस्तु (अस०)
४५३ श्री लताफत अली खा (कम्यु०)	४८८ श्री भजहरि महतो (अस०)
४५४ श्री गयूर अनीखा (स०सो०)	४८९ श्री जीतेन्द्र माहन विस्वास (कम्यु०)
४५५ श्री सुंदर लाल (का०)	४९० डा० पणुपति मडन (का०)
४५६ श्री यगपान सिंह (अस०)	४९१ श्री भगवानास (कम्यु० मा०)

पश्चिमी वंगाल

४५७ श्री विनायकृष्ण दास चौधरी (अस०)
४५८ श्री विरेन्द्र नाथ कथ्यम (का०)
४५९ डा० (श्रीमती) मन्मथी बोस (अस)
४६० श्री चपन वात्त भट्टाचाय (का०)
४६१ श्री जतीन्द्र नाथ प्रमाणिक (का०)
४६२ श्रीमती उमा राय (का)
४६३ हाजी लुतफुल हक (का०)
४६४ सयद बदरुद्दुजा (अस०)
४६५ श्री त्रिदिव चौधरी (अस)
४६६ श्रीमती इलापान चौधरी (का)
४६७ श्री प्रमोद रजन ठाकुर (अस०)
४६८ डा० रानेन सन (कम्यु०)
४६९ श्री हुमापू बविर (अस)
४७० श्री चित्तरजन राय (अस)
४७१ श्री कसारी हाल्दर (कम्यु०)
४७२ श्री ज्योतिमय बमु (कम्यु मा)
४७३ श्री इन्जिन भुष्ण (कम्यु)
४७४ श्री मुहम्मद इस्माइल (कम्यु मा०)
४७५ श्री अनाक कुमार सेन (का)
४७६ श्री हीरेन्द्रनाथ मुक्ती (कम्यु)
४७७ श्री गणेश घाय (कम्यु० मा)
४७८ श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (का०)
४७९ श्री जगन मन्त्र (का०)

४९२ श्री दवन सन (स०सो०)
४९३ श्री निमल चन्द्र चटर्जी (अस)
४९४ श्री द्वपायन सेन (का०)
४९५ श्री अनिन कुमार चन्दा (का०)
४९६ डा० गिगिरि कुमार साहा (का०)

अ डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

४९७ श्री के० आर० गणेश (का)

चण्डीगढ

४९८ श्री श्रीचन्द गोपल (ज०स)

दादरा तथा नागर हवेली

४९९ श्री सजीभाई रूपजीभाई (का) देनकर

दिल्ली

५०० श्री मनोहर लाल साधी (ज स)
५०१ श्री बनराज मघाव (ज०स)
५०२ श्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश (का०)
५०३ श्री हरपाल देवगुण (ज०स०)
५०४ श्री रामगोपाल गानवान (ज स०)
५०५ श्री कवरलाल गुप्ता (ज०स)
५०६ श्री रामस्वरूप विद्यार्थी (ज०स०)

गोआ, दमन और दीव

मणिपुर

- ५०७ श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे (अस०)
 ५०८ श्री एरास्मी-डि स्ववेरा (अस०)

- ५१६ श्री एम० मेघचन्द्र (कम्यु०)
 ५१७ श्री पोकार्ड हाथोकिप (अस०)

हिमाचल प्रदेश

पाडिचेरी

- ५०९ श्री वीरभद्र सिंह (का०)
 ५१० श्री प्रताप सिंह (का०)
 ५११ श्री प्रेमचन्द वर्मा (का०)
 ५१२ श्री हेमराज (का०)
 ५१३ श्री विक्रम चन्द महाजन (का०)
 ५१४ श्री ललित सेन (का०)

- ५१८ श्री एन० सेथुरामन (का०)
 त्रिपुरा

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी
 द्वीपसमूह

- ५१९ श्री जे० के० चौवरी (का०)
 ५२० महाराजा माणिक्य वहादुर (का०)
 *उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र

- ५१५ श्री पदनाथ मुहम्मद सईद (अस०)

- ५२१ श्री डा० एर्निंग (का०)
 * आगल भारतीय
 ५२२ श्री फ्रैंक एन्थनी (अस०)
 ५२३ श्री अ० ड० था० वेरो (अस०)

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित

राज्य सभा के सदस्य

आन्ध्र प्रदेश

- | क्रम नाम | दल |
|------------------------------------|----------|
| १ श्री एम० वी० भद्रम | (कम्यु०) |
| २ श्री जे० मी० नागोरेड्डी | (का०) |
| ३ श्री गुदमल हैनरी सैमुएल | (का०) |
| ४ श्री अकबरअली खा | (का०) |
| ५ श्रीमती सीता युडुवीर | (का०) |
| ६ श्रीमती कोटा पुनैया | (का०) |
| ७ कु० एम० एल० मेरी नायडू | (का०) |
| ८ श्री एम० चन्ना रेड्डी | (का०) |
| ९ श्रीमती यशोदा रेड्डी | (का०) |
| १० श्री चन्द्र मोली जगरल मोदी | (स्व०) |
| ११ श्री बेरापुरेदी आदिनरायण रेड्डी | (का०) |
| १२ श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी | (अस०) |
| १३ श्री नरला वेकटेश्वर राव | (का०) |

- | | |
|----------------------------------|----------|
| १४ श्री के० पी० माली करजुनडु | (का०) |
| १५ श्री येला रेड्डी | (कम्यु०) |
| १६ श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी | (का०) |
| १७ श्री दामोदर सजीवैया | (का०) |
| १८ श्री साडा नारायप्पा | (का०) |
| असम | |
| १९ श्रीमती उपा वरयाकुर | (का०) |
| २० श्री महितोप पुरकात्रय | (का०) |
| २१ श्री बहूरुल इस्नाम | (का०) |
| २२ श्री गोलाप वरवोरा | (समोपा) |
| २३ श्री पूर्णानन्द चेटिया | (का०) |
| २४ श्री एमनसिंग एम० सगमा | (का०) |
| २५ श्री श्रीमन प्रफुल्लानोस्वामी | (का०) |

बिहार

- | | |
|---------------------|----------|
| २६ श्री नूरज प्रनाद | (कम्यु०) |
| २७ चौवरी ए० मुहम्मद | (का०) |

१४८ श्री भूपेन्द्रसिंह	(का०)	१८२ श्रीमती सरला भदौरिया	(स सो०)
१४९ श्री गुप्तमुक्तसिंह मुसाफिर हरियाणा	(का०)	१८३ श्री रामसिंह	(स्व)
१५ श्री जगतनारायण	(भाक्रा)	१८४ श्री टी० एन० सिंह	(का)
१५१ श्री नेकी राम	(का०)	१८५ श्री उमाशंकर त्रिगुप्त	(का०)
१५२ श्री भगवत दयान	(का०)	१८६ श्री चंद्रगज्जर	(का०)
१५३ श्री कृष्ण वात	(का०)	१८७ श्री पश्वीनाथ	(भाक्रा)
१५४ श्री निजम राम	(का०)	१८८ श्री मानसिंह वर्मा	(ज०स०)
राजस्थान		१८९ श्री राजनारायण	(स सो०)
१५५ श्री एम० व महता	(स्व०)	१९० डा० जेड० ए अहमद	(कम्प्यु०)
१५६ श्री मुन्तरसिंह भडागी	(ज सो०)	१९१ श्री गौर मुरहारी	(स सो०)
१५७ श्री देवासिंह	(स्व०)	१९२ श्री हीरावल्लभ त्रिपाठी	(का)
१५८ डा मगभावा तनवार	(का०)	१९३ श्री एम० असाद मदनी	(का०)
१५९ श्री सान्निव जना	(का)	१९४ श्री पतिश इयामसुन्दर नारायण तत्वा	(का०)
१६० श्री गान्धिराव वाटगा	(का०)	१९५ श्री महावीर प्रसाद गवना	(का०)
१६१ श्री रामनिशाम मिषा	(का)	१९६ श्री एम० पा० भागव	(का०)
१६२ श्री कम्भाराम धाय	(भाक्रा)	१९७ श्री अजन अगोरी	(का)
१६ रिवा		१९८ श्री अयामधर मिश्र	(का)
१६४ श्री अरुण मिश्र	(का)	पश्चिम बंगाल	

२१६ श्री गुलाम नवी युद्	(का०)	पाडिचेरी	
२१७ श्री सय्यैद हुसैन	(का०)	२२७ श्री पी० अन्नाहम	(का०)
२१८ श्री तीर्थराम अमला	(का०)	त्रिपुरा :	
नागालैंड :		२२८. डा० त्रिगुण मेत	(का०)
२१९ श्री मेल्लुप्रा वेंरो	(का०)	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत :	
दिल्ली		२२९. श्री एम० अजमन खाँ	
२२० डा० भाई महावीर	(ज०न०)	२३० श्री एम० एन० कौल	
२२१ कुमारी शान्ता वनिष्ठ	(का०)	२३१. श्री जी० रामचन्द्रन	
२२२ श्री इन्द्रकुमार गुजराल	(का०)	२३२. श्री जयगामदान दोलतगाम	
हिमाचल-प्रदेश .		२३३. श्री एम० सी० मितलवाड़	
२२३ श्री सी० एल० वर्मा	(का०)	२३४. डाक्टर के० रमैया	
२२४ श्री सालीगम	(का०)	२३५. श्रीमती शकुन्तला पगजपे	
२२५ श्रीमती मत्यवती टांग	(का०)	२३६. श्री गंगाधर सिंह	
मणिपुर :		२३७. डाक्टर एड० आर० बच्चन	
२२६ श्री नितम कृष्णमोहन सिंह	(का०)	२३८. डाक्टर जी० शंकर कुरुप	
		२३९. श्री जोगिय अलवा	
		२४०. प्रो० सर्वोद नून्य हुसैन	

दलों के संक्षिप्त नाम

अकाली दल	=	=	अ० द०
भारतीय क्रांति दल	=	=	भाक्रद
काग्रेम	=	=	का०
कम्युनिस्ट	=	=	कम्यु०
कम्युनिस्ट भावसंवादी	=	=	कम्यु० भा०
त्रिविड मुनेन कपगम	=	=	ड० मू० ड०
फारवर्ड ब्लाक	=	=	फ० ब्ला०
असम्प्रद, निर्दलीय	=	=	अ० म०
जन काग्रेम	=	=	ज० का०
जनमध	=	=	ज० म०
मुस्लिम लीग	=	=	मु० ली०
लोक मेवक दल	=	=	ल० मेव० द०
प्रजा समाजवादी पार्टी	=	=	प्रजा० समा० पार्टी
रिपब्लिकन	=	=	रिप०
रिवोल्यूशनरी	=	=	रि०
सोसलिस्ट पार्टी	=	=	
सम्युगां महाराष्ट्र समिति	=	=	अ० म० म०
सयुक्त सोसलिस्ट पार्टी	=	=	स० म० म०
स्वतंत्र पार्टी	=	=	स्व०

*With Best Compliment
from*

ARCHNA INVESTMENT Pvt Ltd

N 10 Kirti Nagar
New Delhi 15

Tel No 584908

With Best Compliments of

United Steel & Bearing Company

DEALERS AND STOCKISTS

of

ALLOY TOOL SPECIAL STEELS

of

EVERY DESCRIPTION

5 B CLIVE GHAT STREET
CALCUTTA 1

Gram DAMASCEND

Phone 22 3973 22 8442

Gram MOLYCAROM

Stores Supply (India) Agency

Importers & Stockists of

SPECIAL TOOL & ALLOY STEELS

Head Office

5B Clive Ghat Street
Calcutta 1

Phone 22 3218
22 6197

Telephone 559/595



Regional Office

4647 Ajmerigate
Delhi 6

Phone 265707

Telegram POTTERY

The Perfect Pottery Co Ltd ,

BHARATPUR

(Rajasthan)

Manufacturers of PERFECT Brand Stoneware Pipes & Fittings

Delhi Office

Tel No 265824 221938

4647 Bazar Ajmerigate Opposite New Amar Cinema
DELHI 6

विज्ञापनदाताओं की सूची

क्रमांक	विज्ञापनदाताओं के नाम	स्थान	पृष्ठ
१	हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	भोपाल	१६
२.	रीटा मकेनीकल वर्क्स	लुधियाना	२७
३	परिवार नियोजन निदेशालय	नई दिल्ली	२८
४.	हीरो साईकिल इण्डस्ट्रीज	लुधियाना	४६
५.	प्योर पैक प्राडक्ट्स	कलकत्ता	७४
६.	कृपक जगत 'साप्ताहिक'	भोपाल	१११
७	ओरियन्ट पेपर मिल्स	कलकत्ता	११२
८.	युनाइटेड माडर्निंग क० प्रा० लिमिटेड	भरिया	११३
९	उत्तर रेलवे	नई दिल्ली	११४
१०	स्वास्तिका मैटल वर्क्स	जगाधरी	१३७
११	वन संरक्षण निदेशालय	भोपाल	१३८
१२	इडिया कार्वन लिमिटेड	गोहाटी	१३९
१३	गुजरात सरकार	अहमदाबाद	१४०
१४.	इण्डियन ग्रायल कारपोरेशन	बम्बई	१८३
१५.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	नई दिल्ली	१८४
१६.	महाराष्ट्र सरकार	बम्बई	२४९
१७	हरियाणा सरकार	चण्डीगढ़	२५०
१८	राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार सघ	जयपुर	२५०
१९.	दिल्ली प्रशासन	दिल्ली	२५१
२०	दैनिक विश्वमित्र	कलकत्ता	२५२
२१.	बिहार सरकार	पटना	२५२
२२	त्रिपुरा सरकार	अगरतल्ला	२५३
२३	विनोद मिल्स क० लिमिटेड	उज्जैन	२५४
२४	म० प्र० राज्य परिवहन निगम	भोपाल	२५४
२५	श्रीराम सागरमल	कलकत्ता	२८९
२६	एमोमिण्टेड इलेक्ट्रीकल्स इन्स्ट्रीज	कलकत्ता	२९०
२७	पूर्वोत्तर रेलवे	गोरखपुर	२९१-२९२
२८.	ओरिएण्ट पेपर मिल्स	भोपाल	२९२
२९	भाई मोहनलाल हरगोविन्द	जबलपुर	२९२
३०.	अगोक चित्र (प्रा०) लिमिटेड	पटना	३०४
३१	गालियर सूटिंग	गालियर	३०५
३२	हमदर्द	दिल्ली	३०५

३३	म० प्र० पचायत एव समाज सेवा सचिवालय	भोपाल	३०६
३४	फटिलाइजर कारपोरेशन प्राप इडिया	सियरी	३०७
३५	स्टेट बक आफ इडिया	नई दिल्ली	३०८
३६	म० प्र० बैसरवानी शिक्षा समिति	जबलपुर	३०८
३७	बिहार राज्य सहकारिता भूमि बचक बक	पटना	३३१
३८	गुजरात राज्य सहकारिता भूमि बचक बक लिमिटेड	अहमदाबाद	३३२
३९	विदर्भा प्रीमियर बो आफरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड	नागपुर	३३२
४०	सुदर्शन ट्राडिंग क० लिमिटेड	मद्रास	३३३
४१	कृष्णराम बनदेव बक लिमिटेड	ग्वाणियर	३३४
४२	श्री नरकेमरी प्रकाशन लिमिटेड	नागपुर	३३४
४३	पोम्पा दमन डियू	पणजी-गोवा	३३४
४४	अमर मशीन टूल्स (प्रा०) लिमिटेड	गुधियाना	३३४
४५	बकुम प्लाट एण्ड इन्स्ट्रुमेट क० लि०	पूना	३७९
४६	चरार आयन इन्स्ट्रुज लि०	अकोला	३८०
४७	मका प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	३८०
४८	भारत कामस एण्ड इन्स्ट्रुज लि०	बलकत्ता	३८१
४९	खरे एण्ड तारकुण्ड	नागपुर	३८२
५०	गिब्लू मटल बक्स	जगापरी	३८२
५१	सिधिया स्टीम नेवीगेशन क० लि०	बम्बई	३८३
५२	जगतजीत डिस्ट्रिबुशन एण्ड एलाइड इन्स्ट्रुज	नई दिल्ली	३८४
५३	गामनी नगरपालिका	शामली	३८७
५४	म० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बक	जबलपुर	३८७
५५	गमनुगर केन एण्ड सुगर क० लि	बनबत्ता	३८८
५६	द नेगनल इडिया रबड बक्स लिमिटेड	कटनी	३८८
५७	सेम्ट्रल इडिया पनोर मिट्स	भोपाल	३८८
५८	अगोका ग्लास बक्स	बनबत्ता	३८८
५९	म० प्र० राज्य विद्युत परिषद	जबलपुर	३८९
६०	सतना सीमेन्ट बक्स	सतना	४००
६१	सेल्स एण्ड इन्स्ट्रुज (प्रा) लिमिटेड	बनबत्ता	४००
६२	रवी कमीकल्स (प्रा) लिमिटेड	बनबत्ता	४००
६३	ट्राडिंग इंजीनियरज	नई दिल्ली	४०१
६४	बिहार राज्य विद्युत परिषद्	पटना	४०२
६५	यूनियसन केनज लिमिटेड	सतना	४०२
६६	आय बचाला	कोटाकन	४२३
६७	अमम मरवार	गिनाग	४२४
६८	मध्य प्रदेश सरकार	भोपाल	४२४
६९	भार इन्स्ट्रुज	बम्बई	४२५
७०	प बगान सरकार	बलबत्ता	४२६

७१	पजाव सरकार	चण्डीगढ	४२६
७२	मेन्टन एण्ड कम्पनी	कलकत्ता	४२६
७३	एम्ब्रीशस गोल्ड नीव मनु० क० (प्रा०) लि०	दिल्ली	४६६
७४	एल० एच० झूगर फैंक्टरी एण्ड आयल मिल	काशीपुर	४७०
७५	राठी इन्डस्ट्रीज	उज्जैन	४७०
७६	हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन	लखनऊ	४७०
७७	सरस्वती इजीनियरिंग कम्पनी	गाजियाबाद	४८०
७८	डालमिया सिमेन्ट (भारत) लि०	नई दिल्ली	४८१
७९	हाल एण्ड एण्डरसन	कलकत्ता	४८१
८०	भल्ला ब्रदर्स	लुधियाना	४८१
८१.	अम्बिका मिल्स	अहमदाबाद	४८२
८२	श्री मोदी मिनरल ग्राइडिंग मिल्स	नीमकाथाना	४८२
८३.	द शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	बम्बई	४९३
८४	एनके (इण्डिया) रबर कम्पनी	{ दिल्ली	४९४
८५.	बारावती रायफल	दिल्ली	४९४
८६	सोलर केमिकल्स (कानपुर) प्रा० लि०		४९८
८७	अर्चना इनवेस्टमेन्ट प्रा० लि०	नई दिल्ली	५१८
८८	युनाइटेड स्टील एण्ड वेयरिंग क०	कलकत्ता	५१८
८९	स्टोर्स सप्लाइ (इंडिया) एण्ड सी०	कलकत्ता	५१८
९०	परफेक्ट पॉटरिज क० लि०	भरतपुर	५१८
९१	रेमिंगटन रैण्ड आफ इंडिया	नई दिल्ली	५२१
९२	गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर क०	बडौदा	५२२
९३	श्री कर्नाटक एजेन्सीज	बम्बई	५२२
९४	विहार स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज	पटना	५२२
९५	राजस्थान सरकार (शिक्षा मन्त्रालय)	जोधपुर	५२३
९६	मगलूर गनेश बीडी वर्क्स	मैसूर	५२४

- (I) युनाइटेड विल्डर्स, नई दिल्ली, द्वितीय आवरण पृष्ठ
 (II) कन्स्ट्रक्शन एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन, खजुरिया घाट तृतीय आवरण पृष्ठ
 (III) पर्यटन विभाग, म० प्र० शासन, भोपाल रोमन पृष्ठ VIII

इस वर्ष फिर

हिन्दी टंकण कला मे अधिकतम गति श्री सी० डी० पांडेय द्वारा रेमिंगटन हिन्दी टंकण यंत्र पर प्राप्त की गई है ।

रेमिंगटन रेण्ड



जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

Mother the Mother Land is greater than heaven

So tribute to our Mother Land and glory to her

Land is what we live on nay our life is our land

And so our devotion and services to our Mother Land

For it is the richness of our land that will enrich us

So we dedicate ourselves and offer our services to enrich
our land our farmers and all of us



GUJARAT STATE FERTILIZERS COMPANY LIMITED

FERTILIZER NAGAR BARODA

FC BAS C TO

PROG ESS



Grams SACHOII

Phone 254220

SHRI KARNATAK AGENCIES

48 Western India House Sir Pherozshah Mehta Road

Fort BOMBAY I

Distributors of Mysore Paper Mills Ltd

Bhadravati—Mysore Bond Printing Kraft & Creamlaid etc
&

Controlled stockists of—

Mysore Iron & Steel Ltd Bhadravati I

Ferro—Silicon Ferro—chrome

Silico—Manganese Charcoal—Pig iron etc

Phone No Patna 25817 25765

Bihar State Small Industries Corporation Ltd

S P Verma Road Patna

Manufacturers Of —

LOCKS FOR INDUSTRIES OFFICES AND HOUSES
ALUMINIUM WARES WOOLLEN GARMENTS TOYS AND
HANDICRAFTS—RENOWNED FOR THEIR BEAUTY AND
ORIGINALITY AGENTS REQUIRED IN UNREPRESENTED
AREAS TREDE ENQUIRIES TO

Secretary

BHAR STATE SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD

PATNA

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर

द्वारा

शोध, सन्दर्भ एवं दुर्लभ महत्वपूर्ण ग्रंथों का
राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला के अन्तर्गत प्रकाशन

प्रकाशित ग्रंथों की सूची

(क) संस्कृत-प्राकृत

प्रकाशन का नाम	सम्पादक	मूल्य
दशकण्ठवधम्	श्री गगाधर द्विवेदी	रु० ४ ००
श्री भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम	श्री गोपालनारायण बहुषा	रु० ३ ७५
रत्नपरीक्षादि सप्तग्रंथ संग्रह	पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्वाचार्य	रु० ६ २५
स्वयम्भूछन्द	प्रो० एच० डी० वेल्णकर	रु० ७ ७५
वृत्तजातिसमुच्चय	" " "	रु० ५.२५
कविदपेण	" " "	रु० ६ ००
वृत्तमुक्तावली	स्व० पं० श्री मथुरानाथ भट्ट	रु० ३ ७५
कर्णमृतप्रपा	पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्वाचार्य	रु० २ २५
पदार्थरत्नमजूपा	" " " "	रु० ३ ७५
त्रिपुराभारती-लभु-स्तव	प्रस्तावना श्री दलसुख मोलवणिया	
प्राकृतानन्द	पद्मश्री मुनिजिनविजय, पुरातत्वाचार्य	रु० ३ २५
हन्द्रप्रस्थ-प्रबन्ध	" " "	रु० ४.२५
एकाक्षर-नाम कोश-संग्रह	डा० दशरथ शर्मा	रु० २.०५
वासवदत्ता कथा	पन्यासप्रवर मुनि रमणीकविजय	रु० ६ ००
वृत्तभोक्तिक	जे० एम० शुक्ला	रु० ४.५०
चांद्रन्याकरण	म० विनयसागर	रु० १८ २५
	पं० वेचरदास डोगी	रु० ७ ००

पुस्तक विक्रेताओं को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ।

(राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित)

A NATIONAL PRODUCT

Providing Employment For More Than
35,000 Workers

Made out of
the
finest Materials

**MANGALORE
GANESH
BEEDIES**

Smokers cannot
afford to
miss them



Head Office

**Mangalore Ganesh Beedi
Works**

VINOBA ROAD MYSORE 5

शुभ कामनाओं सहित

कन्सट्रक्शन ट्रेडिंग कारपोरेशन


अभियन्ता एवं निर्माता



मुख्य कार्यालय

६, जगमोहन मल्लिक लेन,

कलकत्ता-७



शाखाये :

- खजूरिया घाट (फराका बराज)
- सिलीगुड़ी (उत्तरी सीमान्त रेलवे)
- बीरपुर (कोसी योजना)
- एवं
- स्वस्तिक भवन, पटना ।